(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 8] सप्तम् विधान सभा के आठवें सत्र का 47 वां दिवस [संख्या 29

1] [2

शुक्रवार

दिनांक 20 अप्रेल, 1984

विधान सभा की बैठक म.पू. 11 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई,

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री हंसराज शर्मा ।

सवाई माधोपुर में सीड कार्पोरेशन द्वारा भेजा गया बाजरे का बीज

792. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सन् 1982 एवं 1983 में स्टेट सीड कार्पोरेशन द्वारा बाजरे का बीज खरीद कर जिला सवाई माधोपुर में भेजा गया था ? यदि हां, तो कितना बीज बेचा गया था और कितना शेष बच गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह बीज पुराना था ? यदि हां, तो सन् 1983 में जो बाजरे का बीज बेचा गया था उसका लेबोरेटरी द्वारा अंकुरण कितना प्रतिशत आया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि जो बीज बचा था वह दुर्गापुरा फार्म में भेजा गया है ? यदि हां, तो वह तोल में सही पाया गया है या कम ? यदि कम पाया गया है, तो कितना और इसमें कौन जिम्मेदार था ?

(4) क्या यह भी सही है कि जो बाजरे का बीज खराब हो गया है और सवाई माधोपुर से वापस दुर्गापुरा फार्म पर भेजा गया है वह कितनी लागत का है और क्या अब उसको बीज के काम में लिया जावेगा ?

राज्य मंत्री, कृषि (श्री देवेन्द्र सिंह) : (1) सन् 1982 एवं 1983 में सीड्स कार्पोरेशन द्वारा बाजरा बीज सवाई माधोपुर जिले में भेजा गया था विवरण इस प्रकार है :-

(मात्रा क्विंटल में)

वर्ष	उपलब्ध मात्रा	वितरण	शेष
1982	1741.35	1494.05	247.50
1983	1881.30	523.10	1358.20

(2) वर्ष 1983 में बीज बेचा गया उसका अंकुरण 75 प्रतिशत से अधिक था। बीज नया व पुराना दोनों प्रकार का था।

Page No. 2

(2)

(3) जी हां, कुल 135.00 क्विटल बीज सवाई माधोपुर से दुर्गापुरा बीज विधायन केन्द्र भेजा गया था। इसमें 12 क्विंटल बीज कम निकला। इसके लिये राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, जो सवाई माधोपुर में निगम का हैण्डलिंग एजेन्ट है, से जांच चल रही है।

(4) सवाई माधोपुर से जो बाजरा बीज दुर्गापुरा फार्म पर वापिस प्राप्त हुआ उसकी कुल लागत 90 000/- रुपये है। उक्त मात्रा में से कितना बीज खराब हुआ, इसकी जानकारी पुनः प्रमाणीकरण के पश्चात् ही प्राप्त हो सकेगी। पुनः प्रमाणीकरण में पास हुई मात्रा का वितरण किया जावेगा।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सवाई माधोपुर में बीज दिया गया उस बाजरे के बीज का सैम्पल लिया गया था ? यदि हां, तो जिन काश्तकारों को यह बाजरे का बीज बांटा था वह सब स्टेण्डर्ड था या नहीं ?

दूसरा जैसा बताया है, बाजरे का बीज पुराना और नया, दोनों तरह का था और 75 प्रतिशत से अधिक का अंकुरण था तो पुराना बीज कितना था और नया कितना था ? पुराने बीज का अंकुरण कितना था और नये बीज का अंकुरण कितने प्रतिशत था ?

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय जो बीज बांटा गया था उसके संबंध में काश्तकारों से हमारे पास कोई शिकायत नहीं आयी है 1981–82 और 1982–83 दो सालों का बीज दो सालों में बांटा था, कितना बांटा वह बता दिया है।

श्री हंसराज शर्मा : मैं यह पूछ रहा हूं कि आपने जो 1982 में बाजरा बांटा वह लेबोरेटरी से सब स्टेण्डर्ड सिद्ध हुआ या नहीं ? वह कितने प्रतिशत था ? 1983 में जो बीज बांटा वह सब स्टेण्डर्ड था या नहीं और बिना अंकुरण की जांच किये ही बांटा गया था या नहीं ?

श्री देवेन्द्र सिंह : बीज जांच करके ही बांटा गया है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिसका 75 प्रतिशत से अधिक अंकुरण था वही बीज बांटा है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि किसानों की शिकायत नहीं आयी। उन्होंने लाखों रुपया ज्वार बाजरा....

श्री अध्यक्ष : अलग प्रश्न है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : बाजरे की बात कर रहा हूं। विधान सभा में इसका प्रश्न उठ चुका है ....

श्री अध्यक्ष : केवल सवाई माधोपुर का प्रश्न है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : जी केवल सवाई माधोपुर का ही ....

श्री सुजान सिंह यादव (बहरोड़) : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सुनने लायक है। बाजरा सब-स्टेण्डर्ड मैंने बोया है।

श्री अध्यक्ष : यह बात अलग है।

श्री सुजान सिंह यादव : बाजरा पैदा नहीं होता है उसकी व्यवस्था करें।

श्री तेजपाल यादव (चौमू) : अध्यक्ष महोदय, यह बाजरा सब स्टेण्डर्ड था, जो भी बीज बांटा जाता है ....

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सीड कार्पोरेशन खराब बीज बांटकर किसानों के साथ अन्याय करता है....

श्री सुजान सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ऐसे विषयों को भी विचारणीय नहीं रखें तो क्या फायदा है यहां बैठने का।

श्री तेजपाल यादव : अंकुरण 91 प्रतिशत होना चाहिए वह किसी भी बीज में....

श्री सुजान सिंह यादव : यहा बैठना ही व्यवहारिक नहीं है, यहां पर........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसके लिये कुछ माध्यमों का प्रयोग करना पड़ता है। जो माननीय सदस्य चाहें, जिस समय, चाहें हर विषय पर बोल सकें, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रश्न पूछते प्रस्ताव रखते तो उसका जवाब दे देते। यह केवल सवाई माधोपुर का प्रश्न है।

श्री सुजान सिंह यादव : सारे राजस्थान का सवाल है.......

श्री अध्यक्ष : पूरे राजस्थान का इसमें नहीं आ सकता।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का खून चूसा जा रहा है।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मुआवजा वसूल किया जाना चाहिए।

श्री सुजान सिंह यादव : सवाई माधोपुर का विधायक जागरुक है तो ....

श्री अध्यक्ष : मांग के दिन उठा सकते थे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : सवाई माधोपुर का ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न की परिधि में ही पूछें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : इसकी परिधि में ही पूछ रहा हूं। मंत्री महोदय ने कहा कि किसानों की शिकायत नहीं है, किसान तो अपने खेत से शिकायत करने नहीं आते हैं लेकिन लेबोरेटरी के टेस्ट में तो सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। सवाई माधोपुर से इसका पता लगता है, 1983 में बीज आया 1881.30 क्विंटल और बंटा सिर्फ 523.10 क्विंटल क्योंकि पिछला बाजरा जो बांटा गया था वह सब-स्टेण्डर्ड था। लेबारेटरी टेस्ट के बाद सारा बाजरा सब स्टेण्डर्ड हो चुका है, आप बता नहीं रहे हैं। कह रहे हैं इसकी जांच चल रही है लेकिन यह सब-स्टेण्डर्ड हो चुका है।

श्री सुजान सिंह यादव : डर यह है कि यह बाजरा इस साल किसानों को नहीं मिल जाये। राज्य सरकार व्यवस्था करे। किसान इसको लेगा तो बरबाद हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछ लिया अब उत्तर देने दें मंत्री महोदय को।

श्री देवेन्द्र सिंह : जो बात कह रहे हैं, सारा बीज का प्रमाणीकरण करते हैं। हर साल बीज प्रमाणीकरण करके ही बेचते हैं। इसलिये जो बचा हुआ बीज है उसका प्रमाणीकरण करने के बाद ही बेचा जायेगा। पहले ही कह चुका हूं कि एक दो साल से पुराना बीज नहीं बेचते हैं।

Page No. 4

(4)

श्री अध्यक्ष : एक तो नया बीज नये साल में बेचते हैं उसका अंकुरण कम होता है और जो पुराना बीज होता है उसका अंकुरण अधिक होता है।

श्री देवेन्द्र सिंह : 1982 का बीज 1983 में बेचा था। इस साल पुराना नहीं बेचेंगे अगर नया मिल गया तो। बाहर भी बीज नहीं है। हमने गुजरात से टेण्डर मंगाये हैं अगर बाजरा मिल गया तो 1982 का नहीं बेचेंगे। एन. एस. सी. भी नहीं दे रहा है. 15 क्विंटल ही मिल रहा है। अगर नहीं मिला तो पुराना प्रमाणीकरण करने के बाद ही वितरण किया जायेगा 1981 का नहीं बेचेंगे।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह जो सवाई माधोपुर का बीज आया है सारा का सारा सब स्टेण्डर्ड सिद्ध हुआ है। इसका प्रमाण यह है कि 20 लाख का बाजरे का टेण्डर हो रहा है। लाखों रुपयों का सीड कार्पोरेशन को घाटा होगा, अगर सब-स्टेण्डर्ड है। आप समझने की कोशिश कीजिये, पुराना बीज हमारे पास पड़ा हुआ हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : खराब हो जायगा। सब स्टैंडर्ड बीज है मैंने कहा था, अध्यक्ष महोदय, इसके साथ बेचारे, गरीब किसानों का सवाल है। किसानों को मुआवजा दिया जाय। तो क्या मुआवजा देने की कार्यवाही.......

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं कि सवाई माधोपुर से सब स्टेण्डर्ड बीज की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : आपने इस बीज का टेस्ट करवाया ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री हरिसिंह व श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह........

(व्यवधान)

ऑर्डर ऑर्डर।

श्री हरिसिंह। श्री वीरेन्द्र सिंह। विभाजन संख्या 194।

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दवाइयों की दुकानों का अभाव

793, **श्री हरिसिंह (कुम्हेर) श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह (गुढ़ा)** – क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां चिकित्सालय खोले गये है या खोले जा रहे है वहां दवाइयों की दुकानें नहीं खुल पा रही हैं और जनता दवाओं का अभाव महसूस कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि दवाइयों की दुकान न खुलने का कारण रजिस्टर्ड फार्मेसिस्टों की कमी है ? यदि हाँ, तो फार्मेसिस्टों के रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही कितने वर्षों से नहीं की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान में फार्मेसी कौंसिल नामक संस्था कार्य कर रही है ? यदि हाँ, तो इसका कौन अध्यक्ष व रजिस्ट्रार है व अब तक इसकी हर साल कितनी मीटिंग हुई हैं व नियमानुसार कितनी मीटिंग होनी चाहिये ?

(4) फार्मेसी कौंसिल के पास कितने प्रार्थना-पत्र, कितने समय से रजिस्ट्रेशन के

(श्री हरिसिंह)

लिये पेंडिंग हैं और राज्य सरकार इसके निबटारे के लिये क्या विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि फामेसिस्ट के रजिस्ट्रेशन का कार्य नियमानुसार अगस्त, 1984 के बाद सम्भव नहीं होगा ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेतसिंह राठौड) : (1) जी हां राज्य के रेगिस्तानी एवं पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रो में जहां चिकित्सालय खोले गये हैं या खोले जा रहे हैं वहां ऐसे काफी ग्राम हैं, जहां दवाइयों की दुकानें नहीं हैं किन्तु अन्य बड़े ग्रामीण इलाकों में सामान्यत: ऐसी कोई समस्या नहीं है।

(2) जी हां, यह भी एक कारण है। डिप्लोमा, बीफार्मा एवं फार्मा की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण प्रतिवर्ष नियमित रूप से किया जाता है । केवल अनुभव के आधार पर दिये गये आवेदन पत्र गत 31.8.81 से विचाराधीन है।

(3) जी हां, अध्यक्ष पद पर डा. ज्ञान प्रकाश, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर तथा रजिस्ट्रार पद पर अन्तरिम अवधि के लिये श्री बृज मोहन शर्मा कार्यवाहक रजिस्ट्रार के पद पर कार्य कर रहे हैं। नियमानुसार प्रतिवर्ष 2 बैठकें होनी चाहिये। कौन्सिल का गठन 21.9.78 को हुआ था तब से अब तक उसकी 8 बैठकें हुई हैं।

(4) कौन्सिल के पास दिनांक 31-8-81 से 6143 प्रार्थना पत्र पेंडिंग है। इनके निपटारे के लिये राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष राजस्थान फार्मेसी कौंसिल को उचित निर्देश दिये गये हैं। दिनांक 21-2-84 को जारी किये जा चुके हैं।

(5) जी हां। यह सही है। अनुभव के आधार पर पंजीयन हेतु अगस्त, 1981 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर 31 जुलाई, 1984 तक निश्चित रूप से फैसला कर दिया जावेगा।

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा 7 हजार पेंडिंग एप्लिकेशन्स हैं। क्या कोई आश्वासन देंगे कि उन एप्लिकेशन्स का फैसला जो निर्धारित कार्य तिथि है जुलाई उसके बाद में नहीं होगा, उसके पहले होगा ? ऐसी व्यवस्था कर देंगे ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने कह दिया कि अगस्त तक की तारीख है. लेकिन मैंने डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि 31 जुलाई तक कर दिया जाय।

श्री हरि सिंह : जब रजिस्ट्रार ही नहीं है, उसका फैसला कैसे करेंगे बिना रजिस्ट्रार के ?

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा प्रश्न है कि अनुभव के आधार पर लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसका क्या आधार है ? आपने उसके जो अनुभव की सीमा रखी है वह क्या है ? क्या यह सही है कि एम. एल. एन. ने जाली हस्ताक्षर बनवा करके हजारों की तादाद में प्रार्थना पत्र दिए हैं, जयपुर की एक बोगस संस्था ने 12–12 सौ रुपये ले करके जो इस डिपार्टमेंट के पास पड़े है ?........

Page No. 6

(6)

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : आफिसर गैलरी से बातें हो रही हैं। प्रोसीडिंग में आयेगा, अध्यक्ष महोदय।

श्री दाऊदयाल जोशी : फाइनेंस से करीबन साढ़े तीन लाख रुपये का कोटा है। क्या आप जो योग्यता, अनुभव के आधार पर रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं जुलाई तक आप इन बातों का ध्यान उसमें रखेंगे ? अगर आपने निर्णय लिया है तो राजस्थान में एक साल के अनुभव के आधार पर निकलने वाली आवश्यकताओं को किस तरह से भरा जायेगा ? इस तरह के संस्थानों को तो एक नया धन्धा मिल जायगा ? कृपया बताने की कृपा करें।

श्री यदुनाथ सिंह : आॅफिसर्स गैलरी से जोर-जोर से बातें हो रही है। वे सब प्रोसीडिंग में आ जायेंगी।

श्री अध्यक्ष : श्री ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1981 से पहले जो लाइसेंस दिये हुए हैं उनका रिनुअल करने जा रहे हैं या नहीं ? जहां डिस्पेंसरीज नहीं हैं वहां आम जनता को परेशानी हो रही है इसलिये मैं चाहूंगा कि सबसे पहले 1981 से पहले जो लाइसेंस दिये हुए हैं और वर्षों से काम कर रहे हैं उनका तो रिनुअल कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी।

श्री खेत सिंह राठोड़ : अध्यक्ष महोदय, दीगोद से आनेवाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस तरह से एक फर्म है वह जाली सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। अगर वे रिपोट करके और विस्तृत रिपोर्ट देंगे ...

श्री दाऊदयाल जोशी : जयपुर में एक ही संस्था है जिसके कि अध्यक्ष अग्रवाल हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठ जायं।

(व्यवधान)

आॅर्डर-आॅर्डर, मंत्रीजी का पहले उत्तर सुन लीजिये।

(व्यवधान)

आप बात सुनेंगे या अपनी बात ही सुनाते रहेंगे।

श्री खेत सिंह राठोड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी कौंसिल है उसमें बड़े ही एमिनेंट प्रोफेसर्स और डाॅक्टर्स रखे गये हैं उनके लिये आप यह कहें कि उन्होंने पैसे ले करके इस तरह का किया है, मैं इस बात को मानने के लिये। तैयार नहीं हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर-आॅर्डर।

श्री खेत सिंह राठोड़ : आज जो डाॅक्टर्स और प्रोफेसर्स उसमें है वे उच्च स्तर के हैं। पैसा यदि कोई देता है, तो ठुकरा देते हैं। लेकिन जहां तक आपकी बात, प्रोफेसर और डाॅक्टर्स हैं मेडिकल काॅलेज जयपुर.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर-आॅर्डर।

श्री खेत सिंह राठौड़ : मैं आपको यह सेटिस्फाई करने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि जिस फार्मासिस्ट कौंसिल के इतने बड़े-बड़े प्रोफेसर्स डॉक्टर्स हैं वहां इस प्रकार की भ्रांति ही हो सकती है ....

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं आपको सुनाऊं ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर-ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री खेत सिंह राठौड़ : इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। 6 हजार एप्लिकेशन पेंडिंग है। उनके लिये हिदायत दे दी है कि मेहरबानी करके जुलाई तक फैसला कर दीजिये क्योंकि अगस्त में, बाद में, वही लोग लिये जायेंगे। डिग्री होल्डर, डिप्लोमा होल्डर्स को ही लिया जाय इसलिये मैंने हिदायत दे दी है कि उनका फैसला तुरन्त कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरा प्रश्न यह था, ग्रामीण क्षेत्र में विभाग ने 1981 से पहले लाइसेंस दिये, वे लोग वहां काम कर रहे हैं 10-10, 20-20 वर्षों से उनका क्यों नहीं रिनुअल हो रहा है ?

दूसरा प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नई डिस्पेंसरियां........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, अगला प्रश्न।

श्री खेत सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने विभाग से मालूम किया, जो आ जाते हैं रिनूअल की डेट समाप्त होने पर भी रिनूअल कराने, उनके भी किये जा रहे हैं। श्रीमान को कोई आपत्ति हो, पर्टिक्यूलर केसेज हों तो मेरे पास में प्रस्तुत करें, मैं हिदायत दूंगा विभाग को कि तुरन्त कार्यवाही करे।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, प्रश्नकर्ता।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय का जवाब सुना कि 7 हजार पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं। इसका मतलब डिमाण्ड काफी है, स्केयरसिटी है। निर्धारित तारीख के बाद अनुभव के आधार पर हो जायेगा, सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स को लिया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या यह माकूल व्यवस्था है, डिप्लोमा होल्डर्स की ? प्रापर नम्बर में इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की क्या व्यवस्था है ? ऐसा तो नहीं है कि स्केयरसिटी बैलेंस में रहे ? जरूरत हो 100 की और ट्रेनिंग करें 50।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा, उसके उत्तर में निवेदन करना चाहता हूँ कि डिप्लोमा की 60 सीट तो जयपुर में हैं। वह कम हैं इसलिए मेमोरियल कॉलेज, जोधपुर को परमिशन गत वर्ष दी है कि अपने यहां वह 60 लड़कों को भर्ती करे और डिप्लोमा चालू करे गोपाल कॉलेज को भी परमिशन दे रहे हैं कि वहां पर भी 60 लड़कों को एडमीशन दें। इस प्रकार पूर्ति करने का प्रयास जारी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

उत्तर नहीं आयेगा, माननीय सदस्य, अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है। मान हानिकारक मामले बिना पूर्व सूचना के उठाये नहीं जा सकते। आॅर्डर, आॅर्डर।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो। अगला प्रश्न पुकार लिया।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आॅर्डर, अंकित न हो।

श्री दाऊदयाल जोशी : × × ×

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप लिखकर दो मैं जांच कराने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्रीमती विद्या पाठक।

गोविन्द सोनी की हत्या का प्रकरण

794. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1982-83 में जयपुर तहसील के नवयुवक गोविन्द सोनी की हत्या कर दी गई थी ?

(2) क्या उक्त केस को अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दिया गया था ?

(3) क्या पुलिस ने उक्त केस का चालान अदालत में पेश कर दिया ? नहीं, तो क्यों ? उक्त केस में अब तक सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) अनुसंधान से अभियुक्तों का पता नहीं चलने के कारण अन्तिम प्रतिवेदन "अदम पता" में दिनांक 10-9-83 को दिया गया है।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं, उन्होंने पोस्ट मार्टम रिपोर्ट देखी होगी, सारी चोटें पोस्ट माॅर्टम रिपोर्ट में भरने से पहले की हैं। मृतक सिर्फ चड्डी बनियान पहने हुए था। लड्डू गोपाल के घर के पास गली में लाश मिली। उस लाश के कपड़े लड्डू गोपाल के घर के नाले के पास खून पोंछकर फेंके गये। तीसरी मंजिल में सम्भवत: इसको मारा गया। वहां ब्लड स्ट्रेन्स पोंछे हुए थे। उस कपड़े से, पुलिस ने इसको रिकाॅर्ड किया है। इसके अतिरिक्त शेष कपड़े बुशर्ट उस आदमी, लड्डू गोपाल के घर में मिले। उसके दो लड़के डैड बाॅडी को गाड़ी में डालकर मृतक के घर ले गये। उन लोगों से कोई पूछताछ अभी तक की नहीं गयी। एक बात।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती विद्या पाठक)

दूसरी बात, डाक्टरों ने इसकी जांच की। पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट में है लैग, राइट लैग में चोट लगी। लैफ्ट लैग को रिजर्व किया गया, जांच के लिए। इसके बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। मैं, मंत्री जी, कहना चाहती हूं, पुलिस ने इसकी बजाय कि मर्डर करने वालों से पूछ-ताछ करती, मृतक के घर वालों को थाने बुलाकर गालियां दीं, बाल खींचे, मुर्गा बनाया, वहां पास का एक पुजारी घनश्याम, अशोक शर्मा और दूसरा एक और लड़का है जो गवाही दे सकता है ? इसका उत्तर दीजिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह वाकया 12, 13-10-83 को किया गया। जहां तक पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट मेरे देखने का प्रश्न है, वह अदालत में भेजी जा चुकी है। फिर प्रश्न ही पैदा नहीं होता, मैं उसको देख नहीं पाया हूं।

वह लाश, जैसा माननीय सदस्या ने कहा गली में नहीं मिली फैक्ट्री के अन्दर मिली। फैक्ट्री में लाश मिलने के बाद सर्व-प्रथम लड्डू गोपाल खबर करने गये। इसी दौरान किसी ने पुलिस में खबर कर दी। पुलिस ने जाकर लाश को अपने कब्जे में लिया उसके बाद उसका पोस्ट मॉर्टम कराया। पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट आयी। मैंने क्योंकि रिपोर्ट देखी नहीं है cause of death could not be ascertained बड़ी अजीब रिपोर्ट है अपने आप में। मुझे भी फर्स्ट रीडिंग से ऐसा लगता है। मैं क्योंकि आज ही इस प्रश्न की तैयारी कर रहा था, सब चीजें मेरे सामने आयीं। इस केस को सी. आई. डी. को सी. बी. में भी लिया गया। माननीय सदस्या भी वक्त-वेवक्त जान-कारी करती रहीं सी. बी. वालों से परन्तु पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और सी. बी. के इन्वेस्टिगेशन में पता नहीं लगा कि हत्या किसने की।

श्री अध्यक्ष : Cause of death ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : पता नहीं। हाउस में कमिट करने की स्थिति में नहीं हूं। मान लीजिए, आज मैं कह दूं, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट मंगायी लेकिन वह एफ. आर. के साथ अदालत में भेजना जरूरी होता है इस-लिए इसके बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। प्रश्नकाल के बाद आज इस पर चर्चा होगी; क्या कुछ और किया जा सकता है। मैं पत्रावली जरूर पुनः देखना चाहूंगा, तभी अपने आप को संतुष्ट कर पाऊंगा। हालांकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन यह देखना होगा पोस्ट मॉर्टम में, बयानों में क्या आया। इस मामले में लगता जरूर है कुछ, लेकिन मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। I cannot bind myself एक दफा देखना जरूर चाहूंगा क्या हालात हैं। इस समय माननीय सदस्या से यही निवेदन कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री रामपाल उपाध्याय व रतनलाल ताम्बी।

मेजा फीडर सिंचाई योजना पर व्यय की गयी राशि

795. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) व श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामपाल उपाध्याय)

(1) मेजा फीडर सिंचाई योजना पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है और उसका कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है ? शेष कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

(2) इस मेजा फीडर की कुल क्षमता कितनी है ? इससे मेजा बांध कितने प्रतिशत भर सकेगा ?

(3) इस मेजा फीडर के अतिरिक्त पानी से कितनी भूमि सिंचित होने लगेगी ?

(4) क्या इस फीडर की क्रियान्विती से मेजा बांध के केचमैंट एरिया का पानी अतिरिक्त रह जायेगा ? यदि हां, तो उसकी अन्य व्यवस्था किस प्रकार से करने का विचार है ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेश डांगी): मेजा जलपूरक योजना पर माह मार्च, 84 तक कुल 14.99 लाख रुपए की धनराशि व्यय की जा चुकी है। लगभग 82.50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। योजना का शेष कार्य वर्ष 1985-86 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

(2) मेजा फीडर की जल आवर्तन की कुल क्षमता 2810 एम. सी. एफ. टी. है। उक्त जल आवर्तन से मेजा बांध प्रत्येक 10 वर्ष में से 7 वर्ष में भर सकेगा। जबकि वर्तमान में मेजा बांध प्रत्येक 10 वर्ष में से 3 वर्ष में ही भरता रहा है।

(3) मेजा फीडर के इस अतिरिक्त पानी से 30910 एकड़ भूमि में अतिरिक्त सिंचाई होने का अनुमान है।

(4) जी नहीं। अन्य व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से 2-3 प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला, मेजा बांध निर्माण पर कुल कितना व्यय हुआ ? दूसरा, वर्तमान में मेजा बांध से कितनी सिंचाई होती है ? और तीसरा, मेजा बांध की कुल भराव क्षमता कितनी है ?

श्री दिनेश डांगी : अध्यक्ष महोदय, सन् 1966 में, जब इस योजना को प्रस्तावित किया गया था, 166 लाख रुपए की राशि प्रदान की गयी थी। लेकिन बाद में जब इसमें दुबारा संशोधन किये गये तो 401.09 लाख राशि निर्धारित की गयी है, जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुकी है।

जहां तक सिंचाई का प्रश्न है मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि पिछले वर्ष इसमें बहुत कम वर्षा होने से पानी कम आया। वैसे भी मेजा बांध प्रत्येक 10 में से 3 वर्ष में ही भरता रहा है। मेजा फीडर के जल आवर्तन से मेजा बांध प्रत्येक 10 में से 7 वर्ष में भर सकेगा। मेजा फीडर के इस अतिरिक्त पानी में 30910 एकड़ भूमि में अतिरिक्त सिंचाई होने का अनुमान है। उक्त कार्य पर 14.99 लाख रूपये की धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा लगभग 82.50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

श्री रामपाल उपाध्याय : मेजा बांध की भराव क्षमता कितनी है ?

सिंचाई मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : मेजा बांध की भराव क्षमता टेल लेवल तक

Page No. 11

(सिंचाई मंत्री)

3240 एम. सी. एफ. टी. और कैचमेन्ट एरिया तक 400 से 425 एम. सी. एफ. टी. है।

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के दूसरे चरण में यह पूछा था कि मेजा फीडर को कुल क्षमता कितनी है और उससे मेजा बांध कितने प्रतिशत भर सकेगा ?

श्री परसराम मदेरणा : मेजा फीडर डाइवर्शन होकर बांध में आती है, मेजा फीडर की डाइवर्शन क्षमता 2810 एम.सी. एफ. टी. है और मेजा बान्ध की 3240 एम. सी एफ. टी. है। मेजा फीडर डाइवर्शन हो सकेगी उससे 2810 एम. सी. एफ. टी.........

श्री रामपाल उपाध्याय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेजा बांध की क्षमता 3240 एम. सी. एफ. टी. और मेजा फीडर की 2810 एम. सी. एफ. टी. है। इसके अतिरिक्त जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा गया, 3010 एकड़ भूमि में अतिरिक्त सिंचाई होने का अनुमान है। मेरा अनुरोध यह है, मेजा बांध मूल में असफल रहा है। मेजा फीडर से 2810 एम. सी. एफ. टी. जल आवर्तन होगा जो कि उत्तर में स्वीकार किया है और मेजा बान्ध की भराव क्षमता 3240 एम. सी. एफ. टी. है और लगभग 400 से 425 एम. सी. एफ. टी. कैचमेन्ट एरिया की है। अगर इतना ही होता है और धनराशि 14 करोड़ 99 लाख रुपये हमने खर्च की है तो इसका मतलब यह है कि सोने से गढ़ाई महंगी वाली बात हो गई.......

श्री अध्यक्ष : कपड़े के दाम से सिलाई महंगी तो है, लेकिन सोने से गढ़ाई महंगी, यह तो नहीं है।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, 14.99 लाख रुपये की धनराशि खर्च हो चुकी है जिससे अब तक केवल मात्र 82.50 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है। इस मेजा फीडर के अतिरिक्त पानी से 30910 एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी। मेरा यह अनुरोध है कि मूल कैचमेन्ट एरिया, जिसके अन्दर बाकी का छोड़ दिया है, किसानों ने क्या अन्याय किया है ?......

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री रामपाल उपाध्याय : अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में ही निवेदन कर रहा हूं कि मेजा बान्ध पर 401.09 लाख रुपये की धनराशि खर्च होने के बाद उन किसानों को विश्वास दिलाया जाना चाहिये सरकार की तरफ से, पानी के दिये जाने की इजाजत दी जानी चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था वह यह था कि मेजा फीडर की कुल क्षमता कितनी है और इससे मेजा बान्ध कितने प्रतिशत भर सकेगा ? मेजा फीडर की डाइवर्शन क्षमता 2810 एम. सी. एफ. टी. है, इसका 82.50 पर्सेन्ट कार्य पूर्ण हो चुका है, 17.50 कार्य बाकी है। इससे 30910 एकड़ भूमि कैचमेन्ट एरिया के अतिरिक्त सिंचित हो सकेगी।

मेजा फीडर डाइवर्जन से 2810 एम. सी. एफ. टी. मैक्जिमम केपेसिटी, जो रन आउट है, रिवर का एवरेज भर जायेगा।

(श्री परसराम मदेरणा)

जैसा कि माननीय राज्य मंत्री जी ने बताया, उसके डाइवर्शन के बाद इसकी भराव क्षमता बढ़ी है। आपका जो प्रश्न है वह यह है कि मेजा फीडर की कितनी भराव क्षमता है और मेजा बान्ध की कितनी है। जब वह आकर इसमें मिलेगी, तो कितना स्टोरेज होगा वह प्रश्न अलग है।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने यह पूछी कि इस पर कितना खर्च हुआ है। मेजा बान्ध पर 400.00 लाख रुपये खर्च हुये हैं। यह टेक्निकली खराब हो रहा है, क्या आपका यह आशय है। मैं यह समझ पाया हूं। माननीय सदस्य बहुत ही पुराने साथी हैं, इनको शायद पता होगा, मैं इसकी जांच करवा कर इसका उत्तर दे सकता हूं। मेजा बान्ध का बहुत कम स्टोरेज कैचमेन्ट एरिया है; क्योंकि मेजा बान्ध बना है, इस फीडर को लाने के बाद उसका कैचमेन्ट एरिया बढ़ा है पानी का रन आउट नहीं था, मेजा बान्ध में बाद मे पानी भरता है। बिना डाइवर्शन के इस फीडर मे, बनास नदी का कैचमेन्ट एरिया, जहां पर इरिगेशन वर्क्स अपन लगा रहे थे उसमें कुछ संशोधन किया जाना है। शायद मैं समझता हूं कि आपका अभिप्राय बहुत स्पष्ट हो गया है। मैं इस प्रश्न को एग्जामिन करवा रहा हूं मैं आपकी बात समझ गया हूं, मेजा फीडर यहां आ गई, कैचमेन्ट एरिया बहुत बड़ा है. उसमें छोटे छोटे इरिगेशन के काम स्वीकृत किये जायें, वहां के लोकल आदमियों को उसका पानी मिल सके, उनकी भूमि सिंचित की जा सके तो कृषि उत्पादन होगा। आपका यही प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री नानालाल।

श्री नानालाल (राजसमन्द) : यह जो मेजा फीडर आई है, मातृकुण्डी से जो लाई गई है उसका लाभ किन को मिलेगा ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जो गांव बीच में आये हैं उनको भी लाभ पहुंचाने की व्यवस्था है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह पहला प्रश्न तो बिल्कुल अलग है। जिन गांवों की जमीन डूब में आई थी उन लोगों को अनुदान दे दिया था। मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार मेजा फीडर बनाने से 6 गांवों के 892 परिवार प्रभावित हुये हैं।

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने यह कहा कि स्टोरेज कम होगा। उसका आशय यही निकलता है कि मेजा डेम के पास से जो मेजा फीडर बनाई गई है वह डिफेक्टिव है। क्या इसकी आप जांच करायेंगे ? कि मेजा डेम कामर्शियल पर्पज का स्रोत है वह डिफेक्टिव है। क्या मंत्री महोदय मेजा फीडर की जांच करवायेंगे ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जो इरिगेशन का है बन्धा उस बन्धे की स्वीकृति देने के लिये, टोटल कैचमेन्ट एरिया है उसमें इन्ट्रप्शन, अवरोध तो नहीं होगा जो उसका रन आउट रखा गया है, इस सम्बन्ध में आप कह रहे हैं ? वह दूसरा प्रश्न है....

(व्यवधान)

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, 6 गांवों के 892 परिवार प्रभावित हुये हैं, उनको दूसरी जगह भेजा गया है। एक आदमी मारो दूसरे को जिआओ।

Page No. 13

(13)

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रश्न ही अलग है। 6 गांवों के 892 परिवार प्रभावित होंगे इसमें एक आदमी को जिलाने और मारने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री नानालाल : उनको लाभ क्या दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ! माननीय सदस्य।

श्री भैरूलाल मीणा,

पंचायत टी. डी., पंचायत समिति, गिर्वा, का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

796. **श्री भैरूलाल मीणा** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत टी. डी. पंचायत समिति, गिर्वा आदिवासी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिये भवन बनाकर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो क्या डाक्टर एवं अन्य स्टाफ की नियुक्तियां कर दी गई हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में एक अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन भी बनवाना था जिस पर 50 प्रतिशत खर्चा जन सहयोग द्वारा प्राप्त करना था ? यदि हां, तो यह दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कहां खोलने का प्रस्ताव है ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री खेत सिंह राठौड़) : (1) जी नहीं, भवन निर्माणाधीन है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता !

(2) जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

भैरूलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, अस्पताल बनाने के लिए ही भवन बनाया गया, राज्य सरकार से आदेश आये कि भवन बनाया जाय तब वह भवन बनाया गया।

श्री खेत सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि अभी तक भवन पूरा नहीं बना है उसमें सेनिटरी और इलेक्ट्रिक का काम होना बाकी है। जैसे ही भवन पूरा हो जायगा, एक डाक्टर, दो मेल नर्स, एक परिचारिका, एक महिला स्वास्थ्य दर्शिका, एक टेक्निशियन और एक वार्ड बॉय और एक एन. एम. की नियुक्ति कर दी जायगी।

श्री भैरू लाल मीणा : फिर ऐसा तो नहीं कहा जायगा कि बजट ही नहीं है !

श्री खेत सिंह राठौड़ : मिनिस्टर का जवाब होने के बाद ऐसा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ! श्री नन्दलाल मीणा

नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के अध्यक्ष के विरुद्ध कार्यवाही

797. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा के अध्यक्ष श्री कैलाश व्यास द्वारा अपने पद व न्यास के कोष का दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायतें प्राप्त होने पर जांच में शिकायतें सही पाने पर अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था ? यदि हां, तो कृपया शिकायतों की प्रति व जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) श्री व्यास ने न्यास कोष को कितनी राशि का दुरुपयोग किया ? इनके विरुद्ध राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

राज्य मंत्री, नगर आयोजन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : अध्यक्ष महोदय वैसे तो यह मामला सब जूडिस है इस संबंध में एक रिट हाईकोर्ट में पेण्डिंग है लेकिन चूंकि आपके सचिवालय द्वारा एडमिट कर दिया गया है इसलिए ब्रीफ रिप्लाई पढ़ देता हूं इस पर कोई सप्लीमेन्ट्री नहीं करें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): जो मामला सबजूडिस है वह नहीं पूछा जायगा, बाकी तो प्रश्न पूछे जायेंगे, जो सब जूडिस नहीं हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसा है श्रीमान्, इन्होंने जांच को ही चैलेन्ज किया है ।

(1) यह सही है कि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री कैलाश चन्द व्यास के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी तथा इसकी जांच कराई गई । जांच रिपोर्ट से कई अनियमितता सामने आयी थी, अतः राज्य सरकार ने लोकहित में उचित समझकर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम की धारा 14 (क) के अन्तर्गत नगर विकास न्यास, भीलवाडा के अध्यक्ष श्री कैलाश चन्द व्यास की नियुक्ति अधिसूचना दिनांक 27. 12. 82 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी । शिकायत एवं जांच प्रतिवेदन की प्रतियां लोकहित में सदन के पटल पर रखना उचित नहीं हैं ।

(2) अनियमितताओं के कारण लोकहित में न्यास अधिनियम की धारा 14 (क) के तहत उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया गया ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि दोनों डाक्यूमेन्टस शिकायत पत्र और जांच प्रतिवेदन आपने श्री व्यास को दिये ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्या यह सही है कि शिकायतपत्र का श्री कैलाश व्यास से उत्तर प्राप्त किया है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जांच की गई थी, उत्तर प्राप्त नहीं किया । डाक्यूमेंट्स और रिकार्ड लिया गया, मौखिक रूप से भी पूछ-ताछ की गई ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह है, अध्यक्ष महोदय, उस आदमी को हटाने से पहले उसको आरोप पत्र नहीं दिया गया । जांच का क्या परिणाम रहा, यह भी उसको पता नहीं और उसे अपने पद से हटा दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : यह सब जूडिस है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सब जुडिस नहीं है । रिट में इनके एक्शन को वैकेन्ट किया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुल मिलाकर श्री व्यास का केस यही हो सकता है कि उसको अपना बचाव रखने का अवसर नहीं दिया गया, उसको आरोप पत्र नहीं दिया गया । यही तो बात है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यही बता दें कि यह बात है। उस रिट में यह लिखा है तो बता दें।

श्री अध्यक्ष : यह कल्पना की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सरकार कल्पना के आधार पर नहीं, तथ्यों के आधार पर चलेगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि आपकी आज्ञा हो तो 20 पेज की रिट पढ़ दूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न यह है कि कानून की अनुपालना किस प्रकार से की जा सकती है। यू. आई. टी. के कई चेयरमेन हैं जिनके खिलाफ करोड़ों के चार्जेज हैं। केवल इसी को हटाया गया क्योंकि इनकी पार्टी का तो है लेकिन इनके दल का नहीं है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं न्यास अधिनियम की धारा 14 (क) पढ़ देता हूं, इससे सारी स्थिति साफ हो जायगी।

Termination of appointment and reconstitution Not with standing anything contained in sections 11, 12 or 15, the State Government may if it thinks fit in public interest so to do terminate the appointment of Chairman or any trustee of a trust or reconsitute the same at any time.

पब्लिक इन्ट्रस्टेड में नोटिस देना या जानकारी देना आवश्यक नहीं है, मैं चैलेन्ज नहीं करता, यह गवर्नमेन्ट की स्वित विल है, वह मर्जी आये जब हटा सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ऐसी पोजीशन नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय जानते होंगे और कई माननीय सदस्य, जो एडवोकेट्स हैं, को भी मालूम होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार नहीं कई बार व्यवस्था दी है कि यदि मुख्य बात में उल्लेख नहीं किया गया हो तो बिना सुने निर्णय नहीं दिया जा सकता। यह सामान्य न्याय की व्यवस्था है। इन्होंने नोटिस नहीं दिया है, यह कानून में नहीं भी लिखा हो परन्तु न्याय व्यवस्था के आधार पर इस प्रकार का नोटिस दिया जाना चाहिये। वह नहीं दिया। असली बात तो यह है कि यह मुख्य मन्त्रीजी के विरोधी हैं इसलिए इनको हटा दिया गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह गलत है। म्यूनिसिपल एक्ट की धारा 63 के तहत नोटिस देना आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : इसका गठन भी एक दूसरी प्रक्रिया से होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : न्यायालय का फैसला है, कानून में दण्ड दिया जाय तो नोटिस देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यह सब जूडिस है, कानूनी मसला है।

(व्यवधान)

यह कानूनी प्रश्न है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : जो न्यायालय का, कानूनी मुद्दा है वह यहां तय नहीं हो सकता।

Page No. 16

(16)

श्री अध्यक्ष : व्याख्या ज्यादा नहीं हो सकती ।

श्री बंशीलाल पटवा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि गवर्मेन्ट तो हटा सकती है यह गवर्मेन्ट को अधिकार है मंत्री महोदय यह कह रहे हैं सब जुडिस मेटर है । सवाल यह है कि यदि एक सामान्य आदमी को, सरपंच को भी हटाते हैं तो भी नोटिस दिया जाता है , मेरा निवेदन है कि इन्क्वायरी बाद में कराई गई ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह गलत है ।

श्री बंशीलाल पटवा : गलत नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सब जुडिस है, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं,

(व्यवधान)

मेरा प्रश्न है,

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, प्रश्नकर्ता हैं उनको सबसे पहले मैं अवसर देता हूं लेकिन प्रश्न – कर्ता कोई इच्छा व्यक्त नहीं करें और अन्य माननीय सदस्य बोलें........

(व्यवधान)

सब् जूडिस है, माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

केवल एक प्रश्न ।

श्री नन्दलाल मीणा : सवाल यह है कि भूतपूर्व यू. आई. टी. के अध्यक्ष श्री व्यास के विरुद्ध कितनी शिकायतें, किन किन व्यक्तियों से प्राप्त हुई और जांच के दौरान व्यास की कितनी सम्पत्ति का दुरुपयोग पाया गया ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह मामला सब-जुडिस होने से मैं इसका जवाब नहीं दे सकता ।

श्री नन्दलाल मीणा : कब कब शिकायतें प्राप्त हुई किन किन व्यक्तियों से प्राप्त हुई और कितनी राशि थी ?

श्री अध्यक्ष : अब यह मामला सब-जुडिस है । आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं । क्या श्री कैलाश व्यास श्री गिरधारी लाल व्यास के भाई हैं ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी नहीं ।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह मामला सब जुडिस क्या है इस बारे में आपको निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें । आर्डर आर्डर ।

(व्यवधान)

आसन पैरो पर है । आर्डर आर्डर ।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैंने एक शोर्ट नोटिस क्वेश्चन दिया था पर वह प्रश्न तारांकित प्रश्नों की सूची में आ गया गलती से ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर।

गलती से नहीं आ गया वह पहले एस. एम. क्यू. में नहीं आ सका। मैंने अनुमति दी इसलिये आ गया। आपको उत्तर दिला दिया जायेगा। अब मैं वह प्रश्न लेता हूं। पहले माननीय सदस्य का प्रश्न आया ही नहीं इस सत्र में। मैं उनको अवसर देता हूं।

श्री नानालाल

नगरपालिका राजसमन्द (उदयपुर) में अधिशासी अधिकारी का रिक्त पद

830. **श्री नानालाल** (राजसमन्द) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका राजसमन्द (उदयपुर) में अधिशासी अधिकारी का स्थान रिक्त पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि पद रिक्त होने के कारण नगरपालिका के कार्य रुके पड़े हैं ?

(3) क्या सरकार जनहित में नगरपालिका राजसमन्द में अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति शीघ्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी आप इतने व्यस्त हैं। पीछे देखें 830 नम्बर पर।

राज्य मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न के भाग (1) के उत्तर के बाद यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(3) नगरपालिका राजसमन्द में अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्ति की जा चुकी है।

श्री नानालाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो हाउस में जवाब दिया है मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजसमन्द में अभी तक अधिशासी अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। उसको वहां से प्रशासक ने रिलीव कर दिया है।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस अधिकारी को आपने लगाया है उसकी नगरपालिका के कर्मचारियों और कांग्रेस (आई) के लोगों ने शिकायत की है। मैं थोड़ा पढ़ कर सुनाता हूं उन्होंने लिखा है कि :

"सेवा में, श्रीमान मन्त्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

निवेदन है कि हाल में नगरपालिका राजसमन्द में श्री अमरचन्द वर्मा पिड़ावा से स्थानान्तरित होकर अधिशासी अधिकारी के पद पर आये और उनके बजाय यहां के अधिशासी अधिकारी श्री शंकर राठौड़ को पिड़ावा स्थानान्तरित किया है। श्री वर्मा, जो हाल में यहां आये हैं सम्भवतः दिमाग से ठीक नहीं हैं। तीन दिन के अन्दर ही उनके क्रियाकलापों से स्थानीय जनता आश्चर्य चकित हो रही है आम तौर पर यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि राज्य सरकार में इतनी अन्धेर गर्दी है कि दिमाग

(श्री नानालाल)

से फेल अथवा पागल व्यक्तियों को भी जिम्मेदारी के पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। अच्छा होता कि नियुक्ति के पहले ही डाक्टरों द्वारा जांच करवा ली जाती कि इसके अलावा सभी कर्मचारियों ने लिखा सभी कर्मचारियों को प्राय: नौकरी से निकालने की धमकियां देता है। सेवा पुस्तिका में रिमार्क लगाने की धमकियां देता है। कभी-कभी तो मारने पर उतारू हो जाता है। यदि इन्हें भविष्य में यहां से नहीं हटाया गया तो हमारे साथ कुछ भी अशोभनीय घटना हो सकती है।" तो अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन था कि प्रशासन शहरों की ओर जा रहा है और आपने ऐसे व्यक्ति लगाये हैं इससे जनता को नुकसान होता है। जनता शासन में भी हमारा नुकसान हुआ था। उस वक्त भी जनता शासन में मन्त्रीजी के पास हाजिर हुआ था।

श्री नन्दलाल मीणा : उस वक्त भी मैने आपको कहा था कि यह 33 व्यक्तियों में से एक हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय जैसे ही यह शिकायत मेरे पास आई कि उक्त अधिशासी अधिकारी का कार्य सन्तोषजनक नहीं है, जो श्री वर्मा के खिलाफ वहां के प्रशासक ने की है उसके आधार पर मैंने उनका ट्रान्सफर कर दिया था। जब यह प्रश्न आया कि बहुत दिन हो गये वहां अधिशासी अधिकारी नहीं है तो देरी होने का एक कारण यह भी है कि राजस्थान में क्लास फोर्थ और क्लास थर्ड अधिशासी अधिकारी लोगों की कमी है, फिर भी हमने राजसमन्द के महत्व को देखते हुए माननीय सदस्य के आग्रह पर हमने एक दूसरा आदेश प्रसारित कर दिया है जो कि गुलाबपुरा में अधिशासी अधिकारी हैं उनको राजसमन्द लगा दिया है।

श्री नानालाल : यह प्रश्न करने के बाद में लगाया है, किसके कहने से लगाया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, पुरानी बात हो गयी है मुझे याद नहीं है। मैं कोई हर बात तो नोट करता नहीं हूं।

श्री नानालाल : मैंने आपसे बात की थी और निवेदन किया था तब आपने यह कहा था कि यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनता इनसे बहुत दुखी है। आपने मंत्री महोदय यह कहा था कि देवपुरा साहब ने लगाया है। वैसे राजस्थान में कमी नहीं है आप इनको कहीं और लगा देते।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे अब ध्यान आ रहा है, अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसी बात नहीं कही थी।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। स्थगित प्रश्न सं 832।

श्री महावीर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, जब वह अधिकारी पागल है और उसका दिमाग ठीक नहीं है तो ऐसे आदमी को कार्य में कैसे लिया है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

अगला प्रश्न माननीय सदस्य। श्री देवी सिंह।

गंगा थियेटर बीकानेर से चन्द्रा एण्ड कम्पनी की बेदखली

832. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि गंगा थियेटर, बीकानेर से कलेक्टर, बीकानेर ने चन्द्रा एण्ड कम्पनी को तारीख 30 जनवरी, 1980 को जबरिया रूप से बेदखल कर दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर ने चन्द्रा एण्ड कं. की रिट याचिका नम्बर 520/70 स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को कानून की प्रक्रिया के अनुसार बेदखली की कार्यवाही करने का आदेश दिया ?

(3) क्या उक्त रिट याचिका के निर्णय के अनुसरण में राज्य सरकार ने तारीख 16 जनवरी, 1975 को मैसर्स आनन्दराज एण्ड कम्पनी को एक नोटिस दिया व एहतियात के तौर पर एक अन्य नोटिस तारीख 26 नवम्बर, 1975 द्वारा राज्य सरकार ने पुनः मैसर्स आनन्दराज एण्ड कम्पनी व मैसर्स चन्द्रा एण्ड कम्पनी व गंगा थियेटर के मैनेजर को पुनः लीज समाप्त करने का कानूनी नोटिस दिया जिसके द्वारा उनकी किरायेदारी को 31 जनवरी, 1977 को समाप्त किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार उक्त नोटिस इस कारण देने पड़े क्योंकि राज्य सरकार ने 31 जुलाई, 1964 (लीज समाप्ति की तारीख) के बाद की लेसी से सितम्बर, 1969 तक का किराया स्वीकार कर दिया था और इस कारण राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें होल्डिंग ओवर टिनेन्ट मान लिया था ?

(5) यदि हां, तो क्या यह सही है कि चन्द्रा एण्ड कम्पनी व मैसर्स आनन्दराज एण्ड कम्पनी के उपरोक्त कानूनी स्थिति के कारण 2-7-1976 से 29-1-80 तक का कोई किराया इसलिये स्वीकार नहीं किया ताकि वे किरायेदार या लेसी की परिभाषा में न आ जावें व उन्हें राजस्थान पब्लिक प्रीमिजेज (इविक्शन आफ अनअथोराइज्ड आकूपेन्ट्स) एक्ट के तहत अनधिकृत कब्जे के आधार पर बेदखल किया जा सके।

(6) क्या यह सही है कि एस्टेट आफिसर एवं एडिशनल मजिस्ट्रेट, जयपुर ने तारीख 22-4-1984 को अपने निर्णय में चन्द्रा एण्ड कम्पनी को गंगा थियेटर पर अनाधिकृत काबिज मानकर उनकी बेदखली के आदेश प्रदान किये तथा जिला न्यायाधीश बीकानेर ने अपील संख्या 56/83 निर्णय 15-11-83 के द्वारा एस्टेट आफिसर जयपुर के उक्त आदेश को निरस्त कर दिया है ?

(7) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इतने महत्वपूर्ण मामले में अब तक रिट का अन्य प्रकार से जिला न्यायाधीश, बीकानेर के निर्णय को चुनौती न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

राज्य मंत्री स्वायत्त शासन (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) यह गलत है।

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने चन्द्रा एण्ड कम्पनी की रिट याचिका नं. 520/70 स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया था कि राज्य सरकार मैसर्स आनन्द-

Page No. 20

(20)

(राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन)

राज एण्ड कम्पनी की लीज समाप्त करने के पश्चात् बेदखली की कार्यवाही करने को स्वतन्त्र होगी।

(3) जी हां। किन्तु दूसरा नोटिस दिनांक 26–11–76 को दिया गया था न कि 26-11-75 को।

(4) जी हां।

(5) यह गलत है।

(6) जी हां यह सही है।

(7) जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बीकानेर ने अपील का निर्णय दिनांक 15-11-83 को दिया जिसकी सूचना राजकीय अभिभाषक ने अपने पत्र दिनांक 13-1–84 द्वारा प्रभारी अधिकारी व विधि विभाग को भेजी। राजकीय अधिवक्ता को निर्णय की प्रभावित व निर्णय के संबंध में अपनी टिप्पणी भेजने हेतु लिखा गया जो दिनांक 23–1-84 को प्राप्त हुई है। तत्पश्चात् प्रशासनिक विभाग से इस संबंध में टिप्पणी प्राप्त करने हेतु पत्रावली भेजी गयी। यह मसला राज्य सरकार के विचाराधीन है कि इस मामले में रिट किये जाने हेतु समुचित लॉज एवं विधियुक्त आधार विद्यमान हैं या नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक ही सप्लीमैन्ट्री प्रश्न करूंगा, एक से ज्यादा पूरक प्रश्न नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जैसा भाग संख्या (7) में बताया है; 15-11-83 को डिस्ट्रिक्ट जज बीकानेर को आदेश दिये हुए पांच महीने हो गये और राज्य सरकार को चार लाख रुपये का प्रति वर्ष नुकसान होता है। उसके साथ ही 15–11-83 को जब फैसला हो गया तो उस फाइल को इतने दिन क्यों रोका जा रहा है? इसके अलावा इस फाइल पर दो बार लिखा भी जा चुका है, पर मन्त्री महोदय पता नहीं, आज पांच महीने हो गए किन कारणों से आगे कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी नहीं है कि फैसला होते ही तत्काल कार्यवाही कर दें पहले सरकार को हर मसले को एग्जामिन करना पड़ता है उसके बाद में डिसीजन लिया जाता है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो फैसले पांच दस दिन में ही कर लिये जाते हैं पर इस मामले में आज पांच महीने हो गये हैं, सरकार को नुकसान हो रहा है। उधर यह केस अपील के लिये टाइम बार हो जायेगा वैसे मैं आपसे निवेदन करूं कि दो बार लिखा भी जा चुका है, पर आपने पता नहीं उस पर क्यों नहीं लिखा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने, अध्यक्ष महोदय, इस मामले को डिपार्टमेन्ट के पास एग्जामिनेशन के लिये भेजा। उसके कमेन्ट्स आने के बाद कार्यवाही की जायेगी।

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसा क्यों नहीं कहते हैं कि वह आपके रिश्तेदार हैं इसलिये आप उनके खिलाफ में कार्यवाही करना नहीं चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह गलत कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर ।

(व्यवधान)

व्यक्तिगत आरोप नहीं लगायें । स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर । अंकित नहीं हो ।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री प्रद्युम्नसिंह : आप यह क्यों नहीं कहते हैं कि आप सामने वाली पार्टी की यहां पैरोकारी कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

(व्यवधान)

(12.00 मध्यान्ह)

इस पर चर्चा समाप्त हुई, आर्डर प्लीज ।

प्रश्न संख्या 486

स्थगित प्रश्न, श्री बहादुर सिंह ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 576

स्थगित प्रश्न, श्री हेमाराम चौधरी ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

श्री रतनलाल ताम्बी : 823 प्रश्न का उत्तर दिला दें, महत्वपूर्ण प्रश्न है । पूरे सत्र में मेरा एक ही प्रश्न आया है ।

श्री अध्यक्ष : एक ही आया है ?

श्री रतनलाल ताम्बी : एक ही आया है, साहब, इसलिए मैं चाहूंगा इसको लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष : कौन-सा नम्बर है ?

श्री रतनलाल ताम्बी : 823 नम्बर है । बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इजाजत दे दीजिए ।

श्री अध्यक्ष : 823 ।

श्री रतनलाल ताम्बी : Yes Sir ।

श्री अध्यक्ष : 823 : श्री रतनलाल ताम्बी ।

(विराम)

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय सरकार सो रही है ।

श्री सुजानसिंह यादव : सरकार सो नहीं रही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें, आर्डर प्लीज ।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दें, पीने के पानी के सम्बन्ध में है । आप उत्तर दिला दें ।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

भीलवाड़ा जिले में विभिन्न योजनाओं में व्यय राशि

823. **श्री रतनलाल ताम्बी** : (जहाजपुर) क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में 1981-82, 1982-83 एवम् 1983-84 में विभिन्न योजनाओं के लिए विभिन्न मदों में राशि व्यय का प्रावधान किया गया था, यदि हां, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में किस-किस मद में किन-किन कार्यों में कितनी-कितनी राशि का वर्णित तीन वर्षों में व्यय किया गया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखा जाये।

(2) क्या यह सही है कि योजनाओं के वर्गीकरण एवम् राशि व्यय करने की कोई आधारभूत नीति है ? यदि हां, तो वह सदन की मेज पर रखी जाये, यदि नहीं तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सिंचाई एवं सार्वजनिक निर्माण के अधूरे कार्यों पर राशि के प्रावधान या तो कम किया गया और या प्रावधान के अनुसार उन कार्यों पर राशि व्यय नहीं कर अन्य कार्यों पर खर्च की गई। यदि हां, तो 1981-82,-82-83 एवं 83-84 में किस-किस आधार एवं कारण से ऐसा किया गया, कृपया विवरण सदन की मेज पर रखा जाय।

राज्य मन्त्री, योजना : (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) :—

(1) निर्वाचन क्षेत्रवार योजनान्तर्गत प्रावधान नहीं किये जाते हैं।

(2) निर्वाचन क्षेत्रवार योजनाओं के वर्गीकरण एवं आधारभूत नीति का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि राज्य योजना के कुल आवंटन का मदवार वर्गीकरण ही योजना आयोग के निर्देशानुसार किया जाता है।

(3) निर्वाचन क्षेत्रवार विभिन्न कार्यों हेतु योजनान्तर्गत प्रावधान नहीं किया जाता है।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर दिला दें। पीने के पानी के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आ जाए। इसके पश्चात आप मांग कर लीजिए, मैं कोशिश करूंगा।

श्री रतनलाल ताम्बी :अध्यक्ष महोदय, यह कोई उत्तर नहीं हुआ। निर्वाचन क्षेत्र सरकार के सामने मौजूद है। निर्वाचन क्षेत्र वाइज क्या-क्या काम होते हैं यह सरकार संग्रहित करके बता सकती है। निर्वाचन क्षेत्र वाइज सैंक्शन नहीं होती है। यह तो मैं भी समझता हूं। मैंने नीचे क्लीयर भाग (2) में पूछ लिया है, उसमें पी.डब्ल्यू.डी. सिंचाई विभाग सार्वजनिक विभाग का अलग-अलग पूछा है। योजना मद से कितना काम हुआ, यह भी बताया नहीं। यह आश्चर्य की बात है, आप इसका उत्तर दिलवायें तो सही। यह गोलमाल है।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : जिला वाइज दे सकता हूं, उप-खण्ड वाइज दे सकता हूं, तहसील वाइज दे सकता हूं, लेकिन आप जैसा कांस्टीट्यूएंसी वाइज मांग रहे हैं ......

श्री रतनलाल ताम्बी : आप तहसील वाइज दे दीजिए, मैं उसको स्वीकार कर लूंगा।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : मैं जिला वाइज बता देता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रम है, उसके लिए 1981-82 में 122.19 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया, 281.73 लाख रुपये व्यय किया गया। 1982-83 में 135.06 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया, व्यय का ब्यौरा प्राप्त नहीं है। 1983-84 में 124.96 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया, व्यय का ब्यौरा प्राप्त नहीं है। सहकारिता के क्षेत्र में 1981-82 में 14.52 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया, 12.22 लाख रुपये व्यय किये गये। 1982-83 में 7.79 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया, 1983-84 में 13.19 लाख रुपये का प्रावधान किया गया, व्यय का ब्यौरा प्राप्त नहीं है। सिंचाई एवं विद्युत के तहत 1981-82 में 294.76 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया, 644.81 लाख रुपये व्यय किये गये। 1982-83 में 292 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया और 1983-84 में 230 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया, लेकिन व्यय का ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

उद्योग और खनन के क्षेत्र में 1981-82 में 27.35 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया, 24.67 लाख रुपये व्यय किये गये। 1982-83 में 24.15 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया, 1983-84 में 6.61 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया व्यय का ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं है। यातायात एवं संचार के लिए 1981-82 में 39.54 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया 22.46 लाख रुपये खर्च किये गये। 1982-83 में 27.26 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया, 1983-84 में 56.52 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया, व्यय का ब्यौरा प्राप्त नहीं है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में 1981-82 में 122.33 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया, और 176.50 लाख रुपये व्यय किये गये, 1982-83 में 283.20 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया, 1983-84 में 161.02 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया, व्यय का ब्यौरा प्राप्त नहीं है। आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं के तहत 1981-82 में 6.16 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया, 5.93 लाख रुपये व्यय किये गये। 1982-83 में 6.44 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया, 1983-84 में 1.41 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया, उनके व्यय के ब्यौरे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री पूंजी लाल। 808। पूरक प्रश्नों की इजाजत नहीं होगी।

श्री रतनलाल ताम्बी : खण्डों में दिलवायें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। अब इतनी लम्बी-चौड़ी योजना है।

(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष)

आपस में बातें नहीं करें। श्री पूंजी लाल।

(व्यवधान)

शांत रहें, माननीय सदस्य।

पंचायत समिति पीपलखूंट की ग्राम पंचायतों में बिजली जाने के रास्तों पर वन विभाग बांसवाड़ा द्वारा रुकावट पैदा करना

808· **श्री पूंजीलाल मीणा** (घाटोल): क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, पीपलखूंट की बोरी, केलामेला व कोपड़ा ग्राम पंचायत में बिजली जाने के रास्तों पर वन विभाग बांसवाड़ा ने रुकावट पैदा कर दी है जबकि इससे वन विभाग के वृक्षों को कोई हानि नहीं होती ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्षों में विद्युत मण्डल तथा क्षेत्रीय विधायक द्वारा भी उक्त समस्या को सुलझाने की मांग बराबर की जा रही है ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के ग्रामों को बिजली देने में समस्या का निराकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, वन (श्री गोविन्द सिंह गुर्जर) : (1). जी नहीं। इस लाइन के डालने में करीब 80 वृक्षों को काटना पड़ेगा।

(2) जी हां।

(3) क्षेत्रीय विधायक श्री पूंजी लाल जी द्वारा इस सम्बन्ध में एक बार दिनांक 24-10-83 को एक पत्र भेजा गया था। राज्य विद्युत मण्डल की ओर से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्रों में अभी भेजे जाने हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर वन विभाग तत्परता से उन्हें केन्द्र सरकार को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें, माननीय सदस्य।

श्री पूंजीलाल मीणा : स्वीकृति आ गई है, यह बताया गया था उदयपुर मीटिंग में। कागज बांसवाड़ा से जयपुर और दिल्ली के लिए गए हैं यह बता रहे हैं, अभी दो साल से जो जांच हुई है उस सेक्टर में सडक मौजूद है। सड़क पर खम्भे रोप दिए गए हैं, केवल तार ही खींचना बाकी था सरकार ने रोक दिया है। इस रुकावट के कारण 184 गांवों को मिलने वाली बिजली का नुकसान हो रहा है और 99 लाख रुपये दो सालों से पड़े हैं। इससे वहां के लोगों को बड़ी दिक्कत है इसलिए जल्दी से जल्दी स्वीकृति दिलायेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है ......

श्री अध्यक्ष : पहले इसका उत्तर आने दीजिए, माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक ने जब मुझे यह बात बताई थी तो मैंने खुद हमारे जो डी.

(श्री गोविन्द सिंह गुर्जर)

एफ. ओ. हैं उनको निर्देश दिये कि बिजली विभाग से आप खुद जाकर, क्योंकि प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया, अध्यक्ष महोदय, काफी लम्बी है, मैंने उनसे कहा था कि आप खुद बनाकर उनसे लेकर आइये और भिजवाइये। अब स्थिति, अध्यक्ष महोदय, यह है कि आपके 8 प्रस्ताव हैं। 33 के. वी. लाइन का पीपलखूंट–प्रतापगढ़ पीपलखूंट–पुगलवाड़ी, और 11 K.V. लाइन पीपलखूंट कुशलपुर, पीपलखूंट–कुन्दलगवाड़ी, और पीपलखूंट–खेजड़ी, डूंगरवाड़ी–ढोरी और डूंगरवाड़ी से सूरपुर छितरिया-यह 7 योजनायें हैं। इनमें से दो के लिए प्रस्ताव दिल्ली चले गये हैं। वहां से कुछ एतराज होकर आये हैं हमारे पास कि यह जो पेड़ कटेंगे इनके बदले आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी यह जो 5 प्रस्ताव हैं वह अभी विद्युत विभाग से वापिस लौटकर नहीं आये हैं। मैंने फिर हिदायत दी है कि डी. एफ. ओ. स्वयं जाकर जल्दी से जल्दी इनको भेजें ताकि इनकी स्वीकृति आ जाये।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा वाया पीपलखूंट जो विद्युत लाइन खिंची हुई है वह लाइन पीपलखूंट पंचायत समिति के यह, जो गांव है कोपड़ा, केला मेला और बोरी, जब कि उस लाइन की स्वीकृति तो हो चुकी है और लाइन खिंची हुई है तो इन गावों में अब तक क्यों स्वीकृति जारी नहीं हुई है और इसमें जो पेड़ की बात आप कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, पेड़ इतने ऊंचे नहीं हैं वहां। करम्दी के पेड़ और तेंदू के पेड़ हैं जो कि पांच पांच फिट ऊंचे होते हैं जब कि खम्बे लगते हैं 15-20 फीट पर। वहां पर, अध्यक्ष महोदय, सब तरह के आदिवासी लोग रहते हैं। यह बहाना करके वहां बिजली नहीं पहुंचे और उनकी माली हालत को और कमजोर करना है, अध्यक्ष महोदय।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह इरादा कतई नहीं है कि चाहे आदिवासी इलाका हो चाहे दूसरा इलाका हो ....

श्री नन्दलाल मीणा : वह पेड़ कौन से हैं जो बीच में पड़ेंगे।

श्री अध्यक्ष : उनका उत्तर आने दीजिए, माननीय सदस्य। धैर्य रखिये।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ....लेकिन वन संरक्षक अधिनियम 1980 का बना है उसके तहत यह नियम है कि कोई भी वन भूमि फारेस्ट का इलाका, वन कार्य के अलावा चाहिए, दूसरे काम के लिए चाहिए तो गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। वह प्रक्रिया मैं जल्दी पर्सनल लेवल पर करवा रहा हूं। इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर। श्री पूंजीलाल।

श्री पूंजीलाल मीणा : पीपलखूंट क्षेत्र सारा जंगल का है। नाम से यह जंगल है लेकिन पेड़ नहीं हैं। कोपड़ा, बोरी और केलामेला इन तीन ही रास्तों पर पेड़ हैं।

(श्री पूंजी लाल मीणा)

उनमें खम्बे लगाये गये हैं वह सटके सटके लगाये गये हैं। तो मेरी मांग है कि दुबारा जांच करा लें। मैं उनको साथ लेकर बता दूंगा कि इन गांवों में कोई जंगल नहीं है। सिर्फ तीन पंचायतें ही आ रही हैं जिसके कारण 20 पंचायतों में 184 गांव रुक रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में निवेदन किया कि अगर उसमें पेड़ नहीं भी हैं लेकिन इलाका तो फारेस्ट है। जब इलाका फारेस्ट है इसलिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति लेना आवश्यक है और मैं निवेदन कर चुका हूं, माननीय सदस्य को भी मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं मेरे अधिकारियों को भेजकर वह चाहे खुद जाकर दुबारा जायजा लेकर इस प्रस्ताव को अतिशीघ्र मन्जूर कराने की कोशिश करूंगा।

श्री पूंजीलाल मीणा : जो जंगल बताया गया है वहां पर जो सड़क है, सडक वैसी नहीं है जो माही डैम, बांसवाड़ा और गन्टाली सड़क पर बसें चल रही हैं वहां। आज तीन चार साल से चल रही हैं और आज भी चालू हैं। सड़क साफ है और उसके सहारे खम्बे लगाये गये हैं। इस तरह से गलत रिपोर्ट पेश की है जिससे उलझाने का धंधा है। पीपलखूंट क्षेत्र के अन्दर सारे आदिवासी रहते हैं। न तो वहां तालाब है न कोई नहर है और इन कुओं से ही लाभ उठा सकेंगे। ऐसे आदिवासी हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए दुबारा, जांच कराने के लिए मैं मांग करता हूं।

(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह गुर्जर : ठीक है. मैं दुबारा दिखवा लूंगा।

श्री विष्णु बजारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या 820 ..

श्री अध्यक्ष : सम्भव नहीं होगा, माननीय सदस्य। मैंने प्रश्न देख लिया। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री विष्णु बजारी : पीने के पानी का सवाल है, माननीय अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर समय का अभाव है।

(व्यवधान)

आर्डर माननीय सदस्य इस पर बहस नहीं होगी। मैंने निवेदन कर दिया। आपके प्रश्न को पढ़ लिया ....

आर्डर प्लीज।

श्री विष्णु बजारी : अध्यक्ष महोदय खाली उत्तर दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न डाक्टरों के ट्रान्सफर का रह गया। 20 ट्रान्सफर किये गये हैं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन प्रकार के प्रश्न पूछे गये हैं। ऐसा प्रश्न सेक्रेटेरियट को एडमिट नहीं करना चाहिए था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : असेम्बली सेक्रेटेरियट पर लांछन नहीं लगा सकते ।

श्री परसराम मदेरणा : एक क्वेश्चन के सप्लीमेन्ट्री तो होते हैं लेकिन अलग अलग मेटर एक क्वेश्चन में पूछ लें तो ऐसा पूर्व में नहीं हुआ करता था ।

श्री अध्यक्ष : इसीलिए मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोतर

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 4 अप्रेल, 1984)

ग्राम बारी में सीमेंट उद्योग हेतु अवाप्त भूमि

486 **श्री बहादुर सिंह** (दानपुर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बांसवाड़ा जिले की बांसवाड़ा तहसील में निर्माणाधीन गांव बारी का सीमेन्ट उद्योग निजी क्षेत्र में है अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में ? इस उद्योग हेतु कुल कितने एकड़ भूमि अवाप्त की गई है ?

(2) अवाप्त की गई भूमि में कितनी भूमि बंजर है तथा कितनी कृषि योग्य ?

(3) किसानों को अवाप्त भूमि का मुआवजा किस दर से दिया गया ? क्या दिया गया मुआवजा कृषि भूमि के लिए निर्धारित मुआवजे के अनुरूप था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले के गांव बारी लालपुरा में निर्माणाधीन सीमेन्ट उद्योग संयुक्त क्षेत्र में लग रहा है । इस उद्योग हेतु 165 बीघा 15 बीस्वा (66.30 एकड़) भूमि आवंटित की गई है ।

(2) अवाप्त की गई निजी भूमि में निम्नांकित किस्म की भूमि शामिल थी :—

1.	काली अलोफ	2 बीघा 00 बिस्वा
2.	ज. क.	11 बीघा 00 बिस्वा
3.	हल्की चरनोई	10 बीघा 09 बिस्वा
4.	काली कादम	2 बीघा 10 बिस्वा
5.	काली काश्त	0 बीघा 10 बिस्वा
6.	जंगल	19 बीघा 05 बिस्वा
7.	मगरी	2 बीघा 10 बिस्वा

(3) राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत एस. डी. ओ. बांसवाड़ा द्वारा घोषित अवार्ड के अनुसार 1000 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया गया है । जिसे खातेदार कृषक भी लेने में रजामन्द थे ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9 अप्रेल, 1984)

बाड़मेर जिले में घटित चोरी व डकैती की घटनाएं

576. **श्री हेमाराम चौधरी** (गुढा-मालानी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले में वर्ष 1983 में थानेवार, चोरी व डकैती के कुल कितने मुकदमें दर्ज हुए एवं कितने मुकदमों में चोरी व डकैती का माल बरामद हुआ एवं कितने मुकदमों में नहीं ? कृपया पुलिस स्टेशन बीजराड़ रामसर, शिव एवं चौहटन में चोरी एवं डकैती के वर्ष 1983 के मुकदमों की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त स्थानों के चोरी एवं डकैती के मुकदमों की बहुत कम बरामदगी का कारण वहां के थाना प्रभारियों का अपने कर्तव्यों का मुस्तैदी से निर्वहन नहीं करना है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि पिछले वर्षों की अपेक्षा 1983 में उक्त स्थानों पर ऐसी वारदातें अधिक हुई ? यदि हां, तो किस कारण ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना मय प्रथम सूचना की प्रतियों के सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । केवल एक थाने के क्षेत्र में चोरी अपराधों में वृद्धि हुई है जिसके कोई विशेष कारण नहीं हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विभिन्न समाचार पत्रों में कार्यरत जन सम्पर्क विभाग के कर्मचारी

1026. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर)
श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जन सम्पर्क कार्यालय के कितने कर्मचारी विभिन्न समाचार पत्रों में कार्य करते हैं और उन्हें वहां से कितनी राशि वेतन के रूप में मिलती है ?

उत्तर

जी नहीं ।

स्टेनोग्राफर्स को आर.पी.एस.सी. परीक्षा से मुक्त करना

1027. श्री बहादुर सिंह (दानपुर)
श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) – क्या मुख्य (कार्मिक विभाग) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 31-7-77 तक कार्यरत ऐसे स्टेनोग्राफर्स जिनके पास कोई विशेष योग्यता थी, आर.पी.एस.सी. की परीक्षा से मुक्त कर नियमित कर दिये गये हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार उसी योग्यता के आधार पर 23-5-79 तक कार्यरत स्टेनोग्राफर्स को भी नियमित करने की मंशा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 23-5-79 तक लगे स्टेनोग्राफर्स को वार्षिक

(श्री बहादुर सिंह व श्री फतेहसिंह)
वेतन वृद्धि प्राप्त करने के लिए अब भी आर.पी.एस.सी. की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) यह प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(3) जी हां।

आशुलिपिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि उनकी नियमित नियुक्ति के पश्चात् देय होती है और नियमित नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना वांछनीय है।

जमुवारामगढ़ तहसील के गांवों को जमुवारामगढ़ पुलिस थाने के अन्तर्गत रखना

1028. श्री भैरूलाल भारद्वाज (जमुवारामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार जमुवारामगढ़ तहसील के ग्राम चावंडिया, माणोता, धर्मपुरा पंचायत के ग्रामों को पुलिस थाना बस्सी के क्षेत्राधिकार से हटाकर, जमुवा रामगढ़ पुलिस थाना क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार जमुवा रामगढ़ थाने में अपराधों की रोकथाम हेतु एक जीप देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। इन ग्रामों को थाना जमुवा रामगढ़ में अन्तरित करने पर विचार किया जा रहा है। इस मामले में शीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा।

(2) सम्पूर्ण थानों की अपराधिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार ही जीप आवंटित की जाती है। उसी के आधार पर इस थाने के समयानुसार जीप देने हेतु विचार किया जावेगा।

जालौर जिले में स्पेशल आडिट सहकारी समितियों का कार्यालय

1029. श्री कनकराज मेहता (सांचोर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जालौर जिले में वर्ष 1976-77 व 1981-82 में स्पेशल आडिट सहकारी समितियों का कार्यालय खोला गया था व बाद में इसे सिरोही व टोंक जिलों में स्थानान्तरित किया गया ?

(2) क्या स्पेशल आडिट सहकारी समितियों का कार्यालय सहकारी समितियों की संख्या के आधार पर खोला जाता है ? अगर हां, तो कृपया बतायें कि जालौर, सिरोही व टोंक जिलों में कितनी-कितनी सहकारी समितियां हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

Page No. 30

(30)

सवाई माधोपुर के पास अंगूर का बाग

1030. श्री हंसराज शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर उद्योग सवाई माधोपुर के पास ही एक अंगूर का बाग है ? यदि हां, तो उससे प्रतिवर्ष उद्योग को कितना लाभ होता है ? गत 4 वर्षों के वर्षवार आंकड़े प्रस्तुत करें।

(2) क्या यह भी सही है कि उस की देख रेख हेतु कर्मचारी लगाये हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर प्रतिमाह कितनी राशि व्यय की जाती है ? कृपया गत 4 वर्षों के आंकड़े प्रस्तुत करें।

(3) क्या यह भी सही है कि उसमें जो पानी दिया जाता है वह उद्योग में बनास से आने वाली पाइप लाइन से दिया जाता है ? यदि हां, तो प्रतिदिन कितना गैलन पानी दिया जाता है तथा उसकी लागत क्या आती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त अंगूर के बाग से उद्योग को नुकसान होता है ? यदि हां, तो गत 4 वर्षों में कुल कितना नुकसान रहा ?

(5) क्या यह भी सही है कि निरन्तर नुकसान होते रहने के बावजूद भी उद्योग के प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से सवाई माधोपुर में कोई अंगूर का बाग नहीं है।

(2) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

(5) जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

रानी व देसूरी पं. स. में स्वीकृत अकाल राहत कार्य

1031. श्री भैरूंसिंह गुर्जर (खारची) : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में जून, 1980 से दिसम्बर 1983 तक कितने कार्य अकाल राहत कार्य के तहत स्वीकृत हुए ?

(2) इन कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

(3) प्रत्येक कार्य पर कितने-कितने मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया ?

(4) इनमें से कितने कार्य पूर्ण हुए व कितने अधूरे रहे ?

उत्तर

(1) पाली जिले की मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी पंचायत समितियों में निम्नानुसार कार्य स्वीकृत किये गये :—

1. सा. नि. विभाग	17
2. सिंचाई विभाग	104
3. भू-संरक्षण विभाग	80
4. वन विभाग	34
योग	295

(अकाल राहत मंत्री)

(2) इन कार्यों पर निम्नानुसार धन-राशि व्यय की गई :

1.	सा. नि. विभाग	410.28
2.	सिंचाई विभाग	98.21
3.	भू-संरक्षण विभाग	34.13
4.	वन विभाग	21.16
	योग	563.78

(3) राहत कार्यों पर नियोजित श्रमिकों की संख्या लगभग प्रतिदिन बदलती रहती है। अतः यह सूचना दे पाना संभव नहीं है।

(4) इन कार्यों में निम्नानुसार कार्य पूर्ण व अधूरे रहे :—

	पूर्ण	अपूर्ण	आरंभ	योग
1. सा. नि. विभाग	29	48	—	77
2. सिंचाई विभाग	64	36	4	104
3. भू-संरक्षण विभाग	66	6	8	80
4. वन विभाग	34	—	—	34

बून्दी जिले के इन्द्रगढ़ थाने के अन्तर्गत श्री नाथूलाल की मृत्यु का दर्ज प्रकरण

1033. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) **श्री दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बूंदी जिले के इन्द्रगढ़ थाने के अन्तर्गत दिनांक 3-5-82 को ट्रक नं. आर. जे. आर. 4865 से श्री नाथूलाल पुत्र बिहारी लाल की मृत्यु हो गई थी ? यदि हां तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या मृतक के परिवार जनों को मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अनुसूचित जाति के उक्त गरीब मृतक के परिवार जनों को मुआवजा दिये जाने की व्यवस्था करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। मृत्यु गुलाबा पुत्र बिहारी खटीक निवासी इन्द्रगढ़ की बस की टक्कर से हुई थी।

(2) जी नहीं। यह दुर्घटना हिट एण्ड रन की परिभाषा में नहीं आती।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

सहकारी उपभोक्ता भण्डार, उदयपुर में चोरियां

1034. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी उपभोक्ता भण्डार, उदयपुर में पिछले 10 वर्षों में कई बार चोरी होना बताया गया एवं पुलिस में केस दर्ज कराया गया ?

(2) क्या उक्त चोरियों में अभी तक किसी प्रकार की बरामदगी हुई ? यदि हां, तो कब एवं कितनी ?

Page No. 32

(32)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) क्या यह सही कि गबन एवं माल की कमी को रफा दफा करने के प्रयोजन से चोरियां दिखा दी जाती हैं ?

(4) क्या विभाग इसके सम्पूर्ण माल को ऑडिट कराना आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो ऑडिट कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 1975–76 से 26–2–83 तक 7 बार चोरियां हुई थी। सातों मामलों में तुरन्त पुलिस में केस दर्ज कराये गये थे ।

(2) जी हां, दो चोरी के मामलों में बरामदगी हुई थी । एक बरामदगी सुन्दरवास शाखा से चोरी गये सम्पूर्ण माल रु. 1852.59 पैसे की थी जो दिनांक 18–8–79 को बरामद हुई थी । दूसरी बरामदगी हीरामगरी सेक्टर नम्बर 11 की दूकान की अनुमानत: 4580/– रु. की थी जो मार्च, 83 में बरामद हुई थी। परन्तु इस बरामदगी का माल कोर्ट में पड़ा हुआ है ।

(3) जी नहीं ।

(4) विभाग द्वारा निरन्तर आडिट की व्यवस्था चालू कर रखी है । उदयपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार का वर्ष 1980-81 तक आडिट सम्पन्न हो चुका है और वर्ष 1981-82 व 1982–83 का आडिट नियमित रूप से चालू है जिसे जून, 1984 तक पूर्ण करवाने हेतु विभाग से निर्देश दिये जा चुके हैं ।

प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के मामले

1035. श्री घनश्याम जैन (वैंगू) : **श्री दीपेन्द्र सिंह** (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1983 की अवधि में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के कितने मामले प्रकाश में आए ?

(2) उपरोक्त मामलों में कितनी जन एवं धन की हानि हुई ?

(3) सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिये उक्त अवधि में क्या उपाय किये गये तथा उसके क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) 7986 मामले प्रकाश में आये ।

(2) 2516 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । धन हानि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है

(3) दुर्घटनाएं रोकने हेतु समय समय पर वाहनों के चैकिंग, गति अवरोधकों का निर्माण, भारी प्रवेश एवं आवागमन के समयों में परिवर्तन आदि की व्यवस्था की गई जिसके सन्तोषजनक परिणाम रहे हैं ।

राज्य में वर्ष 1983 में बड़े उद्योगों को दिये गये लाइसेन्स

1037. श्री कमलेन्द्र सिंह (बल्लभनगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) कि राज्य में 1983 में कितने बड़े उद्योगों को लाइसेन्स दिये गये ?

(श्री कमलेन्द्र सिंह)

(2) 1983 में कितने लघु उद्योग पंजीकृत हुये हैं ?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1983 में राज्य में बड़े उद्योगों की स्थापना हेतु 25 लाइसेन्स दिये गये।

(2) वर्ष 1983 में 15,364 लघु उद्योग इकाइयों का स्थाई पंजीयन किया गया है।

वर्ष 1981 की बाढ़ के लिये भारत सरकार से मांगी गई सहायता

1038. सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या बाढ़ राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सन् 1981 की बाढ़ के लिये भारत सरकार से किस-किस किस्म के कार्य के लिये कितनी-कितनी सहायता मांगी गई थी और कितनी सहायता प्राप्त हुई ?

(2) क्या यह सही है कि इस खर्चे का पूरा लेखा जोखा प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो खर्चे का विवरण कृपया सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि खर्चे का अंकेक्षण हो चुका है ? यदि हां, तो कृपया अंकेक्षण प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित सूचना तालिका संख्या 1 एवं तालिका संख्या 2 में दी गयी है जो संलग्न कर सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) अब तक खर्चे का जो ब्यौरा प्राप्त हुआ है उसके अनुसार जो व्यय विभिन्न प्रयोजनों पर हुआ उसका विवरण तालिका संख्या 2 में दे दिया गया है। जो संलग्न कर सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) बाढ़ से हुई क्षति के लिये जो व्यय किया गया है वह विभिन्न विभागों, स्थानीय संस्थाओं एवं स्वायत्तशाषी निगमों आदि के माध्यम से हुआ है। इस खर्चे का अंकेक्षण सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा कराया जाता है, जो महालेखाकार राजस्थान एव स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग या स्वायत्तशाषी निगमों आदि के आडिटरों द्वारा किया जाता है। सहायता विभाग को खर्चे के अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होते।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

निदेशालय मूल्यांकन विभाग द्वारा प्रोजेक्ट की स्टेडी रिपोर्ट्स का प्रकाशन

1039. श्री रघुवीर सिंह कौशल (बांरा) : क्या आयोजना एवं सांख्यिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) निदेशालय मूल्यांकन विभाग में पिछले दस वर्षों में कौन-कौनसी प्रोजेक्ट की स्टेडीज कब-कब हाथ में ली एवं इनकी रिपोर्ट्स कब-कब प्रकाशित हुई ?

(2) क्या यह विभाग अपनी रिपोर्ट्स समय पर प्रकाशित कर रहा है ? यदि नहीं,

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

तो क्यों तथा प्रत्येक रिपोर्ट के प्रकाशन में कितना-कितना विलम्ब हुआ ?

(3) इस विभाग में कितने अधिकारी एवं कर्मचारी किस-किस वेतन श्रृंखला एवं पदों पर कार्यरत हैं तथा इन पर वेतन, भत्ते इत्यादि पर प्रतिवर्ष कितना खर्च होता है ?

(4) क्या यह सही है कि इस विभाग पर सरकार का जितना धन खर्च हो रहा है उसके अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसमें सुधार लाने के क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) मूल्यांकन विभाग को गत दस वर्षों में जो प्रोजेक्ट/विषय मूल्यांकन हेतु प्राप्त हुए उनके आवंटन एवं प्रकाशन वर्ष संबन्धी सूचना संलग्न है ।

(2) रिपोर्टस् प्रकाशित करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है फिर भी यथासंभव विभाग रिपोर्ट्स समय पर प्रकाशित करता है ।

(3) सूचना संलग्न है। इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर वर्ष 83-84 में वेतन एवं भत्ते पर रु. 20, 91, 456 व्यय हुआ है ।

(4) नहीं, विभाग पर खर्च के अनुरूप ही निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य किया जा रहा है ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

राज. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. द्वारा रूई की खरीद

1040. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

( ) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. की मेडिकल ब्रांच द्वारा रूई खरीद कर राजकीय विभागों को सप्लाई करने हेतु दि. 15-3-82 को 400 ग्राम के एक पेकेट को 7 रु.54 पैसे में विश्वभारती एन्टरप्राइजेज जयपुर से अनुबन्ध होने के बावजूद उसी फर्म से वही पेकेट 9 रु. 80 पैसे में सीधा राजकीय विभागों में सप्लाई करवा कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाई ?

(2) यदि हां, तो इस भाव से संघ के माध्यम से कितने कितने पेकेट कब-कब, किस-किस विभाग को कितने-कितने विक्रय मूल्य पर बेचे गये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि संघ के कान्करेन्ट आडिटर ने इस बारे में सहकारिता के चीफ आडिटर को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो इस भ्रष्टाचार के लिये कौन-कौन उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर की मेडिकल ब्रांच द्वारा मैसर्स विश्व भारती एन्टरप्राईजेज जयपुर से रूई की खरीद हेतु एक अनुबन्ध दिनांक 15-3-82 को 400 ग्राम (ग्रॉस)

(सहकारिता मंत्री)

वजन प्रति पेकेट का रु. 7.54 पैसे बिक्रीकर सहित की दर से किया गया था। राजकीय विभागों को 400 ग्राम शुद्ध वजन रूई के पेकिट रु. 9.88 पैसे प्रति पेकेट की दर से सप्लाई करवाया गया जिसमें 4 प्रतिशत बिक्रीकर एवं 6 प्रतिशत संघ का कमीशन भी सम्मिलित था। 400 ग्राम (ग्रोस) वजन के पेकिट में केवल 300 ग्राम शुद्ध वजन रूई का होता है। हानि पहुंचाने का मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अनुसंधानाधीन हैं।

(2) सूची संलग्न है।

(3) ग्राडिट ने मुख्य अंकेक्षक, सहकारी विभाग को अधिक दर पर राजकीय विभागों को रूई सप्लाई कराने बाबत सूचना दी थी। यह प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में अनुसंधानाधीन है। अतः जांच के बाद ही उत्तरदायित्व निश्चित एवं आगे की कार्यवाही की जा सकेगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

राजस्थान रेड क्रास जयपुर के सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला

1041. **श्री नाथूसिंह (बांदीकुई)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान रेड क्रास जयपुर के सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार विभाग में कोई मामला जांच हेतु प्राप्त हुआ था ?

(2) यदि हां, तो क्या व कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि जांच पूरी नहीं हुई है तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में एक मामला प्राप्त हुआ था जिस पर प्राथमिक जांच संख्या 90/78 पंजीबद्ध की गई थी।

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पत्र संख्या एफ (8)(31) एम. पी. एच/77/ग्रुप-2/ दिनांक 4-5-78 द्वारा एक आंतरिक निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर एक प्राथमिक जांच संख्या 90/78 पंजीबद्ध की जाकर जांच करवाई गई थी। उक्त प्राथमिक जांच में सीमेन्ट की खरीद में घोटाला करने के सम्बन्ध में आरोप थे।

(3) जी हां। जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के विचाराधीन है।

सीकर में वाणिज्य महाविद्यालय खोलना

1042. **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर)** : क्या महाविद्यालय शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सीकर कल्याण महाविद्यालय के छात्रों की भारी संख्या को देखते हुए सरकार ने अलग से वाणिज्य महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है ?

(2) यदि हां, तो यह महाविद्यालय कब से प्रारम्भ होगा तथा इसके भवन आदि पर कितना खर्चा आयेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह मामला विचाराधीन है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।

जिला कोटा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार के तहत स्वीकृत कार्य

1043. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज-मण्डी),

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन),

श्री बालचन्द आर्य (डग) : क्या विशिष्ट योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि कोटा जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत मजदूरी प्रधान कार्य लिंक रोड व तालाबों की स्वीकृति नहीं दी जा रही है तथा सामग्री प्रधान कार्य भवनों की स्वीकृति ही अधिक दी गयी ? यदि हां तो क्यों और नहीं, तो अब तक कुल स्वीकृत कार्यों में से कितने लिंक रोड कितने तालाब, कितने भवन व कितने अन्य कार्य स्वीकृत हुए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत कोटा जिले में विभिन्न प्रकार के कार्य स्वीकृत किए गये हैं जिनमें लिंक रोड तालाब व भवन सभी सम्मिलित है जो इस प्रकार हैं। कार्यों की स्वीकृति स्थानीय मांग के अनुसार होती है। अब तक निम्नलिखित कार्य स्वीकृत किये गये हैं :-

क्रमांक	नाम कार्य	संख्या
1.	लिंक रोड	4
2.	तालाब	12
3.	भवन	584
4.	पेयजल कूप	186
5.	एनिकट	45
6.	अन्य	108
	योग:-	939

होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि. उदयपुर द्वारा बनाई गई परचेज कमेटी

1044. **श्री ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि. उदयपुर द्वारा अपने काउन्टर एवं जनता दुकानों से विक्रय हेतु माल खरीदने के लिये कोई परचेज कमेटी बनी हुई नहीं है ? यदि हां, तो अब तक माल किस प्रक्रिया से खरीदा जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस तरह खरीदा गया माल तथा राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. जयपुर प्राप्त माल नहीं बिकने से भण्डार में डम्प हो रहा है ? यदि हां, तो इस तरह का एक साल से पहले-पहले तक प्राप्त माल कितनी कीमत का भण्डारों के स्टोक में पड़ा है ?

(3) क्या यह सही है कि इस तरह खरीदे गये माल को भारी डिस्काउन्ट/रिबेट पर बेचा गया ?

उत्तर

(1) उदयपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि., उदयपुर के संचालक मण्डल ने संचालक मण्डल के पांच सदस्यों की एक उप समिति का गठन भण्डार के काउन्टर एवं जनता दुकानों के लिए बिकने वाली वस्तुओं की खरीद नीति निर्धारण हेतु किया है। इसके द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार ही माल क्रय किया जाता है।

(2) भण्डार के वर्ष 1982-83 के 480 लाख के वार्षिक व्यापार को देखते हुए पुराना माल डम्प होने की श्रेणी में नहीं आता है। पुराने माल में से राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ का कोई माल स्टाक में नहीं है। भण्डार में कुल 63,404.58 रुपये का माल एक वर्ष से अधिक पुराना है।

(3) वर्ष 83-84 में पुराने माल में से केवल रुपये 1500.00 की कीमत का क्षतिग्रस्त कपड़ा दस प्रतिशत रिबेट पर बेचा गया है।

टोंक जिले की पं. स. द्वारा उद्यमियों को स्वीकृत अनुदान

1045. **श्री महावीर प्रसाद (टोंक)** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे -

वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में टोंक जिले की किन-किन पंचायत समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किन-किन उद्यमियों को कब कब कितना-कितना ऋण अनुदान एवं विद्युत अनुदान स्वीकृत कर वितरित किया गया ? कृपया प्रत्येक सूचना पृथक-पृथक् सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

टोंक जिले की पंचायत समितियों द्वारा वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण व अनुदान प्रदत्त उद्यमियों की सूची सदन की पटल पर रख दी गई है।

विद्युत अनुदान किसी भी पंचायत समिति द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें)

राजस्थान में सीमेन्ट के कारखाने

1046. **श्री छोतरमल आर्य (प्रटरू)** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में वर्तमान में सीमेन्ट के कुल कितने कारखाने स्थापित हैं जिनसे सीमेन्ट उत्पादन किया जा रहा है तथा ये कितनी-कितनी सीमेन्ट का वार्षिक उत्पादन कर रहे हैं।

(2) राजस्थान में ऐसे कितने सीमेन्ट के कारखाने हैं जो निर्माणाधीन हैं और उनका निर्माण कब पूरा होकर ये कब सीमेन्ट का उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे तथा इनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

(3) राजस्थान में कितने सीमेन्ट के कारखाने कहां-कहां पर निर्माण किये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ? ये किस-किस के व किस-किस क्षमता के है और इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्तमान में कुल सात बड़े सीमेन्ट के कारखाने उत्पादनरत है उत्पादन क्षमता एवं गत तीन वर्षों के उत्पादन के विवरण की सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है। इनके अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्र में चार मिनी सीमेन्ट इकाइयां भी स्थापित हैं। जिनके द्वारा सीमेन्ट उत्पादन की वार्षिक क्षमता 27000 मै. टन है।

(2) राजस्थान में छह पोर्टलेण्ड, तीन सफेद सीमेन्ट तथा 10 मिनी सीमेंट प्लान्ट्स की स्थापना हेतु आवश्यक प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं। उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन प्रारम्भ किये जाने की सम्भावित तिथि आदि के विवरण की सूची (ख) सदन के पटल पर रख दी गई है। लघु उद्योग क्षेत्र में 8 मिनी सीमेंट इकाईयां निर्माणाधीन हैं तथा इस वर्ष के अन्त तक उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने की संभावना है इनकी वार्षिक क्षमता 90,000 मै. टन होगी। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग क्षेत्र में 6 मिनी सीमेंट इकाइयों का अस्थायी पंजीयन किया गया है। जिसकी वर्ष 1985 तक उत्पादन करने की संभावना है।

(3) राजस्थान में नये सीमेंट कारखाने स्थापित किये जाने के विचाराधीन प्रस्ताव, क्षमता व स्थान के विवरण की सूची (ग) व (घ) सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रस्तावित क्षेत्र में सीमेंट श्रेणी के चूने पत्थर की उपलब्धता के संबंध में राज्य खनिज विभाग की रिपोर्ट एवं मिनी सीमेंट प्लान्ट्स के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रसारित मार्ग दर्शिका को दृष्टिगत रखते हुये राज्य में सीमेन्ट उद्योगों की स्थापना हेतु गठित उद्योग एवं खनिज विभाग की समन्वय समिति द्वारा विचार कर निर्णय लेने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा एन. ओ.सी. जारी किये जा सकेंगे। स्वीकृति की निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें]

सेन्ट्रल वाटर कमीशन के अधिकारियों द्वारा पार्वती बांध का निरीक्षण

1047. **श्री तकीउद्दीन अहमद** (जौहरी बाजार),

श्री बनवारी लाल (धौलपुर): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे --

(1) क्या यह सही है कि कुछ माह पूर्व सेन्ट्रल वाटर कमीशन के अधिकारियों ने पार्वती बांध का निरीक्षण किया था और इस सम्बन्ध में उसने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि रिपोर्ट में उक्त बांध की तुरन्त मरम्मत कराने का सुझाव दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, पार्वती बांध की मरम्मत कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, भरतपुर में सभी कार्यों के तखमीने बना कर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सिंचाई जयपुर को प्रेषित कर दिये हैं।

शाहबाद (कोटा) सब डिवीजन में सिंचाई प्रोजेक्ट

1048. **श्री रघुवीर सिंह कौशल** (बारां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

शाहबाद (कोटा) सब डिवीजन में सिंचाई के कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं ? इन पर कितनी धनराशि आवंटित की गई थी ? अब तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? इन प्रोजेक्ट्स पर कार्य की गति मन्द होने का क्या कारण है ?

उत्तर

शाहबाद (कोटा) सब डिविजन के अधीनस्थ लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत चार प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं। इन चारों कार्यों पर वर्ष (83-84) में कुल राशि 15.35 लाख रुपये आवंटित की गई थी जिसके विपरीत 14.12 लाख रुपये खर्च हुए। चारों कार्यों पर बांध बनाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। नहरों से सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। सिंचाई करवाते हुए जो कार्य संभव हैं पूर्ण करवाए जा रहे हैं।

बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ बागीडोरा क्षेत्र में लीलवाणी (कमला) बांध का निर्माण

1050. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ बागीडोरा क्षेत्र में लीलवाणी (कमला) बांध का निर्माण कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो किसके नियंत्रणाधीन ?

(2) उक्त बांध के पेटे में कितने गांव डूब में आवेंगे ? इनमें से कुशलगढ़ क्षेत्र, बागीडोरा क्षेत्र तथा गुजरात राज्य के कितने घर, परिवार व ग्राम हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस बांध से कितने एकड़ उपजाऊ जमीन डूब में आयेगी तथा राज्य सरकार को कितना मुआवजा चुकाना पड़ेगा ? इस बांध से सरकार को क्या व कितना फायदा होगा ?

(4) इस बांध पर कितना खर्चा आयेगा तथा प्रभावित परिवारों को कहां बसाया जायेगा ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़, बागीडोरा क्षेत्र में लीलवानी (कमला) बांध का कोई निर्माण नहीं चल रहा है किन्तु तहसील बागीडोरा के गांव लीलवानी में बेलेंसिंग रिजर्वोयर नं 2 निर्माणाधीन है जो कि माही परियोजना के अधिनस्थ है।

(2) इस बांध के पेटे में कोई भी सम्पूर्ण ग्राम डूब में नहीं आते। केवल बागीडोरा क्षेत्र में दो ग्राम लीलवानी व लालावाडा के 54 परिवारों की भूमि डूब में आती है जिसकी सूची संलग्न है। गुजरात राज्य एवं कुशलगढ़ क्षेत्र का कोई ग्राम डूब में नहीं आता है।

(3) इस बांध से कुल 138.32 एकड़ उपजाऊ जमीन डूब में आती है जिसका

(सिचाई मंत्री)
विवरण संलग्न सूची में दिया गया है इसका कुल मुआवजा 3,03,374/- रुपये दे दिया गया है तथा अन्य कोई मुआवजा बाकी नहीं है यह बांध प्रस्तावित पावर हाउस नं. 2 से बिजली उत्पादन करने का हिस्सा है।

(4) इस बांध के निर्माण कार्य पर लगभग रुपये 579.19 लाख खर्चा आयेगा इस बांध के डूब में आने वाले परिवारों को बसाने के लिए नियमानुसार जमीन देकर वनखण्ड बुधेला, सरेड़ी बड़ी, मोर मोहन सिंह का गढ़ा, बोडीगामा में बसाया जा रहा है।

भैंसरोड़गढ़ में पानी की टंकी

1051. श्री घनश्याम जैन (बैंगू) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भैंसरोड़गढ़ में पानी की टंकी कब बनी ?

(2) क्या यह लोहे की टंकी है ?

(3) क्या लोहे की टंकी में जंग लगने से जंग लगा पानी सप्लाई करने की शिकायतें विभाग को मिली हैं ?

(4) क्या विभाग द्वारा सीधे नदी से बिना फिल्टर किया हुआ पानी सप्लाई किया जा रहा है ?

(5) क्या इस पानी से गांव के कई लोगों के बीमार होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(6) इस टंकी के बजाय नई टंकी नहीं बनाने का क्या आधार है तथा टंकी कब तक बनेगी ?

उत्तर

(1) जल योजना भैंसरोड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में पानी की टंकी का निर्माण कार्य पंचायत द्वारा कराया गया था तथा इस विभाग को यह टंकी योजना सहित 1978 में हस्तान्तरित की गई।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। टंकी मे जंग नहीं लगता क्योंकि इसमें पेन्ट किया हुआ है।

(4) पानी को ब्लीचिंग पाउडर से असंक्रामक (Disintict) कर वितरित किया जाता है।

(5) जी नहीं।

(6) साधारण योजनाओं के पुनर्गठन के लिए सीमित बजट प्राप्त होने के कारण नई टंकी नहीं बनाई गई। नई टंकी बनाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं, बजट उपलब्धि के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

बांध मोरेल पर मिट्टी डालने का बोरो एरिया

1052. श्री हंसराज शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बांध मोरेल पर मिट्टी डालने का कोई बोरो एरिया बनाया गया था ? यदि हां, तो यह बहार नहर के पास किस चैन से किस चैन पर बनाया गया था ?

(2) क्या यह भी सही कि जो बोरो एरिया बनाया गया था उसी स्थान से मिट्टी

(श्री हंसराज शर्मा)

ठेकेदार द्वारा ली गई थी ? यदि हां, तो चैन 10 से 25 तक की जो मिट्टी उठाई है उसका कितना भुगतान- कितनी लैण्ड का किया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि आधुनीकरण केनाल पर भी उसी समय काम करने का ठेका दिया गया था ? यदि हां तो उसमें किस चैन से मिट्टी खोद कर किस स्थान पर डालने का, कितनी राशि का, कितनी लीड का भुगतान किया गया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि कैनाल तथा बांध पर कार्य करने हेतु दो ठेकेदारों को एक ही बोरो एरिया से भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो यह फर्जी भुगतान किसके द्वारा कितनी राशि का किसको किया गया है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि मोरेला बांध के लिये मिट्टी लाने हेतु एक बोरो एरिया प्लान बनाया गया था इस बोरो, एरिया प्लान में पांच विभिन्न स्थलों (ए. बी. सी. डी. ई) से मिट्टी लानी थी। स्थल 'ई', नहर के बाहर बांई तरफ को 2600 फीट लम्बाई में था परन्तु बोरो ऐरिया प्लान विभिन्न ठेकेदारों से किये अनुबन्धों से संलग्न नहीं किया गया।

(2) बांध बनाने के लिये स्थल ए. सी. डी. ई. से मिट्टी विभिन्न ठेकेदारों द्वारा काम में ली गयी। साथ ही नहर से मिट्टी चैन 0 से 15 तक भी बांध बनाने के लिये उठाई गई। नहर की चैन 15 से 25 तक की मिट्टी बांध बनाने के काम में नहीं ली गयी।

(3) बांध बनाने का कार्य माह अप्रेल 982 में शुरू किया गया था व नहर की चैन 0 से 55 का कार्य माह जून 82 में आवंटित किया गया था। नहर के ठेकेदार को चैन 0 से 15 तक 23245 घन मीटर मिट्टी खोद कर सौ फीट की लीड में डालना था। नहर के ठेकेदार को 8026 घन मीटर मिट्टी का भुगतान 51854.08 रुपये किया गया जो कि 100 फीट लीड का था। नहर की चैन 0 से 15 की शेष मिट्टी में से कुछ मिट्टी बांध बनाने के काम में ली गयी थी। नहर की चैन 15 से 25 व आगे की चैन 55 तक का कार्य नहर के ठेकेदार द्वारा ही किया गया है।

(4) नहर की चैन 0 से 15 में 8026 घन मीटर मिट्टी का नहर के ठेकेदार को तथा नहर के तल तक पहुंचाने के लिये शेष मिट्टी में से कुछ मिट्टी जो बांध बनाने के कार्य में ली गयी उसका भुगतान बांध के ठेकेदार को आधा कि. मी. की लीड से किया गया है। ऊपर के सतह की मिट्टी का भुगतान नहर के ठेकेदार को तथा उससे नीचे की सतह तक आंशिक खुदाई की मिट्टी का भुगतान बांध के ठेकेदार को किया गया है अतः फर्जी भुगतान का प्रश्न पैदा नहीं होता।

मेजा जलदाय योजना मात्रि-कुण्डिया प्रोजेक्ट पर कार्य

1053. श्री बन्शी लाल पटवा (भीलवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) मेजा जलदाय योजना मात्रि-कुण्डिया प्रोजेक्ट पर आज तक कितने कार्य विभाग व ठेकेदारों द्वारा कितनी लागत से कब कब कराये गये ?

(श्री बन्शी लाल पटवा)

(2) उक्त प्रोजेक्ट पर वर्तमान में कौन कौन सा कार्य किस किस ठेकेदार से कितनी कितनी लागत का कराया जा रहा है ?

(3) उक्त प्रोजेक्ट पर वर्तमान में जारी काम के लिए विभाग के पास कितना सीमेन्ट किस गोदाम में सुरक्षित है ? इस सीमेन्ट की देख रेख किसके अन्तर्गत है ? क्या कभी इसकी भौतिक जांच भी हुई ? यदि हां तो कितना सीमेन्ट पाया गया ?

उत्तर

(1) मेजा फीडर परियोजना पर माह मार्च 1984 तक कुल 1498.20 लाख रुपये की धनराशि का कार्य कराया गया है। इस खर्च का अनुमानत: 80 प्रतिशत कार्य ठेकेदारों से व 20 प्रतिशत कार्य विभागीय तौर पर सम्पादित कराया गया है।

(2) इस प्रोजेक्ट पर वर्तमान में 37,83,626.82 रुपयों की लागत के विभिन्न कार्य ठेकेदारों से कराये जा रहे हैं तथा मात्रि कुण्डियां बांध पर स्टील गेट लगाने के टेण्डर राज्य सरकार से स्वीकृत हो जाने से 140 लाख रुपये का यह कार्य शीघ्र प्रारम्भ होने वाला है। इससे सम्बन्धित विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में अंकित है।

(3) उक्त प्रोजेक्ट पर जारी कार्यों के लिए विभाग के निम्नांकित गोदामों में उनके सामने अंकित संख्या में सीमेन्ट के थैले बेलेन्स में हैं :—

क्र. स.	गोदाम
1-	मात्रि कुण्डिया गोदाम
2	कारोई गोदाम
3	बीलियां गोदाम

सीमेन्ट थैलों का बेलेन्स (15-3-84 को)	गोदाम प्रभारी का नाम व पद
33705 सीमेन्ट थैले	श्री मंगलाल जाट उप-अभियन्ता
7011 ,,	श्री प्रतापसिंह मेहता उप-अभियन्ता
3990 ,,	श्री विनोद कुमार कौशिक उप. अभियन्ता

गोदाम प्रभारियों के साथ सुरक्षा एवं यथोचित देख भाल की दृष्टि से चौकीदारों की व्यवस्था की हुई है। इस सीमेन्ट की देख रेख उपरोक्त वर्णित गोदाम प्रभारियों के अन्तर्गत है। इस सीमेन्ट की भौतिक जांच वर्ष 1983-84 के दौरान हुई है। अधिकारी जिसके द्वारा जांच की गई, जांच के दौरान पाई गई मात्रा व रजिस्टर के अनुसार बेलेन्स सीमेन्ट की मात्रा निम्न अनुसार हैं :—

क्र. सं.	गोदाम का नाम	भौतिक सत्यापन की तारीख	सीमेन्ट बेलेन्स रजिस्टर के अनुसार
1-	मात्रि कुण्डियां	8-9-83	26927
2-	कारोई	9-11-83	7048
3-	बीलिया	26-9-43	.004

(सिंचाई मंत्री)

जाँच के दौरान पाई गई सीमेन्ट की मात्रा	भौतिक सत्यापन करने वाला अधिकारी
26927	श्री विमल कुमार जोशी सहायक अभियन्ता एवं श्री साहिब सिंह चौधरी सहायक अभियन्ता
7048	श्री साहिब सिंह चौधरी सहायक अभियन्ता
4004	श्री विमलकुमार जोशी सहायक अभियन्ता एवं श्री साहिब सिंह चौधरी सहायक अभियन्ता

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

अजमेर की पेयजल व्यवस्था हेतु बाबूगढ़ पानी की टंकी

1054. श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

अजमेर नगर की पेयजल व्यवस्था के लिए बाबूगढ़ अजमेर की पानी की टंकी (रिजर्व) कब बनाई गई थी और उस समय अजमेर नगर की आबादी कितनी थी ? क्या यह सही है कि इस टंकी की क्षमता आज की आबादी और आवश्यकता की दृष्टि से बहुत कम है ? यदि हां, तो इसकी क्षमता में वृद्धि की क्या योजना है ?

उत्तर

अजमेर नगर की पेयजल व्यवस्था के लिये बाबूगढ़ अजमेर की पानी की टंकी वर्ष 1952 में बनाई गई थी। अजमेर शहर की उस समय जनसंख्या वर्ष 1951 की जनगणना के आधार पर 2,03,220 थी। बाबूगढ़ टंकी की क्षमता आज की आबादी एवं आवश्यकता की दृष्टि से कम है परन्तु संचित भराव क्षमता (स्टोरेज कैपेसिटी) बढ़ाने हेतु शहर में अन्य विभिन्न स्थानों पर 5 जलाशय भी बनाये जा चुके हैं।

केशवराय पाटन जिला बूंदी की पेयजल योजना

1055. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि केशवराय पाटन जिला बूंदी में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नल योजना बनाई गई थी ? यदि हां, तो कब और योजना बनाते समय केशवराय पाटन की जनसंख्या कितनी थी ?

(2) क्या सरकार वर्तमान जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए योजना में आवश्यक परिवर्तन करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, केशवराय पाटन जल योजना सन् 1951 में प्रथम बार तथा उसके बाद पुनर्गठित जल योजना सन् 1972 में बनाई गई थी। केशवराय पाटन की 1971 की जन संख्या 7456 थी।

(2) वर्तमान जन संख्या सन् 1981 की जनगणना के अनुसार 11448 है। योजना को बनाते समय 10,000 जनसंख्या को जल वितरण का प्रावधान लिया गया

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

था लेकिन कुछ मोहल्लों में पानी का दवाव कम रहता है। इसके लिए एक नये लाइन बूस्टर पम्प का प्रावधान लेकर पारित करवा लिया गया है तथा अब इसके लिए पावर विद्युत कनेक्शन मिलते ही बूस्टर पम्प का उपयोग कर इस समस्या का समाधान किया जा सकेगा।

जिला जयपुर में लगाये गये हैण्ड पम्प

1056. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर जिले में 1 अप्रेल सन् 1980 से अब तक कितने कितने हैण्डपम्प किस-किस तहसील में कब-कब लगे तथा कितने-कितने चालू हालत में हैं ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सिकराय तहसील में किस-किस गांव में कब-कब कितने-कितने हैण्डपम्प लगे ? वर्तमान में कितने हैण्डपम्प पूर्णत: खराब हैं, कितने ठीक होने योग्य हैं तथा चालू हालत में हैं तथा कितने का पानी पीने के योग्य नहीं है ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या खराब हैण्डपम्पों को ठीक करने का जनवरी, फरवरी माह में विशेष अभियान चलाया गया था ? यदि हां, तो इस अभियान पर कितना खर्चा हुआ ? क्या पीने योग्य पानी रहित हैण्डपम्पों पर लाल तख्ती लगादी गई है ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की 15 तहसीलों में कुल 3458 हैण्ड पम्प लगे हैं, जिनमें 3296 चालू हालत में हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सिकराय तहसील में वर्षवार लगाये गये हैण्डपम्पों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। वर्तमान में 6 हैण्ड पम्प खराब हैं।

जिनमें से दो ठीक होने योग्य हैं, तथा शेष चार पूर्णतया खराब हैं, एवं 10 हैण्डपम्पों का पानी निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं है।

(3) जी हां। माह फरवरी व मार्च 84 में हैण्ड पम्पों को ठीक करने का विशेष अभियान चलाया गया था और इस पर लगभग 0.60 लाख रुपये व्यय हुए हैं। पीने योग्य पानी जो निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नहीं है उन पर लाल रंग का निशान जो निम्नलिखित गांवों में लगा दिया गया है।

[1]	करोडी	[18]
[2]	ठीकरिया	[32]
[3]	होंगी	[35]
[4]	हींगेवा	[93]
[5]	केलाई	[3]
[6]	केलाई	[88]
[7]	पीलवाकलां	[56]
[8]	भोजपुरा	[40]
[9]	पांचोली	[39]
[10]	जयसिंहपुरा	[126]

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

सिचाई खण्ड चित्तौड़गढ़ द्वारा अवाप्त भूमि

1057. श्री शोभराज मल (चित्तौड़गढ़) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सिंचाई विभाग खण्ड चित्तौड़गढ़ द्वारा सिंचाई कार्यों के लिये भूमि अवाप्त की गयी उसका मुआवजा चुका दिया गया है ? यदि नहीं तो उसके क्या कारण है ? क्या यह सही है कि बहुत काश्तकार ऐसे हैं जिन्हें पांच वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद मुआवजा राशि नहीं दी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) भूमि अवाप्ति का कितना मुआवजा वर्ष 1983 तक किन-किन को दिया जाना शेष है ? कृपया पूर्ण ब्योरा सदन के पटल पर रखें।

(3) शेष भूमि अवाप्ति का मुआवजा कब तक चुका दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सिंचाई विभाग के चितौड़गढ़ खण्ड के अधिनस्थ मोहिया महादेव, सादी वोरिया तसैया, लोहारिया तथा अरणिया के कुछ काश्तकारों को भूमि अवाप्त किये जाने के बावजूद उसका मुआवजा नहीं चुकाया गया है। मुआवजों के भुगतान की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा कोई भी काश्तकार नहीं है जिनकी भूमि का अवार्ड जारी होने के बाद 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी मुआवजा राशि नहीं दी गई है। अतः सूची रखने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) भूमि अवाप्ति का मुआवजा वर्ष 1983 तक जो दिया जाना शेष रहा उसका विवरण सूची "अ" में संलग्न है।

(3) बजट आवंटन होने पर मुआवजा की राशि का भुगतान करवाना संभव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

सिचाई विभाग में अभियंताओं की पदोन्नति हेतु डी. पी. सी. की बैठक

1058. श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि डिपार्टमेन्ट ऑफ पर्सनल एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मस के नोटिफिकेशन दिनांक 6-10-1979 के. एस. ओ. 111 द्वारा राजस्थान सर्विस आफ इंजिनीयर्स इरिगेशन ब्रांच रूल्स, 1954 को संशोधित कर यह प्रावधान किया गया था कि (i) डी. पी. सी. वर्ष विशेष के रिक्त पदों को भरने के लिये उस वर्ष में पात्रता रखने वाले सभी प्रत्याशियों के नामों पर विचार करेगी एवं (2) जिस वर्ष में डी. पी. सी. की बैठक हो रही है, उस समय पदोन्नति हेतु प्रचलित सभी नियमों का पालन करेगी ? कृपया नोटिफिकेशन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारीलाल)

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1981 में सिंचाई विभाग के लिये सहायक अभियन्तओं से अधिशासी अभियन्तओं के चयन हेतु डी. पी. सी. की बैठक में इस नोटिफिकेशन की पालना नहीं की गई ?

(3) यदि नहीं, तो वर्ष 1970-71 एवं 1973 के प्रत्येक के विरुद्ध चयन हेतु कितने-कितने पद रिक्त थे और इन रिक्त पदों को भरने हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये किन किन सहायक अभियन्ताओं के नामों पर डी. पी. सी. में विचार किया गया ? कृपया तीनों ही वर्षों का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नोटिफिकेशन की प्रति सदन की मेज पर रख दी है।

(2) जी नहीं। नोटिफिकेशन के नियमों को पालना की गई थी।

(3) डी. पी. सी. द्वारा चयन हेतु वर्ष 1970 के 11, वर्ष 1971 के 21 एवं वर्ष 1973 के 14 रिक्त पद थे। इन तीनों वर्षों के लिये जिन जिन सहायक अभियन्ताओं के नामों पर डी. पी. सी. में विचार किया गया उनकी सूचियां क्रमशः "अ", "ब" और "स" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

नगर परिषद् अजमेर द्वारा निर्माण कराई गई आनासागर एस्केप चैनल

1059. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1981-82 में नगर परिषद् अजमेर द्वारा बाढ़ बचाव कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण कराई गई आनासागर एस्केप चैनल का निर्माण ठीक नहीं हुआ है और चैनल के दोनों ओर की दीवारों के बीच में कई जगह कुछ स्थान बिना दीवार बनाये छोड़ देने से बाढ़ से बचाव उद्देश्य अधूरा रह गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसके निर्माण के बाद से ही इसकी मरम्मत व सफाई पर भारी राशि व्यय करने के बावजूद भी यह पूरी तरह साफ नहीं कराई गई और कई जगह पर टूटी फूटी है ?

(3) कृपया इस एस्केप चैनल की प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति एवं नक्शे की प्रतियां तथा इसके निर्माण, मरम्मत एवं सफाई पर आज तक व्यय की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। 1981 82 में नगर-परिषद द्वारा निर्माण कार्य नहीं कराया गया था।

(2) आनासागर स्केप चैनल के निर्माण के बाद नगर परिषद् द्वारा मरम्मत नहीं कराई गई। समय समय पर इस स्केप

Page No. 47

(47)

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

चैनल के पानी की रुकावट एवं अधिक कचरे को नगरपरिषद् के सफाई कर्मचारियों से हटवाया गया है।

(3) वर्ष 1981-82 में नगर परिषद् द्वारा निर्माण नहीं किया गया एवं इसके बाद भी मरम्मत पर धनराशि व्यय नहीं की गई। डिसल्टिंग पर कुल 65986/- रुपये अब तक व्यय किये गये हैं।

नगर परिषद् अजमेर की रिसाला बावड़ी योजना

1060 श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (अजमेर पूर्व): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषद् अजमेर द्वारा रिसाला बावड़ी योजना के अन्तर्गत दुकानें एवं गोदाम एलोट करने में हुई अनियमितताओं की शिकायत होने पर जांच के आदेश दिये गये थे और दुकानों के आंवटन निर्माण अथवा उनका कब्जा देने पर भी सरकार ने स्थगन आदेश जारी किया था? यदि हां, तो यह शिकायत कब की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार का स्थगन आदेश जारी होने के बाद भी दुकानों का निर्माण चालू रहा और उन पर आंवटियों ने कब्जा कर व्यापार करना भी चालू कर दिया है? यदि नहीं, तो स्थगन आदेश जारी होने पर परिषद् की ओर से बनाये गये पंचनामों की प्रतियां एवं वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सितम्बर, 83 में की गई थी।

(2) राज्य सरकार के स्थगन आदेश के विरुद्ध न्यायालय से पार्टियों ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये थे। अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

भरतपुर शहर की कृषि भूमियों का अवैध बेचान

1061. श्री राजबहादुर (भरतपुर): क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या भरतपुर शहर में जयपुर रोड पर हीरा दास से सेवर तक, फतहपुर रोड पर सारस होटल से जाटोली घना ग्राम तक, सारस होटल से गोपाल की नगला तक, पुरानी आगरा रोड पर सर्किट हाउस से पक्के बाग तक तथा मथुरा रोड पर रेल्वे पुल से लेकर ग्राम तोंगा व जघीने तक दोनों ओर की कृषि भूमि को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा बिना स्वीकृति के बेचा जा चुका है?

(2) क्या भरतपुर शहर में सक्यूलर रोड के दोनों ओर के डण्डे और सक्यूलर रोड के बीच की खाई की जमीन को बिना रूपान्तरण कराए और भरतपुर नगर विकास न्यास, नगर परिषद् तथा राजस्व विभाग की अनुमति के बिना बेच दिया गया है और इन स्थानों पर अनाधिकृत रूप से नये भवनों का निर्माण शुरू हो चुका है?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि भूमि रूपान्तरण के 396 मामले इन क्षेत्रों से सम्बन्धित न्यास

(स्वायत्त शासन राज्य मंत्री)

को प्राप्त हुए हैं जिनसे कृषि भूमि के बेचान की जानकारी प्राप्त होती है सारस होटल से जाटोली घना गांव तक का एक भी मामला रूपान्तरण का न्यास को प्राप्त नहीं हुआ है।

(2) नगर परिषद अधिकार क्षेत्र में केवल सरक्यूलर रोड व महवाल के बीच का ही भाग है शहर में सरक्यूलर रोड व खाई के मध्य व्यवसायिक दुकानों का निर्माण 8-10 वर्ष पूर्व कृषि भूमि पर हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ निर्माण सूरजपोल, नीमदा गेट व गोवरधन गेट के पास काफी पहले हुए थे। उक्त भूमियों के विक्रय हेतु नगर परिषद को स्वीकृति नहीं की गई है।

नगरपालिका देवली के अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप

1062. **श्री महावीर प्रसाद** (टौंक) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका मण्डल देवली की विशेष सभा दिनांक 2-1-1984 में अधिशासी अधिकारी पर भ्रष्टाचार के 29 मामले रखे गये थे ? यदि हां, तो क्या इन आरोपों की जांच करवाई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरण में कौन व्यक्ति दोषी पाये गये तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जांच रिपोर्ट अभी परिक्षणाधीन है।

(2) जांच रिपोर्ट परीक्षणाधीन है। परीक्षण के बाद ही दोषी व्यक्तियों के बारे में कहा जा सकेगा।

नगर सुधार न्यास अजमेर द्वारा दिया गया विज्ञापन

1063. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास अजमेर के वार्षिक बजट में एन. आई. टी. विज्ञापनों के अलावा प्रदर्श विज्ञापन (डिसप्ले एडवरटाइजमेंट) हेतु कोई प्रावधान नहीं होने एवं न्यास द्वारा भी इस सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित कर कोई प्रावधान नहीं किये जाने के बावजूद राज्य सरकार की नीति के विरुद्ध न्यास के अध्यक्ष एवं सचिव ने समाचार पत्रों को प्रदर्श विज्ञापन दिये हैं ? यदि हां, तो दिनांक 1-4-1981 से दिनांक 29 2 1984 तक ऐसे कितने विज्ञापन दिये गये और उनकी कितनी राशि चुकाई गई ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अभी तक विज्ञापन देने हेतु एप्रूव नहीं किये गये समाचार पत्रों को भी ये विज्ञापन दिये गये है ?

उत्तर

(1) नगर सुधार न्यास, अजमेर के वार्षिक बजट के अनुसार ही एन. आई. टी.

(नगर आयोजना राज्य मंत्री)

व न्यास द्वारा भूखण्डों की नीलामी एवं योजनाओं से संबन्धित विज्ञापन हक है जो प्रकाशित करवाये गये हैं। इसके अलावा प्रदर्शन संबंधी विज्ञापन राष्ट्रीय पर्व 26 ज. व 15 अगस्त हेतु भी जारी किये गये हैं जो 57 के लगभग 1-4-81 से 29-2-84 तक की अवधि में जारी किये गये हैं। जिसकी राशि लगभग 35360/- भुगतान की गई है।

(2) जी हां, न्यास द्वारा प्रदर्शनी संबंधी कुछ विज्ञापन सिर्फ राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी व 15 अगस्त एवं दिपावली पर दिये गये हैं।

नगर विकास न्यास बीकानेर द्वारा विकास कार्यों पर व्यय की गई राशि

1064. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत) : क्या नगर आयोजना राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर विकास न्यास, बीकानेर में वर्ष 1981-82, 1982-83 व 1983 84 में शहर की चारदीवारी के अन्दर व बाहर विकास कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई ?

( ) उक्त अवधि में अल्पाहार, समारोह आयोजन तथा गैर आयोजना मदों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

उत्तर

(1) विकास कार्य पर व्यय	1981-82	1982-83	1983-84
1	2		
1- योजना	20,73,600	22,69,000	13,64,962
2- आयोजना मय कच्ची बस्ती	28,54,000	46,22,300	35,92,700
3- हुडको ऋण की सहायता से निर्मित क्वार्टर	— —	6,63,000	14,39,700
	49,27,600	75,54,300	63,97,362
(2) समारोह पर व्यय	9,548	7,604	13,635
अल्पाहार पर व्यय	2 950	3,625	5,000
अन्य व गैर योजना मद एवं संस्थापन पर व्यय	14,80,890	14,68,200	14 82,000

सीकर शहर का मास्टर प्लान

1065. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या नगर आयोजन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सीकर शहर का मास्टर प्लान बन कर तैयार हो गया है ?

(2) क्या सीकर शहर का मास्टर प्लान पारित किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ?

Page No. 50

(50)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(3) क्या सीकर शहर के मास्टर प्लान पर सीकर की जनता के आक्षेप/सुझाव मांगे गये ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां । सीकर शहर के ड्राफ्ट मास्टरप्लान पर सीकर की जनता के आक्षेप/सुझाव फरवरी, 1983 में मांगे गये हैं ।

नगर परिषद् उदयपुर द्वारा सीवरेज मशीन की खरीद

1066. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) नगर परिषद्, उदयपुर ने वर्ष 1982 के बाद सीवरेज मशीन खरीदने का आदेश कब व किसे दिया और देने का आधार क्या रहा ? यदि टेन्डर मांगे गये तो किस-किस फर्म ने टेन्डर दिये ? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि जो मशीन मंगाई गई या जिसके लिये स्वीकृति दी वह मशीन नहीं भेजी एवं उसके स्थान पर घटिया मशीन नगरपालिका को प्राप्त हुई ?

(3) क्या इस मशीन की जांच एवं भुगतान हेतु किसी कमेटी का निर्माण परिषद में किया गया ? यदि हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं एवं उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ? कृपया सविवरण सूची सदन के पटल पर रखें ।

उत्तर

(1) नगर परिषद्, उदयपुर ने दिनांक 22.3.83 को सिवरेज मशीन खरीदने के आदेश मैसर्स मैकेनिकल मुवमेन्ट, देहली को दिये । नगरपरिषद के क्षेत्र में चांदपोल से हाथीपोल सिवर लाइन चोक होने एवं सफाई कर्मचारियों के लगाए जाने के बाद भी साफ नहीं होने के कारण परिषद् के स्वास्थ्य अधिकारी की राय के पश्चात् मशीन डी. जी. एस. एण्ड डी. रेट कान्ट्रेक्ट पर खरीद की गई, इसलिए टेण्डर नहीं मांगे गये थे ।

(2) जी नहीं । जिस मशीन के लिए आदेश दिया गया, फर्म ने वही मशीन सप्लाई की है ।

(3) जी हां । विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें ।)

अजमेर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज की वाटर सप्लाई स्कीम

1067. श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या यह सही है कि अजमेर के जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में वाटर सप्लाई की स्कीम में सुधार करने हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को तीन लाख रुपये जमा

(श्री कैलाश मेघवाल)

कराये गये थे ? यदि हां, तो यह रकम कब जमा कराई गई थी और इस स्कीम की क्रियान्विति शीघ्र करने हेतु अब तक क्या क्या प्रयत्न किये गये ? कृपया विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की गई थी जिसकी क्रियान्विति सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है।

जालौर जिले की पंचायतों में हैल्थ गाइड व मिडवाइफ

1068. श्री कनकराज मेहता (सांचोर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जालौर जिले की सभी पंचायतों में हैल्थ गाइड व मिडवाइफ (दाइयों) निर्धारित कार्यक्रम माफिक रख दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो किस किस पंचायत में कितने कितने पद रिक्त हैं व क्यों ?

(2) क्या रखे गए हैल्थ गाइड व दाइयों का प्रशिक्षण कार्य शुरू हो गया है ? यदि हां तो कब से व कितनों का प्रशिक्षण कब पूरा हुआ ?

(3) क्या प्रशिक्षित लोगों ने अपने पद पर कार्य शुरू कर दिया है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। एक स्वास्थ्य मार्ग दर्शक व एक पेशेवर दाई 1000 ग्रामीण जन संख्या पर रखने का लक्ष्य है। इस प्रकार जालौर जिले में कुल 830 स्वास्थ्य मार्ग दर्शक व 830 पेशेवर दाइयों को प्रशिक्षित किया जाना है। अब तक 215 स्वास्थ्य मार्गदर्शक व 369 दाइयों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(2) कमी का कारण पंचायतों द्वारा उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन नहीं होना है। जैसे जैसे पंचायत समितियां स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व दाइयों का चयन कर भेजती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

(3) जी हां, हैल्थ गाइड्स का प्रशिक्षण अक्टूबर, 1977 से अक्टूबर, 1979 तक चालू रह कर बंद हो गया था। पुनः प्रशिक्षण वर्ष 1982-83 से प्रारम्भ किया गया। दाइयों का प्रशिक्षण 1976-77 से प्रारम्भ है।

जी हां।

राज्य के अस्पतालों में उपलब्ध न्यूनतम दवाइयों की सूची

1069. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1975 में राज्य में न्यूनतम दवाइयां एवं वस्तुओं की लिस्ट बनाई गई थी जो अनिवार्य रूप से सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होनी ही चाहिये ?

(2) क्या उक्त लिस्ट अस्पतालों के बरामदों में दर्शायी जाना भी आदेश द्वारा अनिवार्य कर दिया था ? यदि हां, तो क्या उस नियम की पालना वर्तमान में की जाती

(श्रीमती विद्या पाठक)

है ? यदि नहीं तो क्या आदेश वापिस ले लिया गया ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या उक्त दवाइयां अस्पतालों में उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, अधिकांश अस्पतालों में आदेशों की पालना की जा रही है। पालना नहीं होने की कोई शिकायत नहीं आई। आदेश वापिस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) जी हां, उपलब्ध वित्तीय साधनों के अनुरूप अनुमोदित दवाइयां मरीजों को दी जाती हैं। मरीजों की संख्या व दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि के अनुपात में दवाइयों के बजट में वृद्धि नहीं हो पाती है।

वर्ष 1980 में जिला सवाई माधोपुर में लगाये गए नसबन्दी शिविर

1070. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सवाई माधोपुर जिले में वर्ष 1980 से परिवार कल्याण विभाग के द्वारा कितने नसबन्दी ओपरेशन एवं शिविर कहां कहां लगाये गये ?

(2) लगाये गये शिविरों के अन्दर कितनी महिलाओं तथा कितने पुरुषों की मृत्यु हुई ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) वर्ष 1980 से अब तक लगाये गये शिविरों में सवाईमाधोपुर जिले में 6 महिलाओं की मृत्यु हुई। किसी भी पुरुष की नसबन्दी के दौरान मृत्यु होने की सूचना नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

जिला टोंक के गांवों को सड़कों से जोड़ने का मास्टर प्लान

1071. **श्री महावीर प्रसाद** (टोंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गांवों को सड़कों से जोड़ने हेतु टोंक जिले का एक मास्टर प्लान बनाया गया है ? यदि हां, तो मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में वर्ष 1983-84 तक कितनी जनसंख्या के गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है एवं 1984-85 में कितनी जनसंख्या तक के गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है एवं उसमें कितना व्यय होने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार कर लिया गया है जिसे अभी अन्तिम रूप

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

नहीं दिया गया है अतः प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(2) टोंक जिले में 1983-84 तक विभाग के रिकार्ड के अनुसार 3000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है इसके अलावा कम आबादी वाले गांव भी सड़क से जोड़े गए हैं। वर्ष 1984-85 में स्वीकृति की जाने वाली सड़कों की योजना अभी विचाराधीन है अतः वांछित सूचना का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम भाग से बिहारीपुरा सड़क का निर्माण

1072. **श्री रामकिशोर मीणा** (सिकराय) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भाग से वाया सावली, बिहारीपुरा तक कच्चा रोड बना हुआ है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम भाग से सावली तक इसमें रोड़ी भी डली हुई है ?

(3) क्या यह सही है कि यह सड़क रेकार्ड में पक्की बनी हुई है और इसके पेटे पूरे पैसे ठेकेदारों द्वारा उठा कर हड़प कर लिये गये हैं ?

(4) क्या सरकार इसमें जांच करवा-कर दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार उक्त सड़क को पक्का कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) मास्टर प्लान के प्रारूप में इस सड़क को सम्मिलित किया गया है प्रारूप को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात धन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

भीलवाड़ा नगर से सांगानेर उपनगर तक सड़क निर्माण

1073. **श्री भूपाल सिंह** (निम्बाहेड़ा) **श्री बंसीलाल पटवा** (भीलवाड़ा)-क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) भीलवाड़ा जिले में भीलवाड़ा नगर से सांगानेर उपनगर तक किस सन् में डामर की सड़क कितनी लागत से बनाई गई ?

(2) उक्त सड़क निर्माण के बाद आज तक इस सड़क पर कब-कब मरम्मत कार्य हुआ व कितने खर्च से ?

(3) यह सड़क विभाग के चार्ज में है या नगर परिषद् के ?

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

उत्तर

(1) भीलवाड़ा से सांगानेर उपनगर तक जाने वाली सडक पर डामर का कार्य सन् 1961–62 में लगभग 20,000/– की लागत से किया गया।

(2) इस सड़क के निर्माण के बाद वर्ष वार मरम्मत पर किए गए खर्च का विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	खर्च रुपये में
1. 1970–71	9030.00
2. 1972–73	1722.50
3. 1973 74	2537.00
4. 1976–77	5903.00
5. 1977–78	1549.00
6. 1978 79	18054.00
7. 1979–80	37209.00
8. 1982 83	21521.00

(3) विभाग के चार्ज में है।

जयपुर जिले की विभिन्न सड़कों के निर्माण में अनियमिततायें

1074. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जयपुर जिले में चाकसू फागी रोड़ पर 1 कि. मी. और 10 से 17 कि. मी. सड़क निर्माण में रोड़ी कुटाई और उसकी नपाई के फर्जी रिकार्ड बनाकर, विभाग द्वारा कराये गये कार्यों को, ठेकेदारी पर कराया जाना बताकर, मिट्टी ढुलाई आदि के फर्जी आइटम बढ़ा कर विभागीय अभियन्ताओं की मिली भगत से फर्जी तरीके से अधिक भुगतान कर दिये जाने की शिकायत राज्य सरकार को वर्ष अक्टूबर-नवम्बर 1980 में प्राप्त हुई ?

(2) क्या जयपुर जिले के उपरोक्त उप-खण्ड में ही विभाग द्वारा कोथून-लालसोट सड़क पर 1 से 5 कि. मी. सड़क निर्माण में रविश बिछाई का दुगुना भुगतान कर ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की शिकायत भी राज्य सरकार को वर्ष 1980 में प्राप्त हुई थी ?

(3) यदि हां, तो राज्य सरकार ने उक्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से भी इस विषय में पत्र व्यवहार किया गया था ?

उत्तर

(1 एवं 2) चाकसू फागी तथा कोथून-लालसोट सड़क के बाबत एक शिकायत सितम्बर, 1980 में प्राप्त हुई।

(3) जी हां। आरोपों की जांच की गई।

(4) जी हां।

Page No. 55

ग्राम तितरिया व पहाड़िया को सड़क से जोड़ना

1075. श्री रामकंवार बेरवा (फागी): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तितरिया और ग्राम पहाड़िया (जिला जयपुर) दोनों क्रमशः टौंक रोड और फागी रोड से डामर की सड़क से जुड़े हुए हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम तितरिया और पहाड़िया के बीच 10 किलोमीटर की दूरी है ?

(3) क्या यह सही है कि इन दोनों गांवों को डामर रोड से जोड़ने से कुम्हारिया वास, बांजडोली तथा अन्य गांव लाभान्वित होंगे ?

(4) क्या सरकार इनको डामर रोड से जोड़ने का विचार रखती है ?

(5) यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूर्ण हो जावेगा ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। लगभग 10 किलोमीटर है।

(3) जी हां।

(4 एवं 5) धन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यों को हाथ में लिए जाने की कार्यवाही की जावेगी।

जिला बाड़मेर जैसलमेर का रोड मास्टर प्लान

1076. श्री अमीन खां (शिव):—क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर-जैसलमेर की रोड मास्टर प्लान तैयार किया गया है या नहीं ?

(2) बाड़मेर-जैसलमेर जिलों में जो रोड़ प्लान की है उनको प्राथमिकता दी जाएगी या नहीं ?

(3) जिन-2 रोडों पर मेटल व मुर्रोया डाल दिया है उनको सम्पूर्ण करने की योजना है या नहीं है ?

(4) जिला जैसलमेर व बाड़मेर के मास्टर प्लान की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) अकाल राहत कार्यों में जो सड़कें बड़े बड़े ग्रामों को जोड़ने वाली बनाई गई हैं उनकी मरम्मत क्यों नहीं की जाती ?

उत्तर

(1) बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

(2, 3 एवं 4)

मास्टर प्लान के प्रारूप को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। प्लान स्वीकृत होने के पश्चात् ही धन की

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर सड़कों के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

(5) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनाई जाने वाली सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग की मरम्मत सूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण उनका रख रखाव विभाग द्वारा नहीं कराया जाता है।

वर्ष 1983-84 में जिला जैसलमेर में सड़क निर्माण कार्य

1077. **श्री चन्द्रवीर सिंह** (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1983-84 में जैसलमेर जिले में कितनी सड़कें बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है?

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में से कितनी सड़कों का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है व शेष बची हुई सड़कों का कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा?

(3) उक्त सड़कों पर कितनी धन राशि व्यय की जावेगी व कितनी अवधि में उक्त कार्य पूर्ण कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) वर्ष 1983-84 में जैसलमेर जिले में 4 सड़कें बनाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) सभी सड़कों पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

(3) योजनानुसार 19.50 लाख रु. की राशि व्यय की जानी है तथा 3 वर्ष में इन कार्यों को पूर्ण किए जाने की सम्भावना है।

उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ द्वारा वनरक्षकों की नियुक्ति

1078. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ ने वर्ष 1983-84 में वनरक्षक के पदों पर नियुक्तियां देने हेतु साक्षात्कार व फिजीकल जांच कर नियुक्तियां दी गई थीं? यदि हां, तो रिक्त पदों को भरने के लिये किन-किन समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाया गया?

(2) कुल कितने पद सृजित किये और कितने पदों को भरने के लिये साक्षात्कार लिया गया? साक्षात्कार में कुल कितने प्राशार्थियों ने भाग लिया और इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कितने व्यक्ति थे?

(3) साक्षात्कार में क्या शारीरिक परीक्षण "दौड" रखी गई थी? यदि हां, तो इसके परिणाम स्वरूप कितने व्यक्तियों को नियुक्तियां नहीं दी गई? कृपया दी गई नियुक्तियों की सूची उनके निवास स्थान के पतों सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, रिक्त पद भरने हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं कराया गया था

(वन राज्य मंत्री)

क्योंकि वनरक्षक के पद भरने हेतु नियोजन कार्यालय से प्राप्त सूचियों में से चयन किये, जाने का प्रावधान है।

(2) नियोजन कार्यालय को मांग पत्र भेजते समय 7 पद रिक्त थे। साक्षात्कार हेतु 172 व्यक्तियों की सूची नियोजन कार्यालय से प्राप्त हुई थी। इसमें से 64 व्यक्ति साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए जिनमें से अनुसूचित जनजाति के 9 व्यक्ति थे।

(3) जी हां। दौड़ में भाग लेने वाले 16 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति द्वारा दौड़ निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं की गई थी। दी गई नियुक्तियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

वन विभाग द्वारा पशुओं की चराई पर वसूली

1079. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): **श्री बाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वन विभाग द्वारा पशुओं की चराई किस किस प्रकार वसूल की जाती है तथा वर्ष में कितनी बार ?

(2) क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराई हेतु ले जाने पर वहां पर अलग चराई वसूल की जाती है ?

(3) क्या यह सही है कि नायब तहसील इन्द्रगढ़, सुल्तानपुर एवं सांगोद के पशुपालकों से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर अधिक व दुबारा चराई वसूल की जाती है ?

उत्तर

(1) वन क्षेत्र में पशु चराने हेतु वर्षा ऋतु उपरान्त वन विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के लिये निर्धारित दरों के अनुसार चराई वसूल की जाती है।

(2) एक बार पूरे वर्ष की चराई एक स्थान पर देने के उपरान्त यदि पशुपालक उनसे सम्बन्धित रेंज के समीपवर्ती रेंज में पशु चराता है तो कोई अलग से और चराई देने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यदि वह समीपवर्ती दूसरी रेंज को भी छोड़कर अन्य किसी रेंज में अपने मवेशी चराने ले जाता है तो राज्यादेश संख्या एफ 15 (163) रेवेन्यू/58/पार्ट-II दिनांक 17-8-62 एवं 10-11-63 के अनुसार उसे या तो फोरेस्ट इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार समस्त राजस्थान में पशु चराने की दर से चराई देनी पड़ेगी अथवा जिन रेंजों में वह अपने पशु चराता है, उसकी अलग-अलग रेंजों की चराई दर से दोनों रेन्जों की चराई देनी पड़ेगी।

(3) नायब तहसील इन्द्रगढ़, सुल्तानपुर एवं सांगोद के पशुपालकों को उनके समीपवर्ती रेंजों को छोड़कर अन्य स्थानों पर चराई कराने पर नियमानुसार अलग से चराई देय होती है।

टाइगर प्रोजेक्ट की सीमा में वृक्ष कटाई

1080. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) :

श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गत एक वर्ष में टाइगर प्रोजेक्ट की सीमाओं के अन्दर

(श्री हंसराज व श्री कुंजीलाल)

वृक्ष कटाई होने की विभाग को कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो जनवरी, 1983 से फरवरी, 1984 तक कितने वृक्षों को अवैध रूप से काटा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा उपरोक्त कटे हुए वृक्षों की गणना कराई गई थी ? यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह भी सही है कि जिन स्थानों पर अवैध वृक्ष कटाई की गई है उन पर उस क्षेत्र के वनपालों तथा नाकेदारों द्वारा उसकी देख रेख की जाती है ? यदि हां, तो विभाग द्वारा सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बाघ परियोजना रणथम्भौर, नेशनल पार्क की सीमाओं के अन्दर वृक्ष कटाई कि शिकायत प्राप्त हुई थी। जनवरी, 1983 से फरवरी, 1984 तक 6889 वृक्षों को अवैध रूप से काटा गया।

(2) जी हां, अवैध कटे वृक्षों की गणना कराने पर 6889 ठूंठ पाये गये इसकी एफ. आई. आर. पुलिस थाना खण्डार में दर्ज करवाई गयी है। तथा पुलिस अब इसकी जांच कर रही है।

(3) जी हां, यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र की देख रेख वनपाल व वनरक्षकों द्वारा की जाती है। राज्य कर्मचारियों की लापरवाही/मिलीभगत की विभागीय जांच वनरक्षक (वन्य जीव) जयपुर द्वारा की जा रही है। जांच पूर्ण होने पर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में आयुर्वेदिक औषधालय

1081 श्री समर्थलाल (राजगढ़) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पिछले तीन साल से कोई आयुर्वेदिक औषधालय नहीं खुले हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम मूढिया पंचायत समिति रैणी (अलवर) में पिछले 4 वर्षों से जन-सहयोग से आयुर्वेदिक औषधालय के लिए इमारत बनी हुई है ? यदि हां, तो आयुर्वेदिक औषधालय कब खोला जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1983–84 में एक नवीन औषधालय बरेर में स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1981-82 व 1982-83 में राज्य में कोई नवीन औषधालय नहीं खोले गये हैं !

(2) जी हां। वर्ष 1984–85 में नवीन औषधालय खोलते समय यदि यह ग्राम मापदण्ड में आता है तो विचार किया जा सकता है ।

आयुर्वेद विभाग द्वारा संचालित औषधि निर्माणशाला के श्रमिक

1082. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आयुर्वेद विभाग द्वारा राज्य भर में संचालित चारों औषधि निर्माण-शालाओं में वर्तमान में कितने कितने श्रमिक कहां कहां कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कच्ची औषधियों के अभाव में श्रमिक अधिकांश दिनों में फालतू बैठे रहे ? यदि हां, तो बजट के होते हुए भी कच्ची औषधियां न खरीदने का क्या कारण रहा तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

उत्तर

(1) विभागीय चार रसायनशालाओं में कुल 177 श्रमिक कार्यरत हैं। रसायन-शाला वार विवरण निम्न प्रकार है :

रसायनशाला	कार्यरत श्रमिक
अजमेर	81
भरतपुर	20
जोधपुर	17
उदयपुर	59

(2) जी नहीं। औषध निर्माण के अतिरिक्त उनसे अन्य कार्य लिया गया। कच्ची औषधियां क्रय करने की प्रणाली काफी जटिल होने, बाजार भावों में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाने, व्यापारियों द्वारा अनुबन्ध पत्र नहीं भरने एवं समय पर माल सप्लाई नहीं करने के कारण औषधियां क्रय करने में देरी हो जाती है। इसके लिये कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेदार नहीं है।

जिला पाली की विभिन्न पंचायत समितियों में रा. ग्रा. रो. कार्यक्रम के तहत कार्य

1084. श्री भैरूसिंह गुर्जर (खारची): क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

पाली जिले की पंचायत समिति, मारवाड़ जंक्शन, रानी व देसूरी में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये एवं कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ? कृपया सूची ग्रामवार प्रस्तुत करें एवं धनराशि भी प्रत्येक कार्य के अनुसार सूची में दर्शाएं।

उत्तर

पाली जिले की पंचायत समिति, मारवाड जंक्शन, रानी व देसूरी में जून, 1980 से दिसम्बर, 1983 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत स्वीकृत कार्य जिसमें कार्य की स्वीकृत जो राशि दर्शायी है उसकी सूची ग्रामवार सदन के पटल पर प्रस्तुत है !

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

राजस्थान नहर क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोलना

1084. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या पशुपालन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा प्रश्न संख्या 111 ग्र. ता. दिनांक 24-3-1981 के उत्तर में राजस्थान नहर क्षेत्र में वर्ष 1981-82 में नए चिकित्सालय नहीं खोलने की बात कही गई थी ? यदि हां, तो नहर क्षेत्र में नए पशु चिकित्सालय नहीं खोलने का क्या कारण है ?

(2) क्या सरकार अब राजस्थान नहर क्षेत्र में नए पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां ? नहीं, तो क्यों !

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 81-82 में नये पशु चिकित्सालय राज्य में नहीं खोले गये थे। केवल मरुस्थलीय जिलों में मरु विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 पशु स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये थे।

(2) राजस्थान नहर क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले ग्राम बीकमपुर एवं मिर्जावाली में इस वर्ष नया पशु चिकित्सालय, गन्धेलो में पशु औषधालय स्वीकृत हुआ है। साथ ही मोहनगढ़ में पूर्व से कार्यरत पशु स्वास्थ्य केन्द्र का सुदृढ़ीकरण किया जा चुका है।

रानीवाड़ा की आइडियल डेयरी

1085. **श्री महाराम चौधरी** (नागौर): क्या पशुपालन एवम् डेयरी विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रानीवाड़ा "आइडियल डेयरी" एक प्राइवेट कम्पनी द्वारा चलाई जा रही थी ? यदि हां तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डेयरी काफी समय से बन्द कर दी गई है और उसमें लगे कर्मचारी बेकार हो गए हैं ? यदि हां, तो कब से एवं क्यों ?

(3) उक्त डेयरी को वापस चालू करवाने के बारे में सरकार द्वारा अब तक क्या क्या कदम उठाये गये हैं और अब दुबारा डेयरी कब तक चालू करवा दी जायेगी ?

(4) क्या सरकार उक्त डेयरी को अपने कब्जे में लेकर वापस चालू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार उक्त डेयरी क्षेत्र का उपलब्ध दूध जोधपुर सरकारी डेयरी द्वारा इकट्ठा करवाने की व्यवस्था करेगी यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

(6) क्या सरकार उक्त डेयरी में कार्यरत कर्मचारियों को जोधपुर सरकारी डेयरी में लगा कर उक्त डेयरी क्षेत्र का दूध इकट्ठा करवाने की व्यवस्था करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(7) क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में जिला जालौर में कोई डेयरी लगाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह वर्ष 1977 से प्राइवेट संस्था द्वारा चलाई जा रही है।

(2) जी हां। रानीवाड़ा डेयरी माह नवम्बर, 1983 से बन्द है। क्योंकि यह डेयरी कुछ समय से बीमार संस्था के रूप में कार्य कर रही थी।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि यह एक निजी संस्था द्वारा चलाई जाती है।

(4) सरकार उक्त डेयरी को अपने कब्जे में लेने का फिलहाल कोई विचार नहीं रखती है, क्योंकि यह निजी संस्था का मामला है और जोधपुर डेयरी की क्षमता वर्तमान संकलन से अधिक है।

(5) उक्त डेयरी के 'आहोर" क्षेत्र का उपलब्ध दूध पाली जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है।

(6) जी नहीं। जोधपुर सहकारी संघ से रानीवाड़ा क्षेत्र की दूरी अधिक है। जोधपुर डेयरी में और कर्मचारियों को लगाने की गुंजाइश नहीं है।

कृषि ऊपज मण्डी निम्बाहेड़ा के निर्माण हेतु अवाप्त चल-अचल सम्पत्ति

1086. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मन्डी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ के निर्माण में कितने लोगों की चल अचल सम्पत्ति एक्वायर की गई और कब ?

(2) एक्वायर की गई सम्पत्ति का मुआवजे का मूल्यांकन किस वर्ष में किस आधार से किया गया ? मुआवजे का भुगतान अब तक नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) खातेदारों की अचल सम्पत्ति दिनांक 5-10--78 को एक्वायर की गई।

(2) एक्वायर की गई सम्पति के मुआवजे का मूल्यांकन 14-10-81 को अतिरिक्त जिलाधीश एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा किया गया। भूमि की मुख्य सड़क से नजदीकी तथा आस-पास के विकास को ध्यान में रखकर मुआवजे का मूल्यांकन किया गया है।

न्यायालयों में मामला विचाराधीन है।

कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर को राजपुरा पातलवास मुख्यालय से जोड़ने हेतु सड़क निर्माण

1087. **श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी** (बस्सी) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही कि कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जयपुर के कार्यक्षेत्र पंचायत समिति बस्सी में राजपुरा पातलवास पंचायत मुख्यालय को जोड़ने के

(श्री जगदीश प्रसाद तिवाड़ी)

लिये 2 किलोमीटर लिंक रोड राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हुयी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस रोड के निर्माण हेतु जयपुर कृषि उपज मण्डी समिति ने बजट में प्रावधान रखा है और बजट स्वीकृत हो चुका है ? यदि हां, तो इस सड़क के निर्माण के लिये कितनी राशि स्वीकृत है ?

(3) क्या यह भी सही है कि बांसखोह लवाण सड़क से राजपुरा-पातलवास लिंग रोड के बजाय भूल से बस्सी-लवाण रोड से राजपुरा पातलवास लिंग रोड के गलत स्वीकृति आदेश जारी हुए ? यदि हां, तो यह गलती किस स्तर पर किस से हुई ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस भूल को दुरुस्त करते हेतु पत्र प्राप्त हुए ? यदि हां, तो कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गई ?

(5) क्या यह भी सही है कि राजपुरा-पातलवास पंचायत मुख्यालय को केवल बांसखोह-लवाण सड़क से सम्पर्क सड़क बनाकर ही जोड़ा जा सकता है, बस्सी-लवाण सड़क से नहीं ?

(6) क्या राज्य सरकार स्वीकृति में भूल सुधार कर इस सड़क का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में करायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) राज्य सरकार द्वारा यह सड़क बांसखो से लवाण स्वीकृत की गई है, परन्तु विपणन बोर्ड में टंकण भूल से बस्सी से लवाण की स्वीकृति जारी हो गई थी। अब बांसखो से लवाण की संशोधित स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(4) जी हां।

कार्यवाही कर दी गई है।

(5) जी हां।

(6) इस सड़क का निर्माण कार्य इसी वित्तीय वर्ष में कराया जाना सम्भावित है।

मार्केटिंग सोसायटी चौमेला के व्यवस्थापक द्वारा कीट नाशक औषधियों की बिक्री

1088. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग),

श्री हरीश शर्मा (रामगंजमण्डी),

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मार्केटिंग सोसायटी चौमेला जिला झालावाड़ के व्यवस्थापक द्वारा अवधिपार (एक्सपायर डेट) कृषि कीटनाशक औषधियों की बिक्री मार्च, 1982 में एक चौथाई मूल्य में की गई ? यदि हां, तो इस सम्बंध में व्यवस्थापक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

गंगधार कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. चौमेला जिला झालावाड़ के व्यवस्थापक द्वारा अवधिपार (आउट ऑफ डेट) कृषि कीटनाशक औषधियों को किसी प्रकार की बिक्री माह मार्च, 1982 में चौथाई मूल्य में नहीं की गई है।

बड़ोद (अलवर) के हाई स्कूल को क्रमोन्नत करना

1089. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बान्सूर):** क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या मुख्य मन्त्रीजी के ध्यान में है कि तारीख 16–12–1982 को यातायात राज्य मन्त्री जयकृष्ण शर्मा, खाद्य राज्य मन्त्री श्री घासीराम यादव स्थानीय विधायक, बड़ोद (अलवर) के सरपंच को भू. पू. सरपंच का डेपूटेशन में मुख्य मन्त्री जी के निवास स्थान पर बड़ोद (अलवर) के हाई स्कूल को हायर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करने के लिये निवेदन किया और उन्होंने मौखिक आश्वासन दिया कि अगले सत्र याने जुलाई, 1983 में स्कूल को क्रमोन्नत करके क्लास चालू करदी जावेगी ?

(2) क्या यह सही है कि इसके बाद 27–6-1983 एवं 6–9–1983 को इस स्कूल को क्रमोन्नत करने के आश्वासन की पूर्ति के लिये रिमाइन्डर भी भेजे गये किन्तु अभी तक यह आश्वासन पूरा नहीं किया गया ?

(3) क्या सरकार जनहित में उक्त स्कूल को अब शीघ्र क्रमोन्नत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) दिनांक 16-12–1982 को श्री जयकृष्ण शर्मा एवं श्री घासीराम यादव राज्यमन्त्रीगण रात्रि को माननीय मुख्य मन्त्री जी से मिले थे। उनकी मुख्य मन्त्री जी से क्या चर्चा हुई इसकी जानकारी नहीं है।

(2 व 3) वर्ष 1983-84 में माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु प्रावधान नहीं था। वर्ष 1984–85 में भी इस हेतु बजट में प्रावधान नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9 अप्रेल, 1984)

भूतपूर्व अजमेर राज्य की इवेक्यू प्रोपर्टी

720. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व अजमेर राज्य के इवेक्यू प्रोपर्टी के असिस्टेन्ट कस्टोडियन ने दिनांक 26-2-1951 के फैसले से खादिम, मोहल्ला अजमेर में स्थित तत्कालीन म. नं. अमु 9.240 को इवेक्यू प्रापर्टी घोषित कर दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि कोम्पीटेन्ट आफीसर अजमेर की अदालत में भी इस मकान को इवेक्यू प्रापर्टी ही माना गया था ?

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) यदि हां, तो इस मकान का कब्जा अभी तक सरकार ने क्यों नहीं लिया है और उसमें अतिक्रमियों को क्यों रहने दिया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सक्षम अधिकारी एवं उप निदेशक (सीलिंग) भूमि एवं भवन कर विभाग, अजमेर के अनुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत यह मामला उनकी अदालत में विचाराधीन है। प्रश्नगत सम्पत्ति पर श्री अब्दुल वासिद सम्पत्ति धारित है। परन्तु सम्पत्ति का विवाद कस्टोडियन विभाग भारत सरकार दिल्ली में विचाराधीन है।

(3) भारत सरकार से निष्क्रान्त सम्पत्तियों का रेकार्ड सन् 1980 में प्राप्त हुआ है तथा तहसीलदार अजमेर की जांच रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में तीन परिवार सर्व श्री अब्दुल रहीम पुत्र सं. अब्दुल कुदल, अब्दुल वासिद पुत्र सं. अब्दुल मजीर व सं. अब्दुल वली कोम मुसलमान जन्म से सपरिवार के इस सम्पत्ति में निवास कर रहे हैं तथा पैतृक मकान बतलाते हैं जब तक इस विवादास्पद सम्पत्ति पर निर्णय नहीं होता तब तक अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है।

स्थगित सदन

(दिनांक 26 मार्च, 1984)

रेन्ज टाइगर प्रोजेक्ट, सवाई माधोपुर में खनन कार्य

425. **श्री हंसराज शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आरक्षित वन क्षेत्र कम्पार्टमेन्ट नं. 35 रेंज टाइगर प्रोजेक्ट, सवाई माधोपुर में खनिज विभाग द्वारा खनन कार्य करने के लिये खनन पट्टा दिया जा सकता है? यदि हां, तो किस आधार पर तथा किसके द्वारा दिया जाने का नियम है?

(2) क्या यह भी सही है कि खनिज अभियन्ता सवाई माधोपुर ने असगर अहमद का खनन पट्टे हेतु दिया गया आवेदन-पत्र /5560, वह स्थान वन विभाग का होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था, किन्तु उसी स्थान पर अलीमुद्दीन को किस आधार पर खनन पट्टा दिया गया है?

उत्तर

(1) जी हां, केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात् वह विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद खनिज विभाग, खनन कार्य हेतु पट्टे दे सकता है।

(2) खनिज विभाग द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार श्री असगर अहमद का कोई आवेदन पत्र वन क्षेत्र में खनन पट्टा लेने हेतु उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। एक श्री असरार अहमद का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था जिसे इस कारण से अस्वीकृत किया गया

(वन राज्य मंत्री)

था कि उन्होंने वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। श्री अलीमुद्दीन को भूल से वन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। भूल का अहसास होने पर एन. ओ. सी. को निरस्त कर दिया गया तथा खनिज विभाग ने इस पार्टी का पट्टा एन. ओ. सी. के अभाव में निरस्त करने का नोटिस भिजवा दिया है।

(पत्र के लिये कृपया परिशिष्ट 15 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री अनंगकुमार जैन—उदयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति द्वारा वितरित दुग्ध में कीड़े होने के विषय में.

(2) श्री बालचन्द्र आर्यवीर व श्री हीरालाल आर्य, श्री चुन्नीलाल—ग्राम लुंहार खेड़ा, तहसील टोडा भीम, जिला सवाई माधोपुर के एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की जमीन पर कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा करने के विषय में,

(3) श्री दाऊदयाल जोशी—कोटा स्थित ताप विद्युत गृह की कोयले की राख के उड़ने से आसपास के लोगों को परेशानी;

(4) श्री बंशीलाल पटवा—भीलवाड़ा नगर में सड़कों की हालत जर्जर होने और पेयजल की व्यवस्था न होने के विषय में,

(5) श्री घनश्याम तिवाड़ी—सीकर में पानी और बिजली की व्यवस्था सन्तोषजनक न होने के विषय में,

(6) श्रीमती उजला अरोड़ा—बस्सी नगरपालिका के अध्यक्ष द्वारा की जा रही अनियमितताओं के विषय में।

इन स्थगन प्रस्तावों को सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है और मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(7) सुश्री पुष्पा जैन - गत 16 अप्रेल को जयपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय के परिसर में एक आई. ए. एस. अधिकारी द्वारा अपनी पुत्री की शादी के लिए शामियाना लगाने के विषय में।

यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं है और मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री मेघराज तावड़—भूतपूर्व सचिव नगर विकास न्यास, जयपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा दोषी पाये जाने पर भी न्यायालय में चालान प्रस्तुत न करना।

इसका संबंध काफी पुरानी घटनाओं से लगता है और इसमें व्यक्तिगत मान हानिकारक आरोप है। अत: मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(9) श्री गोपाल पचेरवाल, श्री नाथूसिंह—गंगानगर व कोटा जिले के

(श्री अध्यक्ष)

किसानों का गेहूं फूड कार्पोरेशन आफ इन्डिया द्वारा न खरीदने के विषय में।

इस विषय में सम्बंधित गेहूं व बाजरे की निकासी बंद करने के विषय में मुझे कुछ अन्य प्रस्तावों की भी सूचना प्राप्त हुई है। अतः इस पर सरकार की ओर से आज एक वक्तव्य दिया जायेगा।

(10) श्री हंसराज शर्मा–टाइगर प्राजेक्ट सवाई माधोपुर के डाइरेक्टर के विरुद्ध कुछ धोखा धड़ी के मामले दर्ज होने के विषय में।

यह एक मानहानिकारक आरोप है और माननीय सदस्य कृपया इसके तथ्यों से मुझे अवगत करायें। यहां अवगत नहीं करायें मेरे दफ्तर में। नहीं, तो बाद में अवगत कराते रहें।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : चालान पेश नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : यह वह मामला नहीं है। उसका मैंने उत्तर दे दिया। मैंने आपसे चर्चा कर ली थी इस सम्बंध में आपने नया दिया उसके बारे में निवेदन कर रहा हूं।

श्री मेघराज तावड़ : वह दूसरा था। बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनका चालान कभी पेश होता ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस सम्बंध में है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर आसन पैरों पर है कृपया।

(11) श्री हरीश शर्मा व श्री देवीसिंह भाटी–कोटा जिले की कुछ पंचायतों में मंडाना के डिप्टी रेन्जर द्वारा जंगलों की कटाई के विषय में।

यह प्रस्ताव सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है और माननीय सदस्य इस पर व्यक्तिगत आरोपों से बचकर यदि चाहें तो बोल सकते हैं।

(12) श्री हीरालाल आर्य–ग्राम खातोली, जिला कोटा की कुछ जमीन पर आपसी विवाद होने के विषय में।

यह एक तुच्छ विषय है और इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। इसको राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

पूर्व में प्राप्त निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों को मैं स्वीकृति देने में असमर्थ हूं:-

(1) श्री बालचन्द्र आर्यवीर–गत जनवरी माह में झालावाड़ जिले में सुनेल कस्बे से एक बच्चे का अपहरण,

(2) श्रीमती विद्या पाठक–जयपुर जिले की पंचायत मांग्यावास के सरपंच द्वारा अवैध तरीके से आवासीय पट्टे बनाना,

(3) श्रीमती विद्या पाठक–जयपुर शहर में साइकिल रिक्शाओं की हालत ठीक नहीं होने के विषय में,

(4) श्रीमती उजला अरोड़ा–जयपुर शहर के बिहारी बाजार में पुनर्वास विभाग द्वारा बरामदों को बन्द करना,

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्रीमती उजला अरोड़ा—जयपुर स्थित फ्लाइंग क्लब को बंद कर देना,

(6) श्रीमती उजला अरोड़ा—नायला ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर पानी की कमी,

(7) श्री समरथलाल—मै. देव फ्लोर मिल की एक अनुसूचित जाति की महिला प्रोपराइटर को बिजली का कनेक्शन न देना,

(8) श्री भंवरलाल शर्मा—गत 9 अप्रेल को जोधपुर नगर परिषद् में कोरम के अभाव में बजट पास करना,

(9) श्री हंसराज शर्मा, व श्री चुन्नीलाल जैलिया जिला प्रशासन सवाई माधोपुर में ईंटों के भट्टे बंद करना,

(10) श्री कैलाश मेघवाल—अजमेर में नगर परिषद् द्वारा सफाई की व्यवस्था न होना,

(11) श्री महावीर प्रसाद—टोंक जिले में खेती व उद्योग तथा घरेलू कार्यों के लिये बिजली का कनेक्शन न देना,

(12) श्री मेघराज तावड़—उदयपुर जिले की केलवा तहसील में राजसमन्द के गढ़ के पास मारबल की कटाई से बस्ती को खतरा,

(13) श्री गुलाबचन्द कटारिया—उदयपुर मादड़ी औद्योगिक क्षेत्र में एक बेरोजगार इंजीनियर द्वारा लगाई गई फैक्ट्री में तालाबन्दी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

अब मैं जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारूं, कृपया समय का ध्यान रखते हुए संक्षेप में अपनी बात कहने की कृपा करें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : राज्य सरकार से कोई जानकारी नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यह जो मैंने दिये हैं पूर्व में प्राप्त स्थगन प्रस्ताव, इसमें सभी तरह के स्थगन प्रस्ताव हैं, जिनमें जानकारी आयी हुई है वे भी सम्मिलित हैं। उनकी मैं विस्तृत व्याख्या करता उसके बजाय मैंने उनको अस्वीकार करके माननीय सदस्यों की सेवा में प्रस्तुत कर दिया है, आप अपनी बात फर्मा सकते हैं।

(व्यवधान)

अब कृपया आसन के साथ प्रश्नोत्तर काल न करें पहले यह माननीय सदस्य बोल दें, उसके बाद भी जिन माननीय सदस्यों को कोई शिकायत रह जाती है वह कृपया एक-एक करके मुझे बता दें, वे भी शांति से एक साथ खड़े होंगे तो, मैं निवेदन करूंगा आप विराजें, आप कहेंगे हम बोलेंगे, उसमें समय जायेगा। मैं यह निवेदन कर दूं यदि हम थोड़ा धैर्य बरतें तो किसी माननीय सदस्य को कोई शिकायत नहीं रहेगी और 5 बजे अपन विदाई ले सकेंगे। यह मेरा निवेदन है। पहले यह बोल दें। मैं माननीय सदस्यों को अवसर दे दूंगा, एक-एक करके खड़े हो जायें।

श्री देवीसिंह भाटी : एक एक मिनट दे दें तो सब शिकायतों का समाधान हो जायेगा, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : श्री अनंग कुमार जैन ।

श्री हंसराज शर्मा (सवाई माधोपुर) : पाइंट आफ आर्डर....

श्री अध्यक्ष : अब आप पाइंट आफ आर्डर से ...

श्री हंसराज शर्मा : आसन की ओर से व्यवस्था दी हुई है....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है, आपका नाम पुकारूं उस वक्त यह बात भी कह सकते हैं ।

श्री हंसराज शर्मा : कल का है । कल जो मैंने रखा था उस वक्त आपने फर्माया था मैं पुनर्विचार करके....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अधिक कार्य है । मैंने निवेदन कर दिया, मैं कहूं दो मिनिट में कौन सा फर्क हो जायेगा । मैंने वार्ता कर ली है । मैं आपको अवसर दूंगा ।

श्री अनंग कुमार जैन । उदयपुर में खराब दूध मिल रहा है, इस बारे में । संक्षेप में ।

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन) : अध्यक्ष महोदय, पूरे उदयपुर शहर में, उदयपुर डेयरी की तरफ से दूध सप्लाई किया जाता है । यह दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति के माध्यम से दूध सप्लाई किया जाता है । अध्यक्ष महोदय, यह दूध जन-जीवन के काम में आता है लेकिन पिछले दिनों जब दूध पुलिस लाइन में पहुंचा, दो केनों के अन्दर, जब ढक्कन खोल देखा तो उसके अन्दर हजारों कीड़े कुलबिला रहे थे । इसकी फोटो भी उस वक्त की है, अध्यक्ष महोदय । यह केनों के ढक्कन हैं, उसमें दूध है और उसमें कुलबिलाते कीड़े मौजूद हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय । जब इस प्रकार का....

श्री अध्यक्ष : आपस में बातें नहीं करें माननीय सदस्य ।

श्री अनंग कुमार जैन : वहां के नागरिकों को दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ द्वारा दूध की बजाय दूध के अन्दर यह जहर पिलाया जा रहा है जिससे वहां के जन-जीवन में भारी असंतोष है । अध्यक्ष महोदय, वहां के जो चिकित्सा अधिकारी इंचार्ज हैं डेयरी के, उनसे जब इस बारे में मालूमात की तो उन्होंने यह कहा कि जब हमारे यहां से केन रवाना हुई थी उसके अन्दर कीड़े नहीं थे । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जो केनें होती हैं उसके ढक्कन इतने सख्ती से लगाये होते हैं कि उनके अन्दर कीड़े प्रवेश नहीं कर सकते । जब पुलिस लाइन में खोला गया तो उसके अन्दर यह कीड़े मिले, शिकायत की गई और राज्य सरकार के ध्यान में बात लाई गई....

श्री अध्यक्ष : मेरे ख्याल से पानी मिलाया होगा और पानी में कीड़े होंगे ।

श्री अनंग कुमार जैन : अध्यक्ष महोदय, केन खोली बाद में है । यह सारी गड़बड़ संघ के अन्दर ही हुई है उत्पादन संघ के

(श्री अनंग कुमार जैन)

अन्दर। वहीं से यह दूध पहुंच या गया है। माननीय चिकित्सा मंत्री जी को भी जब इसकी शिकायत की गई तो उस अधिकारी को बचाने के लिये उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह मांग करता हूं कि उसका इन्चार्ज जो डाक्टर है, के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि आइंदा दूध जहर के तरीके का वहां की जनता को न पिलाया जावे।

श्री अध्यक्ष : जिला सवाई माधोपुर के गांव लुहारखेड़ा में एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर प्रभावशाली लोगों द्वारा कब्जा करने के विषय में। कई माननीय सदस्यों ने यह स्थगन प्रस्ताव दिया है। उनमें से एक माननीय सदस्य, इस संबंध में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। श्री बालचन्द्र आर्य-वीर, श्री हीरालाल आर्य, श्री चुन्नीलाल।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री जन्सीराम सन आफ रामलाल बैरवा अनुसूचित जाति का है और लुहार खेड़ा तहसील टोडा भीम जिला सवाई माधोपुर का रहने वाला है। उसकी जमीन खसरा नं. 60 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69 इन खसरा नं. की कुल 2 बीघा और 6 बिस्वा जमीन पर वहां के जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जिनके नाम हैं हरजान, सरदार भेरूसिंह, रामस्वरूप, सुवदी, लोहड़ा, मल्ली गिर्राज, राजूलाल सन आफ रामहंस गूजर, राम कुम्हार, धर्मसिंह, बलवीर सिंह, बचनसिंह, नारायण, किशोरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब उस गांव के प्रभावशाली लोग हैं और बदमाश किस्म के ये व्यक्ति हैं। इन लोगों ने जबरदस्ती उस अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति की जमीन पर कब्जा कर लिया है। यही नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो खसरा नं. 206, 211, 212, 220 कुल तीन बीघा जमीन पर है। उस पर उस गरीब व्यक्ति की सरसों की, अरहर की फसल थी, उस अरहर को जबरदस्ती काटकर ले गये इस आशय की शिकायत वहां के एस. एच. ओ. थाने में जाकर दर्ज कराई। टोडाभीम के तहसीलदार को सूचना दी और एस. डी. ओ. और कलेक्टर तक उसने एप्रोच की। माननीय अध्यक्ष महोदय, एस. डी. ओ. ने आदेश दिये कि गरीब हरिजन की जमीन पर कोई नाजायज रूप से कब्जा नहीं करे लेकिन उसके बावजूद भी वे लोग उसकी जमीन पर से बेदखल तो हुए नहीं, उसकी अरहर और काटकर ले गये। यह चुनौती है प्रशासन को, राज्य सरकार को कि एक तरफ अनुसूचित जाति के हितों की बार बार दुहाई दी जाती है और दूसरी तरफ यह अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति अपनी जमीन से प्रभावशाली लोगों को बेदखल करने के लिये वहां के कलेक्टर, एस. पी. से बार बार मिलता रहा लेकिन वहां कलेक्टर उसको दुत्कार देते हैं, वहां के एस. पी. भगा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी तो अलग दुनियां है। शैडयूल्ड कास्ट के लोगों की अलग दुनिया है। ....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह व्यक्ति

(श्री हीरालाल आर्य)

परिवार सहित यहां पड़ा हुआ है और वह कहता है कि मैं बहुत दुखी हूं। अगर गांव में चला जाउंगा तो वे मेरी हत्या कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसने मुझे यह भी बताया कि उसकी पत्नी के साथ उन लोगों की बहुत बुरी निगाह है और उसके साथ उसके जीवन को नष्ट करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि टोड़ाभीम के इस अनुसूचित जाति के बैरवा जाति के गरीब व्यक्ति की सरकार रक्षा करे। उसकी जमीन को उसको दिलायें और जो असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें, मुकदमा दर्ज करायें, उनको गिरफ्तार करें और ऐसा जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं ऐसे असामाजिक तत्वों को सबक सिखायें तो कुछ लगे, नहीं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इस सरकार की उपेक्षावृत्ति है अनुसूचित जाति और जन जाति के गरीब व्यक्तियों के प्रति........

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल आर्य : बड़ा घोर अन्याय हो रहा है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि सरकार जो बड़ी बड़ी घोषणा करती है, उनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं करें उसका संरक्षण करें।

श्री अध्यक्ष : श्री दाऊ दयाल जोशी। कोटा ताप बिजली घर से राख का उड़ना।

श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, ताप विद्युत घर में जो कोयला काम में लिया जा रहा है, चिमनी का जहां तक सवाल है वह तो हिन्दुस्तान में सबसे ऊंची चिमनी है। हमें भय था कि उसके कण कोटा नगर के वातावरण को दूषित करेंगे, लेकिन केन्द्र से जो रोज कोयला ट्रेन भर कर आता है जिसमें 80 डिब्बे होते हैं, जब वे एक साथ आकर खुलते हैं तो खुलने के साथ ही धुयें का जो अम्बार बनता है वह नदी पार करके पूरी कालोनी पर छा जाता है........

श्री अध्यक्ष : पहले जब यह बन रहा था उस वक्त समस्या आपके ध्यान में नहीं थी क्या ?

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह धुयें की समस्या तो ध्यान में थी, लेकिन वहां पर कोयला उतारने के साथ जो शेड बनाना चाहिये था, जिसमें कोयला आकर इकट्ठा होता है, वह शेड नहीं बनाया। उसमें बचत के के दो फव्वारे कोयले गिरने वाले स्थान पर लगा दिये गये। वे दो फव्वारे पर्याप्त नहीं हैं। जैसे ही कोयला खाली होता है, वे दो फव्वारे चलते हैं उसमें जितना ऐरिया कवर हो सकता है, उतना कवर होता है बाकी का सारा का सारा धुआं उड़ता हुआ नदी पार करके शक्ति नगर, शास्त्री नगर और हाऊसिंग बोर्ड कालोनी इन तीनों कालोनियों के 10 हजार निवासियों के करीब साढ़े तीन हजार घरों को काला करता जा रहा है। पिछले 6 महीने पहले तक तो यह प्रोबलम नहीं थी लेकिन अब गये छः महीनों से यह प्रोबलम हुई है। आप कभी भी कोटा पधारें और इन तीनों कालोनियां, जिनके मैंने नाम दिये हैं, इन

(श्री दाऊदयाल जोशी)

के मकान आप देखेंगे, मकान काले हो गये है। मकानों की छतों पर आधा आधा इन्च कोयले के कण जमे रहते हैं। अगर भूले बिसरे कोई भी अपने कपड़े सुखा दे तो धुले हुए कपड़े सारे के सारे काले हो जाते हैं। अब गर्मी का मौसम है पहले तो 9 महीने तक तो लोगों को महसूस नहीं हुआ लेकिन अब जब गर्मी का मौसम आया लोग छत पर सोने लगे, जब उनके बिस्तर सारे के सारे काले होते नजर आये तो सारे कालोनी के लोगों ने जिलाधीश को और तत्सम्बन्धी अधिकारियों को बार बार अप्रोच किया। मैंने भी देखा। यहां विधान सभा में आने से पूर्व कालोनी के लोग मुझे ले गये थे। मैंने जिलाधीश महोदय, का ध्यान आकर्षित किया, ताप विद्युत घर के उच्च अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित कराया। मुझे दुख है कि 15-20 रोज पहले जो बात कही गई थी और अभी जब मैं तीन दिन पहले गया तो उसमें कोई अन्तर नहीं आया। मैं आपके माध्यम से शासनकर्ताओं से निवेदन करता हूं कि ताप विद्युत घर का धुंआ हम लें, राख हम लें, और सारे राजस्थान को प्रकाशित करें, कृपा करके उसके लिये कुछ अलग से राशि सुरक्षित करके और उस समस्या के निराकरण करने की कोशिश करें।

श्री अध्यक्ष : श्री बंशी लाल पटवा। सड़कों के बारे में है। इसके अलावा एक-दो विषय आपके खिलाड़ियों आदि के और हैं, उस सम्बन्ध में एक साथ ही कह दें।

(व्यवधान)

श्री हीरा लाल आर्य : अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण के बारे में मेरा भी स्थगन प्रस्ताव था। दो मिनट में निवेदन कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। समय हुआ तो दे दिया जायेगा।

श्री हीरा लाल आर्य : बाद में इजाजत दे दें।

श्री अध्यक्ष : बाद में समय रहा तो दे देंगे।

श्री बंशी लाल पटवा (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सड़कों के बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था। मेरे दो-तीन और भी स्थगन प्रस्ताव हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा नगर में अधिकांश सड़कें जर्जरित हो चुकी हैं। शहर के कुछ मुख्य बाजारों में रिपेयर तक नहीं हो रही है। भीलवाड़ा का उप नगर सांगानेर है जिसमें डामर रोड डाले वर्षों हो गये हैं. करीब 20 वर्ष हो गये उन पर कोलतार तक नहीं किया गया है और कोई पेचिंग भी नहीं किया गया है। दयनीय स्थिति यह है कि यदि कोई गर्भवती औरत तांगे में या गाड़ी में, किसी में निकल जाये तो मैं समझता हूं कि यहां गर्भपात हो जाये, इस तरह की दयनीय स्थिति आज भीलवाड़ा और उसके उपनगर में है। भीलवाड़ा नगर में म्यूनिसिपैलिटी और यू. आई. टी. ने क्या किया ? अनावश्यक खर्च कर डाले। जहां 6 इन्च की बनानी चाहिये थी वहां 9 इन्च और एक फुट की बना दी। सड़क पर सोलिंग लगा हुआ है फिर भी एक-एक फीट गिट्टी डालकर सड़कें ऊंची कर दी। कई जगह पानी भरा रह जाता है। इस तरह के

(श्री बंशीलाल पटवा)

अनावश्यक खर्चे तो कर डाले लेकिन जहां आवश्यक खर्चे है - पानी का डिसपोजल होना चाहिये, वह नहीं हुआ। सड़कें जो जर्जरित हैं वह पेचिंग करके ठीक को जानी चाहिये लेकिन नहीं करने से दयनीय स्थिति है। बरसात हो जाये तो पानी भरा रह जाता है, तो इस तरह की दयनीय स्थिति है।

इसके अतिरिक्त जो कुछ नई बस्तियां बसी हुई, हैं, कुछ एग्रीकल्चर लैंड पर हैं, कुछ यू.आई. टी. ने नई बस्तियां बसाई, कुछ म्यूनिसिपैलिटी ने बसाई इस तरह से बड़ी बस्तियां हैं -राम तलाई, माण्डलगढ़ रोड पर, नेहरू रोड पर बहुत बड़ी बस्तियां हैं, शास्त्री नगर है वहां पर आज पानी की व्यवस्था नहीं है। आज किसी व्यक्ति को जेलखाने में डाल दो तो वहां भी उसको खाना, भोजन, पानी तो देना पड़ता है लेकिन आप उनके लिये पानी की भी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। क्या आप इन सड़कों के किनारे हेन्ड पम्प नहीं लगा सकते हैं? पब्लिक टेप नहीं लगा सकते हैं? इस तरह की दुर्दशा है। गर्मी का मौसम आ चुका है इसमें आपके पेय जल का यह संकट और भी बढ़ सकता है और लोगों में हाहाकार मच सकता है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस तरह की व्यवस्था करें सड़कों की। और कुछ नहीं तो अगर उन पर तार नहीं हैं, तो डामरीकरण नहीं हो; तो कम से कम उन पर गिट्टी लगा दें। साथ ही पेयजल की समुचित व्यवस्था करें अन्यथा लोग आन्दोलित होंगे

दूसरा; मेरा खिलाड़ियों के बारे में हैं। खिलाड़ियों की दृष्टि से एशियाड गेम्स में कई खिलाड़ी हमारे खेल चुके हैं. जैसे जयपुर के गोपाल सैनी हैं और भीलवाड़ा के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त सुरेन्द्र कटारिया हैं, इसी तरह से उदयपुर के हैं....।

श्री अध्यक्ष : अपने खिलाड़ी तो स्वर्ण पदक लाये हैं।

श्री बंशी लाल पटवा : लाये हैं, अध्यक्ष महोदय, स्वर्ण पदक लाये हैं और अर्जुन पुरस्कृत भी हुए हैं। मेरा निवेदन है कि जैसे अजमेर में है उदयपुर में अमरजीत सिंह हैं, अर्जुन पुरस्कृत भीलवाड़ा में है, हमीदा उदयपुर में है। मेरा निवेदन है कि जूनियर जो खिलाड़ी है उनको तो आप प्लाट्स दें रहे हैं और जो स्वर्ण पदक विजेता हैं, एशियाड में खेले हैं, विदेशों में खेले हैं उनके लिये प्लाट्स की कोई व्यवस्था नहीं है। मान लें कि म्यूनिसिपैलिटी ने 5 रु. और 6 रु. गज रिकमन्ड किया है, तो राज्य सरकार उसको निरस्त करती है। अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर जो भी सरकार आई, जनता सरकार आई, उसने भी आश्वासन दिया, इस सरकार ने भी आश्वासन दिया और मुख्य मंत्री श्री शिवचरण जी माथुर ने उनके लिए रिकमन्ड किया। लेकिन आज गोपाल सैनी है जो एशियाड गेम्स में सबसे प्रमुख था और भी कई सीनियर गेम्स खेले हैं, अर्जुन पुरस्कार में बास्केटबाल में सुरेन्द्र कटारिया हैं। तो मेरा कहना है कि सरकार की इस बारे में कोई नीति नहीं है। हम घोषणायें करते हैं कि हम खिलाड़ियों को राहत देंगे लेकिन आज तक राहत नहीं दी गई है। आज गेम्स की दृष्टि से कितनी मुश्किल से खिलाड़ी तैयार होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके सामने कितनी दिक्कतें आती हैं। गरीब परिवार से ऊपर

(श्री बंशीलाल पटवा)

उठकर वे आगे बढ़ते हैं। यदि हम उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूं यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार एक ऐसी निश्चित नीति तय करे पालिसी तय करे जिसके आधार पर सभी नगरों में चाहे वह नगर परिषद है चाहे यू.आई.टी. है सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर भूमि को कनवर्ट करके उनको आवासीय भू-खण्ड सस्ती दर पर दे करके उनको बसाने का प्रयास करें।

दूसरा मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वाटर वर्क्स के बारे में है

(व्यवधान)

पिलेसर का है शायद, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, पिलेसर ग्राम में दयनीय स्थिति यह है; परिवार नियोजन होना चाहिये, इस बात के हम खिलाफ नहीं हैं, यह कल्याणकारी कार्यक्रम है लेकिन भीलवाड़ा जिले में पिलेसर ग्राम पंचायत है जहां के मैं आपको नामजद बताऊं मांगू और धन्ना, ये दो कुंवारे लड़के हैं 25-25 वर्ष के लड़के हैं, इनके सरपंच के मार्फत जोर जबरदस्ती उनके मना करने पर भी आपरेशन कर दिये। उन्होंने शिकायत की है ....

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : यह गलत नहीं है, जांच करवा लें आप। यह गलत हो, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आप जांच करा लें। कलेक्टर ने इनको अजमेर भेजा है....

(व्यवधान)

मैं खुद समर्थन कर रहा हूं कि यह कल्याणकारी कार्यक्रम है.......

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, दो के इस तरह आपरेशन किये गये हैं, जो कुंवारे हैं.......

(व्यवधान)

श्री मोहनलाल मोदी : राजस्थान की जनता समझ चुकी है आपके इन प्रचारों के बहकावे में अब नहीं आने वाली है। आपने पहले भी इस तरह के प्रचार किये थे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उनको अपनी बात कहने दें। माननीय सदस्य, बैठ जायें। शान्त रहें।

श्री बंशीलाल पटवा : मान्यवर अध्यक्ष महोदय, मैं खुद समर्थक हूं कि यह कल्याणकारी कार्यक्रम है,

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में यह बात कह दें।

माननीय सदस्य।

श्री वंशीलाल पटवा : लेकिन जो विधवा है, उसका आपरेशन कर दिया । एक रतना भील है जिसका खुद का आपरेशन हुआ, है, उसका कर दिया । मेरा निवेदन है कि कल्याणकारी कार्यक्रम है लेकिन इसको सही ढंग से लागू किया जाय। जो ज्यादतियां हुई उसके बारे में सरकार जांच करे और जिस डाक्टर व सरपंच ने गलत काम किया है, उनको सजा दें।

अन्त में वाटर वर्क्स के बारे में संक्षेप में अर्ज कर दूं कि भीलवाड़ा नगर में 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक पानी के टैंक में एक बच्चे की लाश टाट में लिपटी हुई पड़ी रही। लोगों ने ध्यान आकर्षित किया और कहा कि भाई इसको निकालो। लेकिन वाटर वर्क्स के अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और सारे शहर को गन्दा पानी पिलाते रहे।

वाटर वर्क्स के टैंक में कभी कुत्ते गिर जाते हैं मर जाते हैं, उनको नहीं निकाला जाता। नहरसे जो पानी वाटर वर्क्स के टैंकों में लाया जाता है, उस नहर में यदि कोई गधा मरा हुआ हो, तो उसको नहीं निकालते हैं, ऐसी दयनीय स्थिति है। एक तो पानी सप्लाई नहीं करते हैं और सप्लाई करते हैं तो इस तरह से सड़ा गला और गंदा पानी सप्लाई करते हैं। पानी की पूरी सफाई नहीं करते हैं। बच्चा मरा हुआ पड़ा रहा, लोग ध्यान आकर्षित करते रहे लेकिन उसके बाद भी वाटर वर्क्स के अधिकारियों ने नहीं निकाला। तो मान्यवर अध्यक्ष महोदय, बड़ा सीरियस मामला है, यह बड़ा गंभीर मामला है इस तरह से गंदा पानी हमको पिलाते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि लोग मरेंगे, बीमार होंगे। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मेरा यह निवेदन है, मैंने 3-4 बातों पर ध्यान आकर्षित किया कि सरकार सजग होकर कार्यवाही करे नहीं तो लोग आपको माफ नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी। सीकर में पानी व बिजली की कमी के सम्बन्ध में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज से चार दिन पहले भी मैंने आपसे प्रार्थना करके 295 के अन्तर्गत सीकर में पानी की स्थिति के बारे में प्रश्न उठाया था। अध्यक्ष महोदय, आज 7 दिन से सीकर नगर में हालत है, 7 दिन में सीकर नगर में सिर्फ दो बार 15-15 मिनिट पानी दिया गया है अध्यक्ष महोदय, और पिछले 3 दिन से वाटर वर्क्स ने एक भी बूंद पानी की एक लाख 25 हजार के शहर में सप्लाई नहीं की है। जब वहां के नागरिक मिलकर जिलाधीश के पास और वाटर वर्क्स के एक्स. ईयन. के पास गये तो उन्होंने यह कहा कि हमको बिजली नहीं मिल रही है। बिजली नहीं मिलने के कारण से हम पानी नहीं दे रहे हैं और अध्यक्ष महोदय, आज सुबह मैंने अपने आर. एस. ई. बी. के चेयरमैन को फोन किया कि इस कारण से पानी नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने मुझे यह जवाब दिया कि हमने वाटर वर्क्स के लिए बिजली की पूरी व्यवस्था कर रखी है। अध्यक्ष महोदय, आज हालत यह है कि सीकर नगर में मौसम विभाग के अनुसार इस समय सबसे भयंकर गर्मी सीकर शहर में पड़ रही है. शादियों का मौसम है और विद्यार्थियों की परीक्षायें चल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शालाओं, ईमामुल मिशन स्कूल और 2 शालाओं ने पानी की कमी होने के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कारण कल प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की परीक्षायें नहीं ली गई। अध्यक्ष महोदय, कल पानी की एक बाल्टी के लिए दो दो रुपये में सीकर में पानी की एक एक बाल्टी मिली और एक एक टेंकर जो गांव से भर-भर कर आये 50-50 रुपये में बिके। अध्यक्ष महोदय, कल की, परसों की पूरी रात और कल की पूरी रात सीकर नगर में सिर्फ दो मिनट बिजली दी गयी। "सीकर नगर में आज पानी की यह हालत है अध्यक्ष महोदय, कि अगर पानी नहीं दिया गया तो लोगों की पानी के कारण से मौत भी हो सकती है, अध्यक्ष महोदय। मैंने जब 4 दिन पहले सदन में यह मामला उठाया था तो सरकार से निवेदन किया था कि इसकी व्यवस्था की जाय, सरकार ने इसकी व्यवस्था नहीं की। मुझे बहुत दुख है, अध्यक्ष महोदय, कि इस भयंकर गर्मी में 7 दिन तक कोई भी जिम्मेदार सरकार नागरिकों के जीवन के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ कर सकती है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पानी का एक एक लोटा, एक एक बाल्टी बिक रहा है। 80 परसेन्ट लोगों ने कल स्नान नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मन्दिरों में पूजा बिना स्नान के हुई और मस्जिदों में लोग बाग वजू करने के लिए गये तो उनको हाथ धोने के लिए पानी प्राप्त नहीं हुआ, यह बहुत शर्म की बात है। मैं निवेदन करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा कि सरकार इसकी तुरन्त व्यवस्था करे और अगर सरकार ने व्यवस्था नहीं की तो आज सदन के स्थगित होने के बाद मैं कल सीकर जाऊंगा और सीकर जाकर पानी की व्यवस्था के लिए चाहे आमरण अनशन करना पड़े, चाहे धरना देना पड़े, चाहे सीकर बन्द का आह्वान करना पड़े, मैं करूंगा। यह ज्यादती किसी भी प्रकार से बर्दाश्त करने लायक नहीं है और सरकार की नाकाबिलियत है, अकर्मण्यता है, तो इस समस्या का इन्होंने इस प्रकार से समाधान नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह हकीकत है। सीकर से हमारा ताल्लुक है। हम सीकर में रहते हैं। हमारा जिला हैडक्वाटर है। सवा लाख की आबादी है। सवा लाख की आबादी बिजली के बिना हमारी फसल तो बर्बाद हो ही गयी पर आज हालत यह हो गयी कि हमारे हजारों बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। पानी नहीं पी सकते विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे सकते। लोगों को लैट्रीन जाने तक को पानी नहीं पीने की बात तो दूर की बात है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि या तो पानी और बिजली की व्यवस्था करे, नहीं तो कल हम सीकर को ...

श्री अध्यक्ष : अपने यहां से आज शाम को छुट्टी है। कल आप

श्री त्रिलोकसिंह : हम सीकर में मैदान में आयेंगे, सड़क पर आयेंगे और हम देखेंगे कि क्या हालत होती है। यह हालात नाक बिले बर्दाश्त है। पानी और बिजली की हालत, यह जितने सरकारी अधिकारी हैं। × × × इसलिए बिजली नहीं मिल रही है। बड़े बड़े पैसे वालों को यहां बिजली दे सकते हैं ....

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री अध्यक्ष : ××× शब्द अंकित नहीं हों।

श्री त्रिलोकसिंह : और आम लोग परेशान होते हैं। आम लोग परेशान होते हैं आम लोगों को बिजली और पानी नहीं मिलता। यह क्या व्यवस्था है, यह क्या सरकार है ? क्या अंग्रेजों के टाईम पर भी लोगों को जो जीवन की ....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायें।

श्री त्रिलोकसिंह : बहुत जरूरी चीज है। पानी के बिना तो आदमी जिन्दा नहीं रह सकता।........

श्री अध्यक्ष : आपकी पीड़ा को हम समझ गये। माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायें।

श्री त्रिलोकसिंह : अगर खाना भी बन्द कर दें तो पानी के बिना जिन्दा कैसे रहेंगे, आप बतायें ? बहुत बुरी हालत है। हम मरने नहीं देंगे। हम इन हालात को बर्दाश्त नहीं करेंगे फिर कहोगे कि हमारा ला एण्ड आर्डर भले ही आग लग जाय, ला एण्ड आर्डर में। लोगों को जिन्दा रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : डा. उजला अरोड़ा। आपके कई स्थगन प्रस्ताव हैं। मैं याद दिला दूं आपको। बस्सी नगरपालिका के बारे में........

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। जयपुर शहर में बिहारी बाजार के बारे में। फ्लाइंग क्लब के बारे में। आर्डर प्लीज। नायला ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर के बारे में कृपया आप फ्लांइग क्लब से शुरू करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पहले मैं बस्सी से शुरू करना चाह रही हूं।

श्री अध्यक्ष : कौन सी बस्ती ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : बस्सी से।

एक माननीन सदस्य : बस्सी से नायला आयेंगी फिर जयपुर आयेंगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं फिर, सांगानेर आयेंगी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे को चेंज करने की आवश्यकता नहीं चाहे आप ही आ जायें।

अध्यक्ष महोदय, बस्सी नगरपालिका में चुनाव हुए। जनतांत्रिक तरीके से हुए और वहां अध्यक्ष चुने गये। दुख की बात है कि वह अपना काम जिस तरीके से उन्हें करना चाहिये वह नहीं कर रहे हैं उन्होंने पिछले दिनों अम्बेडकर पार्क के लिए 3006 रुपये की मिट्टी का ठेका लिया और अपने रिश्तेदारों को दिया और अध्यक्ष महोदय, दुख की बात यह है कि वहां अम्बेडकर पार्क ही नहीं। और किसी नाम से कोई पार्क भी नहीं है। वह 3006 रुपये कौन से मिट्टी के ठेके में गये। मेरे को समझ में नहीं आता।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

दूसरा, मैं कहना चाहूंगी गंगाधाम सिंधी वाले और कंजरों के मोहल्ले के लिए। उन्होंने मिट्टी का ठेका लिया छः हजार कुछ रुपये का और 6000 कुछ रुपये का उसमें केवल 10 आदमी बसाये गये हैं, अध्यक्ष महोदय, और उन्होंने ठेके का क्या किया, क्या नहीं किया मिट्टी तो कहीं डाली ही नहीं वह रुपया सब उनकी जेब में गया है।

तीसरे, मैं उनके कुछ उदाहरण बताना चाहूंगी। एक श्मशान घाट की जमीन पर उन्होंने कहा मिट्टी डालनी है, स्वीकृति ले ली और डाली नहीं। जो श्मशान की जगह है वह काफी ऊंची है, वहां मिट्टी नहीं डाली। वह पैसा भी गायब कर लिया। चौथा, उन्होंने कहा कि कचरा उठाने के लिये और मिट्टी डालने के लिए ठेके दिये वह अपने भाई को दे दिये और वह वहां के वाहनों से कहां ले गये वहां के वाहनों से मिट्टी ले गये और जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उन्होंने तो काम किया और इसमें भी, अध्यक्ष महोदय कई हजार का घोटाला किया है। पार्क के कामों में 10000 के करीब का घोटाला उन्होंने किया। अध्यक्ष महोदय, चुंगी नाके में घोटाले में उनकी शिकायत की गयी। उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनके खिलाफ जो कार्यवाही हो गयी श्रीमती लतामोहन बगरहट्टा ने इसकी जांच करके रिपोर्ट दी, प्रमिला सुराणा ने इसकी रिपोर्ट दी लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा रही है। लोग कहते हैं कैसे चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जिनके खिलाफ शिकायत हैं, जिनके खिलाफ रिपोर्ट सरकार के पास है और फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इससे जनतांत्रिक तरीके से चुनकर आने वालों के हिसाब से छवि गिरती है। मैं समझती हूं यह अच्छा नहीं है। राज्य सरकार ऐसे गलत आदमी के खिलाफ जिसके पास सारा रिकोर्ड है, रिपोर्ट है उसके खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे। जिससे चुने हुए जनप्रतिनिधियों के लोगों को आदर भावना बकाया रह जाय। मैं एक एक मिनट दोनों मामलों में बात करूंगी।

बिहारी बाजार हमारे यहां वाहनों को खड़े करने के लिए यातायात समिति और नगरपरिषद, नगरपालिका, जे. डी. ए. तीनों चारों काम करते हैं और आये दिन कोई न कोई वाही तबाही करते हैं। कभी किसी को मारते हैं, सड़क से उठाते हैं, कुछ करते हैं लेकिन पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं करते। बिहारी बाजार जब बना उसमें पार्किंग की व्यवस्था के लिए बरामदे रखे गये थे, जिसमें कार खड़ी करलें, साईकिल खड़ी करलें स्कूटर खड़े कर लें। इस तरह के लगभग 15 बरामदे थे और पिछले दिनों उन्होंने उन बरामदों में जो पार्किंग की व्यवस्था के लिए थे, शटर चढ़ाकर किराये पर चढ़ा दिये गये। बड़े दुख की बात है एक बाजार में जो व्यवस्था थी उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब यातायात के लिए लोग क्या करेंगे? फिर कहेंगे साहब पार्किंग की व्यवस्था नहीं फिर किस जगह पार्किंग करेंगे? क्या दुकानें खाली कराकर पार्किंग करेंगे? अध्यक्ष महोदय, यह बरामदे पूरे खाली होने चाहिए और पार्किंग की व्यवस्था के लिए रखने चाहिए। यह मैं आपके माध्यम से जो भी मन्त्री महोदय बैठे हैं वे ध्यान से सुन लें लिखलें और उनसे खाली करालें यह मैं उनसे आग्रह करूंगी।

(श्रीमती उज्वला अरोड़ा)

इसी तरह मैं कहना चाहूंगी, नायला ग्राम में जल योजना लागू है, उसकी टंकी टूटे एक महीना हो गया। टंकी टूटने के कारण जितना उसका भराव है, उसका पानी आधा घंटा भी नहीं चलता, पानी के लिए लोग तरसते हैं। जलदाय विभाग से मैंने बात की, वहां के लोगों का शिष्टमण्डल मिला, पानी के लिए लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है नायला में। बड़ी परेशानी है। अध्यक्ष महोदय, जब जलदाय योजना लागू हो जाती है तो कुओं का काम नहीं रहता तो कुएं गंदे हो जाते हैं। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि नायला की टंकी को अविलम्ब सुधरवाया जाय। टंकी टूटी हुई होने की वजह से उसमें जो गंदगी आ गई है उसकी भी तत्काल सफाई करवाई जाय।

अध्यक्ष महोदय, अब जो मेरा मुख्य विषय फ्लाइंग क्लब का है, उस पर आना चाहूंगी मैं बड़ी जल्दी जल्दी मेरी बात समाप्त कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष : फ्लाइंग क्लब ही कहिये ना, ताकि सब समझ सकें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह सिविल एवियेशन माना है, आप यह देखते हैं कि हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब आगे जा रहे हैं दुख की बात है कि राजस्थान सरकार ने पिछले चार सालों से यह जो तीन तरह की सेवाएं थीं हमारी उड्डयन शाला की, ग्लाइडिंग उड़नशाला की, पावर फ्लाइंग स्टेट, बी. आई पी. और ग्लाइडिंग, तीनों का सत्यानाश करके रख दिया। इन्हें शर्म आनी चाहिए। इनकी गलतियों से हमारे दो हवाई जहाज जो सिविल इंजीनियरिंग के थे, केन्द्रीय सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, वापस मंगा लिये। कितने अक्षम हैं ये लोग। मैं कहना चाहूंगी, इनको सरकार के आने के बाद में एक मिस्टर खन्ना बुलाये गये, वे क्वालिफाइड नहीं थे, उनको वी. आई. पी. के लिये बुलाया गया। प्रिंसिपल बनाया गया। उन्होंने यहीं पर योग्यता प्राप्त की। उनका केवल दो साल का समय था, अध्यक्ष महोदय, उस दो साल का समय समाप्त होने से पहले इन्होंने मिस्टर सी. पी. गर्ग को बुला लिया। इन्होंने यह कहा कि अब ये काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नाम लेकर नहीं, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अच्छा, अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेऊंगी।

श्री अध्यक्ष : मुख्य विषय जिसकी चर्चा आपने मुझसे की थी, मैंने अनुमति दी थी वह तो आप विषय ला नहीं रही हैं, अन्य विषय ला रही हैं। यह बतायें कि यह फ्लाइंग क्लब का बन्द होना, पावर फ्लाइंग, उससे क्या नुकसान है जनता को, यह समझायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, उससे सिविल एविएशन के जो छात्र हैं उनका शिक्षण प्रशिक्षण बन्द हो गया। 45 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने हरियाणा में जा करके पंजाब में जाकर के और मध्य प्रदेश में जाकर के अपनी फ्लाइंग पूरी करने की कोशिश की पर वह कर नहीं पा रहे हैं, उनके यहां समय नहीं है, वह अपने छात्रों को समय देना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : हवाई जहाज उड़ाना सीखें नहीं सीखें, अपने क्या फर्क पड़ता है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं समझती हूं, जितना फ्लाइंग का स्कोप बढ़ रहा है उसको देखते हुए हम यह देखते है कि कोई हवाई जहाज खाली नहीं जाता, एक बात और है, आप आई. पी. एस. को ले लें, आई. ए. एस. को ले लें उनके वेतन से ज्यादा इनकी सेलरी होती है। लोगों का आकर्षण बना है आकाश की उड़ान के प्रति। इनको समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। मैं कहना चाहूंगी, इन्होंने यहां पर दो साल के लिये जिनको डेपुटेशन पर बुलाया, डेपुटेशन पर बुलाने के बाद उनका डेपुटेशन नहीं बढ़ाया। एक अन्य चीफ इंजीनियर को बुला लिया. वे भी अनट्रेण्ड थे। उनको भी ट्रेनिंग दिलायी। मिस्टर गर्ग को भी ट्रेनिंग दिलायी। गर्ग की ट्रेनिंग पर डेढ़ लाख रुपये से भी अधिक खर्च किया, उनको वेतन दिया, भत्ते दिये किन्तु उनको एक भी वी. आई. पी. फ्लाइट नहीं दी। उन्होंने दस महीने बाद अपना लाइसेंस प्राप्त किया ताकि उड़ान वे ले सकें। उड़ान उनको दी नहीं। उनको उड़ान के रिन्युअल करने के लिये दस फ्लाइट 25,000 हजार रुपये में दी। वह भी अन्य जहाज पर दी। वी.आई. पी. फ्लाइट में नहीं दी, अध्यक्ष महोदय, एक अन्य व्यक्ति वर्मा जी, हैं जो पावर फ्लाइंग का पुराने 8 साल से काम कर रहे हैं, यहां पर लोगों को सिखा रहे हैं। उन्होंने रिकार्ड फ्लाइंग देने की कोशिश की है, उनकी बजाय अब एक नए मिस्टर महन्ता, जो अनक्वालिफाइड हैं, उनको और बुला लिया गया, यह तीनों तरह की सेवाएं विध्वंस करके रख दी गई हैं, अध्यक्ष महोदय, यहां पर लाखों रुपये नहीं करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, समाप्त कर रही हूं,

करोड़ों रुपये खर्च किया जा रहा है वह किस लिए किया जा रहा है? हमारा स्टेट एक एयर किंग नाम का जहाज लेना चाह रहा है, उसमें यह सोचते हैं कि केवल खन्ना ही सलाह दे सकते हैं। खन्ना के अलावा और कोई सलाहकार हो नहीं सकते। अगर खन्ना को सलाहकार रखना है तो केवल उनको रखें, फिर अन्य अन्य....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये ......

श्रीमती उजला अरोड़ा : चीफ इंजीनियर को क्यों बुलाते हैं? मैं कहती हूं स्टेट पायलेट्स को क्यों यहां पर नियुक्ति देते हैं, यह मैं कहना चाहती हूं ....

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं समाप्त कर रही हूं। स्टेट हवाई जहाज खरीदे उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे राज्य के पैसे से यहां से लोग सीख सीख कर जा रहे हैं उनको छोड़ देते हैं और एक एक महीना इनका समय बढ़वा लेते हैं, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तीनों तरह की सेवाएं बन्द करके रख दीं। मैं राज्य

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि निरीक्षण करके इन सेवाओं को सुधारें।

श्री अध्यक्ष : सीधा सादा आपका प्रश्न था, सीधा सादा सा था कि अपने यहां के पायलेट ट्रेण्ड नहीं हो रहे हैं इसलिये वे सिविल एवियेशन में आई. ए. सी. या एयर इंडिया इंटरनेशनल में जा ही नहीं सकेंगे। नागरिक उड्डयन बढ़ रहा है। यह बात तो आप कह नहीं पायी। जो चर्चा हुई, आपने जो कह दिया, बहुत अच्छा है। धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाह रही थी इनके कारणों से बिगड़ी है यह सारी व्यवस्था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जिन कारणों से बिगड़ी उनका ये उत्तर दें। अपना दृष्टिपात करना था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, अब स्थान ग्रहण कीजिये। श्री हरीश शर्मा। मैंने व्यवस्था दी है इसमें कुछ पंचायतों में डिप्टी रेंजर द्वारा जंगलों की कटाई। इसे आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा है। माननीय सदस्य, व्यक्तिगत आरोपों से बच कर कुछ इस सम्बन्ध में कहना चाहें तो कह सकते हैं।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी) : अध्यक्ष महोदय मेरा व्यक्तिगत आरोपों में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसमें न कोई आरोपों का सवाल है। मेरे इस क्षेत्र की आठों ग्राम पंचायत का जो पूरा क्षेत्र है माननीय वन मंत्रीजी वहां पधारे हुए थे। घना जंगल का क्षेत्र है, वहां दरा गेम सैंक्चुरी भी है, किन्तु आज दुर्भाग्य है हमारे ग्रामवासियों का कि वहां के वन अधिकारियों ने मिल कर रात दिन उन जंगलों को कटा रहे हैं। शिकायत की। सी. एफ. कोटा को शिकायत की, मंत्रीजी को की, शिकायतों का परिणाम कुछ भी नहीं आया। वहां ग्रामवासियों का एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन करके उन्होंने एक रसोई की, रसोई करने के लिए डिप्टी रेंजर से मिले। डिप्टी रेंजर ने उनसे कहा, देखो भाई, हर गाड़ी के लिये दो सौ रुपये देते जाओ और लकड़ी ले जाओ। कोई मैं डर नहीं रहा हूं। उन्होंने दो सौ रुपये में बात पक्की कर दी, साहब। यह बिल्कुल सत्य घटना है। वन मंत्री जी, जांच के जो मुख्य कारण हैं उनके सम्बन्ध में भी सुन लो। दो सौ रुपये में बात हो गई पक्की। गाड़ी ला रहे थे, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एक हजार रुपये रख कर गाड़ी और बैल उतार लिये। यह और किया। अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे मुझे कारण एक लगता है, जो बहुत गंभीर कारण है। आखिर यह सब बातें क्यों होती हैं ? मैं जब इसके बारे में दो दिन से सोच विचार करता रहा तो एक ही निर्णय मेरे सामने आया कि अधिकतर राजनैतिक दलों के नेताओं ने इस देश को तीन बातें दी हैं। बिना कांटे की दारू बेचते हैं, दूसरा कालेधन को संरक्षण, रिश्वत को संरक्षण और उससे चुनाव लड़ना और बालिग मतगणना। तीसरी बात यह दी है, युवकों का मधुर ढंग से नैतिक और चारित्रिक पतन, ताकि यहां

(श्री हरीश शर्मा)

का नवयुवक स्वार्थ के पीछे पागल होकर भागता रहे भागता ही रहे। वह अन्याय के खिलाफ लड़े नहीं, अनैतिकता के खिलाफ लड़ नहीं सकता। आज यह स्थिति हो गई कि जिस जंगल की रक्षा के लिये लोग खड़े हुए थे, जो गांव के लोग हैं, वह तो वहां खड़े रहते हैं उनको तो कुछ मिलता नहीं। अध्यक्ष महोदय, शिकायत के बाद यहां का अधिकारी जांच करने गया। वह खुद भी रिश्वत लेकर वहां से वापस आ गया। परिणाम इतना गंभीर होता जा रहा है, सारा अभयारण्य खत्म हो गया। वहां वन्य जानवर नहीं रहे। उन वनों का हाल जानकर आपको आश्चर्य होगा, वहां के बाड़ों से तार, खम्भे और जो चौकियां बनी हुई हैं उनके पत्थर, किवाड़ सब उतार कर बाहर बाजार में ले जाकर बेच दिये। इस बारे में मैंने पहले भी वन मंत्री जी से कहा है, यह सब कुछ हो रहा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उन कर्मचारियों के बारे में कुछ नहीं किया जाता। मुझे लगता है कि यह उनके खिलाफ कार्यवाही करना नहीं चाहते। जहां हर जगह बाजार हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आज एक बात याद आ गई,

"जिन्दगी और बता तेरा इरादा क्या है
मैंने मजिल को तलाशा था मुझे बाजार मिले।"

यहां हर जगह बाजार ही बाजार हैं। इंटरव्यू में बैठो तो रिश्वत, कोई शिकायत करने जाओ प्रार्थना लेकर जाओ तो रिश्वत। बिना रिश्वत के कोई काम करने को तैयार नहीं है। कितना ही चोर आदमी क्यों न हो रिश्वत दो और सारा मामला दब जायेगा। जो सीतावाड़ी का वन अभयारण्य था वहां आज पेड़ नहीं मिलते। मैदान खाली पड़े हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हो? खाली लकड़ी है उन जंगलों में। वहां आपको एक वन्य जीव नहीं मिलेगा। इस सारी स्थिति में मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, आप गांव वालों पर रोक मत लगाइये। माननीय अध्यक्ष महोदय, जंगल कटने की वजह से गांव वालों को खाना नहीं मिल रहा है। गरीब जाति के लोग जो एक एक मोडी काट कर बेचते थे कोटा में, उनका बिकना बन्द हो गया है। परिणामस्वरूप उनके छोरे छोरी भूखे मरने लगे हैं। ये जाकर उनको उपदेश देते हैं तो मुझे नीरज की पंक्तियां याद आती हैं, इस बारे में, मैं आपको कह देना चाहता हूं यही होगा,

"तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है,
बाग के बाग को वीरान कर देती है,
भूखे पेट को देश भक्ति सिखाने वालों,
भूख इन्सान को गद्दार बना देती है।"

यही होगा। उनको फिर आप कितने उपदेश दे दें, कितना ही उनको समझायें, वह आपकी बात समझ नहीं पायेंगे। उनमें जब गद्दारी की भावना आ जायेगी तो वह जंगल को तहस नहस कर देंगे, जंगल को ही नहीं वह आपको भी तहस नहस कर देंगे।

(1.00 म. प.)

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्य।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आपका कोई विषय नहीं है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, चिपको आन्दोलन के बारे में ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

श्री देवीसिंह भाटी : वन कट रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय........

श्री अध्यक्ष : बहुत बड़ा विषय है, वन की मांग आये तब... —

श्री देवीसिंह भाटी : आपसे मांग कर रहा हूं, आपकी ही जाति के थे, खेजड़ली के लिए शहीदों ने बलिदान दिए... ....

श्री अध्यक्ष : अन्य किसी....

(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : वन बुरी तरह से कट रहे हैं। बरबाद हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बिना विषय के बोल रहे हैं, माननीय सदस्य, कृपया बैठ जावें। अंकित न हो।

श्री देवीसिंह भाटी : × × ×

श्री अध्यक्ष : श्री बालचन्द्र आर्यवीर, सुनैल कस्बे से एक बच्चे का अपहरण।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनेल झालावाड़ जिले में एक कस्बा है वहां पर दिनांक 9 और 24 जनवरी को बच्चों का अपहरण किया। वहां पर दाऊदी बोहरा समाज रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 9 तारीख को एक बच्चे का अपहरण हुआ। रिपोर्ट कराने गये, अध्यक्ष महोदय, तो रिपोर्ट लिखने से मना किया। लेकिन उसके बाद जब कुछ प्रभावशाली लोगों ने जाकर कहा कि यह रिपोर्ट तो लिखो तब रिपोर्ट लिखी। उसके बाद पुनः मैं गया 10-11 तारीख को। मैंने कहा कि जब यह अपहरण हुआ है तो आपने इसकी जांच क्यों नहीं की ? अभी तक क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं। पुनः 24 तारीख को इसी प्रकार बच्चे के अपहरण की दूसरी घटना हुई। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर पुलिस विभाग इतना निष्क्रिय और ++ + है, अध्यक्ष महोदय, इसी को लेकर के पता नहीं किसी ने आगजनी की, बोहरा समाज मुसलमानों की दुकानों में आग लगा दी... ....

श्री अध्यक्ष : बच्चों के अपहरण के बारे में है। माननीय सदस्य विवादग्रस्त विषयों से बचें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : इसी से संबंधित है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कहना पड़ेगा।

आगजनी पता नहीं किसी ने की। पुलिस अपनी निष्क्रियता छिपाने के लिये 27 हिन्दू समाज के प्रतिष्ठित लोगों, निरपराध लोगों पर पूछताछ के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय,

---

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+ + + अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

Page No. 83

(83)

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

फर्जी केस लगा दिये गये। उनको 15-20 दिन तक बन्द कर दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय। वहां आज भी तनाव है। आज भी दो संप्रदायों में तनाव बना हुआ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां विधि मंत्री और वित्त मंत्री गये थे.......

श्री अध्यक्ष : आर्डर। माननीय सदस्य, विषय से ना हटें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : इन्होंने हिन्दुओं को +++ धमकियां दी हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिन्दु आपकी +++ धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आपने एक तरफ की बात की......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर, विषय से हटते जा रहे हैं। आर्डर। अंकित न हो।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : ×××

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइये, माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : ×××

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसको निकाला जाना चाहिये। यह दूसरी बात यहां पर कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैंने अंकित नहीं करने को कह दिया है।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : ×××

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह विषय था ही नहीं, एक अपहरण का विषय था।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, अव्यवस्था न फैलावें। अंकित न हो।

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री दाऊ दयाल जोशी : ×××

श्री हरीश शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर। अंकित नहीं हो रहा है। कार्यवाही थोपें नहीं माननीय सदस्य। श्रीमती विद्या पाठक।

श्री हीरालाल आर्य : ×××

श्री दाऊ दयाल जोशी : ×××

श्री हरीश शर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : समाप्त हुआ, माननीय सदस्य। आर्डर प्लीज।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मेरी बात अभी खतम नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं, माननीय सदस्य। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं अंकित नहीं हो।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : ×××

+++ माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । विवाद-ग्रस्त बातें ला रहे हैं विषय से हट कर के । कृपया स्थान ग्रहण कीजिये । पर्याप्त समय था, आप किसी के बारे में, किसी विषय के बारे में कह सकते थे लेकिन केवल उपयुक्त समय पर कह सकते हैं । जब आपके जी में आये उस वक्त चाहे जो बात, चाहे जो विषय सदन के समक्ष ले आयें ।

(व्यवधान)

आर्डर । बैठ जायें । अंकित न हो ।

श्री अनंग कुमार जैन : × × ×

श्री अध्यक्ष : यह कोई विषय नहीं है, बच्चों के अपहरण के सम्बन्ध में था । आर्डर प्लीज ।

श्री अनंग कुमार जैन : उसी घटना से सम्बंधित है, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अध्यक्ष : सम्बधित तो उससे कई हो जाते हैं । आर्डर ।

श्री अहमद बक्श सिंधी (विधि मन्त्री) : कोई बच्चे का अपहरण हुआ ही नहीं । यह बिल्कुल + + + कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : + + +
अंकित नहीं हो ।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद : × × ×

श्री अनंग कुमार जैन : × × ×

श्री बाल चन्द्र आर्यवीर : × × ×

श्री महावीर प्रसाद : × × ×

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है । कृपया समय न लें ।

श्रीमती विद्या पाठक, आपके विषय हैं मांगियावास सरपंच के बारे में, साइकिल रिक्शाओं के बारे में जयपुर सिटी में ।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज । श्रीमती विद्या पाठक....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : एक मिनिट । अध्यक्ष महोदय, विधि मन्त्री जी ने क्या कहा वह हमने सुना नहीं ।

श्री अध्यक्ष : मैंने अंकित नहीं होने के आदेश... ....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उनका भी हो गया न ?

श्री अध्यक्ष : सबका अंकित नहीं हो और बच गया हो तो और मुझे अधिकार है एक्सपंज करने का ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यही चाहता था, उनका भी अंकित नहीं हो ।

श्री अध्यक्ष : नहीं हुआ ।

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।
+ + + शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गए ।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में यातायात व्यवस्था बहुत असंतोषजनक है और खराब है। आम आदमी के लिये साइकिल रिक्शा एक सबसे सस्ता और सुलभ साधन है जिसके माध्यम से अपना आवागमन जयपुर के नागरिक जारी रख सकता है परन्तु अध्यक्ष महोदय जयपुर के रिक्शे सरकार को जानकारी की जरूरत ही नहीं किसी ने देखे हैं तो वह स्वयं यह बता सकता है कि जयपुर के रिक्शों की क्या हालत है। सारे, लगभग 98 प्रतिशत रिक्शे टूटे-फूटे हैं। उनकी गद्दियों की जूट बाहर निकल रही है, स्प्रिंग टूटे हुए हैं, फुटबोर्ड सारे ऐसे आधे लटके हुए हैं कि कई बार महिलाएं और बच्चे बैठते हैं तो उनके गिरने का पूरा अन्देशा रहता है। इसी तरह से एक तरफ को टेढ़े रिक्शे हैं। यह सारे रिक्शे म्युनिसिपैलिटी से पास किये जाते हैं अध्यक्ष महोदय, अधिकांश रिक्शों में हुड फटे हुए हैं या अधिकांश में हैं ही नहीं। मात्र लकड़ी के फ्रेम होते हैं। इसकी वजह से मरीज लोग जायं, स्कूलों को जाने वाले बच्चे हैं उन लोगों को सर्दी गर्मी, बरसात सारे मौसम की मार सहते हुए जाना पड़ता है। अधिकांश रिक्शे वालों को न तो जयपुर की ज्योग्राफी मालूम है, न रास्ते मालूम हैं रूल आफ दी रोड्स भी नहीं मालूम। इशारा एक तरफ करते हैं और रिक्शा दूसरी तरफ मोड़ते हैं।

हमारे माननीय राज्यपाल महोदय तक ने इस विषय में चिंता व्यक्त की है कि साइकिल रिक्शा बच्चों को ओवर लोड भर कर, छोटे छोटे बच्चों को भारी संख्या में भरकर ले जाते हैं जिसकी वजह से कई बार एक्सीडेन्ट भी हो जाते हैं। इसके लिए नियम भी बने हुए हैं परन्तु रिक्शों का चालान नहीं होता है, रिक्शों की स्थिति की पूरी जांच नहीं होती है, वैसे ही उनको पास कर देते हैं। रिक्शे वाले स्वयं की स्थिति बहुत खराब होती है। वे कई बार बहुत गन्दे भी होते हैं और अस्वस्थ भी होते हैं। तो यह सारी ऐसी मानवीय समस्या है जिसका नागरिकों से सीधा वास्ता पड़ता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि प्राथमिकता के आधार पर अधिकतम जयपुर के नागरिकों को प्रभावित करने वाले इस आवागमन के साधन की व्यवस्था करके उनसे नियमों का उचित रूप से पालन करवाया जाय। कम से कम उन नियमों को जो आलरेडी एग्जिस्टिंग हैं।

मेरा दूसरा स्थगन प्रस्ताव, माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले के मांग्यावास के सरपंच के कुछ कारनामों के प्रति है जिससे क्षेत्र वाले लोग बड़े दुखी हैं। सरपंचों के माध्यम से बहुत से विकास के कार्य कराये जाते हैं। उनमें पंचायतों के पट्टे, जमीनों के पट्टे, आवासीय भूमि के पट्टे, मकानों के पट्टे देना जो पूर्व में है नहीं, भी शमिल हैं। इन सरपंच महोदय ने जो लोग मकानों में रह रहे थे, कच्चे पक्के मकानों में पिछले 25-30 साल से रह रहे थे उन तक के पट्टे अपने भाई भतीजों के नाम से बनवा दिये। उसकी शिकायत बी.डी.ओ. से लेकर कलेक्टर तक सारी शिकायत हो चुकी है। उन शिकायतों के आधार पर शिकायतकर्ताओं से इन्होंने मारपीट की। पानी की टंकी के लिए इन्होंने पैसे जनता से उगाये, सरकार से लिये और किसी भी स्तर तक यूटिलाइज

(श्रीमती विद्या पाठक)
नहीं किए। हुडको योजना में ऐसे लोगों को जमीनें अलाट कीं जिनके पास आलरेडी जमीनें थीं और जो चयनित गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार थे उन लोगों को भूमि नहीं दी गयी है। अपनी पंचायत के बहुत से गांव में हुडको योजना व दूसरे विकास योजनाओं के लाभ न दिलवाकर केवल अपने गांव में अपने रिश्तेदारों को लाभ दिलवाये। उनमें सबसे ज्वलंत बात यह है कि जो मकान के काबिज लोग हैं उनके पट्टे अपने भाई भतीजों को दे दिए। इसकी शिकायत कलेक्टर महोदय से की गयी। बी.डी.ओ. सहाब से की गयी। बी.डी.ओ. कहते हैं कि क्योंकि टाइम बार्ड हो गया मामला इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, चुपचाप पट्टे अगर दे दिये जायें तो जिस का मकान है उसे पता लगेगा तभी तो वह उसके लिए अप्लाई करेगा। मगर ऐसा नहीं हुआ तो अब टाइम वार्ड कह कर केस को और हिले करके काम्लीकेट किया जा रहा है। मैं यह चाहूंगी, वैसे मंत्री महोदय यहां मौजूद नहीं हैं होते तो भी वह कुछ करने वाले नहीं हैं। इस 93 के भ्रष्टाचार अलमारी में दो साल से बन्द कर रखे हैं, 94 के भी बन्द कर देंगे। मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि इस तरह के मामले जो गांवों में बढ़ रहे हैं उन पर तुरन्त कार्यवाही की जाय।

साथ ही साथ दो सूचना यह भी देना चाहूंगी, चोरों को सजा देने वाली अदालत है डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज जयपुर जो कलेक्टरी के सामने है पिछले कुछ दिनों पहले उसके 9 बंगलों में चोरी हो गयी। कुछ ही दिनों पहले जयपुर के कलेक्टर महोदय के बरामदे में आग लग गयी। अब आग से क्षति का बेनीफिट आफ डाउट देकर कितने रिकार्ड जो सरकार और अधिकारियों को इनकन्वीनियेन्ट है, नष्ट कर दिये जायेंगे या गायब कर दिये जायेंगे। इसके प्रति सरकार कितनी सचेत है यह तो इसी बात से पता लगता है कि एफ. आई. आर के बावजूद अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्या। श्री समर्थलाल-बिजली कनेक्शनों के बारे में।

श्री समर्थलाल (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सन् 1982 के अन्दर मैसर्स देव फ्लोर मिल, प्रोपराइटर मीरा देवी, मकान नम्बर 858"ए", बरकत नगर, जयपुर को करीब 12 हजार 500 का लोन राजस्थान वित्त निगम से मन्जूर हुआ था, आटा चक्की लगाने के लिए। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वित्त निगम जो ऋण स्वीकृत करता है, ऋण स्वीकृत करने से पूर्व सभी प्रकार की फार्मेलिटीज वह पूरी करवा लेता है और उसके बाद ही ऋण स्वीकृत किया जाता है। इस आटा चक्की के बाबत में सभी प्रकार की फार्मेलिटीज राजस्थान वित्त निगम ने पूरी करवा कर ऋण स्वीकार किया था। उसके बाद ऋण लेने वाली जो महिला है यह अनुसूचित जाति की है इसको ऋण मिल गया और उसी ऋण से उसने आटा चक्की मशीन वहां लगा ली। उसके बाद में लाइट के कनेक्शन के लिए जब बिजली विभाग के लोगों को निवेदन किया तो उन्होंने देने से मना किया, यह कहकर उन्होंने मना कर दिया कि यह जो कालोनी है जिसके अन्दर यह आटा चक्की लगा रही है, अभी तक

(श्री समर्थलाल)

अनुमोदित नहीं हुई है। अतः इस मामले में प्राधिकरण द्वारा एन.ओ.सी. दिया जाना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इस पर विस्तार से चर्चा नहीं हो। माननीय सदस्य, एक दो मिनट में कह दें।

श्री समर्थलाल : नहीं, मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत आटे की चक्की के कनेक्शन का सवाल है, अपने यहां तो बहुत बड़े-बड़े विषय और प्रश्न आते हैं।

श्री समर्थलाल : नहीं, मेरा निवेदन यह है कि 20 सूत्री कार्यक्रम ....

श्री अध्यक्ष : आपने औद्योगिक इकाई के लिए कहा, इसलिए मैंने कहा, कोई बहुत बड़ी औद्योगिक इकाई होगी।

श्री समर्थलाल : मेरा यह निवेदन है, अध्यक्ष महोदय,........

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : एक एक पाई का हिसाब किताब है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बाधा न डालें।

श्री समर्थलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत ऋण दिया गया, इस प्रकार का मामला एक ही पेंडिंग हो ऐसी बात नहीं है, इस प्रकार के हजारों मामले राजस्थान के अन्दर हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने ध्यान आकर्षित कर दिया, माननीय सदस्य।

श्री समर्थलाल : तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अनुसूचित जाति की जो महिला है, उसने ऋण लिया और ऋण के ऊपर ब्याज कट रहा है। आटे की चक्कीयों की यों रखी है, आटा पिसाई हो नहीं रही है बिना कनेक्शन के। इसलिए राज्य सरकार से मेरा यह कहना है कि इस प्रकार के जो भी मामले हैं जो अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं उन पर गौर किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा-जोधपुर नगर परिषद में कोरम के अभाव में बजट पारित करने के संबध में। संक्षेप में।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विषय बहुत छोटा है, कोई बहुत बडी बात नहीं है, लेकिन अहम बात है। जोधपुर नगरपालिका में जिस प्रकार की स्थिति है, वहाँ सिटी नगरपालिका और कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं, उनमें किस प्रकार की आपस में लड़ाई चल रही है, पत्रों के द्वारा शायद आपको व्यक्तिगत जानकारी भी होगी, आपको मालूम होगा, स्थिति यह बनी हुई है कि मीटिंग बुलाई जाती है तो कांग्रेस का बहुमत होते हुए भी........

श्री अध्यक्ष : मतभेद होना खुद ही प्रजातांत्रिक प्रणाली का एक आवश्यक अंग है, मतभेद हो सकता है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वहां पर बड़े व्यापक और प्रकट रूप में है जोधपुर में आपस में दल के लोग लड़ रहे हैं और इस हद तक लड़ते हैं कि जब अध्यक्ष मीटिंग बुलाते हैं तो मीटिंग में नहीं जाते । उनको बजट पास करना था तो उन्होंने एक मीटिंग बुलायी । उस मीटिंग का कांग्रेस के लोगों ने बायकाट कर दिया, नहीं गये फिर उन्होंने एक दूसरी मीटिंग बुलायी तो वहां 44 लोग हैं, उन 44 में से 16 लोग, 15 लोग कम से कम होंगे तब उसका कोरम बनता है । जब ये 12 लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने बजट पास कर दिया । वहां लोगों ने विरोध किया, कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया कि कोरम नहीं है आप बजट पास मत करियें । माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां जब कभी कभी कोरम नहीं होता है और आपके ध्यान में बात ला देते हैं तो उस वक्त आप भी बहुत बड़ा प्रस्ताव पास नहीं करते हैं । कोई बहुत बड़ा निर्णय भी नहीं होता है । लेकिन मान लो साधारण, सामान्य बहस चल रही हो तब आपका ध्यान आकर्षित करते हैं तो इतनी बड़ी एक संस्था है, आप इतने बड़े पद पर बैठे हैं फिर भी तुरन्त घन्टी बजाकर कार्यवाही रोक कर सब लोगों को बुलाते हैं तो यह है अपने प्रजातन्त्र के प्रति आस्था बनी रहे इसीलिए तो वे बातें करते हैं । नहीं तो आप को कह दें कि नहीं जी चलने दो ऐसी मनमानी आप नहीं करते ।

श्री अध्यक्ष : अपने यहां तो । $\frac{1}{10}$ सदस्य उपस्थित हों तो कोरम हो जाता है । वहां कोरम बहुत ज्यादा रख दिया, 1/3 रख दिया ।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो कानून में संशोधन करो, जब तक यह कानून है तब तक इसी को मानना पड़ेगा । इसलिए वहां उस कोरम के अभाव में अगर आप यह निर्णय करते हैं कि उन्होंने जो कर लिया वह ठीक कर लिया तो नगरपालिकाओं में सारा घपला शुरू हो जायेगा । बड़ी गम्भीरता से इसको लेंगे तो आज जो नीचे की इकाइयां हैं, जो प्रजातंत्र की जड़ हैं उनमें इस बात का ध्यान रखा जायगा । इसलिए जो माननीय मंत्री महोदय, यहां बैठे हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि बजट अगर कोरम के अभाव में पास हो गया, और यहां भेज भी दिया गया है तो उसको वापस लौटा दीजिये, कोरम से पास करवा लीजिये । अगर अध्यक्ष के प्रति लोगों का विश्वास नहीं है तो आप उसको क्यों रखना चाहते हैं ? आप क्यों इंदिरा गांधी बनना चाहते हैं, आप हटा दीजिये उसको । तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसको देख लें और इसको पास नहीं होने दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज शर्मा व श्री चुन्नीलाल जेलिया - सवाई माधोपुर में ईंटों के भट्टे बन्द करने के विषय में । संक्षेप में माननीय सदस्य ।

श्री हंसराज शर्मा : दो हैं ।

श्री अध्यक्ष : दूसरा नहीं है । मैंने उसमें मना किया है ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : इन्होंने कल एक स्थगन प्रस्ताव दिया है ।

श्री अध्यक्ष : बाध परियोजना के बारे में।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां बाध परियोजना के बारे में। और पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर ने लाखों रुपए इकट्ठे कर लिए और वह जमा नहीं कराए ....

श्री अध्यक्ष : इस सम्बंध में, माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सदस्यों को यह सुविधा इसलिये उपलब्ध करायी कि माननीय सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव यदि अस्वीकृत हो जाते हैं तो दो-दो मिनिट में अपनी बात कह सकते हैं लेकिन जहां मामले ऐसे हैं जो मान हानिकारक हों, जिसमें सरकार की ओर से या सम्बंधित व्यक्ति से जवाब मंगवाया नहीं गया हो या सम्भव नहीं हो तो उस अवस्था में मेरे लिये यह जरूरी हो जाता है कि मैं माननीय सदस्य को सुनूं। मैंने उनसे कहा था कल, आपने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उसको मैंने देखा। मान-हानिकारक मामले उठाने की विधियों से आप माननीय सदस्य परिचित हैं। यदि मान हानिकारक मामले हैं तो अध्यक्ष को फिर यह अधिकार है कि माननीय सदस्यों से सबूत वगैरह, यह सब मांगे। उसके बाद में यदि अध्यक्ष सतुष्ट हो जाय तो जनहित में मानहानिकारक मामले भी उठाये जा सकते हैं क्योंकि यहां पर विचारों की पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन जब सत्रावसान होने को हो और शासन के पास और सदन के पास पर्याप्त समय न हो तो सब जितने तरीके हो सकते हैं इसमें सतर्कता बरतने के, उनका उपयोग करना सम्भव न हो उस अवस्था के अन्दर एक दो ऐसे थे जिनके सम्बन्ध में मैंने माननीय सदस्यों से अच्छी तरह से चर्चा करने के बाद यह व्यवस्था दी कि इन पर चर्चा नहीं होगी। यदि समय होता तो मैं इनका उत्तर भी मंगा लेता और उसके बाद में अवसर भी देता। आपने आखिरी दिन दिया है या सत्रावसान के एक दिन पूर्व स्थगन प्रस्ताव दिया, कई दिये हैं आपने, उन सब पर मैंने अनुमति दी है। लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो वास्तव में मानहानिकारक हों अंतिम दिन यह उचित नहीं होगा मेरे लिये और सदन के लिये भी कि इस तरह के जो प्रस्ताव हों, जिसमें सरकार की ओर से उत्तर भी नहीं दिलाया जाता, बहस एक तरफा हो, ऐसी बात कही जाय, तो मैं समझता हूं यह उचित नहीं होगा। इसलिये इसमें मैंने व्यवस्था यह दी है कि मैं इजाजत नहीं दूंगा। जो जनहित के अन्य विषय हैं मैंने काफी उदारता से माननीय सदस्यों के जितने भी प्रस्ताव हैं उन पर बोलने की अनुमति दी है। इसलिये इस पर चर्चा नहीं होगी। जो मानहानिकारक मामले हैं, एक मामले को एक तरीके से अस्वीकार कर दिया, एक माध्यम से 131 में, तो फिर उसी को चूंकि उस माध्यम से अस्वीकार हो गया तो नियम 50 के नीचे लाया जाय। नियम 50 में भी अस्वीकार कर दिया तो 295 में लाया जाय, 295 में नहीं तो आसन की विशेष अनुमति से लाए। माननीय सदस्य, इस तरह के विषयों के अन्दर मेरे लिये यह सम्भव नहीं होगा, यह माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूं। लेकिन फिर भी इस तरह के जो विषय हैं उनको मैंने राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे हैं ......

(व्यवधान)

भ्रष्टाचार के लिये, करीब 46-47 दिन तक सत्र चला, पर्याप्त अवसर था

(श्री अध्यक्ष)

कई प्रकार के अवसर और कई प्रकार के माध्यम हमारे पास विद्यमान हैं उनका उपयोग करें। यह कौनसा अंतिम अवसर है, विधान सभा के सत्र और होंगे। आप उसको सर्वोच्च प्राथमिकता देकर लायेंगे तो मैंने आपको कह दिया कि माननीय सदस्यों को पूर्ण स्वतंत्रता है। सब तरह के विषय, चाहे अटपटे हों, किसी के लिये कष्ट दायक हों, दुखदायी हों मानहानिकारक हों, वह सभी विषय आते हैं, आने चाहिए, और आने जरूरी है। परसों ही मैंने निवेदन किया था कि जहां पर जनतांत्रिक प्रणाली है वहां पर यदि शासन के भ्रष्टाचार पक्षपात, अकर्मण्यता चर्चा में नहीं आते हैं तो फिर चर्चा में क्या आता है। इस दृष्टि से मैंने हमेशा कार्य किया है और मैं सहयोग की आशा करता हूं माननीय सदस्यों से, इस तरह के इक्का दुक्का बहुत अटपटे विषय हैं उसमें ज्यादा आग्रह, ज्यादा जिद नहीं करें। जो आपके विषय हैं जिनमें वास्तव में कोई जनता की कठिनाई हो जनता की तकलीफ हो, तो आज अन्तिम अवसर है मतलब आज सत्रावसान होगा उससे पूर्व भी एक दो मामले थे जो छूट गये उनके लिये सरकार को मैंने अभी-अभी निवेदन करवाया कि इन पर वक्तव्य होगा। इन व्यवस्थाओं के अन्तर्गत मैंने कहा है। आप उपयुक्त विषय लायें, मैं ना नहीं करूंगा। विवादास्पद मामले, जिनमें से बहुत से पुराने हों, आज लायें, आखिरी दिन उनके बारे में कहें। तो मेरी राय यह है और आप भी मेरी राय से सहमत होंगे कि उनके बारे में यह उचित नहीं होगा।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक निवेदन करना है। यह सही है कि सदन के अन्तिम दिन मानहानिकारक मामले नहीं उठाये जायें जिनका कोई आदमी जवाब नहीं दे सके इस बात को तो मैं स्वीकार करता हूं.......

श्री अध्यक्ष : नहीं नहीं, थोड़ा सा इसके अन्दर का जवाब नहीं दे सकें तो अब आप व्यवस्था कर जायेंगे कि जवाब दे सकते हैं लेकिन किस विषय पर। मेरा निवेदन यह है कि विचारणीय विषय कौनसा है विचारणीय विषय तो एप्रोप्रिएशन बिल है, यह विचारणीय विषय है अन्य विषय आते हैं वह तो मेरी अनुमति से आते हैं मैं अनुमति दे नहीं रहा हूं इसलिए

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी उस में आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया, आपने जिस ढंग से शुरूआत की है। आपन को साथ साथ काम करते 25-26 साल हो गये, मुझे भी अनुभव है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा यह निवेदन है कि आसन से हमेशा यह व्यवस्था देते रहे हैं आपकी व्यवस्था को हम शिरोधार्य करते हैं ....

श्री अध्यक्ष : आप हमेशा शिरोधार्य करते हुये भी बोल जाते हैं। यह मैंने देखा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा निवेदन है कि हमारे कार्य संचालन के नियम , उसके अन्तर्गत हम सदन को चलाते हैं, । सदन की कुछ परम्परायें हैं तो सदन की कुछ परम्पराओं के अनुसार पहले शुरू में इस प्रकार भी आसन से व्यवस्थायें दी गई हैं कि जो व्यक्ति, जो सदस्य, सदन में उपस्थित रह सकता है तो उस पर चर्चा की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : वह विचारणीय विषय हो माननीय सदस्य, जिसकी ओर नेता महोदय भी इंगित करना चाहते थे, वह तब होता जब कि विचारणीय विषय के संदर्भ के अन्दर इस तरह के मामले उठाये जायं। लेकिन विचारणीय विषय तो जब आसन अनुमति देगा तब बनेगा। जब वह विषय ही नहीं है तो इसमें आप जानते होंगे– विपक्ष के नेता महोदय, आपको तो आसन को भी कठिनाई में मदद करनी चाहिए, जब विचारणीय विषय सामने नहीं हों तो मन्त्री के खिलाफ किसी माननीय सदस्य को शिकायत हो तो वह अन्य तरीके के प्रस्ताव होते हैं। किसी की कमी, खामी, दुर्व्यवहार और कई तरह की शिकायतें हैं तो उनके खिलाफ प्रस्ताव लाये जा सकते हैं, विभाग से अलग करके भी कुछ प्रस्ताव लाये जा सकते हैं. ....

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : सेन्सर मोशन भी लाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : हां। कई तरह के प्रस्ताव होते हैं। लेकिन किसी मन्त्री महोदय से शिकायत है उस शिकायत को यहां पर प्रस्तुत करें, उसके संबंध में बोलें, ऐसा कोई प्रक्रिया का नियम नहीं है। उसके तरीके हैं, मैंने कोई अपनी तरफ से ....

(व्यवधान)

आर्डर इसलिये माननीय सदस्य जो विषय आपको बताया है कृपया उस संबंध में कहिए। ईंटों के भट्टे बंद होने के बारे में ....

श्री हंसराज शर्मा : टाइगर प्रोजेक्ट पर तो आपने मना कर दिया, मैं नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : ईंटों के भट्टे के बारे में बोलें, जनहित का काम है। लोगों को रोजगार मिलेगा।

श्री हंसराज शर्मा : एक मुख्य मंत्री सहायता कोष का था ....

श्री अध्यक्ष : वह मैंने मना कर दिया था। वह चेतराम जी का था और मुख्य मंत्री सहायता कोष का था वह वर्षों की बात है। उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट बोला मैंने पूरा चारों कोने यह बता दिया कि यह है जो सब-जुडिस है उसके बाद में आपने एक और विषय दिया। जितने भी अन्य विषय हैं मैंने उस दृष्टि से भी देखा, आपकी जो लेटेस्ट शिकायत है, राज्य सरकार से भी उच्च न्यायालय को भेजा है आपका स्टे है तो इसमें हम क्या करें। सब तरह से सब-जुडिस है इसलिए मैंने मना कर दिया है। आपने पहले भी दोहराया था।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपने एक मंत्री का नाम लिया है यह तो मालूम हो कि मामला क्या है या

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

तो माननीय सदस्य को मालूम है कि विषय क्या है या आपको मालूम है कि विषय क्या है।

श्री अध्यक्ष : वे माननीय सदस्य समझ गये, मैं भी समझ गया।

ईंटों के भट्टे के बारे में।

श्रीमती शिखा पाठक : ऐसे विषय बढ़ते जा रहे हैं आप कितनों को रोकेंगे।

श्री अध्यक्ष : वे सभी विषय आ सकते हैं। मैंने निवेदन किया लेकिन कुछ विधियों से आ सकते हैं।

श्री हंसराज शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने आदेश दिया है मैं ईंट भट्टों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सवाई माधोपुर में जब प्रशासन ने नगरपालिकाओं की ओर प्रस्थान किया, तो उन्होंने सबसे पहले जो वहां काम किया, उसके संदर्भ में मैं निवेदन करना चाहूंगा। नगर पालिका क्षेत्र सवाई माधोपुर में करीबन 15–20 और 25 सालों से 20 परिवार रहते थे जो ईंटों का उद्योग चलाते थे। ईंट के भट्टों का काम करते थे। छोटे-छोटे उनके भट्टे थे। उनमें कई कर्मचारी काम करते थे।

और इस प्रकार से 20 परिवार थो वह थे जो भट्टों के माध्यम से जीवन पालन कर[illegible] लेकिन उनमें छोटे-छोटे सैकड़ों मजदूर भी काम करते थे। जब प्रशासन शहरों की ओर गया तो जिला प्रशासन ने सबसे पहले जो नगरपालिका क्षेत्र में भट्टे लगे हुए थे उनको बन्द कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि यदि उनको बन्द करना था तो उन ईंट भट्टों को बन्द करने से पूर्व, नगरपालिका क्षेत्र के बाहर जहां भी पर्याप्त स्थान था, पर्याप्त मात्रा में पानी और मिट्टी मिल सकती थी उन स्थानों पर उनको स्थान देना चाहिये था। लेकिन जिला प्रशासन ने इस बात की किसी प्रकार की चिन्ता नहीं की, न व्यवस्था की ओर इस प्रकार से उनको बेघर–बार कर दिया। आज वे एक-एक दाने के लिये मोहताज हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उन कार्यों को अविलम्ब प्रारम्भ करवाया जाय।

इसके साथ-साथ जहां पर 20 भट्टों को नष्ट किया है वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्र में रकबा नंबर 155 तथा 1 में जिलाधीश ने गोचर भूमि में कुछ लोगों को ईंटों के भट्टे दिये हैं जब कि गोचर भूमि में ईंटों के भट्टे देने का अधिकार जिलाधीश महोदय को नहीं है। वहां की आम जनता ने इस बात का विरोध किया है कि क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण जिलाधीश सवाई माधोपुर को गोचर भूमि को कृषि जमीन में परिवर्तन करके लीज पर भट्टे देने का अधिकार नहीं था। इस प्रकार वहां आठ व्यक्तियों को ईंट के भट्टे दिये गये तीन सौ रुपये एकड़, प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 300 रुपये बीघा ले करके। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ....

(1.33 म.प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

(श्री हंसराज शर्मा)

जहां 20 परिवारों को आपने समाप्त कर दिया है वहीं दूसरी ओर आठ परिवारों को अवैध रूप से गोचर भूमि में किन नियमों के अन्तर्गत दिया गया है अध्यक्ष महोदय, इसमें बड़े दुख की बात है कि जिन अधिकारी ने दिया वे यहां इस समय अन्डर ट्रेनिंग हैं। अन्डर ट्रेनिंग अधिकारी से आदेश दिला दिया और एप्रूवल लेकर के जिलाधीश से राज्य सरकार को लिख दिया। उसके बाद में जिन आठ आदमियों को दिये थे उनमें से दो के फिर कैंसिल कर दिये। अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों को आठ भट्टे दिये गए हैं, कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी राशि का घोटाला हुआ है। जिन लोगों ने इस घोटाले के अन्दर पैसा नहीं दिया है उन लोगों के कैंसिल कर दिये गये हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार जो घोटाला किया है, गोचर भूमि की किस्म परिवर्तन करके जो भट्टों का आदेश दिया है उस संदर्भ में मैं मांग करूंगा कि अविलम्ब जांच की जाय। ×××

श्री सभापति: माननीय श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व): व्यवस्था क्या हुई, माननीय सभापति महोदय। सरकार का क्या जवाब आया ?

(1.36 म. प.)

[श्री पूनमचंद विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन]

श्री अध्यक्ष: आर्डर प्लीज। दुर्भाग्य की की बात है कि मेरे व्यवस्था देने के पश्चात माननीय हंसराज शर्मा ने श्री चेतराम के विरुद्ध कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं। आपका जितना वह भाषण है उसको एक्सपंज करता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल: सरकार का जवाब क्या आया है ? साहब व्यवस्था के लिए आप फर्मा दें एक मिनट। क्या कहा है कि सफाई ठीक ठाक है। आपने इसको जो निरस्त फर्माया है

श्री अध्यक्ष: अब आप जो व्यवस्था है वह बोल दीजिये कैसी, क्या स्थिति है ?

श्री कैलाश मेघवाल: मुझे तो बोलना ही नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं चाहता हूं आप व्यवस्था दे दें कि सरकार का जवाब यह आया है। इसलिए निरस्त करवा दें। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: उसका मैं आपको बता दूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल: वह यहां आ जाता रिकार्ड में, मैं तो यही चाहता हूं क्योंकि सरकार तो........

श्री अध्यक्ष: आप ज्यादा न कहें। कठिनाई है जवाब आ गया। उनको भी हमने अवसर दे दिया क्योंकि बहुत से माननीय सदस्य........

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, नहीं, मैं बोलना तो नहीं चाहता मैं तो यह चाहता हूँ......

श्री अध्यक्ष : अपन बात कर लेंगे उस पर। मैं आपको बता दूंगा।

श्री कैलाश मेघवाल : सरकार का या तो यह जवाब आया है कि सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठीक है।

श्री अध्यक्ष : सरकार का जैसा आता है ये भी है, नहीं भी है कमियां भी बतायी हैं। कुछ ऐसा ही है माननीय सदस्य, ज्यादा नहीं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज। श्री महावीर प्रसाद। टोंक जिले में खेती उद्योग व घरेलू कार्यों के लिए बिजली का कनेक्शन।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग ऐसा विभाग है जो आम आदमियों से जुड़ा हुआ है। इस से हमारे प्रदेश की तरक्की भी जुड़ी हुई है। मेरा निवेदन है कि सारे राजस्थान में, जहां 52% लगभग विद्युतीकरण हो गया है उस के मुकाबले में टोंक में केवल 25% के आस पास गांवों का विद्युतीकरण हुआ है। उसके बाद इन गांवों में भी जो टार्गेट फिक्स किए गये हैं कनेक्शन के लिए वह कहीं पर एक हजार, कहीं पर दो हजार कहीं पर पांच हजार और टोंक जिले में सारे जिले में केवल 120 के आस पास हैं। कृषि कनेक्शन टार्गेट रहे हैं। अब मेरा निवेदन यह है कि लम्बे समय से तीन तीन साल से पांच पांच साल से लोगों की पेंडिंग एप्लीकेशन्स हैं, एग्रीकल्चर की कनेक्शन के लिये पेंडिंग हैं। उद्योगों के लिये पेंडिंग एप्लिकेशन्स हैं दो-दो साल से घरेलू कनेक्शन के लिये भी पिछले दो दो तीन-तीन साल से वहां पर पेंडिंग एप्लिकेशन्स पड़ी हुई हैं। डिमांड नोट निकल गया है उनके पैसे जमा हो गये। इस हाउस में माननीय विद्युत मंत्रीजी ने इस प्रकार की घोषणा की थी की 31 मार्च के पहले पहले सारे कनेक्शन रिलीज कर दिये जायेंगे, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उन लोगों के कनेक्शन रिलीज नहीं किये गये। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, जो कनेक्शन रिलीज किये जाते हैं आज वहां पर न कंडक्टर्स है न आज वहाँ पर मीटर हैं। आज किसी का मीटर जल जाता है तो मीटर बदलने के लिये नहीं है। इन्होंने सारे विभाग में कृषि कनेक्शन के लिये कैपेसिटर लागू कर दिया। आवश्यक रूप से तब तक कनेक्शन नहीं दिया जाता, जब तक कैपेसिटर नहीं लगाया जाय। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, कैपेसिटर के पैसे जमा कर लिये विभाग ने लेकिन एक कनेक्शन पर कैपेसिटर नहीं लगाया। सारे कैपेसिटर का पैसा लेकर विद्युत विभाग डकार गया। जब आवश्यक था कैपेसिटर लगाना, तो उनको कैपेसिटर क्यों नहीं लगाया गया ? आज मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं।

तीसरा मेरा निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ इस प्रकार विद्युत की कमी के कारण इन्होंने कुछ नोटिफिकेशन निकालकर कुछ कटौती जारी की थी, इन कनेक्शनों के ऊपर। जो औद्योगिक कनेक्शन हैं उनके ऊपर बड़े उद्योग है, उनके कनेक्शनों के ऊपर कटौती लागू की थी कुछ इस प्रकार के जो आवश्यक मामलों के कनेक्शन हैं उन पर किसी प्रकार की कटौती लागू नहीं है। लेकिन आज पानी की सप्लाई के लिए किसी प्रकार की कटौती लागू नहीं है . . .

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

(1.40 म. प.)

[श्री सूर्य कुमार, सभापति, पदासीन]

मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था कि ग्राम सिवाड में छोटे मोटे उद्योग लगे हुए हैं। ग्राम सिवाड में वाटर सप्लाई की स्कीम है, ग्राम सिवाड में टेलीफोन एक्सचेंज है वहां पर 20-22 औद्योगिक कनेक्शन लगे हुए हैं।

उन सबको केवल 4-6 घंटे बिजली दी जाती है, उससे सारे उद्योग बीमार हो गये, सारे उद्योग बंद होने की स्थिति में हो गये, आज जहां हम यह मानते हैं कि प्रदेश का विकास उद्योगों में निहित है, प्रदेश का विकास औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है जहां हम एक तरफ यह कहते हैं कि ग्रामीण उद्योग लगने चाहिये, वहां दूसरी तरफ ग्रामीण उद्योगों को बंद करने की व्यवस्था की है। सारे उद्योग बंद पड़े हैं वाटर सप्लाई स्कीम बंद पड़ी है, वहां पर पेयजल टाइम से उपलब्ध इस कारण से नहीं होता। वहां का टेलीफोन एक्सचेन्ज बंद पड़ा है, लेकिन विभाग का कोई ध्यान नहीं। सारा विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे छोटे कनेक्शन हों चाहे घरेलू कनेक्शन हों चाहे एग्रीकल्चर कनेक्शन हों, चाहे इन्डस्ट्रीयल कनेक्शन हो, सारे कनेक्शन बिना लिये दिये एक भी कनेक्शन नहीं होता। उनके कनेक्शन काट दिये जाते हैं। उनके लिए मीटर नहीं लगाये जाते हैं, और उनका कनेक्शन काट दिया जाता है। किसी प्रकार की रैस्पांसिबिलिटी विद्युत विभाग की नहीं है. सारी रैस्पांसिबिलिटी उपभोक्ता की कहकर उपभोक्ता को परेशान किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। यह स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ा जन आक्रोश है। लोगों में असंतोष है, क्रांति भड़क सकती है, लोग सड़कों पर आ सकते हैं। उससे पहले उचित व्यवस्था कर लें, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री मेघराज तावड़-उदयपुर जिले की केलवा तहसील में राजसमन्द के गढ़ के पास मार्बल की कटाई से बस्ती को खतरा।

श्री मेघराज तावड़ : (गोगुन्दा) माननीय सभापति महोदय, इससे पहले मेरा जयपुर मैटल्स पर स्थगन प्रस्ताव और था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय जो व्यवस्था दे गये हैं, कृपया वहीं तक अपने आपको सीमित रखें। इस सम्बन्ध में आपको बोलने की अनुमति है, वह केवल यह है, फिलहाल इसी पर बोलिये, उदयपुर जिले की केलवा तहसील में राजसमंद के गढ़ के पास मार्बल की कटाई से बस्ती को खतरा।

अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था जयपुर मैटल्स के बारे में यह थी कि जब सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थगन प्रस्तावों पर अपने विचार व्यक्त कर लें उसके बाद यदि समय की गुंजायश होगी तो आपको अनुमति प्रदान कर दी जायेगी। इसलिए, कृपया इसी सम्बन्ध में आप अपने विचार रखें।

श्री मेघराज तावड़ ; सभापति महोदय आज का मेरा स्थगन प्रस्ताव था उसमें यह था कि ऐसे लोग, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार साबित हो गया, उनको दोषी पाया गया, सरकार से चालान करने की अनुमति मांगी है भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने, उनको चालान करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव था आज का, उस पर बोलना चाहता था। अध्यक्ष महोदय ने उसमें यह समझा कि मैटर सब जुडिस है, वह सब जुडिस नहीं है, न ऐसा मानहानिकारक आरोप लगाने की बात है, जिनके खिलाफ ऐसे आरोप साबित हो चुके हैं केवल चालान करने की मांग है इस सम्बन्ध में बोलना था।

श्री सभापति ; माननीय सदस्य, उस पर आपको अनुमति नहीं दी गयी है। आपको अनुमति केवल इसी विषय पर बोलने की दी गई है। कृपया आप जिस पर अनुमति दी गयी है उसी पर अपने विचार व्यक्त करें।

श्री मेघराज तावड़ ; मानयीय सभापति महोदय, केलवा तहसील का मेरा प्रश्न भी यह था, मंत्री महोदय ने मुझे जवाब तो दे दिया किसी तरह से, लेकिन, अब, क्या है कि मुझे शंका थी, उधर से गुजरा तो मालूम पड़ा मुझे कि वहां कुछ लोगों को माइन्स के पट्टे लीज के पट्टे दिये गये जो वहां खनन कार्य कर रहे हैं। उस से बस्ती भी नजदीक है, लेकिन मैं चाहूंगा, मंत्री महोदय भी क्योंकि स्वयं उसी इलाके के हैं, वह जानते भी हैं, खनन से और ब्लास्टिंग से उस बस्ती को खतरा है। तो, मंत्री महोदय स्वयं देखें मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं।

अब, सभापति महोदय, मैं जयपुर मेटल्स पर 2 मिनट में दो बातें कह देना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदय, बड़ा अफसोस है कि राजस्थान की सरकार मजदूरों के बारे में बड़ा ढिंढोरा पीटती है, 20 सूत्री कार्यक्रम का ढिंढोरा पीटती है। राजस्थान प्रथम घोषित किया गया है. आंकड़े पेश करती है। सभापति महोदय, आज जयपुर मैटल्स में जो अण्डर टेकिंग, जो गवर्नमेण्ट का कण्ट्रोल है, वहां इस तरह का समझौता किया गया है। श्रमिक संगठनों और मैनेजमेण्ट के बीच समझौता हुआ है। सभापति महोदय, आप चाहें तो वह समझौता आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, 2 मिनट में, 11 पॉइन्ट हैं। सभापति महोदय, इस तरह का समझौता किया है कि 2 साल तक कभी भी हड़ताल नहीं की जा सकती, कभी मजदूर मांग नहीं मांग सकता, उत्पादन जितना होगा उसी उत्पादन के आधार पर उसको वेतन दिया जायेगा, वहां बोनस भी नहीं दिया जायेगा। सभापति महोदय, मैं एक लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, उससे आपको मालूम होगा,

नम्बर दो—प्रबधकों एवं श्रमिक संगठनों को दिनांक 3-12-83 को देय वेतन को सुरक्षित रखते हुए दिनांक 1-1-84 से देय परिवर्तित महंगाई भत्ता व अन्य कोई भी किस्म की वेतन वृद्धि देने पर 5 वर्ष की अवधि तक रोक लगाने को सहमत हैं। यह सब श्रमिकों के अलावा सभी स्तर के कर्मचारी व अधिकारियों अथवा प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त सभी नियोजकों पर भी समान रूप से लागू हो जावेगी। बहरलाल, इस

(श्री मेघराज तावड़)

शर्त पर 2 वर्ष पश्चात् पुनः विचार किया जा सकता है अर्थात् 1-7-86 के पश्चात्।

सभापति महोदय, बड़ा खेद है कि इस तरह का मैनेजमेण्ट जो आई.ए.एस. अधिकारी आपने वहां पर बैठा रखा है, आई.ए.एस. कावड़िया, सरकार का कोई भी आदेश मानने के लिए वह तैयार नहीं है। राज्य सरकार के ऊपर दबाव डालकर, माननीय सभापति महोदय, आज भी वहां के कर्मचारी, जो आज आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिनको कल पुलिस उठाकर ले गयी– मनोजसिंह और सज्जन सिंह। माननीय श्रम मंत्री के बंगले के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं और उनको उठाकर ले गये। जबरदस्ती उनको हॉस्पिटल में प्रेस किया जा रहा है कि ग्लूकोज के इन्जेक्शन लगाये जायं। सभापति महोदय, मुख्य मंत्री जी का सब्जेक्ट है। मुख्य मंत्री जी आज जहां मजदूरों की बात करते हैं, अंडरटेकिंग रिलीफ एक्ट आपको यह अलाऊ नहीं करता है कि उसको बोनस नहीं दिया जाय, उसको भत्ता नहीं दिया जाय, उसकी छुट्टियां नहीं दी जाय। रिलीफ अण्डर टेकिंग का मतलब यह नहीं है जो रिलीफ अण्डर टेकिंग एक्ट है, उसका भी उल्लंघन किया गया है। इसलिए मैं चाहूंगा मंत्री जी यहां बैठे हैं, मुख्य मंत्री जी आये नहीं है, इसके साथ, बड़ा ताज्जुब यह है सभापति महोदय, कि प्रति नियुक्ति पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनमें कोई किसी तरह की कटौती नहीं और मजदूरों की कटौती कर दी, पेमेण्ट में कटौती की गयी, उसका आखिर वेतन नहीं है? एक मिनट, इससे और साफ हो जायेगा, सभापति महोदय, कि इस तरह का समझौता किया है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय, 5 हजार तक का मीटर प्रोडक्शन करेंगे, अगर 5 हजार मीटर तक प्रोडक्शन नहीं कर पायेंगे तो उनको वेतन नहीं दिया जायेगा, आधा वेतन दिया जायगा, और न उनको बोनस दिया जायगा।

इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, सभापति महोदय, इसके साथ मुझे अफसोस है कि जब मजदूरों ने यह मांग की, जो मजदूर भूख हड़ताल पर हैं पुलिस उठाकर ले गयी, जब उन्होंने मांग की, नारेबाजी की कि हमारे साथियों को छोड़ो। जो संगठन था उसमें एटक का सालिगराम एक कर्मचारी है, वह यूनियन से बहुत पहले निकाला गया, बैक डेट से जाकर उनसे साइन कराये। जबकि वह यूनियन का पदाधिकारी है ही नहीं, उससे साइन कराये। इन्दर सिंह कावड़िया आई. ए. एस. अधिकारी वहां पर बैठा रखा है। सब तरह के सरकार के नियमों का उल्लंघन करके अपने आप वाहवाही लूटने के लिये मजदूरों के साथ कुठाराघात कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

... सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करिये।

Page No. 98

(98)

श्री मेघराज तावड़ : जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन्होंने नारेबाजी की, मांग की। सब तरह की यूनियनें एक हो गयी हैं, कोई और यूनियन नहीं है। मजदूर अपने स्वयं के नेतृत्व में ले रहे हैं।

सभापति महोदय, भूप सिंह, जनरल सैक्रेटरी, उसको निकाल दिया, जगजीतसिंह संगठन मन्त्री हैं गोपाल सिंह, संयुक्त मन्त्री हैं, राजेन्द्र मोहन लाल सदस्य, कार्यकारिणी कमल किशोर पारीक, यह लोग वहां पर कार्यकारिणी के सदस्य थे, उनको निलम्बित कर दिया, बर्खास्त कर दिया। आज भी वहां बराबर बर्खास्तगी की कार्यवाही की जा रही है। मैं चाहूंगा, सभापति महोदय, कि श्रम मन्त्री जी यहां बैठे हैं, मुख्य मन्त्री जी से बात करें। मैंने कल आप से बात की आपने कहा कि मुख्य मन्त्री जी का विषय है, मुख्य मन्त्री जी का डिपार्टमेण्ट है। मैं चाहूंगा इस पर, सभापति महोदय, मुख्य मन्त्री जी, इस पर इन्दर सिंह काबड़िया को वहां से हटाना पड़े तो हटाइये, नहीं तो इसका अन्जाम बुरा होगा। इण्डस्ट्रियल क्षेत्र में आज बड़ा असंतोष पैदा हो रहा है।

श्री सभापति : कृपया।

श्री मेघराज तावड़ : आज, सभापति महोदय, जो मजदूरों के साथ हो रहा है, आप भी उसी क्षेत्र से आते हैं। इण्डस्ट्रियल इलाका है। आज मजदूरों को निकाला जा रहा है, उनकी रक्षा की जाय और पूरी तरह अण्डरटेकिंग की जाय। आई.ए.एस. काबड़िया को वहां से हटाया जाय और निकाले गये मजदूरों को वापस लिया जाय।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय ने फर्माया था........

श्री सभापति : आसन पैरों पर है, कृपया बिराजें।

श्री हीरालाल आर्य : मेरा निवेदन तो सुनिये। सीमेन्ट फैक्ट्री से प्रदूषण हो रहा है। जन जीवन से सम्बन्धित है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अनुभवी माननीय सदस्य हैं इस सदन के, आसन पैरों पर है। पहला अधिकार आसन का है। कृपया बिराजें।

श्री हीरालाल आर्य : लेकिन अनुमति तो फर्माइये।

श्री सभापति : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत ....

श्री हीरालाल आर्य : सभापति महोदय 2 मिनट की अनुमति फर्माइये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरी विवशता है, मैं अध्यक्ष महोदय द्वारा दी गयी व्यवस्था के विपरीत नहीं जा सकता। कृपया बिराजें।

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे में श्मशान की भूमि को लेकर हो रहे आन्दोलन की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ आर्डर। सभापति महोदय, अभी व्यवस्था देते समय अध्यक्ष महोदय ने मेरा स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत किया था। लेकिन अस्वीकृत होने के बाद, जैसी कि ट्रेडीशन भी है, व्यवस्था भी है, बोलने का अवसर मिलता है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप मुझे बोलने देंगे?

श्री सभापति : किस सम्बन्ध में ?

सुश्री पुष्पा जैन : न्यायालय परिसर में गत 16 अप्रेल को आई.ए.एस. एक आफिसर ने अपनी पुत्री की शादी करके न्यायालय परिसर को मिस यूज किया है उसके संबंध में।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राज्य मंत्री, गृह) : आप कन्या के विवाह के बारे में चर्चा करें, आप स्वयं महिलाओं की पैरवी करती हैं। वैसे आपकी मर्जी है।

श्री मेघराज तावड़ : लेकिन कानून इसको अलाऊ नहीं करता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्या, इस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय व्यवस्था दे चुके हैं और उन्होंने फरमाया है कि आपको बोलने की अनुमति इस सम्बन्ध में नहीं दी जायेगी।

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, उन्होंने फर्माया है कि बोलने की अनुमति दी जायेगी।

श्री सभापति : अनुमति नहीं दी गई है।

सुश्री पुष्पा जैन : मैं बहुत नम्रता से निवेदन करना चाहूंगी कि जब सुबह एडजोर्नमेंट मोशन मैंने उनको स्वयं को दिया था और उस समय भी मैंने उनकी इजाजत और उनकी इच्छा जान ली थी और अभी भी मैं यहां से उठकर उन्हीं से मिलकर आई हूं। आप मालूम कर लें, अगर मैं गलत होऊं तो आप मालूम करवा लें।

श्री सभापति : आप विराजें। माननीय सदस्य जब तक अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, तब तक मैं अध्यक्ष महोदय से पूछवा लेता हूं।

सुश्री पुष्पा जैन : ठीक है।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी :

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री माधोपुर में श्मशान की भूमि को लेकर हो रहा आन्दोलन

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री माधोपुर कस्बे में पिछले 8 महिने से श्मशान भूमि को लेकर चल रहे आन्दोलन के प्रति माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहूंगा कि श्री माधोपुर कस्बे में कदीम से ब्राह्मणों की श्मशान भूमि निश्चित थी और उस श्मशान भूमि पर लोग जलाने का काम, और क्रिया-कर्म करने का काम किया करते थे। लेकिन, सभापति महोदय, दुर्भाग्य है कि 17-10-1974 को एक गोपीदास नाम के महन्त जिनकी जमीन थी उस जमीन के पास ही जिसका खसरा नम्बर 5/1099/2

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

था उसकी रजिस्ट्री वर्तमान में श्री हरिनारायण जी महन्त के नाम करवा दी, लेकिन, सभापति महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि जो जमीन थी उसका खसरा नम्बर 5/1099/2 था उसके बजाय जानबूझकर 5/1098/2 की रजिस्ट्री उनके नाम से कर दी और 17-10-1974 को रजिस्ट्री कराई गई और 31-10-1974 को तहसीलदार और पटवारी से मिलकर जो रेकार्ड था उसमें दुरुस्ती करा ली। वह दुरुस्ती, सभापति महोदय, इस प्रकार कराई कि श्री माधोपुर कस्बे के बाहर जो कब्रिस्तान बना हुआ है, उस कब्रिस्तान के बीच में एक चैनल थी जो कब्रिस्तान और श्मशान दोनों की भूमि का विभाजन करती थी और उसके आगे इस महन्त की जमीन थी, ऐसा करने के बजाय रेकार्ड में जो दुरुस्ती की गई कि कब्रिस्तान के पास जो चैनल थी उसको तो खसरे की विभाजन रेखा बता दी गई और इधर जो श्मशान की भूमि थी, उसके आगे जो महन्त की भूमि थी उसको चैनल दिखा दिया गया और इस प्रकार से इन दोनों खसरों को एक खसरा कर दिया गया। चूंकि इस खसरे से आगे आकर जो बरसी गांव है, उसकी जमीन में भी एक महन्त का कुआ और जमीन थी दोनों मिलाकर एक कर दिये गये और नक्शे में इस प्रकार से दिखा दिया गया कि जो वर्तमान में शमशान की भूमि स्थित है उस श्मशान की भूमि को गोपीराम ने हरिनारायण जी को बेचान की है। लेकिन सभापति महोदय, इसके प्रमाण हैं। उन्होने जो रजिस्ट्री कराई है उस रजिस्ट्री के अन्दर श्मशान के अन्दर क्रिया कर्म के लिए जो तिबारे और पेड़ लगे हुए थे उनको अपनी रजिस्ट्री में अपने तिबारे और पेड़ को लिखवाया और उन्होंने कोशिश यह की कि कब्रिस्तान की जमीन से लगती हुई जो श्मशान की भूमि है और उसके आखिरी में उसकी सीमा पर यह जो तिबारे और पेड लगे हुए थे उसके बाद उनकी जमीन आती है। सभापति महोदय, उन्होंने यह कोशिश कर रहे हैं जो तिबारे और पेड़ हैं यह उस जमीन में हैं ऐसा करके उन्होंने रेकार्ड में दुरुस्ती कराई।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में जब बार बार हमने आन्दोलन किया, 8 महिने से लगातार दो आदमी प्रतिदिन वहां पर आमरण अनशन पर बैठते हैं, लोग 24 घंटे का अनशन करते हैं फिर उठ जाते हैं, वहां के आन्दोलनकारियों ने मुख्य मंत्री जी को ज्ञापन दिया। वहां के आन्दोलनकारी माननीय राजस्व मंत्री जी से मिले. वहां के आन्दोलनकारियों ने सैटलमेंट आफिस में जाकर शिकायत की। एस डी. ओ. के आफिस में शिकायत की, सैटलमेंट आफिसर जांच करने के लिए आए और जांच करने के बाद उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है माननीय मंत्री महोदय, रिपोर्ट की जो स्थिति है उसमें रिकार्ड को जो उन्होंने स्थिति बनाई है और उसके आगे 5 नम्बर का बिन्दु उन्होंने तय किया है, उस बिन्दु में उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वास्तव में जान बूझकर रेकार्ड में हेराफेरी की गई है और एक नम्बर जो खाली छोड़ा गया, उस नम्बर को खाली छोड़कर उसके आधार पर खसरे को दुरुस्त करने की कोशिश की गई और वास्तव में जब इस जमीन पर हल चलाया गया पहली बार, 12 महिने पहले तो हल चलाते समय वहां पर बच्चों की हड्डियां निकलीं और उसके बाद में लोगों को पता चला, जलाने के

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

लिये रोज रोज तो कोई व्यक्ति श्मशान नहीं जाते, दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति में जब किसी के परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो, सभापति महोदय, श्मशान में जलाने के लिये जाते हैं, उसके बाद से लगाकर लगातार वहां पर आन्दोलन चल रहा है लेकिन इसकी ओर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप आश्चर्य करेंगे कि 8 महिने से लगातार एस. डी. एम., नीम-का-थाना के यहां पर दावा चल रहा है और वह बार-बार यह कहते हैं कि ज्युडिशियल प्रोसीडिंग्स में है लेकिन, सभापति महोदय, ज्युडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं है। 1092 के बारे में कोई वाद नहीं है, श्मशान भूमि 1097 परस्थित है, 1098 जिसकी रजिस्ट्री कराई गई है वह श्मशान के उत्तर की जमीन है लेकिन उसको यह कहकर राज्य सरकार टाल देती है बार-बार कि न्यायालय में मामला विचाराधीन है और यह कह कर ही एस. डी. एम. आज तक फैसला नहीं कर रहा है, 5 महीने से फैसले की तारीख टाल रहा है, लेकिन एस. डी. एम. उसका फैसला नहीं कर रहा है इस कारण से वहां पर आन्दोलन और अशान्ति की स्थिति है, इसकी बाबत में यह भी कहा गया था कि इस रेकार्ड में तब्दीली के आधार पर नये खसरा नम्बर क्रियेट किये गये 377, 378 या 400 जो भी खसरा नम्बर बनाये वह खसरा नम्बर गलत है, नये खसरा नम्बर करने से ही स्टे आर्डर प्राप्त किया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह इस बात के आदेश करें कि वहां पर जो जमीन है उसका दुबारा बन्दोबस्त कराया जाय, उसकी दुबारा नपती कराई जाय और नपती कराने के बाद में उस नपती के आधार पर एस. डी. एम. तुरन्त इस बात का फैसला करे और श्मशान की भूमि श्मशान के लिये सुपुर्द करें।

एक पाइन्ट और अन्त में निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह किस कारण से रुका हुआ है। माननीय सभापति महोदय, यह वहां के, जिन्होंने इस जमीन की रजिस्ट्री कराई है वह और कोई नहीं है—श्री हरिनारायण जी महन्त नगरपालिका, श्री माधोपुर के चैयरमैन हैं, जो कांग्रेस के चेयरमेन हैं, और इसी कारण से एस. डी. एम. इस बात की हिमाकत नहीं कर सकता कि वह फैसला कर दे और फैसले की तारीख पलटता है, फैसला नहीं करता है।

माननीय श्री मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे राजनीतिक कुछ भी कहती हो लेकिन कम से कम श्मशान के नाम पर जिन लोगों के सेन्टीमेन्ट्स जुड़े हुये हैं अपने पूर्वजों के स्थान पर, जहां पर लाग क्रिया कर्म करना चाहते हैं उसको तो कम से कम राजनीति में नहीं लें और उस श्मशान की भूमि को खाली कराया जाय, वहां पर उसको हटाया जायं और लोगों को जलाने की अनुमति दी जाय और वह तिबारे वापिस दिलाये जाय और पेड़ जहां पर क्रिया-कर्म का काम होता था वापिस दिलाये जायें। इन शब्दों के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय इस कार्यवाही को करें और जो गलती नक्शे के आधार पर सैटिलमेन्ट जो

Page No. 102

(102)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

खसरा नम्बर दुबारा दिया गया है उनको चेन्ज करें और एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार सैटिलमेन्ट आफिस के कर्मचारियों और अधिकारियों को आदेश प्रदान करे कि वह वहां जाकर पुन: उसकी सारी नपती पैमाइश करे और पैमाइश के बाद यह फिक्स कर दें कि कौनसी जमीन है जिसकी रजिस्ट्री श्री हरिनारायण जी महंत ने कराई है वह उनको सम्भला दें और कौन सी जमीन सरकारी रेकार्ड के आधार पर श्मशान की जमीन है वह श्मशान को संभला दें और 8 महिने से जो आन्दोलन चल रहा है उसको समाप्त करायें और वहां के लोगों को राहत दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्री जी

(व्यवधान)

आप प्रश्न पूछ लेना माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल देवपुरा (राजस्व मंत्री) : आप बाद में बोल लेना जल्दी क्या है ?

श्री मोहनलाल मोदी : इसके साथ ही उत्तर दे देते। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मामला मेरे सब डिविजन से सम्बन्ध रखता है बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

(व्यवधान)

8 महीने से वहां का ग्रामीण समाज आन्दोलित है। माननीय मुख्य मंत्री जी से और माननीय राजस्व मंत्री जी से भी वहां के लोग मिले हैं इस तरह भयंकर स्थिति वहां पर है अगर पहले समय दे दें तो आपकी कृपा होगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी को पहले बोल लेने दीजिये उसके बाद में आप बोल लेना।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, नियम यह है कि ध्यान आकर्षित करने के बाद मंत्री का अपना जवाब हो जाता है उसके बाद में माननीय सदस्य जो सम्बन्धित हों वह प्रश्न पूछना चाहें, वह पूछ लेंगे। मैं उनका जवाब दे दूंगा।

श्री सभापति : फर्मायें।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सभापति महोदय, सीकर से आने वाले माननीय सदस्य ने श्रीमाधोपुर के श्मशान की भूमि से सम्बन्धित एक विवाद जो वहां पर चल रहा है उसके सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया, कुछ तथ्य भी उन्होंने सदन के अन्दर प्रस्तुत किये उन तथ्यों में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन है वह सदन के सामने मैं रखना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आपने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में खसरा नम्बर 1097 में श्मशान होना बताया है और अभी भी आपने इसी प्रकार का यहां पर जिक्र किया है। इसको समझने का ही थोड़ा सा फेर रह गया है, नक्शे को देखने से और मौके की हालात से स्पष्ट होगा कि खसरा नम्बर

(श्री हीरालाल देवपुरा)

1097 जो साबिक बन्दोबस्त का नम्बर आज के बन्दोबस्त में वह, नम्बर 376 हो गया और खसरा नम्बर 1097 जो कब्रिस्तान, श्मशान और रास्ता यह तीनों नाम से दर्ज है लेकिन मौके पर खसरा नम्बर 1097 में सदैव से कब्रिस्तान रहा है और वहां पर उसके चारों ओर बाउन्डरी बनी हुई है और उसका रकबा भी निश्चित रकवा सेटलमेन्ट के अन्दर बताया हुआ है वह रकबा है 8 बीघा 11 बिस्वा। वह 8 बीघा 11 बिस्वा का रकबा जिसके आज भी चारों तरफ बाउण्डरी बनी हुई है और जिस खसरा नम्बर 1097 का जिक्र किया जा रहा है आज की पैमाइश, जो पैमाइश वहां पर चल रही है उस पैमाइश में उसका खसरा नम्बर 376 हो गया है। उसका रकबा आज भी 8 बीघा 11 बिस्वा है। इसलिए खसरा नं. 1097 जो आज का खसरा नं. 376 है, जिसमें श्मशान होने का आप जिक्र कर रहे हैं, मैं, उसको श्मशान स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं, मौके के आधार पर भी और सेटलमेंट के आधार पर भी।

(2.00 म.प.)

जो सेटलमेंट संवत् 2008 से पहले हुआ था और संवत 2012 से जमाबन्दी बराबर चली आ रही है उस जमाबन्दी में इसका इन्द्राज बराबर रेगुलरली चला आ रहा है और यह खसरा नम्बर 1097 आज नगरपालिका के नाम पर अन्दर आबादी के नाम पर दर्ज किया गया है लेकिन इस्तेमाल उसका उसी कब्रिस्तान के रूप में, आज भी जैसी स्थिति है, वहां पर उसका हो रहा है। इसके पास में दूसरी एक जमीन है जो खसरा नम्बर 1098 है साबिक सेटलमेन्ट के अनुसार। उस खसरा नम्बर 1098 का रकबा 77 बीघा है सभापति महोदय। इस 1097 को लगे हुए प्लाट में श्मशान है और उस 1097 में श्मशान है और दो तिबारे जिनका जिक्र हुआ है वहां दो तिबारे और श्मशान आज भी बने हुए हैं। और उस सम्बन्ध में गांव की तरफ से या पडोसी जिनकी जमीन है जिनका नाम बताया हरिनारायण जी उनकी तरफ से किसी प्रकार कोई विवाद उन दो तिबारों और श्मशान के बारे में नहीं है। उस 1098 नम्बर में जो 5/1098/2 था वह नम्बर श्री गोपीदास करके कोई महन्त थे उनका वह नम्बर था उन्होंने यह नम्बर श्री हरिनारायण को और एक उनके और साथी हैं सन्तोष कुमार या ऐसा कुछ नाम है, उनको दोनों को हिस्सा बराबर यानि आधा आधा हिस्से के आधार पर उनको विक्रय किया है। तो आज वह जमीन उन दोनों के कब्जे में है। उस जमीन का रकबा भी निश्चित रकबा है 7 बीघा 11 बिस्वा। वह 1097 का रकबा है, 8 बीघा 13 बिस्वा और इसका रकबा है 7 बीघा 11 बिस्वा। तो 7 बीघा 11 बिस्वा आज भी निश्चित रकबा दिया हुआ है और इस पैमाइश में जो 5/1098/2 जिसके लिये आपने कहा कि 8/1099/2 थे तो 1099 जैसा कोई नम्बर साबिक पैमाइश में कहीं भी 5/1099/2 नहीं था।

(व्यवधान)

आप जल्दी मत कीजिये। यह गलती किस प्रकार हुई, यह जमाबन्दी जो उस वक्त की बनी, उस जमाबन्दी का इण्डेक्स यदि आप देखेंगे तो उस इण्डेक्स में वह नम्बर 1098/2 लिखा है 5/1098/2 लिखा है

(श्री हीरालाल देवपुरा)

और जो जमाबन्दी का दूसरा रिकार्ड बना है उसमें सेवन से वह 1098 की बजाय 1099 लिखा गया है और उसी वक्त जब यह मालूम हुआ 1974 में जब बिक्री हुई थी तो 1099 चूंकि लिखा हुआ था उसका जब मालूम हुआ कि 1099 नहीं है और 1098 है और जो इण्डेक्स जमाबन्दी का बना हुआ है नम्बर दिया हुआ है, जिसमें सब नम्बरों का इण्डेक्स दिया हुआ है, उस इण्डेक्स में वह 5/1098/2 ही है और साबिक बन्दोबस्त में भी 5/1098/2 था, तो इस नंबर को करैक्ट करके, वह 1099 था उसको करैक्ट करके 1098 वापिस किया गया। यही नहीं, सभापति महोदय जो ओरिजनल रिकार्ड जमाबन्दी और सेटलमेंट की मिसल बनती है उस मिसल को भी हमने देखा है और उस मिसल के अन्दर भी नम्बर का इन्द्राज 1099/2 नहीं 1098/2 ही है तो 1099/2 जो बीच में आ गया है नंबर यह नंबर तो सिलसिलेवार नम्बर में सेटलमेन्ट में कहीं पर भी साबिक बन्दोबस्त में नहीं आया वह 1098 ही था और उसको करैक्ट करके 1098 ही किया है। उसका कहीं कोई विवाद जैसी स्थिति बनी हो, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। प्रश्न यह है कि अब वह श्मशान जिसके लिए आप कह रहे हैं कि दो तिबारे और श्मशान की जमीन, उस जमीन का मेरे रिकार्ड के आधार पर और मैंने जो कुछ भी सूचना प्राप्त की है उसके आधार पर उसका कोई विवाद नहीं है। पड़ौस में जिस हरिनारायण का जिनका आपने जिक्र किया उनका कोई विवाद नहीं है। सभापति महोदय, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन माननीय सदस्य ने उस बात को यहां पर रख दिया कि सरकार क्यों इसको नहीं कर रही है, यह कह करके कि हरिनारायण जिनकी यह जमीन है कांग्रेस के सदस्य हैं और नगरपालिका के अध्यक्ष हैं। सभापति महोदय, झगड़ा यह नहीं है। झगड़ा यह है कि इन्हीं हरिनारायणजी के विरुद्ध जो कांग्रेस के हैं, आपने यह बात छेड़ी इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है, आपने अविश्वास प्रस्ताव रखा, तब तक यह 2008 से रिकार्ड चला आ रहा है 2008, 2012 रेग्यूलरली जमाबंदी चल रही है, रिकार्ड चला आ रहा है और हमेशा उसी हिसाब से ये लोग काबिज हैं। आपने कोई विवाद खड़ा नहीं किया, विवाद तब खड़ा किया जब हरिनारायणजी के खिलाफ आपने अविश्वास प्रस्ताव रखा और उस अविश्वास प्रस्ताव में आप हार गये वह अविश्वास प्रस्ताव में आप जीते नहीं, हरिनारायणजी को चेयरमेन शिप से हटा नहीं सके, इसलिए अब यह आपने इस दृष्टि से उसको परेशान करने से यह रखा है। मैं इस बात को नहीं कहना चाहता था, लेकिन इसलिए मुझे कहना पड़ा कि आपने इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। सभापति महोदय, ये सार्वजनिक मसले हैं, इन मसलों में सरकार कभी कोई राजनीतिक रंग देने की कोशिश नहीं करना चाहती और न राजनीतिक रंग देना चाहती है। वास्तव में जो स्थिति है वह स्थिति रहेगी, चाहे हरिनारायणजी कांग्रेस के सदस्य हों। चाहे वहां की म्युनिसिपलिटी के चेयरमेन हों, अगर उनका नाजायज कब्जा पाया जायेगा तो उनको हटाने के अन्दर सरकार कहीं भी एतराज नहीं करेगी, उनका नाजायज कब्जा वहां से हटा देगी, यह मैं आपको कहना चाहता हूं। राजनैतिक दृष्टिकोण सरकार का न कभी इस मामले के अन्दर रहा है, न रहेगा। क्योंकि ये सार्वजनिक

(श्री हीरालाल देवपुरा)

मसले हैं, इन मसलों के अन्दर हम राजनीति लाना नहीं चाहते। माननीय सदस्य ने जो बात कही, रकबा निश्चित है 8 बीघा 13 बिस्वा भी निश्चित है, 7 बीघा 11 बिस्वा भी निश्चित है और इसकी पैमाइश या साबिक पैमाइश, नई पैमाइश हो चुकी है नई पैमाइश के आधार पर 5/1098/2 का नम्बर 377, 378, 379, 380 और 381 हो चुका है। 377 नम्बर जिस कुए का रेफरेन्स आपने दिया है, हरिनारायणजी की जमीन के अन्दर जो कुआ है उस कुए का नम्बर 377 है और जो 7 बीघा 11 बिस्वा रकबा है उसका नम्बर 378 है और जो दो छतरियां हैं उनका नम्बर 379 और 381 है और जो जमीन श्मशान की है उसका नम्बर 380 है। उसमें कहीं पर विवाद नहीं है और फिर भी माननीय सदस्य चाहते हैं कि 8 बीघा 13 बिस्वा वह और 7 बीघा 11 बिस्वा यह इसकी अगर पैमूदगी करके मौके पर उसका इन्द्राज न किया जाना चाहिये तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, उस स्थिति में मैं इसकी जांच करवा सकता हूं। लेकिन यह कहना कि राजनैतिक दृष्टिकोण से इसके अन्दर डिले की जा रही है या उसमें दुरुस्ती नहीं की जा रही है यह सरासर गलत है। इसमें कोई तथ्य नहीं है, आधार हीन बात है। राजनैतिक दृष्टिकोण अगर कहीं रहा है, सभापति महोदय, चूंकि इतने लम्बे अर्से से कब्जा चले आने के बावजूद वहां पर कोई किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हुआ और केवल यह विवाद उस वक्त खड़ा किया गया जब वहां पर यह अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। उसको पास नहीं करा सके और अविश्वास प्रस्ताव गिर जाने के बाद यह विवाद खड़ा किया गया। इसका स्पष्ट मतलब है कि हरिनारायण जी जो वहां के नगरपालिका के अध्यक्ष हैं और उनकी यह जमीन है, उन्होंने खरीदी है 1974 में, इसलिए और कोई तरीका नहीं देख कर उनको परेशान करने की दृष्टि से यह बात कही जा रही है बाकी कोई विवाद नहीं है कोई चीज वहां पर थी नहीं, और न कोई वहां पर है। फिर भी माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि वहां की पैमूदगी के बारे में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि निशानात मौजूद हैं, पक्के निशानात मौजूद हैं और रकबा मौजूद है उसका पैमूद करके उसको फिक्सअप करने में मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

श्री सभापति : माननीय श्री मोदी।

श्री दीपेन्द्र सिंह (श्रीमाधोपुर) : सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र का है, मैं अध्यक्ष महोदय से भी मिल चुका हूं।

श्री सभापति : पहले श्री मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि श्मशान भूमि पिछले सैटलमेंट में श्मशान 1097 नम्बर पर श्मशान भूमि का रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा है और कब्रिस्तान उससे अलग है। उसके पूर्वी साइड में कब्रिस्तान है, आप उस नक्शे को देखिये पूरे नक्शे को, उसमें पूर्वी साइड में कब्रिस्तान है और पश्चिम के अन्दर उसमें श्मशान भूमि है बीच में डाटें लगी हुई है। उतना ही रकबा कब्रिस्तान का है, उतना ही श्मशान भूमि का है। सभापति महोदय, श्मशान भूमि का 7 बीघा 11 बिस्वा रकबा है और कब्रिस्तान का साढे आठ बीघा रकबा है। आप इसका अन्दाज लगाइये, उस वक्त के सैटलमेन्ट के अन्दर 8 बीघा 13 बिस्वा

(श्री मोहनलाल मोदी)

रकबा श्मशान के अन्दर दर्ज है। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त हरिनारायण जी महन्त ने यह रजिस्ट्री कराई 74 के अन्दर मैं निवेदन करना चाहूं कि उस वक्त एक गोपीदास चेला जगन्नाथदास स्वामी के नाम में खातेदारी उसका जो पर्चा है वह उस पर 5/1099/2 का था, उसने 1098 की रजिस्ट्री किस प्रकार से करा दी? आप कहते हैं कि वह सेटलमेन्ट में इस तरह की गलती हो गई, मन्त्री महोदय, सेटलमेन्ट के रिकार्ड में बाद में हेराफेरी की गई है। किस वक्त की गई वह हेराफेरी कि जब वहां कृषि उपज मण्डी बन रही थी वह श्मशान भूमि की जमीन लाखों रुपया बिस्वा की जमीन हो गई, यह हेराफेरी उस वक्त सेटलमेन्ट में की गई है और यह आप निश्चित रूप से जानकारी कर लीजिये कि यह वह जमीन है आज वहां पर 2 हजार रुपये गज के अन्दर यह जमीन बिकती है, इसलिए आज इस जमीन की कीमत हो गई है और श्मशान के बजाय उस पर वहां चेयरमैन जो है इस जमीन को लेने के लिये लालायित है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूं, एक सबसे बडी समस्या यह है यह राजनीतिक बात नहीं है, यह तो हमारी आदत है, हमारे तिवाडी जी को जो हर बात को राजनीति में लेना चाहते हैं, न तो महन्त जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हुआ है और न अविश्वास प्रस्ताव गिरा है और न इन्होंने जो कहा वह राजनीतिक बात है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अविश्वास रखा ही नहीं।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, हमारे तिवाडी जी की आदत है कि राजनीतिक रंग दे दें, यह राजनीति का प्रश्न नहीं है, प्रश्न एक पूरे समाज का है। ब्राह्मण समाज का पूरा प्रश्न है कि इसके अन्दर इन दो व्यक्तियों ने, हरिनारायण महन्त और एक सुनार है, उसने मिलकर इस जमीन की 74 में रजिस्ट्री कराई।

सभापति महोदय मेरा निवेदन यह है कि यह 1099/2 की रजिस्ट्री किस तरह से हो गई।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरा निवेदन है कि इस खसरा नम्बर की रजिस्ट्री कैसे हो गई और हरिनारायण महन्त और सोनी के नाम का नामान्तकरण कैसे उस जमीन का हो गया, तो सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह पिछले आठ महिने से वहां पर आन्दोलन चल रहा है और लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं पूरा ब्राह्मण समाज इससे आंदोलित है और लोग 24-24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। मंत्री महोदय से भी लोग मिले और मुख्य मंत्री जी को भी इस बारे में निवेदन किया। मेरा कहना यह है कि क्या यह सरकार की ड्यूटी नहीं है कि वह उन लोगों के पास जाये और उन लोगों से पूछे कि वास्तव में स्थिति क्या है? सभापति महोदय वहां पर हालत बहुत खराब है और उस पर काबू नहीं किया गया तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इसके गम्भीर परिणाम होंगे। सभापति महोदय, वहां का वातावरण बहुत ही गम्भीर हो

(श्री मोहनलाल मोदी)

गया है। उस वातावरण से कुछ भी घटना घट सकती है और उग्र वातावरण को समाप्त नहीं किया गया तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फिर सरकार की जिम्मेदारी होगी। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर किसी अधिकारी को भेजा जाय और जो जाकर उस जमीन की पैमाइश करा करे। खसरा नम्बर 1099/- का जो पर्चा है, जो नक्शा है उसमें वह नहीं है। उसमें जो इन्होंने 1099/2 का कहा है वहां पर 1005/1098/2 का इन्द्राज है। उस वक्त के नक्शे में 1098 का इन्द्राज है। 77 बीघा जमीन है जो कि सारी की सारी कृषि उपज मन्डी को दी गई वहां पर कृषि उपज मन्डी बन भी गई है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात को गम्भीरता से मंत्री महोदय लें, और इस की पूरी जांच करायें और जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं उन्हें सन्तोष दिलावें। ताकि समस्या हल हो सके। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री दीपेन्द्रसिंह। माननीय सदस्य संक्षेप मे बोलें। आप कोई नई बात बतायेंगे।

श्री दीपेन्द्र सिंह : सभापति महोदय, जितना मेरे मित्रों को समय दिया गया है उतना तो समय मुझे कम से कम मिलना ही चाहिये।

श्री सभापति : फर्माइये, फर्माइये।

श्री दीपेन्द्र सिंह : सभापति महोदय माननीय श्री घनश्याम जी ने यह कहा कि श्मशान में मुझे पड़ने की क्या आवश्यकता है। श्मशान में जब आप पड़ ही गये तो आगे की कार्यवाही तो मुझे करनी ही पड़ेगी। सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है चूंकि यह मामला मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है और हरिनारायण महन्त, जिनके नाम की यहां पर चर्चा की गयी है, मेरे दल के हैं और श्रीमाधोपुर म्युनिसिपैलिटी में निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुने गये हैं। इस कारण वहां पर बहुत से लोगों के दिल में दद था और लोगों के दिलों में जलन थी! जिस व्यक्ति ने सन् 75 में जिस जमीन को खरीदा और जिस जमीन पर सन् 1974 से जिसका कब्जा है जिस व्यक्ति ने पैसे देकर वह जमीन खरीदी है वह अब चूंकि नगरपालिका का अध्यक्ष बन गया है। हरिनारायण महन्त, उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का आरोप नहीं है, उस के प्रति किसी को कोई भी शिकायत नहीं है, उस व्यक्ति के खिलाफ में कोई केसेज नहीं हैं, जिसके खिलाफ एक भी पैसा लेने की शिकायत नहीं है उस व्यक्ति हरिनारायण को, पिछले कुछ महिनों से नगरपालिका के सदस्यों के राजनैतिक स्वार्थ के कारण कुछ व्यक्तियों के व्यक्तिगत द्वेष के कारण और कुछ लोगों के अपने स्वार्थ के कारण, अपने राजनैतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। वहां पर जो लोग थे वह घर घर घूम गये पर उनको किसी भी पार्षद का सहयोग नहीं मिला। सिर्फ तीन लोगों ने ही हस्ताक्षर किये। इस प्रकार की स्थिति में उन लोगों को मुह की खानी पड़ी। जब कांग्रेस के सिपाहियों की एकता को उन लोगों ने महसूस किया तो उन्होंने एक व्यक्ति की छवि बिगाड़ने के लिये वह इस प्रकार का षड्यंत्र रचा। मैं आपसे निवेदन करना

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

चाहता हूं, सभापति महोदय, केवल मात्र राजनैतिक आधार पर उसके खिलाफ मे जिलाधीश महोदय के पास डेपुटेशन लेकर गये। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन लोग गये ? क्या बी.जे.पी. के पार्षद उस संघर्ष समिति के अध्यक्ष नही है ? बनवारी लाल तिवाड़ी जो कि बी.जे.पी. का पार्षद है और जिसने मेरे खिलाफ में बी.जे.पी. के टिकट पर चुनाव लड़ा था वह उस संघर्ष समिति उसका अध्यक्ष बना हुआ है । वह व्यक्ति रोजना कलेक्टर साहब के पास डेपूटेशन लेकर जाता है। वहां पर एक राजनैतिक वातावरण बना रहे हैं । यह सब बी.जे.पी. के हथकण्डे हैं । वह लोग उस म्यूनिसिपल चैयरमैन की छवि बिगाड़ने के लिए यह कह कर कि यह पुरानी प्रोपर्टी है यह कार्यवाही कर रहे हैं ।

जहां तक सवाल, सभापति महोदय, श्मशान की भूमि का है मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने तीन दिन तक, रात के दो-दो बजे तक वहां पर लोगों को इकट्ठा किया वहां के प्रमुख लोग थे । उनको इकट्ठा किया मैं उनको मौके पर लेकर गया। मैंने लोगों के सामने मेरे लड़के की कसम खाई कि अगर श्मशान की जमीन हुई तो या तो मैं छुड़ा दूंगा या मैं विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दूंगा । लेकिन इस बात के लिये कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया ।

मैंने कहा, चलो फैसला कर लेते है। लेकिन जो बी. जे. पी. के प्रमुख हैं उन्होंने रात के दो बजे तक फैसला नहीं होने दिया और यह कहा कि सत्र आहूत होने वाला है, यह बात पिछले सदन के समय की है. जब सदन आहूत हुआ तो उन्होंने उस समय भी इसके लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था। अब भी रोजाना दो आदमी रोज भूख हड़ताल पर बैठते हैं। अब स्थिति यह बन गई है कि उनको कोई किराये पर भी भूख हड़ताल पर बैठने को नहीं मिलते हैं। उन्होंने अखबारों में दिया कि जो कोई भूख हड़ताल पर बैठेगा उसको दस रुपये रोज की मजदूरी दी जायगी लेकिन फिर भी उनको अब कोई नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की स्थिति है। केवल राजनीतिक वातावरण बनाने के लिए यह कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा मन्त्री महोदय को कि हरिनारायण का कहीं भी लेशमात्र भी एक इन्च भूमि हड़पने में हाथ नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसकी जांच करालें। ताकि उसकी भी छवि साफ हो, मेरी भी छवि साफ हो और आपकी भी छवि साफ हो जाय । जिन लोगों ने यह आन्दोलन छेड़ रखा है उनको मुंह की खानी पड़ेगी और उनके मुंह की कालिख भी सामने आ जायेगी। आप इसकी निष्पक्ष जांच करायें।

इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जो सदन में लॉ एण्ड आर्डर की बात कही गयी है, जो लोग केवल राजनैतिक उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं उनके लिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार इतनी कमजोर नहीं है वह सक्षम है, वह इस स्थिति से निपट लेगी जो कांग्रेस के लोगों के खिलाफ बी.जे.पी. वाले लोग आन्दोलन कर रहे हैं वह लोग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आगे आ रहे हैं। लोग दूसरों पर कीचड़ उछालना चाहते हैं कांच के महल में जो रह रहे हैं उनको दूसरों के

(श्री दीपेन्द्र सिंह)

घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिये, नहीं तो उनको को भी इसका परिणाम भुगतना होगा। सभापति महोदय, सारी स्थिति मन्त्रीजी ने स्पष्ट कर दी है यह मामला चूंकि सब-जुडिस है, और कलेक्टर ने जांच कर ली है, और सेटलमेन्ट में भी जांच हो चुकी है ए. सी. एम. ने भी जांच करली है, तहसीलदार ने भी जांच करली है, सारी रिपोर्ट तथा रिकार्ड मन्त्री महोदय के पास है, अब केवल राजनैतिक स्वार्थपूर्ति के लिये एक व्यक्ति की छवि बिगाड़ने के लिये, उस व्यक्ति, जिसने कभी एक पैसा भी किसी से नहीं लिया, उसकी ईमानदारी पर किसी को संशय नहीं है पर केवल मात्र श्मशान की जमीन का नाम लेकर ××× चार्ज लगाकर, सदन में वातावरण पैदा करना उचित नहीं है। मैं तो सौहार्दपूर्ण वातावरण में भाई श्री घनश्यामजी को न्यौता देना चाहता हूं कि वह मेरे साथ चलें और उनके सामने जमीन की नाप करली जावे। उसमें अगर किसी प्रकार की गलती पायी जाये तो कह सकते हैं। उनको खुद को ही अपने आप ही पता लग जायेगा। केवल राजनैतिक आधार पर इस तरह का वातावरण बनाना उचित नहीं है।

श्री सभापति : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय सभापति महोदय, मैं तो केवल दो प्रश्न ही पूछना चाहूंगा।

श्री सभापति : संक्षेप में।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक तो यह सभापति महोदय, जो जांच की गयी है जमीन की उसमें 1096/2 जमीन आपके रिकार्ड में है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वह रिकार्ड में है। दूसरी बात मैं यह निवेदन करता हूं कि कब्रिस्तान से सटकर जो श्मशान की भूमि है क्या आपके रिकार्ड में है हरिनारायण ने जो जमीन खरीदी है उसके पास में श्मशान है। कब्रिस्तान की जमीन का रकबा अलग है वह मैं सदन के पटल पर रखना चाहता हूं वक्फ बोर्ड ने जो फैसला किया है, कब्रिस्तान से सटकर आगे की भूमि श्मशान की है और आखिरी भूमि में तिबारे बने हुए हैं उसके आगे गोपीनाथजी के मन्दिर की भूमि है।

उसके अलावा मैं दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं कि बी. जे. पी. के सदस्यों का नाम लिया कि वह आन्दोलन कर रहे हैं। चूंकि बनवारीलाल तिवाड़ी बी. जे.पी. का पार्षद है, ब्राह्मण है और हरिनारायण भी ब्राह्मण है और चूंकि वह इस संघर्ष समिति का अध्यक्ष है इसलिये यह बी.जे.पी. के सदस्यों का नाम लेना चाहते है जब कि यह मामला अलग है।

श्री दीपेन्द्र सिंह : क्या बनवारीलाल बी. जे. पी. का पार्षद नहीं है। क्या उसने मेरे खिलाफ बी. जे. पी. के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा था। यह सब राजनैतिक आधार पर आन्दोलन कर रहे हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बात सही कि वह बी. जे. पी. का पार्षद है।

(व्यवधान)

तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें राजनैतिक स्वार्थ का प्रश्न नहीं है।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(110)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

आपको जलन इस बात की है कि प्रधान के चुनाव में बी. जे.पी. का आदमी प्रधान चुना गया है। पंचायत समिति में आप पैर नहीं रख सकते हैं आप तो श्री माधोपुर में घुस ही नहीं सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर बी. जे. पी और कांग्रेस का झगड़ा ही नहीं है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्मशान भूमि को ब्राह्मण हरिनारायण चेयरमेन हड़पना चाहते हैं। वहां पर दुकानें बनेगी वे लाखों रुपये की कीमत की दुकानें होंगी उनको यह हड़पना चाहते हैं इसलिये यह साजिश है मैं दीपेन्द्रसिंह जी को न्योता देना चाहता हूं कि वह मेरे साथ श्रीमाधोपुर चलें। वैसे तो उनको वहां पर घुसने नहीं देते हैं लेकिन उन की सुरक्षा का मैं जुम्मा लेता हूं।

श्री दीपेन्द्र सिह :आप अपनी सुरक्षा कर लें मै तो मेरी सुरक्षा कर लूंगा मैं तो वहां पर रोजाना जाता हूं मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं तो कल ही जाकर आया हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इन्होंने जो कानून व्यवस्था की बात कही है उसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले आठ महीने से आन्दोलन हो रहा है किन्तु कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई है केवल दो आदमी आते है और भजन गाकर चले जाते हैं अपने पूर्वजों को श्रद्धान्जलि देते हैं मैं तो यह कहना चाहूंगा कि आप मेरे साथ चलें मैं मन्त्री जी को भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह जयपुर से किसी सीनियर सैटलमेंट के आफिसर को भेजें जो सैटलमेन्ट का रिकाड देखने में होशियार हो उस सीनियर सैटलमेन्ट आफिसर को भेजें जांच करने के लिए

आप यह घोषणा कर दें कि जयपुर से सीनियर आफिसर, जो मान्य हो, इसको जानता हो, भेजकर कार्यवाही करायेंगे तो दूसरे दिन आन्दोलन खत्म हो जायेगा। आन्दोलन के लिए आपने कहा कि दस दस रुपये पर आदमी किराये पर लाते हैं, वे अपने पूर्वजों के श्मशान के लिए लड़ रहे हैं, उनको किराए का आदमी बताकर आप अपनी संस्कृति का प्रतीक बता रहे हैं। इन्होंने कहा कि किराये पर आदमी ले जाते हैं वहां पर आन्दोलन के लिए इसमें कोई राजनीति का आन्दोलन नहीं है, वह समाज का आन्दोलन है।

श्री सभापति : कृपया समाप्त कीजिये। माननीय मन्त्रीजी।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, विषय में लम्बी बात नहीं रह गई है। नम्बर का झगड़ा आपने बताया है, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है और अब भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 1099 जैसा कोई नम्बर सैटलमेंट के वक्त में कोई नम्बर था ही नहीं। जमा बन्दी बननी है उसमें जो रिकार्ड बनता है खाते का उसमें 1098 के बजाय इसमें 5/1099/2 लिख दिया गया लेकिन जमा बन्दी के साथ....

श्री मोहनलाल मोदी : इन दोनों की बात नहीं लेकिन गोपीनाथ को जो पर्चा मिला है उसमें 5/1099 है....

श्री हीरालाल देवपुरा : आप सुनें तो सही।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आ गई हैं आपकी बात, कृपया बिराजिये।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं पहले भी कहता था मैंने पूरा देखा है। 1099 नम्बर का कोई झगड़ा नहीं है, 1099 की जगह 1098 था। क्योंकि जो मिसल बनती है रेगुलर सेटलमेंट की, उस मिसल में भी यह नम्बर 1098 था, तो नम्बर का कोई झगड़ा नहीं है।

जहां तक सवाल है कि कहां श्मशान है, कहां कब्रिस्तान है, वहां जमीन है वह तो मौके पर आज मौजूद है। नम्बर कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो, इसमें फर्क नहीं पड़ता। 1097 नम्बर जिसमें श्मशान कब्रिस्तान और रास्ता है और तीन नाम अलग अलग दर्ज हैं, मैंने सुबह भी कहा था आप सुन नहीं सके। उसका रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा है और यह दूसरा नम्बर कह दो या 1098-99 कह दो, इसमें विवाद नहीं है। क्योंकि 1099 नम्बर है ही नहीं। जो छतरियां और श्मशान हैं वहं आज के बने हुए नहीं हैं, पुराने जमाने के बने हुए हैं आज भी मौजूद हैं। झगड़ा किसी बात का नहीं है। इसकी नपती करवा दी जायेगी। 7 बीघा 13 बिस्वा यह अलग है, यह अपने आप में बना हुआ है इस जगह को हटा नहीं सकते, यह छतरियां और श्मशान की जमीन है. छतरियों के बीच में आ गई है, वह हट कर कहीं और चली जायेगी, वह फिक्स्ड है, वह तो कहीं जाने वाली नहीं है 7 बीघा 11 बिस्वा की भी नपती करवा लेंगे इसमें कोई झगड़ा नहीं है। मैं पहले भी अपने जवाब में कह चुका हूं कि मैं आदेश दे दूंगा कि नपती करवा दी जायेगी। इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है क्योंकि जो जमीन श्मशान की है, छतरियां आज भी बनी हुई हैं इसका आज भी कोई विवाद नहीं करता। छतरियां बनी हुई हैं और श्मशान बना हुआ है। रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा है यह अलग है और 7 बीघा 11 बिस्वा वह अलग है। और यह जगह बीच में आती है। बीच में छतरियां बनी हुई हैं; दो छतरियां हैं बीच में श्मशान है उसकी नपती करवाकर निश्चित करवा देंगे। इसमें कोई विवाद नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। एक तो यह कि एस.डी.एम. फैसला नहीं कर रहा है उसके बारे में आपको क्या कहना है। वह लगातार पांच महीने से फैसले की तारीख टालता रहा है। इसका एस.डी.एम. नीमकाथाना है। दूसरा आपके रिकार्ड में कब्रिस्तान और श्मशान है यह पास पास में स्थित हैं या कब्रिस्तान और गोपीनाथ की जमीन है जो हरिनारायण को बेची वह स्थित है सभापति महोदय यह बता दीजिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय, मैंने तीनों चीजें साफ बता दी थीं, स्पष्ट रूप से। मैं मौके पर तो गया नहीं, मैंने नक्शा देखा है। मैं तो नक्शे के आधार पर कह रहा हूं छतरियां कहां बनी हुई हैं, श्मशान कहां बना हुआ है 8 बिघा 13 बिस्वा 1097 कहां खतम होता है वह नपती हो जायेगी, इसमें क्या दिक्कत है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एस.डी.एम. पांच महिने से तारीख टालता जा रहा है।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय इसका जिक्र स्थगन प्रस्ताव में नहीं है। न्यायालय में अपील चल रही है अपील में क्या कार्यवाही हुई, क्या नहीं हुई यह न्यायालय का मामला है। इससे न मेरा कोई सम्बन्ध है और न मुझे कोई जानकारी है।

श्री सभापति : न्यायालय का मामला है ।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, 5/1099/2 नम्बर उस पुराने नक्शे में है या नहीं या क्या ? यह बता दें ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि वहां नपती करा देंगे. आप भी साथ पधार जायें, सारा रिकार्ड चला जायेगा ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कब तक करवा देंगे ! नपती का काम कब तक करा देंगे । अवधि तो बतावें, 10 दिन में, 1 महिने में, 15 दिन में, कब तक करा देंगे ?

(व्यवधान)

श्री हीरालाल देवपुरा : जल्दी करा देंगे। अभी माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि कितने जल्दी, मैं कह रहा हूं कि जल्दी करा देंगे उसमें यह भी हो सकता है कि 5 दिन, 10 दिन, या 1 महीना भी हो सकता है । उसमें क्या दिक्कत हो गई ।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई, इसका उत्तर मिल गया है ।

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, बहुत इम्पोर्टेन्ट है । मामला सारा इस पर चल रहा है कि 5/1098/2 नम्बर नक्शे मे था नहीं । सारा मामला इसी पर आधारित है । अगर नम्बर नहीं था तो कहां से उस व्यक्ति के नाम यह जमीन रजिस्टर्ड हो गई, मूल प्रश्न यह है कि 5/1099/2 उस नक्शे में नहीं था तो कहां से आ गया ?

श्री सभापति : मंत्री महोदय ने बहुत स्पष्ट रूप से फरमाया है, आप विराजिये ।

श्री मोहनलाल मोदी : इसका उत्तर नहीं दिया है, आप साफ करवा दें ।

श्री हीरालाल देवपुरा : सभापति महोदय. मैंने बिलकुल साफ उत्तर दिया है । माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं । आप आवेश में हैं इसलिए समझ में नहीं आ सकती बात । मैंने कहा है कि 1099 में या 1098 में कोई फर्क नहीं पड़ता । वह रेगुलर नम्बर चल रहा है, भूल से 1098 की जगह 1099 लिख दिया है वहां पर वह इंडेक्स में भी नहीं है, सैटलमेंट मिसल में भी नहीं है । 1098 हो, 1099 हो. आपको कौन सा फर्क पड़ रहा है, जब मौके पर जांच हो जायेगी ।

श्री मोहनलाल मोदी : फर्क यह पड़ रहा है कि जिस व्यक्ति के पास 5/1098/2 का राइट है । और वहां 5/1098/2 जमीन नक्शे में ही नहीं है तो उसका फिर अधिकार कहां से हो गया, मेरा पूछना यह है ।

श्री सभापति : आप विराजिये, मेरे निवेदन को भी सुनिये । मंत्री महोदय ने और माननीय सदस्यगण ने जिस प्रकार से यहां अपने विचारों की अभिव्यक्ति की है उसमें एक बात स्पष्टरूप से सामने आई है कि नम्बरों का कोई फर्क नहीं पड़ता है ।

श्री मोहनलाल मोदी : पड़ता है ।

श्री सभापति : आप कृपया विराजिये तो सही । लेकिन जैसा मन्त्री महोदय ने कहा कि जब वहां पर परमानेन्ट स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं, जैसे बरामदे खड़े हुए हैं तो

(श्री सभापति)

वह तो वहां के वहीं पर हैं। वह जगह जा तो नहीं सकती ना। मौके पर जाकर नप ी हो जायेगी तो नम्बर कहां महत्वपूर्ण रह जायेंगे। इसलिए आप विचारिये इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रान्ति नहीं है विराजें कृपया। चर्चा समाप्त हुई।

न्यासों के क्षेत्राधिकार की समस्त सम्पत्ति को राजस्थान प्रिमिसेज (कन्ट्रोल ग्राफ रेंट एण्ड इविक्शन) से परे रखना

प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय श्री भंवरलाल शर्मा सदस्य, विधान सभा राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत समस्त न्यासों के क्षेत्राधिकार की समस्त सम्पत्तियों को राजस्थान प्रिमिसेज (कण्ट्रोल ग्राफ रेंट एण्ड इविक्शन) से परे करने के सम्बन्ध में माननीय विधि मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करेंगे।

माननीय श्री भंवरलाल शर्मा

(2.28 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें। आज इस तरह के प्रस्ताव बहुत ज्यादा हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, विषय बड़ा सरल है और बड़े संक्षिप्त रूप में निपट जायेगा। राजस्थान के अन्दर मकान मालिक और किरायेदारों के विवाद निपटाने के लिए एक कानून लाया गया जिसको हम राजस्थान रेंट कण्ट्रोल एक्ट के नाम से जानते हैं। यह एक्ट लाने के बाद स्थिति यह बनी कि जो गवर्नमेंट की प्रापर्टी थी, लोकल बाडीज की प्रापर्टी थी उनको खाली कराने में दिक्कत आने लगी तो दूसरा एक्ट लाया गया राजस्थान पब्लिक प्रीमिसेज इविक्शन ग्राफ अनग्राथोराइज्ड ग्रोकूपेंटस एक्ट और उसमें यह रेंट कण्ट्रोल एक्ट की जो धारायें हैं, उनसे मुक्त कर दिया गया और यह व्यवस्था की गई कि अगर कोई सरकारी भवन है या कोई म्यूनिसिपलिटी का या ऐसी और कोई स्थानीय निकायों का कोई भवन है जिसमें कई किरायेदार रहते हैं उनसे यदि खाली कराना होगा तो यह एक्ट मदद करेगा। इस प्रक्रिया के अन्दर नहीं जाना पड़ेगा जो साधारण कंट्रोल एक्ट की धाराओं में जाना पड़ता है। उसके बाद फिर यह समस्या खड़ी हुई सरकार के सामने कि वक्फ की प्रापर्टी या देवस्थान विभाग के अन्दर मंदिर हैं उनकी जो जायदाद है उसमें भी लोगों ने कई वर्षों से कब्जे किये हुए थे या मानलो अभी किसी से मिल करके मकान पर कब्जा कर लिया और रह रहे हैं या किसी धर्मशाला में 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये देकर रह रहे हैं और आज अगर उनसे किराया बढ़ाया जाय या खाली कराया जाये तो उन रेंट कंट्रोल एक्ट की धाराओं के अन्दर बहुत लम्बा प्रोसेस है और बोनाफाइड स्थिति साबित करना बड़ा कठिन है तो राज्य सरकार ने अनुभव किया कि वक्फ की जो प्रापर्टी है उनको और देवस्थान विभाग के अन्दर जो मन्दिर आते हैं उनको भी इस रेंट कंट्रोल एक्ट की धाराओं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

से मुक्त कर दिया जाय। 1982 में जब हमारे विधि मन्त्री के पास जो चार्ज था, आपको मैं धन्यवाद देता चाहता हूं कि आपने वक्फ की प्रोपर्टी और देवस्थान विभाग के मन्दिर हैं, उनको आपने इन धाराओं से मुक्त करके इस दूसरे एक्ट में ला दिया।

अब फिर भी यह समस्या रह गयी जिसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो देवस्थान विभाग के मन्दिर हैं उनको तो आपने मुक्त कर दिया लेकिन इसके बाद भी ऐसी कई धार्मिक संस्थायें रह जाती हैं, ऐसे धार्मिक संस्थान हैं, कई मन्दिर हैं जिनको अभी इन धाराओं से मुक्त करना बाकी है। अगर ऐसा नहीं किया जायेगा तो उनकी यह दशा होगी। उनके किरायेदार जो पुराने जमाने से रखे हुए हैं या मान लो किसी ने उनसे मिलकर कब्जा कर भी लिया तो उसी किराये पर उतने ही 5) रुपये या 10) रुपये के किराये पर वह उसमें निवास करते हैं और उसका अर्थ यह होता है कि न उन मकानों की मरम्मत होती है; न उनको चलाने के लिए पैसा मिल सकता है। ऐसी संस्थायें फिर इस रेन्ट कंट्रोल एक्ट के कारण जो अपना लाभ उठाना चाहती हैं, वह सेवा करना चाहती हैं वह नहीं कर पाती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट है उसमें इसका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रेशन होने के बाद वह जो रजिस्ट्री करा देते हैं देवस्थान विभाग के अन्तर्गत वह उस प्रापर्टी के मालिक नहीं रहते हैं और वह तभी होता है जब कि सारी पूंजी या इनकम है उसमें से आती है और वह इनकम इसी काम के लिए उसी पब्लिक परपज के लिए लग जाती है। ऐसे जो मकान हैं, ऐसी जो प्रापर्टीज हैं उनको भी इससे मुक्त करना, यह मेरा आपके सामने सुझाव है। अब जैसे उदाहरण के लिए जैसे मुस्लिम स्कूल है यह वक्फ की प्रापर्टी नहीं है। उसमें बहुत काफी दुकानें हैं। आज स्कूल के लिए आवश्यकता पड़े, दफ्तर बनाना है या कक्षाओं का विकास करना है तो वह किसी से खाली कराना चाहेंगे तो मुस्लिम स्कूल वालों को इस प्रक्रिया में से जाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया में उसका समाधान ढूंढने में और समाधान मिलने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं और वह पब्लिक ट्रस्ट का जो परपज है वह डिफीट होता रहता है। ऐसी राजस्थान में विभिन्न शिक्षण संस्थायें हैं चेरीटेबल इंसटीट्यूशन्स हैं, मन्दिर हैं जो इसमें इनकम होती है वह सड़क बनाने के काम में, गरीबों की मदद करने के काम में इस प्रकार के कामों में लगाते हैं....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य समाप्त हुआ भाषण। मन्त्री महोदय.

श्री भंवरलाल शर्मा : तो मेरा आपसे विधि मन्त्री महोदय, से निवेदन करना है कि आप उनको भी इस कानून से मुक्त कर दें और इससे जोड़ दें। इतना ही विषय है आज मेरा।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री अहमद बक्श सिंधी (वक्फ मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य भंवर जी का शुक्र गुजार हूं कि उन्होंने बहुत अहम मसले की तरफ मेरी तवज्जोह दिलाई है।

(श्री अहमद बक्श सिंधी)

बात यह है कि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत सभी ट्रस्टों की सभी सम्पत्तियों को राजस्थान भवन किराया एवं निष्कासन नियन्त्रण अधिनियम सन् 1950 के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया जाये और इसलिए कानून में आवश्यक संशोधन किया जाये। यह आपका फरमाना है। अभी राजस्थान भवन किराया एवं निष्कासन नियंत्रण अधिनियम सन् 1950 की धारा 2 की उप-धारा (3) में यह प्रावधान मौजूद है कि अगर राज्य सरकार किसी शैक्षणिक धार्मिक या खैराती संस्था की अचल सम्पत्ति को छूट देना लोकहित में आवश्यक है या एक्सपीडियेन्ट समझे और सन्तुष्ट हो तो अधिनियम के सभी या कुछ उपबन्धों से उसे छूट दी जा सकती है, बशर्ते संस्था की पूरी आमदनी उसी संस्था के उद्देश्य के लिए खर्च की जाती है। यह एक्सपीडियेन्सी जरूरी है इसके बिना राज्य सरकार कोई तवज्जोह नहीं दे सकती। इस प्रकार का जो प्रावधान अभी मौजूद है उसके अनुसार ऐसी कोई भी संस्था राज्य सरकार के समक्ष आवेदन पेश करके छूट मांग सकती है और अगर वह संस्थान कानून की शर्तों को पूरा करती हो तो धारा 2 की उप-धारा (3) में ऐसी छूट दी जा सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मौजूदा प्रस्ताव के जरिये माननीय सदस्य सभी पब्लिक ट्रस्टों की सभी सम्पत्तियों को छूट देने की मांग रख रहे हैं, वह मुनासिब मालूम नहीं होती है, कारण यह है कि पब्लिक ट्रस्ट भी होती हैं, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में उन अनेक किस्म के ट्रस्ट और अनेक किस्म की सम्पत्तियां आती हैं। चाहे उनका उद्देश्य शैक्षणिक, धार्मिक या खैराती हो या नहीं और चाहे उनकी पूरी आमदनी को उस ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए खर्च की जाती हो या नहीं। जैसे प्राइवेट मन्दिर हैं और उन प्राइवेट मन्दिरों को कोई लाभ दे दिया गया तो वह गलत काम में लाया जा सकता है अपनी जातीय अजारात के लिए। वह तीन शर्तें जो लाजिमी हैं, एक एजुकेशनल परपज है, दूसरा रिलिजयस है और तीसरा खैराती याने चेरीटेबल परपज है। तीनों होने चाहिए। तीन परपज के लिए अगर सारी आमदनी खर्च होती है तो राज्य सरकार उसको छूट देगी और नहीं तो नहीं देगी।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यही चाहता हूं........

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं यही चाहता था, माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लियर कर दूं कि किसी व्यक्ति को लाभ नहीं हो, कोई इसका दुरुपयोग नहीं करे। यह भी ठीक है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर बैठ जायें। आर्डर आर्डर।

श्री अहमद बक्श सिंधी : किसी को नाजायज फायदा उठाने नहीं दिया जायेगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा ...

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, कृपया मंत्री जी और माननीय सदस्य। आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। चर्चा समाप्त हुई।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय एक मिनट ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य चर्चा समाप्त हुई। ऐसा है कि मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज जो कार्य सूची का मुख्य विधायी कार्य था उसके अलावा माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु और जनहित में मैंने बहुत बड़ी संख्या में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव अथवा स्थगन प्रस्तावों पर मंत्रियों के वक्तव्य रख दिये हैं। सुबह प्रातःकाल ही मैंने माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था इसलिए अब 15 मिनट से ज्यादा किसी प्रस्ताव पर वक्तव्य दिया जायेगा उस पर चर्चा नहीं होगी। इसलिए 15मिनट में माननीय सदस्य चाहे एक हो या एक में अधिक हो और उसके अन्दर जो मंत्री महोदय उत्तर देंगे वह भी उस समय के भीतर आयेगा। इसलिए माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो समस्या है वह थोड़े शब्दों के अन्दर रख दें सदन के समक्ष ताकि सरकार की ओर से उत्तर प्राप्त किया जा सके।

श्री विष्णु बजारी

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर समय नहीं लें माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक सेकण्ड साहब ...

श्री अध्यक्ष : इस तरह प्रश्नों का कोई अंत नहीं होगा ...

श्री भंवरलाल शर्मा : प्रश्न नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य अब इसमें 5 प्रश्नों का समय चला जायेगा।

ब्यावर नगर आवासन मण्डल द्वारा आवासन योजना में होने वाली अनियमितता।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी और श्री अमरा राम ने भी दिया था। दो, दो मिनट में अपनी जो समस्या है वह मंत्री महोदय के समक्ष रख दें।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के अन्दर जो आवासन मण्डल है वह किस प्रकार से गरीब लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। इस सम्बन्ध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

मान्यवर हमारे ब्यावर नगर के अन्दर सन् 19 8 के अन्दर आवासन मण्डल ने अपनी योजना बनाई। योजना बनाने के बाद इन्होंने पंजीकरण का काम शुरू किया और 1978 और 1981में कुल मिला करके करीब 1500 लोगों का उन्होंने पंजीकरण करके 50 लाख रुपये से अधिक की राशि इन्होंने एकत्रित की और बड़े दुःख की बात यह है कि मान्यवर महोदय, आज तक वहां स्कीम का कोई भी काम छोड़ कर आफिस तक इन्होंने नहीं लगाया। इन्होंने, मान्यवर अध्यक्ष महोदय, जो आवासन मण्डल है उसके अन्दर विशेष अधिकारी होता है जो कि भूमि को अवाप्त करता है। वह अधिकारी सरकार का होता है और आवासन

(श्री विष्णु प्रकाश बजारी)

मण्डल द्वारा उसकी नियुक्ति होती है। अध्यक्ष महोदय, उस विशेष अधिकारी द्वारा वहाँ की भूमि जिनकी अवाप्त की गयी उन लोगों को बाकायदा सुन करके, सरकार का जो वकील था उसका भी पक्ष सुन करके दोनों बातों को सुन करके मौजूदा मार्केट वेल्यू -इनके नियम के अन्दर यह बिलकुल स्पष्ट शब्द हैं कि मार्केट वेल्यू के हिसाब से जो भूमि अवाप्त की जायेगी उसका मार्केट वेल्यू के हिसाब से उसकी वेल्यू जिनकी जमीन अवाप्त की जायेगी, उनको दी जायेगी। यह बिलकुल स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अध्यक्ष महोदय, जब इनका विशेष अधिकारी जो कि सरकार का है, जो गरीब किसान लोग हैं उनकी तरफ से वह अधिकारी अपॉइन्ट नहीं होता है, अधिकारी होता है सरकार की तरफ से अपॉइन्ट। जब सरकार की तरफ से अपाइन्टेड आवासन मण्डल का विशेषाधिकारी जाकर सारी बातों को सुन लेता है, सुनने के बाद जब हमारे ब्यावर नगर के नागरिकों ने जो भूमि उस वर्ष में अवाप्त की गयी उस भूमि की उस वर्ष के अन्दर दूसरे सालों में रजिस्ट्री कराई गई और रजिस्ट्री की बाकायदा नकलें इनके अधिकारी को पेश की गयीं और 50-60 हजार रुपये बीघा तक की रजिस्ट्री है उस अधिकारी को पेश की गयी। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हमारी नगर परिषद् ब्यावर के अन्दर उसके बिल्कुल सामने की जमीन 3 लाख रुपया बीघा के अन्दर पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ विभाग को नगर परिषद् ने बेची। तो, अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है और मन्त्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जब एक ओर तीन लाख रुपये बीघा के अन्दर सरकारी डिपार्टमेंट अपनी जमीन सरकारी विभाग को तीन लाख रुपया बीघा के अन्दर देता है तो विशेष अधिकारी ने जो भी अवार्ड दिया है उसके फैसले के अनुसार उन बेचारे गरीब लोगों को पिछले 8 माह से परेशान किया जा रहा है और उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है। भुगतान नहीं करने के कारण, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट और निवेदन करना चाहूंगा भुगतान नहीं करने के कारण ब्यावर नगर की हाऊसिंग बोर्ड की जो योजना है वह पिछले 6 साल से तो देरी हो ही गई है और उस देर से होने के कारण एक आम गरीब को एल. आई. जी. स्कीम के अन्तर्गत जो मकान 15 हजार रुपये में देना चाहिए था उस मकान की लागत 15 हजार की बजाय 25 हजार पड़ रही है। और दूसरी जो स्कीमों के अन्तर्गत जो मकान एक लाख रुपये में मिलना चाहिये था उसके अब वह 1 लाख 50 हजार रुपये में मकान अब पड़ेगा। अब भी अगर इसमें और देरी की गई तो दिनों दिन कीमतें और बढ़ती जायेगी।

अध्यक्ष महोदय एक मिनट एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, अभी जो मौजूदा कीमत में अगर भुगतान करके स्कीम लागू कर दी जाती है तो एक मकान पर मुश्किल से दो सौ रुपया या तीन सौ रुपया फर्क इस जमीन पर पड़ता है और दूसरी ओर इनकी लापरवाही के कारण जैसा कि विधान सभा के सत्र में कई माननीय सदस्यों ने अलग अलग माध्यम से इस बात को उठाया है कि जो मकान बनाये गये हैं जो मकान इनकी स्कीम में

(श्री विष्णु प्रकाश बजारी)

देरी होने के कारण मकानों की लागत 10 हजार रुपये और 15-15 हजार रुपये उनकी कीमत बढ़ गई है। तो मेरा निवेदन है कि जब एक ओर 15 हजार रुपये कीमत बढ़ा रहे हैं इनकी लापरवाही के कारण और दूसरी तरफ उस गरीब किसान को जिसकी जमीन आप मार्केट रेट से अवाप्त कर रहे हैं ....

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट नहीं करें, माननीय सदस्य। कह चुके हैं।

श्री विष्णु प्रकाश बाजारी : इसलिये आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इसमें बिना देरी किये हुए और जब कि हमारे भारत की प्रधान मन्त्री भी चाहती हैं कि बीस सूत्री कार्यक्रम में गरीब लोगों को जल्दी मकान बना कर दिये जायें इसलिये मेरा निवेदन है मन्त्री महोदय, से इनके जो विशेष अधिकारी ने अवार्ड दिया है और पूरे राजस्थान के अन्दर जहां जहां विशेष अधिकारियों ने अवार्ड दिये हैं मेरा निवेदन है उस अवार्ड के अनुसार इमीडियेटली उनको भुगतान कराया जाये। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री अमरराम।

श्री अमरराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा यह हम सबको मालूम है।

श्री अमरराम चौधरी : यह जो भूमि आवासन मण्डल जहां भी राजस्थान में अवाप्त करते हैं और काश्तकारों के जो बेरे होते हैं जिनके ऊपर उनकी रोटी और रोजी निर्भर होती है. उन काश्तकारों को जब यह नोटिफिकेशन होता है, वे कब्जा उनको सुपुर्द कर देते हैं, उसके बाद में वहां पर जो विशेषाधिकारी मौका देखते हैं। मेरे यहां भी बालोतरा के अन्दर मौका देखा गया और इनके खुद के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने मौका देखा है और उसके बाद में वहां के आस पास में जो बिल्कुल दो सौ फीट दूरी की जमीन के भाव क्या थे ? 16 हजार रुपया बीघा में जमीन बिकी। कहीं कहीं एक बीघा 13 हजार में बिकी, अलग अलग भाव थे। फिर भी बहुत ही नामिनल रेट जो तय की गई विशेष अधिकारी द्वारा और जिन काश्तकारों की जमीन थी, एक तो माली है गरीब बेचारा, उसका और कोई साधन नहीं और एक जो मार्केटिंग के अन्दर मैनेजर था वह रिटायर हो गया, अब उसके पास पैसे की कमी। तो करीब तीन साल से लगातार उसने अपने कुए वगैरा सब दे दिये और उसके कमाने का और कोई जरिया नहीं रहा उस जगह मंत्री महोदय कल फरमा रहे थे कि मकान बना लिए, मकान बन गये, सब कुछ हो गया लेकिन उन लोगों को अभी तक पेमेंट नहीं किया। बार बार जयपुर के लिये पेशियों पर आने पर अवार्ड तय कराने में आने जाने के लिये आज अगर बालोतरा से कोई आदमी जयपुर आता है तो आने जाने में तीन सौ रुपये का ....

श्री अध्यक्ष : आप सीधा विषय पर आ जायें यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : विषयान्तर हो रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम चौधरी : मेरी अर्ज यह है कि जो भी है, हमारा जो अवार्ड है, जो तय किया गया है, उस अवार्ड को आप शीघ्र दिलाने का कष्ट करें। कल मेरा जो प्रश्न था, उसमें बिजली लगाने के बारे में आपने कहा कल ही कह देना, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि अभी तक आप दो साल से मकान बना रहे हैं, न आपने कोई नालियों के बारे में काम किया है। आपका गन्दा पानी कहां जायेगा, इसका कोई प्रबन्ध नहीं किया। आपने बिजली का कोई प्रबन्ध नहीं किया है। व्यवस्था नहीं होगी तो जिन लोगों के आपने पैसे लिए हैं उन लोगों का वहां रहना मुश्किल हो जायेगा। इसीलिये इन बातों का ध्यान जल्दी से जल्दी करायें। जो पैसे जमा हुए हैं आज पांच सात साल पहले जो पैसे जमा हो गये हैं। मकानों के लिये तो फिर मकान कब अलाट करेंगे यह तिथि बता दें मकान अलाट इस तारीख तक कर देंगे और जिन व्यक्तियों से जमीन ली है वे अदालतों में फिरते रहेंगे, आखिर इसका एक अन्त आएगा। आप उनको जल्दी से जल्दी पैसा दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री अमराराम : यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी।

श्री दुलाराम (राज्य मन्त्री, आवासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये उसके बारे में मेरा निवेदन है कि सन् 79-80 में पंजीकरण किया गया। करीब 800 प्रार्थना पत्र पंजीकरण किये गये हैं और उसके बाद जो जमीन एक्वायर की गई, जमीन एक्वायर करते समय विभाग का कहना यह है कि वहां मार्किट वैल्यू 7 हजार और 8 हजार के बीच में थी। उसके बाद ओ. एस. डी. जिसको नियुक्त किया गया था कि आप दोनों पक्षों को सुनकर उधर इधर की सुनकर इसका निर्णय करें। उन्होंने कीमत 26 हजार रुपया बीघा तय कर दी। इसके बाद आवासन मण्डल को भी एतराज हुआ कि जयपुर में करीब 20, 21 और 22 हजार रुपया बीघा के हिसाब से उनको जमीन मिल रही है, ब्यावर में 26 हजार देंगे तो बहुत ज्यादा कीमत बनती है। इस विषय को लेकर 29-10-83 को अध्यक्ष आवासन मण्डल ने आदेश दिये कि इस केस को रेफरेन्स किया जाये और उसके बाद जो कीमत तय करें वह कीमत उन काश्तकारों को दे दी जाय। न्यायालय में अभी तक केस भेजा नहीं गया है, मगर आवासन मण्डल का यह मत है कि इस केस को न्यायालय में भेजें और उसके बाद वहां जो कीमत तय हो वह हम उनको दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब यह पैसों का मामला है और कीमत भी जयपुर के हिसाब से कुछ ज्यादा आंकी गई है। उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि अगर माननीय सदस्य और वहां के जन प्रतिनिधि, वहां के लोक सभा सदस्य ने भी मुझे पत्र लिखा कि उन काश्तकारों को पैसा जल्दी मिलना चाहिये। मेरा मानस भी है उनको पैसा जल्दी मिले। इस विषय में एक ही निवेदन कर सकता हूं कि अगर आवासन मण्डल ने, अध्यक्ष ने नहीं, आवासन मण्डल ने निर्णय लेकर इस केस को रेफरेन्स करने का डिसीजन किया है तब तो मैं वापिस विदड्रा नहीं कर

Page No. 120

(120)

(श्री दुलाराम)

सकता, कानून नहीं और अगर अध्यक्ष ने डिसीजन लेकर भेजा है तो उसको वापिस ले लेंगे और उनको पेमेंट करा दूंगा।

जहां तक बालोतरा की बात है यही बात बालोतरा की है। कलेक्टर और उनकी रिपोर्ट हिसाब से वह कह रहे हैं कि 500-600 रु. के बीघा हिसाब से है इनका 7 हजार रुपया बीघा तय कर दिया यह कीमत भी ज्यादा है, इसका भी रेफरेन्स किया जाये। यह कीमत ज्यादा है। इस केस में भी अध्यक्ष महोदय, अगर अध्यक्ष के निर्णय से रेफरेन्स किया है तो वापिस करा लूंगा और अगर बोर्ड ने किया है तो उसको विथड्रा नहीं कर सकता।

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि वहां आवासन मण्डल ने जमीन की कीमत 8 हजार रुपये बीघा मार्केट वेल्यू के हिसाब से मानी मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि आठ हजार रुपये कौनसे मार्केट वेल्यू के हिसाब से मानी जबकि सैकड़ों रजिस्ट्रियां विशेषाधिकारी के समक्ष रखी गईं। इसके अलावा ब्यावर नगर के अन्दर जो गवर्नमेंट का सरकारी डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उसने वहां पर उस क्षेत्र की कीमत बाकायदा निश्चित कर रखी है। उसके अन्तर्गत भी वह उस क्षेत्र की जमीन 35 हजार और 40 हजार रुपया बीघा तक कर रखी है, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह कौन सा आधार है जिसके अन्दर 8 हजार रुपया बीघा माना है जबकि नगर परिषद् ने अपनी जमीन तीन लाख रुपया बीघा के अन्दर दी है। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि 8 हजार रुपया बीघा कौन सी जमीन का भाव मानते हैं और इस प्रकार अगर जमीन आपको नहीं लेनी हो तो मत लो लेकिन इस प्रकार कौन सा आधार है, कोई आधार तो होगा, आखिर जो रजिस्ट्रेशन होता है लोग बाकायदा रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हैं और उस क्षेत्र की रजिस्ट्रियां हुई हैं, 40-40 हजार रुपया बीघा की 50-50 हजार रुपये बीघा की और ओ. एस. डी. के सामने रजिस्ट्रियां पेश की हैं इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिये। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि जो ओ. एस. डी. ने अवार्ड दिया है वह बिलकुल ठीक है और मंत्री महोदय ने जो जयपुर की बात कही है अध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा एक जमीन तो शहर से 8, 10 किलोमीटर दूर हो और एक जमीन शहर के बिलकुल नजदीक हो, शहरी क्षेत्र में हो, दोनों जमीनों की मार्केट वेल्यू में तो फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे इस बात को थोड़ा स्पष्ट करें।

श्री दुलाराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने साफ निवेदन किया है कि अगर मण्डल ने डिसीजन लिया है मैं उसको विथड्रा नहीं कर सकता यह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं। अगर बोर्ड के अध्यक्ष ने ही डिसीजन लिया है, मण्डल ने नहीं लिया, तो मैं आपको भुगतान करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न.... ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । सहयोग दीजिए माननीय सदस्य । मैंने चर्चा समाप्त कर दी ।

श्री मेघराज तावड़ : मण्डल ने इस तरह का डिसीजन लिया है तो क्या आप मण्डल पर दबाव नहीं डाल सकते आप विभाग के मंत्री हैं। यदि उन गरीबों को पूरा पैसा मिले तो आप इसकी पुनः जांच करवा लें, इस पर आप पुनर्विचार करा लें ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य । कानूनी प्रश्न है, माननीय सदस्य ।

भरतपुर जिले में सरकारी एजेन्सी द्वारा खरीदे गये बाजरे का निर्धारित न्यूनतम मूल्य नहीं मिलने से किसानों को हुई क्षति

अब जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है माननीय श्री हरिसिंह विभाजन सं. 193, श्री जगन सिंह, श्री मुराद खां, श्री राम प्रसाद । बाजरे को खरीदने में न्यूनतम मूल्य किसानों को नहीं देना । इसके अलावा भी बहुत से अन्य तरीके के प्रस्ताव .... अनाज की खरीद के बारे में, गेहूं की खरीद के बारे में, उनके निकास पर प्रतिबन्ध लगा देने के बारे में, कई तरह के प्रश्न आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न समझ कर रखा गया है। इसमें अन्य जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव दिये हैं वे ये हैं श्री भोपाल सिंह, श्री वंशीलाल पटवा, श्री हंसराज शर्मा, श्री नन्दलाल मीणा, श्री छीतर मल आर्य, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री गुलाबचन्द कटारिया, श्री देवी सिंह भाटी, श्री दाऊदयाल जोशी, श्री राम किशोर मीणा, श्री गोपाल पचेरवाल, डा. उजला अरोड़ा, श्री नाथू सिंह । समय के अभाव में सब माननीय सदस्यों को समय देना सम्भव नहीं होगा इसलिये एक अथवा दो माननीय सदस्य जो मुख्य हमारी अनाज की खरीद के बारे में और खास तौर से बाजरे और गेहूं के बारे में जो किसानों को मूल्य मिल रहा है उसके बारे में जो समस्या है, उसकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकेंगे । मुख्य समस्या यह है कि मुख्य विचारणीय बिन्दु कि सरकार ने ऐसा सुना है कि बाजरा और गेहूं दोनों की निकासी पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और उसका नतीजा यह हो रहा है कि इन अनाजों का भाव गिर रहा है और किसान को ठीक कीमत मिल नहीं रही है । निकासी जब बाजरे की चालू हुई थी तो हालांकि सरकार ने बहुत कम खरीद की बाजरे की लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र को बाजरा जा रहा था इसलिये बाजरे की कीमत ठीक बनी हुई रही । इस निकासी के बारे में सरकार की क्या नीति है, क्या कारण है निकासी बन्द करने के । इन सबके बारे में मेरे ख्याल से हम मन्त्री जी का वक्तव्य सुन लेते है, उसके बाद में दो माननीय सदस्य, दो माननीय सदस्य अच्छी तरह से इस बात को पांच पांच मिनिट में रखें । उसके बाद में एक दो प्रश्नों की इजाजत मैं और दे दूंगा इसलिए पहले मन्त्री जी से कहूंगा कि सरकार की क्या नीति है, इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें ।

श्री घासीराम यादव (राज्य मन्त्री खाद्य एवं आपूर्ति) : बाजरे के बारे में पहले निवेदन करूं या गेहूं वाला ।

श्री अध्यक्ष : दोनों साथ ही कर दें। आप मेरे ख्याल से कोई लिखा हुआ वक्तव्य देंगे तो वह ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं होगा। साधारण सा मामला है। क्या कोई प्रतिबन्ध इनकी निकासी पर लगा रखा है।

श्री घासीराम यादव : मैं जवानी ही निवेदन कर देता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप तो स्वयं समझदार हैं। आप तो स्वयं किसान हैं, सब जानते हैं।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय, बाजरे के सम्बन्ध में पहले भी सवाल आया था, काफी इसमें प्रश्न भी किये गये थे। प्रश्नोत्तर काल में मैंने जवाब भी दिया था। लेकिन फिर इसके बारे में चर्चा आई है। इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा, पहली बात तो यह है कि बाजरे की राजस्थान में कभी खरीद हुई नहीं है। एक बार 72-73 में राजस्थान सरकार ने अपने सीमित साधनों से खरीद की थी करीब दस हजार टन। उसके बाद भाव बढ़ गये और उसके बाद बीच में कभी ऐसा मौका नहीं आया, इसलिये भी नहीं आया कि अच्छी फसल नहीं हुई। अब की बार आ गई तो मैं तो यह कहूंगा कि राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान सरकार के अनेक प्रयत्नों से और मुख्य मंत्री जी के प्रयत्नों से राजस्थान सरकार के भारतीय खाद्य निगम को इस बात के लिये बाध्य किया कि बाजरा खरीदें। पहले कभी बाजरा नहीं खरीदा। उसके बाद राज्य सरकार के पास बहुत सीमित साधन हैं, भारत सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। अभी भी गेहूं के लिये 50 करोड़ इकट्ठा कर रखा है। खरीदने के लिये यह बहुत बड़ी बात थी, बाजरा हमने खरीदा। आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं माननीय विरोधी दल के नेता महोदय भी कह रहे थे खरीदने के बाद इस के भाव बढ़ गये पश्चिमी राजस्थान में भाव बढ़ गये इसलिये बढ़ गये कि खरीदने लग गये और इसीलिये भी बढ़ गये कि बाजरा गुजरात जा रहा था और स्टाक की सीमा भी नहीं थी। यह जरूर है कि पूर्वी एरिया है, राजस्थान का भरतपुर, अलवर, सीकर यहां बाजरा नहीं खरीदा गया। क्रय केन्द्र खोले गये। उसका कारण यह था कि भारतीय खाद्य निगम ने और भारत सरकार ने भी उसके माप दण्ड तय कर रखे थे और माप दण्ड जो बता रखे हैं कोई भी एजेन्सी उसमें अच्छा बुरा देखकर खरीदे-आज भी गेहूं में जैसे सोना कल्याण है, इसलिये जो बाजरा अच्छा था, मतलब खास कर जिसमें रोग नहीं था, जिसमें चेपा नहीं था। फुड एडल्ट्रेशन प्रोविजन एक्ट है उसमें भी आता है। 80 प्रतिशत वही बाजरा नहीं खरीदा गया जिसमें चेपा लगा था या जो बदरंग था इसलिये नहीं खरीदा गया ......

श्री अध्यक्ष : निकासी के बारे में, आपने कोई प्रतिबन्ध लगा रखा है क्या ?

श्री घासीराम यादव : इसलिये भरतपुर के माननीय सदस्य ने जो चर्चा रखी है उसके बारे में यही जवाब है कि जो सही बाजरा था उस बाजरे का मूल्य भी ज्यादा था, 124 रु. से ज्यादा था। हमारे खाद्य आयुक्त भी मौके पर गये उन्होंने देखा और जो उससे कम था खराब बाजरा था एफ. सी. आई. से, बल्कि इसमें तो राज्य सरकार ने उसको, एफ सी. आई.

(श्री घासीराम यादव)

को बीच में डालकर एक रास्ता खोला है। मैं सोचता हूं यह तो हमारी उपलब्धि है। आइन्दा भी मौका आयेगा, कौन खरीदे तो एफ. सी.आई. खरीदेगी, हमेशा खरीदेगी ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : उत्तर आने दीजिये।

श्री घासीराम यादव : और जो सब-एजेन्सी थी क्रय-विक्रय संघ या आर. सी. डब्ल्यू. सी., भण्डार व्यवस्था निगम, इन्होंने कई लाख रुपये उस बात पर लगाए भी हैं और दो महीने तक अपना आदमी भी रखा, खर्चा भी किया। और इनका खर्चा हुआ। एक लाख रुपये दिये भी हैं ....।

श्री अध्यक्ष : यह सब सदन के समक्ष विस्तृत रूप से आ चुके हैं। प्रतिबन्ध के बारे में क्या है। कोई प्रतिबन्ध कर रखा है क्या बाजरा का ?

श्री घासीराम यादव : बाजरा प्रतिबन्धित नहीं है। बाजरा बाहर जाने की छूट है बल्कि इसकी स्टाक सीमा जो लगा रखी थी वह भी खोल दी गई है।

श्री अध्यक्ष : गेहूं के बारे में ?

श्री घासीराम यादव : गेहूं के बारे में स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय, यह सही बात है और माननीय सदस्य इसके लिए चिन्तित भी हैं और सही उनकी चिन्ता है। किसानों को जो भाव मिलने चाहियें, वह नहीं मिल रहे हैं और आज बाजार भाव है वह काफी नीचे जा रहे हैं। एफ.सी. आई. ने जो 151 और 152 रुपये रखा है उसमें उसने खरीदना शुरू कर दिया है, कोटा में कर रहा है। आज ही एम.डी. से बात हुई थी। गंगानगर में उन्होंने शुरू कर दिया है लेकिन फिर भी यह सवाल आता है कि जो बाहर भेजने की अनुमति नहीं दे रखी है वह अगर दें तो मतलब बाजरे की कुछ कीमत ऊपर जायेगी और किसानों को फायदा होगा यह सही बात है लेकिन जो पहले से प्रतिबन्ध लगा रखा है ....।

श्री अध्यक्ष : गेहूं पर ?

श्री घासीराम यादव : गेहूं पर लगा रखा है और यह भी है कि 200 क्विन्टल से ज्यादा एक व्यापारी स्टाक नहीं कर सकता है। इसलिए यह बात सही है कि व्यापारी भी ज्यादा नहीं खरीद सकते हैं और किसान को परेशानी होती है और मांग नहीं होगी तो बेचने में भी दिक्कत आयेगी। इसलिए सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पूर्व अनुमति से कानून बनाया था। अब राज्य सरकार विचार भी कर रही है। मैं समझता हूं मंत्री मण्डल में ले जाकर, अगर मंत्री मंडल मंजूरी कर देता है तब राज्य सरकार का एक निश्चित बन जाता है तो इसके बारे में हम विचार करेंगे।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : मंत्री मंडल से मंजूरी लेकर बन्द किया था क्या आपने ?

श्री अध्यक्ष : कानून बना हुआ है। पहले आप इनका उत्तर सुन लीजिये।

श्री घासीराम यादव : बड़ा सवाल है, गवर्नमेंट ग्राफ इण्डिया से भी पहले बात करनी होगी....

(व्यवधान)

10 रुपये बढ़ जाते हैं मान लीजिये ग्रगर खोल दें तो एक तो राजस्थान राज्य जो है यह सारा गेहूं का सरप्लस स्टेट नहीं है जैसे हरियाणा ग्रौर पंजाब है। वहां सारे में गेहूं पैदा होता है। हमारे यहां तो कुछ जिलों में पैदा होता है ग्रौर कुछ जिले में नहीं होता है, यह भी देखना होगा। इन सारे पहलुग्रों पर राज्य सरकार विचार करेगी ....

(व्यवधान)

मैं कोई इसके खिलाफत में नहीं हूं। मैं सहानुभूति पूर्वक इसको देखूंगा....

(व्यवधान)

लेकिन मान लीजिये ..।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर ग्रार्डर। कृपया विराज जायें, उनका उत्तर ग्राने दीजिये।

श्री घासीराम यादव : हमको इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा, माननीय सदस्यों को भी विचारना होगा कि इसके भाव 10 रुपये, 5 रुपये जो भी बढ़ेंगे जो गरीब लोग हैं, शहरों में भी रहते हैं। गरीब जनता पर भी भार पड़ेगा इसलिए गरीब लोगों के लिए भी देखना होगा....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : शहर में दिये जावें यह क्या दलील है। ग्रध्यक्ष महोदय, शहर वालों की दलील देते हैं शहर वालों का पेट भरो ग्रौर गांव वालों को भूखों मारें ...

(व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : ग्राप मेरी बात तो सुनिये ..।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : कृपया बैठ जायं। ग्रार्डर, ग्रार्डर। बैठ जायं।

श्री घासीराम यादव : ग्राप इतने उतावले क्यों हो रहे हो ...। मैं इस बात की खिलाफत नहीं कर रहा हूं। इसके पहलू भी नहीं देखे तो ..

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यह कोई दलील हुई कि शहर वालों को महंगा मिलेगा शहर वाले सब बड़े कन्जूमर हैं पांच परसेन्ट शहरों की बात करते हो ....

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : बैठ जायं, माननीय सदस्य।

Page No. 125

श्री घासीराम यादव : मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनें।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को दो बातें कहना चाहता हूं....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी का वक्तव्य सुनिये।

श्री घासीराम यादव : .. कि यह प्रतिबंध हमने पहले से लगा रखा है सन् 1981 से हमने यह प्रतिबन्ध लगा रखा है बाहर भेजने का और दूसरी स्टेट्स में भी है ये। पंजाब में भी है, हरियाणा में है और लोग कोर्टस में गये हैं और कोर्टस् में इसको वहां क्वेश करवाया है लेकिन फिर भी मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूं...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हरियाणा में नहीं है।

श्री घासीराम यादव : एक हरियाणा और पंजाब जिसकी मिसाल दी जाती है, मैं कहता हूं कि हरियाणा और पंजाब सरप्लस स्टेट्स है हमारा राजस्थान सरप्लस स्टेट नहीं है। बात को सुनना चाहिये। गांव में सारे ही तो किसान नहीं हैं, हरिजन भी हैं। कुम्हार भी हैं, गरीब भी हैं, धोबी भी हैं और लोग भी हैं उनके अनुसार अगर निकासी खुलने से भाव बदलते हैं तो उनके भी भाव बढ़ते हैं, उनकी भी कीमत बढ़ती है। तो इस पर भी विचार करना पड़ेगा तो इस पर भी विचार करना पड़ेगा....सुनिये।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यादव साहब कौन सा अर्थशास्त्र बता रहे हो।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री घासीराम यादव : हर गांव में आधे लोग ऐसे हैं जो खेती नहीं करते, वह गरीब लोग हैं, शहर की बात छोड़िये, गांव में भी हैं।

श्री सुजानसिंह यादव : (बहरोड़) गरीब लोग तो बाजरा खाते हैं, गेहूं खाते हो नहीं।

श्री घासीराम यादव : मेरी बात तो सुनिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्ति रखिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक) : 8000 क्विंटल जो गेहूं गया था ....

श्री अध्यक्ष : फिर मुझे मजबूर होकर चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी, आर्डर आर्डर, मुझे चर्चा समाप्त करनी पड़ेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह आठ हजार क्विन्टल गेहूं कैसे गया ?....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री त्रिलोक सिंह (फतेहपुर) : यह मन्त्री मण्डल किसान का घोर शत्रु है। इस प्रतिबन्ध से किसान को घेर कर लूटा जो रहा है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी का वक्तव्य सुन लीजिये। पूरा उत्तर आने दीजिये, माननीय सदस्य, उत्तर आने दीजिये।

श्री घासीराम यादव : अध्यक्ष महोदय—आप भी पूछ लेना...तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि पंजाब, हरियाणा के

(श्री घासीराम यादव)

अलावा जैसे मध्यप्रदेश है, जैसे आपका गुजरात है और जैसे आपका यू.पी. है, इन सब स्टेट्स का हम अध्ययन करवाकर, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन मैं माननीय सदस्यों को यह बता रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : तब तक किसान को मिटवा दो। पिछली बार भी बाजरे की खरीद में बैसाखी के अगले दिन एफ. सी. आई को मार्केट में आना चाहिए था किन्तु पिछली बार भी किसान का गेहूं नहीं खरीदा गया। कहां गया एफ. सी. आई. ? बाजरा खरीदा नहीं गया सरसों खरीदी नहीं गयी, शर्म आनी चाहिए आपको और आप अर्थशास्त्र दे रहे हैं। शहरों का पेट पालना चाहते हैं। भूखे मरते हैं तो मरें शहरी।

एक माननीय सदस्य : जब किसान के हाथ से यह गेहूं निकल जायेगा उसके बाद आप आगे विचार करेंगे।

श्री सुजान सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। आपकी इजाजत से।

श्री यदुनाथ सिंह : अभी तक क्यों नहीं आया, बैसाखी के बाद अभी तक मार्केट में क्यों नहीं आया। अभी तक मार्केट में क्यों नहीं आया एफ. सी. आई. यह जवाब दीजिए।

श्री सुजान सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब तक राज्य सरकार इसकी व्यवस्था करेगी तब तक किसान का गेहूं मण्डियों में चला जायेगा।

श्री त्रिलोक सिंह : यह आपकी तरकीब थी बाजरे के बारे में जब तक सरकार ने इन्तजाम किया, किसान लुट गया, किसान बर्बाद हो गया.......

श्री विष्णु प्रकाश बजारी : यह सब ××× किसानों के प्रतिनिधि नहीं हैं।

श्री यदुनाथ सिंह : ××× तुम्हारे दिल में दर्द नहीं होता है। हमारे दिल में दर्द होता है।

श्री त्रिलोक सिंह : हम काश्तकार जानते हैं, काश्तकार पर क्या गुजरती है। आपको पता है हमारी खेती एक ओर शीतलहर से जल गयी, खेती बर्बाद हो गयी।

(व्यवधान)

एक ओर शीतलहर से बर्बाद हो गयी, किसान की फसल बर्बाद हो गयी, थोड़ा गेहूं बचा तो आज यह सरकार घेराबन्दी करके यह सरकार और ये बाजारों के ××× हमें लूटना चाहते हैं नाकाबिले बर्दाश्त है हम इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे इस सरकार को।

श्री रतन लाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, यह ××× कह रहे हैं, इसको

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

Page No. 127

(127)

(श्री रतन लाल ताम्री)

एक्सपंज कराया जाय। ऐसे शब्द यहां कहे जाते हैं, यहां नहीं कह सकते हैं। यह कोई तरीका नहीं है। कैसे कह दिया यह नहीं कहना चाहिए।

श्री त्रिलोक सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय कैसे बैठूं। मैं नहीं बैठूंगा। कह सकते हैं यह हकीकत है।

श्री रतन लाल ताम्बी : असंसदीय शब्दों को.......

(व्यवधान)

यह शब्द किसके लिए कहे हैं ....

श्री त्रिलोक सिंह : किसान को लूटते हो।

श्री रतन लाल ताम्बी : ऐसे शब्द नहीं कह सकते असंसदीय शब्दों को....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण कीजिए। आर्डर आर्डर, बैठ जायें। कृपया बैठ जायें, माननीय सदस्य।

यदि माननीय सदस्यों की सहमति हो, मैंने जैसा निवेदन किया, समय का अभाव है। एक माननीय सदस्य को 5 मिनट के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर इधर से दे सकता हूं एक माननीय सदस्य को विपक्ष से दे सकता हूं। वरना क्या है कि समय का अभाव है इसलिये मैं चर्चा यहीं समाप्त करता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह : यहां पक्ष विपक्ष नहीं है। इसमें पक्ष विपक्ष हैं क्यों?

श्री त्रिलोक सिंह : यह ××× लोग कुछ नहीं कर सकते। विपक्ष में नहीं हैं, विपक्ष का सवाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता कुछ बोलना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने वक्तव्य दिया है और माननीय सदस्यों ने अपनी पीड़ा प्रकट की है। अध्यक्ष महोदय, यह पीड़ा आपको भी होगी, आप किसान हैं........

श्री अध्यक्ष : मैं तो आजकल गेहूं बोता नहीं हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आप गेहूं नहीं बोते हैं तो बाजरा बोते हैं और बाजरा यदि सस्ते मूल्य पर बिकता है तो आपको क्या अनुभव होगा इसका आप अंदाज लगाइये। और मैं यह भी मानता हूं कि सत्ता पक्ष में भी जो माननीय सदस्य बैठे हैं और जिनका कृषि से सीधा सम्बन्ध आता है वह भी इस बात से चिन्तित होंगे कि वह चाहे गेहूं पैदा करें, चाहे बाजरा पैदा करें, चाहे मक्का पैदा करें जो पैदा करने में मेहनत होती है, उस मेहनत के अनुपात में उसका मूल्य मिले यह कांग्रेस

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गए।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

पार्टी के भी जो सदस्य बैठे हैं उनकी भी चिन्ता होगी और हाउस में जिस प्रकार का वातावरण बना है ....

श्री भैरूलाल भारद्वाज : असली इसकी चिन्ता तो हमको ही है न ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपको तो है ही ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले एक वर्ष पहले........

एक माननीय सदस्य : आपको तो जो इन्दिरा जी कहेंगी वही चिन्ता होगी व की चिन्ता नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज के एक वर्ष पहले गेहूं का भाव 151) रुपये क्विंटल था। अब एक साल मे कितनी चीजों के मूल्य बढ़े है और खास तौर से एग्रीकल्चर इनपुट्स के भाव कितने बढ़े हैं यह सदन में कहने की आवश्यकता नहीं है। लगभग हर सदस्य इस बात से परिचित है कि खाद के भाव कितने बढ़े गये, बीज के भाव कितने बढ़ गये और बाकी की चीजों के कितने भाव बढ़ गये लेकिन उसके अनुपात में गेहूं का मूल्य 151) से बढ़ाकर 152) किया। इससे तो इस बात का पता लगता है कि सरकार ने 151) से 152) रुपये का मूल्य बढ़ाकर किसानों को रिम्युनरेटिव प्राइज नहीं दी। अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न इम्पोर्टेन्ट यह है कि 152) रुपये में भी क्या सरकार खरीदने को तैयार है ? आज राजस्थान की किसी भी मन्डी में, किसी भी बाजार में आप जायें सरकार की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि आम किसान अपने गेहूं को गिरते हुए मूल्य देखकर बेचने के लिए किसी न किसी सैन्टर पर चला जाये। जितने सैन्टर्स खोले गये हैं वह कम हैं। अध्यक्ष महोदय, कृषि उत्पादन में दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो डिस्ट्रेस सेल, यह सरकार भी चाहती है कि डिस्ट्रेस सेल को किसी प्रकार से रोका जाय। घोषणाएं तो करती है लेकिन यदि छोटा काश्तकार जिसको रुपयों की आवश्यकता है समय पर यदि उसको भुगतान नहीं मिले तो वह जिस भाव भी मिलेगा वह उस भाव से बेचेगा।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : संक्षेप में, और इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, किसानों पर जिस प्रकार का कोआपरेटिव का बैंकों का जितना कर्जा है, ज्योंहि उसने फसल काटी कर्ज वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, वह आदमी उस मूल्य पर भी बेच नहीं पाता और उसको देते हैं। तीसरा प्रश्न, माननीय मन्त्री महोदय ने कहा कि हरियाणा और पंजाब सरप्लस स्टेट्स हैं इसलिए उनको अनाज ले जाने की, अनाज निकासी की अनुमति दी हुई है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। माननीय मन्त्री महोदय चाहें तो मैं प्रमाण दे सकता हूं कि हरियाणा का गेहूं है वह तो आता ही है लेकिन हरियाणा

Page No. 129

(129)

श्री भैरोंसिंह शेखावत)

के जितने भी व्यापारी हैं वह किसानों से यहां इकट्ठा करते हैं। कहां इकट्ठा करेंगे? हरियाणा में नहीं करेंगे। उदयपुर की मंडी में गेहूं इकट्ठा करेंगे और हरियाणा की और राजस्थान की चौकी पर वहां उसकी एक, क्या, कहते हैं, एक चालान या उस तरह का सर्टिफिकेट......

श्री सुजानसिंह यादव : बिल्टी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बिल्टी, वह बनवा लेते हैं और वहीं से भरकर सीधे गुजरात के अन्दर अनाज जाता है। यह एक घटना नहीं, जितने भी हरियाणा के साथ बोर्डर लगा हुआ है, जहां-जहां भी चौकियां हैं, उन चौकियों के बारे में आप जांच कराना चाहे तो राजस्थान का गेहूं इन चौकियों के मार्फत दूसरे राज्यों में चला गया। अध्यक्ष महोदय, यह समझ में नहीं आता कि गुजरात में गेहूं 250) रुपये क्विंटल में बिके और राजस्थान में गेहूं 151) रु. में भी नहीं बिके। यह राजस्थान में 125) रुपये और 120) रुपये यह अन्याय समझ में नहीं आता। इसके पीछे क्या तर्क है, यह भी समझ में नहीं आता। अहमदाबाद में, आप गुजरात में चले जायें, रतनपुर से नेक्सट साइड में चले जायेंगे तो गेहूं के भाव 250) रुपये क्विंटल और यदि डुंगर पुर, बांसवाड़ा में आयेंगे तो गेहूं के भाव 120) रुपये क्विंटल, 20 माइल के अन्दर यदि इतना डिफरेंस हो रहा है तो गुजरात की सरकार तो अपने किसान को पूरा मूल्य दिला रही है, पंजाब की सरकार अपने किसान को मूल्य दिला रही है, हरियाणा सरकार अपने किसान को मूल्य दिला रही है और माननीय सदस्य, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कह रहे थे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भाव भी राजस्थान से कहीं ज्यादा हैं, कम नहीं हैं।

आपको यदि किसी ने सूचना दी है तो वह भी गलत है, वहां के किसानों को पूरा मूल्य मिल रहा है. राजस्थान के किसानों ने कौनसा अन्याय किया है। जिस अन्याय के कारण उनको सजा दी जा रही है, उसका केवल 120) रुपये क्विंटल में बिक रहा है, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी निकासी के संबंध में जो पाबन्दी लगाई हुई है यह तो हटायें और जो किसान यहां बेचना चाहें, निकासी नहीं कर सके आप फूड कार्पोरेशन आफ इण्डिया से मिलकर जितने ज्यादा सेंटर खोल सकें, खोलें, ताकि किसान समर्थित मूल्य पर अपना अनाज बेच सकें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें, माननीय सदस्य मैं सत्ता पक्ष की ओर से केवल एक माननीय सदस्य को अवसर दूंगा, श्री हरिसिंह जिनका प्रस्ताव है,

(व्यवधान)

बैठ जाय, महत्वपूर्ण है इसीलिए रखा है, समय का अभाव है. आर्डर, बैठ जायं, माननीय सदस्य, आर्डर आर्डर।

श्री सुजानसिंह यादव : दो-दो मिनट सब को दे दें।

Page No. 130

(130)

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं, माननीय सदस्य, मैं एक माननीय सदस्य को अवसर दूंगा, श्री हरिसिंह, जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : मैंने प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं दूंगा, माननीय सदस्य, मजबूरी है और समय का अभाव है.

श्री भूपाल सिंह : मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर। इस पर चर्चा फिर से समाप्त करता हूं।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज।

श्री यदुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह नहीं हो सकता है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त की गई। आर्डर प्लीज। बैठ जायं। प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत, श्री महाराम चौधरी, श्री यदुनाथ सिंह, श्री कमलेन्द्र सिंह.......

(व्यवधान)

मंत्री महोदय।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, चर्चा समाप्त हुई।

श्री सुजानसिंह यादव : सारे सदन की अनुमति है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष ; अगला विषय। चर्चा समाप्त कर दी गई। .... घोषणा करने के बावजूद.... चर्चा समाप्त की गई ... आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : इस सदन में मतदान कराया जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह श्री कैलाश मेघवाल के स्थगन प्रस्ताव पर....

श्री यदुनाथ सिंह : बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाइये।

(व्यवधान)

बैठ जाइये, आप बैठ जाओ। जब किसानों की बात आती है....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं, अगला विषय चल रहा है। अगला विषय ले लिया है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : यह सरकार व्यापारियों से मिली होने की वजह से किसानों को संरक्षण नहीं....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ××× किसानों के हितों के साथ कुठाराघात किया जा रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त की गई। प्रक्रिया के नियमों में संशोधन, श्री खेतसिंह राठौड़, संसदीय कार्य मन्त्री।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मन्त्री, संसदीय कार्य मंत्री जी। कृपया बैठ जायें। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों मे संशोधन, प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री यदुनाथ सिंह : बैठ जाइये, अगर किसान का खून है आपमें खेतसिंह जी, आप बैठ नहीं सकते हो।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : किसानों से सम्बन्धित मामला है। इसको चर्चा के लिये रखा जाय, तो या बहुती जरूरी है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, घोर अव्यवस्था हो रही है, मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा है। आर्डर आर्डर बैठ जायं। कृपया बैठ जायं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अव्यवस्था फैलाने का सवाल नहीं है। यह सवाल इस सदन के बहुमत के सदस्यों की पीड़ा का सवाल है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : राज्य मंत्रीजी को सुनिये तो सही, आपकी बात सुन ली, ये जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, बैठ जायं।

श्री सुजानसिंह : राज्य मंत्री में डिसीजन लेने की हैसियत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : राज्य मंत्री को भी सुनेंगे, राज्य मंत्री को सुनने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सदन की भावनाओं से आपने यह अनुमान लगा लिया होगा कि इसमें पार्टी लाइन कुछ नहीं है। जो भी कृषक वर्ग से आता है वह चाहे उधर बैठे हों चाहे इधर बैठे हों, सबके मन में यह पीड़ा है कि हमारे उत्पादन का उचित मूल्य हमको मिले। इस पीड़ा को यदि सदन में प्रकट किया जाय, तो मैं समझता हूं कि अध्यक्ष महोदय, सामूहिक रूप से राजस्थान के किसानों का मसला है, महत्वपूर्ण मसला है इसलिये थोड़ी सी उदारता का परिचय दें।

श्री अध्यक्ष : उदारता का परिचय दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दे रहे हैं, वह मालूम है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, मैं दे रहा हूं।

ऐसा है कि सदन की अनुमति से जो विषयों पर मैंने चर्चा समाप्त कर दी थी

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री अध्यक्ष)

उनको वापस खोलता हूं, पहले विधायी कार्य ले लेते हैं उसके बाद....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं नहीं....

श्री अध्यक्ष : उस पर चर्चा करवा लेंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : विधायी कार्य के बाद रुकेगा कौन, भाग जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मुझे सुन लीजिये। आर्डर, विराज जाइये।

श्री भंरूलाल भारद्वाज : मन्त्री जी को बोलने का मौका दें तो समय भी बच जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले बात सुन लीजिये .. बैठ जायं, ...अव्यवस्था नहीं फैलायें.... माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं।

ऐसा है, मैंने माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये बहुत से इस तरह के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वगैरह रखे थे उसमें क्योंकि घोर अव्यवस्था फैल रही थी इसलिये मैंने जो पुकारे उस वक्त....

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : इनका तो यह है कि 180) रुपये क्विन्टल का बाजारा न बिके। यह क्या व्यवस्था है। हम अव्यवस्था पैदा नहीं कर रहे हैं। घोर अव्यवस्था तो ये कर रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की किसानों का बाजरा खरीदने के लिये.... पूरे राजस्थान में 300 क्विन्टल बाजरा इन्होंने नहीं खरीदा होगा।

श्री अध्यक्ष : यह महत्वपूर्ण विषय है .. आर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुआ) : किसानों के साथ किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया, आपको। आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, बैठ जायं, आप भी किसान, मैं भी किसान इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। महत्वपूर्ण विषय है इसलिये इस पर चर्चा सदन की अनुमति से वापस प्रारम्भ कर देंगे, लेकिन इस पर अभी विचार नहीं होगा। थोड़ी सी इसमें चर्चा दूसरी हो जाय। किसी विषय को बदलने से कई दफा जो गर्मी होती है वह समाप्त हो जाती है। इसलिये माननीय सदस्य, जो निर्विवाद रूप के मामले हैं उनको पहले ले लें। इसलिये और अन्य प्रस्ताव हैं उन पर पहले ....

(व्यवधान)

श्री सुजानसिंह यादव : इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रस्ताव ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर रहा हूं ना। मैं निवेदन कर रहा हूं, इस पर चर्चा ....सदन की इच्छा है मैं चर्चा करवा कर यहां से जाऊंगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हम चर्चा नहीं सरकार से कमिटमेंट चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सदन किसके लिये है ?

श्री अध्यक्ष : जनता के लिये है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह सदन विधान सभा के सदस्यों के लिये और राजस्थान की जनता के लिये है। अगर सदन यह चाहता है कि इस विषय पर चर्चा की जावे, तो मैं आपसे यह उम्मीद करूंगा कि सदन की भावनाओं के अनुरूप आप कार्य करेंगे।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : लेकिन मैं यहां सब के आदेश से काम करता हूं। सदन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं उस वक्त मुझे अपने आप को संयत रखना पड़ता है, विपक्ष के नेता महोदय इसलिए मैंने स्थिति का अध्ययन कर लिया मैं समझता हूं कि जो निर्विवाद विषय हैं उनको हम पहले ले लें। उसके बाद जितनी देर माननीय सदस्य चर्चा करना चाहेंगे, कोई सीमा का बन्धन नहीं होगा और जब माननीय सदस्य कह देंगे कि अब हमको विचार व्यक्त नहीं करने हैं उस वक्त मैं........

एक माननीय सदस्य : सरकार भाग जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, आर्डर प्लीज।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं कि यदि सरकार का मन बना हुआ है और माननीय मंत्री जी को अभी बोलने का हुक्म दो निकासी खोलने की बात कही गई है........

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको कह दिया मैं मंत्री जी की ओर से वक्तव्य भी दिला दूंगा लेकिन कृपया सहयोग दीजिये।

श्री नाथूसिंह (आंदीकुई) : फिर सरकार भाग जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं कह रहा हूं कि जो निर्विवाद विषय हैं उन पर पहले चर्चा कर लेते हैं उसके बाद कई प्रकार के विषय हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ....

(व्यवधान)

बैठ जायें ! आर्डर, आर्डर ! ऐसा है कि जो निर्विवाद बहुत से विषय हैं उनको पहले अपन निपटा लें क्योंकि यह अपना संवैधानिक दायित्व है। आसन का भी कोई दायित्व है कि जो वित्तीय विषय विचारणीय है। वह सबसे उच्च प्राथमिकता रखता है। आपकी यदि इच्छा हो तो मैं उन दो विषयों में एक तो साधारण सा प्रक्रिया के नियमों में संशोधन है उसको और यह जो एप्रोप्रिएशन बिल है, विनियोग विधेयक इस पर चर्चा समाप्त कर, थोड़ा सा उत्तर लेकर कर देते हैं। उसके बाद अपन बैठ जाते हैं, जितनी देर आप चाहेंगे, जितने आपके

Page No. 134

(134)

(श्री अध्यक्ष)

विषय हैं उन पर मैं चर्चा करवा कर जाऊंगा, यही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं.......

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, यह व्यवस्था करवा दीजिये कि जो यह हमारे वाला इश्यू है इसको आप बाद में ले लें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उस समय तक हम भी चाहेंगे कि और सदन के माननीय सदस्य भी सरकार से बाहर मिलकर सरकार से कुछ कहना चाहेंगे । लेकिन इसके बाद में यह जो दो काल अटेंशन मोशन है यह ले लिये जायें और यह मोशन खत्म होते ही जिस समय एप्रोप्रिएशन बिल आये उसके बीच में इस मामले को वापिस ले लीजिए और अध्यक्ष महोदय, हम आपकी अध्यक्षता में भी बात करना चाहते है ।

श्री अध्यक्ष : अपन बात कर लेंगे जब जब मैं निवृत हो जाऊं उसके पश्चात बात कर लेंगे । मैं भी किसी मानसिक तनाव की स्थिति में नहीं रहूंगा और माननीय सदस्य आप जानते हैं कि .. ....

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, अप्रोप्रियेशन बिल के पहले इसको रख लें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसमें आप सहयोग करते हैं तो सभी कार्यों को अच्छी तरह से निपटाया जा सकता है ऐसी कोई स्थिति है नहीं, इसलिये आप कृपया मेरा सुझाव यह है ....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य ले लीजिये उस समय तक बात भी हो जायेगी ।

श्री नाथूसिंह : एप्रोप्रियेशन बिल के पहले ले लीजिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तो आ गया, वक्तव्य लेना है । मंत्री द्वारा वक्तव्य ।

श्री अध्यक्ष : सबसे पहले एप्रोप्रियेशन बिल ले लेते हैं ।

श्री नाथूसिंह : फिर तो सरकार भागेगी फिर क्या है अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य दें उससे पहले....

श्री अध्यक्ष : ऐसा है मैं आपको निवेदन करता हूं, शांति से डिबेट होगी, आप जितने बजे तक चाहेंगे उन विषयों का अपन ले लेंगे । पहले यह जो फोरमल 2-3 विषय हैं इनको पास करवा लीजिए, उसके बाद में ।

(व्यवधान)

मैंने निवेदन कर दिया जब आप माननीय सदस्य छुट्टी देंगे उस वक्त यहां से सत्रावसान करके जाऊंगा । एप्रोप्रिऐशन बिल, कंटिन्जेंसी बिल और नियमों में संशोधन, यह निर्विवाद विषय है, आप जानते हैं कि इसका परिणाम, आखिर में सब कुछ चर्चा होकर क्या होता है और समय पर पारित करने होते हैं, वित्तीय विषय है, यह भी आसन को अधिकार है कि मैं समय सीमा

(श्री अध्यक्ष)

बान्ध दूं कि पांच बजे तक सभी आवश्यक प्रश्न पूछे जायेंगे, वे पूछ कर भी किया जा सकता है। अब आप जानते हैं कि इनकी प्रायोरिटी होती है तो आप समझते हैं, कि काफी चर्चा कर ली। यह तीन विषय हैं इनको निपटा कर इसके बाद दूसरे जितने भी है उन पर चर्चा शुरू कर देते हैं उस दरमियान में क्योंकि निर्विवाद विषय जब चल रहे होंगे उस वक्त में भी अन्दर हो सकता हूं सभी माननीय सदस्यों को, सरकार पक्ष को सब को बुला लेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी व्यवस्था में और हमारी मांग में इतना ही अन्तर है कि यह जो लिस्ट में जो बिजनेस आया है इसको पोस्टपोन कर दें। जैसा कि आपने बताया है, हम भी चाहेंगे कि सरकार से बात करें उसकी आप पोस्टपोन कर दें और बाकी जो बिजनेस है, उस हिसाब से ले लें।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करता हूं। ऐसा है, पहले जो निर्विवाद विषय हैं ये जब तक रहेंगे, क्योंकि ये अटके हुए हैं तब तक मेरा मानसिक सन्तुलन ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका तो मानसिक सन्तुलन कभी खराब ही नहीं होता, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : यह बाधा दूर हो जाये उसके बाद में सब शांति से चर्चा चलेगी। वाद-विवाद चलेगा और आपको मैं पूरा टाइम दूंगा। यह काश्तकारों का विषय है, सब हम चुन कर आते हैं, देश की अर्थ व्यवस्था है यह कृषि पर निर्भर करती है इस पर समय न लेकर इन प्रस्तावों को पारित कर दीजिये उसके बाद मैं भी बैठ जाता हूं और स्थगन प्रस्ताव, दूसरे प्रस्ताव हैं उन पर चर्चा शुरू करवा कर के उनके पश्चात में इस विषय पर पक्ष से, विपक्ष से जितने भी माननीय सदस्यों का दृष्टिकोण है उसको सुन कर मंत्री जी को बुला कर, अन्य मंत्रियों को भी बुला कर के अपन बैठ कर ढंग से बात करेंगे।

श्री नाथूसिंह : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय कृषि मन्त्री जी का वक्तव्य पहले आया है तीन चार दिन।

श्री अध्यक्ष : मैं इतना विश्वास कर के चलता हूं और आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य अगर यह सोचते हैं कि यह पास हो जायेगा, उसके बाद मैं हम उठ कर चले जायेंगे ...

(व्यवधान)

मैंने आपको कह दिया कि जितने देर चाहेंगे उतनी देर मैं बैठूंगा। अगर सत्ता पक्ष के पांच माननीय सदस्यों ने भी अगर मुझे कह दिया कि डिबेट चलानी है तो चलाऊंगा।

(व्यवधान)

मैंने सभी विषय सद्भावना से रखें हैं. माननीय सदस्य। किसानों की, यह समस्या है इसके बारे में मुझे पीड़ा नहीं होती तो मैं यह विषय क्यों रखता। मैं स्पष्ट आपको कह देता हूं कि 2-3 वक्तव्य आ गये है

Page No. 136

श्री अध्यक्ष)

इसलिये लेकिन चाहे कृषि फार्मस का विषय था चाहे कृषि उत्पादन के मूल्यों का प्रश्न था, इस सद्भावना से प्रश्न रखे हैं। और आपको नहीं सुन करके हम क्या करना चाहते हैं ? आप बताइए। इसलिये पांच माननीय सदस्य भी आज कह देंगे और जब तक कोरम रहेगा इस सदन के अन्दर तब तक हम नहीं उठेंगे। यह बात मैं आपको कह देता हूं इसलिये माननीय श्री खेतसिंह जी।

एक माननीय सदस्य: इससे हम संतुष्ट हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिल्कुल पांच माननीय सदस्य कह देंगे कि अभी चर्चा समाप्त नहीं करनी हैं तो मैं चर्चा समाप्त नहीं करूंगा।

शासकीय प्रस्ताव

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली नियम 253 (क) में संशोधन

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बंधी नियमावली के नियम 253 (1 के भाग 1) के 34 खण्ड (3) के स्थान पर निम्नांकित का प्रतिस्थापित किया जावे 1- (3) इच पालियामेंट्री........

श्री अध्यक्ष : यह सर्कुलेट हो चुका है। वे यहभी प्रस्ताव करेंगे कि प्रक्रिया के नियम इतने को निलंबित किया जाय यह पढ़ दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, एक्स्प्लेन करके तो बतावें, नियम क्या है ?

श्री अध्यक्ष : यह माननीय सदस्यों ने पढ़ लिया होगा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो लीजिये– It you want I can explain in English or Hindi

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 253 (क) में जो संशोधन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसके सन्दर्भ में नियम 246, नियम 247 और नियम 248 के उप नियम (1) (2) व (3) को निलंबित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रक्रिय के नियम 246,247,248 के उपनियम (1) (2) (3) को निलम्बित करने के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रस्ताव है कहां ?

श्री अध्यक्ष : प्रस्तुत किया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो सर्क्यूलेट किए हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठोड़ : जी हां, सर्क्यूलेट हुआ है। सर्क्यूलेट किया है श्रीमान।

श्री अध्यक्ष : संशोधन पढ़ दीजिए। पढ़ा देते हैं संशोधन।

श्री खेतसिंह राठोड़ : संशोधन पढ़ देता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : संशोधन अब पढ़ कर सुना रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठोड़ : आपने कहा कि सर्क्यूलेट हो चुके है इसलिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने कहा कि सर्क्यूलेट हो चुके हैं ?

श्री खेतसिंह राठोड़ : जी हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह बताइये कि जो आपने रूल्स में संशोधन करने की मांग की है वह कहां सर्क्यूलेट किया है ? कहां ये लिखते हैं कि रूल्स में संशोधन किया जाय वह आपने कहां मांग की और कहां सर्क्यूलेट हुआ है ?

श्री परसराम मदेरणा : (सिंचाई मंत्री) प्रश्न यह है कि जो अमेन्डमेंड रूल्स 253 में चाहते हैं वह जब ही सम्भव है जबकि आप रूल्स 246, 247, 248 का (1) (2) और (3) का सस्पेण्ड जब सदन नहीं करता है तो उसमें लेट डाउन की जो प्रोसीजर है वह लेंदी प्रोसीजर है और रूल्स में अमेन्डमेंट आज हो नहीं सकता। इसलिए माननीय चीफ व्हिप महोदय ने जो अभी प्रस्ताव रखा है, पहले इनको सस्पेण्ड किया जाय और इनको सस्पेण्ड करने के बाद में 253 (1) का जो संशोधन है उसे सदन स्वीकार करे यह प्रश्न बाद में आयेगा। इसलिए पहला जो उनका प्रस्ताव है वह रूल्स को सस्पेण्ड करने का है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय मंत्री महोदय ने जो बात कही वह सही है। इन नियमों में संशोधन तब हो सकते हैं जब उक्त नियमों में संशोधन हो। लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री परसराम मदेरणा : उन नियमों में सस्पेन्शन हो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, सस्पेन्शन हो। किसी नियम को सस्पेण्ड करने का इस सदन को अधिकार है, केवल आपको अधिकार है। सदन को भी अधिकार है लेकिन सदन के सामने कोई प्रस्ताव तो होना चाहिये।

श्री परसराम मदेरणा : वह आ रहा है, वह आगे है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, कोई भी आदमी खड़ा होकर मौखिक रूप से मूव कर दें कि इन नियमों को संशोधित किया जाय या निलम्बित किया जाय, यह तो उचित बात नहीं है। इसलिए मेम्बर यदि उसमें संशोधन करना चाहते थे तो इसके निलम्बन में उनको यह लिखना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहिये कि अमुक-अमुक नियमों को निलम्बित किया जाय उसके बाद नियम 143 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव लिया जाय। उन्होंने उसका तो कोई संकेत दिया नहीं। जो आपने बिजनेस लिस्ट में सक्यूलेट किया है वह यह है कि श्री खेतसिंह संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव करेंगे कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली में निम्नांकित संशोधन किया जाये-

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 253 के भाग 1 के खण्ड (3) के स्थान पर निम्नांकित को प्रतिस्थापित किया जावे—

सदन के सामने लिखित रूप में जो सक्यूलेट किया गया वह केवल यह है। अब आप उसमे आप दूसरे नियमों को निलम्बित करने की बात लाते हैं तो यह विवाद का विषय है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जल्दी में नहीं लें, निलम्बन का मूव करिये पहले।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं समझता हूं ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत ; एक मैं, अध्यक्ष महोदय, और भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी सदस्य यदि किसी नियम के निलम्बन का या सस्पेन्शन की मांग करेगा तो नियम 306 में करेगा।

श्री परसराम मदेरणा : यही तो कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुनिये उन्होंने तो 306 का नाम ही नहीं लिया।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी बात सुनिये। इस सदन की यह परम्परा रही है कि 306 का प्रस्ताव यदि इन राइटिंग नहीं भी किया है और अध्यक्ष महोदय यदि अनुमति देते हैं तो रूल्स 306 के नीचे वह परमीशन दे देंगे और उसी परमीशन के लिए निवेदन कर रहा हूं चीफ व्हिप महोदय कि आप 306 के अन्तर्गत मुझे रूल्स 246, रूल्स 247 और रूल्स 248 के (1) (2) और (3) को सस्पेण्ड करने के लिए अनुमति प्रदान कीजिये, 306 के अन्तर्गत।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, अभी तो माननीय मंत्री महोदय ने और आपने दोनों ने जिन नियमों को निलम्बित करने की बात कही है उन दोनों में ही अन्तर है। आप दोनों अभी तक इस करेक्ट पोजीशन में नहीं हैं कि किन नियमों को आप निलम्बित करना चाहते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हम कोई जल्दी में नहीं हैं, अध्यक्ष महोदय, और विचार कर लीजिये। कोई हम जल्दी में नहीं हैं। हम तो माननीय सदस्यों की सहूलियत के लिए करना चाहते थे कि इसे कर दिया जाय तो कन्सल्टेटिव कमेटियां फंक्शन करना शुरू कर दें। आप अगर नहीं चाहते हैं फंक्शन नहीं हो तो हमको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कसलटेटिव कमेटियां होने से क्योंकि इसमें कठिनाई आयेगी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसमें कोई आपत्ति नहीं है मेरी पहले इनसे बात हुई,

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात का अनुमान आपने लगा लिया होगा कि मुख्य सचेतक महोदय, नियमों से परिचित नहीं हैं यह इतना सा यदि आप कह दें।

श्री परसराम मदेरणा : पहले तो आप वह कान्ट्राडिक्शन बता दीजिये जो मेरे और आपके बीच में है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने अभी जो अभी आपने कहा कि रूल 246, 247 248 को निलम्बित करने की मांग की है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : 248 में (1) (2) (3)।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कौन से।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पढ़ लो।

श्री परसराम मदेरणा : 248 (1) (2) और 248 तीन 1248 में चार पार्ट हैं, 2 8 के तीन पार्ट के सस्पेन्शन्स की मैंने बात कही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। प्रश्न यह है कि प्रक्रिया के नियम 246, 247, व 248 के (1) (2) (3) के निलम्बित करने के संबंध में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

यह आपने 253 के संशोधन प्रस्तुत कर दिये? वह कीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 253 (1) के भाग (1) के खण्ड (3) के स्थान पर निम्नांकित को प्रतिस्थापित किया जावे। यह सक्यूलेट हो चुका है। इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 253-(झ) में जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

विधायी कार्य

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें तीन हैं। ये सब हो गए

श्री भैरोंसिंह शेखावत : स्टेटमेन्ट हो जाये ...

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया कि पहले यह पारित करवा देते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई झगड़ा नहीं होगा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ स्टेटमेण्ट ही देना है।

शासकीय वक्तव्य

ग्राम लेवा खुर्द तहसील भोपालगढ़ में मेघवालों के श्मशान पर एक व्यक्ति का नाजायज कब्जा

श्री अध्यक्ष : इस पर कोई माननीय सदस्य चर्चा नहीं करेंगे। सरकार की ओर से वक्तव्य आ जायेगा। यह जो कृषि फार्म वाला है, यह काफी महत्व का है इसको उसके बाद में ले लेंगे। वक्तव्य सरकार की ओर से दो आने हैं इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। सरकार अपना वक्तव्य दे दे।

ग्राम लवेरा खुर्द में मुख्य मन्त्री जी की घोषणा के बावजूद शहर में नल व बिजली के कनेक्शन का न मिलने के सम्बध में।

श्री प्रद्युम्नसिंह : (राज्य मंत्री, गृह) माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से ग्राम लखेरा खुर्द में खसरा नम्बर 802 कुल रकबा 1600 बीघा का है। इस 1600 बीघा में से 400 बीघा जमीन को गोचर घोषित किया जा चुका है, 552 बीघा जमीन पड़त है और शेष भूमि का आवंटन कर नियमन किया जा चुका है।

खसरा नं. 802/113 रकबा 18 बीघा 3 बिस्वा और खसरा नं. 802/117 रकबा 15 बीघा कुल रकबा 33 बीघा 3 बिस्वा रुघाराम पुत्र भगवाना राम जाट निवासी लखेरा खुर्द के नाम आंवटित है। यह भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2038 सम्वत् 2041 में रुघाराम जाट की खातेदारी दर्ज है। खसरा नं. 802 के कुल रकबे में से कुछ में गांव वाले मुर्दा दफनाते हैं या जलाते हैं। मेघवाल समाज का कथन है कि वह अपने मुर्दे उसी भूमि में दफनाते थे जो भूमि रुघाराम जाट को आंवटित कर उसकी खातेदारी घोषित कर दी गई है अब विवाद यह है कि एक ओर तो मेघवाल समाज इस भूमि पर अपने मुर्दे दफनाना चाहते हैं और दूसरी ओर रुघाराम जाट इस पर आपत्ति कर रहे हैं।

माह अप्रेल, 1983 में श्री तुलसाराम मेघवाल साकिन लखेरा खुर्द ने पुलिस थाना खेड़पा में एक रिपोर्ट पेश की जिस पर अभियोग सं0 15/83 धारा 297, 336, ताजी रात हिन्द के अन्तर्गत दर्ज किया गया और अन्वेषण उपरान्त 10 मई, 1983 को रुघाराम के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश कर दिया गया।

दिनांक 30.9.83 को प्रातः 9 बजे पर श्री मगला राम पुत्र रुघाराम जाट निवासी लखेरा खुर्द ने थाना खेड़पा में रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उसके खेत का खसरा नं. 802 में गांव के छोटाराम, बालूराम, पानीराम व अन्य मेघवाल जाति के व्यक्तियों ने उसके पट्टा शुदा खेत में मुर्दा गाड़ना चाहते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी खेड़पा पुलिस जाप्ते के साथ गांव लखेरा खुर्द गये। जिन्होंने पाया कि श्रीमती दाखू पत्नी पन्नाराम मेघवाल की मृत्यु होने पर लाश को लेकर मेघवाल लोग श्मशान में पहुंचे परन्तु श्मशान भूमि रुघाराम की खातेदारी की भूमि में होने के कारण वे उसे बेदखल करवाना चाहते थे। लाश को खेत के बाहर दीवार के पास छोड़कर मेघवाल जाति के कई व्यक्ति जिलाधीश जोधपुर के समक्ष पेश

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

होने के लिये चले गये। लाश के पास दो व्यक्ति रहे। एस. डी. एम. जोधपुर पुलिस पार्टी के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और मेघवाल-जाति के लोगों को लाश को दफ़नाने हेतु समझाइश की। परन्तु रात होने के कारण लाश नहीं दफनाई जा सकी। दिनांक 1.10.83 को मेघवाल जाति के तुलछाराम, रामूराम, चौथाराम आदि प्रमुख व्यक्तियों को लाश दफ़नाने हेतु पुनः समझाइश की गई। परन्तु वे लोग नहीं माने और रुघाराम को बेदखल करने के लिये अड़े रहे और वापिस जोधपुर चले गये। दिनांक 2.10.83 को ए. डी. एम., एस. डी. एम. व ए. एस. पी. पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और इन लोगों को समझाइश की जिसके फलस्वरूप राजीनामा करवाये जाने पर उन लोगों ने उसी श्मशान भूमि पर लाश दफनाई।

रुघाराम जाट और मेघवाल समाज के ए. डी. एम. और एस. डी. एम. जोधपुर ने जो राजीनामा करवाया उनमें निम्न तीन मुख्य मुद्दे थे:—

(1) कि रुघाराम जाट मेघवाल समाज द्वारा बतायी गयी श्मशान भूमि जिस का रकबा लगभग 2 बीघा है और जिसकी पत्थरगढ़ी दोनों पक्षों के सामने कर दी गयी थी, को सरकार को समर्पित करेंगे।

(2) कि उपरोक्त भूमि को तदोपरांत सक्षम अधिकारी श्मशान भूमि घोषित कर देंगे।

(3) मेघवाल समाज के लोग रुघाराम जाट के खिलाफ दायर मुकदमें में राजीनामा पेश करेंगे।

इस राजीनामा को शीघ्र से शीघ्र अमल में लाये जाने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी कारणवश वह राजीनामा अमल में नहीं लाया जा सका तो मेघवाल समाज को उपयुक्त [सूटेब्रिल] श्मशान भूमि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था अवश्य रूप से कर दी जावेगी।

श्री कैलाश मेघवाल : (अजमेर पूर्व) मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा ....

श्री अध्यक्ष : इसमें प्रश्न तो पूछना नहीं था।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष : सब व्यवस्था बिगड़ जायेगी।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं प्रश्न पूछूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय में इससे ज्यादा आप क्या गम्भीरता चाहते हैं कि एक लाश तीन दिन तक पड़ी रही। मेरा ऐसा ख्याल है कि कोई भी हिन्दु इतना हृदयहीन और इतना कठोर नहीं हो सकता कि किसी की लाश दफन होने के लिए आए और लाश को दफन नहीं होने दे। तीन दिन तक कोई लाश पड़ी रहे। ऐसा उदाहरण, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार का, आतंक का दूसरा नहीं हो सकता है क्या और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। और

(श्री कैलाश मेघवाल)

दो चार सवाल बहुत ही स्पष्ट रूप से माननीय राज्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। वह सवाल यह है कि क्या यह सही है कि रुघाराम और जो दूसरे जाट हैं उन्होंने नाजायज कब्जा इस जमीन पर किया है, जो मेघवालों का श्मशान था और उनके पास सैंकड़ों बीघा जमीन होते हुए भी उसके नाजायज कब्जे को रेग्युलराइज करके मेघवालों को आंतकित किया जा रहा है, नं. 1 क्या यह भी सही है कि मेघवालों के द्वारा दावा करने पर और सरकार की तफतीश से यह सिद्ध हो जाने पर कि रुघाराम अतिक्रमणी है, व उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश कर दिया उसके बाद भी रुघाराम उस जमीन को अपनी ही कहता है। क्या यह भी सही है कि यह झगड़ा 1968 से चल रहा है, 1972 में भी इसी तरह का मामला आ चुका है जबकि एक लाश को दफन नहीं करने दिया गया। वहां पर लाश नहीं ले जाने दी। क्या यह भी सही है कि इस सारे झगड़े में पुलिस का और सरकार का मेघवालों के प्रति रवैया ठीक नहीं रहा है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा इन्होंने कहा कि समझौता हुआ। समझौता किस बात का ? मेघवालों ने दावा किया और दावा करने के बाद बिना उनको रास्ता दिए.......

श्री अध्यक्ष : माननीन सदस्य संक्षेप में।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिना उनको रास्ता दिए आप मेरी सूचना के अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से मैंने विधान सभा में स्थगन प्रस्ताव रखा है, कई बार मेघवालों के ऊपर हमला किया जा रहे है, दबाव डाला जा रहा है। एस. पी. और दूसरे अधिकारी भी यह कह रहे हैं कि तुम क्या कर लोगे विधान सभा के माध्यम से उठा लिया है, या तो हम ही तुम्हें जमीन दिलवा सकते हैं या नहीं दिला सकते है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मेघवालों की शहादत से कभी भी रिकार्ड से, यह पता लगा कि वह उनकी जमीन नहीं है। मेघवालों का श्मशान है जो 15 बीघा का है, जिस पर अतिक्रमण कर लिया माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है यह जो सब है माननीय सिंचाई मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र का है। मैं चाहता हूं कि माननीय सिंचाई मंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें यह जो स्थिति बन रही है मेघवालों की 15 बीघा श्मशान की जमीन यह रुघाराम और दूसरे जाटों ने अतिक्रमण कर लिया है और राजनीतिक दबाव से सारी स्थिति मेघवालों को बेदखल करने की जा रही है। तीन दिन लाशें पड़ी रहती हैं इसके बारे में यह आप स्पष्ट कर दें, यह आपका विधान सभा क्षेत्र है ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कैलाश मेघवाल : गृह राज्य मंत्री जी मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूं कोई लाश आयंदा नहीं पड़ी रहेगी और श्मशान की 15 बीघा जमीन मेघवालों को दे दी जायेगी इस बात की क्या आप स्पष्ट घोषणा करते हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया, खसरा नं. 2 है जो 1600 बीघे का है, श्रीमान

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

और इसके अन्दर 1972 के अन्दर रुधाराम के लोगों को जमीन का आवंटन किया गया है। झगड़े का मुद्दा यहीं खड़ा हुआ

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आवंटन नहीं हुआ है, अतिक्रमण को नियमित किया गया है। तथ्य छुपाये नहीं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल : यह मेघवालों के श्मशान का मसला है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, तथ्यों को छुपाया जा रहा है। अतिक्रमण को नियमित किया है। आवंटन का सवाल ही नहीं है, उनके पास सैकड़ों बीघा जमीन पहले से ही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री कैलाश मेघवाल : उन्होंने अतिक्रमण किया है। उसको रेग्युलराइज किया जा रहा है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय सदस्य बोल रहे थे तो मैंने बीच में व्यवधान नहीं डाला था।

श्री कैलाश मेघवाल : आप तथ्यों की गलत बयानी न करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं इस सदन में गलत बयानी करूं तो मेरे खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री कैलाश मेघवाल : वह कार्यवाही करने वाली बात लम्बी है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, चर्चा समाप्त हुई। आर्डर प्लीज........

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर, यह कोई तरीका नहीं है विवाद का। श्री प्रद्युम्न सिंह, दूसरा विषय....

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : 1600 बीघा जमीन है इस जमीन पर सरकार कब से काबिज है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। इस तरह से अव्यवस्था फैलायेंगे तो माननीय सदस्य मैं आज का जो आवश्यक कार्य है उसको लेकर सत्रावसन कर दूंगा। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आप कहते हैं, उसी हिसाब से, अपना काम निकल गया। उसके बाद में यह प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए।

(व्यवधान)

आर्डर प्लीज, आवेश में आने की जरूरत नहीं माननीय सदस्य। आप कुछ कहना चाहेंगे। जवाब जैसा आयेगा उससे आप पूर्ण संतुष्ट हो जायें यह जरूरी नहीं।

(144)

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, झगड़ा है इस श्मशान की भूमि का....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री प्रद्युम्नसिंह : बहुत सक्षेप में मानननीय अध्यक्ष महोदय, हमने इस बात की व्यवस्था की। सन् 1972 में उसको यह जमीन अलाट हुई। अतिक्रमण की बात नहीं है, जमीन का आवंटन हुआ है। उस हल्के के एस. डी. ओ. को मैंने बुलाया हुआ था, उनसे जानकारी ली, उस जानकारी के आधार पर मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। नं. 1

नं. 2, अब यह विवाद कि ये लोग अपनी लाश को कहां दफनायें। प्रश्न यह है इसके अन्दर। इसलिए वहां के अधिकारियों ने तनाव नहीं बढ़े जो झगड़ा था उसमें राजीनामा कराया गया कि तुम 5 बीघा जमीन सरकार के नाम सरेण्डर कर दो अगर अतिक्रमण होता तो सरेण्डर करने का प्रश्न कहां पैदा होता? प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जब किसी की खातेदारी बन जाती है तब ही उस जमीन को सरेण्डर करने का प्रश्न आता है। यह मामूली सा रेवेन्यु ला है। अब उन्होंने कहा कि जमीन को सरेण्डर कीजिए, हम इस जमीन को मेघवालों के श्मशान के नाम से खाते के अन्दर दर्ज कर देंगे, रेवेन्यु रिकार्ड में कर देंगे और भविष्य के अन्दर चूंकि मुकदमा वापस लिया नहीं जा सकता है, इसलिये वे समझौता कर लें और शान्तिपूर्वक रहें। इस मामले के अन्दर उस रुघाराम जाट इस दसवें महीने में समझौता किया था उसके बाद लगता है कि इसके दिमाग में कोई नई खुराफात शुरू हुई है। यह श्मशान है और बहुत अर्से से यहां पर मुर्दे दफनाये जाते थे। इसलिए इसकी व्यवस्था करनी होगी हालांकि वहां जमीन बहुत पड़ी हुई है लेकिन वहां पड़ गया है बात का सवाल। जमीन वहां बहुत पड़ी हुई है। 100 बीघा का रकबा है। आज भी चाहें तो दूसरी जमीन मेघवाल ले सकते हैं। लेकिन वे चाहते हैं कि यही जमीन मिलनी चाहिये। तो मैंने कहा कि भाई रेवेन्यु ला में देखो तो जो अलाट शुदा जमीन है उसको किस किस से सरकार अगर सक्षम है आवंटन को निरस्त करने में क्योंकि, 72 का मामला है 72 में जमीन का आवंटन हुआ तो मैंने इस बात के लिये कहा कि। आप रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट वालों से पूछो कि अगर सरकार सक्षम है इस अलाटमैंट को निरस्त करने के लिये। तो निश्चित रूप से अलाटमेंट को निरस्त करेंगे और श्मशान घोषित करेंगे। यह मैंने अपने वक्तव्य में कह दिया, जितनी सहानुभूति आपकी है, मेघवाल समाज से उससे अधिक सहानुभूति मेघवाल समाज से सरकार को है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 72 से यह मामला नहीं उठा है यह मामला पिछले साल ही उठा है। 11 साल तक इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। कोई झगड़ा नहीं हुआ क्योंकि वहां आपस में रुघाराम के खिलाफ गांव के अन्दर एक पार्टी हुई है। आप ये कहते हैं कि मेघवाल वे उसका करते हैं। मदद कौन कर रहा है? जो कांग्रेस के सरपंच हैं वह मेघवालों की मदद कर रहे हैं। आप तो यहां पर X X X जोर से बोल कर उनकी सहानुभूति....

X X X अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मुझे आपत्ति है।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी × × × क्या मतलब है आपका ?

श्री अध्यक्ष : × × × को सदन की कार्यवाही से हटा दीजिए।

श्री कैलाश मेघवाल : भाषा पर संयम रखिये . . .

श्री अध्यक्ष : कार्यवाही से हटा दिया जाय।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जोर से बोल के आपकी कोई सहानुभूति अधिक हो जाय ऐसी बात नहीं है। मैं आपसे कम तेजी से बोलता हूं उससे मेरी कम सहानुभूति हो जाय समाज के लिये, ये तो हमारी सरकार की और कांग्रेस पार्टी की घोषित नीति है हरिजनों के प्रति, वीकर सेक्शन के प्रति यह मैं विश्वास दिलाता हूं कि . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर-आर्डर। माननीय सदस्य, संक्षेप में।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसकी व्यवस्था करेंगे वहां पर।

श्री अध्यक्ष : सिंचाई मंत्रीजी।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मंत्री :) माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि अजमेर पूर्व से आने वाले माननीय सदस्य ने मुझ से स्पस्टीकरण मांगा है। मेरा स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि मेघवालों के बीच में और रूपाराम के बीच में श्मशान भूमि को लेकर शायद 1976 या 77 से झगड़ा चल रहा है।

श्री अध्यक्ष : पिछले ढाई साल में कुछ कार्यवाही हुई थी।

श्री परसराम मदेरणा : वे यह कहते हैं कि मैं खातेदार बन गया हूं यह मेरी भूमि है। 1952 में जब सेटलमेंट हुआ यह भी मैंने फैक्ट्स अभी लिये हैं क्योंकि ओपालगढ़ का जब मैंने नाम देखा तो यह मामला क्या है, और उस वक्त इसकी जो किस्म दर्ज हुई थी वह दर्ज हुई है गैर मुमकिन दरड़ा। उस गैर मुमकिन दरड़ा में से कुछ कल्चरेबल बना करके जमीन कुछ आदमियों को एलोट हुई है उसमें एक ये भी है। आज भी वहां पर 400 बीघा, 552 बीघा जमीन उसी किस्म की पड़ी हुई है वास्तव में। श्मशान का झगड़ा पांच बीघा का है। उसके खसरा नं. 802/3 और 802/17 का है। मेरी हमेशा यह राय रही है कि मेघवालों के श्मशानों की जो भूमि है उसको डीमार्क किया जाय उनको जमीन दी जाय। यह उस तमाम इलाके के लोग जानते हैं। एक तो मैं यह स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

दूसरा प्रश्न जो है मैं सदन में एक बात पूछना चाहता हूं और मैं यह सभी से पूछना चाहता हूं जो मेरे आगे और पीछे है कि

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री परसराम मदेरणा)

दूसरी कोई जाति का नाम आता है उस वक्त तो उसके साथ जाति को नहीं लगाते हैं, लेकिन जाट का नाम जिस वक्त आता है उस वक्त उसके साथ जाति जाट लगाने की की जो प्रवृत्ति पुलिसवालों की है, इसको मैं समझता हूं कि हमेशा के लिये बन्द की जानी चाहिये। और यहां पर कम्युनिटि का सवाल ही नहीं है। माननीय सदस्य को आप बताइये ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री परसराम मदेरणा : आपको मालूम ही नहीं है गांव कौनसा है। अध्यक्ष महोदय को सब पता है वहां पर अधिकांश जो जाट हैं उस गांव के वाशिंदे हैं वे मेघवालों के साथ हैं। यहां तथ्य आपको मालूम होना चाहिये। मैं समझता हूं कि काफी स्पष्टीकरण हो चुका है और कोई राजनीतिक दबाव का प्रश्न करते हो, शायद जो है जोन एफ. कैनेडी की तरह। आज से नहीं बल्कि सन् 1952 से बराबर जहां कहीं पर भी चाहे मैं विधायक रहा हूं, चाहे 1952 में विधायक नहीं रहा, हार गया। 1957 के बाद से मैं विधायक हूं, चाहे मैं ट्रेजरी बैंचेज पर मंत्री के पद पर हूं या चाहे मैं उस ओर बैठता था जब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता हूं मैं सम्पर्क जनता से करते वक्त सबसे पहले किसी से हाथ मिलाता हूं तो शिड्यूल कास्ट में 95%। वहां एक ही जाति के लोग हैं और वे हैं मेघवाल। मैं सबसे पहले उनसे हाथ मिलाता हूं, बाद में पंडित से मिलाता हूं और उसके बाद ठाकुर साहब से मिलाता हूं और फिर जो कुछ जाट हैं तो उनसे मिलाता हूं।

श्री कैलाश मेघवाल : यहां तो आप मेरे से नहीं मिलाते हो, मन्त्रीजी ?

श्री अध्यक्ष : नहीं यह परम्परा रही है, मैं जानता हूं।

गत 29 फरवरी को मुख्य मंत्री की घोषणा के बाद भी जयपुर शहर की जनता को नल व बिजली के कनेक्शन न मिलना

सरकार की ओर से वक्तव्य होगा बिजली और नलों के कनेक्शन के बारे में इसमें प्रस्ताव दिये हैं श्रीमती उजला अरोड़ा, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है माननीय श्री शिवराम शर्मा, श्री तेजपाल यादव और श्री तकीउद्दीन अहमद।

तो पहले वक्तव्य होगा और उसके बाद में दो-दो मिनट दो मिनट से अधिक नहीं होगा, दो-दो मिनट में माननीय सदस्य अपनी बात कह देंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था

श्री अध्यक्ष : आर्डर–आर्डर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ही नहीं है, आपका स्थगन प्रस्ताव है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राज्य मंत्री, गृह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में कृषि भूमि व उस पर किये जा रहे अनधिकृत निर्माण की समस्या काफी लम्बे अर्से से

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

राज्य सरकार के विचाराधीन थी। इस समस्या को सुलझाने हेतु राज्य सरकार ने कृषि भूमि रूपांतरण नियम बनाये। इन रूपांतरण नियमों के अन्तर्गत जिलाधीश के यहां से प्राप्त दरख्वास्तों पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा योजना बद्ध विकास के लिये सेक्टर प्लान्स बनाये गये। इन प्लान्स के अन्तर्गत जयपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत अब तक 198 योजनाओं की क्रियान्विति करने की सिफारिश प्राधिकरण द्वारा की गयी है। 198 योजनाओं में कुल 21880 आवेदक हैं तथा कुल 39445 प्राप्त इन योजनाओं में है। जयपुर विकास प्राधिकरण की सिफारिश के आधार पर जिलाधीश जयपुर द्वारा अब तक इन 198 योजनाओं में से 95 योजनाओं में रूपांतरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। इन 95 स्कीम में से कुल प्लाट 13677 हैं। उपरोक्त 95 स्कीमों में जिनमें प्रोविजनल रूपांतरण के आदेश हो चुके हैं उनमें आज की तारीख में 46 स्कीमों में जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा भवन निर्माण मानचित्र पास किये जा सकते हैं।

शेष 49 स्कीमों में नक्शे पास नहीं होने का कारण यह है कि समितियों ने मौकों पर सड़कों व प्लोट्स का डिमार्केशन नहीं करवाया है। 46 स्कीमों में कुल 6190 प्लाट्स हैं इन 46 स्कीमों में जिनमें कि नक्शे पास किये जा सकते हैं, एक सार्वजनिक विज्ञप्ति जनता की सूचनार्थ प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की जा रही है। राज्य सरकार ने जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी विस्तृत नियमों में शिथिलता देते हुए ये भी निर्णय लिया है कि ऐसे अनधिकृत निर्माण जो कि 3-4-81 के पूर्व से हैं और उन्होंने कृषि भूमि रूपांतरण नियमों के अन्तर्गत रूपांतरण करवा लिया है उनके नक्शे एक रुपया व दो रुपया प्रति वर्ग गज की दर से कपाउंडिंग शुल्क लेकर पास किये जायं। 200 वर्ग गज के भूखण्ड का एक रुपया प्रति वर्ग गज व उसके ऊपर के भूखण्ड पर 2 रुपये प्रतिवर्ग गज की दर से कपाउंडिंग शुल्क लिया जावे। जहां तक जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बिजली व पानी की सुविधा के संबंध का प्रश्न है यह भी अनधिकृत निर्माण को रोकने व योजनाबद्ध विकास के परिप्रेक्ष्य में देखने से स्पष्ट होगा कि ऐसा निर्माण भविष्य में इस प्रकार के अनधिकृत रूपांतरण व निर्माण की पुनरावृत्ति नहीं हो इस संदर्भ में लिया गया है। राज्य सरकार की यह नीति रही है कि भविष्य में ऐसे अनधिकृत निर्माणों को सख्ती से रोक जावें। इसलिये जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार की इस नीति की पालना में ही जयपुर विकास प्राधिकरण एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान राज्य विद्युत मंडल को कहा गया है कि वे ऐसे किसी भी नये अनधिकृत निर्माण को बिजली का कनेक्शन न दें जिसके कि भवन निर्माण के नक्शे का अनुमोदन जयपुर विकास प्राधिकरण ने नहीं किया है। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 2 (2) 2(5) 17 व 19 के तहत किसी भी प्रकार के अनधिकृत विकास कार्य के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण रोक लगा सकता है व इन धाराओं के तहत केवल अधिकृत विकास कार्य किये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में विधि विभाग से भी राय ली गयी। उनकी राय के

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

अनुसार भी जयपुर विकास प्राधिकरण इस प्रकार के अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिये बिजली के कनेक्शन पर रोक लगा सकता है। अतः जयपुर विकास प्राधिकरण ने राज्य सरकार की नीति के अनुरूप ही अनधिकृत रूप से हो रहे निर्माण को रोकने के लिये ये कदम उठाये हैं जो कि जयपुर शहर के भावी सुनियोजित विकास हित में हैं। उपरोक्त धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ही उसी प्रयोजन से जिस प्रयोजन से कि बिजली के कनेक्शन पर अनधिकृत निर्माण रोकने के लिये रोक लगायी गयी थी पीने के पानी का कनेक्शन प्राप्त करने पर भी रोक लगायी गयी है। जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में कुल 142 कच्ची बस्तियां हैं जिनमें 107 कच्ची बस्तियों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है। 34 बस्तियों में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। इनमें से 12 बस्तियों को अनधिकृत बताया जाता है। जहां तक इन कच्ची बस्तियों में घरों में बिजली की सुविधा का प्रश्न है उनमें अधिकतर घरों में बिजली की सुविधा उपलब्ध है और इसकी सुविधा के लिये प्राधिकरण ने विभिन्न भू-खण्डों के नाम के साइज डिजाइन के नक्शे बनाये हैं जिनकी कि जांच करने पर अधिक से अधिक सात दिवस के अन्दर अनुमोदन कर वापस कर दे दिये जाते हैं। अब तक इस प्रकार के प्राधिकरण में 709 प्रार्थना पत्र इन साइज, डिजाइन नक्शों के अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए व उनमें से 629 का अनुमोदन कर वापस कर दिये गये हैं। प्राधिकरण के गठन के बाद से 9880 कच्ची बस्तियों के भू-खण्डों के नियमन किये जा चुके हैं। इन कच्ची बस्तियों में से 120 कच्ची बस्तियों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है।

10 कच्ची बस्तियों में पर्यावरण सुधार योजना के अन्तर्गत सुविधा उपलब्ध करा दी जा चुकी है, जिन कच्ची बस्तियों के निवासियों को अन्यत्र स्थानान्तरित किया गया है वहाँ यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध है, जिन कच्ची बस्तियों के निवासियों को मौजूदा स्थान पर ही व्यवस्थित ढंग से बसाने के लिए आवंटित पट्टे दिये जा चुके हैं। उन्हें बिजली एवं पानी का कनेक्शन लेने हेतु प्राधिकरण से एन. ओ. सी. दिये जायेंगे जिससे उन्हें सुगमता से बिजली और पानी के कनेक्शन मिल सकें।

श्री अध्यक्ष : समय सीमा 2 मिनट।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : समय सीमा नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको नियम बता दूं जिसके तहत इन्होंने इसमें रोक लगाई है

मैं तो कहना चाहती हूं कि जयपुर में ही इन्होंने यह नियम लगाया है, इसके लिए न तो गजट नोटिफिकेशन किया है, न इसके लिए कोई आदेश दिया है। इन्होंने यहां पर यह कहा कि विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार हमने रोक लगाई है। मेरा यह कहना है कि पानी और बिजली जैसी आवश्यक चीजों के लिए इन्हें रोक लगानी नहीं चाहिये। अण्डरटेकिंग लेकर अगर मकान उखाड़ा जा सकता है तो किसी का नल भी उखाड़ा जा सकता है। मेरा कहना यह है कि मंत्री महोदय, यह बिल्कुल गलत तरीका है कि आप जयपुर में ऐसी बंदिश लगायें, जरा भीलवाड़ा या धौलपुर में लगा-

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

कर देखो तो आपको आनन्द आ जाय । मैं नहीं कहना चाहती कि कहीं भी लगायें । लेकिन यह बिल्कुल गलत तरीका इन्होंने लगाया है । यह आप विद्युत के नियम देख लें । इसमें यह नियम बताया गया है कि किसी भी परिसर में .... आब्लिगेशन आन लाइसेंसी ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । यह कानूनी प्रश्न है माननीय सदस्या, यहां पर कोई निर्णय नहीं हो सकेगा । आपने अपनी समस्या है, वह रख दीजिये । अब माननीय सदस्यों से....

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर यह कानून का हवाला नहीं देतें तो मैं कानून का हवाला नहीं देती । यह किरायेदारी कानून के अन्तर्गत....

श्री अध्यक्ष : कानून पर चर्चा नहीं होगी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, यह उड़ने की बात नहीं है, यह बड़ा जटिल प्रश्न है ...

श्री अध्यक्ष : आपने देर कुछ कर दी, वैसे तो यह....

श्रीमती उजला अरोड़ा : इन्होंने न केवल कृषि भूमि में लगाई, न केवल कच्ची बस्तियों में लगाई बल्कि ऊंचाईयों पहाड़ों, जो हमारे पुराने गढ़ हैं उन तक में यह बंदिश काम कर रही है, बल्कि 500 कनेक्शन की लाइन पड़ चुकी है, इन्होंने कनेक्शन नहीं होने दिया । अध्यक्ष महोदय, जबकि हाउसिंग बोर्ड के मकानों में अगर बिजली का कनेक्शन है तो पावर का भी नहीं दे रहे हैं । इस तरह से हर बस्ती में ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, समाप्त हुआ, आर्डर प्लीज । श्री तकीउद्दीन ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अब मुझे पूरी बात कहने दें ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठ जाय आपने बात कह दी । मंत्री जी ने विस्तृत रूप से वक्तव्य दे दिया । आर्डर, आर्डर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, बिजली के कानून के तहत ऐसे कनेक्शन नहीं रोक सकते पानी के कानून के तहत यह नही रोक सकते....

श्री अध्यक्ष : कृपया बैठ जायं । आर्डर आर्डर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : .... किरायेदारी कानून के तहत नहीं रोक सकते । मैं आपको पढ़कर सुना दूं....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, बैठ जायं, माननीय सदस्या, श्री शिवराम शर्मा अंकित न हो ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : × × ×

× × × माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है, समय न लें आर्डर, अंकित न हो।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । शिवराम शर्मा। आर्डर, बैठ जायं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्या, अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्या, अंकित नहीं हो रहा है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्या।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

आर्डर, माननीय सदस्या।

श्री शिवराम शर्मा (बनीपार्क) : अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों अनआथोराइज्ड मकान बने जयपुर में इसको मद्देनजर रखते हुए बिजली और पानी के कनेक्शनों को बंद किया था। यह समस्या ऐसी समस्या थी, बार बार हमने हमारे मंत्री जी को भी और मुख्य मंत्री जी को भी अभी पिछले दिनों 26 फरवरी को कांग्रेस जनों की किसान रैली में भी इस मांग को रखा है।

उसमें मुख्य मंत्री जी ने कुछ घोषणायें भी की हैं, लेकिन मैं मंत्री महोदय को इस मौके पर यह बताना चाहता हूं और थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपने घोषणायें की हैं इनमें कुछ कानूनी पेचीदगियां ऐसी आ गयी हैं जिनकी वजह से आप लोगों को बिजली और पानी के कनेक्शन देने में असुविधा महसूस कर रहे हैं उसी का कारण यह है कि आज तक जयपुर के अन्दर लोग 5-7 हजार नए कनेक्शन लेने वाले बैठे हुए हैं, चाहे वह कच्ची बस्तियों में हों, चाहे वह पक्की एग्रीकल्चर लैण्ड, जमीन के अन्दर मकान बनाये हों किसी आदमी ने अपनी हैसियत के मुताबिक एक साल में, दो साल में, तीन साल मे मकान बना रहे थे, आज जब उसका मकान बनकर तैयार हो गया, वह रहने लग गया, मकान तो उसने बना लिया पानी की रोक का जहां तक सवाल है, किसान के खेत में कुआ है मकान उसने बना लिया अब उसको बिजली की समस्या है तो बिजली और पानी की समस्या को, जब बाड़मेर और जैसलमेर में भी हम पानी पहुंचा रहे हैं तो जयपुर शहर, जो राजस्थान की राजधानी है इसके अन्दर पानी को रोका जाना . . .। मैं नहीं समझता कि नये मकान इससे बनना बन्द हो जायेंगे जो सरकार की भावना है उसमें सड़कें और पार्क इनमें

××× माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शिवराम शर्मा)

दिक्कत आयेगी में निवेदन करूंगा, आपने पुलिस का एक सेल कायम किया हुआ है, उसकी मार्फत मकान न बनें लेकिन जो मकान बन गये हैं उसको तो अपने नियमों को और भी सरल करें और सरल करके जयपुर की ज्यादा से ज्यादा जनता की तकलीफों को दूर करें। हमारे जयपुर के विरोधी दल के लोग हैं उनकी तो हमेशा आदत रही है, उनकी बातों पर ध्यान न दे। जब टोंक फाटक का मामला था तब भी रेल्वे लाइन पर धरना देते थे, उस एरिया को बन्द कराते थे। आज बिजली और पानी को लेकर अब विधान सभा के 200 आदमी उजला जी लेकर आयी थीं

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने तो खुलवाया है पिछली दफा इस फाटक को।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्या आर्डर।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप उकसाने की कोशिश मत कीजिए।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें, आर्डर, आर्डर।

श्री शिवराम शर्मा : सरकार रचनात्मक कार्य की परेशानियों पर ज्यादा ध्यान देती है

श्री अध्यक्ष : आर्डर, बैठ जायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : शहर के मामले में मिलकर बोलिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा : तो उस चीज की तरफ तो ध्यान दिया नहीं . . .

श्रीमती उजला अरोड़ा : शहरी मामलों में मिलकर बोलिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री शिवराम शर्मा : कांग्रेस के साथ लोग हैं, जयपुर जिले के लोग कांग्रेस के साथ हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कभी नाम भी नहीं लिया मैंने ध्यानाकर्षण दिया है उसके बाद ध्यानाकर्षण दिया है . . .

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

एक माननीय सदस्य : राजनीतिक भाषण नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा : . . . यू आई टी में इनके गिरधारी लाल भार्गव थे, भंवरलाल जी शर्मा थे, भंवर सिंह जी थे . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य समय न लें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : भैरोंसिंह जी को चेयरमैन बता रहे हैं। भैरोंसिंह जी चीफ मिनिस्टर थे पानी बन्द नहीं किया कभी, बिजली बंद नहीं की कभी, हमारी सरकार ने।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप काहे को बहस कर रहे हो? आपका समझने का मामला ही नहीं है . .

श्री शिवराम शर्मा : जयपुर में कच्ची बस्तियों में सार्वजनिक नलों की बहुत कमी है। जे डी ए से लिखा हुआ जाय उसके बाद की प्रक्रिया काफी लम्बी है। पी एच ई डी वाले बड़ी दिक्कतें पैदा करते हैं। हमें पैसा दो, नहीं दो लाइन डालते नहीं। पहले की कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं उनके अन्दर लाइन नहीं डालते एक हथरोई बस्ती है। जिसके लिए मैंने पहले भी आप से निवेदन किया था। पी एन टी के सामने 300-400 फीट का टुकड़ा डालने के लिए परेशान कर रहे थे। इसी तरह कई बस्तियों के अन्दर इस तरह की परेशानियां हैं। पाइप लाइनें और सार्वजनिक नलों के लिए थोड़ा उनको रियायत दिलायें।

इसी तरह पिछले दिनों आपने घनी आबादी के अन्दर 3/4 सड़कें बनाने के लिए कहा है, 1/4 सड़कें बाहर के एरिया में बनाने के लिये कहा है लेकिन घनी आबादी में जो आप सड़कें बना रहे हैं। रोड़ लाइट की व्यवस्था न होने से लोगों की सुरक्षा खतरे में है इसलिए कम से कम रोड़ लाइट की व्यवस्था करायें अब तो आप ने 3/4 घनी आबादी में सड़कें बनाने के लिए कह दिया।

श्री यदुनाथ सिंह : जोधपुर हाउस में तो मर्करी जल रही थी, फिर भी खतरा हो गया?

श्री शिवराम शर्मा : तो 3/4 उन्हीं बस्तियों के अन्दर रोड लाइट की व्यवस्था करायें ताकि चोरों से, गुण्डों से, असामाजिक तत्वों से....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। समय न लें कृपया।

श्री शिवराम शर्मा : मैं तो यही कहूंगा कि पानी और बिजली की जो समस्या है इसको आप बैठकर, अधिकारियों के साथ बैठकर इसका समाधान करायें। इतनी ही बात कहूंगा, धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब इस पर चर्चा नहीं होगी। माननीय सदस्य समय काफी हो गया है, कृपया बैठ जायं।

श्री तेजपाल यादव : मैंने तो स्थगन दिया है मैं अब 2 ही मिनिट बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण, हमारी पार्टी के लिए और जयपुर की जनता के लिए विनाश प्राधिकरण बन गया है। माननीय मुख्य मंत्रीजी और प्रद्युम्न सिंह जी के कई बार निर्देश देने के बावजूद उनकी पालना नहीं हो रही है। नल बिजली के मामले में, जहां पहले यू. आई. टी. थी, बाद में जे. डी.ए. बना, वह काम तो करता नहीं। मकान, चाहे कितने ही कानून बना दे, चाहे बिजली का कनेक्शन बन्द कर दें, चाहे पानी का कनेक्शन बन्द कर दें, इन सामने बैठने वालों की और जे. डी. ए. की

(श्री तेजपाल यादव)

मिलीभगत है। क्या है कि मकान तो बन रहे हैं धड़ाधड़, आज भी बन रहे हैं सोसाइटी जहां है, जहां कृषि भूमि में जो मकान बन रहे हैं, वहां पहले से ही एग्रीकल्चर में कनेक्शन लगे हुये हैं कुओं का, उसी की जमीन खरीदी हुई है, उसी के कनेक्शन लेकर पानी ले आते हैं या दूसरी जगह से पैसे देकर पानी ले आते हैं, टंकियों में पानी उपलब्ध होता है और मकान आसानी से बनते हैं। अब नल-बिजली के कनेक्शन्स, केवल बिजली के कनेक्शन्स नहीं देने से सरकार की बदनामी हो रही है-एक बात।

दूसरा मुद्दा यह है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी के कक्ष में यह निर्णय हुआ था कि जो कन्ट्रैक्टेड एरिया है उसी का एक रुपया या दो रुपये लिये जायेंगे जबकि ये पूरे प्लाट का ले रहे हैं यह माननीय मन्त्री जी को भी मालूम है ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इतनी विस्तृत चर्चा नहीं होगी कृपया बैठ जायं।

श्री तेजपाल यादव : एक मुद्दा और है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी को और माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जहां कृषि भूमि में मकान बने हुये हैं और कागजों में इनका कब्जा ले लिया कागजों में एक्वायर कर लिया और उन पर सन 77 से पहले मकान बने हुये हैं उनको डी-एक्वायर तुरन्त प्रभाव से कर दिया जाय। अभी तक जे. डी. ए. के अधिकारियों ने

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर माननीय सदस्य, बैठ जायं मन्त्र

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य, बैठ जायं।

श्री भंवरलाल शर्मा : केवल एक प्रश्न ही करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, बैठ जायं। मन्त्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर का मामला है, एक प्रश्न ही पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष : जयपुर शहर का ही मामला चल रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी तक मुझे अवसर नहीं ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, बैठ जायं।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक ही प्रश्न करूंगा।

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं माननीय सदस्य, बाधा न डालें, मंत्री जी आर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय।

श्री भंवर लाल शर्मा : मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा, माननीय सदस्य, बिराज जायें।

श्री भंवर लाल शर्मा : मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा, आप पुनर्विचार कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई, मेरे पास इसके सिवाय....

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बाधा डालने का प्रश्न नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : कुछ नहीं है कि जो वित्तीय विषय हैं उनको ले लूं और वोट करादें उसके ऊपर, जैसा कि पहले तय हुआ था ...

एक माननीय सदस्य : यह खसरा का वक्तव्य कब आयेगा ?

श्री अध्यक्ष : जैसे खेल हो, एक बार स्वीकार कर लो, दूसरी कर लो फिर उसके बाद में उससे मुकर गये तो क्या तरीका है ...

श्री भैरोंसिह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मेरे समझ में नहीं आता है कि आप इतने इर्रीटेड क्यों हो रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : इर्रीटेड, मुझे समय पर सम्पादित करना है सब कार्य।

श्री भैरोंसिह शेखावत : आपको इर्रीटेड करवाने की जिम्मेदारी हमारी है, यह कांग्रेस के सदस्य बोल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं आपके पक्ष के माननीय सदस्य बार बार बीच में बाधा डालते हैं....

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं, अध्यक्ष महोदय, कोई बाधा डालने की नियत से नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के सदस्य भी गेहूं और जो और बाजरे के विषय पर बोलें, तो फिर बाधा डालने का या अपमान करने का ...

श्री अध्यक्ष : समय की पाबन्दी नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा ?

श्री भैरोंसिह शेखावत : इसलिये आप आज तो इर्रीटेड नहीं हों आज तो आप उदार हो जायं। आप सारे सैशन में उदार रहे हैं, तो आप आज इर्रीटेड नहीं हों ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कुछ तो नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया अपना कर अपने को काम करना होगा चर्चा का अन्त क्या ? दो सौ माननीय सदस्य हैं जब चाहें, जिस विषय पर चाहें जितनी देर चाहें बोलना चाहें, आखिर मेरी कठिनाई को तो आप समझिये....

श्री भैरोंसिह शेखावत : नहीं बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं बोलना चाहिये। मैंने मना कर दिया अब क्यों बोलने की कोशिश की, मैंने दो दफा मना कर दिया तो भी बोलेंगे....

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं नियम नहीं बता पाई, वह नियम बता रही हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, इस तरह सभा नहीं चला सकते, मन्त्री जी का आप यदि उत्तर सुनना चाहते हैं तो....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, यहां पर मूल में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये या एडजोर्मेन्ट मोशन के जरिये...

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय मंत्री जी। आप नहीं दे रहे हैं बिजली और पानी के कनेक्शन्स उसका कारण यह है कि सिस्टेमेटिक ढंग से काम करना चाहते हैं....

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, कैसे रोकें इसको.......

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इस अवैध कन्स्ट्रक्शन्स को रोकने के लिये कोई उपाय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इससे थोड़ा बहुत और क्या चारा है हमारे पास. में जयपुर के विकास के लिये, प्लान डवलपमेंट के लिये हमने....

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराज जाइये माननीय सदस्य.......

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप अण्डरटेकिंग लेकर दे दीजिये पानी क्यों रोकते हैं। मूलभूत आवश्यकता की चीजों के लिये शर्म आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीया सदस्या, बैठ जायं, विधायी कार्य।

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : आपने खसरे के ऊपर वक्तव्य दिलाने के लिये कहा था।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (डग) : अध्यक्ष महोदय. आपने खसरे के ऊपर वक्तव्य दिलाने के लिये कहा था।

श्री अध्यक्ष : बाद में देखूंगा। अभी नहीं कहूंगा कुछ भी, पहले विधायी कार्य समाप्त कीजिये उसके बाद में करूंगा।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, आप एक मिनट के लिये बैठ जायं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अनुमति दे दूंगा। मैंने कह दिया है लेकिन समय आने पर। आर्डर प्लीज। विधायी कार्य।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आप चुनावों में फायदा लेंगे इसका, ऐसे ही मिलेगा फायदा।

(व्यवधान)

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार।

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक 1984

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : विनियोग विधेयक तो रखा हुआ है। डिबेट ही चालू होगी। केवल बोलना ही है।

श्री अध्यक्ष : वह मैं समझ गया, साहब लेकिन अपन ने यह तय किया था कि समय पर इसकी चर्चा समाप्त हो जायेगी, कोई बोलेंगे नहीं। उसके बाद में अनाज वाला विषय.......

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट एक-दो तो विनियोग विधेयक पर बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया, आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री घनश्याम तिवाड़ी बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं आज।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री घनश्याम तिवाड़ी का ही नाम है ....

एक माननीय सदस्य : मतदान कराओ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : क्यों कराओ मतदान ?

श्री अध्यक्ष : मेरे पास अन्य कुछ माननीय सदस्यों के भी नाम आये थे

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हमारी पार्टी से घनश्याम तिवाड़ी बोलेंगे। नाम दिया हुआ है।

एक माननीय सदस्य : एक इधर से और एक उधर से बुलवा दो।

श्री अध्यक्ष : कल से मांग कर रहे थे इसलिये मैं वयोवृद्ध, श्री राजबहादुर।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, देश और प्रदेश के वर्ष भर के लेखे-जोखे के बाद निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि बजट एक इन्स्ट्रूमेंट है, एक जरिया है जिसके जरिये से देश और प्रदेश अपनी नीति चाहे वह आर्थिक हो, चाहे विकास की हो, चाहे सामाजिक उन्नति की हो आगे बढ़ाती है। आखिरी जिस प्रक्रिया में हम लोग हैं, मुझे खेद है कि अस्वस्थ हो जाने के कारण कई महत्वपूर्ण प्रश्न इस बजट भाषण में चले, मैं केवल उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, इसलिये समय लिया है मैंने।

एक मुझे अफसोस है कि इस वक्त सिंचाई मंत्री जी यहां पर नहीं हैं एक बहुत ही दुःखदायी मसला निकला सामने और जो मैं अखबारों में देख पाया वह यह था कि हमारी नांगल कैनाल के पैरेलल पंजाब ने बावजूद सारे मुआवजों के, बावजूद सारे एग्रीमेंट्स के बावजूद पंजाब री-आर्गेनाइजेशन एक्ट 1955 से 1978 सब कुछ उन्होंने नष्ट कर डाला और हमारी सरकार की ओर से केवल इतना सा आश्वासन आ रहा है कि हम झुकेंगे नहीं, हम मानेंगे नहीं, यह बात हम 1980 से सुन रहे हैं जब शुरू शुरू में रावी-व्यास का जब सवाल उठा था, मैं एक बात पूछना चाहता हूं ज्यादा तफतीश में नहीं जाऊंगा क्या यह वैधानिक नहीं है, क्या पार्लियामेंट का एक्ट नहीं है कि जो यह पंजाब री आर्गेनाइजेशन एक्ट है, क्या वह पंजाब पर, हरियाणा पर और राजस्थान पर लागू नहीं है और उसका पालन नहीं हो रहा है और बी. बी. एम. बी. जो है उसको वह काम नहीं करने देते। उसके तीन फंक्शन्स हैं-एडमिनिस्ट्रेशन, मेन्टीनेन्स और आपरेशन्स तीनों और उसमें वह विघ्न बाधा डालते हैं और उसके विपरीत वह पानी को अपनी तरफ खेंचते ले जा रहे हैं। तो क्या हम बिल्कुल निहत्थे हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है। वह तो

(श्री राजबहादुर)

बिलकुल झूठा और निराधार एक स्टेण्ड ले सकते हैं कि साहब, जो री - आर्गेनाइजेशन एक्ट या वह कान्स्टीट्यूशन के खिलाफ था। कोई सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग नहीं दी है, कुछ बाद नहीं हुआ है। लेकिन वह बराबर काम करते चले जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं सरकार से, क्या यह रिट आफ मैंडमस के लिये कभी सोचा है मैंने अखबारों में पढ़ा है कि हां, हमने कानूनी तैयारी करवा ली है लेकिन कानूनी तैयारी अधूरी की अधूरी पड़ी रह जाती है, तो कानूनी तैयारी के मुताबिक क्या आप कोई काम करने को तैयार हैं ? पहला प्रश्न तो मेरा यह है, और क्या रिट आफ मैंडमस ऐसे केस में नहीं मिलेगा जहां क्लियर इम्पलीमेन्टेशन है, ला का इम्पलीमेन्टेशन है सुप्रिम कोर्ट में रिट आफ मैंडमस, मैंडमस का नहीं होगा और किसी किस्म का रिट होगा लेकिन डेफिनेटली यह ड्यूटी हो जाती है कि एक्सप्लेन करें सारे पीपुल्स को, आखिरकार राजस्थान के हितों का कब तक उल्लंघन होता रहेगा।

इसी संदर्भ में मुझे फिर याद दिलानी पड़ती है, बार-बार हमने कहा कि गंगा के और जमुना के पानी पर हमारा अधिकार था, जमुना के पानी के बारे मे मैंने तीन सवाल रखे और एक रखा था कि भई क्या पेरीनियल्स स्लो हमें मिलता है ? मैं आपको जो जवाब मुझे मिले हैं-यह प्रश्न नम्बर 100 है मेरा प्रश्न था कि क्या राजस्थान राज्य को यमुना नदी से पेरीनियल्स सिंचाई के लिये तनिक सा भी पानी मिल रहा है और ना उस जल में राजस्थान राज्य का न्यायोचित भाग का निर्धारण हुआ है ? पहला तो जवाब दिया गया है कि अभी निर्धारण नहीं हुआ है, केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है। और दूसरे प्रश्न के जवाब में यह है कि पेरीनियलस से जल मिलेगा या नहीं मिलेगा यह प्रश्न ही नहीं उठता। एक सवाल और किया था, मैंने उसमें स्पष्ट रूप से पूछा था कि क्या आप इस जल को मानते हैं कि आपका इस पर अधिकार है या नहीं ? इसका उत्तर मिलता है और आश्चर्य मुझे यह है कि मेरा सवाल था कि उक्त चेष्टा के फलस्वरूप क्या यमुना नदी के जल में से पेरीनियल सिंचाई हेतु कोई पानी मिलेगा ? इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब कि हमारा हक है, हम पेसिंग में हैं और जब सरकार का ही रूख यह हो कि हम इस संबंध में कुछ नहीं कह सकते। एक और है कि बरसाती पर एग्रीमेंट मौजूद है और उसके मुताबिक 18,000 एकड़ पर एक, 70,000 एकड़ एक, मेरा कहना यह है कि 18,000 एकड़ पानी तो हमें मिलना चाहिये वह भी नहीं मिल रहा है। तो इन सारे मामलों को कुल मिलाकर यह आता है कि यह सरकार हमें बराबर यह कहती रहे कि हम झुकेंगे नहीं, हमने सब तैयारी कर ली है, हम इस मामले में कोई समझौता नहीं करेंगे और समझौते के बजाय, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या यह सही नहीं है कि 1955 और 63 के बाद सब नदियों में चाहे नर्बदा हो, चाहे वह आपके रावी-व्यास नदियां हों, चाहे आपके यमुना नदी हो, चाहे जो सम्बन्धित सरकारें हैं उन्होंने साधन भी बढ़ा लिये हैं और मात्रा भी बढ़ा ली है, आप एक जगह नहीं बढ़ा पाये हैं आप यह स्वीकार करते हैं कि मात्रा बढ़ी है, साधन बढ़े हैं तो मैं एक प्रश्न सीधा वित्त मन्त्रीजी से और सरकार

(श्री राजबहादुर)

से करना चाहूंगा क्या अब समय आया है या नहीं आया है जब आप कह सकते हैं कि हम कानूनी अदालत के दरवाजे खट खटायेंगे। एक इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहूंगा कि आज करप्शन का मामला बार-बार यहां उठता है, करप्शन के मामले में वैसे सारी बातें तो कही जाती हैं, Ceaser's wife must be above suspicion. जो सरकार में बैठे हैं उनको सस्पीशन से, संदेह से ऊंचा होना चाहिये और जब खुले आरोप आते हैं तो क्या होता है ? बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि करप्शन का अपना असर होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है और जो जन साधारण हैं. उनके विश्वास में कमी आ जाती है और जब एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के विश्वास में कमी आ जाती है तो वह फन्क्शन करना सीज कर देती है। गिरीलाल जैन ने एक बहुत ब्यूटीफुल आर्टिकल लिखा है जो परसों तरसों टाइम्स ऑफ इण्डिया में आया है उसने कनेक्ट किया है कि जो रामराज आदिक का काण्ड हुआ है, जिसके विस्तार में, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है जो कुछ पंजाब में घटनायें घट रही हैं उनका बड़ा असर है और क्या है कि एक जगह नैतिक पतन हुआ और नैतिक पतन होने के बाद उसका एक सेन्टेन्स है जो बड़ा प्रेगनेन्ट है, मिनिंग है। उसका सेन्टेन्स है कि crruption leads to decomposition of administrative mechinery.

और फैक्ट यह है कि जहां करप्शन आ गया और लॉ एक्ट लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक आ गया, तो मैं आपसे कहता हूं, चाहे वह मन्त्री हों और चाहे इन्जिनियर्स हों, चाहे वे ऑफिसर्स हों, चाहे विधायक हों, चाहे कोई हों जहां पर पब्लिक में यह चर्चा चल जाय और चाहे वह प्रूव न हो तो बात दूसरी है लेकिन जहां चर्चा हो जाय और जहां आरोप सीधा आ जाय वह you cannot avoid your duty,

एक बात मैं आपसे निवेदन करूं और वह है कुछ, मुझे बहुत खेद के साथ ही कहना पड़ रहा है, हम लोग बलरामजी जाखड़ के पास गये थे, आपकी उपसमिति के सदस्यगण। हमने कहा था कि बजट को जो प्रक्रिया है इसके बारे में आप सन्तुष्ट हैं या नहीं। तो जो विचार विमर्श हुआ उससे साफ निकला, उन्होंने कहा कि आज की इस प्रक्रिया में हम एक फुलस्टाप एक कामा भी नहीं बदल सकते। और क्या है ? इसका तात्पर्य क्या था ? तात्पर्य यह था कि जिस प्रकार से कमेटी सिस्टम के बलबूते पर आज दुनिया भर की सारी डेमोक्रेसी चल रही हैं, हम या तो यह सोच लें कि हमें जनता में विश्वास रखना है कि नहीं रखना है। जनता में यह विश्वास की जड़े मजबूत करनी है या नहीं कि हमारी डेमोक्रेसी ठीक चलती है। वर्ना यह सोच लें कि इसका परिणाम क्या होगा। मैं आपसे विनती करूंगा, दो तीन बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक तो यह कि बजटरी सिस्टम जो आज हमारा है आज जो प्रक्रिया हम फालो करते हैं वह लगभग हॉफ ए सेंचूरी पुरानी है और यह ब्रिटिश शासन से हमको मिली है विरसी में। आज विस्तार कितना बढ़ गया है, प्लान एक्सपेन्डीचर में, प्लान में, नान-प्लान में कितना विस्तार हो गया है। उस वक्त प्लानिंग की एज हुई थी, प्लानिंग का ऐरा नहीं था, लेकिन आज प्लानिंग का ऐरा है और सवाल इस बात

(श्री राजबहादुर)

का है कि बजट के अन्दर कितना मेनिफोल्ड इन्क्रीज हुआ है कितने गुना बजट का विस्तार हो चुका है, बढ़ गया है और मेन जो क्राइटेरिया है कि पार्लियामेंट के जरिये से, लेजिस्लेचर के जरिये से चाहते क्या हैं, हम चाहते हैं कि डिसीप्लीनरी कण्ट्रोल हो फाइनेन्स के ऊपर और, हम चाहते हैं कि जो प्रोसेस है इस बारे में, उसके बारे में फाइनेन्सियल प्रोसेस पर अच्छा कण्ट्रोल हो अकाउन्टेबिल्टी हो, यह अक्षुण्ण रहे। यदि यह अक्षुण्ण रहती है, तो निश्चित रूप से कैसे हो यह, कट मोशन पर आपने देखा है कि जनरल तरह से जनरल डिस्कशन होता है। माफ करेंगे, मैं कोई कमेन्ट नहीं करना चाहता, इम्प्लेकशन नहीं करना चाहता लेकिन मोस्टली पब्लिक ग्रिवान्सेज जो होती हैं, वह सामने आती हैं। जनरली जो बेसिक पालिसी है फंडामेंटल पोलिसीज हैं उनके बारे में हम कुछ नहीं कह पाते और कहें भी पाते हैं तो कोई जवाब नहीं आता, परिवर्तन भी उनमें कोई नहीं होता। परिवर्तन की आशा भी नहीं होती, हम परिवर्तन की कोई आशा कर सकें जनरल डिस्कशन में, एक डिस्कशन हो गया जनरल, एक रेम्बलिंग डिस्कशन हो जाय उसके बाद सेकिण्ड स्टेज आती है डिमाण्ड्स की उसमें कट मोशन्स आते हैं, बहुत सी डिमाण्ड तो बेचारी गुलेटिन होती हैं, उनका तो गुलेटिन से निपटारा हो जाता है। और यह बतायें कि पब्लिक में तो जो फिगर्स हैं उसकी स्टेटमेंट आ गया मान लिया उनको टैक्स रिलीज करना है उनसे जो कुछ भी कर उगाना है उसके बाद उनका कोई राइट नहीं है। यहां 200 आदमी बैठे हैं, 200 आदमी वित्त मन्त्रीजी को छोड़कर भी मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कितनों का हाथ है बजट के बनाने में, एक स्माल ग्रुप होता है सिविल सर्वेन्ट्स का, माफ करेंगे मैं साफ साफ कहना चाहता हूं।

(4.15 म. प.)

(श्रीमती विद्या पाठक, सभापति, पदासीन)

जो शुरू शुरू में बजट के प्रपोजल्स थे, पुराने बजट को देखकर बनाते हैं और फिर रखा जाता है फाइनेन्स मिनिस्टर के सामने। फाइनेन्स मिनिस्टर अगर एक्सपीरियन्सड है पब्लिक स्प्रिटेड है और फोर्सफुल है और जरा कुछ अपना असर्ट कर सकता है तो वहां कुछ हो जाता है वर्ना वह सामने आता है, फिर वह सारी प्रोसेस चलती है। फिर एप्रोप्रिएशन बिल आता है। इस एप्रोप्रिएशन बिल की स्टेज पर मैं क्या आशा करूं आपसे? मैं आपसे एक मोटी बात कहता हूं, एक सवाल मैंने किया था असेम्बली में। क्या आपके इस राज्य में कोई टाउन प्लानिंग एक्ट है। आज नरक बने हुए हैं हमारी नगरपालिकाएं कोई टाउन प्लानिंग एक्ट नहीं है। क्या आप जवाब दे सकते हैं टाउन प्लानिंग एक्ट है। टाउन प्लानिंग एक्ट बनने के बाद, आपने नगरपालिकाओं की हालत क्या सुधार दी। फिर भी मैं पूछना चाहता हूं इसमें यह सारे डिस्कशन के बाद कि एक्सपेंडीचर जो बजट का आया उसके ऊपर हमारा कोई नियन्त्रण किसी प्रकार का है? हम कोई देख पाते हैं, कमेटीज हमारी हैं, वह जितना कर पाती हैं आडिटर जनरल है, लेकिन आडिटर जनरल के एरिया से भी बहुत से एरियाज हैं वे बाहर हैं। काफी चर्चा हो चुकी है इसके

(श्री राजबहादुर)

बारे में। युनिवर्सिटीज हैं वे बाहर हैं जितनी स्वायत्त शासन हैं वो सब बाहर हैं, आज यहां पर चर्चा चली, मैं कुछ दोहराना नहीं चाहता, इतना कहना चाहता हूं एक मिसाल के तौर पर कहता हूं, भरतपुर के किले और नहर के बारे में बड़ी चर्चा है। प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है उसको प्रिजर्व करने के लिये मेन्टेन करने के लिये पैसा देने को तैयार है एक बार पहाड़ियाजी के काल में नवम्बर, दिसम्बर, 80 से लेकर फरवरी तक पानी निकलवाया अब पानी फिर निकल गया है उसका जो ड्रेन से भरा हुआ था आज वहां इतनी जोर का बुखार है, फीवर होता है और मैं भी उसका शिकार होकर आया हूं 7 तारीख को वहां गया था, 7-8 से लेकर 12 तक तो घर पर रहा और 12 से लेकर 18 तक अस्पताल मे रहना पड़ा। इसलिये नहीं कहना चाहता कि सुधार आ जायगा इसलिए कहता हूं कि वह पानी खाली हो रहा है खाली होने के बाद क्या होगा। आज दो महीने बाद बरसात होगी अगर जल्द नहीं किया गया तो आपका सारा जहां जहां का पानी आता है जो नाले उसमें पड़ते हैं, बार बार कह दिया कि भई आप घाटों की मरम्मत नहीं करा सकते किले की मरम्मत नहीं करा सकते, जब तक कि आप वहां की मिट्टी को साफ नहीं करेंगे, मिट्टी साफ किये बिना कुछ नहीं होगा और पानी फिर भर जायगा तो आपको सारा एक्सपेण्डीचर, जो बजटरी एक्सपेण्डीचर है वह इन्फ्रक्चुअस है वह इन्फ्रक्चुअस हुआ कि नहीं। मैंने इसलिए यह बात आपके सामने रखी है कि आखिरकार आपको घुम फिरकर आना पड़ेगा। कोई ऐसा सिस्टम निकालें जिसमें बजटरी प्रोसेस ... हम ... जो ...धायक लोग हैं, आज अपने लिये नहीं बोल रहे हैं यह तो मेरे ख्याल से last serious budget of the present Government, है। पांच साल में से चार साल निकल गये, अगला बजट आयेगा, लेम सेशन लेम सेशन तक इलेक्शन आ जायेंगे। लास्ट बजट है इस सदन का मान लिजिये, लेकिन क्या आप कह सकते हैं दिल पर हाथ रखकर कि आप क्या सोशियो एकानामिक चेन्ज ले आये हैं? क्या आपने मौलिक परिवर्तन कर दिये समाज में जो गेलेक्सी आफ इन्फलेनेशन है उसको कैसे कण्ट्रोल कर लिया है, राइजिंग प्राइस पर कैसे किया, लोगों को राहत कैसे पहुंचाई है। Expanding problem of unemployment. है।

उसको आपने कहां तक हल कर लिया? आपने गरीबी की रेखा के बारे में आंकड़े बहुत देते हैं, आकड़ों पर कितनों को विश्वास है और कितने पढ़ते हैं। उनको सब्स्टेन्शल चेन्ज सोसायटी में क्या है? क्या कन्सन्ट्रेशन आफ वेल्थ नहीं चल रहा है। क्या कन्सन्ट्रेशन वेल्थ के साथ इकानामिक पावर का कन्सन्ट्रेशन नहीं है और क्या करेक्ट नहीं है कि हमारे इलेक्शन से लेकर और हमारे वेल्थ प्रोसेस पर कतई छा गये हैं और उनका खूनी पंजा हमारी गर्दनों पर पड़ा हुआ है, हमारे दिमागों पर पड़ा हुआ है और हम उसके खिलाफ सोशलिज्म का नारा लगाते हैं यह दावा करते हुए, एक गेलेटेरियन सोसायटी चाहते हैं। लेकिन आप मुझे बता दीजिये चार साल के बजटरी प्रोसेस के बाद, vast fundamental change, कौनसा चेंज सोसायटी में लाये हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम वेग है। लोग नहीं

(श्री राजबहादुर)

समझते हैं, माफ करना, मैं कोई बुराई नहीं करता हूं । मैं यह नहीं कहता कि युटिलिटि नहीं है । युटिलिटि तो है।

लेकिन इसके बावजूद में यह कहना चाहता हूं कि यह जो सिस्टम है यह टोटल फेल्योर और कालप्स हो रहा है इस हालत में आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि आपको अगर डेमोक्रेसी को कायम रखना है तो आप कमेटी सिस्टम लेंगे या नहीं लेंगे । यही नहीं है अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय को कहना चाहता हूं कि यह हार्डफैक्ट हैं, क्या हम कट मोशन्स पर भी बोल पाते हैं डिमान्ड्स के बारे में छोड़ दीजिये, पोलिसीज के बारे में छोड़ दीजिये, पर कौनसी पोलिसी आप को सक्सेस हो गयी और कौनसी पोलिसी आपकी फेल हो गयी उसके बारे में तो हम कर भी क्या सकते हैं लेकिन क्या यह सारी डेबिट जो 15-20 दिन तक चली है, सेशन चला है । Ultimately it comes to nullity.

जहां तक पोजिटिव रिजल्ट्स का ताल्लुक है, और पोजिटिव रिजल्ट्स होने हैं, एचिवमेंटस से मैं इसलिये मैं आपको कहना चाहता हूं I am not exposing any cynicism of mine but I am only expressing discontent that there should be something done at radical reforming the budgetary process and our involvement therein. Unless we do that, it will be impossible for us even to cry, much less achieve, social and economic change and real eradication of poverty and achieve emanicipation of the poverty stricken masses below the poverty line.

इन सारी बातों के साथ में मैं एक बात कह कर अपनी बात खत्म करूंगा, और वह यह है कि आप कृपा करके प्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन तो करिये, फोर इमेजिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो करिये । आज आम चर्चा है कि पहले तो लोग अन्डर दी टेबल लेते थे अब तो ओवर दी टेबल लेते हैं आज एक नारा निकल गया है उसके मैं बारे में मैं आपसे क्या कहूं कहते हैं कि ऊपर से ले, नीचे से ले, दायें से ले और बायें से ले, छुप के ले और खुल के ले तेरा नाम है अन्तुले । यह सभी जगह पर चर्चा चल रही है । और चर्चा चल रही है बाजारों में दुकान में, सभी जगह पर है यह आपको भी है चुनौती है हम सभी को चुनौती है इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि

It us a virus that is eating into the vitals of the society as a whole not merely the congressmen on that side or people on this side. It is really something of the problem.

बृजसुन्दरजी, आप पुराने आदमी हैं मेरा आपका बहुत साथ रहा है । आपको देखकर मैं मेरे मन के भाव आपके सामने रख रहा हूं कि आप कृपया Reform the budget process. Please accept it.

हम लोगों ने क्या किया है ? मैं तो कहना चाहता हूं कि आप बजट को रैफर करिये कमेटीज का आप इसको करें क्योंकि इसमें सभी का हित है, राजस्थान का हित

(श्री राजबहादुर)

है इसलिये मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन करिये दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो अधिकार है इस बजट के जरिये उसको हम लोग एक्सैप्ट करते हैं ? क्या हम एक्सैप्ट करते हैं कि फन्डामेन्टल चेंज इसमें होना चाहिये। हम रिक्लेमेशन ऑफ दी वजट में चेंज चाहते हैं या नहीं। आज हमारे जो चम्बल के रेवीन्स हैं उनका रिक्लेमेशन होगा या नहीं ? हम यह आशा करते है कि हमारे यहां पर इन्डस्ट्रियल डवलपमेंट हो और उसका बेसिस क्या होगा ? क्या हमारा बेसिस यू. पी. और पंजाब के अन्दर हो रहा है हरियाणा में हो रहा है उसी तरह से होगा या नहीं होगा कोई पब्लिक सेक्टर में इन्डस्ट्री आयेगी या नहीं ? आज हमारे यहां पर पब्लिक सेक्टर में इन्डस्ट्रीज नहीं आ रही हैं। एक फर्टीलाईजर की इन्डस्ट्री आई वह भी पूंजीपतियों के हाथों में जा रही है। सवाल तो इस बात का आता है कि आपका जो शेयर है वह कितना है और आप अपना हिस्सा लेते हैं या नहीं आपके एचिवमेंट जो हैं वो कागजों पर हैं मैं आपसे विनती करता हूं कि आप एलान बन्द करिये, एनाउन्समेंट बन्द करिये एचिवमेन्ट को शुरू करिये अब वैसे भी एक साल बाकी है वरना तो time is running out and ground under your feet is sleeping alway. This is what I have to say to old congressmen I am well wisher of yours.

मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने मुझे मौका दिया मुझे माफ करेंगे मैं थोड़ा बहुत अंग्रेजी में बोल गया आवेश में आने की वजह से माइन्ड पर कन्ट्रोल नहीं कर सका था खैर, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया लेकिन एक बात फिर मैं कहना चाहूंगा कि वही सवाल आप सिचाई मन्त्रीजी से पूछ लीजिये कि क्या वह जमुना के ही पानी की मांग करते हैं या नहीं या उसे छोडने जा रहे हैं यह पेरेनियल वाटर फोर इर्रीगेशन के लिए जमुना के पानी में जो हमारा हक है और ईसी तरह गंगा का पानी आपको मिलता है या नहीं रावी-व्यास का पानी जो आगे जाकर पाकिस्तान में बह जाता है उस पानी को आप लेने को तैयार हैं या नहीं ? उस पानी के लेने से भी आपका बहुत कुछ काम चल जायेगा। वह पानी राजस्थान में सूखे के समय काम आयेगा और जैसा कि आपके ही चन्दनमलजी ने यहां कहा था कि राजस्थान कैनाल से मोबीइलेजशन ऑफ दी वाटर करने के बाद में शायद एक करोड़ बीघा जमीन हम इससे सिंचित कर सकेंगे। लेकिन बाकी चार करोड़ बीघा जमीन और रह जाती है क्योंकि कुल हमारे यहां है राजस्थान में बिना सिंचाई के पांच करोड़ बीघा जमीन है। पांच करोड़ में से आप एक करोड़ बीघा जमीन की ही सिंचाई कर सकते हैं तो बाकी चार करोड़ बीघा जमीन बिना सिंचाई के रह जाती है इसलिए अगर राजस्थान का हित होता है तो हिन्दुस्तान का हित होता है तो अब यह चार पांच बातें जो मैंने आपको बतायी हैं वह ध्यान में रखें। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि write of mandamus. There is no absolute reason why the centre should stop you from going to the court to vindicate your rights an achieve them. There is no absolute reason for

(श्री राजबहादुर)

dilly-dallying and tinkering with the problem, only keeping us on assurances

हम झुकेंगे नहीं, हम कभी मानेंगे नहीं, और भाई झुकेंगे क्या नहीं और आप मानेंगे क्या नहीं आप तो झुकते भी हो और मानते भी हो और घुटने भी टेक देते हो मैं यहां तक कहूंगा कि leave this capitulation कम से कम आप बृजसुन्दरजी We are old freedom fighters. Why the old spirit should not come to you now. Let us rise, if necessary, even revolt against the present system because things are going from bad to worse. I am not going into the political situation of the country as a whole. I am going into the situation as appears to me in Rajasthan itself. Thank you very much.

श्री सभापति : श्री तकीउद्दीन । माननीय सदस्य, संक्षेप में कहें ।

श्री तकीउद्दीन अहमद (जौहरी बाजार): सभापति महोदय, मैं तो वैसे ही कम ही बोलता हूं और मैं ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं करता हूं, संक्षेप में ही कहूंगा ।

माननीय सभापति महोदय, आज सदन में एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस चल रही है हमें एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस के समय यह तो कम से कम हमें देखना पड़ेगा कि गये साल की उपलब्धियां हमारी सरकार की क्या रहीं । इस सत्र में हमें उन्हें दोहराना पड़ेगा और उसके बाद में इस बिल को सामने रखकर निवेदन करना पड़ेगा । आज, सभापति महोदया, सबसे बड़ा प्रश्न जो है हमारी सरकार के सामने वह है कि 20 सूत्री कार्यक्रम जो कि चल रहा है और उसके अन्तर्गत जो कार्यक्रम चल रहे हैं । और 20 सूत्री कार्यक्रम में प्लानिंग कमीशन ने और भारत सरकार ने भी हमारी राज्य को प्रथम स्थान दिया है और यह प्रथम स्थान क्यों दिया गया है इसके लिये, सभापति महोदया, एक एक सूत्र में हमने क्या क्या काम किया और उसमें क्या उपलब्धियां हमारी रही हैं उसकी जानकारी मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदया, सदन को देना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदया, सिंचाई जो हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम का एक सूत्र है उसमें हमने 82-83 में और 83-84 में 111.9 प्रतिशत या 86.1 प्रतिशत रहा । सूत्र 3 (A) के तहत एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में 136 प्रतिशत और 114.8 प्रतिशत रहा । सूत्र 3 (B) में हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में 154.3 प्रतिशत और 105 प्रतिशत रहा ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या रहा ।

श्री तकीउद्दीन अहमद : ये हमारी 82-83 और 83-84 की उपलब्धियां रही हैं ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य बैठे बैठे बातें नहीं करें। माननीय सदस्य आपस में बातें नहीं करिये।

श्री तकीउद्दीन अहमद : सभापति महोदया, सूत्र चार के तहत लेडरिफार्म में 82-83 में 178.2 प्रतिशत और 83-84 में 198 प्रतिशत रहा। हरिजन विकास, शिड्यूल्ड कास्ट के विकास का प्रतिशत 82-83 में 128.3 रहा। और 83-84 में 105.3 प्रतिशत रहा। शिड्यूल्ड ट्राइब का सातवा सूत्र (बी) के तहत 110.5 प्रतिशत रहा। 82-83 में और 83-84 में 103.9 प्रतिशत रहा। सूत्र के तहत समस्या ग्रस्त गांवों में पानी के लिये हमारे यहां का प्रतिशत 126.9 प्रतिशत 82-83 में और 107.3 प्रतिशत 83-84 में रहा। सूत्र नौ के तहत भूखण्ड आवण्टन का 115.2 प्रतिशत 82-83 में और 132.2 प्रतिशत 83-84 मे रहा। सूत्र 10(C) के तहत पर्यावरण सुधार में बेनेफिटेड पर्सन्स का प्रतिशत 154.4 और 174.7 प्रतिशत 82-83 और 83-84 में क्रमश: रहा है। और समाज के कमजोर वर्ग को मकान अलोट करने के सूत्र 10 (बी) में 173.1 प्रतिशत और 105.1 प्रतिशत रहा। 82-83 और 83-84 में रहा है। सूत्र 11 (ए) गांवों मे बिजली देना इसमें 107 प्रतिशत और 116.7 प्रतिशत रहा है। सूत्र 11 (बी) के तहत कुओं को बिजली देने का लक्ष्य 1 4 8 था हमने 115.4 प्राप्त किया। सूत्र 12 (ए) में वृक्ष बढ़ाये जाना उसके तहत वर्ष 82-83 में हमारा प्रतिशत 123.7 और वर्ष 83-84 म रहा 120.4 प्रतिशत रहा है। सूत्र 12 (बी) के तहत गोबर गैस प्लांट मे हमारा 1982-83 में 70.4 प्रतिशत और प्राप्त किया 125.9। सूत्र 13 परिवार कल्याण, उसमें 1982-83 में हमारा प्रतिशत 77.77 और 83-84 में 62.5 प्रतिशत रहा है। सूत्र 14 ए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना में शत प्रतिशत रहा है।

श्री नन्दलाल मीणा : टार्गेट कितना था ?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य बीच में उठकर नहीं बोलें।

श्री नन्दलाल मीणा : टार्गेट कितना था यह बता दें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर माननीय सदस्य कृपया बीच में डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री तकीउद्दीन अहमद : 15 के तहत आई. टी. डी सी. खण्डों की स्थापना में शत प्रतिशत और 1983-84 में दो सौ प्रतिशत तक रहा है। सूत्र 17 के तहत 96.5 प्रतिशत और 64.20 प्रतिशत रहा है। सूत्र 18 लघु एवम् ग्रामीण उद्योग धंधों में 120.4 प्रतिशत और 124.9 प्रतिशत रहा है।

इस तरीके से, सभापति महोदया 20 सूत्री कार्यक्रम जिसमें राजस्थान को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। इसकी उपलब्धि. इन सूत्रों में जो प्रतिशत हमारे कार्य का रहा है उससे अन्दाज हो जायेगा। इसके साथ-साथ हमारे हर विभाग जिनका संबंध जन-जीवन से है, उसकी अगर आप उपलब्धि देखेंगे तो आपको अन्दाजा होगा कि 1982-83 और 1983-84 में हमारी

(श्री तकीउद्दीन अहमद)

उपलब्धियां क्या–क्या रही हैं। सभापति महोदया, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत सात सौ रुपये तक आय वाले परिवारों का चयन किया जाता है और उस में हम लघु कृषक, सीमान्त कृषक, कृषक मजदूर, भूमिहीन मजदूर, कुशल कारीगर एवं अन्य परिवारों को जो सुविधा देते हैं, उसका प्रतिशत 25 प्रतिशत आता है लघु कृषकों के लिए। सीमान्त कृषक, कृषक मजदूर व कृषक कारीगर इत्यादि का 33 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति परिवारों का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम सीमा तीन हजार रु. जहां सूखा नहीं है जहां सूखा क्षेत्र हैं वहां चार हजार रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को पांच हजार रुपये मिलते हैं। इससे लाभान्वित होने वाले जो हमारे परिवार हैं वह आप देखेंगी तो 1981-82 के अन्दर जो लक्ष्य था वह 1.42 लाख था और हमने लक्ष्य हासिल किया वह 1.22 लाख। 1982–83 में 1.42 लाख के लक्ष्य की तुलना में 1.86 लाख का लक्ष्य प्राप्त किया और 1983–84 में 1.42 लाख के लक्ष्य के मुकाबले में 1.62 लाख का लक्ष्य प्राप्त किया है। इससे आपको अन्दाजा होगा कि इसमें भी हमने लक्ष्य से अधिक तरक्की की है भारत सरकार ने एस. सी. और एस. टी. का जो प्रतिशत रखा था वह 36 प्रतिशत था जबकि हमारे राजस्थान में 55 प्रतिशत लोगों को लाभान्वित किया गया है। अब बिजली है, वह एक ऐसा स्रोत है जिसका सीधा किसानों और जन जीवन से नाता जुड़ा हुआ है। उस स्थिति में भी अधिक लोगों को हमने बिजली के अन्दर लाभान्वित किया है और कितनों को फायदा पहुंचाया है। 1981–82 में....

श्री महाराम चौधरी : तिवाड़ी साहब से पूछो कितनी उपलब्धि है?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। बैठे-बैठे बातें नहीं करें।

श्री तकीउद्दीन अहमद : सुनिये-सुनिये।

1981–82 के अन्दर उत्पादन क्षमता में वृद्धि 180 मेगावाट, 1982–83 में 242 मेगावाट और 1983–84 में 265 मेगावाट।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : मेगावाट क्या होता है?

श्री तकीउद्दीन अहमद : यह मेगावाट आप जाकर.......

श्री सभापति : बीच में व्यवधान न डालें। आर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : इनको स्कूल भेजो, तब समझकर आयेंगे।

श्री तकीउद्दीन अहमद : 220 और 125 के. वी. किलोमीटर लाइन की उपलब्धि 1981-82 में 501.50 प्रतिशत, 82=83 में 698.46 प्रतिशत और 83-84 में 660.5 प्रतिशत।

श्री महावीर प्रसाद जैन (टौंक) : नियमों में प्रावधान है इस तरह से पढ़ नहीं सकते।

(166)

श्री सभापति : माननीय सदस्य वह डाक्यूमेंट नहीं पढ़ रहे हैं, आंकड़े देख रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह झुककर पढ़ रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर कृपया व्यवधान न डालें।

श्री नन्दलाल मीणा : आप झुक कर नहीं खड़े होकर बोलिए।

श्री तकीउद्दीन अहमद : ट्रांसफारमर क्षमता में वृद्धि, मेगावाट के अन्दर 1981–82 मे 427.5, 82–83 में 318.5 और 83-84 में 334.60 रही है। छठी पंचवर्षीय योजना में 220 के. वी. और 132. के. वी. वाल्टेज कुल 2372.4 किलोमीटर लाइन बनाने में वह 220 K. V. और चैक स्टेशन 1647.5 एम. ओ. ए. क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। जिसके पूरे किये जाने की आशा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सिर्फ आंकड़े देखिये।

श्री तकीउद्दीन अहमद : आंकड़े ही देख रहा हूं यह तो मेरे नोट्स हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह आपके नहीं, आपको ध्यान में रखना चाहिए।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री तकीउद्दीन अहमद : आप इसको गम्भीरता से सुनें। इसको सुनने से आपको जानकारी हासिल होगी कि हमारी सरकार ने क्या-क्या उपलब्धियां किन-किन क्षेत्रों में प्राप्त की हैं।

(4.47 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, यह नोट पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बाधा न डालें।

श्री तकीउद्दीन अहमद : ग्रामीण विद्युतिकरण में कुओं को बिजली देने में 1981 82 में 1522, कुओं का विद्युतिकरण किया गया। 82 83 के अन्दर 1130 कुओं का विद्युतिकरण किया गया और 83-84 के अन्दर 1204 कुओं का विद्युतिकरण किया गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ (मंत्री संसदीय कार्य) : पढ़ कर बता रहे हैं कि हमने इतना काम किया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री तकीउद्दीन अहमद : विद्युतिकरण किया गया है 81-82 में 26143, 82-83 11441, 83-84 में 12691।

श्री नन्दलाल मीणा : क्या किया गया है ?

श्री तकीउद्दीन अहमद : कुओं के अन्दर बिजली लगाई गई। अब आपके समक्ष

(श्री तकीउद्दीन अहमद)

में आया। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से जहां तक खेतीबाड़ी के लिए ग्रामीण इलाकों में सिंचाई की योजना को सफल बनाने के लिए कुओं को बिजली देने का सवाल है हमारी सरकार की एक उपलब्धि रही है। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई हमारे 20 सूत्री कार्यक्रम का पहला सूत्र है और सिंचाई के तहत अगर हम हमारे किसानों को सहायता नहीं पहुंचा सकते तो यह राजस्थान का जितना बड़ा क्षेत्रफल है उसमें जितने हैक्टर जमीन को पानी मिलना चाहिये इतना मिल रहा है इसके लिए हमारी सिंचाई योजना है उसमें जो उपलब्धियां की हैं, वह इस प्रकार रही हैं। राजस्थान में 15.68 मिलियन एकड़ फुट सतही पानी है वह सिंचाई के अन्दर काम में आता था जिसमें 8.68 मिलियन एकड़ पानी का उपयोग किया जाता था और 1979-80 में 4.59 मिलियन एकड़ जल के उपयोग हेतु निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके थे जबकि 5.34 मिलियन एकड़ फीट पानी का उपयोग किया जाता था।

....अब जो राजस्थान का लक्ष्य है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य शांत रहें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। यह एप्रोप्रियेशन बिल पर बहस है। काफी टेक्नीकल मसला होता है....

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, बहस क्या हो रही है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर बैठ जायें। आर्डर, आर्डर....

आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य प्लीज....

श्री नन्दलाल मीणा : वह टेक्नीकल मामला है....

(व्यवधान)

श्री तकीउद्दीन अहमद : राजस्थान नहर परियोजना में 588 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं जिनमें 13.73 लाख हैक्टर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि की गई है।

एक माननीय सदस्य : पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री तकीउद्दीन अहमद : सप्तम सिंचाई योजना काल में 235 करोड़ रुपये व्यय किये गये जिससे 1.49 लाख हैक्टर में अतिरिक्त सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराई गयी हैं—

एक माननीय सदस्य : कितने बीघा होगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य। बैठे बैठे नहीं।

श्री तकीउद्दीन अहमद : 1983-84 में सिंचाई में 8860 लाख रुपये के संशोधित प्रावधान से....

एक माननीय सदस्य : पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री तकीउद्दीन अहमद :.... 1. 41, 860 हैक्टर अतिरिक्त भूमि में सिंचाई क्षमता उपलब्ध कराई गई जिसमें राजस्थान नहर और माही बजाज सागर योजना भी शामिल है ....

श्री अनंगकुमार जैन : (झालरापाटन) इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर बाधा नहीं डालें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइन्ट आफ आर्डर सर, अध्यक्ष महोदय। मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है ...

श्री अध्यक्ष : मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मेरा निवेदन यह है कि जब भी हम पढ़कर बोलते हैं तो इस सम्बन्ध में हमेशा आसान से यह कहा जाता है कि आप पढ़कर नहीं बोलेंगे....

श्री अध्यक्ष : यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है, माननीय सदस्य कृपया बैठ जायें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और नियमों में ऐसा प्रावधान है कि कोई भी माननीय सदस्य पढ़कर नहीं बोले।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इनका खुद का ज्ञान तो है नहीं। स्वयं के ज्ञान से बोलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : उनके पास जो पत्रावली हैं उससे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं ....

आर्डर प्लीज। निरस्त किया गया पाइन्ट आफ आर्डर।........

माननीय सदस्य, कृपया बाधा न डालें।

श्री नन्दलाल मीणा : स्पष्टीकरण नहीं करते हैं फिर क्या है यह ?........

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

और लम्बा होगा भाषण माननीय सदस्य यदि व्यवधान डालेंगे तो। कहीं जोड़ बाकी में गलती रह सकती है।.... ... आर्डर प्लीज ......

श्री तकीउद्दीन अहमद : सार्वजनिक निर्माण विभाग में एक हजार बस्ती वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने की योजना के तहत राज्य सरकार ने.......

श्री नन्दलाल मीणा : अब तो समझ गये होंगे।

श्री तकीउद्दीन अहमद : वर्ष 1982-83 में 48,59 करोड़ रुपये व्यय किये जिस में 44 25 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान इसी वर्ष 1983-84 में रखा गया है। इसी तरीके से कुल 278 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है ...

श्री मेघराज तावड़ : जोड़ पूरा है।

श्री तकीउद्दीन अहमद : .... और विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में लगभग 3 हजार पक्की सड़कों का निर्माण किया गया है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ (मन्त्री, संसदीय कार्य) अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ा दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। सदन की अनुमति से बैठक का समय 7 बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1984

श्री तकीउद्दीन अहमद : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के तमाम 27 डिस्ट्रिक्टस में कुल टोटल लेन्थ रोड 3754.5 किलोमीटर बनाई गयी हैं जिसमें व्यय 45.55 करोड़ रुपया का हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, सहकारिता भी हमारे कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है और सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए हमारी सहकारिता की इकाइयों में जो ऋण 1982–83 और 1983–84 में बांटने का लक्ष्य तय किया है उसमें सहकारिता में 1982-83 के अन्दर 135 करोड़ रुपया शार्टटर्म लोन और 13 करोड़ रुपये मीडियम टर्म लोन में बांटे गये हैं ताकि ग्रामीण सहकारिता के अन्दर कृषि के लिए अनाज और दूसरे काम खाद वगैरह खरीदते हैं उसके लिए लोन दिया है। अबकी जो 1983–84 का लक्ष्य है उसमें हमारा लक्ष्य 135 करोड़ रुपये का शार्ट टर्म लोन का है और 13 करोड़ रुपये का मिडियम टर्म लोन का है। इसी तरीके से हमारी जो ग्रामीणों की अनाज की पैदावार होती है उसको रखने के लिए गोदाम निर्माण, जो कि वर्ल्ड बैंक की योजना है, उसके तहत 3 हजार गोदामों के निर्माण की योजना थी जिसमें प्राइस एक्सकलेशन होने की वजह से 2700 गोदामों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें सहकारिता से सम्बन्धित जो उसकी अपनी चीजें है, जो उसका अपना प्रॉड्यूस है उसको वह वहां रख सकेंगे।

इसी तरीके से चिकित्सा के सम्बन्ध में है.......

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि चिकित्सा की मांग पर विचार हो गया है। एप्रोप्रियेशन बिल में आम तौर से जिन मांगों पर विचार हो जाता है उस पर बहस नहीं होती है। तो इसको कृपया आप छोड़ ही दें।

श्री तकीउद्दीन अहमद : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने इस वर्ष में जो प्रगति की है वह प्रगति सराहनीय है और सारी प्रगति को देखते हुए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि यह एप्रोप्रियेशन बिल पास किया जाये।

(170)

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है और काफी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं इसलिए भाषणों पर समय सीमा निर्धारित करना आवश्यक है। अब अधिक से अधिक प्रत्येक माननीय सदस्य को 15 मिनट का समय दिया जायेगा। बीच में एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के लिए श्री भैरोंसिंह जी गुर्जर ने मांग की है। उनको अवसर दिया जाता है। तत्पश्चात श्री घनश्याम तिवाड़ी....

श्री भैरूंसिंह गुर्जर का व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री भैरूंसिंह गुर्जर : (खारची) माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में गत 7 मार्च और 17 अप्रेल को माननीय सदस्य श्री शिवदान सिंह जी राठौड़ ने मुझपर जो बलात्कार और चरित्र हनन सम्बन्धी आरोप लगाये हैं मैं उसके बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि वह मिथ्या हैं, निराधार हैं जिसकी जांच की मांग मैं स्वयं आपसे और मुख्यमन्त्री जी से कर चुका हूं। और इस सम्बन्ध में एक शिकायत मुझ से व्यक्तिगत रंजिश रखते हुए ब्लाक कांग्रेस कमेटी मारवाड़ जंक्शन के अध्यक्ष ने मुख्य मन्त्री जी को बहुत पहले भेजी थी उसको माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जांच करवाई तथा जांच में कोई तथ्य सामने नहीं आये। निराधार थी। शिकायत अगर उसमें कोई तथ्य सामने आते। तो मेरे खिलाफ अब तक कार्यवाही हो गयी होती या दल में अनुशासन की कार्यवाही हो गयी होती। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस प्रकार का न तो मैंने कोई काम किया है और न मेरा इससे सम्बन्ध है। न इस प्रकार की थाने में रिपोर्ट है न पंचायत समिति कार्यालय में रिपोर्ट है और यह मेरे खिलाफ माननीय सदस्य ने केवल व्यक्तिगत वैमनस्यता के कारण यह आरोप लगाये हैं जिनका मैं पुरजोर शब्दों में खण्डन करता हूं। धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण, आप (श्री देवेन्द्रसिंह) भी देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री देवेन्द्र सिंह,

श्री नाथूसिंह : मैंने भी निवेदन किया है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर बैठ जायें। इस सम्बन्ध में आपका कोई भाषण नहीं होगा।

माननीय सदस्य। श्री देवेन्द्र सिंह।

(5.00 म. प.)

श्री नाथूसिंह : भाषण नहीं है, 120 में नोटिस दिया था जिसमें मैंने यह मांग की थी कि सदन की एक कमेटी बनाई जाय····

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

विचाराधीन है।

श्री देवेन्द्रसिंह, राज्य मंत्री, कृषि का स्पष्टीकरण।

श्री देवेन्द्रसिंह (राज्य मंत्री कृषि) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब से इस विधान सभा का सत्र चला है मुझे अफसोस है कि विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने समय-समय पर राजस्थान मंत्रिमण्डल के अनेक सदस्यों पर निराधार आरोप लगाये हैं। उसी क्रम में दिनांक 17.4.84 को माननीय सदस्या सुश्री पुष्पा जैन ने अपने भाषण के दौरान मेरी अनुपस्थिति में यह कहा कि मैंने जयपुर में कई लाखों रुपये का मकान बनाया है। गुलाबपुरा कोआपरेटिव मिल के संबंध में, कहा उसके संबंध में मैं चर्चा इसलिये नहीं करना चाहता कि वह बात रिकार्ड पर है और जो कुछ कहा मैं आपसे इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि संयोग से मेरे परिवार का इतना बड़ा मकान आज भी मेरे गांव में मौजूद है। यदि पुष्पाजी चाहें तो उसका एक हिस्सा उनको दे सकता हूं लेकिन जहां तक जयपुर के मकान का सवाल है, किसी के चरित्र के ऊपर लांछन लगायें, मैं समझता हूं × × × मेरा सौभाग्य रहा है कि 30 साल के सार्वजनिक जीवन में मुझे ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व मिला है जिनके नेतृत्व में मैं एक सरपंच की हैसियत से यहां तक पहुंचा हूं। वह हैं हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी श्री शिवचरण जी माथुर, जिनकी स्वयं की प्रतिष्ठा और साख केवल राजस्थान में ही नहीं देश में है और मुझे उनका सानिध्य मिला है। मुझे बहुत अधिक निवेदन नहीं करना लेकिन मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं की भीलवाड़ा में मेरा गांव बड़िवास को छोड़कर के जयपुर में ही नहीं राजस्थान में मेरा कहीं मकान अगर मिल जाये तो जो आप सजा दें मैं भुगतने को तैयार हूं इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने जो आरोप लगाया है वह निराधार और असत्य है और मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रकार से आरोप लगायें × × × उसके बाद दूसरे के चरित्र के बारे में निवेदन करें।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता कि जो सरकार में बैठे हुए मंत्री है उन्हें स्पष्टीकरण की क्या जरूरत है। मैं विरोधी दल में बैठी हूं सदन में कोई बात कहती हूं तो अपनी जिम्मेदारी से कहती हूं। और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने को आज भी तैयार हूं। बशर्ते कि इस वक्त, मुख्य मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं मुख्य सचेतक

श्री अध्यक्ष : इसमें माननीय सदस्या, भाषण नहीं होगा....

सुश्री पुष्पा जैन : आपकी मार्फत मैं मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं या आपके किसी सीनियर मंत्री से पूछना चाहती हूं कि जो कुछ भी मैंने कहा है उसकी जांच कराने को तैयार हो तो मैं सारे तथ्य सदन में रखने को तैयार हूं.............

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

Page No. 172

(172)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ....

सुश्री पुष्पा जैन : बशर्ते की मंत्री महोदय को सजा मिले ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, कृपया बैठ जायें, अंकित न हो। श्री घनश्याम तिवाड़ी।

(व्यवधान)

आर्डर, माननीय सदस्या, आर्डर आर्डर

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक 1984।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : विनियोग विधेयक के तृतीय बजट के रूप में हम बोल रहे हैं, उसमे........

श्री अध्यक्ष : समय सीमा 15 मिनट।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : बोलते समय इसमें जो मांगें हैं, जो मुख्य विभाग हमारे से चर्चा में छूट गये उनमें उद्योग, माइन्स, नगर परिषद और यू. आई. टी है। इस प्रकार जो विभाग हमारे से रह गये हैं उनके बारे में संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस हाउस में कई रिकार्ड बने। पहला रिकार्ड तो यह है कि मत्री मण्डल की जो मांग हमने पास की पास करते समय एक एतराज करना चाहता था लेकिन मुख बन्द था इसलिए उस समय मैं कर नहीं सका था। हमारे माननीय तीन मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने जब से अपना हाउस प्रारम्भ हुआ और आज हाउस जब समाप्त हो रहा है, आज तक अपना मुंह नहीं खोला। किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया, किसी बहस में भाग नहीं लिया, किसी डिमाण्ड पर जवाब नहीं दिया जब मंत्री मण्डल की मांगे पेश हुई तो मैंने कल्पना की कि इन लोगों को किस बात की तनख्वा दी जाती है। मुख बन्द था और वे मांगे पास हो गई। उनमें हैं माननीय छोगालाल, जगतार सिंह, श्रीमती कमला भील। उसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, पता नहीं तीन माननीय सदस्यों के इस सैशन में पिटाई के समाचार आये और इसी प्रकार से तीन तीन दिन की तीन बार छुट्टियां भी आई और आखिर में जब हम जा रहे हैं उसमें कोई 13-14 सदस्यों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाने का ज्ञापन दिया है। तो ऐसा लग रहा है तीन से तेरह होने के लिये सरकार जा रही है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात में नहीं पड़कर मुख्य रूप से उद्योग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

उद्योग मंत्रालय के बारे में अपन बहस नहीं कर सके। पहले इण्डस्ट्रीज के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष जी; हमारे मुख्य मंत्रीजी का जो विभाग है योजनाओं में बहुत फर्टाइल है। वे हमारे उद्योगों की योजनाओं के लिये इन्फ्रा-स्ट्रकचर उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं और मजबूत करने के लिये वे राजस्थान के लिये अच्छा मैटीरियल इकट्ठा कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सन् 1980 में जब जब इनकी सरकार स्थापित हुई जैसा लोग कहते हैं उस समय राजस्थान में 2% केन्द्र का विनियोजन था और 4 साल में यह केन्द्र का विनियोजन घटकर 1.62 प्रतिशत रह गया है। अध्यक्ष महोदय, यह केन्द्र सरकार के दिये हुए आंकड़े हैं। सबसे ज्यादा केन्द्रीय विनियोजन बढ़ाने में हमारे मुख्य मंत्री जी ने काम किया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब जनता पार्टी की सरकार गई थी उस समय चर्चा चली थी अलवर में जो लिलैण्ड कारखाना है उसके बारे में चार बार, तीन बार भाषण हुए पहाड़िया जी ने कहा मैंने करवाया है, माथुर साहब ने कहा मैंने कराया है। अलवर में स्थापित हो गया लेकिन मैं पूछना चाहता हूं खण्डेला में जो पायराइट खाद कारखाना आने वाला था उस खाद के कारखाने का आज तक क्या हुआ ? मैं पूछना चाहता हूं, राक फास-फेट पर आधारित खाद कारखाना आने वाला था उस खाद कारखाने का क्या हुआ और, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि गैस पर आधारित जो दो बड़े कारखाने खाद के लगने वाले थे उन दो खाद के कारखानों का क्या हुआ। लगातार हर वर्ष राज्यपाल के अभिभाषण में और वित्त मंत्री के भाषण में वार बार यह घोषणा की कि दो पाइराइट के और राक फासफेट पर आधारित दो खाद के कारखाने लग रहे हैं, मगर उन कारखानों का आज तक पता नहीं। पता नहीं माननीय मुख्य मंत्री जी ने क्या खास इन्फ्रास्ट्रकचर तैयार किया है, कितना विनियोजन राजस्थान के अन्दर कराया है। इसी प्रकार से अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सुपर जिंक स्मेल्टर लगाने की बात थी परन्तु जिंक स्मेल्टर के बारे में कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, संक्षेप में मुझे यह कहना है कि निश्चित रूप से केन्द्र का एक भी बड़ा कार-खाना राजस्थान में लगवाने में राज्य सरकार पूर्णतया फेल हुई और केन्द्र का पूंजी निवेश राजस्थान में लगाने में मुख्य मंत्री जी और उद्योग मंत्री जी ने किसी प्रकार की कार्य-वाही नहीं की है।

इसके साथ ही एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, पिछले साल 114 आशय पत्र प्राइवेट सैक्टर में जारी किये, उन आशय पत्रों में से सिर्फ 11 को लाइसेंस मिला है बाकी 103 में क्या हुआ ? इसी प्रकार से मैं पूछना चाहता हूं, रीको को सार्वजनिक क्षेत्र में प्राइवेट फर्मों कलोबोरेशन करके चालू करने में 91 आशय पत्र जारी हुए थे उनमें से 31–योजनाओं में काम चालू हुआ बाकी 60 योजनाओं का क्या हुआ ? यह जवाब यह सरकार नहीं दे सकती और न कोई दे सकता है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमको आंकड़े दिये हैं कि इतने लघु उद्योगों का पंजीकरण किया गया है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुख्य बात यह है कि 5 रुपये लेकर उद्योगों की इका-इयों का पंजीकरण किया होगा लेकिन उत्पा-दन कितने में हुआ, कितनी फैक्ट्रियां बन्द हुई ? अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि राजस्थान में छोटी सी आटे चक्की से लेकर बड़े कारखाने तक 50 हजार इण्डस्ट्रीज के प्रार्थना पत्र राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में विचाराधीन हैं जिनके कनेक्शन देना है और प्रतिवर्ष यह तीन हजार चार हजार लोगों को कनेक्शन देते हैं। तो अध्यक्ष महोदय, आज जिसने एप्लीकेशन दी है, जो राजस्थान में उद्योग लगाना चाहता है, आज यह स्थिति है इस सरकार की नीति के हिसाब से कि वह 12 साल में प्रोडक्शन में जायेगा तब तक न तो आर. एफ. सी से लोन मिलेगा, न अन्य किसी प्रकार का लोन मिलेगा, न वह काम

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कर सकेगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि औद्योगिक क्षेत्र में वृहत सुविधाओं का विस्तार किया है। इन्होंने कहा कि हम आर. एफ. सी के द्वारा 55 करोड़ रुपये का लोन राज्य में वितरित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको पढ़कर आश्चर्य होगा कि 1983 का राजस्थान वित्तनिगम का जो प्रगति विवरण प्राप्त हुआ है फरवरी 28-29 तक इन्होंने 30 करोड़ रुपये राजस्थान के अन्दर उद्योगों को ऋण दिया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले साल इन्होंने 45 करोड़ दिये थे मैं पूछना चाहता हूं कि मार्च के अन्तिम महीने में 25 करोड़ के ऋण किसलिये नहीं दिये। राजस्थान में उद्योगों को ऋण देने की संख्या मे कमी हुई है। राजस्थान में उद्योग लगाने में कमी हुई है। ग्वार की इंण्डस्ट्रीज जो राजस्थान में पनप रही थी आज वे सारी की सारी ग्वार इंण्डस्ट्रीज बन्द पड़ी हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी विदेश यात्रा पर गये थे और विदेश पर जाकर उन्होंने कहा था कि विदेशों से उद्योग लेकर आ रहे हैं, गलफ कन्ट्रीज में गये थे। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि रूंगटा साहब जो हमारे रीको के चेयरमेन हैं सीकर गये, वहां सीकर के जो लोग बाहर रहते हैं विदेश में, उनके पत्र लिये कि माननीय मंत्री जी आ रहे हैं उनका स्वागत करिये। और माननीय मुख्य मंत्री जी जो कहें उसी हिसाब से राजस्थान में आप उद्योग लगावें। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा सीकर के अधिकांश व्यक्ति जो बाहर काम करते हैं उनमें तांगे चलाने वाले, छोटा मोटा काम करने चेजा का काम करने वाले लोग हैं। उनको इकट्ठा किया गया और मैं भी किया गया और उनको कहा गया, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : इन लोगों से भेदभाव रखते हैं क्या आप ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि उनके पास इतनी पूंजी नहीं है जो वे उद्योगों में लगा सकें। वे तो वहां दो हजार रुपया महिना कमाते हैं और उसे वे सीकर में भेज देते हैं। वे कहां से विदेश से आकर राजस्थान में उद्योग लगायेंगे, यह बात जंचती नहीं है। तो उन लोगों से कहा गया, उन्होंने कहा साहब, हम तो किसी प्रकार की पूंजी राजस्थान में लगा नहीं सकते। अगर हमको तो यहां नौकरी भी मिल जाती तो बाहर नहीं जाते। उन्होंने कहा आप पत्र तो लिखें। कम से कम मुख्य मंत्री जी जा रहे हैं तो उनके स्वागत समारोह में तो हाजिर हों और इनके स्वागत समारोह का इन्तजाम करने के लिये रीको के चेयरमेन चारों तरफ फिरे। अध्यक्ष महोदय, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप उनका आये दिन स्वागत समारोह आयोजित कराइये और कुछ भी कराइये लेकिन जो वास्तविक उद्योगपति हैं वे तो वैसे ही राजस्थान में उद्योग लगाने को तैयार हैं लेकिन आप देना क्या चाहते हैं उनको ? राजस्थान में उद्योगों को न बिजली दे सकते हैं, न पानी दे सकते हैं और न रीको ने जहां फील्ड डवलप किया है जहां इन्डस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, वह दे सकते हैं। इन्डस्ट्रीज का प्रोडक्शन राजस्थान में गिरा है। इन्डस्ट्रीज में हड़तालें बढ़ी हैं। इन्डस्ट्रीज के अन्दर ताला बन्दी हुई है। इन्डस्ट्रीज में छंटनी हुई है। अध्यक्ष महोदय,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और इस प्रकार से चार साल में उद्योगों की प्रगति का जो इतिहास चला था इसका सर्वनाश करके माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस वक्त का रेकार्ड कायम किया है कि राजस्थान में उद्योगों का विनाश किस प्रकार से किया जा सकता है। यह पहला इन्होंने कीर्तिमान कायम किया है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं नगर परिषदों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मुझे एक ही बात निवेदन करनी है, अध्यक्ष महोदय, कि नगर परिषदों का चुनाव कराने की बार-बार सरकार द्वारा घोषणा की जाती है। इस सदन में भी सुना होगा, इस सदन के बाहर भी आपने सुना होगा। उनके वार्डों का तीन बार डी- लिमिटेशन कराया गया। तीन बार उनकी सीमाओं का सीमांकन किया गया, मतदाता सूचियां बनाई गई और उन पर आपत्तियां आमंत्रित की गई मगर नगर परिषद के चुनाव कराने में भी सरकार सही स्थिति बताने में सक्षम नहीं है और यह नहीं बता सकती है कि नगर परिषद के चुनाव कब कराये जायेंगे। इसी प्रकार नगर परिषद को मिलने वाली रेट और मनोरंजन कर का सवाल है। बार बार प्रश्न उठाया गया लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, जोधपुर यू. आई. टी. के अन्दर एक बीघा जमीन थी। स्टेट गवर्नमेंट के टाइम पर उस जमीन को एक्वायर किया गया था....

श्री अध्यक्ष : व्यक्तिगत आरोप नहीं होंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं, बिलकुल नहीं। उसमें खसरा नं. 513/1,20 बीघा, 513/3, 32 बीघा, 513/10 30 बीघा इस प्रकार कुल 92 बीघा जमीन का अध्यक्ष महोदय, स्टेट गवर्नमेंट जो जोधपुर स्टेट की गवर्नमेंट थी उस समय एक्वायर किया गया। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, 513/1 और 513/3 पर अमल बरामद हो गई थी और स्टेट के कब्जे में आ गयी थी लेकिन दुर्भाग्य से 513/10 अमल बरामद नहीं हुई और उस कारण से वह स्टेट के कब्जे में आने की स्थिति में थी लेकिन एक्वायर कर ली गई थी। अध्यक्ष महोदय, सन् 1962 में जिनके पूर्व स्वामित्व में जमीन थी, उन्होंने उन पर कब्जे करने की कोशिश की लेकिन नगर परिषद और यू. आई. टी. का वाद-विवाद प्रारम्भ हो गया। अध्यक्ष महोदय, यू. आई. टी ने कार्यवाही की तो न्यायालय में कुछ लोगों ने स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लिया और न जाने कहां-कहां से प्राप्त किया अध्यक्ष महोदय, ए. डी. एम. के यहां से प्राप्त किया, फिर रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटि से प्राप्त किया और उसकी रिविजन अब रेवेन्यू बोर्ड में हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अतिक्रमणी गये चाहे मुंसिफ मजिस्ट्रेट जो कोर्ट में गये चाहे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में गये या सेशन कोर्ट में गये, जहां-जहां वे गये वहां अतिक्रमणी को हारना पड़ा चाहे ए डी एम के पास गये, चाहे रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटि के पास गये इन दोनों स्थानों पर इनको विजय हुई लेकिन अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में 30.7.82 को इस जमीन के नीचे जब कि रेवेन्यू बोर्ड में रिविजन चल रहा था, एक राजीनामा पेश कर दिया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

यह राजीनामा जोधपुर नगर विकास न्यास के अध्यक्ष ने यू. टी. आई. की तरफ से उसमें पेश कर दिया। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, अध्यक्ष महोदय, इस राजीनामे में 6 आदमियों ने हस्ताक्षर किये जिसमें एक आदमी ने मना कर दिया। उससे पूछा गया तो कहा मैंने हस्ताक्षर नहीं किये। अध्यक्ष महोदय, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टी थी लेकिन राज्य सरकार ने इस राजीनामे पर हस्ताक्षर नहीं किये। राज्य सरकार से पूछा गया कि आपने हस्ताक्षर कर दिये तो कहाकि हमने हस्ताक्षर नहीं किये केवल उनके वकील ने वहां पर रेवेन्यू बोर्ड में हस्ताक्षर कर दिये। अध्यक्ष महोदय, ये इस प्रकार के राजीनामे पेश किये गये इस राजीनामे की मांग न तो उन 6 व्यक्तियों ने रेवेन्यू बोर्ड में जिनके खिलाफ रिविजन की गई थी न तो उन्होंने मांग कि थी और न किसी व्यक्ति ने मांग की थी लेकिन यू. आई. टी. ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा पेश करने पर, अध्यक्ष महोदय, 30 हजार वर्ग गज भूमि अतिक्रमणियों के लिये छोड़ने का फैसला हो गया। अध्यक्ष महोदय यह अलग जमीन थी और उसके अन्दर 20 हजार वर्ग गज जमीन छोड़ने की थी लेकिन वह जमीन जो खसरा नं. 513/10 थी उस जमीन को छोड़ने की थी, वह जमीन नहीं छोड़ी गई। उसमें अध्यक्ष महोदय, प्लाट आवंटित किये गये और 85 व्यक्तियों को 17 हजार वर्ग गज जमीन में प्लाट आवंटित किये गये और तीन हजार वर्ग गज में व्यवसायिक भू-खण्डों का आवंटन किया गया। अध्यक्ष महोदय, जबकि राजीनामा 6 व्यक्तियों के अन्दर हुआ था और 20 हजार वर्ग गज जमीन छोड़ने की बात थी लेकिन इस प्रकार से 30 हजार वर्ग गज जमीन वहां पर छोड़ दी गई और इस 30 हजार वर्ग गज जमीन का अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं जोधपुर में काक्स कुटीर की जो जमीन है उसकी 350 रु. प्रति वर्ग गज की कीमत है। इस प्रकार एक करोड़ और 5 लाख का यू. आई. टी. को नुकसान हुआ। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो दूसरे चार्जेज बनते हैं उसमें भी 14 लाख रुपया कनवर्सन का बनता है। इस तरह कुल डेढ़ करोड़ रुपयों का यू. आई. टी. को नुकसान हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि इस बात कि जांच होनी चाहिये कि काक्स कुटीर के मामले में 30 हजार वर्ग गज जमीन क्यों छोड़ी गई। राजीनामे का आदेश किसने किया। यू. आई. टी में क्या इस प्रकार का प्रस्ताव पास हुआ था? क्या राज्य सरकार ने इसकी स्वीकृति दी थी? अध्यक्ष महोदय, कुछ नहीं हुआ और बिना किसी बात के रेवेन्यू बोर्ड में जाकर राजीनामा पेश कर दिया और डेढ़ करोड़ का घाटा यू. आई. टी. को पहुंचा दिया। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? अध्यक्ष महोदय, मैं मांग करूंगा कि इस बात की जांच हो। अध्यक्ष महोदय आज आम तौर पर इस बात की चर्चा है कि सब लोग जो यू. आई. टी. से सम्बन्धित हैं, वे इसमे इन्वोल्व हैं और जो यह बन्दरबाट हुआ है, मैं आरोप तो नहीं लगाना चाहता हूं. लेकिन इसके कारण पूछे जायं कि वे कौन थे और किन लोगों के लिये जमीन छोड़ी गई। इस प्रकार डेढ़ करोड़ का नुकसान यू. आइ. टी को क्यों पहुंचाया गया। कई लोग तो यह भी कहते हैं कि मामला सी. एम. साहब और स्वायत शासन मंत्री के ध्यान में लाया गया था और इसके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बाद राजीनामा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, अगर इसकी जांच नहीं हुई तो आम जनता में इस प्रकार की ....

श्री अध्यक्ष : समय समाप्त हुआ माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह मांग नहीं हो रही है कि दो मिनिट और ..... अब आप एक मिनिट में समाप्त कर दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक बात कहते हुए समाप्त करूंगा राजस्थान में एक लाख कृषि के कनेक्शन हैं और कृषि के कनेक्शन आज 6 हजार प्रति वर्ष दे रहे हैं तो आने वाले 15 साल में भी आज जिसने प्रार्थना-पत्र दिया है उसको किसी को कृषि का कनेक्शन नहीं मिलेगा। आज राजस्थान में यह हालत है कि कृषि के कनेक्शन 15 साल बाद मिलेंगे। आज राजस्थान में हालत यह है कि उद्योगों के लिए कनेक्शन चाहते हैं तो 12 साल बाद मिलेगा और आज राजस्थान में हालत यह है कि जो बजट सड़कों का 100 करोड़ का था वह 65 करोड़ का हो गया और जो सड़कें ग्राम पंचायतों से जुड़ने वाली थी वह भी नहीं जुड़ पायेंगी, तो, अध्यक्ष महोदय, इस चार साल के कार्यकाल में सारा राजस्थान सरकार ने बंटाढ़ार किया है उद्योगों का, खेती का, बिजली का, सड़कों का और इसलिये मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इस विनियोग विधेयक को पारित नहीं किया जाय, नहीं तो राजस्थान का सर्वनाश होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरूलाल भारद्वाज

(अनुपस्थित)

श्री जनार्दन सिंह गहलोत।

(अनुपस्थित)

श्री रतनलाल ताम्बी .... बोलना चाहेंगे ?

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में पिछले कई वर्षों से अकाल के बाद और आर्थिक विषमताओं के बीच में राज्य सरकार ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों को गतिशील बनाने के लिये जो प्रयास किये हैं, इन हालातों के बीच में जिस कुशलता से वर्तमान सरकार ने प्रयास करके समाज के पिछड़े हुए वर्ग के उन तत्वों का और दूर दराज में रहने वाले गांवों का विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक उत्थान का कार्य किया है। वे निश्चय ही मैं समझता हूं कि ये काम अपने आप में प्रयत्न के रूप में सामने हैं। यह सही बात है कि इन कामों के बीच में रहने वाले लोग, उन गांवों के झोंपड़ों में जाने वाले लोग, जब अपने सामने ये काम होते देखते हैं तो निश्चित रूप से इन कामों की सहराना करेंगे और दूसरी ओर जो केवल विरोध के दृष्टिकोण से और

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इन्हीं आधारों पर जो अपनी राजनीति चलने के लिए प्रयत्न करते हैं वह इसका विरोध करेंगे ही क्योंकि उनका दायित्व ऐसा ही माना जाता है। मगर राजस्थान में वह धरती जिसको हम पश्चिमी राजस्थान कहते हैं जहां पीने के पानी की समस्या भी दूभर है, पीढ़ी दर पीढ़ी से लोग पीने के पानी बिना प्यासे हैं, उस राजस्थान की धरती पर आज राजस्थान नहर के आने के बाद न केवल पेयजल की समस्या हल हुई है बल्कि उन धोरों पर लहराती खेती होने लगी है उसको मैं समझता हूं नकारें यह कोई आधार भूत बात नहीं हो सकती। वह दक्षिणी राजस्थान का आदिवासी इलाका जिसकी गरीबी और पिछड़ापन राजस्थान को पिछड़ापन घोषित करता है आज उसमें माही प्रोजेक्ट बनकर उन आदिवासी समाज के लोगों के खेतों पर नहर पहुंची है तो उसको विकास नहीं मानें तो मैं समझता हूं यह विरोध की पराकाष्ठा है। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि समाज की मूलभूत आवश्कता रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और चिकित्सा हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान में जितने प्राथमिक विद्यालय खोले हैं, जितने मिडिल स्कूल खोले हैं ....

एक माननीय सदस्य : यह तो डिमाण्ड पर चर्चा हो गयी।

श्री रतनलाल ताम्बी : .... और जो चिकित्सा में आज सब सैन्टर्स छोटे छोटे गांवों में डिस्पेन्सरियां और प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केन्द्र, पशु चिकित्सालय, औषधालय स्थापित हुए हैं और आने वाले बजट में जो राजस्थान में सहकारिता

(5. 23 म. प.)

(श्री सूर्यकुमार सभापति पदासीन)

के क्षेत्र में काटन मिल, आयल और वनस्पति घी के कारखाने जो सामने नजर आ रहे हैं क्या वह विकास नहीं है तो आज मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की धरती जिसमें विरासत में सामन्तवाद, राजशाही की जो स्थिति मिली उससे उबारने के लिए यह प्रशासन जो कुछ काम कर रहा है: वह निश्चत रूप से सराहनीय हैं। पेयजल की समस्या के लिए आज गांवों में हैण्ड पम्प के स्वरलहरि में गीत गाती महिलाएं जब इस राज की सराहना करती हैं तो अपने आप वह विकास की कहानी ...

(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया शान्त रहें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह रिपीट कर रहे हैं।

श्री अनंग कुमार जैन : यह एप्रोप्रिएशन बिल पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हैण्ड पम्प योजना के बाद पेयजल समस्या का गांवों में और दूरदराज में निदान हुआ है........

श्री अनंग कुमार जैन : सभापति महोदय अगर इनके पास मैटर नहीं हो तो हमारे माननीय सदस्यों को अवसर दें।

श्री रतनलाल ताम्बी : बहुत मैटर है मेरे पास । अभी बहुत है ।

श्री अनंग कुमार जैन : क्या फायदा उन बातों को दोहराने से । अभी बहुत माननीय सदस्य हैं ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप उद्योग पर बोलिये, गुलाबपुरा मिल पर बोलिये ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य । विराजें आप । कृपया अन्तिम दिन तो विराजिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी : इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि मुंह बोलते काम, विकास के काम फैसला करेंगे अगले आप जब जनता के बीच में जायेंगे मैं आपको कहना चाहता हूं, पिछले जनवरी और फरवरी में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मैंने 197 गांवों का व्यापक रूप से दौरा किया और उन योजनाओं की लोगों से मिलकर प्रत्यक्ष मैंने जानकारी प्राप्त की है । मैं उस आधार पर कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार जिसने बीस सूत्री कार्यक्रम जिसको आर्थिक और सामाजिक विकास का, समाज के हर वर्ग से जुड़ा हुआ कार्यक्रम कह सकते हैं, उसके जरिये लोगों में एक आत्मसंतोष और आत्मनिर्भरता का जो वातावरण बना है और उसका दिखता जो लाभ सामने आया है उसका आज विरोधी पक्ष के लोग चाहे कितनी ही धज्जियां उड़ाने का प्रयत्न करें, कितनी ही उसमें कमियां निकालने का प्रयत्न करें पर वह गांव का रेगर, चमार, गांव का बलाई, गांव के लुहार, बढ़ई, खाती और गांव के साधारण से साधारण भील और कई प्रकार के वे तबके जिन पर किसी प्रशासन ने आज तक ध्यान नहीं दिया, राजाओं के राज में देख लें, जागीरदारों के राज में देख लें, जिन लोगों से केवल बेगार तो ली जाती थी और आज बेगार तो दूर उसके आज पक्के मकान नजर आयेंगे । उसको आज धन्धा करने के लिए राज्य से अनुदान और सहायता प्राप्त होती है तो मैं समझता हूं यह काम तो हुआ है । इस आधार पर मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में आधारभूत विकास की एक कार्यक्रम तेजी से बढ़ने लगा है और मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि एक ढांचा विकास का सामने नजर आने लगा है । मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि वह राजस्थान जहां पर लोगों में क्षमता है काम करने की, जिनकी श्रम और साधना इतिहास में प्रसिद्ध है, उस राजस्थान को आज आगे बढ़ाने के लिए चाहे सिंचाई की योजनाओं को लें । चाहे विद्युत की परियोजनाओं को लें । कुछ गति मिली है और आने वाला भविष्य उससे और उज्ज्वल दिखाई देता है । मैं इस अवसर पर माननीय वित्त मन्त्री जी से एक सुझाव के तौर पर निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में नान टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की दृष्टि से काफी सोचने की गुंजाइश है और उसमें मैं हमेशा निवेदन करता आ रहा हूं कि पूरे प्रशासन को पूरी शक्ति के साथ यह प्रयत्न करना चाहिए कि आज खनिज सम्पदा राजस्थान की इस धरती में बहुत छिपी हुई है....

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री अनंग कुमार जैन : ये तो इनके लड़कों को दिलाते है लीज माइन्स की ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री): इससे पहले कि बोलें, माननीय सदस्य मुझसे बात तो कर लेते । शर्म नहीं आती ऐसा कहते हुए । गलत बात को कहते हुए आपको शर्म आनी चाहिए ।

श्री अनंग कुमार जैन : अजी यह परमों विधान सभा में जवाब आया है, यह आपका हमने मामला उठाया तो राज्य सरकार ने बताया । वरना तो हुआ यह है कि जे. ई. एन. माइन्स से मिलकर करवा ली थी लेकिन जब हमने उठाया तब जाकर सरेण्डर किया था । माननीय भैरोंसिंह जी ने मामला उठाया था, यह मैंने नहीं किया था । यह तो जयकृष्ण जी शर्मा भी कह रहे थे ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री अनंग कुमार जैन : तब जाकर सरेन्डर करनी पड़ी वह जमीन....

(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की यह खनिज सम्पदा जिससे बहुत बड़ी राजस्थान में नान टेक्स रेवेन्यू मिल सकती है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिना अनुमति बोल रहे हैं ।

श्री रतनलाल ताम्बी : जी. एस. आई. के नाम पर यह रिजर्व यह हैं, 36 साल के लिए, जिस प्लानिंग के लिए, जिस मिनरल के लिए रिजर्व हैं उस मिनरल को जी. एस. आई. ने आज तक नहीं निकाला है । मैं कहता हूं आप बाकी अन्य मिनरल्स तो जी. एस. आई. के क्षेत्र से लेकर नये लोगों को, शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को, बेरोजगार लोग जो उसमें आना चाहते हैं, उनको दें । राज्य सरकार को भारत सरकार पर अपना पूरा प्रभाव डालकर प्रयत्न करना चाहिए कि जी. एस. आई. का क्षेत्र जो राजस्थान में बहुत बड़े इलाके में, अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में, निर्धारित किया हुआ है, उसको आज समाप्त किये जाने की आवश्यकता है जिससे नये लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार सुलभ होगा और करोड़ों रुपये की राजस्थान की नान टेक्स रेवेन्यू बढ़ेगी । मैं इसके साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री जी आप समाजवादी चिन्तन के हमेशा हमराही रहे है और आप पूंजीपतियों के विरोधी हों तो राजस्थान के इन पूंजीपतियों में, बड़े बड़े उद्योगपतियों में कई प्रकार की बकाया है उनसे आप वसूली करके इस कार्य को क्यों नहीं बढ़ाते हैं ? राजस्थान में उद्योग का एक नया वातावरण बनाने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है और माननीय मुख्य मन्त्री जो इस दिशा में कुछ प्रयत्न कर रहे हैं । पिछले दिनों बम्बई कलकत्ता और खाड़ी देशों में गये और जाने के बाद कुछ बड़े कारखानों की उन्होंने बातचीत की है और मैं समझता हूं, कि राज्य सरकार उन कारखानों को जल्दी से जल्दी लगा कर के राजस्थान में औद्योगिक क्रान्ती को और गतिशील बनाने का प्रयत्न करें और एक ही खिड़की पर सभी प्रकार के ऋण और अनुदान और सारी सुविधायें सुलभ हों, इसका एक नया वातावरण राज-

(श्री रतनलाल ताम्बी)

स्थान में फिर से बनाने की आवश्यकता है। इसके लिये विद्युत की कमी की बात सामने आती है। पड़ोसी प्रदेशों से विद्युत का पूरा हिस्सा लेने के प्रयास में भी राजस्थान में सफलता नजर आई है। लगभग 250 मेगावाट बिजली इन पिछले डेढ़ दो सालों में मिली है। मैं चाहूंगा, राजस्थान में जो प्राकृतिक साधन मौजूद हैं उनके जरिये और विद्युत उत्पादन करके राजस्थान का औद्योगिक विकास, राजस्थान की कृषि का विकास और तेजी से किये जाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ ही जैसा मैं हमेशा निवेदन करता आया हूं ....

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, तीन मिनट में आपको समाप्त करना है।

श्री रतनलाल ताम्बी : मुझे 15 मिनट अध्यक्ष महोदय देकर गये हैं।

श्री सभापति : तीन मिनट में समाप्त करना है, माननीय सदस्य,

श्री रतनलाल ताम्बी : मुझे 15 मिनट अध्यक्ष महोदय ने दिये हैं, मैं उसी में निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : हां, 15 मिनट के हिसाब से ही अर्ज कर रहा हूं। 5.18 पर शुरू किया है आपने तीन मिनट में समाप्त करना है माननीय सदस्य।

श्री रतनलाल ताम्बी : पांच मिनट मैं आपसे लेऊंगा, साहब।

मैं यह निवेदन कर रहा था आज राजस्थान में सिंचाई के क्षेत्र में जितनी प्रयोजनाएं बनाने की आवश्यकता है उस तरफ पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा प्रत्येक जिले में, प्रत्येक क्षेत्र में जो भी योजना है उनका मास्टर प्लान बना कर उनको गति के साथ शुरू किये जाने की आवश्यकता है। मैं इसके साथ-साथ कुछ आदिवासी क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा। क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूं उसमें माडा योजना है। उसमें लगभग सौ गांव हैं। मैं एक बात तो यह निवेदन करना चाहता हूं, आदिवासी सब प्लान के नाम से जो जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, और चित्तौड़ जिले का कुछ हिस्सा और सिरोही जिले के कुछ हिस्सा इन इलाकों में और हमारे इलाकों में जो आदिवासी रहते हैं उनके बीच आपने बहुत बड़ा भेदभाव पैदा कर रखा है। इसलिये मैं चाहता हूं, जो नियम और नीति उस इलाकों में है, माडा क्षेत्र में वही आदिवासी रहते हैं जिनको आपने आदिवासी घोषित कर रखा है, तो फिर उनके और इनके बीच में असमानता क्यों ?

श्री नन्द लाल मीणा : योजना मंजूर होनी चाहिये क्या ?

श्री रतनलाल ताम्बी : बिल्कुल हो जायगी, कोई चिन्ता नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, क्यों व्यर्थ में आप बीच में व्यवधान डालते हैं, यह उचित नहीं है आपके लिये. उचित नहीं है, माननीय सदस्य. कृपया।

Page No. 182

(182)

श्री रतनलाल ताम्बी : मांडा क्षेत्र की योजनाओं की भी उसी रूप में नीति निर्धारित करके उनको समावेश करने की, मैं समझता हूं, आवश्यकता है । इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रदेश में 24.38 शिक्षा का प्रतिशत हो, उस प्रदेश में आज शिक्षा को और गतिशील बनाने की आवश्यकता है । पिछड़े इलाकों में खास तौर से कालेज और बड़ी शिक्षण संस्थाओं का अभाव है उस तरफ भी राज्य सरकार का ध्यान जाय ।

इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा आज राजस्थान में चिकित्सा की दृष्टि से जिस गति से जो काम हो रहा है, अभाव और विषमताओं के मुकाबले उसमें अभी और कमी है । आज आवश्यकता है उस गति को और बढ़ायें 10-12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रखते हैं, 50 डिस्पेन्सरी रखते हैं साढ़े तीन करोड़ जनसंख्या जहां हो प्रति व्यक्ति 14-15 रुपये जहां चिकित्सा पर खर्चा होता हो उस राजस्थान में इस दिशा में ध्यान देने की बहुत बड़ी आवश्यकता है ।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा । वन संपदा के बारे में, वन संपदा राजस्थान में आज लोगों का बहुत बड़ा आर्थिक आधार है, आदिवासी समाज के लोग उससे पलते रहे हैं। पिछले दिनों मुझे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के कुछ इलाकों में जाने का मौका मिला । जिस प्रकार वन संपदा नष्ट हो रही है, जिस प्रकार सारे लोग उसको नष्ट करवाते हैं उस दिशा में आज राजस्थान सरकार को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है. आज नंगी पहाड़ियों को, आप चाहे माड़ा योजना में, चाहे आदिवासी सब प्लान में, चाहे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में, चाहे भूमिहीन को रोजगार गारंटी स्कीम में, इस स्कीम्स में इन नंगी पहाड़ियों को राजस्थान में फिर से हरी भरी करने के लिये मास्टर प्लान बनायेंगे और राजस्थान के आर्थिक विकास के लिये इस आधार को मजबूत बनायेंगे । इस दिशा में भी आपका ध्यान जायेगा ।

अब मैं दो तीन बातें आखिर में कहता हुआ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा । सभापति महोदय, निरन्तर मेरी ओर देख रहे हैं, मैं आपसे भयभीत हूं, मैं जल्दी अपनी बात समाप्त करूं ।

मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारी योजनाएं बनी हुई हैं, जितना योजनाओं के माध्यम से रुपया लग रहा है उनका गुणात्मक कितना लाभ प्राप्त होता है उसकी समय समय पर बराबर समीक्षा होना आवश्यक है. चूंकि नौकरशाही इन योजनाओं को गलत ढंग से लागू करके घपलेबाजी करके लोगों तक नहीं पहुंचने देती है, उसको भी आज देखने की आवश्यता है, मैं उदाहरण के तौर पर कहूं कई ऐसी संस्थायें हैं जिनके बारे में आये दिन मामले सामने आते है, मैं डी. आर. डी. के बारे में कहना चाहूंगा कि जिला स्तर पर तो इसकी ठीक व्यवस्था है, नीचे के स्तर पर इसकी जब तक स्वतंत्र एजेन्सी नहीं होगी, तब तक सही ढंग से काम नहीं होगा. क्योंकि गुटबाजी रहती है, राजनैतिक आधार रहते हैं। उस कारण समाज के कई हिस्से अछूते रह जाते हैं. उस दिशा में ध्यान देने की सबसे बड़ी आवश्यता है ।

श्री सभापति : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में जिस गति से विकास हो रहा है, उस गति को और बढ़ाने के लिये सभी प्रयास करें और जितनी हमारी योजनाएं हैं उन पर सही ढंग से खर्चा करें ताकि राजस्थान उत्तरोत्तर आगे बढ़ सके, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचार समाप्त करूंगा। जय हिंद।

श्री सभापति : माननीय श्री कैलाश मेघवाल।

श्री देवीलाल : सभापति महोदय...

श्री सभापति : माननीय श्री कैलाश मेघवाल। माननीय श्री कैलाश मेघवाल।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर-पूर्व) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले सरकार का ध्यान एक आदेश जो मेरे पास है उसको पढ़कर सुनाऊंगा और सरकार का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना चाहूंगा मुझे खुशी है, इस समय आसन पर एक वकील साहब बिराजे हैं और सामने सरकार का प्रतिनिधित्व भी हाईकोर्ट के एक वकील साहब कर रहे हैं। यहां पर जब हम लोग आये हैं तब कसम खाई है कि शपथ ली है संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे, संविधान के प्रति भक्ति रखेंगे और इसलिए मैं चाहता हूं कि यह आर्डर आप सुन लें। इस आर्डर में क्या कहा गया है ? आर्डर राजस्थान सरकार का है।

Agriculture (Gr. VI & Co-operative) Department, Jaipur February 28th. 1984. In pursuance and in compliance of the order of the Division Bench of Rajasthan High Court at Jodhpur dated 28.2.1984 in the D. B. Civil Miscellaneous Stay application No. 265/1983 in the D.B. Special Appeal No. 487/1983 against order dated 5.10.1983 in S. B Civil Write petition No. 1449/1983, the nominated Board of Directors of Shri Ganganagar Central Cooperative Bank Ltd., Sri Ganganagar appointed vide this Department Order No. F. 4 (5) Coop/1981 dated 8th June, 1981 is hereby disolved and the Collector Sri Ganganagar is appointed as the Administrator of the said Central Cooperative Bank. Collector Sri Ganganagar should assume the charge of the Administrator. Sri Ganganagar Central Cooperative Bank Ltd, Sri Grnganagar immediately.

माननीय सभापति महोदय, यह मैंने इसलिये पढ़कर सुनाया है कि कानून वह नहीं है जो यहां बनता है, मैंने कहा कि सौभाग्य है कि आप यहां बिराज रहे हैं, आसन पर और माननीय हाईकोर्ट के वकील साहब वहां पर हैं, कानून वह है जिसको हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कानून की व्याख्या यह है, इस कानून में जब एक रिट हुई 8 जून, 1981 को जो एक आदेश पारित किया सहकारिता विभाग की ओर से उसमें बोर्डस् नामिनेट किये गये थे इस सदन के 35 या 40 विधायक सेन्ट्रल

(श्री कैलाश मेघवाल)

कोआपरेटिव बैंक, प्राइमरी लैण्ड डवलपमेंट बैंक, आप जैसे राजस्थान स्टेट के हैं, राजस्थान राज्य सहकारिता संघ, राजस्थान सहकारिता बैंक, पी. एल. डी. बैंक, ये जितनी कोआपरेटिव इन्स्टीट्यूशंस हैं उनके बोर्ड्स नियुक्त हुए। अपील हुई गंगानगर से और उस अपील में एक बात तय की कि कानून में यह व्यवस्था है।

The first Board will be appointed by the Government.

और चूंकि फर्स्ट बोर्ड्स अपाइन्ट हो चुके, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था थी, उस एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था को समाप्त करके सरकार ने जो यह बोर्ड्स अपाइन्ट किये हैं यह गैर कानूनी हैं, यह न केवल गंगानगर के लिये है माननीय सभापति महोदय बल्कि यह सारे राजस्थान पर लागू होता है, इसलिये अगर कांग्रेस आई के उन विधायकों में आत्मा है, अगर वे कानून के प्रति थोड़ा भी आदर रखते हैं, अगर देश की कानून व्यवस्था के प्रति उनकी थोड़ी निष्ठा है, और यहां पर जो शपथ विधायक बनने से पहले उन्होंने खाई थी, तो आज हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद उनको स्वतः ही त्याग पत्र दे देना चाहिये, अगर राजस्थान की सरकार रूल ऑफ ला, कानून में विश्वास करती है तो गंगानगर में जो आदेश पारित हुआ है, उसमें जो सिद्धान्त तय हुआ है, उस सिद्धान्त की पालना करनी चाहिये, माननीय सभापति महोदय, यह मैं इस सरकार का ध्यान इस आदेश को पढ़कर आकर्षित करना चाहता : : हालात इस प्रकार के हैं केवल इसलिये कि हम Rule of Law Democracy : What is Democracy ? Rule of Law. What is the Rule of Law What the courts interpret.

यह जो कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया, मुझे अफसोस है, राजस्थान उच्च न्यायालय के उस सिद्धान्त की पिछले दो तीन महिने से राजस्थान की सरकार निर्लज्जतापूर्वक अवहेलना कर रही है यह इसके लिये शर्म की बात है, उन विधायकों के लिये भी शर्म की बात है जो कि इस तरह कानून की मंशा के विपरित उन कुर्सियों से चिपके हुए हैं।

मैं आज आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप तुरन्त इस सिद्धान्त को सारे राजस्थान के को-आपरेटिव बोर्ड्स पर जो आपने नोमिनेट किये हैं सन् 1981 में, उसको बरखवास्त करके और कानूनी व्यवस्था कीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यह चाहते हैं क्या कि मुख्य मंत्री जी हट जायं।

श्री मेघराज तावड़ : वह तो पहाड़िया जी ने किया था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य व्यवधान नहीं डालें।

श्री कैलाश मेघवाल : क्या मुख्य मंत्री जी संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं ? क्या मुख्य मंत्री जी कानून की व्यवस्था में विश्वास रखते हैं ? क्या मुख्य मंत्री जी राजस्थान हाईकोर्ट के सिद्धान्तों के प्रति आदर रखते हैं ? यह कसौटी होगी इस बात की। आज हमारे '6 अरब और कई करोड़ रुपये राजस्थान का राज चलाने के लिये लेना

(श्री कैलाश मेघवाल)

चाहते हैं और कानून नहीं मानना चाहते, हाईकोर्ट के आदेश नहीं मानना चाहते इससे ज्यादा शर्मनाक बात और सरकार के लिये क्या हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपको वित्तीय अनुशासनहीनता और वित्तिय अराजकता में तो राजस्थान ने रेकार्ड कायम किया है और इसलिये रेकार्ड कायम किया है सभापति महोदय, आंकड़े इस प्रकार हैं जिससे आपको आश्चर्य होगा, राजस्थान पर 31-3-83 को 6,91, 85, 55, 673, 31 रुपये का शुद्ध ऋण था और इस ऋण का वर्ष 84-85 में राजस्थान सरकार को 1, 76, 97, 44, 000) रु. का ब्याज देना पड़ेगा। यह मैंने ऋण की स्थिति रखी।

दूसरी सभापति महोदय, गारण्टी-राजस्थान सरकार ने जो गारण्टियां दे रखी हैं वह गारन्टी की रकम भी बहुत अधिक है और वह इसलिये आपके सामने रखना चाहता हूं गारण्टी की रकम भी उससे आपको मालूम होगा कि गारण्टी की रकम जो है वह है सहकारी संस्थाओं में। प्रत्याभूतियां जिनको कहते हैं वह कुछ सहकारी संस्थाएं हैं, सार्वजनिक संस्थाएं हैं, निजी संस्थाएं हैं और अन्य है, उसमें कुल मिला कर राजस्थान सरकार ने जो गारण्टी अभी तक जो दे रखी है वह है 18,16,09,33, 600) रु. यह उनकी गारण्टी है और यह इनकी ऋणों की अवस्था है इसके बाद सभापति महोदय, मैं संविधान के आर्टिकल 293 की ओर राजस्थान के वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षितकरना चाहता हूं। आप जब चाहें, जैसे चाहें आप ऋण ले लेते हैं, आप जिसको चाहें, उसको गारण्टी दे देते हैं जिसको चाहें उसको गारण्टी से ऋण दिला देते हैं यह गारण्टी की स्थिति क्या है ? दायित्व हैं राजस्थान की सरकार पर, जो मैंने आपको फिगर बतायें 18,16,09, 33, 600) रु. का दायित्व राजस्थान सरकार का है आपकी गारण्टी है, आपके पास पैसा नहीं था, आपने दूसरों को अपनी गारण्टी से पैसा दिलाया है। यह तो राजस्थान की सरकार की तरफ से दिलाया गया पैसा है यह माना जायेगा। इसके लिये मैंने कहा कि यह वित्तीय अनुशासनहीनता और अराजकता क्यों मानी गई। माननीय सभापति महोदय, मैं आर्टिकल 293 पढ़ कर सुनाना चाहता हूं-'Borrowing by State : Subject to the provision of this Article, the executive power of State extends to borrowing within the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State within such limits if any as may from time to time be fixed by the Legislature of such State by Law and to the giving of guarantees within such limits if any, as may be so fixed Constution of India; Article 293.

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आप से पूछना चाहता हूं आपको मनमानी करने की इजाजत किसने दी। इसमें साफ लिखा है कर्जा कितना दिया जायेगा, किस प्रकार से लिया जावेगा, कितना लिया जायेगा, किस प्रयोजन से लिया जायेगा यह सारी अप्रूवल लेजिस्लेटर से आपको करानी चाहिये थी। इस बारे में विधान सभा को विश्वास में

(श्री कैलाश मेघवाल)

लेना चाहिये था। आप मर्जी जाहें जो राजस्थान कि जनता पर कर्जा नहीं ले सकते आप मर्जी चाहें जिस प्रकार से मनमानी करके, आपको विधान सभा को विश्वास में लेना चाहिये था, जो आपने विश्वास में नहीं लिया। गारन्टी आप मर्जी चाहें जिनको नहीं दे सकते और इसलिये नहीं दे सकते गारण्टी मर्जी आप जिसकी को आज वह गारण्टी राजस्थान की सरकार पर भार है और उस भार को जैसे चाहो जैसे नहीं चला सकते। उदाहरण देकर सभापति महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं और इसलिये करना चाहता हूं कि आपने संविधान की पालना नहीं की। गारण्टी किसको दी जायेगी. गारन्टी देने का आधार क्या होगा, गारण्टी देने के नियम, उप-नियम क्या होंगे. और गारण्टी के लिये आप क्या स्थिति देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे यह विधान सभा को विश्वास में ही नहीं लिया गया। आप बताइये सभापति महोदय, इस सदन में हम बैठते हैं, जिस राजस्थान की जनता का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उस राजस्थान की सरकार ने 18 अरब और कुछ रुपयों की गारण्टियां दे रखी हैं, अपने ऊपर लायबलिटी ले रखी है। मैं एक सवाल सीधा-साधा पूछना चाहता हूं माननीय वित्त मंत्री जी से, क्या आपके पास इस प्रकार की कोई व्यवस्था है जिससे आप यह निश्चयपूर्वक, विश्वासपूर्वक कह सकें कि यह आपका यह जो दायित्व है दायित्व है गारन्टी का यह सुरक्षित है। है कोई व्यवस्था ? और सभापति महोदय, इसलिये कि उनके पास कोई जवाब नहीं इस बात का। जवाब क्यों नहीं है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आखिरी पेज यह स्पष्टीकारक आय-व्ययक में दिया है कैसी हालत है. सभापति महोदय! विधान सभा के रेकार्ड पर, सदन में यह आय-व्यय पत्र पेश किया है और इस बजट के. सभापति महोदय, पेज 59 पर निजी संस्थाओं की जो गारण्टी दी गई है उसके आंकड़ों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली निजी संस्था है जयपुर उद्योग लि. और जिसको पंजाब नेशनल बैंक, नई दिल्ली से पैसा दिलाने में राज्य सरकार ने गारण्टी दी है 25 लाख रुपयों की एक बार और 44 लाख रुपयों की एक बार गारण्टी दी है। इसका एक खाना है, सभापति महोदय शर्म से मर क्यों नहीं जाते इनको शर्म नहीं आयेगी, इनका इतना बड़ा आर्गेनाइजेशन है, आगे एक खाना है 31-12-83 को बकाया प्रत्याभूति की राशि, वित्त मंत्री जी उठा कर देखिये नंबर एक पर, आपका खाना खाली है। इनको यह मालुम नहीं कि क्या स्थिति है। किस प्रकार की अरोजकता आ गई यह जयपुर उद्योग में क्या पोजीशन आज है यह इनको मालुम नहीं। यहीं नहीं नहीं माननीय सभापति महोदय, अगर आपने इस को पढ़ा हो इसमें सब खाने भरे हुए हैं बाकी सब भरे हुए हैं। दूसरा मान इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि. को यूनियन बैंक आफ इंडिया से आपने 13.79 लाख दिलाये। इसके बारे में भी आपका यह जो खाना है 31-12 83 को, इसकी क्या पोजीशन है यह मालुम नहीं। और माननीय सभापति महोदय, तीसरा है जयपुर स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स लि. इसको डेढ़ करोड़ रुपये की गारण्टी दी है सरकार ने वह दी है स्टेट बैंक आफ इंडिया की और वह हाई कोर्ट के आर्डर्स से लिक्विडेशन में आ गया है और अब यहां विधान सभा में आपने जो सूचना दी है वह

(श्री कैलाश मेघवाल)

सूचना यह है कि प्रत्याभूति की राशि का कितना बकाया दायित्व है वह उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है। मैं इन्हीं के रेकार्ड से पूछना चाहता हूं मैंने कहा ना कि मनमानी इसके आगे सभापति महोदय, अशोका लेलेण्ड लि. को इन्होंने 800 लाख रुपये गारन्टी दी है, इस 800 लाख रुपए की पोजीशन क्या है, यह वही स्थिति है कि उपलब्ध नहीं है। आखिर यह उपलब्ध क्यों नहीं, करत क्या है आपका वित्त विभाग ? गारण्टियां दे देते हैं। गारण्टियां क्यों देते हैं जब इस तरह का रेकार्ड नहीं रख सकते और माननीय सभापति महोदय, दायित्व इन्होंने चुकाया है जयपुर उद्योग में और जयपुर उद्योग में दायित्व चुकाने के बाद यहां पर एक खाना है 31 12 83 तक सरकार द्वारा वस्तव में पूरे किए गये दायित्व, वह दायित्व में आपने जीरो बता रखा है। माननीय वित्त मंत्री जी, राजस्थान विधान सभा की सदन को आपको × × × देने का क्या अधिकार है, मैं आप से पूछना चाहता हूं। सही स्थिति क्यों नहीं रखना चाहते सदन के सामने और, सभापति महोदय, मैं आपके सामने इसलिये सारी स्थिति रखना चाहता था कि यह इनके दायित्व की यह स्थिति है और इसलिये मैंने सीधा सवाल माननीय वित्त मन्त्री जी से किया है। आर्टिकल 293 की आपने पालना की नहीं, और इस तरह से आपका लिक्विडेशन में आ गया और बोरो करने की आपकी सीमा है नहीं और बोरो करने के बाद जैसा मैंने आपके सामने रखा हम कर्ज भी देते हैं। हमारे कर्ज से हम को ब्याज कितना मिल रहा है, हमको भी ब्याज मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है 68,10,31 000 सालाना हमें ब्याज मिलेगा 84-85 में। 68 करोड, हम ब्याज दे रहे हैं 176 करोड और मैं इसलिये कहना चाहता हूं आपको यह कि ऋण लेकर हम इस तरह कोरपोरेट बोडी में दे देते हैं यह हमारी जनता के साथ अन्याय हो रहा है। मैं माननीय वित्त राज्य मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपकी जो स्थिति है जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स में उन हिस्सों का क्या हुआ माननीय सभापति महोदय, 17, 45, 800) रुपये का हमारे हिस्से हैं और माननीय सभापति महोदय, कुछ तो, मैं जानता हूं अभी दस मिनट ही हुए हैं....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : मेरी विवशता है। माननीय अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के विरुद्ध तो मैं जा नहीं सकता।

श्री कैलाश मेघवाल : वह तो मुझे मालुम है, आपकी नाराजगी, शायद सबसे पहले मैंने आपकी मिनिस्ट्री को चुनौती दे दी, इसलिये होगी।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आसन निरपेक्ष होता है आपको मालुम है माननीय सदस्य, इसलिये आपके तीन मिनट शेष हैं, आप तीन मिनट में अपना भाषण समाप्त करें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं इसलिये कह रहा हूं माननीय सभापति महोदय, 45

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री कैलाश मेघवाल)

लाख 85 हजार का दायित्व हमारे हिस्से में है, जिसमें नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन। दो मिलें हैं हमारी, एडवर्ड मिल और महा लक्ष्मी मिल, वहां पर पहले तो राजस्थान सरकार का एक आई. ए. एस. आफिसर रहता था। इन्द्रसिंह जी कावड़िया थे, वे सारी व्यवस्था देखते थे, राजस्थान सरकार के हिस्से को देखते थे। केन्द्रीय सरकार की नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशना के कुछ लोग आ गये और उन्होंने आने के बाद, माननीय सभापति महोदय, निकाल दिया उनको आज वहां की हालत खराब हो रही है। मैं भ्रष्टाचार का आरोप इसलिए नहीं लगाना चाहता लेकिन जिस तरह से कृष्णा मिल डूबी, यह एडवर्ड मिल और यह महा लक्ष्मी मिल भी डूब रही है। चोरियां हो रही हैं, अनावश्यक खरीददारी हो रही है, अनावश्यक चुकारें हो रहे हैं, अनावश्यक दायित्व बढ़ रहा है। वहां पर हमारे लगे हुए हैं करीब 45 लाख कुछ हजार रुपये। मैं आपके द्वारा पूछना चाहता हूं कि वहां के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है।

सभापति महोदय, मै एक पोइन्ट और प्रस्तुत करना चाहता हूं विनियोजन। हमारा पैसा लगा हुआ है, राजस्थान के निगमों में, ग्रामीण बैंकों में और इसी रिकार्ड से लिया राजकीय कम्पनियों मे, संयुक्त पूंजी वाली कम्पनियों में, साझेदारी प्रतिष्ठान में, सहकारिता की पूंजी लागत में। इनमें टोटल हमारा पैसा लगा हुआ है, माननीय सभापति महोदय, 3-1-84 तक 156 करोड़ 61 लाख 40 हजार 857.57 रुपया यह हमारा लगा हुआ है और इस पर हमको डिवीडेन्ट क्या मिलता है? जहां हमारा पैसा लगा है, जहां हमारी पूंजी लगी है उस पर हमको डिवीडेन्ट मिल रहा है माननीय सभापति महोदय, 25 लाख 27 हजार रुपया। यह मैंने इसलिए रखा पोइन्ट कि अगर यह पैसा, जो 156 करोड़ है, अगर यह पैसा केवल बैंक में आइडल डाल दो. यहां कोई भी हिसाब लगा कर बता देगा कि 15-16 करोड़ उसका ब्याज क्या आ जायेगा। और यह कह सकते हैं, इसके जवाब में अभी माननीय वित्त मंत्रीजी कहेंगे कि सोशियल चैन्ज करवाना चाहते हैं, कुछ कर्जा देना पड़ता है, इकोनोमिक जनरेशन के लिए, एम्प्लायमेन्ट जनरेशन के लिए करना पड़ता है, पूंजी बढ़ेगी और दूसरे इनडायरेक्ट टैक्नेज की बात कर सकते हैं, सोशियल वैलफेयर की बात कर सकते हैं। मैं माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा जिन-जिन में यह पूजी विनियोजन हो रहा है, सारी संस्थाएं घाटे में, भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। मैं आपके द्वारा माननीय वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप इस स्थिति में हैं, क्या आपने इवेल्यूएशन करवाया आपका मूल्यांकन विभाग चलता है राजस्थान का स्टेटिस्टिक्स एण्ड इवेल्यूएशन डिपार्टमेन्ट राजस्थान का चलता है, क्या आपने कभी इस बात का मूल्यांकन कराया है कि 156 करोड़ की पूंजी जो हमारी सरकार की विनियोजन में इन कारखानों और कम्पनियों में लगी हुई है, उसका सही रिटर्न हमको मिल रहा है या नहीं और उसका सही लाभ मिल रहा है या नहीं। अगर आपने यह नहीं कराया तो यह आपकी दूसरी सारी बातें थोथी होंगी बेकार होंगी। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसका जल्दी से जल्दी दुबारा

(श्री कैलाश मेघवाल)

मूल्यांकन कराइये। बेरहमी से आप उनको पैसा देते चले जा रहे हैं, उधर पैसा उधार लाते हैं। उस पर ब्याज देते हैं और इधर इनको देते हैं। 156 करोड़ रुपये पर 32 लाख रुपया साल का प्राप्त करके यह राजस्थान की जनता के साथ आपका धोका चल रहा है यह नहीं करना चाहिए, माननीय सभापति महोदय, आप कहें तो मैं आगे बढ़ ...

श्री सभापति : आप की समय सीमा में रहें।

श्री कैलाश मेघवाल : भ्रष्टाचार की एक बात आयी सभापति महोदय, एक पत्र पढ़ना चाहता हूं। एक टोडर मल जैन है, आर. ए. एस. आफिसर ....

श्री सभापति : नाम नहीं लेवें।

श्री कैलाश मेघवाल : नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। उन्होंने एक पत्र राजस्थान सरकार को लिखा है वह क्या लिखते हैं – निवेदन है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 22 साल से सेवा कर रहा हूं। कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें प्रारम्भिक जांच करने पर पत्रावली में रिश्वत एक भ्रष्टाचार का केस साबित होते हुए भी पत्रावली दबा दी गयी है। मैं उक्त पत्रावलियां आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

क्या आप मुझे पांच मिनट के लिए सुनवाई का मौका देने का कष्ट करेंगे। यदि मैं उक्त बात साबित नहीं कर सकूं तो मेरे विरुद्ध दफा 182 आई. पी. सी. में केस चलवा देवें। आशा है कि आप यह राजस्थान सरकार के इनके 22 साल के अधिकारी ने पत्र लिखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो भ्रष्टाचार मिटाने में इन्ट्रस्टेड है, अगर भ्रष्टाचार मिटाने में इन्ट्रस्टेड है तो आपको उस अधिकारी को बुला करके जिसने कहा कि अगर मैं साबित नहीं कर दूं, लेकिन यह नहीं होगा। भ्रष्टाचार की पत्रावली दबेगी, न केवल दबेगी बल्कि दफ्तरों से गायब हो जायेगी। उनके मुख्य जो लिस्ट वाले पेपर्स हैं वे गायब हो जायेंगे। मैं माननीय सभापति महोदय आपके द्वारा राजस्थान की सरकार और राजस्थान के वित्त मंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूं भ्रष्टाचार सब तरफ फैला हुआ है, फैल रहा है, इसमें लिप्त लोगों को यदि कठोर नियंत्रण में नहीं लिया गया, उस पर चोट नहीं की गई तो आपके यहां के भाषण का कोई नतीजा नहीं निकाल सकेंगे। आज राजस्थान की जनता भ्रष्टाचार से पग पग पीड़ित है। राजस्थान का भविष्य, राजस्थान विकास भ्रष्टाचार से अवरुद्ध कर रखा है। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कोई हमारी योजनाएं समय पर पूरी नहीं हुई राजस्थान नहर का उद्घाटन हुआ 30 मार्च, 1958 को 56 पाईन्ट कुछ करोड़ की योजना थी और 1973 में उसको पूरा होना था। मैं इसलिये पूछना चाहता हूं पंचवर्षीय योजना बनी, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, एक भारी योजना, का पैसा इसमें लगा देते तो आज यह सारा झगड़ा जो रावी व्यास का हो रहा है, हर विधान सभा में रावी व्यास की चर्चा है। राजस्थान नहर जो हमको रावी व्यास का

(श्री कैलाश मेघवाल)

पानी मिला उसके उपयोग की योजना थी, आज इस नहर के पूरा नहीं होने से माननीय सभापति महोदय, प्राथमिकताओं की बात कर रहा हूं, यह प्राथमिकता अगर तय नहीं हुई, अगर राजस्थान नहर समय पर पूरी होती तो उत्तर भारत की सारी खाद्य समस्या हल हो जाती। अगर राजस्थान नहर समय पर पूरी हो जाती है तो एक हजार रुपया जो पश्चिम राजस्थान की अकाल की स्थिति से निपटने के लिए हमने कर्ज लिया है यह कर्जा सम्मिलित है इसमें, वह एक हजार रुपया कर्जा नहीं लेना पड़ता, माननीय सभापति महोदय, एक हजार करोड़ रुपया वह नहीं लेना पड़ता और राजस्थान का लहलहता भाग उभरता। लेकिन राजस्थान की सरकार ने इन्तजाम नहीं किया पैसे का। वास्तविकता को ध्यान में नहीं रखा। आज वहीं 500, 600, 984 करोड़ तक की बात इस राजस्थान नहर की की जा रही है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट खर्चा होता है, हमारे पास मशीनरी है। राजनैतिक और भ्रष्टाचार में केवल यह राजस्थान नहर की योजना ही नहीं बाकी दूसरी योजनाएं हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम पैसा देते हैं आज आदत हो गयी है ...

श्री सभापति : कृपया माननीय सदस्य समाप्त करें।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपसे निवेदन करूं। XXX इनको थोड़ा उपदेश दे देता, थोड़ी लज्जा इनको भी आती।

श्री सभापति : मैंने आपको निवेदन किया कि मेरी विवशता है....

श्री कैलाश मेघवाल : आपकी विवशता तो है

श्री सभापति : अध्यक्ष महोदय, की व्यवस्था के विपरीत मैं जा नहीं सकता। कृपया आप सहयोग कीजिये, माननीय सदस्य सहयोग कीजिये, माननीय सदस्य सहयोग कीजिये।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं केवल एक बात निवेदन करना चाहता हूं। माननीय वित्त मन्त्री जी मैंने कई लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के प्रमाणिकता के तथ्य लिखकर नोटिस दे रखे हैं। एक एक कॉपी आपको भी दे दूंगा, आप उन सब की जांच करायें और मेरे से सहयोग लीजिये मैं उनको साबित करने के लिए तैयार हूं। मैंने नोटिस इसलिए नहीं दिया कि यहां नोटिस की बात हो चुकी है। इतनी बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गोटेवाला साहब के पास भी एक नोटिस मेरा है।

श्री सभापति : विराजिये।

(व्यवधान)

आप माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर देने के बाद में बोल दीजिये।

श्री देवीलाल : माननीय सभापति महोदय....

XXX शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री महोदय के उत्तर के बाद में बोल दीजिए। माननीय मन्त्री महोदय इसका उत्तर दे दें। माननीय मन्त्री जी महोदय।

(व्यवधान)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री) : सभापति महोदय, अभी तक करीब 15 माननीय सदस्यों ने इस एप्रोप्रियेशन बिल पर अपने विचार रखे हैं। इस बारे में कई माननीय सदस्यों के जो सुझाव आये हैं मैं उनकी बड़ी तारीफ करूंगा कि कम से कम उन्होंने पढ़ करके इस प्रकार के सुझाव दिये हैं और ऐसे ही उन्होंने सुझाव नहीं दिये हैं अलटप्पू। इसलिए जो सुझाव अच्छे आये हैं उनको मैं स्वीकार करने की कोशिश करूंगा। इस बारे में कई सवालात उठाये गये हैं इसलिए मैं उनका जवाब देना मुनासिफ समझूंगा।

(6.00 सायं)

माननीय यदुनाथ सिंह जी ने यह बताया कि आप जो 47 करोड़ रुपये का अनुदान आपने भारत सरकार से लेना अपने बजट में लिखा है, वह आया या नहीं आया, आयेगा या नहीं आयेगा। मैं सदन की सूचना के लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि 47 करोड़ के बजाय 48.71 करोड़ रु. हमारे पास सैन्ट्रल असिस्टेंस के अन्तर्गत आ चुका है।

दूसरी, सदन की सेवा में निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि जो इस बारे में चिंता किया करते थे कि हमारा ओवर ड्राफ्ट बढ़ता जा रहा है, ओवर ड्राफ्ट बहुत ज्यादा हो जायेगा। मैं सदन को यह सूचना देना चाहूंगा 31-3-84 को रिजर्व बैंक आफ इंडिया में हमारा बैलेंस प्लस 18.93 करोड़ था। इस संबंध में मैंने जो बजट एस्टेमेंटस में 10 करोड़ के घाटे का अनुमान किया था अब मैं यही मानता हूं कि 25 अप्रैल तक फीगर आते हैं टोटल निकल करके और 25 अप्रैल को जो फाइनल एकाउन्ट होता है तो मैं आशा करता हूं कि एक आध करोड़ प्लस में या माइनस में हो लेकिन 10 करोड़ का घाटा रहने का अनुमान है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : खर्च किया नहीं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : चाहे कटौती करें, किसी तरह से करें, आखिर कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा। यह मैंने पहले भी निवेदन किया था कि खर्च को देखते हुए जब हम देखते हैं कि हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं तो कटौतियां करनी पड़ती हैं, कई पर्चेजिग जो कि अनावश्यक होती है उसको रोकना पड़ेगा और डिपार्टमेंट जो साल भर तक तो खरीदते नहीं हैं, आखिरी महीने में जाकर के जो खरीद करते हैं, उस खरीद के मैं बहुत खिलाफ हूं। इसलिये मैंने अबकी बार जो पर्चेज हैं वह 15 फरवरी के बाद ही करना बंद कर दिया था। इसके कारण भी मैं समझता हूं कि हमको यह लाभ मिला है।

दूसरा जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि यह शंका की जाती है कि 2025 करोड़ की जो छठी पंचवर्षीय योजना थी और 2025 करोड़ की छठी पंचवर्षीय

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

योजना को हम पूरा नहीं कर सकेंगे। इसके सम्बन्ध में एक भ्रांति है उसे साफ करना बहुत आवश्यक समझता हूं। एडवांस प्लान असिस्टेंस में 297 करोड़ रुपया हमें भारत सरकार से एडवान्स प्लान असिस्टेंस का उन्हीं योजनाओं के तहत में आया जो प्लांड योजनाएं थीं। उसका हम प्लान में शरीक करेंगे तो आपको यह पता चल जायेगा कि 2025 करोड़ के बजाय हमारा अनुमान यह है कि 2087 करोड़ की छठी पचवर्षीय योजना पूरी करेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : गलत है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : गलत मानें तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि यह आपका कन्वीक्शन है, मैं इसको सही मानता हूं। इसी तरह से आपने फरमाया था कि पूंजीगत व्यय जो है। 83-84 में 473.95 करोड़ होगा जबकि 84-85 में यह 513.78 करोड़ होगा।

तो पूंजीगत व्यय भी कभी नहीं होगी। मैं समझता हूं कि आप कोशिश करेंगे तो उसका पता चलेगा कि पूंजीगत व्यय में ऋण से और अन्य सोर्सेज से जो हमारी आमदनी होती है वह पूंजीगत व्यय में शामिल की जाती है। हमारे राजस्व का जो खर्चा होता है और दूसरे सोर्सेज से जो हमारे पास पैसा आता है वह केपिटल एक्सपेंडीचर में जाने से वह केपिटल एक्सपेंडीचर में भी कमी नहीं होगी।

माननीय सभापति महोदय यह, कहा गया कि कर्जों का भार हमारे उपर बहुत काफी बढ गया है और अभी अभी माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे 435 ऊपर इन्ट्रेस्ट काफी है, काफी इन्ट्रेस्ट देना पड़ता है। तो जैसा मैंने निवेदन किया और आप जानते हैं कि डवलपिंग सोसाइटी के अन्दर अगर आप इन्फ्रास्ट्रेक्चर डवलप करने का प्रयास करेंगे तो उसके रिजल्ट तो लेट आयेंगे। यदि इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप ही नहीं होगा तो आगे आमदनी बढाने के सोर्स कहां से डवलप होंगे इसलिए चाहे हमने हमारी योजनाओं के अन्दर खर्च किया चाहे कर्जा लेकर खर्च किया हो, आज राजस्थान कैनाल बनने के बाद उससे जो फायदा होगा वह तो बाद में ही आयेगा लेकिन आज तो कर्जा लेकर भी खर्च करना होगा। चम्बल पर जो कुछ खर्चा हुआ, नहरें भी निकली और भी हुआ, सिंचाई हो रही है उसके जो रिजल्ट आयेंगे वह तो वर्षों में जाकर आयेंगे इसलिये जो ऋण लेकर डवलपमेंट के लिये खर्च करना पड़ता है वह डवलपमेंट के लिये बहु आवश्यक होता है। इस व्यवस्था के अन्दर जो खर्चा होता है वह जरूर करना पड़ेगा। यह भी हम उम्मीद करते है कि यह कम्पलीट होने के बाद उस कर्ज को खत्म करेंगे और हमारी आमदनी बढ़ती हुई चली जायेगी।

यहां मैं यह और निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कोशिश के बावजूद कुछ खर्चे ऐसे हैं कि जो बहुत ही आवश्यक थे जिनको हम एवॉइड नहीं कर सकते थे, जिससे हमारा बैलेंस गड़बड़ा जाता है। इस योजना में हमने 540 या 541 तो डियरनस एलाउन्स का देना पड़ता है और पे-रिवीजन में 118 करोड़ का और हुआ। यह सारी स्थिति है। इसको सामने रखते हुए यदि देखे तो हमने जो रिसोर्सेज को बढ़ाने का वायदा किया था और रिसोर्सेज को इतना बढाया है, फिर भी यह वजन ज्यादा आया

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

उसके कारण हमको नुकसान भुगतना पड़ा है और यह हमारे और आपके बस की बात नहीं है।

इसके पश्चात आपने फरमाया है कि हमने नोन डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर बहुत बढ़ा दिया है। यह नोन डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर बढ़ा है लेकिन डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर भी काफी बढ़ा है। नोन डवलपमेंट एक्सपेन्डीचर बढ़ने का इस साल में जो मुख्य कारण था जैसा मैंने कहा ब्याज तो चुकाना ही पड़ता है और जितना ब्याज चुकाना पड़ता है उससे नोन-डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर में इस साल में 49 69 करोड़ की वृद्धि हुई है। यह सारा का सारा नोन-डवलपमेंट एक्सपेण्डीचर में जाता है नोन-प्लान के खर्च में जाता है, और नोन-डवलपमेंट माना जायेगा 149.09 करोड़ ब्याज की राशि बढ़ी है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि यह प्लान जो है वह किसी तरह से किसी काम का नहीं है। एग्रीकल्चरिस्ट को कोई फायदा नहीं पहुंच पाया है। मेरा निवेदन है कि यह तो अपना-अपना नजरिया है। मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर के लिये। इर्रीगेशन के लिये, पावर बढ़ाने के लिये जितना रुपया रखा गया है और जो हमारे प्लान की प्रोयोरिटी के मुताबिक है वह सारा रुपया तो आपके किसानों के लिए खर्च होता है। डवलमेंट से बिजली पैदा होती है, किसान के लिये जाती है इर्रीगेशन होता है वह किसान के लिये जाता है, इसमें कहां फर्क आता है? यह कहा गया कि हम किसान की परवाह नहीं करते हैं या कुछ नहीं देते हैं। यह नयी व्यवस्थायें जितनी भी है और जो हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम है यह किसानों के लिये ही रखा गया है। बीस सूत्री कार्यक्रम है यह सारा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये कार्यक्रम है। और हम ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से ही पोवर्टी को इम्प्रूव कर सकेंगे। इसके अलावा और सोशलिज्म लाने का और क्या तरीका हो सकता है।

हमारे माननीय बुजुर्ग सदस्य रहे नहीं और उन्होंने कहा कि हमारा जो बजट बनाने का तरीका है वह बदलना चाहिए। मैं इस बात को तो मानता हूं। मेरा खुद का भी यही विचार है। यह जो तरीका है, बजट बनाने का तरीका है, उसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन जहां तक इस सुधार का ताल्लुक है वह ऊपर सैंट्रल गवर्नमेंट से सुधार शुरु हो तो ही जाकर हमारे यहां स्टेट्स में कुछ करने को मिलता है। क्योंकि आप तो डीपेंडेंट हैं। हम सारे सेंटर के ऊपर निर्भर हैं इसलिये सेंटर का जो भी तरीका रहेगा और हमारे अपने भी जो रूल्स बहुत हुए हैं, नियम बने हुए हैं, जहां अपने नियम नहीं है वहां भी पार्लियामेंट के रूल्स के तहत ही हम गाइडेंस लेते हैं। हमारे बुजुर्ग माननीय सदस्य कई वर्षों तक वहां रहे हैं, शायद ये सुझाव वहां देते तो ज्यादा अच्छा होता। अब हमको ये सुझाव दे रहे है तो इस के लिये तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसे इन्टरप्रेट नहीं करें लेकिन वे शायद जब इधर बैठते थे या पार्लियामेंट में बैठते थे उस समय उन्होंने इस पर विचार व्यक्त किया होता तो ज्यादा अच्छा होता। पंजाब की बात उनके द्वारा कही गई। उनको यह ख्याल नहीं आया कि पंजाब कि

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

पंजाब री-ओर्गनाइजेशन एक्ट वैलिड था और उस पर सदन ने बहस की। आगे चर्चाएं इसमें आ चुकी है कि हम कहां तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक रिट ऑफ मेंडेमस का सुझाव दिया कि जब आल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद है सवाल तो ये है कि इन्टर स्टेट डिस्प्यूट के लिए आल्टरनेटिव रेमेडी है रिट आफ मेंडेमस का सवाल कहां आता है। यह एक सिद्धांत है। लेकिन मैं उनका बड़ा आदर करता हूं और मैं समझता हूं कि इतना ही कहना बहुत काफी होगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आदर तो करते हैं लेकिन उनकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं समझता हूं कि आप भी होते तो स्वीकार नहीं करते।

एक बात यहां आती है, ऐरियर्स का सवाल आता है कि ऐरियर्स बहुत पड़े हुए हैं और ऐरियर्स की वसूली नहीं हो रही है। हम इस बात का जरूर प्रयत्न करते हैं कि ऐरियर्स की वसूली हो। उस दिन भी ये सवाल आया था लेकिन अगर टोटल ऐरियर्स को उस तरीके से देखें और जिस तरह से बकाया रहती है और वसूली का कोई भी तरीका होता है, आज कोआपरेटिव सोसाइटीज की वसूली में थोड़ी सी सख्ती करते ही चिल्लाहट पैदा हो जाती है। हम अपनी इस बात को देखें और सारे डिपार्टमेंटस की जिम्मेदारी है कि जो-जो ऐरियर्स एमाउंट कर रहे हैं उन डिपार्टमेंटस को अगर एक्शन में लाया जायगा तो ऐरियर्स की वसूली होती है और होगी। मैं समझता हूं कि इसके लिये हम खुद चिंतित हैं, सरकार चिंतित है और सरकार वसूली के लिये कार्यवाही कर रही है।

श्री हीरालाल आर्य : उसमें वसूली तो कर दें। वसूली तो करते हैं लेकिन खजाने में जमा नहीं करते हैं।

श्री सभापति : विराजे, माननीय सदस्य।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जब राज्य वसूली करता है तो किस के खजाने में जाता है। वह तो किताब अपने आप बोल जाती है। यहां ......

श्री सभापति : शान्त रहें। कृपया शान्त रहें।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यहां, हमारे माननीय सदस्यों ने, कइयों ने यह फर्माया है कि जो कुछ भी हमने इस योजना में, अपने इस बजट में रखा है वह बिल्कुल हमारे उद्देश्य और नीति के अनुसार रखा है। जो हमारे सिद्धांत और रीति नीति है कि हम समाज व्यवस्था को आगे बढ़ाकर गरीबों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं और उसी के अनुरूप हमने इस बजट का ....

(6. 13 सायं)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

फ्रेमिंग किया है और प्रायोरिटी और उसी तरह से किये हैं खर्चे उसी तरह से किये हैं और आज आप देखेंगे, मैं आपको निवेदन करूं, मैं इतना तो नहीं कह सकता

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

लेकिन जब राजस्थान बना था और जब मैंने उस जमाने में इलेक्शन से, प्री-इलेक्शन बजट पेश किया था तो कुछ ही करोड़ रुपयों का शायद 5 या 6 करोड़ रुपयों का बजट राजस्थान का था, वह आज बजट बढ़ करके 24 अरब का आज आपके सामने यह बजट है। तो राजस्थान ने इस बारे में कितनी प्रगति की है, यह इसी से मालूम पड़ता है। राजस्थान के लोगों ने जिस प्रकार से अपने रहन-सहन को बढ़ाया है, जिस प्रकार से चौमुखी प्रगति राजस्थान की हुई है वह अपने आप इस बात को दर्शाती है कि राजस्थान आगे बढ़ रहा है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सरकार को कितना करना चाहिये था, इसी को हम संतोष मानकर बैठे हुए हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं ये मानकर चलता हूं कि 30 साल के बाद जो राजस्थान ने प्रगति की है शायद मैं समझता हूं कि राजस्थान जैसा हमें नंगा, भूखा मिला था, न यहां सड़कें थीं, न तालाब थे, न नहर थीं, न योजनाएं थीं न बिजली थी, उसी राजस्थान को आज जाकर देखिये, राजस्थान को बहुत बनाया है। खाली राजाओं के महलों में बिजली जल जाती थी या बड़े-बड़े शहरों में बिजली जल जाती थी उसके अलावा कहीं बिजली थी क्या गांवों के अन्दर जा करके। कोई बिजली थी क्या ? राजस्थान में किसानों के कुओं पर बिजली पहुंचती थी क्या ? आप तो पैदा ही हुए थे उस समय। आपको पता नहीं है। जिस राजस्थान के निर्माण में जिस तरह से हम लोगों ने प्रयत्न किया है मैं समझता हूं कि बहुत काफी प्रयत्न हुआ है इसके बारे में और उसके नतीजे राजस्थान को मिल रहे हैं। एक कंस्टीटयूशनैल सवाल उठाया गया। हमारे माननीय सदस्य जो अजमेर से आनेवाले हैं उन्होंने। यह ज्यादा अच्छा होता कि वे 293 जो आर्टिकल है उसको पूरा पढ़ लेते। उसमें लिखा है कि Within the limit fixed by जो गवर्नमेंट आफ India है, उसको भी जो है बोरोइंग्स और जो गारण्टीज है Within the limits fixed by Parliament है। न तो पार्लियामेंट ने यह लिमिट फिक्स की है, न एसेम्बलीज में कहीं भी, किसी स्टेट में ये लिमिट अभी तक फिक्स नहीं हुई है। इसलिये जो कुछ भी हम गारण्टी के लिये रुपये देते हैं वह केवल आवश्यक कार्यों के लिये जानकर देते हैं। यदि कोई जयपुर उद्योग की गारन्टी है। आज जिस तरह से जयपुर उद्योग राजस्थान सरकार के अन्तर्गत चल रहा है, जो मैनेजमेंट राजस्थान सरकार का है, उस मैनेजमेंट में अगर उसको रन करने के लिये आई. डी. बी. आई. से कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी तो हमको उसकी गारण्टी देनी पड़ेगी। इसी तरह से जो भी आपके यहां पर दूसरे उद्योग चल रहे हैं वे ऐसे उद्योग हैं जो लेबर के फायदे के लिये हैं जिनको चालू रखना जन हित में आवश्यक है उनमें हम गारण्टी देंगे। या जो एग्रीमेंट हमारे जिनजिन के साथ जिस तरह से हुए हैं कि आपको इतना हमको कर्जा देना पड़ेगा या आई. डी. बी. आई. से हम कर्ज लेंगे तो आपको गारण्टी देनी पड़ेगी उसी हिसाब से उसकी गारण्टी देते हैं। तो वह सारी गारंटी जो कुछ भी होती है वह कंसोलिडेटेड फंड के एगेंस्ट होती है और वह गारंटी वसूल होती है और उसकी गारण्टी वसूल करने की भी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है और इसी गारण्टी के आधार पर इन्स्टी-

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

टयूशनल फाइनेंसिग होता है। आज के दिन बहुत बड़ी तादाद में इन्स्टीटयूशनल फाइनेंसिग है और उसके लिये ये प्रतिभूति बहुत आवश्यक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सब माननीय सदस्यों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस विनियोग विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया। पारित करने का प्रस्ताव।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय।

श्री कैलाश मेघवाल: 5–10 मिनट तो बोलने दीजिये। एक इसमें लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: वो सब ठीक है। कोई बोल करके धापना तो यहां है नहीं। सारी रामायण चल रही है इतने दिनों से।

एक माननीय सदस्य: आज आप भी मूड में हैं।

श्री अध्यक्ष: इस बात की खुशी है कि यह बड़ा काम है उसको अपन सम्पन्न कर रहे हैं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1984 पारित किया गया।

राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1984

वित्तमंत्री जी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्तमंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री यदुनाथ सिंह: खेतसिंह जी मुख्य मंत्री हो गये दिखते हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन, विधेयक, 1984 को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

वित्त मंत्री जी।

श्री बृजसुन्दर शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1984 को पारित किया गया।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

खारची व सोजत के माननीय सदस्यों के एक दूसरे के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि दिनांक 17.4.84 को सुश्री पुष्पा जैन व श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा ने एक विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की सूचना दी थी। जिसमें कहा गया था कि सहकारिता कि मांग पर बोलते हुए खारची से आने वाले माननीय सदस्य श्री मेरू सिंह गुर्जर ने जैतारण तथा सोजत से आने वाले माननीय सदस्य के विरुद्ध अपने पद के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कुछ गम्भीर आरोप लगाये तथा इन माननीय सदस्यों ने श्री गुर्जर पर चरित्र हननके कुछ आरोप लगाये। इन आरोपों-प्रत्यारोपों के लिए सदन के गरीमामय प्रांगण का दुरुपयोग कर उक्त माननीय सदस्यों ने सदन का अपमान किया है।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं, दिनांक 6.4.84 को मैंने एक व्यवस्था दी थी, जिसमें कहा गया था कि पूर्व में भी कुछ माननीय सदस्यों ने माननीय सदस्य श्री शिवदान सिंह के विरुद्ध तथा श्री मेरू-सिंह गुर्जर ने माननीय सदस्य श्री शिवदान सिंह व श्री सुखलाल सैंणचा के विरुद्ध आरोप लगाते हुए दो विशेषाधिकार हनन के प्रस्तावों की सूचना दी थी और मैंने इन दोनों प्रस्तावों को इस बात की जांच के लिए कि आया इन में प्रथम दृष्ट्या कोई विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव बनता है या नहीं, विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया था।

चूंकि वर्तमान में प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव में भी तत्वतः इन्हीं मुद्दों को उठाया गया है, अतः मैं इन प्रस्तावों को भी विशेषाधिकार समिति को इस बात की जांच के लिए सुपुर्द करता हूं कि इसमें भी कोई विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव बनता है या नहीं, जो अपनी रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करेगी।

295 का एक आपका........

अब 2 ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

कृषि फार्मों वाला प्रथम लिया जायेगा। माननीय सदस्य, थोड़े समय में वह समाप्त हो जाय उसके बाद में जो अनाज की खरीद के बारे में ...

श्री नाथूसिंह : राजस्थान का मामला है और राजस्थान की खरीद वाली...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह मेरे विवेक पर छोड़ दीजिए, माननीय सदस्य।

Page No. 198

(198)

श्री देवेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ सम्माननीय सदस्यों ने राजस्थान——....

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सरकारी कृषि फार्मों के कार्यकलाप

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। ऑर्डर, ऑर्डर।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है इसलिए संक्षेप में श्री महाराम चौधरी, श्री यदुनाथ सिंह एवं श्री कमलेन्द्र सिंह कृषि मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है, उसमें मैंने जो लिखा है, उसको देखकर उस सम्बन्ध में तो कृषि मन्त्री महोदय इसका स्पष्टीकरण देंगे ही। इसके साथ ही में जो विशेष बातें हैं, वह, मैं आपको और इस सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, कृषि विभाग का पुनर्गठन 1956 में हुआ। इस पुनर्गठन के साथ कृषि विभाग ने अपना यह एक विचार बनाया कि हम खेती का एक्सटेन्शन, विस्तार करें। उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने कृषि फार्मों का गठन किया। कृषि फार्मों का गठन करने के साथ साथ सरकार ने या कृषि विभाग ने अपने संसाधन जुटाये और अच्छी से अच्छी जमीन पूरे राजस्थान में अवाप्त की। इस अवाप्त की हुई जमीन पर इन्होंने ट्रैक्टर, औजार और कीटनाशक दवाइयां और अच्छे बीज, उर्वरक आदि चीजें, इस तरह से कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो भी चीजें उपयोगी होती हैं, उन सभी चीजों को काम में लेना शुरू किया। इन उपयोगों के साथ साथ में जिस तरीके से उत्पादन बढ़ना चाहिए उस तरीके से वह उत्पादन तो इनसे बढ़ा नहीं। और कृषि फार्मों और बीज फार्मों को इन्होंने एक तरह से पिकनिक स्थान बना लिये। इन पिकनिक स्थानों पर इनके जो अधिकारी लगाये गये, उन्होंने या तो सुचारु रूप से काम नहीं किया या उनको इस बात का व्यवहारिक ज्ञान नहीं था, या इनके पास टैक्निकल नालेज नहीं थी, विज्ञानता से खेती करने की। जिस तरह से खेती करनी चाहिए, इन्होंने या तो उस तरह से खेती नहीं की और यदि खेती की है और उत्पादन उसमें उन्होंने बढ़ाया है तो, या तो उत्पादन नहीं बढ़ाया या उनको इस तरह की कोई नालेज नहीं थी। उत्पादन कृषि में बढ़ भी गया है, कृषि फार्मों पर जो उत्पादन हुआ है उसमें या तो भ्रष्टाचार हुआ है या जो उत्पादन बढ़ा उसको खा गये। मैं कृषि मंत्री महोदय से यह जानकारी करना चाहता हूं, इन्होंने अपनी नालेज का उपयोग करके, या तो उन के पास नालेज नहीं थी, उन्होंने कोई उत्पादन बढ़ाया, अगर उनके पास नालेज थी तो उन्होंने उत्पादन बढ़ा दिया। उत्पादन बढ़ा दिया तो वह बढ़ा हुआ उत्पादन गया कहां बढ़ाये हुए उत्पादन का आदर्श पेश करते, अपने राजस्थान के जो किसान हैं उनसे मार्गदर्शन देकर के, उत्पादन बढ़ाया हुआ देखकर उन फार्मों पर जो प्रदर्शन वगैरह लगे हुए थे, उनको देखकर अपना खुद का उत्पादन

(श्री महाराम चौधरी)

बढ़ाते। लेकिन उनका उत्पादन बढ़ाया हुआ नहीं, देकर किसानों को यह महसूस हुआ है कि यह जो कृषि विभाग है, कृषि विभाग बिलकुल अयोग्य है किसानों का उत्पादन बढ़ाने के अन्दर या अपने राजस्थान के कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसी प्रकार से सफल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन लोगों से कृषि फार्मों पर अपना उत्पादन बढ़ा नहीं। नहीं बढ़ा तो उन्होंने देखा 1956 के बाद 1959 तक तो इन्होंने फार्मों को अपने अधिकार में रखा जो उत्पादन किया हुआ था उसका मटियामेट कर दिया, यानि, कृषि फार्मों को खोखला कर दिया, उनको खोखला करने के बाद उन्होंने देखा, अब हमारी पोल खुल जायेगी. तो 1959 के अन्दर इन्होंने विकेन्द्रीकरण का ढोल पीटा। विकेन्द्रीकरण के बहाने से, बगैर उत्पादन बढ़ाये इन्होने सभी कृषि फार्मों को पंचायत समितियों के सुपुर्द कर दिया। अध्यक्ष महोदय, पंचायत समितियों को सुपुर्द करने क बाद जो अपने टैक्निकल आदमी थे, इस विभाग ने उनको पंचायत समितियों को सौंप दिये। पंचायत समितियों और उन दोनों का आपस में समन्वय नहीं बैठने से, अयोग्य होने की वजह से उसमें भी उन्होंने अपना उत्पादन नहीं बढ़ाया। 1959 के बाद फिर एक तरह से सनक आयी। 1970 तक इन्होंने कृषि फार्म अपने पास में रखे 1970 के बाद उन्होंने फिर एक तरह से कुछ फार्म विश्वविद्यालयों को, कृषि उद्योग निगम को या राजस्व विभाग को सुपुर्द करके 1976 तक सभी फार्मों को अपने यहां से डिस्पोज आफ कर दिये उसकी भी इन्होंने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की। 1976 के बाद में फिर इनको सनक आई और उस सनक के अन्दर उन्होंने उन कृषि फार्मों को जिनको राजस्व विभाग, कृषि उद्योग निगम को या विश्वविद्यालयों को दिये थे; उनमें से कुछ, फिर अपने पास में वापिस ले लिये। 78-79 के बाद में, पहले जो फार्म उस वक्त अपने अण्डर में ले लिये थे। उससे पहले साल से लगातार 1982 तक इन्होंने उन फार्मों पर किसी तरह की कोई उपयोगिता हासिल नहीं की, न किसानों को मार्ग दर्शन कर सके उसके बाद 1982 में फिर एक तरह से सनक आयी कि जो बचे हुए फार्म थे उन फार्मों को वापस कृषि विभाग के अन्दर ले लिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि इनके पास सभी प्रकार के साधन मौजुद होने के बावजुद इन्होंने राजस्थान की जनता और राजस्थान के किसान से किसी तरह भी अपना कृषि उत्पादन बढ़ाने, टैक्निक हासिल करके कृषि उत्पादन बढ़ाने का दावा किया था कि हम इस तरह से कृषि में उत्पादन बढ़ायेंगे, वह पूरा नहीं कर सके।

श्री अध्यक्ष: किसानों को उन्नत तरीके की खेती सिखाना था।

श्री महाराम चौधरी: हां, अध्यक्ष महोदय, उन्नत तरीके की खेती उन्होंने कागजों के अन्दर भी बताई और अपने प्रचार और प्रसार के अन्दर भी बताई लेकिन ऐक्चुअली यह सब कुछ हुआ नहीं। तो यह सब कुछ होते हुए भी उन्होंने क्या कुछ करके हमें दिखलाया? यह हमें कहीं भी देखने को नहीं मिला....

श्री अध्यक्ष: समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : और इन कृषि फार्मों को, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने फुटबाल बना दिया और फुटबाल बनाकर एक इधर से टोरा दिया, एक उधर से टोरा दिया और इससे आम आदमियों के अन्दर यह विश्वास फैल गया कि यह कृषि विभाग बिल्कुल अयोग्य है और किसानों के लिये सार्थक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सदन से यह मांग करता हूं कि या तो इन्होंने पैदावार की ही नहीं और यदि पैदावार की तो कृषि विभाग स्वयं ही उसको खा गया....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, नान-आफिशियल्स की एक कमेटी बनाई जाकर इसकी ठीक ढंग से जांच कराई जाय और यदि कहीं गड़बड़ हुई है असावधानी से गड़बड़ हुई है तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय। यदि गड़बड़ नहीं हुई है तो फिर यह क्यों नहीं कार्यवाही कर रहे हैं, इसलिये मेरा यही निवेदन है कि आज यह आश्वासन दिया जाय सदन में कि नान आफिशियल्स की, विधायकों की एक टीम बनाकर पूर्ण रूप से इसकी जांच कराई जायगी ताकि कृषि विभाग पर विश्वास बने और जो आगे आने वाले तकनीकी ज्ञान ...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य, आपने कह दी यह बात। श्री यदुनाथ सिंह।

श्री यदुनाथ सिंह (नदबई) : अध्यक्ष महोदय, बड़ा चिन्ता का विषय है कि राजस्थान में विभिन्न फार्मों को जो दुर्गती राजस्थान में है ऐसी देश के और किसी भाग में देखने को नहीं मिलती है। कभी तो इन फार्मों को इस विभाग को दे दिया जाता है, कभी उस विभाग को दे दिया जाता है और यहां तक शर्मनाक बात है, अध्यक्ष महोदय, इस विभाग के लिये कि इन फार्मों को ठेकों पर भी दिया गया, पिछले साल ठेके पर भी दिया गया। यानि इन फार्मों क्यों हमने बनाया था ? उस पृष्ठ भूमि में जाने की जरूरत है कि हमारे उद्देश्य क्या थे, ध्येय क्या थे ? हमारा ध्येय यही था इन सरकारी फार्मों को बनाने के पीछे कि जो आज की टेकनिक है, आज की तकनिक जो कृषि में विभिन्न प्रकार की आ रही है जो, विभिन्न प्रकार के आविष्कार हो रहे हैं उनका तजुर्बा इन फार्मों पर हम करेंगे, उस तजुर्बे को किसानों को दिखायेंगे, किसान उनकी तरफ प्रोत्साहित होंगे और किसान भी उन तकनिकों को हासिल करके, वहां से जानकारी करके अपने खेतों पर प्रयोग करेंगे, यह उसका उद्देश्य था लेकिन हो इसके विपरीत रहा है। किसी ××× किसान के खेत की भी ऐसी बुरी हालत नहीं होगी, अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार की हालत इन फार्मों की बनी हुई है।

आपने उन फार्मों को सीड्स कारपोरेशन को दिया, इन फार्मों से सीड्स कारपोरेशन का बीज पैदा करने का उद्देश्य इसके पीछे नहीं था। कृषि विभाग को इन फार्मों को मॉडल फार्म बनाना चाहिये था।

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री यदुनाथसिंह)

आज का जो किसान है, जो आज के किसान की टेकनिक है और आपकी टेकनिक है उसके बीच में बहुत बड़ा गेप बना हुआ है। आपका एक पूसा फार्म है इस तरह के एग्रीकल्चर फार्म हैं उन में जो आविष्कार होते हैं वह आज किसान के पास पहुंच नहीं रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कृषि फार्मों पर ध्यान देना चाहिये क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर ज्यादातर खेती सूखी खेती है। हमें इन फार्मों की सूखी खेती के आविष्कार के रूप में, इनको प्रयोग करने की आज ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हमारे यहां पर 7 प्रतिशत खेती तो सूखी रहने वाली है, कितने भी रिसोर्सेज को हम डवलप कर लें, पानी के बिना अन्ततः 77 प्रतिशत भूमि हमारी सूखी ही रहेगी।

इसलिये मैं कहूंगा, अगर हमारा कृषि विभाग इतना नाकारा हो चुका है, तो सबसे बढ़िया इसका इलाज यही होगा कि इनको वन विभाग को दे दिया जाय ताकि कम से कम पेड़ पौधें तो यहां उगते हुये नजर आयेंगे और उससे हमारा जो एक उद्देश्य है। वह उद्देश्य तो पूरा होगा। इसलिये मैं चाहूंगा कि सरकार इसके बारे में निश्चित मत, निश्चित मानस बनाए। या तो इनका माडल फार्म आप बनाइये या इनको आप समाप्त करिये। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री कृषि मन्त्री जी।

श्री देवेन्द्र सिंह (कृषि राज्य मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा दोनों माननीय सदस्यों ने यहां पर विचार व्यक्त किया है, सन् 1974 में सरकार ने एक निर्णय लिया और करीब 58 फार्म्स अलग अलग इन्स्टीट्यूशन्स को दिये गये। 16 फार्म्स राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम को। 10 फार्म मोहनलाल सुखाड़िया युनिवर्सिटी को कृषि विस्तार योजना के तहत अनुसंधान के लिये 8 फार्म्स, पंचायत समिति को 7 फार्म्स और बाकी फार्म्स राजस्व विभाग को वापिस लौटा दिये। समय समय पर जैसा कहा गया कि कृषि विभाग ने कभी उद्योग निगम को दे दिये। कभी पंचायत समितिज को दे दिये यह क्रम चलता रहा। गत वर्ष जब हमने यह देखा कि फार्म्स की स्थिति ठीक नहीं है। कुल मिलाकर आज की तारीख में हमारे पास 30 फार्म्स हैं। उनका ब्रेकअप इस प्रकार है: 16 फार्म्स सीड्स कारपोरेशन के पास हैं। 8 फार्म्स पर हम ट्रायल ले रहे हैं और 6 फार्म्स हमने डी. आर. डी. को नर्सरी डवलप करने के लिये दिये हैं। इस तरह से 30 फार्म्स आज की तारीख में हमारे पास हैं। उन तीस फार्म्स में जैसा अभी यहां पर कहा गया कि कुछ फार्म्स ठेके पर भी दे दिये गये। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है। जब गत वर्ष इन फार्म का कोई निर्णय नहीं हो रहा था और मौसम बहुत करीब था। तब हमने देखा कि फार्म पड़े रहेंगे और यदि इनको बटाई पर भी देकर के सरकार कुछ आमदनी कर सके। तो इस वर्ष दिये जाने चाहिये ...

श्री अध्यक्ष : यह सरकार का जाना माना तरीका है बटाई पर देने का फसल के समय....

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : हमने दिये ...

श्री यदुनाथसिंह : आमदनी का इनके पीछे उद्देश्य नहीं था।

श्री देवेन्द्र सिंह : हमने बटाई पर दिये, लेकिन अनेक क्षेत्रों से उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने भी और दूसरे लोगों ने भी कहा कि सरकार का बटाई पर देने का तरीका ठीक नहीं है, हमने उन आर्डर्स को वापिस विथड्रा किया। लेकिन बीच में 16 फार्मों में से 7 फार्म पर खेती कर चुके थे इसलिये यह आशंका व्यक्त की गई थी कि यदि इनको ठेके पर दिय जायेंगे तो शायद वापिस लौटायेंगे नहीं। लेकिन उस वक्त एक फ़सल हमने उनसे ली और उसमें हमें 89 हजार रुपये की आमद हुई। वह फार्मस आज हमारे कब्जे में आ गये और 16 फार्मस जैसा मैंने आपसे निवेदन किया हमारे सीड्स कारपोरेशन के पास हैं और उन 16 फार्म्स में आने वाले वर्ष में 14 लाख रुपये की आमद हम उन फार्म्स से करेंगे जो आज तक राजस्थान में कभी हुई नहीं।....और जैसा आपने रिसर्च का....

श्री यदुनाथसिंह : इनके पीछे आमदनी का उद्देश्य नहीं था।

श्री देवेन्द्र सिंह : कहा है, जैसा मैंने निवेदन किया रिसर्च के लिए राजस्थान में एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के तहत दे दिये और एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के पास करीब 11-15 फार्म्स हैं जो रिसर्च का कार्य करते हैं और इसके अलावा 8 फार्म्स हमने भी रखे हैं, जिन पर रिसर्च का काम कर रहे हैं। रिसर्च जहां पर होता है स्वाभाविक है कि वहां पर नुकसान भी हो सकता है। उस काम से आप कभी यह आशा नहीं कर सकते हैं कि उससे कभी नफा हो सकता है लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि आने वाले समय में इन फार्म्स पर अच्छी तरह से व्यवस्था करके इन फर्मस को सुचारु रूप से चला सकें और इनमें घाटा नहीं हो इसकी व्यवस्था करके चलेंगे इतना ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : चर्चा।

श्री यदुनाथसिंह : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं - इन फार्मों का उद्देश्य घाटा और मुनाफ़ा है ही नहीं और आप मुनाफे की बात कर रहे हैं कि इतना मुनाफा कर लिया, नहीं कर लिया। जब इतना लम्बा डेफिसिट राजस्थान के फाइनेन्सिंग में आप रख सकते हैं तो 1-2 करोड़ रुपया, आप किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये, आपको टेक्निक पर विश्वास जमे लोगों का, इसलिये जरूरी है कि आप यह नुकसान उठायें ?

श्री देवेन्द्रसिंह : यही तो मैंने निवेदन किया है कि रिसर्च में फायदा हो नहीं सकता, घाटा ही घाटा है। इसीलिये युनिवर्सिटी को दिये हैं क्योंकि हमारा फण्ड लिमिटेड है हम घाटा भुगत नहीं सकते हैं। इसलिये युनिवर्सिटी को दिये हैं कि वह रिसर्च उनके फण्ड्स पर कर रहे हैं और उनके रिजल्ट्स का काश्तकारों को लाभ दे रहे हैं।

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक निवेदन किया था, कि आपके फार्मर्स और टैक्निकल नालेज इतने साल तक अयोग्य रही है तो उसके लिए नानग्रॉफिशियल की कमेटी बनाकर उसकी जांच कराने के लिये आप तैयार हैं क्या ?

श्री अध्यक्ष : ग्रॉर्डर, ऑर्डर....

श्री महाराम चौधरी : एक आपने यह कहा है कि जो हमने सीड्स कॉरपोरेशन को दे दिये तो क्या सीड्स कॉरपोरेशन से इनमें उत्पादन कराकर कोई बीज कृषकों को बांटा है....

बाजरे की खरीद व उसका न्यूनतम क्रय मूल्य

श्री अध्यक्ष : ग्रॉर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य बैठ जायें। चर्चा समाप्त हुई। अब 131 के अन्तर्गत अनाज की खरीद के सम्बन्ध में वाद-विवाद शुरू होगा। चर्चा होगी उस पर तो इसमें क्या सरकार पहले कुछ...

(व्यवधान)

ग्रॉर्डर प्लीज। मैं अवसर दे दूंगा। आपके पास काफी समय है।

श्री परसराम मदेरणा : आप 12 बजे तक चला सकते हैं। अभी तो समय बाकी है।

श्री अध्यक्ष : जब सहयोग मिलता है तो सभी कार्य समय पर सम्पादित हो जाते हैं।

श्री भूपालसिंह।

श्री भूपाल सिंह (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, गेहूं की निकासी के।

श्री अध्यक्ष : किसान के लड़के हैं।

श्री भूपाल सिंह : चाहे बीस सूत्री कार्यक्रम हो, चाहे इन्दिरा जी का फरमान हो, मैं उन सबकी कदर करता हूं कि उन्होंने सबसे ऊपर कृषि को रखा और किसान को रखा। इसलिए कि वह 80 प्रतिशत गांवों में रहता है और मजदूर और किसान को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो मेरा अर्ज करना ऐसा है कि फायदे की बनिस्बत उल्टा किया गया है। जिस चीज की महंगाई होती है जिस प्रोविन्स में, उस प्रोविन्स में उस चीज की निकासी पर रोक लगाई जाती है, लेकिन यहां उल्टा हुआ। पड़ोस के प्रोविन्स गुजरात, मध्य प्रदेश या इधर के जितने भी प्रोविन्स हैं। उनमें गेहूं का का भाव ज्यादा है और राजस्थान में कमी के नहीं होते हुए भी रोक लगाई क्योंकि गरीब आदमी मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार मक्का वह खाता है, गेहूं तो हमेशा बड़े आदमी मिनिस्टर या और कोई सेठ साहूकार ऐसे लोग खाते हैं बाकी गरीब आदमी के तो बड़ा अनाज ही काम में आता है। तो यह उल्टा किया। उस गरीब आदमी को तो महंगा अनाज और गेहूं को रोकना, यह बिल्कुल एक ऐसी विपरीत दशा के अन्दर ले गये। किसान के लिए दूसरे साधन चाहे महंगे हों।

(6.40 सायं)

(रामनारायण चौधरी, सभापति, पीठासीन)

(श्री भूपाल सिंह)

सदस्य चाहे इधर विराज रहे हों, चाहे उधर विराज रहे हों, यह सब जानते हैं। तो गेहूं के एक ट्रक में 10 हजार का फर्क रहता है। 150-160 के बीच में भाव चलते रहे हैं। जो हमारा बोर्डर गुजरात का मिलता है, इस सीमा में तो 160 का भाव और कहां ढाई सौ का भाव। जो एक ट्रक पर दस हजार का फर्क पड़ता है। उस दस हजार के फर्क में सबका हिस्सा है। यानि पुलिस का सप्लाई विभाग का, यह सब रोक लगाकर अपना पैसा ऐंठने के लिए यह काम किया जाता है और हो रहा है। यहां तक कि गये सेशन में यहां पर बीज के नाम पर जो इजाजत दी गई थी, बाहर ले जाने के लिए जो परमिट दिये, उस परमिट से कई गुना ज्यादा माल अधिक निकाला, पकड़ा गया। यहां सदन में उसकी चर्चा हुई। तो इस तरह से यह होता रहा है। जब एक पड़ौस के किसान को तो ढाई सौ और तीन सौ रुपया मिले और राजस्थान के किसान को डेढ़ सौ रुपया मिले, यह अन्याय है। खासकर मंहगा खाद, मंहगा बीज, आज आपने मजदूर 9 रुपये से 11 रुपये कर दिये। बिजली कम मिली, दिन को नहीं मिली, ठंड के अन्दर किसान ने रात को खड़ा रहकर, जानवरों के डर को छोड़कर, उसने उसको सिंचित किया और पिलाया, खून और पसीने के साथ उसने गेहूं को पकाया। अफीम, चना और दूसरी फसल नष्ट हो गई, उससे भी किसान बर्बाद हुआ। किसान ऊधर तो बर्बाद हुआ कुदरत से लेकिन अब यह सरकार क्यों बर्बाद कर रही है। ऊपर वाला हुक्म देता है कि किसान को ऊपर उठाओ और नीचे वाले आप लोग उसको दबाते हो। तो मेरा अर्ज करने का मतलब यह है कि किसान से वसूली करने का जहां सवाल आता है, मुर्गा बनाने की यहां विधान सभा में चर्चा आई, बर्तन नीलाम करने की चर्चा आई, कई तरह की ऐसी चर्चायें आई कि किसान को इस तरह परेशान किया जाकर सरकार का पैसा वसूल किया जा रहा है तो वाकई में किसान के पास पैसा नहीं है इसलिए उसको मुर्गा भी बनना पड़ता है, और तकलीफ भी उठानी पड़ती है। मेरा अर्ज करना ऐसा है कि सारे राजस्थान के किसानों में जितनी बकाया एक सेठ में ही उतनी बकाया होगी। लेकिन सरकार न उसको मुर्गा बना सकती है, न उसकी सम्पत्ति जो करोड़ों रुपयों की है को कुड़क करके वसूल कर सकती है, न कुछ कर सकती है। यह डण्डा गरीब किसानों के ऊपर चलाने को आमादा है। उसी गरीब आदमी पर चलाने के लिए वह तैयार है और चला रहे हैं। उसी के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूं कि किसी भी प्रकार देखा जाय गेहूं की निकासी को चाहे उसको किसान के फायदे की दृष्टि से देखो, गेहूं की दृष्टि से देखो, चाहे पड़ोस वालों के भाव की दृष्टि से देखो, जिस दृष्टि से भी उसको देखा जाय वह किसान की गेहूं की निकासी रोककर उसके साथ सरासर अन्याय किया जा रहा है। मण्डियों में बेचने जाता है तो वह व्यवस्था भी ठीक नहीं है। वहां भी उसको लूटा जाता है। उसको नुकसान दिया जाता है तोल में, दलालों के ग्रू एक फर्म खरीदती है, जगह-जगह पर किसान को लूटा जा रहा है। इन सब बातों के होते हुए उसको पूरा पैसा नहीं मिलता। इस मामले में मेरे ख्याल से तो राजस्थान में और कोई अन्याय हो नहीं सकता। इसीलिए सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि हम तो विरोधी पक्ष में बैठने वाले हैं। इसलिए

(श्री भूपालसिंह)

हमारी तो आप सुने या नहीं सुने लेकिन आपके साथ बैठने वालों की तो सुनें और साथ बैठने वालों का यह फर्ज है, जो किसानों के प्रतिनिधि हैं किसानों के वोट से जीत कर आते हैं, इसलिए उनको जिवाह नहीं करें, उनकी मदद करें और चीफ मिनिस्टर साहब को समझायें कि वह निकासी चालू करें अब निकासी का जहां तक सवाल है ये कह रहे हैं सोचेंगे, बात करेंगे, विचार करेंगे। आज आठ दिन से मण्डियों में गेहूं आना शुरू हो गया, अगर पांच सात आठ दिन और निकासी नहीं खोली गई तो आधे से ज्यादा गेहूं खरीददारों के पास पहुंच जायेगा। किसान को तो वही पैसा मिलेगा जितना मिलना चाहिये, और प्रोविन्स के मुकाबले में जो 60 परसेन्ट, 55 परसेन्ट पैसा मिल रहा है वह पैसा आज आठ दिन से मिल रहा है। अगर इसको जल्दी निकासी नहीं दी गई तो किसानों का कोई धणी नही है। गरीब बोल नहीं सकता। मगर वह जिस दिन जाग गया, अगर आप नहीं करोगे तो वह आन्दोलन करेगा। किसान अब चुप रहने वाला किसान नहीं है। अब तो उसमें भी थोड़ी बुद्धि आई है। क्यों उसको परेशान करते हैं। थोड़ी बहुत कमाई या थोड़े बहुत को खुश करने के लिये। इसलिए मेरा तो यही निवेदन है कि आप निकासी खोल दें ताकि किसानों का जो पैसा डूब रहा है वह रुके और वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके, इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री यदुनाथसिंह।

(व्यवधान)

आपको भी अवसर देंगे।

श्री यदुनाथसिंह (नदबई) : सभापति महोदय, इस देश का दुर्भाग्य कहा जाय कि हम सभी दिन और रात यही रटन्त लगाते हैं कि देश कृषि प्रधान है किसान पर यहां की अर्थ व्यवस्था निर्भर है, लेकिन, सभापति महोदय, लगातार आज से नहीं मुगल काल से, उसके बाद अंग्रेजों के समय से किसान का दिन प्रतिदिन शोषण बढ़ता जा रहा है। सभापति महोदय, किसान का दो तरह से शोषण होता है। एक तो आसमानी शोषण किसान का होता है और दूसरा सुल्तानी शोषण होता है। आसमानी शोषण प्रकृति के ऊपर है। बारिश ज्यादा हो गई, जब जरूरत हो तब बारिश नहीं हो, जरूरत नहीं है तब बारिश ज्यादा हो जाय, ओले पड़ जाय। किसान की फसल को ठंड मार जाय, किसान की फसल में बाढ़ आ जाय और किसान की फसल में बाढ़ होने से वह किसान तबाह हो जाय। हालांकि उसका पूरा खर्चा उस खेती पर हो जाता है, वह आसमानी तरीके से किसानों का शोषण है। वैसे उद्योग में उद्योगपति जब कारखाना जल जाता है, उद्योग का कोई भी सामान नष्ट हो जाता है तो सरकार उसका कुछ हिस्सा भर्ती है लेकिन किसान की किसी प्रकार की बर्बादी हो जाय, यह प्रकृति की और से खमियाजा भरने का काम सरकार नहीं करती है। सभापति महोदय, दूसरा जो हमारे सीधे बस में है, सुल्तानी इसलिए मैं उसको कहता हूं कि वह राज कार्य के द्वारा शोषण करने की जो घोषित निति बना दी गई की लगातार किसान का शोषण किया जाता रहे। जहां भाव तय करने की बात आती है, सभापति महोदय, किस प्रकार

411] ध्यानाकर्षण–20 अप्रैल, 1984–प्रस्ताव [412

(श्री यदुनाथसिंह)

(श्री यदुनाथसिंह)

भाव तय किये जाते हैं ? पेट भरने का काम जिस चीज से होता है। जीवन चलाने का काम जिस चीज से होता है वह इस देश में नीलामी होती है, अन्न को नीलाम किया जाता है। नीलामी हमेशा बेकार चीजों की होती है। इस देश में अन्न को इतनी बेसब्री से देखा जाता है, सभापति महोदय, कीमतें तय करने का जब मसला आता है, कीमतें जब तय की जाती हैं तो उद्योगपति के घर में काम करनेवाला, उद्योग में काम करने वाला एक चपरासी अपने घर से बाहर निकलता हैं, साइकिल किराये से लेकर, रिक्शा किराये से लेकर, हवाई जहाज के किराये से लेकर उसके होटल में ठहरने के किराये से लेकर खाना और ऐय्याशी, ऐशो-आराम का जितना भी खर्चा होता है वह सब उत्पादन के साथ जोड़ दिया जाता है और अपना मुनाफा जोड़कर वह उद्योगपति पैसा वसूल करने का काम करता है। लेकिन जो खेती, जो जमीन है किसान की, वह उद्योग है, उस पर जो भी खर्चा होता है उत्पादन में, उसका पैसा नहीं जोड़ा जाता है। प्राइस कमीशन उस पैसे को नहीं जोड़ता है। प्राइस कमीशन तो बहुत सतही चीजों को जोड़ने का काम करता है खेती जब उसका उद्योग है, घर से जब कोई आदमी मुकदमा लड़ने के लिए निकलता है तो उसका समय नष्ट होता है। लोन लेने जब जाता है तो उस लोन पर किसान का समय नष्ट होता है जो खर्चा होता है उस खर्चे को आज किसान के उत्पादन की कीमत में नहीं जोड़ा जाता उसको खर्चे में जोड़ने का काम नहीं किया जाता है।

यही नहीं, सभापति महोदय, दलील दी गयी उसको सुनकर मुझे दुख हुआ। जो किसान हैं और किसानों के नुमाइन्दे बन कर यहां पर बैठे हैं वह मन्त्री महोदय, जवाब दे रहे थे कि अगर भाव बढ़ेंगे तो फिर दूसरी चीजों के भाव भी बढ़ेंगे। दो प्रकार की दलील दी जाती है। सभापति महोदय, यह बात देश में घर कर गयी है। यह दलील उन लोगों की है जो शहरी लोग हैं, व्हाइट कलर लोग हैं और हर तरह से साधन सम्पन्न हैं। जब किसान की बात आती है। उसकी फसल के भाव बढ़ाने की बात आती है तो यह दलील दी जाती है कि अगर अनाज के दाम बढ़ेंगे तो दूसरी चीजों के भाव बढ़ेंगे रा-मेटिरियल के भाव बढ़ेंगे, जो चीज उससे पैदा होती है उस के भाव बढ़ेंगे और प्रोडक्शन के भाव बढ़ेंगे खेती की चीजों के भाव बढ़ेंगे तो उत्पादन में खर्चा अधिक होगा और मुद्रा स्फीति होगी। सभापति महोदय, यह जो दलील दी जाती है कितनी बेमानी है आप इससे अन्दाज लगाइये मुद्रा स्फीति किस हालत में बढ़ती है। अगर किसान के पास पैसा अधिक आयेगा वह खेती का उत्पादन बढ़ायेगा, ज्यादा से ज्यादा खर्चा उस पर करेगा। ज्यादा पैसा आने पर किसान उत्पादन बढ़ायेगा, अपने सिंचाई के साधन बढ़ायेगा खेती के लिये अच्छे बीज खरीदेगा, अच्छी खाद काम में लेगा। वह जो भी काम करेगा अपनी खेती का उत्पादन बढ़ाने के बाद जो पैसा बचेगा उससे करेगा। उससे अपने लिये एक धोती लायेगा, एक छड़ी लायेगा और कोई दूसरी चीज खरीदेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि इससे तो मुद्रा स्फीति पर रोक लगेगी। सभापति महोदय, अगर इस दलील

(श्री यदुनाथसिंह)

[illegible] को मान भी लिया जाय, तो किसान ने इसका कोई ठेका नहीं ले रखा है। मुद्रा स्फीति बढ़ती है तो क्या आप, किसान को वाजिब मूल्य नहीं देंगे? आज सरकार से कौनसी मुद्रा स्फीति रुक रही है। आज भी यह मुद्रा स्फीति बढ़ रही है। रात दिन महंगाई बढ़ रही है आपने उसको कौनसा रोक लिया? आपने किसान पर रोक लगा दी है। आपने किसान पर रोक क्यों लगा दी? रोजाना उपभोक्त मूल्यों में बढ़ोतरी हो रही है तो यह जो दलील दी गयी है, बेनामी दलील है। आज किसान पानी में डूबता जा रहा है, पानी में गिरता जा रहा है। और आप उस किसान के कन्धे पर बैठ कर उपभोक्ता मूल्यों का नाम लेकर, मनी इनफ्लेशन का नाम लेकर उसको मार रहे हैं। मुद्रा स्फीति नाम लेकर यह जो दलील दी गयी, है बेनामी है। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, अगर महगाई बढ़ती है तो बढ़े, मुद्रा स्फीति बढ़ती है तो बढ़े पर आप किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलावें। आप कन्जूमर का नाम लेते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि कन्जूमर कौन है? उपभोक्ता कौन है? यह है किसान ही इसलिये आपने जो यह दलील दी है, यह बेनामी है। उपभोक्ता के दाम बढ़े; मुद्रास्फीति बढ़ती हो तो बढ़े पर जब तक आप किसान को वाजिब मूल्य उसकी फसल का नहीं देंगे तब तक देश की हालत सुधरने वाली नहीं है। वह अधिक मूल्य मांग ही नहीं रहा है। उसको अपनी खेती में घाटा हो रहा है इसलिये वह वाजिब मूल्य मांग रहा है। किसान को वाजिब दाम की मांग करने मुद्रास्फीति पर आप को दलील देते हैं। उपभोक्ता को माल महंगा मिलता है इसके लिये किसान का गला घोटना चाहते हैं। अब यह सब नहीं चलने वाला है। आपको उसको वाजिब मूल्य देना पड़ेगा।

सभापति महोदय, किस प्रकार सरकार किसान को खत्म कर रही है मैं उसके लिये निवेदन करना चाहता हूं उपभोक्ता के नाम पर किसान को घाटे का धन्धा करना पड़ता है। एक तरफ जब पैदावार अधिक होती है तो सरकार किसान पर रोक लगाती है कि वह अपने प्रोडक्शन को एक जिले से दूसरे जिले में नहीं ले जा सकेगा, अपने प्रदेश के बाहर नहीं भेज सकेगा, अपने राज्य से बाहर नहीं भेज सकेगा, एक तरफ तो किसान को इस तरह मार रहे हैं दूसरी तरफ जब अनाज कम होता है तो सरकार किसान से लेवी वसूल करती है, चाहे उसके बच्चे भूखे मरें, सरकार किसान के खेत से, खलियान से माल उठा कर ले आती है तो पैदावार कम हो तो लेवी लगा दो और ज्यादा हो तो किसान को माल एक्सपोर्ट नहीं करने दो। आप उसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत नहीं देते हैं। सभापति महोदय, इस प्रकार से किसान को खत्म किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपका, मन्त्री महोदय, उद्योगों के लिये यह कहने का मेरा फर्ज बनता है कि किसान की पसीने की कमाई, उसके खून और पसीने की कमाई से इस टाइप के काम अब नहीं करने देंगे। अगर आप यह करेंगे तो देश में गरीबी मिटने वाली नहीं है और उद्योग धन्धे भी नहीं पनपेंगे इसके कारण किसान की पर्चेजिंग पावर ही खतम हो जायेगी। इससे यह होगा कि देश की आर्थिक स्थिति में गिरावट आयेगी एक

(श्री यदुनाथसिंह)

टूटन आयेगी। आज 64 प्रतिशत लोग हमारे यहां पर बिलो पावर्टी लाइन हैं और इन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है वह आगे बढ़ती ही चली जायगी। सभापति महोदय, इसलिये सरकार ने जो दलील दी है वह बेकाबिल है। आज यहां पर यह कहा जाता है कि गरीब केवल गांवों में ही नहीं है शहरों में भी है। हो सकता है, शहरों में गरीबी हो। लेकिन जो गरीब शहर में आया है वह कौन है? वह वही है जिनका धन्धा चौपट हो गया गांवों में खेती का और जिसको अपने खेत को हरा भरा रखना दूबर हो गया। वह अपनी जमीन बेच कर शहर में आकर बसते हैं, काम करते हैं। वह शहर में झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने यह रेस्ट्रीक्शन क्यों लगाया? इसको समाप्त किया जाये। मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप रिजर्वेशंस से ऊपर उठ कर, रेड टेपिज्म से ऊपर उठ कर कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि किसानों को लाभ मिले। वैसे सभापति महोदय, होना तो यह चाहिये था कि बैशाखी के दूसरे दिन जब किसान का गेहूं खेत से बाहर निकल कर आता है, से आप पर्चेजिंग पाइन्ट बनाते हैं और एफ. सी. आई. मार्केट में आता। लेकिन उस दिन से आज दिन तक एफ. सी. आई. मार्केट में नहीं आया। किसान की हालत खराब हो रही है क्योंकि ऊपर बादले हो रहे हैं। मौसम खराब हो रहा है। किसान घर में अपनी फसल को रख नहीं सकता और जिस प्रकार की लूट की परिस्थितियां हैं उससे उसकी हालत और खराब हो रही है।

आपने पिछले सत्र में बाजरे के बारे में बात कही थी लेकिन आपने बाजरा समय पर नहीं खरीदा मेरे हिसाब से किसान को 24 रुपये के हिसाब से लूट लिया। आपने सौ रुपये का एवेरज करके बाद में 80 और 90 रुपये का भाव कर दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि 24 रुपये के हिसाब से आपने किसान को 56 करोड़ रुपये का नुकसान दिया और किसान को लूट लिया। इसी प्रकार की लूट आपने सरसों में की। सरसों के जब बीज महंगे थे 800 रुपये क्विन्टल थे तब किसान ने खरीदा और जब पैदावार 38 लाख टन हुई तो आपने उस को बाहर ले जाने पर रेस्ट्रीक्शन लगा दिया। आपने रेस्ट्रीक्शन क्यों लगाया? उसने गेहूं के बीज 300 रुपये के भाव से खरीदे हैं अब इस किसान की फसल अच्छी हुई है तो उसको आप उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं। आज जब यहां सदन में भाषण दे रहे थे तब भाई बजारी ने कहा कि हमारे यहां पर 300 रुपये गेहूं के भाव हो गये। और अगर यह बाहर जायेंगे तो और महंगा हो जायेगा क्या इसलिये आप रोक लगा रहे हैं कि कहीं भावों में तेजी न आ जावें? गंगानगर जिले और अजमेर जिले में कोई भी किसान का माल नहीं खरीद रहा है, वहां पर किसान की बड़ी बेकद्री हो रही है, कोई भी गेहूं और चने को सूंघ नहीं रहा है, वहां किसान 300 रुपये के भाव से गेहूं के बीज खरीदे और 800 रुपये क्विन्टल के भाव से सरसों के बीज खरीदे और अब आपने रेस्ट्रीक्शन लगा दिया। तेल आपने मंगाया है बाहर से अमेरिका से आप 200 से 250 रुपये क्विन्टल के पैसे देकर बाहर से खरीद रहे हैं पर किसान को उचित मूल्य नहीं दे रहे हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि

(श्री यदुनाथसिंह)

किसान आज, सभापति महोदय, करवट ले रहा है, क्योंकि पंजाब में जो नजारा हुआ वहां पर अकाली दल और दूसरी राजनैतिक पार्टी वाले लोग धरे रह गये, मैं पंजाब के किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने राजनैतिक उद्देश्यों से ऊपर उठ कर पंजाब के गवर्नर को तीन दिन तक घेरे रखा, जिस तरह की परिस्थितियां पैदा कर दीं वहां पर दूसरी राजनैतिक पार्टीयां टुकुर टुकुर देखती रह गयी, मन्त्री महोदय, यह कोई राजनैतिक मसला नहीं है, यह आपकी अर्थ व्यवस्था का सवाल है। आज पर्चेजिंग पावर किसान की खतम हो गयी है। आज आपकी इकानामी तहस नहस हो रही है, इसके लक्षण नजर आ रहे हैं इसलिये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप भावनाओं से ऊपर उठकर ऐसा निर्णय सुनावें जिससे किसानों को राहत पहुंचे। बस इतना ही मुझे निवेदन करना है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सभापति : सदन की अनुमति से सदन की बैठक का समय एक घण्टे के लिये बढ़ाया जाता है।

(व्यवधान))

श्री बंशीलाल पटवा।

बाजरे की खरीद और उसका न्यूनतम क्रय मूल्य

श्री बन्शीलाल पटवा (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, सरकार किसानों के हित कि बात करती है लेकिन उसके सारे निर्णय आप चाहें तो हिस्ट्री उठाकर देखलें, किसानों के हितों के बिल्कुल विपरीत रहे हैं। पिछले दिनों मोटे अनाज की खरीद के बारे में कहा गया लेकिन जब किसान का बाजरा बाजार में आया तो वहां पर खरीदने वाला कोई नहीं था और किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा था। उस समय मोटा अनाज खरीदने सरकार नहीं गयी तो बाजरा बिचौलियों ने खरीद लिया, व्यापारियों ने खरीद लिया। जब सारा बाजरा दूसरों ने खरीद लिया तब आप अनाज खरीदने गये तो आपको बाजरा कहां पर मिलता। कहने का मतलब यह है कि सरकार ने जो घोषणायें की ठीक उसके विपरित काम सरकार ने किया। सभापति महोदय, कुछ किसानों को छोड़कर सभी किसानों की हालत दयनीय है। राजस्थान कृषि प्रधान प्रदेश है, यहां पर किसानों की आबादी भी अधिक है किसानों को अगर बीज ठीक प्रकार से नहीं मिलता है तो वह महंगे बीज खरीदता है, पानी भी उसको पूरा समय पर नहीं मिलता है उसके लिये भी वह बेचारा महरूम रहता है। बिजली की भी कमी है। बिजली की कमी होते हुए वह अपना काम कठिन परिस्थितियों में चलाता है। इस कारण किसान कि हालत टूटती जा रही है हमारा किसान बहुत पुरुषार्थी है, कुछ और परिस्थितियां आ जायें, प्रकृति की देन से उसको आघात लग जाये उन परिस्थितियों में भी वह जैसे-तैसे फसल को तैयार करता है,

(श्री बंशीलाल पटवा)

समय पर, बेचना चाहता है क्योंकि किसान कर्जदार तो पहले ही होता है और कर्ज उतारने के लिए अनाज तुरन्त बेचेगा। आज मैं बताऊं रबी की फसल तैयार हो चुकी है बाजार में आ चुकी है। कोटा में आप चले जायें सरकार कहती है 151 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा, 152 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 135/136 रुपये प्रति क्विंटल में कल्याण सोना मिल रहा है। आप गुजरात में चले जायें 300 रुपये प्रति क्विंटल, उससे आगे महाराष्ट्र में चले जायें 360 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं बिक रहा है और हमारे यहां गेहूं का भाव 152) रुपये प्रति क्विंटल में खरीद रहे हैं। हमारे राजस्थान के बोर्डर के उस तरफ चले जाइये तो वहां का अनाज महंगा है. हमारे यहां का अनाज सस्ता है। हरियाणा और पंजाब स्टेट ने तो लाने ले जाने की छूट दे रखी है, लेकिन यू. पी. के जरिये हरियाणा वाले यहां खरीद कर दूसरे राज्यों मे ले जाकर बेचकर फायदा उठाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि अनाज तैयार हो चुका है गेहूं पक चुका है उसको पैसे की आवश्यकता है, वह बाजार में ला रहा है और सरकार कहती है कि हम विचार करेंगे। यह विचार का प्रश्न नहीं है। सरकार को मालूम नहीं है कि किस तरह कि फसल होगी, किस तरह से नहीं होगी और किसान का गेहूं बाजार में कब तक आयेगा। यह सारी परिस्थितियां सरकार को मालूम हैं। मैं आपको बताऊं पिछले बार चने की निकासी पर रोक लगी थी और उसके बाद फिर इन्होंने निकासी आरम्भ कर दी। कुछ लोगों को लाइसेंस दे दिये परमिट दे दिये और इन्होंने दूसरे राज्यों मे जाकर बेच दिये। यही की यही स्थिति गेहूं के बारे में करेंगे ....

श्री घासीराम यादव : कौन-सा दे दिया ?

(व्यवधान)

श्री बंशीलाल पटवा : पिछली बार दे दिया माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं अगर निकासी आरम्भ नहीं की गई तो यह सारा का सारा अनाज गोदामों में चला जायेगा, उसके बाद जब अनाज महंगा होगा तब यह निकासी में छूट देंगे। मैं यह बताऊं कि किसान का शोषण होगा और उसको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। आज किसान को इतनी महंगी चीजें मिल रही हैं, किसान की जरूरत की चीजें महंगी मिल रही हैं, किसान को दीगर चीजें महंगी दी जाती हैं और फिर किसान को उत्पादन का पूरा पैसा नहीं मिले तो मैं समझता हूं कि यह किसान के साथ ज्यादती है। किसान किन परिस्थितियों में अनाज पैदा करता है, आज वह प्रकृति के भरोसे में रहता है आज प्रकृति नाराज हो जाती है तो किसान को नुकसान हो जाता है क्या सरकार ने कभी फसली बीमा लागू करने की कोशिश की, नहीं की। सरकार किसानों के हितों की बात करती है, लेकिन किसान का हित नहीं करती। माननीय सभापति महोदय, मैं स्पष्ट तौर से सरकार को चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इस प्रकार का रवैया रहा और किसान को उत्पादन का पैसा पूरा नहीं मिला तो किसान आन्दोलन करेगा, किसान चुप नहीं रहेगा। मैं आपको बताऊं उसको पैसा पूरा मिलना चाहिए, रबी की फसल

Page No. 211

(211)

(श्री बंशीलाल पटवा)

तैयार हो चुकी है, बाजार में आ रही है सरकार घोषणा करे। मंत्रीमण्डल की बैठक में निर्णय लिया जायेगा, यह नहीं चलेगा। आप मंत्री किस काम के हैं। एक स्पष्ट नीति घोषित करनी पड़ेगी। जैसे बाजरे के मामले में आपने खरीद फरोख्त के मामले में नीति का पालन नहीं किया, केवल घोषणायें करते रहे और बाजरा बाजार में आ गया बाद में वह खरीदा गया, इस तरह की नीति चलाओगे तो नहीं चलेगी। किसान आन्दोलन करेगा। किसान का सारा बाजरा सस्ते में खरीद लिया गया उसी तरह से गेहूं सस्ता खरीद लिया जाये और फिर आप निकासी करेंगे, यह बात नहीं चलेगी। काश्तकार के पास अनाज ज्यादा है जो निकासी की छूट देनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं कि निकासी पर रोक लगाये रखो। तो मैं, आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि स्पष्ट रूप से घोषणा करे, निकासी को आरम्भ करे ताकि दूसरे राज्यों में जो गेहूं महंगा बिक रहा है हमारे किसान को भी वाजिब दाम मिलें, वह शोषण से बच सके और आमदनी पूरी मिले और वह जो उत्पादन करता है उसका पूरा भाव मिले।

श्री सभापति : माननीय श्री हंसराज शर्मा।

श्री देवी लाल : सभापति महोदय, किसानों की बात है। मैं खुद एक किसान हूं, मुझे समय दें।

श्री सभापति : आपको समय देंगे।

श्री हंसराज शर्मा : (सवाईमाधोपुर) किसानों के बारे में बात चल रही है। मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। सरकार की नीति क्या है, यह तो वही जाने। मैं तो इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं स्वयं एक काश्तकार होने के नाते, मैं कृषि मंत्रीजी से और अन्य अधिकारियों से यह जानना चाहूंगा, जब काश्तकार अपनी फसल बोता है मैं उदाहरण के रूप में एक निवेदन करना चाहूंगा कि एक बीघा में काश्तकार गेहूं तैयार करता है, उस एक बीघा में 100 रुपये का बीज डालता है; 115 रुपये के भाव से यूरिया डालता है दो कट्टे, 200-225 रुपये यह हो गये। एक सल्फेट फास्फेट का कट्टा डालता है जिसका 45 रु. होता है उसके बाद यह खर्चा करने पर गेहूं ज्यादा से ज्यादा पैदा होता है ऐवरेज 15 मन। 15 मन 6 क्विंटल 6 सवाये साढ़े सात। साढ़े सात सौ रुपये काश्तकार को मिलेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतना खर्च करने के बाद उसकी पांच दफे जुताई करेगा। एक बीघा में काश्तकार को एक बीघा की जुताई पर काश्तकार को कम से कम एक बीघे की जुताई पर 20 रुपये का खर्चा आता है। बीस पंजे सौ यानि 100 रुपये उसकी जुताई का खर्चा आ गया। जब वह सोइंग करेगा तो कम से कम 25 रुपये सोइंग का खर्चा आ जाता है। उसके बाद में उस काश्तकार को एक बीघा पर पिलाई के लिए कितना खर्च आता है आप चाहे बिजली से ले लें डीजल महंगा। आप डीजल से लेलें, चाहे नहर से ले लें, किसी भी प्रकार से ले लें, एक बीघा पर काश्तकार को सारी मजदूरी सहित 100 रुपये की पिलाई पड़ जाती है। उसी प्रकार से

(श्री हँसराज शर्मा)

काश्तकार को जो कटाई का खर्चा होता है, ट्रैक्टर का खर्चा होता है ट्रैक्टर से नहीं करता है तो व्यक्तिगत अपने परिवार के लोगों से उसको तैयार कराता है। सरकार को लगान देता है। उस सारी प्रक्रिया को जब हम देखते हैं तो परिणाम क्या रहता है 125 रुपये के भाव पर आपने जो गेहूं की रेट तय कर रखी है, काश्तकार जो गेहूं तैयार करता है उसको साढ़े सात सौ मिलते हैं और उसका टोटल खर्चा आता है 725 रूपये के करीबन। आखिर आप करना क्या चाहते हो इन सारे आंकड़ों के आधार पर मैं काश्तकार होने के नाते बता सकता हूं कभी-कभी उसको गेहूं को बेचने की स्थिति जब आती है, कभी बीमारी लग जाती है, कभी रोली लग जाती है, कभी जाड़ा मार जाता है। कभी ओला पड़ जाता है, इन विपदाओं से बचने के बाद बहुत मुश्किल से काश्तकार के कुछ पल्ले पड़ता है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो पाबन्दी लगाई है यह गलत है। काश्तकार को पूरा पैसा मिलना चाहिए और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, आज काश्तकार के ऊपर आप कहते हो कि हमने व्यापारियों पर पाबन्दी लगा रखी है वह ज्यादा माल नहीं रखेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि व्यापारी को चोर बाजार से घुसने का बहुत अच्छा तरीका है। वह व्यापारी काश्तकार का नाम लेता है उसके घर पर माल रख लेता है, काश्तकार के नाम से रख लेता है। जब अधिकारी पकड़ते हैं तो कहता है कि अमुक काश्तकार का अपना माल हैं जो मेरे यहां किराये पर रखा हुआ है। क्योंकि काश्तकार को तो बेचना पड़ेगा। बैसाख का महिना आया, हमारे यहां के छोटे-मोटे सभी समाज के लोग सामूहिक रूप से जिस तरह से आखा तीज पर शादी करते हैं, आखा तीज का त्योहार आया उसमें शादी ब्याह होगा। कोई काश्तकार होता नहीं है जो गेहूं को रख सके, उसको मजबूरन बेचना पड़ेगा। अपने बाल-बच्चियों की शादी-ब्याह के लिए बेचना पड़ेगा उधर सहकारी समितियों के माध्यम से आप काश्तकार की खाल उतार रहे हो। उनको पैसा देना पड़ेगा। आपने जो खाद दी है, उसका पैसा देना पड़ेगा, इन सारी परिस्थितियों में संघर्ष करने के लिये मजबूर हो उसको अपना गेहूं बेचना पड़ेगा। आपने यदि पाबंदी लगा दी तो 125 रुपये में काश्तकार को गेहूं बेचना पड़ेगा। तो इस तरह से वह कर्जे से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि सरकार इन बातों को मद्दे नजर रखते हुए, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए, आप लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं उदाहरण के रूप में बताऊं कि जिस समय मार्केट में तारामीरा नहीं था का भाव था, तारामीरा का 240 आज वह मार्केट में तारामीरा आ गया 450 का हो गया। राजस्थान के काश्तकारों ने इसी आधार पर तारामीरा बोयी कि उसको कुछ लाभ होगा, हम कर्जा चुका सकेंगे अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए साधन जुटायेंगे। दुर्भाग्य है किसान का, ज्योंहि फसल आई उसकी पचास प्रतिशत की कीमत रह गई। वही स्थिति गेहूं की है। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि काश्तकार की हालत को मद्दे नजर रखते हुए आपने जो बेन लगाया है उसको हटाया जाए। गेहूं की जो

(श्री हंसराज शर्मा)

उचित कीमत है वह काश्तकार को दिलाई जाये ताकि वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर सके।

श्री सभापति : माननीय श्री हीरालाल आर्य।

श्री हीरालाल आर्य : (पीपल्दा) माननीय सभापति महोदय, राजस्थान कृषि प्रधान प्रान्त है, और यहां के किसानों की प्रमुख फसल गेहूं है और खास तौर से हमारे कोटा जिले का किसान तो गेहूं और चना ही पैदा करता है। माननीय सभापति महोदय, किसान किन परिस्थितियों में अपनी फसल पैदा करता है आज किसानों को मिलने वाला जो खाद है वह बहुत महंगा हो गया है, उसको जो मिलने वाला बीज है वह बहुत महंगा हो गया है, कीटनाशक दवाइयां बड़ी महंगी हो गयी हैं और मजदूरी सारे दिन किसान अपने खेत पर काम करता रहता है और इस बार जो कोटा जिले के साथ अन्याय किया है यह सिंचाई विभाग ने किया है। सिंचाई ठीक नहीं पहुंचने से, पर्याप्त पानी नहीं पहुंचने से, फसलें बड़ी कमजोर हुई हैं और फिर ऊपर से शीतलहर का प्रकोप। शीतलहर के साथ ही साथ कई प्रकार के रोग आदि फसलों में होते हैं। इन कठिन परिस्थितियों में किसान अपनी फसल पैदा करता है माननीय सभापति महोदय। लेकिन अपनी सारी मेहनत लगाने के बाद अपने सारे परिवार को उस धंधे में लगाने के बाद भी किसान को जब अपनी फसल की पूरी कीमत नहीं मिलती है और वह बाजार में जब लुटता रहता है तो उसकी आत्मा बड़ी दर्द करती है माननीय सभापति महोदय। अभी गेहूं कट रहा है और बाजार में आना शुरू हो गया है और किसान आप जानते हैं, सभापति महोदय, किसान बड़ा कमजोर है। वह साल भर जो भी खर्चा करता है वह केवल उस फसल के भरोसे करता है। वह यह चाहता है कि फसल जब आयेगी उसको बेचेगा और जो कुछ उसने कर्जा लिया है वह चुकायेगा। दूसरी तरफ बीज लेने के लिये ऋण लिया है सहकारी समिति से उसका कर्जा चुकायेगा। ज्योंहि फसल आती है किसान बाजार में अपना गेहूं ले जाता है लेकिन आज व्यापारी मिलकर उन किसानों का शोषण कर रहे हैं। उनको लूट रहे हैं और कारण क्या है कि किसान को मजबूरी में अपना जो गेहूं है, वह बेचना पड़ रहा है। लेकिन पाबन्दी होने की वजह से, सीमाबन्दी होने की वजह से, निकासी पर रोक लगाने की वजह से किसान बाहर तो ले जा नहीं सकता जब कि बाहर उसकी अच्छी कीमत है। क्योंकि उसको दूसरे का पैसा चुकाना है मजबूरी में अपनी फसल है, गेहूं है, वह बेचना पड़ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा इस सरकार के खिलाफ एक आरोप है कि यह व्यापारियों से, बड़े बड़े पूंजीपतियों से मिलकर किसानों के खिलाफ षड्यंत्र करती है और जब किसानों के पास गेहूं होता है तो किसान मजबूरी में अपने गेहूं को बेचना चाहता है उस समय गेहूं की कीमत कम होती है। उस समय सीमा पर पाबन्दी होगी ताकि किसान अपने गेहूं को बाहर नहीं भेज सकता। इस तरह से किसान लुटता रहता है बाजार में। अभी किसान बाजार

(श्री हीरालाल आर्य)

में, लुट रहा है, किसान मण्डी में लुट रहा है। कारण षड़यंत्र है व्यापारियों का सरकार से मिलकर। इस तरह षड़यंत्र करने में व्यापारी सफल हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जो सीमाओं पर पाबन्दी है उसको रद्द करें, उसको समाप्त करें।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार की नीति रही है कि हमेशा पूंजीपतियों और बड़े व्यापारियों के हाथ में कठपुतली बनकर किसानों के साथ अन्याय करती है। पिछली बार भी जो बाजरे की फसल थी उसको ठीक समय पर खरीदा नही गया। किसान लुटता रहा पिछली साल चने का आरक्षित मूल्य था उसके आधार पर आपने खरीद की नहीं। किसान लुटता रहा और जब वह फसल छोटे छोटे किसान बेचते होते हैं व्यापारियो के पास सारा माल इकट्ठा हो जाता है तो सरकार निकासी करेगी। फलस्वरूप फायदा किसानों को नहीं मिलकर व्यापारियों को मिलेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि यह सरकार बार बार किसानों की दुहाई देती है उनका वास्तविक भला चाहती है तो निकासी पर से रोक हटाये। जो उसने फसल पर मेहनत की है और जितना खर्चा किया है उसकी वास्तविक कीमत मिले। इसके लिए आवश्यक है कि उसको फसल की वाजिब कीमत मिलनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी चाहूंगा कि यदि समय रहते सरकार ने किसानों की जो कि 80 प्रतिशत इस प्रान्त का नागरिक है उसकी वाजिब बातों पर ध्यान नहीं दिया तो किसान धीरे धीरे समझ रहा है सरकार की सारी चालों को, और वह जाग रहा है। यदि समय रहते सरकार ने किसान की वास्तविक आत्मा को नहीं पहचाना तो किसान बहुत बड़ा आन्दोलन करेगा और उस आन्दोलन के सामने सरकार को × × × इसलिए मेरा पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि किसानों की वास्तविक मांग को स्वीकार किया जाकर उसकी जो फसल है उसकी वाजिब कीमत चुकाने की सरकार व्यवस्था करे।

श्री सभापति : माननीय श्री नन्दलाल मीणा।

श्री देवीलाल (शाहपुरा) : इजाजत दो साहब मुझे।

श्री रामसिंह विश्नोई : सब एक तरफ से ही बुलाते हैं।

श्री सभापति : पहले जिन माननीय सदस्यों ने इस पर अपने नाम दे रखे हैं ....

(व्यवधान)

आर्डर, आर्डर

श्री देवीलाल : बीच बीच में भी बुलाया करो....

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर।

× × × अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

एक माननीय सदस्य : जिनका नाम है उनको तो अवसर मिलना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री सभापति : अवसर सब को देंगे।.... आर्डर प्लीज। जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा अथवा दूसरे तरीके से आसन के पास जो नाम आये हैं वह तो बोलेंगे ही, इसके अलावा और भी माननीय सदस्य जो इन्ट्रेस्ट रखते हैं इस डिबेट में उनको भी अवसर दिया जायेगा। माननीय श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल : माननीय सभापति जी, मैं खुद खेती करने वाला हूं और काश्तकारों की बड़ी भारी समस्यायें हैं और उनका सारा जनजीवन खेती पर ही निर्भर है। काश्तकार की न तो कोई दुकान चल रही है और न उसके पास दूसरा धंधा है और 6 महीने लगातार वह काम करता है और दूसरे आदमी 8 घंटे काम करते हैं और जो काश्तकार खेती करने वाले हैं वह दिन भर मेहनत करते हैं। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि उसको दिनभर की मजदूरी करने के बाद भी कम से कम 12 घंटे वह हमेशा काम करता है खेती के अन्दर और कोई कोई दिन तो ऐसा आता है कि जब 16 घंटे काम करना पड़ता है खेती में और सभापति महोदय, फसल 6 महीने में पकती है और फिर ऊपर से भगवान की तरफ से प्रकृति का कोप हो जाता है जैसे शीतलहर, ओला पड़ जाता है और फिर एक पानी नहीं मिले तो भी वह फसल जल जाती है। उसका भी किसान को न तो मुआवजा मिलता है और न सरकार की तरफ से मदद मिलती है, न पिलाई में छूट होती है। उसकी खाद के, बीज के, पिलाई के, पानी के सब के पैसे देने पड़ते हैं और 6 महीने में फसल पकती है और फसल निकलती है और वह बाजार में बेचने जाता है तो वह धूल के भाव बिकती है। मेरा निवेदन है कि यदि इस सब के अलावा हमारी मजदूरी और जोड़ें तो फसल में कुछ नहीं मिलता है। इतनी मजदूरी हो जाती है और फिर भी उसको आधे भाव में लें और 150 रुपये क्विन्टल गेहूं लेते हैं। आपको पता है खाद का $1\frac{1}{2}$ बट्टा दें तो 300 रुपये की तो खाद ही हो जाती है। पिलाई, मजदूरी, ऊराई बुवाई यह सब मिलकर बहुत खर्चा हो जाता है और मुश्किल से गेहूं बेचने के बाद उनके पास 7-8 मन गेहूं अपने खर्च के लिए बचता है। और कभी तो मन दो मन गेहूं ही बचता है। उसमें चाहे वह कपड़ा पहने, चाहे ब्याह शादी करे या मकान बनाये। यह सब खेती के ऊपर वह निर्भर करता है। उनको उनकी फसल का पूरा पैसा नहीं मिलता है और निवेदन यह है कि खेती के बारे में किसानों की जितनी भी समस्या है तो यह मान लें कि काश्तकारों की समस्या से महात्मा गांधी भी इस देश के अन्दर जो कि 'जय जवान जय किसान यह उनका नारा था आज किसानों की कोई वेल्यु नहीं है, कोई उनकी बात सुनी नहीं जाती है। आज बाजार के अन्दर चाहे चांदी लें तो मिलावट। उसमें तांबा मिला देते हैं और बाजार में तेल लाओ तो मिलावट बाजार से घी लाओ, तो मिलावट और हमारी फसल को छानकर साफ कर के बाजार में ले जाओ तो उसमें फिर यह छलना लगाते हैं छोटा मोटा दाना एक तरफ फेंक देते हैं और साफ करके लेते हैं

(श्री देवीलाल)

और फिर भी हमारा पूरा पैसा नहीं देते हैं। इसलिये मेरा यह निवेदन....

(7.20 रात्रि)

(श्री सूर्यकुमार, सभापति, पदासीन)

कि कम से कम गेहूं का भाव 250 रुपये क्विंटल होना चाहिये तभी हमको यह पोसा सकता है। सभापति महोदय, यह हमारे काश्तकारों की बात है, इसको मान लो। काश्तकारों का न तो राज है, न राम है, खेती के वक्त में कोई नहीं। इसलिये आप इस पर पूरा ध्यान दें और हमारी फसल का पूरा पैसा दिलायें। आज जीरे का भाव 800, 900 रुपये है. यह कोई जीरे का भाव है ? इस भाव से हमारा जीरा ले रहे हैं। चने के अन्दर, सरसों के अन्दर आधी फसल रह गई आधी फसल हमारी टीडी से नष्ट हो गई और जो आधी फसल बची है उसके तो पैसे पूरे दिलाओ। यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री रार्मासह विश्नोई।

श्री रार्मासह विश्नोई (लूणी) : सभापति महोदय, राजस्थान में गेहूं की निकासी जो बन्द की गई है उसके पीछे राज्य सरकार की भावना अगर यह होती कि राज्य के अन्दर जो गरीब मजदूर आदमी हैं उनको गेहूं सस्ता मिलेगा और हमारे किसानों की माली हालत सुधरेगी यह सोच करके अगर हमारी सरकार ने अगर गेहूं कि निकासी बन्द की है तो मैं सरकार का और हमारे जो मंत्री महोदय हैं. जिनके हस्ताक्षर से यह आदेश हुए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन, सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने मजबूरी में यह आदेश किये हैं क्योंकि मंत्री जी को मालूम है, हमारे राजस्थान के जो मंत्री हैं, आज उनको राजस्थान के किसानों की पीड़ा मालूम है। जो लाल गेहूं होता है उसके अन्दर किसानों का खून मिला होता है, उसको पैदा करने में जो मेहनत करनी पड़ती है उसका अन्दाज वह किसान ही लगा सकता है। वह यहां सचिवालय में बैठे हुए अधिकारी लोग जिन्होंने किसान के साथ इस तरह की जो घिनौनी हरकत की है, जो यह खेल किया है, उसका आगे आने वाले समय में क्या परिणाम होगा, यह उन्होंने अन्दाजा नहीं लगाया इसका। सभापति महोदय, यह राजस्थान, यह अगर पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात होता तो यह अलग बात थी वहां कभी अकाल नहीं पड़ते, वहां पंजाब और हरियाणा के अन्दर किसानों को सरकार जो जान से सहयोग करती है वह अगर स्थिति होती तो कोई बात भी थी। यहां पर राजस्थान के अन्दर पिछले चार पांच साल से भयंकर अकाल की स्थिति है। हमारी सरकार को, हमारी पार्टी के लोगों को, यहां की जनता को और भारत सरकार को मालूम है। चार पांच साल तक लगातार किसी राज्य के अन्दर अकाल पड़ता रहे और अकाल की वजह से किसान की कमर, किसान की आर्थिक स्थिति इतनी डांवाडोल हो जाने के बाद फिर जो कुछ पैदा हो उस पैदावार का सही मूल्य उसको नहीं मिले इससे बड़ी ज्यादती किसान के साथ हो नहीं सकती। लेकिन बडे शर्म की बात है, सभापति महोदय, यह हमारे सचिवालय

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

के अन्दर जो बड़े-बड़े अधिकारी लोग हावी बैठे रहते हैं, इन लोगों ने हमारे गरीबों के प्रति जो सहानुभूति प्रकट की है, वास्तव में उनके प्रति सहानुभूति नहीं है वे व्यापारियों के साथ मिलकर चाहते हैं। उनके साथ सांठ गांठ करके लाखों करोड़ों रुपया अपनी जेब में रखकर, के उनका एक ही उद्देश्य है, किसानों की चीज सस्ते मूल्य में खरीदी जाये और राजस्थान के अन्दर गेहूं रहने की बात नहीं है यह लाख कोशिश कर लें, पूरी मिलिट्री लगा दें तो भी गेहूं इनके बाप से रुकने वाला नहीं है। यह बाहर जाने का है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान के अन्दर यहां पर किसान की स्थिति को देखते हुए यह फैसला करना चाहिये था। यह गेहूं आज कोई रुकते नहीं, गेहूं बराबर हमारी चुंगी चौकियों से हमारी सेल्स टैक्स की चौकियों से, हमारी सीमाओं से उसी तरह जाता है जैसे पहले जाता था। फर्क केवल इतना ही है कि पहले हमारे किसानों को 250, 300 रुपये बेचारे को अपनी कमाई के आ जाते थे, अब उनको 150 रुपये क्विंटल में देना पड़ता है और व्यापारी उसका 250, 300 रुपये कमा लेता है। महाराष्ट्र में भेज कर, गुजरात में भेजकर और वहां पर चोरियां करते हैं व अधिकारी लोग और वहां से सीधा लाखों रुपये डाइरेक्ट यहां पैसा इनके पास पहुंच जाता है, यह जो बड़ी घिनौनी हरकत है, यहां बैठे बैठे, बिना सोचे समझे, गरीबों की जो बात करके, जो ये बात करते हैं वास्तव में केवल वह गरीब आदमी गेहूं खरीदता कितना है, सभापति महोदय आपको मालूम है गरीब आदमी की क्षमता कितनी है कि वह 12 महीने का गेहूं खरीद सके। अगर 12 महीने का गेहूं खरीदने की क्षमता राजस्थान के मजदूर में होती तो मेरे ख्याल से निकासी बन्द करने का प्रश्न कहां पैदा होता है। उसकी क्षमता है नहीं। आज उसकी शक्ति नहीं है कि वह एक महीने भर का भी गेहूं खरीद ले यह स्थिति है आज हमारे यहां के गरीब आदमी की मजदूर की, और जो मालदार है उनको तो चाहे आप 500 रुपये क्विंटल से बेचो, चाहे 1000 रुपये क्विंटल से बेचो, वह गेहूं खाते ही नहीं हैं। वह तो सूप पीते हैं, अच्छे से अच्छा खाना खाते हैं। मेरे ख्याल से एक फलका भी नहीं खा सकते। गेहूं इतना भारी होता है उनको पचता ही नहीं है, यह तो गरीब आदमी का भोजन है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह सारी बात हमारे मंत्री कोई समझते नहीं हों, या माननीय सदस्य कोई समझते नहीं हों, तो मुझे कोई समझाने की जरूरत हो कि हमारा देश गरीब है, अकाल पड़ता है, किसान गरीबों में जन्मा है, यह सब जानते हैं। उसके बावजूद इस तरह की घिनौनी हरकत और फिर हमारी लोकप्रिय सरकार, हमारी पार्टी के कर्णधार जो हैं, उनके माध्यम से किसानों का शोषण करने का नया तरीका निकाला है मेरे ख्याल से इनकी जलन यही है कि किसान अपने पैरों पर खड़ा होना कैसे सीख गया। यह किस तरह से यह बिगोड़ी भी पहले भर नहीं सकता था, आपको मालूम है, सभापति महोदय, आप भी गांवों से संबंध रखते हैं, आप किसानों के हितैषी हैं। पहले माथे पर पड़कर के उनकी स्थिति बिगड़ी उनकी स्थिति बिगोड़ी भरने की नहीं थी, उन किसानों के साथ इस तरह की ज्यादती करनी कतई उपयुक्त नहीं है। इसलिये सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि हमारे जो किसान हैं जिस उद्देश्य से आपने यह

(श्री रामसिंह विश्नोई)

निकासी बन्द की है, आप उसको खोलें और आप इन लोगों के चक्कर में नहीं आवें। आगे आने वाला समय ऐसा समय है जिसमें अपनी परीक्षा होने वाली है और परीक्षा के अन्दर यह आपकी अक्ल को नहीं निकाल दें। यह हमारे साथी जो कह रहे हैं, हालांकि इनका उद्देश्य कुछ और हो सकता है, लेकिन आपको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। यह समय कतई उपयुक्त नहीं है और न किसान के साथ इस तरह की जो बात आप कह रहे हैं, आज ही आप घोषणा करें कि राजस्थान के अन्दर हम निकासी को बन्द करते हैं। पूरा हिन्दुस्तान हमारा देश है, भारतवर्ष के अन्दर यहां से पाबन्दी कर दें वहां से खोल दें, इस तरह की जो बात करते हैं यह बात ठीक नहीं है। मैं तो आपको यहां तक कहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर जो पहले गेहूं आता था पी. एल 480, या कौनसा गेहूं आते थे जब जाकर हिन्दुस्तान आत्मनिर्भर हुआ और इस स्थिति में पहुंचा है कि आज हिन्दुस्तान से भेजने की स्थिति में है। हमारे देश के अन्दर किसानों की माली हालत तभी सुधरेगी जब किसान को अपने पैरों पर खड़ा होने का आप मौका देंगे। और मौका तभी मिलेगा, सभापति महोदय, जब उसको बढ़े हुए पैसे मिलेंगे तभी जाकर किसान का उत्पादन बढ़ेगा और जब उत्पादन बढ़ेगा तब ही जाकर सस्ता अनाज मिलेगा। किसान का शोषण करके और उसकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ करके आप चाहते हो कि हम गेहूं सस्ता कर दें आप हर्गिज नहीं कर सकते। आपको पहले दूसरे देशों से गेहूं मंगाना पड़ेगा, तो आपकी हालत ज्यादा खराब हो जावेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर आप किसान को एक बार भी मौका देते हैं, दो-तीन बार मौका देते हैं तो मैं आपको ठीक कहता हूं देश के अन्दर आज राजस्थान जो 1 लाख टन गेहूं भारत सरकार को देते हैं वह 4-5 लाख टन दे सकते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि मौजूदा परिस्थितियों में जब किसान चार पांच साल से अकाल में से गुजरा हुआ है, किसान की माली हालत ठीक नहीं है, यहां पर खाद और बीज के भाव इतने बढ़े हुए हैं और सब मिलाकर जो उपज होती है उस उपज पर जो खर्चा होता उससे उसकी आमदनी कम होती है, ऐसी स्थिति में गेहूं की निकासी पर रोक लगाना बाहर न भेजना कतई उचित नहीं है। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मंत्री महोदय आप स्पष्ट ही कर दें और आप बीच में ही खड़े होकर कह दें ताकि हम बोलना ही बन्द कर दें। मेरे ख्याल से आप इतने ज्ञानी आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, आप बीच में खड़े होकर कह दें कि यह बात वास्तव में टेम्परेरी हमने की थी। इससे बहुत बड़ा लास हो सकता है और सारा माहौल भी बिगड़ सकता है, किसान की माली हालत खराब होती है। 750) के हिसाब से रायला जिसे सरसों कहते हैं वह आज 400) रु. का हो गया, गेहूं का भाव 250) का था वह आज 150 हो गया, जीरे के 1200) के भाव थे आज 700) हो गये। आज किसान की स्थिति खराब है। कल किसान के घर भी, 6 महिने बाद उसके घर कोई बड़ा काम होगा, शादी होगी और उसके बीसों तरह के खर्चे हैं। ऋण की अदायगी उसको करनी है। ऐसी स्थिति में आपने किसान का शोषण करने का जो उद्देश्य बनाया है, मेरे ख्याल

(श्री रामसिंह बिश्नोई)

से अधिकारियों की चुंगल से निकल कर स्वतंत्र विचार धारा से प्रेरित होकर किसान की भावना को मन में रखते हुए मुझे उम्मीद है आप किसानों को अच्छे मूल्य दिलाने का प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : सभापति महोदय, आपने अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आज प्रातः काल जब माननीय मंत्री महोदय बयान दे रहे थे तो बड़े असहाय प्रतीत हो रहे थे और उन्होंने एक बात कही कि मैं मंत्री मण्डल में ले जा करके प्रयास करूंगा कि आदेश निरस्त हो जाय...

(व्यवधान)

क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि खुद किसान के वोटों से जीत कर आते हैं और यदि वे यहां पर किसानों के हित में नहीं बोलेंगे तो वापिस क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं ....

(व्यवधान)

मालुम है, उनको। यहां तक कि इनकी घर वाली भी इनका स्वागत करने के लिये तैयार नहीं होगी ....

(व्यवधान)

श्री सभापति : मूल विषय पर आ जायं, माननीय सदस्य।

श्री नाथूसिंह : इसलिये सभापति महोदय, इनके चाहते हुए भी आदेश निरस्त नहीं हो रहे हैं। इसका एक कारण यह है कि ये असहाय से प्रतीत हो रहे हैं। पालिसी जो बनती है आखिर किसानों के विपरीत क्यों बनती है? सभापति महोदय, पालिसी बनाने वाले आज कौन हैं? किसान नहीं है। जिस क्लास का कनफ्लिक्ट है किसान के साथ इन्टरेस्ट के हिसाब से, तो जिनको किसान के इन्टरेस्ट के साथ टकराव होगा तो विपरीत इन्टरेस्ट वाले व्यक्ति किसानों की पालिसी बनाने वाले बैठे हुए हैं। जो एक्जीक्यूटिव वाले लोग है वे भी किसान के विपरीत क्लास वाले हैं। इन दोनों में से एक का नुकसान हो और दूसरे का लाभ हो तो लाभ कौन छोड़ना चाहेगा। आज स्थिति यह है कि पालिसी मेकर्स किसान के विरोधी है और पालिसी को एक्जीक्यूट करने वाले, किसान के विरोधी हैं।

माननीय माथुर साहब इस समय मुख्य मंत्री हैं। इनको मूंगफली के खेत में ले जा करके खड़ा कर दिया जाय तो, सभापति महोदय, चाहे आप परीक्षण कर लीजिये माननीय परसराम जी बैठे हैं, कभी ले जायं इनको साथ तो वे मूंगफली की फसल को देखकर कहेंगे मुंगफली पैदा ही नहीं हुई इस बार। उनको यह पता नहीं है कि मुंगफली अन्दर पैदा होती है। इतना तक ज्ञान नहीं है कि मुंगफली अन्दर पैदा होती है। ऐसा व्यक्ति जो शासन चलाता है और जो पालिसी मेकर है, मैं समझता हूं किस तरह उनकी किसान के हित में कलम चलेगी और जो ....

Page No. 220

(220)

श्री परसराम मदेरणा : आप मुंगफली के खेत में ले जाने की बात कह रहे हैं लेकिन यह जो एक्सपोर्ट बेन हुआ है यह आर्डर कब का है ?

एक माननीय सदस्य : 81 का है।

श्री परसराम मदेरणा : मई, 81 का है जब ये मुख्य मंत्री जी नहीं थे, उस वक्त का आर्डर है।

इसलिये इसके सेक्सन (3) में जो बताया गया है उस वक्त मुख्य मंत्री जी नहीं थे पालिसी पहले तय हुई है। इसी सन्दर्भ में आप क्या बात कहेंगे ?

श्री नाथूसिंह : मुझे मालूम है। आपके मुख्य मंत्री तो नोमीनेट होते हैं, इलेक्टेड तो होते नहीं हैं, इसलिये पालिसी दिल्ली की भी काम कर सकती है। पालिसी तो वहां से भी चलती है न ?

श्री परसराम मदेरणा : किसी हवा में आपको भी दिया था, थोड़े दिन के लिये, वापिस आये ? यहां तो लेजिसलेजर पार्टी से इलेक्टेड हैं, हाउस के नेता हैं, इनको कौन नोमीनट करता है यहां।

श्री नाथूसिंह : ऐसा है, यह तो ट्रेडीशन है आप लोगों के नोमीनेशन का। इलेक्शन का ट्रेडीशन तो समाप्त कर दिया सभापति महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो अधिकारी हैं उन अधिकारी में अधिकतर तो वे हैं जिनको प्रेक्टिकल अनुभव नहीं है और प्रेक्टिकल कुछ अनुभव भी है, मान लें जानकार हैं तो वे इन्टरेस्ट के हिसाब से किसान की क्लास के विपरीत हैं। इसलिये उनके क्लेश टकराते हैं और वे एक्जीक्यूशन के अन्दर, जहां पालिसी एक्जीक्यूट करनी पड़ती है, वे भी किसान के हिसाब से किसान की क्लास के विपरीत करने वाले ही होते हैं। मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं मैं कुछ तथ्य देकर बताना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, अभी माननीय परसराम जी कह रहे थे, कि पिछली बार जब ये मुख्य मंत्री जी नहीं थे इसलिए हुआ जब ये मुख्य मंत्री जी बन गये थे तो उसके बाद बाजरे का क्या हाल हुआ ? आप चाहते तो बाजरे की सपोर्ट प्राइस पहले तय करवा देते और खरीदवा सकते थे। गेहूं की सपोर्ट प्राइस देकर पहले ही खरीद की व्यवस्था कर सकते थे जब मुख्य मंत्री थ लेकिन मंत्री मण्डल में भी आज किसान हावी नहीं है, किसान लोग भी कमजोर हैं। इसलिये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे असहाय हैं और वे भीख मांगेंगे जब कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि निरस्त हो सके। इनको अभी भी अपनी ताकत का अनुभव नहीं है, ताकत का ज्ञान नहीं है। ये लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि एसा कर दें इसलिए दबी दबी जबान में बोलते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : बाजरे का एक्सपोर्ट तो खोल दिया था।

श्री नाथूसिंह : नहीं, खोल तो दिया था लेकिन कितना खरीदा आपने, यह बतायें। बहुत कम खरीदा है।

श्री परसराम मदेरणा : प्राइस जो तय होती है वह पूरे देश भर में सेंट्रल गवर्नमेंट

(श्री परसराम मदेरणा)

करती है, यहां कौन करता है ?

श्री नाथूसिंह : माननीय परसराम जी आपकी सेवा में निवेदन कर दूं, जो कमीशन बना हुआ है आप नाम गिन कर बता दीजिये कि कितने आई ए. एस आफिसर हैं जो किसानों के लिये बोलते हों उस कमीशन के अन्दर, एक व्यक्ति को छोड़कर, जो किसानों के लिये बोलता है ।

श्री परसराम मदेरणा : कौन सा कमीशन ?

श्री नाथूसिंह : मैं बता दूंगा, गुजरात से आमें हैं एक मेंम्बर, वही व्यक्ति है जो किसानों को सपोर्ट करता है ।

श्री परसराम मदेरणा : एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की बात कर रहे हैं क्या ? वहां रणधीर सिंह हैं न ?

श्री नाथूसिंह : यही तो निवेदन कर रहा हूं बेचारा एक व्यक्ति है, उसमें और मैं निवेदन करू कि चलती नहीं है उनकी । मैं आंकड़े देकर निवेदन करना चाहता हूं । आप क्या करेंगे ? इस बार माननीय मंत्री महोदय बता रहे थे गेहूं का टोटल उत्पादन 38 लाख होना, कुछ नुकसान हो गया तो 35 लाख टन पैदा हो जायगा । अब गेहूं का लागत मूल्य कितना है । मैं स्वयं गांव में गया हूं और हिसाब लगाया है । माननीय परसरामजी ध्यान से सुनें ....।

श्री परसराम मदेरणा : आप मुझे बार-बार सम्बोधन करके जो है ....।

श्री नाथूसिंह : आप दो नम्बर पर हैं और किसान होने के नाते एक नम्बर पर हैं ....।

श्री परसराम मदेरणा : मैं देखता सब कुछ हूं और सुनता भी सब कुछ हूं । आप तो बोलते जाइये जो इर्रेलेवेन्ट है उसको सुनूंगा नहीं और रिलेवेन्ट होगा उसको सुन लूंगा ।

श्री नाथू सिंह : हां, यह ठीक है ।

श्री सभापति : आसन को सम्बोधित कीजिये, कृपया ।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, मैंने हिसाब लगाया गेहूं का लागत मूल्य कितना है । उसमें हमने खाद, बीज, बिजली डीजल की कीमत इन सबको जोड़ करके 270) और 280) रुपया क्विन्टल की लागत आती है । एक क्विन्टल गेहूं पैदा करें तो 270) रु. 280) रु., आप किसी भी हिसाब से लगा लीजिये, इससे कम नहीं आता है । यह तो है गेहूं की लागत और गेहूं इस समय मण्डी में बिक रहा है 120, 125, 130, रुपये क्विन्टल और इन्होंने फैसला क्या किया, बहुत बड़ा तोहफा क्या दिया कि 152) रुपये कर दिया । मैं पूछ सकता हूं क्या इससे अधिक मजाक किसान के साथ और हो सकती है ?

आपने एक रुपया क्विटल बढ़ा दिया और आप लोग सरकार के अन्दर चुपचाप बैठे रहे । सरकार को यह नहीं पूछा कि किसानों को एक ही रुपया बढ़ाकर अंगूठा दिखा रहे हैं, आप लोग उस समय क्यों नहीं बोले जैसे आप लोग यहां बोल रहे हैं ।

(श्री नाथूसिंह)

आपको ठोस एकताबद्ध होकर उस समय आवाज उठानी चाहिए थी कि किसानों के साथ यह क्रूर मजाक है एक रुपया बढ़ाना। किसान को बच्चों की तरह बहका रहे हैं, लालीपाप दे रहे हैं। किसानों को एक रुपया बढ़ा दिया, 152) कर दिया....

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सदस्य, जब आप संसद में थे तब 172 की प्राइस थी और आप उसे 129) नहीं करवा सके।

श्री सभापति : कृपया शान्त रहें, माननीय सदस्य।

श्री तेजपाल यादव : आप तो अपनी सरकार को खुद किसान विरोधी सरकार कहते थे और आपकी चलती नहीं थी और यहां भाषण दे रहे हो आज।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उस समय 2,15 रुपये किलो चीनी की कीमत थी। उस वक्त सस्ताई थी।

श्री सुजानसिंह : तब ये किसान नहीं थे।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, जिस समय 127 का भाव था उस समय खाद की कीमत कम थी, डीजल की कम थी, ट्रेक्टर की कीमत कम थी और उस वक्त कृषि का मूल्य कम था आज....

श्री हरिसिंह (महुआ) : डीजल तो मुल्क में मिल ही नहीं रहा था।

श्री नाथूसिंह : वही मैं बता रहा हूं, बैठिये।

श्री त्रिलोक सिंह : सभापति महोदय, यह ऐसा मसला है जो किसी पार्टी का नहीं है, ग्राम किसान वर्ग का है और ग्राम किसान, जो हम यहां किसान के प्रतिनिधि हैं उन सब को इसके बारे में गौर करना है। इसलिए यह इधर कहना या उधर कहना सब बेकार की बात है। हमारे आदमी...

(व्यवधान)

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह तो इसलिए कह रहे हैं कि बोलें तो ढंग से बोलें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें। माननीय श्री नाथूसिंह।

श्री नाथूसिंह : मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यदि हम इसको छोड़कर हिसाब लगायें 125) से ऊपर के भाव की तो 90 करोड़ का नुकसान होगा। किसान को इस एक फसल में 90 करोड़ का नुकसान होगा, आप हिसाब लगा लीजिए। यह तो 125) रुपये और सपोर्ट प्राइस के डिफरेंस से हुआ और जो बहार बिक रहा है इस समय गेहूं उसका हिसाब लगायें तो करीब दो अरब का नुकसान किसान को होगा। एक तो इसमें नुकसान हो रहा है, दूसरे सभापति महोदय, बिजली की....

श्री परसराम मदेरणा : आधार क्या है। यह आप 90 और 200 करोड़ जो बताते हो यह रोज ही फीगर लाते हो लेकिन बात यह है कि जिस हाइपोथिक्स बेसिक पर केलकूलेशन कर रहे हैं, कम्पोनेन्ट्स एण्ड एलीमेंट्स जिनको आप बता रहे हो, वह

(श्री परसराम मदेरणा)

सब लेकर जैसे इस परिणाम पर पहुंच गये, और ये फीगर आपने निकाली हैं यह पूरा सदन आपके विद्वतापूर्ण भाषण से अनभिज्ञ रह रहा है, कि आप कैसे इस केलकूलेशन पर आ रहे हैं।

श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) आपने हिसाब कैसे लगाया है यह।

श्री नाथूसिंह : हां, वह मैं बता रहा हूं ऐसा है आप चाहेंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बता दूंगा।

श्री परसराम मदेरणा : हाऊस जानना चाहता है। मैं तो पहले ही कन्विन्स्ड हूं आपसे बहुत।

श्री नाथूसिंह : मैं हाऊस को बता दूंगा।

श्री सभापति : लेकिन माननीय सदस्य, समय का तो अभाव है, इसलिए संक्षेप में।

श्री नाथूसिंह : 35 लाख टन......

श्री सभापति : आप तो संक्षेप में मूल प्रश्न पर बात कीजिए, क्योंकि अनेक माननीय सदस्यों को अपनी बात कहनी है।

श्री नाथूसिंह : 90 करोड़ का तो यह घाटा हुआ और दूसरा बिजली का और हुआ सभापति महोदय, बिजली के मामले में इस पूरे टर्म के अन्दर इन्होंने जो टोटल कुओं को बिजली दे रखी है.......

श्री सुजानसिंह यादव : इससे क्या सम्बन्ध है?

श्री नाथूसिंह : यह सम्बन्ध है कि नुकसान किसान को हो रहा है। यह सम्बन्ध है।

श्री सभापति : कृपया व्यवधान न डालिये। समय बेकार जाता है।

श्री नाथूसिंह : सभापति महोदय, राजस्थान में 2,44,370 कुओं को इन्होंने बिजली दे रखी है और इस हिसाब से जो मोटर दे रखी हैं, मोटर लगी हुई हैं कुओं पर वह एक पूरी टर्म में करीब 3 बार खराब कम से कम होती हैं। मैंने एवरेज लगाया और इस मोटर को बनाने का अगर हिसाब लगाया जाय तो वह टोटल करीब 29 करोड़ 23 लाख 68 हजार रुपये बैठता है। एक एक कूऐं का हिसाब लगाइये। किसान को इसका घाटा हुआ तो वह घाटा लगाइये और यह घाटा लगाइये। इस तरह से बिजली में है और फिर खाद का मूल्य बढ़ गया, ट्रैक्टर का मूल्य बढ़ गया तो कुल मिलाकर इस तरह से किसान की आज हालत यह हो गयी कि हर तरह से किसान नुकसान में है। और वह नुकसान में है तो सरकार जैसा माननीय मन्त्री जी कह रहे थे कि ज्यादा पैदा हो जायं तो भी उसको बाहर मत जाने दो क्योंकि यहां पर शहर वालों को नुकसान होगा, यहां पर भाव बढ़ जायेंगे और कमी हो जायेगी, इसलिए लेवी दो सरकार को, जमा कराओ क्योंकि हमको बिलकुल यूनीफार्म प्राइस रखनी है। यह

(श्री नाथूसिंह)

स्थिति यहां आती है। अब ऐसी प्राइसेज के अन्दर इण्डस्ट्रीज को जो ट्रेड सपोर्ट के नाम पर पालिसी बनती है, मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं ट्रेड सपोर्ट के नाम पर इण्डस्ट्रीज में जो माल बनता है, उसको बेचने के लिए आपको मालूम होना चाहिए हर साल करीब 5000 करोड़ रुपये सबसिडी के रूप में देते हैं लेकिन आज तक किसानों को सबसिड़ी के रूप में मुआवजे के रूप में एक हजार करोड़ भी इस सरकार ने दिया ?

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, इसलिए ट्रेड के मामले में टर्म्स आफ ट्रेड हमेशा किसानों के विपरित रहे हैं। किसी भी वर्ष में चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, आप आंकड़े उठाकर के देख लीजिए, टर्म्स आफ ट्रेड हमेशा किसान के विपरित रही है और वह इसलिये रही है कि माननीय सदस्यों को टिकट का डर लगता है। चाहे वह कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसान से वोट लेकर आते हैं और किसान के खिलाफ बोलते हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ....

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य। कृपा करके, बहुत समय ले लिया आपने।

श्री नाथूसिंह : दो मिनट में समाप्त करता हूं।

इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से किसान को नुकसान होता है। अब यह जो इन्होंने रोक लगा रखी है इसका किसको फायदा हो रहा है ? माननीय सदस्य, अभी बता रहे थे बोर्डर पर जितने बिजनेसमैन हैं वह अधिकारियों से मिले हुए हैं वह वहां से गेहूं खरीदते हैं सस्ते भाव पर दूसरे प्रान्तों के अन्दर पहुंचा देते हैं, उसका मुनाफा कमा लेते हैं। इस पालिसी का लाभ भी कुछ व्यापारियों को हो रहा है इसलिए चलाकर अधिकारी कोशिश करेंगे, क्योंकि उसकी बांट अधिकारियों को भी मिलती है। इसलिए अधिकारी यह कोशिश करेंगे कि यह पालिसी चलती रहे। इसी तरह से इस समय खरीद नहीं रहे हैं और आपने निकासी की रोक और लगा दी। जब गेहूं पैदा हो रहा था उस समय आपको यह आइडिया हो जाना चाहिए था कि यह प्राब्लम आने वाली है। सभापति महोदय, अभी अभी 3-4 दिन पहले कृषि मन्त्री महोदय का बयान आया और उन्होंने किसानों से अपिल की है कि किसान मई के पहले मण्डी में अनाज नहीं ले जायें। यह केन्द्रीय कृषि मन्त्री का बयान है, मैं नहीं कह रहा हूं उन्होंने स्वीकार किया है इस बात को कि भाव बहुत गिर गये हैं, किसानों को नुकसान होगा इसलिए वह मण्डी में नहीं ले जायें। इस तरह का उन्होंने एक बयान दिया है। वह भी यह मान रहे हैं कि इस समय कीमत बहुत नीचे आ गयी, किसानों को नुकसान होगा और इसलिए उन्होंने एक अपील की। मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन अपील के बाद भी सरकार ने यह नहीं सोचा कि किसानों को सपोर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कृषि मन्त्री की अपील के बाद भी। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता

(श्री नाथूसिंह)

हूं कि इसी तरह से हरियाणा गवर्नमेंट में क्या हुआ ? सभापति महोदय, मैं सरकार के लिए सुझाव दे रहा हूं । यह सपोर्ट प्राइस के लिए जो गेहूं खरीदने की व्यवस्था है यह हरियाणा सरकार ने बहुत बढ़िया की और वहां के कृषि मन्त्री ने, सहकारिता मन्त्री ने घोषणा की कि मैं कोशिश करूंगा कि यहां पर गेहूं का भाव 160) रुपये क्विंटल सपोर्ट प्राइस हो जाय । इसके बावजूद उन्होंने 10-10 किलोमीटर के अन्तर पर खरीद के सेन्टर्स खोल रखे हैं ताकि किसान जाय और 10 किलोमीटर पर जाकर अनाज बेच दे । यह व्यवस्था उन्होंने पहले से कर रखी थी जिस समय गेहूं मार्केट में आना शुरू हुआ । तो क्या हम राजस्थान में ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकते ? क्योंकि किसान अनाज पैदा करता है अनाज वहां से लेकर मार्केट में ले जाते तक भी यातायात का कितना खर्चा होता है, राजस्थान के हिसाब से ले लीजिए, लगभग साढ़े सत्तरह करोड़ रुपये का इससे किसान पर भार पड़ता है ।

श्री सभापति : समाप्त करें । विराजिये कृपया बिराजें ।

श्री नाथूसिंह : एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं ।

श्री सभापति : कृपया सहयोग दीजिए । अनेक माननीय सदस्यों को अपनी बात कहनी है । आपने 15-16 मिनट ले लिये ।

श्री नाथूसिंह : मैं इसलिए निवेदन करता हूं कि जैसे पिछले दिनों इन्होंने घोषणा की कि गिरदावरी करायी जायेगी जैसे अभी पढ़ा था खेती में नुकसान हुआ था और 31 मार्च के पहले तक प्रथम रिपोर्ट प्रतिवेदन आ जायेगा और 30 अप्रैल तक दूसरा । सभापति महोदय, सरकार किसानों के मामले में कितनी ढीली है, आप स्थिति स्पष्ट करें, सरकार के लोग बैठे हुए हैं, आज तक कई जगह ऐसी हैं जहां गिरदावरी नहीं हुई है । मैं यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि किसान का कितना हित हो रहा है, कहां सोच रहे हैं, आप लोग किस बारे में सोच रहे हैं ? इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस सम्बन्ध में सारी परिस्थितियों को देखते हुए, विचार करते हुए, इस सपोर्ट प्राइस पर गेहूं खरीदने की व्यवस्था 10-10 किलोमीटर पर नहीं हो तो 15-15 किलोमीटर पर व्यवस्था कर दीजिए । सेन्टर्स खोलें, निकासी की रोक को हटायें और बिजली के खर्च जिससे मोटरें जलती हैं लो वोल्टेज के कारण, आप विचार करें नहीं तो इसके गम्भीर परिणाम आप लोगों को भुगतने पड़ेंगे ।

श्री सभापति : समाप्त करें । माननीय श्री हरिसिंह, कुम्हेर ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सभापति महोदय, मेरा नाम पहले था ।

श्री सुजानसिंह : दोनों को ही एक साथ बोल लेने दो ।

श्री सभापति : सभी के नाम यहां पर हैं । आसन पहले ही व्यवस्था दे चुका है कि

(श्री सभापति)

सभी को बोलने का अवसर मिलेगा। माननीय श्री हरिसिंह।

(7.50 रात्री)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मुझे तंग क्यों कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह कुम्हेर।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, गत खरीफ की फसल में बाजरे की खरीद नहीं करके सरकार ने भरतपुर जिले के लाखों किसानों के साथ अहित किया और जो रबी की फसल आ रही है, उससे भी उनको महरूम करने का षड़यंत्र चल रहा है। इसके सम्बन्ध में मंत्री महोदय का आज जो स्टेटमेंट हुआ उसको सुनकर मुझे हार्दिक पीड़ा हुई। मुझे भरोसा था इस बात का कि हमारे मंत्री महोदय न केवल खाद्य मंत्री हैं बल्कि वे किसानों के रहनुमा भी हैं लेकिन आज उनका स्टेटमेंट इस बात का द्योतक था कि स्टेटमेंट देते समय कम से कम उनके दिल में किसानों की पीड़ा के लिये, किसानों की वेदना के लिये कोई गुंजाइश नहीं थी। श्रीमन, पहले जो नुकसान हुआ है बाजरे की फसल का और उस को नहीं खरीदने से भरतपुर के किसानों को जो नुकसान हुआ है उस सम्बन्ध में मैं आप को निवेदन करना चाहता हूं। कितना उस का वॉल्यूम है, यह आंकड़े मेरे नहीं राजस्थान सरकार के हैं यह आंकड़े, श्रीमन बताते हैं कि भरतपुर जिले के अन्दर इस वर्ष 125 हजार हैक्टेयर जमीन के अन्दर बाजरा बोया गया था। आपके आंकड़े श्रीमन, बताते हैं यहां पर 112 हजार टन बाजरे की पैदावार हुई है। 112 हजार टन बाजरे की पैदावार भरतपुर जिले में कई सालों के बाद हुई थी। आप स्वयं जानते हैं, इतने सालों से अकाल यहां पर चल रहा था उसके बाद पहली बार उस जिले के अन्दर और राजस्थान के अन्दर बाजरा पैदा हुआ हुआ। यह केन्द्रीय सरकार की घोषित नीति है कि सरकार किसानों को मरने नहीं देगी, सरकार से किसान को वाजिब कीमत मिलेगी। वाजिब कीमत किसानों को सरकार दिलाएगी, यह इस सरकार की, देश के प्रधानमंत्री की घोषित नीति है। इस घोषित नीति से कोई चाहे कर्मचारी हो या अन्य आदमी हो, वह महरूम करता है तो देशद्रोही है, किसानों का द्रोही है, मैं कहना चाहता हूं।

हुआ क्या, श्रीमन ? कितनी खरीद हुई बाजरे कि भरतपुर जिले के अन्दर, यह भी आपके आंकड़े हैं, भरतपुर के आंकड़े भी मेरे पास हैं और राजस्थान के आंकड़े भी मेरे पास हैं, भरतपुर जिले में पैदावार हुई, श्रीमन्, 112 हजार टन बाजरे की, और खरीदा गया 300 क्विंटल। कितना बढ़िया इन्तजाम था आपका। किसानों के लिये इन्दिरा गांधी की इस नीति का किस प्रकार मजाक बनाया गया है यहां पर राजस्थान में, उन कर्मचारियों ने आपकी घोषित नीति को ××× ठुकरा दिया और आप देखते

××× अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री हरिसिंह)

रहे, तमाशा देखते रहे, और आज जब इस किसान की पीड़ा को लेकर मैं सदन में आया हूं जो राजस्थान का सर्वोच्च सदन है, राजस्थान की यह सबसे बड़ी पंचायत है, उस पीड़ा को वेदना को, पुकार को लेकर आपके सामने आया हूं इस समय जो स्टेटमेंट दिया वहां बाई पासिक स्टेटमेंट आपने दे दिया किसानों के लिये, आपने कह दिया, कोई बीमारी हो गई बाजरे के अन्दर इसलिये खरीद नहीं हुई। क्या पूरे भरतपुर जिले के अन्दर बाजरे के अन्दर बीमारी पैदा हो गई? आप कहते हैं, पानी पड़ गया सांवला पड़ गया बाजरा और आपने उसको नहीं खरीदा, आपको जो बाजरे के अन्दर सांवलापन नजर आया, आपने उस बाजरे को देखा नहीं की उसमें किसान का वह पसीना है जो उसने छः महिने तक बहाया है इस बाजरे को पैदा करने के अन्दर, आपने देखा नहीं कि उस बाजरे में किसान की छः महिने की रोजी और रोटी लगी हुई है आपने उसमें यह देखा नहीं कि 120 रुपये क्विंटल के अन्दर भी उसको पूरी कीमत नहीं मिलती है उस को सरेआम 80 और 90 रुपये पर बेचने के लिये मजबूर किया, इसका कौन जिम्मेदार है, मंत्री महोदय ? आप बतायेंगे, इसका जवाब देंगे ?

मैं निवेदन कर रहा था, 125 हजार हैक्टेयर में बाजरा बोया, इसका मतलब क्या हुआ ? लाखों परिवारों को आपने उनकी जो 6 महीने की कमाई थी उससे महरूम किया है, कौन था वह कर्मचारी, कौन था वह आफिसर जिसने यह तय कर दिया कि पूरे भरतपुर जिले का बाजरा खरीदा नहीं जा सकता, मैं यह जानना चाहता हूं, आज पूरे भरतपुर जिले का किसान इस बात को जानना चाहता है, अगर उत्तरदायी सरकार है तो किसका उत्तरदायित्व है, कौन है राजस्थान के अन्दर ? पूरे राजस्थान के अन्दर आपने बाजरे की खरीद कितनी की है ? कुल योग 320 क्विंटल, पूरे बाजरे के आंकड़े मेरे पास हैं, राजस्थान के अन्दर कुल कितना बाजरा पैदा हुआ आपकी किताबों के अन्दर है, साढ़े चौबीस लाख टन, और खरीदते हैं 320 क्विंटल, क्यों मजाक उड़ाते हो उन नीतियों का, क्यों डस लेना चाहते हो इस किसान को राजस्थान के अन्दर आप ? आप क्या करते हो किसान के लिये, मैं आपसे जानना चाहता हूं ? जब किसान कि फसल पर पाला पड़ता है, जब किसान की फसल पर से होकर हवा निकलती है तब कब उनके सामने आते हैं आप ? क्या आप मदद करते हैं ? उस समय, उसकी मदद करने के लिये आपके बजट में प्रावधान नहीं है, जब हम किसान के लिये बिजली सस्ती दर पर देना चाहते हैं आपका बजट अलाउ नहीं करता और जब वह अपने पसीने से कमाकर फसल मंडी के अन्दर ले जाना चाहता है, बाजार के भाव से उसको अधिक कीमत मिलने का जिस समय मौका मिलता है उस समय आप उस पर पाबन्दी लगाते हैं इस बात के लिये कि फसल को बाहर लेजाकर नहीं बेच सकता है, राजस्थान में मजबूर करना चाहते हैं किसानों को कि यहीं बेचेगा और ये चाहेंगे उस कीमत पर बेचेगा वह । क्या आप इस षड़यंत्र के अंदर शामिल नहीं हैं कि जो पूंजीपति हैं वह लूटना चाहते हैं इस किसान की फसल को, क्या अधिकार है आपको ? आपने और चीजों पर पाबन्दी क्यों नहीं लगा रखी है ?

(श्री हरिसिंह)

आपने राजस्थान के अन्दर बाहर जाने वाली कितनी चीजों पर पाबन्दी लगा रखी है ? हमारी यह घोषित नीति है कि हम तो चुंगी को भी समाप्त करना चाहते हैं, हम तो माल को हिन्दुस्तान के अन्दर इधर-उधर ले जाना चाहते है. आप राजस्थान के अन्दर टुकड़े करना चाहते हैं। इसका मतलब यह हुआ हिन्दुस्तान में टुकड़े करना चाहते हैं आप। हिन्दुस्तान के किसानों को सेगमेंट के अन्दर मारना चाहते हैं आप, कौनसी ऐसी नीति है, कौनसा ऐसा सिद्धान्त है, कहां लिखा हुआ है संविधान के अन्दर, मुझे आप बताइये ? कौनसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है कि आप किसान को मजबूर करेंगे कि वह अपनी फसल एक ही मंडी में बेचे ? आज भरतपुर का किसान यदि आगे ले जाना चाहता है, पटना ले जाना चाहता हैं अपनी फसल को, आप उनको मजबूर करते हैं कि वह नहीं ले जाय। किस विधान में लिखा हुआ है, आपसे मैं पूछना चाहता हूं ?

बड़े साधारण तरीके से आपने बयान दे दिया कि वह तो फसल का रंग काला हो गया था कोई बीमारी हो गई होगी इस लिये खाने लायक नहीं हुआ होगा। अरगट लग गया उसके अन्दर। तो क्या आप सो रहे थे उस समय ? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहां चला गया था, किसानों के बाजरे को अरगट से बचाने के लिये क्या कार्यवाही कि आपने ? कितनी रिपोर्ट हुई आपके सामने और क्या किया उसके लिये, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आज भी इन्होंने कहा, आपके मंत्री महोदय ने कह दिया.......

श्री महाराम चौधरी : आपने कहा था फसल के अन्दर कोई बीमारी नहीं है।

श्री यदुनाथ सिंह : ये कह रहे थे इसमें बीमारी थी।

श्री हरिसिंह : ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, यह तो नहीं कहना चाहते कि इसलिये बाजरा नहीं खरीदा गया, बाजरे के अन्दर यह खराबी थी, खराबी कुछ नहीं थी, कहां गया वह, 80-90) रुपये के भाव में बिक गया, आपका कर्मचारी मिल गया उस व्यापारी से, मैं कहना चाहता हूं आप सोये रहे उस समय, जैसा मैंने निवेदन किया, आज इस सदन में जब चर्चा हो जायगी उसके बाद भी कुछ नहीं करेंगे तो राजस्थान का किसान यह कहेगा, मैं सदन की गरिमा के प्रति कुछ नहीं कहना चाहता, केवल इतना कहना चाहता हूं, किसान यह कहेंगे उस विधान सभा के अन्दर भी केवल बातों की गपागप होती है और कुछ नहीं होता। आज भी फैसला नहीं करेंगे, आज भी फैसला नहीं हुआ, आज भी किसानों को राहत नहीं दी तो डेमोक्रेसी पर से, प्रजातंत्र पर से विश्वास हट जायगा। मैं कहना चाहता हूं आपकी घोषित नीतियों पर से विश्वास हट जायेगा उसका, यह साधारण चीज नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम तो पाबन्दी हटा नहीं सकते, क्यों नहीं हटा सकते ? क्या बात है इसके लिये, कौनसा कानून आड़े आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष : दो शब्द गेहूं के बारे में भी कुछ।

श्री हरिसिंह : गेहूं के बारे में निवेदन कर रहा हूं, हुकुम, गेहूं पर जो पाबन्दी लगी हुई है वह आप हटा क्यों नहीं सकते ? गेहूं को जो बाहर ले जाना चाहते है इसको किसने रोक रखा है ? कौनसा विधान बीच में आड़े आ रहा है जिसमें आप यह नहीं कर सकते ? कौनसा कानून राजस्थान सरकार का बना हुआ है, विधान सभा का बनाया हुआ है हम आज लौटने को तैयार हैं, अगर इस सभा से कोई प्रस्ताव पास करना है, उसे हम करना चाहते हैं,

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : सदन की अनुमति से बैठक का समय आज की सूची के सम्पादन तक के लिये बढ़ाया जाता है ।

श्री रामसिंह बिश्नोई : निकासी खुलने तक बढ़ाया जाता है,

श्री त्रिलोक सिंह : निकासी खोलने तक बढ़ाया जाय ।

श्री परसराम मदेरणा : आज की सूची में अब एक ही आइटम रहा है और उसके लिये इतना बढ़ा दिया, भले ही रात के दो बजाओ ।

श्री रामसिंह बिश्नोई : नहीं निकासी खोलने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है,

श्री परसराम मदेरणा : अच्छा,

बाजरे की खरीद और इसका न्यूनतम क्रय मूल्य

श्री हरिसिंह : इसको आप मंत्री महोदय, इस तरीके से मत लीजिये, पहली फसल आपने खतम कर दी और आने वाली फसल को आप षड्यन्त्र करके खतम करना चाहते हैं, यह कानून की पेचीदगी में डाल कर करना चाहते हैं आप, यह सदन इस बात को बर्दाश्त हरगिज नहीं करेगा,

(8.00 रात्रि)

जितने भी माननीय सदस्य यहां पर आज हैं सब एक मत से सिर्फ एक बात आप से कहना चाहते हैं कि यह जो फसल है आप ने रोक रखी है बाहर जाने के लिये उस पर आप पाबन्दी हटाइये आप अगर नहीं हटायेंगे तो आप यह मान कर चलिये कि राजस्थान का किसान खड़ा होगा अपने पैरों के ऊपर यह जो जुल्म आप करना चाहते हैं उसके ऊपर, यह जुल्म हरगिज बरदाश्त नहीं कर पायेगा । और हम भी अपने दिल से कहना चाहते हैं कि इसमें अगर इस सरकार का कोई आदेश है तो हम उसकी धज्जियां उड़ायेंगे । क्या चाहते हैं आप, किसान को ब्लैक मेल करना चाहते हैं क्या चाहते हैं आप किसान को गुनाहगार करना चाहते हैं क्या चाहते हैं आप किसान अगर गाड़ी लेकर अपना अनाज लेकर जा रहा है तो पुलिस के हथकण्डों में डालना चाहते हैं उस पर कोई मुकदमा बनवाना चाहते हैं आप, अगर शांति व्यवस्था को कायम करना चाहते हैं राजस्थान के अन्दर उसमें आप अशांति फैलाना चाहते हैं, बड़े अहम मुद्दे हैं मंत्री महोदय, इनको आप

(श्री हरिसिंह)

इस तरह न लीजिये, और मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि इसकी सीरियसनैस को समझते हुए, गेहूं के ऊपर जो पाबन्दी लगा रखी है आपने उसको अविलंब समाप्त करें। अगर समाप्त नहीं किया तो इसके बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह मैं आपको आगाह करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुआ)। अवसर दे दूंगा माननीय सदस्य।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बाहर गेहूं के निकासी के प्रश्न को लेकर के आज पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यगण बहुत सेंसेटिव हैं, और उनकी उद्विग्नता को देखते हुए उनके आन्दोलित मन को देखते हुए, आपने इस विषय पर चर्चा का पर्याप्त अवसर प्रदान किया। निश्चित रूप से किसानों के पक्षधर जितने भी माननीय सदस्यगण हैं और राजस्थान के किसान अगर आपके इस पक्ष के लिये अगर सरकार कुछ फेवरेबल घोषणा करती है तो निश्चित रूप से सदन के और आपके आभारी रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को निवेदन करना चाह रहा हूं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिये हुए हैं, भारत का हर नागरिक वो जहां चाहे विदिन इंडियन टेरीटरी बस सकता है, अपना धन्धा कर सकता है, जो चाहे जिस ढंग का ट्रेड कर सकता है, यह और जितने भी हिन्दुस्तान के नागरिक और जो डिफरेंट, डिफरेंट वर्गों के हैं उन सब के लिये छूट है, राजस्थान का एक उद्योगपति जाकर केरल में उद्योग स्थापित करे, आसाम में करे या बंगाल में, यह तो छूट है। लेकिन राजस्थान का एक किसान अगर अपने उत्पादन को राजस्थान से बाहर भेजे तो सरकार की पाबन्दी है तो क्या यह मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है ? यह राजस्थान के किसान के मौलिक अधिकारों का हनन है और राजस्थान के किसानों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिये यहां पर किसानों के जो प्रतिनिधि हैं उनका यह प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि सरकार किसी प्रकार भी अगर इस प्रकार के नियम वह बनाये जो कि मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल हों, विपरीत हों और मौलिक अधिकारों का हनन करते हों तो यह सदन का सेंसेटिव होना बहुत ही लाजिमी है, आवश्यक है और सरकार को इस बात के लिये मजबूर करें कि मौलिक अधिकारों के हनन करने वाले नियमों को यह सदन किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मौलिक अधिकारों के संबंध में मैं निवेदन कर रहा था इसके साथ ही संविधान में नीति के निर्देशक तत्व दिये गये हैं और संविधान में नीति के निर्देशक तत्वों में स्पष्ट रूप से गवर्नमेंट को यह निर्देशन किया गया है कांस्टीट्यूशन द्वारा कि समाज का ऐसा वर्ग जो डाउन ट्रोडन क्लास से संबंधित है उनके अपलिफ्टमेंट के लिये सरकार विशेष रूप से पाबन्द रहेगी, उनके विकास के लिये, उनकी तरक्की के लिये, उनकी उन्नति के लिये प्रयास करेगी। लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा हो रहा है। और उल्टा यह हो रहा है कि हम उस प्रान्त में रह रहे हैं जहां अधिकांश अकाल पड़ता है। पिछले चार साल से अकाल तो राम ने तो किसानों को मारा ही और आज जब राम

(श्री हरिसिंह)

की मेहरबानी हुई तो राज मारने को उतारू हो गया और मार दोनों की ही कड़ी है। राम की भी मार कड़ी है और राज की भी कड़ी है। राम की मार के सामने तो अध्यक्ष महोदय, किसी की बिसात नहीं चलती लेकिन राज अगर मारेगा तो राज से लड़ने की क्षमता इस सदन के माननीय सदस्यों को भी है और राजस्थान के तीन करोड़ किसानों को भी है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन करने जा रहा हूं कि राजस्थान के तीन करोड़ किसानों के मौलिक अधिकारों का प्रश्न है जब पंजाब से आने वाला एक किसान राजस्थान में जमीन ले सकता है और पंजाब का किसान मध्यप्रदेश में जमीन अवाप्त कर सकता है तो जमीन में पैदा होने वाली वस्तु को राजस्थान से बाहर नहीं भेज सकता यह कौनसा नियम है। अगर इस प्रकार के कोई नियम हैं तो

Those rules are ultravirous to the provisions of the Constitution and ultravirous to the provisions of the fundamental right and it cannot be tolerated.

इसलिए अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरकार ने जो गेहूं की निकासी के ऊपर पाबन्दी लगा रखी है वह हरियाणे की सरकार की तरह है, निश्चित रूप से उसको स्क्रेप कर देना चाहिये ताकि यहां के किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। पहली चीज तो सरकार को मैं यह नहीं कह रहा कि सरकार ने 152 रुपये की जो प्राइस फिक्स की है वह बहुत कम है। किसान वे चीजें उत्पादन कर रहा है जिसका मानव जीवन से संबंध है और मानव जीवन से संबंधित जो चीज उसका उपभोग करने वाले समाज के दूसरे वर्ग के लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा गरीब भी हैं। तो मैं यह तो वकालत नहीं कर रहा कि किसान के गेहूं का मूल्य एकदम 250-300 रुपये क्विंटल कर दिया जाय लेकिन जो कुछ भी प्राइसेज हैं क्या सरकार उस प्राइस पर ....

श्री अध्यक्ष : 250 तो हो जाते हैं जब किसान के पास से निकल जाता है, वे 250 हो जायेंगे बाद में।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, जो निर्धारित प्राइस है, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि निर्धारित प्राइस के ऊपर ही सरकार गेहूं परचेज करे। इस निर्धारित प्राइस के ऊपर ही गेहूं का परचेज कर ले सरकार, यही काफी होगा। लेकिन आज राजस्थान के किसान का सरकार से विश्वास उठ गया है क्योंकि सरकार ने घोषणा की थी कि बाजरे की सपोर्ट प्राइस पर 120) रु. प्रति क्विं. पर बाजरा खरीदेगी और अभी जो माननीय सदस्य, मेरे जो पूर्व वक्ता हैं, कुम्हेर से आने वाले माननीय सदस्य ने आपको आंकड़े देकर के बताया है कि 320) क्विं. सिर्फ बाजरा राजस्थान में परचेज किया गया तो फिर कैसे विश्वास कर लिया जाय सरकार के उस स्टेटमेंट पर कि बाजरा सपोर्ट प्राइस पर परचेज कर लिया जायेगा और कैसे विश्वास कर लिया जाये राजस्थान की जनता, राजस्थान का 3 करोड़ किसान कैसे विश्वास कर ले कि वही सर-

(श्री हरिसिंह)

कार 152 रुपये की सपोर्ट प्राइस पर किसान का गेहूं खरीदेगी और अध्यक्ष महोदय, अगर यह सपोर्ट प्राइस से गेहूं खरीदने का निर्णय सरकार ने लिया और 15 दिन लेट हो गये तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करने जा रहा हूं कि इस वक्त शादी-व्याह के साहवे चल रहे हैं, अब तीज के साहवे पर दवाब पड़ रहा है और मजबूरी में किसान को अपना गेहूं 120)-125) और 130 रुपये क्विंटल के भाव से बेचना पड़ रहा है पिछले चार साल से उनके कोआपरेटिव के लोन, भूमि विकास बैंक के लोन जो लोन सरकार ने सस्पेण्ड कर रखे थे उनको अब सख्ती के साथ वसूल किया जा रहा है। आज गांव गांव गाड़ियां दौड़ रही हैं और किसान का दरवाजा खटखटा रही हैं और मजबूरी में किसान इन्हीं नीचे गिरी हुई कीमत पर अपना गेहूं बेच रहा है। यह उसके साथ ज्यादती हो रही है। इसलिये मैं ज्यादा समय इस सदन का नहीं ले करके माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में राजस्थान के खाद्य मंत्री जो स्वयं एक किसान हैं, वह अन्दर से, अन्तरात्मा से इस पीड़ा को पहचान रहे हैं। लेकिन मैं नहीं जानता वह किस प्रकार से सरकारी अधिकारियों के सर्किल में घिरे हुए हैं और उनको सर्किल को तोड़ने में कोई मुश्किल बात पड़ रही है और निश्चित रूप से सदन में केबिनेट के दूसरे जो हमारे सीनियर सदस्य बैठे हुए हैं वे हमेशा किसानों की बहुत पुरजोर शब्दों में बकालत करते रहे हैं, मैं दोनों से अनुरोध करूंगा और आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसान का यह जो कंट्रोल लगाया हुआ है कि राजस्थान के बाहर गेहूं नहीं जायेगा, इसको तुरन्त हटा दिया जाय और कल से ही, विदिन ट्वन्टी फोर आवर, गवर्नमेंट को निर्णय लेना चाहिये कि किसान के लिए जगह जगह पर परचेज डिपो खोल, दिये जायेंगे और 152 रुपये की सपोर्ट प्राइस पर जितना किसान गेहूं देना चाहेगा उतना सरकार खरीदेगी। बल्कि मेरा अनुरोध यह भी है कि जैसे ही किसानों को गल्ला आ जाय मंडी में उस पर पहली बोली सरकार की होनी चाहिये कि मिनिमम प्राइस है 152 और इसके आगे बोली लगाने वाला कोई है तो व्यापारी आये। 152) रुपये की हर ढेरी की बोली सरकार की होनी चाहिये और अगर इतना नहीं होता तो फिर किसान का गेहूं व्यापारी हाथ में ले लेकर, परख परख कर कहता है कि यह फार्मी नहीं है, यह 308 रद्दी है, यह कल्याण सोना रद्दी है, यह गेहूं सही नहीं है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान को न्याय मिलने वाला तो है नहीं। सरकार को आगे बढ़ करके पहली बोली निर्धारित करनी चाहिये कि मिनिमम बोली जो है सरकार की 152) रु. की और इससे आगे बढ़ने वाला कोई है तो बढ़े और किसान का गेहूं खरीदे। इसलिये मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में यह जो रोक लगी हुई है इसको तुरन्त हटा दिया जाय अगर किसी प्रकार के नियम बने हुए हैं तो वे संविधान के प्रावधानों के विपरीत हैं उनको भी तुरन्त हटा दिया जाय। मैं यही कह करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

Page No. 233

(237)

श्री अध्यक्ष : मैं समय दे दूंगा। सभी माननीय सदस्यों को लेकिन थोड़ा सा....

श्री अध्यक्ष : अवसर दे दूंगा सभी माननीय सदस्यों को, लेकिन थोड़ा सा भाषण में समय सीमा रखें। मैं दे दूंगा।

श्री सुजान सिंह यादव : मेरे को टाइम दे दीजिये, हमारी मीटिंग हो रही है सी. एम. के यहां।

श्री अध्यक्ष : आपको दे दूंगा, उसके पश्चात् श्री त्रिलोकसिंह, श्री रघुबीरसिंह।

श्री रघुबीर सिंह कौशल : पहले मेरा है।

श्री अध्यक्ष : नहीं पहले सुजानसिंह जी उनके बाद में श्री त्रिलोक सिंह जी फिर आप। मैं सब को अवसर दे दूंगा शांत रहें।

श्री सुजान सिंह यादव : मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रकरण पर इस सदन में वाद विवाद हो रहा है, मुझे किसान के नाते रोना आता है जिस इलाके से मैं आता हूं। मेरे खरीफ की फसल की कितनी जबर्दस्त पैदावार हुई थी, बाजरे की और मेरे यहां मेन फसल बाजरे की होती है। वहां पर फसल का, बाजरे का इतना निरादर हुआ, इतनी बेइज्जती हुई, किसान को अपने बाजरे को 60 और 70 रुपये के भाव बेचना पड़ा। इससे आज मेरे इलाके के किसानों की हालत इतनी खराब है कि मुझे आज इस सदन में रोना आता है। दूसरा, मेरे इलाके के किसानों के बारे में वहां के स्थानीय पुलिस ने, वहां के अधिकारियों ने जितने जुल्म किए, मैं कह नहीं सकता। जब किसान की खरफ की फसल कट गयी, बाजरा गया, बाजरा बिक चुका उस वक्त किसान को अपनी खेती तैयार करने के लिए, रबी की फसल के लिए उस वक्त किसान के साथ कितना अन्याय हुआ। उसकी फसल पहले बोई बोने के बाद उसको बीज सही नहीं मिला गेहूं का। मैं बराबर आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं किसान हूं और किसान भी छोटा नहीं, बड़ा किसान हूं। हम जब भी गेहूं का बीज लाये, सही बात कहने में मुझे कोई डर नहीं लगता हम जब भी गेहूं का बीज लाये हैं, हम केवल हिसार से बीज लाते हैं और इसलिए लाते हैं कि उस बीज में हमारा विश्वास है, उस बीज में हमारे साथ आज तक कोई धोखा नहीं हुआ। हमारी सरकार हमको सही बीज नहीं देती हमको समय पर बिजली नहीं देती। मगर मैं बिजली की तारीफ करूंगा इस साल हमारे यहाँ बिजली की बहुतायत रही है बिजली खूब मिली है, बिजली की कोई शिकायत नहीं रही। बिजली मिली, किसान ने खेत तैयार किया, उसमें बीज बोया और बीज बोने के बाद कोई भी यहां के माननीय सदस्य, माननीय सदस्य उस माह के महीने में, जनवरी के महीने में अपने मकान से बाहर निकल नहीं सकते उस टाइम में किसान अपने खेत में पानी देता रहे। कई किसानों के साथ हर साल व्याधि पैदा होती है; किसान को बुखार आ जाता है, किसान के साथ और बीमारी लग जाती है, किसान खतम हो जाता है उसको सुनने वाला कोई नहीं है। फसल बोने के बाद, फसल तैयार होने को आई उस वक्त मेरे

(श्री सुजान सिंह यादव)

इलाके में ओले पड़े। ओलों ने फसल को बरबाद किया, उसके बाद जाड़े ने, पाले ने बरबाद किया, उसके बाद हवा ने बर्बाद कर दिया। मेरे इलाके का किसान त्राहि त्राहि माफ करता है। आज किसान जब फसल ले जाता है मण्डियों में, मेरा इलाका हरियाणा से लगता हुआ है और तीन मण्डियां लगती हैं। वहां के स्थानीय पुलिस ने अन्याय किया है कि किसान अपने बीज के पैसे देने लिए, तेल के पैसे देने लिए, खाद के देने के लिए, बिजली के पैसे देने के लिए, उसके पास पैसे नहीं होने की वजह 10-15 क्विन्टल यदि मण्डी में अनाज ले जाता है तो वहां की स्थानीय पुलिस यह कहती कि आप एक बोरी डाल जाइए तब मण्डी में जाने देंगे। किसान के साथ कितना जघन्य अपराध है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसान जब भी मण्डी में जाता है तो वे पुलिस वाले परेशान करते हैं, इतना भ्रष्टाचार है, जब वो 10 बोरी गेहूं ले जाता है तो पुलिस वहां की कहती कि एक बोरी तो हमारे लिए डाल जाइए इतना अन्याय किसानों के साथ और किसान के पास घर में अनाज नहीं। आज 29 साल से किसान की दुहाई देते आ रहे हैं। आज किसान के पैरों में जूते नहीं, किसान के शरीर पर कपड़ा नहीं, किसान की बाजार में इज्जत नहीं है। आज हम इस विधान सभा में जो राजस्थान की सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें हम रिप्रजेन्टेशन कर रहे हैं। हम किसानों के बच्चे हैं यदि हम किसान की वकालत यहां नहीं करेंगे तो वह किसान मेरे इलाके का गांव में घुसने नहीं देगा। आज हम स्वाभिमान से यह कहने के लिए तैयार हैं कि हम किसान का रिप्रजेन्टेशन करते हैं और किसानों की बात यहां कहने के लिए आये हैं। इसलिए माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा हालांकि उन्होंने भी किसान के घर जन्म लिया है, मगर इनकी विचार धारा किसानों की नहीं है। आज उनके स्टेटमेन्ट से हमको जाहिर हो गया कि ये किसान नहीं है, आज के जमाने में, आज के टाइम में किसान नहीं है। यदि किसानों का दर्द होता तो पहले ये घोषणा करते मुझे भी इस बात की पीड़ा है। मैं आपको इस बात की दाद देता हूं, आप स्वयं किसान है और किसानों की पीड़ा सुनते हैं, इसलिए आज इतना समय बढ़ा-बढ़ा कर हमको मौका दिया है। आप किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से जानते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। और मैं भी किसान हूं, इस किसान की पीड़ा में आप और हम सब शामिल हो रहे हैं। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह कर आज जो किसानों के साथ कुठाराघात हो रहा है, किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है। किसान का धंधा तो कोरे आसमान के नीचे होता है, किसान आसमान के नीचे बैठता है उसका पूरा बिजनेस आसमान के नीचे होता है। आज किसान के दुश्मन राज्य सरकार के कर्मचारी। पुलिस उसकी दुश्मन है, व्यापारी उसके दुश्मन हैं। आज किसान का जो अनाज इकट्ठा होकर जाता है वह व्यापारी सस्ते भाव में खरीद लेता है और उसी अनाज को व्यापारी दुगुने, तीगुने भाव से बेचता है। मैं एक बार, सरकार से यह व्यवस्था चाहूंगा .... ..

श्री अध्यक्ष : आज भाव आधे हो गये सब चीजों के।

श्री सुजानसिंह यादव : मैं आपसे, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, यदि किसान को हमारी सरकार बचाना चाहती है तो किसान का अनाज मण्डियों में जावे तब कोई ऐसी व्यवस्था करें या वेयर हाउसिंग कारपोरेशन से यह निवेदन करें राज्य सरकार यह आर्डर दे कि उनके अनाज को रख कर उनके एवज में पैसे दे दिये जायें तो किसान अपने ऊंचे भाव से अनाज बेच सकता है। एक तो यह व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि 152) रु. क्विंटल के हिसाब से किसान अनाज नहीं देगा, उसको पड़ता नहीं खाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी रेट बढ़ायी जाये। भारत सरकार को सेन्ट्रल गवर्नमेंट को, राजस्थान गवर्नमेन्ट लिखे कि 150 के बजाय कम से कम 200) रुपये क्विंटल तो राज्य सरकार कराये।

इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह कर। मुझे आपने टाइम दिया, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो गेहूं पर निकसी आपने बन्द कर रखी है, मैं आपसे पुरजोर निवेदन करना चाहूंगा कि इस निकासी को तत्काल, कल से खोल दिया जाय। यदि इसमें कोई देरी हुई तो किसान की खरीफ की फसल व्यापारी लूट लेगा। तमाम गेहूं जो आज बाजार में जा रहा है, वह व्यापारी लोग खरीद लेंगे और किसान लुटता रहेगा। इससे ज्यादा टाइम न लेकर मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने मुझे टाइम दिया। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : त्रिलोकसिंह।

श्री त्रिलोकसिंह (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा सवाल है, आज सुबह से आया है इस सदन में। देश का, प्रदेश का किसान आज बेजार है, आज बेचैन है, क्योंकि जब फसल हमारे खेतों में आयी तो, हमने इस सदन में हमारी महान पंचायत में हमने यह सवाल रखा था कि 4-5 साल तक अकाल होने के बाद किसान के खेत में फसल आयी है और हमें आज शंका है कि यह व्यवस्था, आज की व्यवस्था किसान को लूटेगी। हमने बाजारों में देखा था कि किसान के खिलाफ लोग, XXX लोग साजिश कर रहे थे तो हमने कहा था कि इन XXX से बचाने के लिए सरकार ऐलान करे कि किसान को मेहनत की पूरी कीमत मिलेगी। पर नहीं, हमने देखा मरता हुआ। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह हिन्दुस्तान है अगर और कोई मुल्क होता तो किसान बगावत कर देता और वर्ग दुश्मनों को मिट्टी में मिला देता। आज आज, आज 36 साल की आजादी के बाद जिस वर्ग की इज्जत होनी चाहिए थी, जो अन्नदाता है, उसको क्या कहते हैं। अरे ये बाजार के लोग लूटने वाले उनको आज गवार कहते हैं और वो डंडीमार महाजन कहलाता है। ऐसी व्यवस्था ऐसा कानून का हम हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान जो दुनिया को रोटी देता है, रोटी ही नहीं देता है मैं जानता हूं कि जब देश पर मुसिबत आती है तो किसान का बेटा सीमा पर खून देता है और खून देकर इन निठल्लों की हिफाजत करता है उनको बचाता है।

XXX शब्द अभिव्यक्ति माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री तेजपाल यादव : आपके पीछे किसान की बोली बोलने वाले तो एक ही नहीं हैं।

श्री महाराम चौधरी : बीच में मत बोलो। नहीं तो लिंक टूट जायेगा।

श्री त्रिलोक सिंह : मेरी बात सुनिये आज हालत क्या है किसान जो अनाज पैदा करता है. वह जब बाजार में जाता है तो उसकी फसल की कीमत और कोई लगाता है और यूं लगाता जैसे कि कोई लावारिस बैठा है। इससे बड़े दुःख की बात, इससे बड़ी गुस्से की बात और कोई नहीं हो सकती कि जो किसान 10 महीने, 8 महीने सर्दी गर्मी में खेत में खड़ा होकर फसल की हिफाजत करके जब गाड़ी में भरकर बाजार में लाता है तो किसान को दूर हटा दिया जाता है और उसकी कीमत वह × × × तय करता है। खून चूसने वाले करते हैं। लोग कहते हैं कि डकैतों का वास चम्बल में है मैं कहना चाहता हूं कि डकैतों का वास यह बाजार है, × × × मैं आपसे कहना चाहता कि मैं न तो आप के हाथ जोड़ूंगा और न आपसे प्रार्थना करूंगा, मैं निवेदन नहीं करूंगा। मैं किसान का बेटा हूं, जिन्दगी भर लड़ा हूं, किसान के दुश्मनों से × × × मैं किसान की हिमायत करूंगा मैं किसान कि वकालत करूंगा, मैं किसान की मांग करूंगा हूं और सरकार को झक मारकर मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेगी तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, यह प्रदेश के तीन करोड़ किसान, ये किसानों के बेटे जो किसानों के वोट लेकर आये हैं × × × याद कर लिजिये वो बाजार जो दुनिया में बेहतरीन बाजार है, भरतपुर का, अलवर का, जयपुर का, सीकर, शेखावाटी, चुरू, नागौर और जोधपुर का बाजार जो दुनिया के सबसे बेहतरीन बाजार थे उसमें बाजरा धूल के भाव बिका चारे की कीमत, कड़बी की कीमत, तुड़े की कीमत 100 रु. प्रति क्विंटल और बाजरे की कीमत 60) रु. प्रति क्विंटल. इससे बड़ी डकैती और कोई हो नहीं सकती। इतना देश के किसानों के साथ मखौल है। आज तुड़े की कीमत आज हमारे दरख्त के पत्ते होते उसकी लूम होती है.........

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य। अन्य माननीय सदस्य भी बोलेंगे।

श्री त्रिलोक सिंह : हां, ठीक है। उसकी कीमत 80 रुपया प्रति क्विंटल और किसान की ईख की कीमत 13 रुपया प्रति क्विंटल। इससे बड़ी × × × बात क्या होगी। इसलिये हमें डर है कि आप ने जो पाबंदी लगायी है गेहूं की निकासी पर यह सरकार किसानों को मारना चाहती है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि यह इन लूटेरों की मदद करने के लिये व्यापारियों और जखीरेबाजों की मदद करने के लिये जो सरकार ने हिदायत निकाली है पाबंदी किसानों पर लगायी है उसको हटाया जाय और प्रदेश के किसानों को उसकी कठोर मेहनत खून पसीने की कमाई की पूरी कीमत दी जाय। अगर सरकार कीमत नहीं देगी तो हम इस सरकार के खिलाफ मोर्चा लगायेंगे और वह लोग जो किसानों को लूटते हैं, डंडी मारते हैं हम उनको फूंक देंगे, आग लगा देंगे

× × × शब्द अभिव्यक्त माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री त्रिलोक सिंह)

बाजारों में। सरकार को हम बार बार चेतावनी देना चाहते हैं कि राजस्थान का किसान........

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें माननीय सदस्य। काफी समय हो गया है।

श्री त्रिलोक सिंह : मांग करता है कि यह पांबदी किसानों पर से और न हटायी जाय और उनकी पैदावार की पूरी कीमत दिलायी जाय।

सरकार कहती है कि हमने गेहूं की कीमत 152) रुपये कर दी। बड़ी मेहरबानी कर दी, गेहूं की कीमत आज के बाजार की हालत को देखते हुए 300) रुपये होनी चाहिए........

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री त्रिलोक सिंह : एक मिनट में।

किसानों की मांग काम करती है, किसान की बहन काम करती है किसान का बेटा काम करता है, बुड्ढा काम करता है। वह डंडी मार अकेला बैठता है दुकान पर और घर में टेलीफोन लगाकर के। घर में फ्रीज लगाकर, निठठेले लोग अच्छी रोटी खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। आज किसान का घर देखिए, छप्पर नहीं है, कैसे कपड़े हैं कैसा रहन सहन है। इसलिये हम कहते हैं कि बहुत बर्दाश्त किया है, अब यह नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसी हालत में मैं दुबारा मांग करता हूं कि यह किसानों को बर्बाद करके लूटने वाले जो लोग हैं, काला कानून है उसको खत्म किया जाय और गेहूं की खुल्ली निकासी की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह कौशल संक्षेप में माननीय सदस्य, काफी समय हो गया है और काफी माननीय सदस्य और बोलना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज तो सभी माननीय सदस्य मन से बोल रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण बातें हो रही हैं।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (बारां) : 5 मिनट में।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जितने लगे हुए प्रदेश हैं, अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश के आसपास के जो प्रदेश हैं, हरियाणा पंजाब और गुजरात हैं उनमें किसान का एक बेटा यदि खेती कर रहा है तो दूसरा बेटा सैक्रेट्रियट में है या वह मंत्रीमन्डल में है और उस कारण किसानों की सुनवाई उन प्रदेशों में है। चाहे पंजाब को देखें, हरियाणा को देखें, गुजरात को देखें, आज वहां पर एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स पर टैक्स नहीं है। आज वहां पर बीज पर टैक्स नहीं है, किसानों को नाना प्रकार की सुविधायें मिलती हैं। यदि वहां का गेहूं भीग गया खलियान में तो सरकार बाध्य है कि उस गेहूं को सपोर्ट प्राइज पर लेगी। लेकिन आज राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि राजस्थान में जो लोग मन्त्री मन्डल में बैठे हैं, सैक्रेटेरियट में कोई किसान

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

(8. 27 रात्रि)

(श्री हरिसिंह, सभापति, पदासीन)

का कोई बेटा नहीं है। जो मन्त्रीमंडल में बैठे हैं उनमें भी किसानों के दुख दर्द की बातें करने वाले तो बहुत लोग हैं लेकिन किसान के दुख दर्द को समझने वाले कतिपय मन्त्री हैं। आज मन्त्री दौरे पर जाते हैं और एक किसान से पूछते हैं कि एक एकड़ में कितना पैदा होता है, गेहूं किसान बतायेगा कि इतना होता है तो सीधा 152 से जोड़ बाकि निकाल कर बतायेंगे कि देखिये 2000 रुपये डेढ़ हजार रुपये बीघा की इसकी इन्कम है, किसान खुशहाल है। उस का यह पता नहीं कि इसमें लागत कितनी लगी है और जब लागत निकाली जाती है तो पता लगता है कि किसान को खाने मात्र को गेहूं या ज्वार या बाजरा नहीं बचता है। कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालिए ईमानदारी से तो पता लगेगा कि किसान के उत्पादन की कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? राजस्थान सरकार से केन्द्रीय सरकार ने एग्रीकल्चर प्राइज कमीशन ने पूछा कि आप की गेहूं की कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बिना सारी बातों पर विचार किये जो कोस्ट आफ प्रोडक्शन जो आज से दो साल पहले निकाली हुई थी गेहूं की वह थी 140 रुपये प्रति क्विंटल और सरकार ने जो सिफारिश की सपोर्ट प्राइज के लिए वह थी 140 रुपये प्रति क्विंटल। यानि ठीक ढंग से कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन न निकालने के बाद भी समर्थन मूल्य के लिए राजस्थान स्टेट 140 रुपये प्रति क्विंटल की सपोर्ट प्राइज के लिए रिकमेंड कर रहा है। यह किस बात का द्योतक है, कि आज मन्त्री मंडल में जो लोग बैठे हुए है वे ये चाहते हैं कि किसान नो-प्रोफिट नो-लोस पर अपनी खेती करे। यह मानसिकता का द्योतक है हमारी सरकार का की वह किसान के बारे में किस दृष्टिकोण से सोचती है। आज महाराष्ट्र में चले जाइये, स्टेट में एग्रीकल्चर प्राइज बोर्ड बना हुआ है; सभापति महोदय।

जो इस बात को आंकता है कि किसान की कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रत्येक फसल की क्या है और उस हिसाब से वह एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन को रिकमेंड करते हैं किन्तु राजस्थान सरकार में केवल सरकार के अधिकारी ये बैठ करके तय करते हैं कि कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस हिसाब से निकाली जाय। आज यदि स्टेट में ऐग्रीकल्चर प्राइस बोर्ड हो तो उसे किसान की लागत के बारे में थोड़ा ज्ञान हो सकता है। आज एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन बना हुआ है, वह बहुत बड़ा फ्राड है। उसमें जितने भी, मैंने उनकी कई साल की रिपोर्ट्स देखी है। तो जो किसान प्रतिनिधि हैं उनके भाषण कुछ और और सरकारी कर्मचारियों के भाषण और और स्थिति यह है कि वह भी जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो आपकी सपोर्ट प्राइस तय करता है वह भी लगभग नो-प्रोफिट नो लोस पर तैयार करता है और वह हमारे ऊपर लादी जाती है। सभापति महोदय, वह सपोर्ट प्राइस तय होने के बाद भी हमारे मन्त्री जी सपोर्ट प्राइस में खरीदने को तैयार नहीं हैं। गत वर्ष चना 235 रुपये तय किया गया। बाजार में 180 और 190 बिका। राजस्थान की सारी मंडियां इस बात की

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

गवाह हैं कि चना 180 बिका और 190 बिका। बारबार कहने के बाद भी, इस विधान सभा में, मेरे ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखने के बाद भी सरकार ने राजस्थान में चना नहीं खरीदा और यदि चना खरीदा होगा तो ज्यादा से ज्यादा इन्होंने 5 सौ क्विंटल सारे राजस्थान में और 180 और 190 में चना बिका। वही हाल ज्वार का हुआ। वही हाल बाजरे का हुआ और अभी भी इन्होंने गेहूँ के बारे में ये कह रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं। आप गेहूँ नहीं खरीदने वाले हैं और यदि आप खरीदेंगे भी तो भी वह इसी आधार पर खरीदेंगे कि उस गेहूँ को रिजेक्ट किया जायगा किसान के गेहूँ को व्यापारी उस गेहूँ को खरीदेगा और रात में फूड कारपोरेशन को और वेयर हाऊसिंग कार्पोरेशन को तुलायगा। उसका फायदा भी किसान को नहीं मिलेगा। तो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन से प्राइस कम तय होनी है, और सपोर्ट प्राइस कम तय होने के बाद भी स्टेट गवर्नमेंट उसको खरीदती नहीं है इससे किसान को कितना नुकसान होगा। किसान के आज फर्टिलाइजर के भाव में क्या है? सन् 80 में फर्टिलाइजर का जो भाव था वह सन् 83 में दुगना हो गया। इस साल 5 रुपये कम कर दिया, थोड़ा सा। लेकिन दुगुना भाव जो सपोर्ट प्राइस में, इसमें फर्टिलाइजर में हो गया, जितनी मंहगाई बढ़ रही है किसान के इनपुट्स पर, उन इनपुट्स की मंहगाई को देखते हुए गेहूँ का भाव कितना मंहगा हुआ है। किसान का कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसको जो कीमत मिल रही है उन दोनों में कितना अंतर है। ये सारी बातें इस बात का द्योतक हैं कि किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है और, सभापति महोदय, जब किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा तो खेती में उसका उत्साह कम होगा और उत्साह कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा। इसका असर किस पर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा देश के उत्पादन पर जो असर पड़ेगा उसका नतीजा हो रहा है कि आज हम गेहूँ मंगा रहे हैं। वह गेहूँ चाहे हम 200 रुपये या 250 रुपये क्विंटल का मंगा रहे हैं विदेशों से, पर यहाँ के किसान को हम लाभकारी मूल्य देने की स्थिति में नहीं हैं और उसका असर उत्पादन पर पड़ रहा है सभापति महोदय, इस समय जो ट्रेंड किसानों का चला है, आज ये गेहूं का भाव जो कम हुआ है उसका असर ये पड़ रहा है। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं कि इस साल गेहूं का एरिया 50% रह गया और यदि यही स्थिति रही, ज्वार की बजाय लोग सोयाबीन पर आ रहे हैं, गेहूं की बजाय दूसरे फसलों पर आ रहे हैं और इन सबके ऊपर जो आज किसान के साथ ये भेदभाव किया जा रहा है, लाभकारी मूल्य नहीं दिया जा रहा इसका असर गेहूं, ज्वार, अन्न के उत्पादन पर पड़ेगा और उससे देश का क्या होगा। इसके जिम्मेदार वे लोग होंगे जो किसान को लाभकारी मूल्य नहीं दे रहे हैं। किसान के बारे में सोचने की फुर्सत किस को है? पिछले बार बजट में एक लाख रुपये किसान की फसल बीमा के लिये रखा गया। क्या हुआ इस एक लाख रुपये का। उस एक लाख रुपये का कोई उपयोग नहीं हुआ। अन्य प्रदेशों में किसान की फसल का बीमा चल रहा है, शुरू हो रहा है लेकिन राजस्थान में उस ओर भी ध्यान नहीं है की फसल बीमा के लिये कोई कार्यवाही की

Page No. 240

(240)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

जा रही हो। फसल को ठंड लग गयी; अफीम की खेती मारी गयी, किसान की सारी जो उसमें लागत है समाप्त हो गयी, खड़ा–खड़ा मुंह देख रहा है, कुछ नहीं कर सकते तो इस प्रकार से किसान के काम आने वाली प्रत्येक चीज महंगी किसान को उत्पादन का मूल्य कम और इसका असर जो किसान है वह हतोत्साह हो रहा है। वह हमारे किसान के जो किसान उत्पादन करता है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। सभापति महोदय मैं आपके........

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन परिस्थितियों पर विचार कीजिये। आप कुछ अपने दिमाग से भी इसके बारे में सोचिये किसानों के बारे में। आप यदि लाभ देंगे तो आपको कोई घाटा नहीं होगा। आपको कुछ पैसा लगाना पड़े तो किसानों के उत्पादन से वह कमी पूरी होगी। आपको टैक्स मिलेगा और कई प्रकार की इन्कम होंगे जिसके आधार पर आपको कोई घाटा नहीं होगा। लेकिन किसान को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। हर, बार हर सत्र में प्रश्न आता है, एग्रीकल्चर इम्पलीमेंट पर टैक्स। अन्य प्रदेशों में नहीं, यहां कम कीजिए। यहां चुंगी कम कीजिए। सीड पर चुंगी हिंदुस्तान में कहीं नहीं है केवल इस प्रदेश में है तो आप किसान को प्रोत्साहित करने के लिये आप कुछ तो ऐसा कीजिये कि जिससे किसान ऐसा महसूस करे कि मेरे बारे में सरकार कुछ विचार करती है। उसका उत्साह वर्धन हो। उसको लाभकारी मूल्य मिल सके और इसीलिये मैं आपसे यह निवेदन करते हुए कि यदि आपने किसानों के बारे में यह नहीं सोचा तो जो सारे देश में इस समय किसानों में एक ट्रेंड चल रहा है, पहले हमारे कम्युनिस्ट भाई भी कहते थे कि किसान आंदोलन नहीं कर सकता। किसान को फुर्सत नहीं मिलती है। पर किसानों ने इस बात को झुठला दिया है। चाहे महाराष्ट्र देखिये, पंजाब देखिये, कर्नाटक देखिये, किसान में भी संगठित होकर आंदोलन करने की प्रवृत्ति बढ़ी है और किसान अपनी एक नोन पॉलिटिकल ओर्गेनाईजेशन में शामिल होकर सरकार को मजबूर करने लगा है। महाराष्ट्र की सरकार को मजबूर होकर किसानों की मांगें माननी पड़ीं। लेकिन आज आप, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस विषय में क्या सोचती है। एक दो मन्त्री बैठे हैं। माननीय मदेरणाजी बैठे हैं। आप क्या कर सकते हैं ? किंकर्तव्य विमूढ़ होकर आप मंत्रिमण्डल में बैठे हैं। किसानों के फायदे की बात आप सोच सकते हैं लेकिन किसानों के पक्ष में आपने कोई एक निर्णय भी है जिसको आपने क्रियान्वित कराया हो ? आप नहीं करा सकते, क्योंकि आपको मंत्री बने रहना ज्यादा जरूरी है किसान के हित में सोचने के बजाय। इसी कारण आप बैठे बैठे सोच सकते हैं लेकिन आप कुछ नहीं करवा सकते। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसान को लाभकारी मूल्य मिले इसके लिये एग्रीकल्चर प्राइस बोर्ड बनाइये जो यह सोचे, जो इस बात को सोचे कि इसमें कास्ट आफ प्रोडक्शन कितना आता है किसानों का। किसान की

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

जो जमीन है आज यदि, सभापति महोदय, आज यदि किसान जमीन को बेचकर बैंक में पैसे जमा करा दे तो उसको ब्याज ज्यादा मिलेगा लेकिन किसान को जमीन से लगाव इतना ज्यादा है कि चाहे वह दस साल तक निरंतर घाटा खाये किन्तु उस लगाव के कारण वह जमीन को बेच नहीं सकता और चाहे भूखों मर जाय वह, लेकिन जमीन नहीं बेचना चाहता। इसके पीछे ...

श्री सभापति : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : लगाव में कमी नहीं आये, सभापति महोदय....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : इस लगाव में कमी नहीं आये हमको इस पर पहले से ही विचार करना आवश्यक है और इस कारण मैं कहता हूं कि किसान को लाभकारी मूल्य मिले इसके लिये आप गेहूं की निकासी का निर्णय तुरन्त लें।

श्री सभापति : श्री रामनारायण डूंडी।

श्री रामनारायण डूंडी (बिलाड़ा) : सभापति महोदय, जो विचार विधान सभा के अन्दर अभी जो चल रहा है कि राजस्थान में गेहूं पर जो पाबन्दी लगायी, आखिर राज्य सरकार को बार बार किसी वस्तु पर जो किसान पैदा करता है उस पर पाबन्दी लगाने की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? सभापति महोदय, मुझे मालूम है अभी थोड़े दिनों पहले राजस्थान में मोठ पर पाबन्दी थी और जब मोठ पर पाबन्दी थी तो राजस्थान के अन्दर जो मोठ मेरे उधर होते हैं, केवल 200 रुपये क्विंटल यहां बिकते थे और 325) के भाव के दाम गुजरात में मिलते थे, यानि एक ट्रक जो ब्लैक मार्केटिंग करता था। उन पर उसको 6 हजार रुपये मुनाफा मिलता था। आखिर इनके पीछे बारबार पाबन्दी लगाना और मतलब ये, मन्शा ये है कि ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ाना होता है। चुंगी नाकों पर जो अधिकारी लोग बैठे रहते हैं उनका जेबों का भरना होता है और किसान का माल भले चाहे कैसा भी बिके यह निर्णय का नहीं है। यदि इनकी मन्शा यही हो कि किसान. जो आम आदमी को सस्ते दर पर अनाज मिले, या गेहूं मिले, तो यहां भी संभव नहीं है। क्योंकि किसान का माल केवल दस दिन के अन्दर, पन्द्रह दिन के अन्दर बिक जाता है और एक मजदूर जो केवल उनकी खरीद, क्षमता इतनी नहीं कि वह साल भर का अनाज ले ले या स्टाक करले। इसीलिये उनको तो मार्केट के अन्दर जो स्टाकिस्ट है उन्हीं के आधार पर खरीदना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन है, बड़ा अहम् मसला है और ये जो पाबंदी है वह हटा लेना चाहिये, क्योंकि इससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगा।

जो लोग चुंगी चौकियों पर, बॉर्डर नाके पर लगे रहेंगे उनकी जेबों के अन्दर पैसा जायेगा। किसान को तो सस्ती रेट पर गेहूं बेचना ही पड़ेगा वह रख नहीं सकता। इसलिए नहीं, कि आज हम यह सोचते हैं, बिजली के पैसे भरने पड़ते हैं ट्रैक्टर के पैसे देने पड़ते हैं, हर तरह का खर्चा भरना

(श्री रामनारायण डूंडी)

पड़ता है, साल के अन्दर, पूरे साल तक उनको पैसे खर्च ही खर्च करने पड़ते हैं, और आमदनी केवल एक दिन की होती है। वह भी, उस आमदनी को अपने मन के आधार पर नहीं ले सकता कि मैं मन चाही रेट या मन चाही कीमत वसूल कर लूं। मतलब, नीलाम के तौर पर, मन मसोस कर वह वापस आता है। उनको इन परिस्थितियों के अन्दर हर तरह का घाटा रहता है।

साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर जो हमारी उत्पादन क्षमता है, पास में हरियाणा, पंजाब और गुजरात, इनमें प्रति बीघा जो उत्पादन है वह बहुत ही बढ़िया है, जबकि हमारा उत्पादन उनके बनिस्पत बहुत ही कम है। एक तरफ तो हमारा उत्पादन कम एक तरफ हमारी लागत ज्यादा। एक तरफ तो हमारे जो स्रोत हैं, हमारे यहां पर नहरों से गेहूं पैदा नहीं होता, बहुत ही कम क्षेत्र ऐसा है, जिसके अन्दर नहरों से गेहूं पैदा होता हो। हमें गेहूं पैदा करने के लिए करीबन 100-150 फीट से पानी निकालना पड़ता है। आज, बिजली का खर्चा कितना आता है ? हर 31 मार्च के दिन जो आदेश बिजली के बिल के निकले हैं। मैं समझता हूं कि कोई सम्पन्न काश्तकार के भी पैसे बाकी हैं और आज उनके पैनल्टी लग रही है। केवल इसलिए कि हमें हर तरह के जो लोन मिल रहे हैं उसके आधार पर खर्चा चल रहा है। जबकि गेहूं की रेट 1973 के अन्दर 200 रुपए क्विंटल थी, उस समय ट्रैक्टर की कीमत 24 हजार थी। डीजल का भाव एक रुपया कुछ पैसे था और ट्रैक्टर ट्रॉली की कीमत 7 हजार रुपए थी, जबकि आज पोजीशन यह है कि हर भाव डबल और तिबल हो गये लेकिन गेहूं के भाव उन से भी नीचे आ गये। आखिर किसान किस आधार पर खड़ा है। जब यह बात हम आन्तरिक स्थिति से सोचते हैं तो हर किसान, हर घर का आदमी लोन से, कर्ज से दबा हुआ है। इसलिए मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान के किसानों को यदि जिन्दा रखना चाहते हैं तो यह पाबंदियां क्यों लगाते हैं ? क्या जरूरत पड़ती है ? केवल इसलिए कि ब्लैक मार्केटिंग बढ़ाना चाहते हैं। यह ऑफिसर लोग किसान की आमदनी से, किसान के खून और पसीने की कमाई से, पूरे साल भर सर्दी-गर्मी के अन्दर खड़ा रहकर वह मेहनत करता है, उनकी कमाई को यह लोग बैठे बैठे × × × चाहते हैं। इसलिए चाहिए कि यह पाबंदी हटाई जाय इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति : श्री रामरघुनाथ चौधरी

श्री महाराम चौधरी : फॉरेन के किसान हैं।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : सभापति महोदय, आपके समक्ष यह मुद्दा चल रहा है कि राजस्थान के किसान अपनी पैदावार जिसको वह खुद पैदा करता है, उस का मूल्य उसको उचित दर पर नहीं मिल रहा है।

× × × शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No. 243

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

मान्यवर, यह लोकप्रिय सरकार, इसमें इस सदन में बैठने वाले

(8.42 म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

किसानों के नुमाइन्दे, इस राजस्थान में 80 प्रतिशत किसान रहता है, ग्रामीण क्षेत्र में उसके मेहनत पर, वह जो पैदा करता है उसकी उपज पर, इस हिन्दुस्तान और राजस्थान की आर्थिक स्थिति उस पर निर्भर करती है, मान्यवर, मैं यह नहीं कहता कि सरकार किसानों के विरोध में है, लेकिन किसानों की बात हम अगर यहां सदन में रखकर आपके द्वारा सरकार को महसूस नहीं करवाते तो हम यह समझते हैं, जिन लोगों का प्रतिनिधित्व हम यहां पर करते हैं, यहां आकर जिनकी बात हमें करनी चाहिए, कहते हैं उनके साथ हम धोखा करते हैं और हमें इस सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है. अगर उन लोगों के लिए न्याय मांगकर सरकार को बाध्य करने का ......

श्री महाराम चौधरी : आपको गलतफहमी है क्या कि आप अभी धोखा नहीं कर रहे हो ? आपको यह गलतफहमी है, आप अब भी धोखा कर रहे हो ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : अगर आपने किसानों का ठेका ले रखा है लोकदल बना कर के तो आप उस ठेके को बेच दो, लेकिन हमें अपनी बात कहने दीजिए, क्योंकि इस सदन में बैठने वाले सदस्य का अपना पूरा अधिकार है कि वह अपनी बात कहे, आपको अपनी बात कहनी थी, कह दी......

श्री महाराम चौधरी : आपने तो किसानों को बेचकर पार्टी बदल ही ली, और किस-किस तरह से किसानों को बेचोगे ?

श्री रामरघुनाथ चौधरी : पार्टी का सम्बन्ध व्यक्ति से होता है किसान से नहीं होता । किसान, जिसका वोट लेकर जनता पार्टी ने 1977 में राज बनाया था,' वह किसान जनता सरकार से दुखी होकर उसने अपना वोट 1980 में कांग्रेस को दिया, और आपके सामने नतीजा है कि 80 प्रतिशत जनता, जो देहात में रहती है, वह अगर आपको 1977 की तरह वोट देते तो आप आप यहां बैठकर छोटा सा बिल्ली की तरह मुंह नहीं बनाते. पर आपको वोट मिले नहीं उस किसान ने आप लोगों से हताश होकर, थक कर, निराश होकर, आप लोगों को नाकाबिल समझकर कांग्रेस को वोट दिया, और 80 के बाद में कांग्रेस जीतकर आई लेकिन अगर कांग्रेस गलती करेगी तो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कांग्रेस आज इधर बैठी है कल उसको उधर बैठना पड़ सकता है ।

एक माननीय सदस्य : वह तो आयेगी, आना है उसको तो ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : वह आयेगी या नहीं आयेगी, इसका फैसला आपके पास नहीं है. इसका फैसला जनता करेगी ।

लेकिन फिर भी, सभापति महोदय, मैं किसानों की बात पर सरकार को आगाह करना चाहता हूं, अगर आप यह देखें,

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

किसान उपज पैदा करने के लिए जितना खर्च करता है, अगर बाजरे की फसल का हिसाब लगायें तो वह 160 या 200 रुपए प्रति बीघे के हिसाब से आता है, और, मान्यवर, आपको यह पता है कि प्रति बीघे की जो एवरेज उपज है वह पश्चिमी राजस्थान में एक मन से ज्यादा नहीं है, कहीं डेढ़ मन हो सकती है लेकिन राजस्थान की एवरेज उपज डेढ़ मन से ज्यादा नहीं है, अगर उसका हिसाब लगायें तो डेढ़ मण तो पूरा क्विंटल भी नहीं होता, और फिर जरूरी नहीं है कि हर साल फसल अच्छी हो जाय, कभी कीड़ा लग जाता है, कभी बीमारी लग जाती है, कभी उसको अरगट लग जाता है, कभी बरसात नहीं होती, कभी सूखा पड़ जाता है, सूखे का मुकाबला करने के बाद भी किसान फिर अपने खेत में जाता है, फिर बीज डालता है, फिर मेहनत करता है, फिर अपना खून-पसीना लगाता है, यह सब करने के बाद जब उसकी उपज होती है और उसका उसको पूरा पैसा नहीं मिलता तो मैं यह सोचता हूं, वह सरकार किसान के साथ कतई न्याय नहीं करती।

जैसा की अभी माननीय सदस्यों ने बताया और, मान्यवर, आपके सामने यह विषय है कि भरतपुर में व अन्य जगहों में बाजरा सरकार को जिस सर्पोर्टिंग रेट पर खरीदना चाहिए था, वह सरकार ने कहीं 3 क्विंटल खरीदा, कहीं 2 क्विंटल खरीदा, कहीं 10 क्विंटल खरीदा, तो, आखिर जब आप खुद ने यह निश्चय किया है और आप ने यह रेट फिक्स कर दी कि यह सर्पोर्टिंग प्राइस रहेगी और इससे अगर बाजरे के भाव नीचे जाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर खरीदना पड़ेगा, इसमें सोचने समझने या आदेश देने की आवश्यकता नहीं है, स्टैण्डिंग आदेश हैं, आपके डिपार्टमेंट और आपके व्यक्तियों को चाहिए कि जब कभी ऐसी स्थिति पैदा हो वह अपने आप जाकर या आपकी इजाजत से नोटिफिकेशन लेकर खरीद-फरोख्त करें। आपने इसमें निश्चय ही गलती की है, इसमें कोई दो राय नहीं है सरकार को यह मानकर, यह सोचकर चलना चाहिए कि इस तरह की गलती कभी दोहराई नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर यह मसला सामने आया है गेहूं को लेकर, गेहूं के मसले में यह निश्चित बात है कि आज नहीं तो कल, एक महीना नहीं तो दो महीने बाद आपको गेहूं खोलना पड़ेगा, और आप खोलेंगे, लेकिन गेहूं खोलेंगे कब ? जब यह काश्तकार से मिडिल मैन के पास पहुंच जायेगा, जब यह गेहूं व्यापारी के पास पहुंच जायेगा, व्यापारी के पास पहुंचने के बाद आप यह सोचेंगे कि काश्तकार ने अपना पूरा अनाज बेच दिया है, उसके बाद नहीं रहा है, और अब बाजार में बहुत इकट्ठा हो गया है तब उसको आप खोलेंगे, फिर सारा लाभ मिलेगा ....

श्री रामसिंह विश्नोई : अपने मंत्री महोदय के दिल की बातें कह दी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी :... सारा फायदा उस मिडिल मैन को मिलेगा, आप खुद ने सदन में, माननीय अध्यक्ष महोदय, बार बार इस बात को दोहराया है कि हम जितनी योजनायें बना रहे हैं, जितना हमारा पॉलिसी ऑफ प्लान है उसमें काश्तकार को डायरेक्ट लाभ मिलना चाहिए, उस काश्तकार के लिए आप तरह तरह के, भिन्न-

Page No. 245

245

(श्री राम रघुनाथ चौधरी)

भिन्न प्रकार के ऋण मुहैया करा रहे हैं, काश्तकार को मजबूत करने के लिए जमीन दे रहे हैं, बड़े काश्तकारों को कम करने के लिए आपने सिलिंग लगाई है, आपने यूरिया और दूसरे फर्टिलाइजर्स के जो भाव बढ़ गये थे उनको कम किया है, हालांकि यह भाव दूसरे राज्यों के मुकाबले आज भी राजस्थान में ज्यादा हैं आपने दवाइयों के भाव भी कम किये हैं, वक्त-बेवक्त जो सूखा पड़ता है या बीमारियां फसलों में लग जाती है, तो कुछ एक इलाकों में यह घोषणा की जाती है कि उनको दवाइयां अनुदानित रेट पर दी जायेंगी या इनको मुफ्त दी जायेगी। आप यह निश्चित तौर पर सोचते हैं कि, किसान को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन, फिर भी, जब जब भी आप इस तरह की गलती करते हैं तो किसान के दिल में दर्द पैदा होता है, किसान को दुःख होता है, किसान अगर विरोध करे तो आपकी नींव कहीं नहीं रहेगी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं सामने चुनाव आ रहे हैं, उसका निश्चय तो होगा ही होगा, लेकिन हम जिस सतर्कता से, जिस ईमानदारी से हमने काम किया है, हम चले आ रहे हैं, उस ईमानदारी और सतर्कता में नहीं इस तरह की गुंजाइश या कमी नहीं रहे कि कल जब हम अपने इलाके में वापस जाय तो हमें काश्तकार, खेतिहर लोग यह कहें कि इस सरकार ने जान बूझकर हमारे साथ धोखा किया है और न्याय नहीं किया, इसलिए मैं आपके द्वारा सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि जिस गेहूं को मिडिल-मैन के पास पहुंचने के बाद खोलेंगे, उस गेहूं को आप समय पर खोलिये, और काश्तकार को अपनी उपज, जहां उसकी इच्छा हो, ले जाने दीजिए। जैसा कि आपके यहां डिस्ट्रिक्टस में है कि एक जिले का गेहूं दूसरे जिले में नहीं जा सकता लेकिन आपने काश्तकार को, जो अपनी फसल पैदा करता है, उनको यह सुविधा दी है कि गंगानगर या भरतपुर का या कहीं अन्य जगह का रहने वाला काश्तकार अगर अपनी उपज को राजस्थान में कहीं भी ले जाकर बेचना चाहता है तो वह ले जा सकता है, मैं इसमें भी आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, मुझे जानकारी है कि गंगानगर के काश्तकार एक दो ट्रक लेकर नागौर साइड में बेचने के लिए, जहां अनाज का भाव ठीक है, वहां लेकर आये थे, उन लोगों को आपके सेल्स टैक्स के अधिकारियों ने रोक लिया, उनसे नाजायज तरीके से पैसा उन्होंने हड़पा, उनके ट्रक घण्टों वहां खड़े रहे, इसलिए यह भी देखा जाना चाहिए कि राजस्थान का किसान चाहे वह किसी भी जिले का रहने वाला हो, जब उसको यह कानूनी अधिकार है कि वह अपनी उपज को राजस्थान के किसी भी हिस्से में ले जाकर बेच सकता है, जब उसके पास में वहां के एग्रीकल्चर ऑफिसर का, वहां के सम्बन्धित अधिकारियों का उसके पास में अधिकार पत्र है, एक उसके पास में आथोरिटी लैटर है कि यह यहां का किसान है। इसके पास इतनी जमीन है, इसके पास में इतनी पैदावार होती है और उनकी खुद की पैदावार है, तो राजस्थान का कोई भी सरकारी कर्मचारी उसको खड़ा करके पूछे या नाजायज तरीके से पैसा हड़पने की कोशिश करे ऐसे लोगों को आप कठघरे में खड़ा करिये, उनके खिलाफ कार्यवाही करिये, लेकिन, माननीय, किसान जो कि आपका 80 प्रतिशत है, जिसका बहुमत कांग्रेस के साथ में है जो दिलोजान से

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

कांग्रेस की सेवा करना चाहता है, जिसके खून खून में कांग्रेस टिका हुआ है, जिसने आजादी की लड़ाई में सहयोग दिया है, उसके साथ में अगर इस तरह की गैर कानूनी, इस तरह का सौतेला व्यवहार आपने किया तो आपका ठिकाना नहीं लगेगा किसान अगर रोयेगा तो निश्चित तौर से उसका सीधा नुकसान आपको और इस सरकार को होने वाला है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं 1-2 मिनट और लेऊंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय,

मै निवेदन करना चाहता हूं कि अगर भारत सरकार इस देश को खिलाने के लिये गेंहू बाहर से मंगा सकती है, जब भारत सरकार बाहर से गेंहू मंगवाती है तो ढाई सौ रुपये क्विंटल और 300 रुपये क्विंटल के देती है और देने के बाद में उसको अनुदानित रेट पर यहां पर फिक्स प्राइस पर वितरण करती है और जब वितरण करती है तो आपका सपोंटिग प्राइस पर आकर ठहरती है उसको कीमत 152 - और 158। तो मुझे आप बताइये कि जब हम बाहर से मंगाने वाले गेंहू के अगर ढाई सौ और तीन सौ रुपये दे सकते हैं, तो क्या मुश्किल है, क्या आपको तकलीफ होती है कि यहां के काश्तकार से, जो उसके पास अनाज पड़ा हुआ है, वह अनाज उस रेट पर खरीद करके स्टाक कीजिये, सरकार के पास में और जब आपको वापिस जनता को बांटना हो तो उसको अनुदानित रेट पर आप उस को बांटिये ताकि काश्तकार की कमर नहीं टूटे।

अध्यक्ष महोदय, आप खुद किसान हैं। आपका लड़का किसानी करता है, खेत पर कार्य करता है, जो मुझे व्यक्तिगत जानकारी है – आप उनसे पूछिये, आप अगर बैलों से हल चलाते हैं और जब बैलों से सिचाई करते हैं तो आपको 800 रुपये प्रति बीघा से कम में फसल नहीं मिल सकती उस बीघे में होता क्या है, आन एन ऐवरेज अगर आप देखें तो 4 क्विंटल से ज्यादा अनाज नहीं होता, हो सकता है कहीं ज्यादा हो, कहीं कम हो पर कुल मिलाकर जो ऐवरेज पड़ेगा वह पड़ेगा 4 क्विंटल। आप हिसाब लगाइये 152- रुपये का हिसाब लगाइये, आप अगर 152 रुपये में खरीदते हैं गेहूं किसान का तो 600 रुपये पड़ता है और वह अपनी लागत 800 रुपये लगाता है और मिलता है 600 रुपये और अगर उस 600 रुपये मिट आउट करने के लिये बाहर बेचता है तो बेच नहीं सकता है। आप उसके गेहूं का खरीदना नहीं चाहते, आप सरसर किसान के साथ में धोखा कर रहे हैं।

मैं मान्यवर, इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वह तो खुद की अपनी मजदूरी गिनता ही नहीं है। अगर किसान में यह समझदारी आ जाय कि मैं अगर हड़तालें कर जाऊं, जिस तरह की और युनियन्स बनी हुई हैं और हड़तालें करती हैं महीने महीने भर काम नहीं करती कारखानों के और दूसरे काम ठप्प कर देती है, आपने देखा कि सैक्रेटेरिएट के लोग जब हड़ताल करते हैं, वह काम नहीं करने देते, महीने - महीने भर काम ठप्प होता है

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

और उसके बाद में यूनियन के अधिकारी लोग और आप बैठकर यह फैसला करते हैं और फैसला करने के बाद में उन्होंने जितने दिन भी हड़ताल की है उनका किसी भी तरह से एडजेस्टमेन्ट करके किसी न किसी तरह से उनको तनख्वाह देते हैं और एक दिन की भी उनकी तनख्वाह कटती नही है लेकिन अगर किसान हड़ताल करे, आज बरसात आई और बरसात आने के बाद में बीज बोने का समय है और किसान के दिमाग में यह बात आई कि मुझे हड़ताल करनी है तो किसान अगर हड़ताल कर जाय तो खुद तो भूखा मरेगा या जो कुछ उसके पास है उसको खायेगा या नहीं खायेगा लेकिन इस देश का क्या होगा। जो किसान हमारी नींव है, जो बेस है और वह ऐसा करने लगेगा या कर जायेगा, तो आप सारे देश को भूखों मारोगे और उसके जिम्मेदार मान्यवर आप हो।

मैं इसके साथ, मान्यवर, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि किसान अगर हड़ताल न करके यह भी समझ ले कि मुझे उतना ही पैदा करना है जितना मुझे मेरे परिवार के लिये चाहिये। एक परिवार अगर 5 सदस्यों का है और उस परिवार के लिये अपना हिसाब लगाकर के उतना ही माल पैदा करता है...

श्री अध्यक्ष : और बाकी में घास पैदा करके अपने ढोर चरावे।

श्री यदुनाथसिंह : ज्यादा खुशहाल होगा।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : जी हां, तो, मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे ढोर चराये या दूसरी फसल पैदा करे लेकिन मोटा अनाज जो खाने के लिये काम आता है, गेहूं हो, बाजरा हो, मक्का हो, धान हो वह अगर पैदा नहीं करे और सारे हिन्दुस्तान के किसान यह फैसला कर लें कि जब हमें कीमत बराबर नहीं मिलती है तो हम उतना ही पैदा करेंगे जितनी हमें हमारी खुद की आवश्यकता है, मुझे आप बताइये...

श्री अध्यक्ष : लेकिन इसमें लेवी वसूल कर लेंगे।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : आप अगर लेवी वसूल कर लेंगे और उसने अपने लिये बनाया है तो रिवोल्ट होगा और होगा वही और फिर हमारे माननीय सदस्य जो यहां भाषण देते हैं कि "प्रवाम", प्रवाम जागेगा माननीय। इस किसान वाले मामले, में न कोई छोटा है न बड़ा है, न पक्ष है, न विपक्ष है। हम यह समझते हैं कि वे भी किसान के नुमाइन्दा हैं किसी न किसी तरह से। उनके लोग भी विपक्ष में बैठने वाले माननीय सदस्य जो देहातों से आते हैं उनको वोट किसान देता है, हम भी जब देहात से आते हैं तो हमको वोट किसान देता है। इसलिये पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि जिस जनता को और जिस ग्रामीण जनता का, खेतीहर मजदूर की हम यहां नुमाइन्दगी करते हैं, जिसके माफत जिसके बिहाफ पर, हम यहां आकर बैठते हैं हमारा पवित्र कर्तव्य बनता है कि उसके साथ में किसी तरह का सौतेला व्यवहार, उसके साथ में किसी तरह इस तरह की घिनौनी हरकत नहीं हो कि उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाय। उसका मानस बदल जाय। वह मान-

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

सिक रूप से प्रस्न हो जाय। इसलिये हमें यह कहना पड़ रहा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो दो शब्द और दो मिनट की बात है लेकिन अलग-अलग माननीय सदस्य और अलग अलग रूप से कहना इसलिये पड़ रहा है कि हो सकता है कि सरकार कान में रुई का फुआ डालकर बैठी हो. लेकिन जब आप जागृत हैं, तो आपके द्वारा उनको झगझोर कर जगाना चाहते हैं कि आप यह गलती करने जा रहे हैं इस गलती को मत करिये, मत दोहराइये, और जो गेहूं हमने पैदा किया है हमारे खून-पसीने से, जिसमें आपका कोई सहयोग नहीं है, आपने फर्टीलाइजर का पूरा पैसा वसूल किया है और उसके बाद से हमारे चने और फसल को डावा लग गया, ठण्ड लग गई और वह फसल हमारी हुई नहीं है और जो फसल हमारी हुई है उसका पैसा अगर बराबर नहीं मिलता है तो सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि किसी तरह से रोके। मान्यवर, अन्तिम इन शब्दों में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसान का जितना गेहूं है वह हिन्दुस्तान के किसी भी इलाके में ले जाकर बेचना चाहता है, अपनी कीमत प्राप्त करना चाहता हो उसको करने की अविलम्ब सुविधा दी जाय, और मान्यवर, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस हाउस में अभी घोषणा करें।

धन्यवाद, जयहिन्द।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, अध्यक्षीय व्यवस्था।

श्री देवेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री को आज अपना स्पष्टीकरण देन का अवसर दिया गया था जिसमें उन्होंने बताया कि उनका जयपुर में कोई मकान नहीं है, इस बात के अतिरिक्त उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं हैं जो आपत्तिजनक हैं, उन्हें मैं आज की कार्यवाही के विवरण से एक्सपंज करता हू,

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर····

श्री यदुनाथ सिंह : आप चैलेन्ज कर रहे हैं

श्री देवेन्द्र सिंह : क्या बात कहीं ? प्रोसीडिंग्स देख लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्षीय व्यवस्था को चैलेन्ज कर रहे हैं क्या आप ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी तो एक्सपन्ज ही हुआ है, नहीं तो आपको बाहर करना पड़ेगा ······

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट बोलना चाहती हूं, स्थगन ······

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज श्री बालचन्द्र आर्य।

श्री बालचन्द्र आर्य : माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : ऐसा है कि समय सीमा निश्चित कर देते हैं

(व्यवधान)

मैं पहले अर्ज कर दूं....

श्री रामसिंह बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, सारा सदन एक है आप तो घोषणा करवा दो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यानि इससे ज्यादा क्या निर्दयता हो सकती है कि सारा सदन एक मत है और केवल इसलिये 7 बजे से यहां बैठा हुआ है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, वैसे तो सुझाव सदन के समक्ष आ गये लेकिन फिर भी माननीय सदस्य कोई बोलना चाहते हैं 5-5 मिनट का समय दूंगा उसके पश्चात् मंत्री महोदय को अवसर दूंगा।

श्री रामसिंह बिश्नोई : आप तो घोषणा करवा दें।

कई सदस्य एक साथ : आप तो घोषणा करवा दें।

श्री घासीराम यादव : विपक्ष के नेता महोदय बोल लें उसके बाद में।

श्री अध्यक्ष : अभी मत बना रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं मन बना दूं।

श्री अध्यक्ष : पहले बालचन्द्र आर्यवीर उसके बाद में 5-5 मिनट कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे, उनके पासंद में विपक्ष के नेता महोदय, बोलेंगे। दो मिनट का समय....

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पार्टी की मार्फत्।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अवसर दे दूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अन्याय होगा....

मुझे भी दो मिनट का समय....

श्री मेघराज तावड़ : अध्यक्ष महोदय, यह तो खरीदते हैं, बिचौलिये हैं....

श्री अध्यक्ष : मुझे भी ऐसी आशंका थी इसलिये इशारा किया था....

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : 5 मिनट का समय।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, बालचन्द्र जी के बाद मुझे बोलने का अवसर दें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर (हग) : माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान राष्ट्र का, देश का अन्नदाता कहा जाता है उसके ऊपर लगातार अन्याय हो रहा है। वह न गर्मी देखता है, न सर्दी देखता है....

श्री अध्यक्ष : 5 मिनट का समय है, माननीय सदस्य।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : न बरसात देखता है और राष्ट्र के लिये अन्न पैदा करता है। लेकिन उसकी पैदावार का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, पड़ौसी राज्यों के किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत वहां पर उनको मिलती है।

(9.00 रात्रि)

तो मैं आपके माध्यम से सरकार को यह निवेदन करना चाहता हूं कि गेहूं की निकासी पर जो पाबन्दी लगा रखी है उसको खोला जाय और किसान की सुविधा के ऊपर और उसकी उपज का जो उचित मूल्य मिलना चाहिये वह दिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान मण्डी में अपना अनाज ले जाता है, किसान देखता रहता है टकटकी लगा करके, लेकिन व्यापारी उनको निलाम कर देते हैं और उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि खाद, बीज और सभी प्रकार की चीजें और उसके औजार महंगे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको किसी प्रकार की सुविधा नहीं। आज उसकी फसलें यदि खराब हो जाती हैं तो फसली बीमा भी सभी विधान सभाओं में कई बार इस प्रकार के फसली बीमे की मांग की है लेकिन अभी तक उसका फसली बीमा लागू नहीं किया गया। तो यह सरकार व्यापारियों से मिली भगत करके और उनको प्रोत्साहन दे रही है, किसानों का शोषण हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनको गेहूं की निकासी के ऊपर से प्रतिबन्ध हटाया जाय और उसकी उपज का, उनको पैदावार का उचित मूल्य दिलाया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री पीरूराम।

(व्यवधान)

ऑर्डर ऑर्डर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री पीरूराम : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। व्यवस्था का प्रश्न उठाया है श्री घनश्याम तिवाड़ी ने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय,

इस हाउस में किसानों की वकालात हो रही है, बिचौलियों की वकालात भी करने को तैयार हैं, लेकिन पूजा का जो पहले सवा रुपया मिलता था आज तक वही सवा रुपया मिल रहा है उसके लिए कोई भी वकालात नहीं कर रहा है किसानों के लिऐ अगर निकासी बढ़ेगी और अनाज बाहर जायेगा, उसकी पैदावार बढ़गी तो पूजा पाठ का पैसा भी बढ़े यह भी आप व्यवस्था करावें।

श्री पीरूराम (टीबी) : अध्यक्ष महोदय, किसान की फसल की बिक्री के बारे में जो चर्चा जो चल रही है ...

श्री अध्यक्ष : बींद मरो बींदणी मरो, ब्राह्मण का टक्का तो खरा है।

श्री पीरूराम : मन्त्री जी ने जो बयान दिए हैं कणक के बारे में, जो बातें बताई हैं

(श्री पीरूराम)

तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि काश्तकार की जो जिन्दगी है, तो मजदूर की जिन्दगी में अच्छा मानता हूं। हमारे जिले के अन्दर बताना चाहता हूं कि एक मुरब्बा जमीन की कीमत कम से कम 25 बीघा की दो लाख रुपया है और दो लाख रुपये में उस काश्तकार को एक रुपया सैकड़ा नहीं मिलता। उसकी मजदूरी तो आई गई हुई हो गई और उस काश्तकार की तरह, 70 परसेन्ट इन्सान काश्तकार हैं, पहले राजपूतों को जागीरदार को कहते थे कि अन्नदाता साहब। मैं कहता हूं काश्तकार को अन्नदाता कहना चाहिये, वह अन्न देता है, इन्सान उससे जिन्दा रहता है और सरकार उसके प्रति कुछ भी नहीं सोच पा रही। पिछली दफा नर्मा कपास की फसल तबाह हो गई। काश्तकार को उसमें 700 रुपये बीघा का खर्चा आता है और उसको चार सौ रुपया बीघा नहीं मिला। सरकार ने उसका आबयाना, मांगयाना कोई भी माफ नहीं किया। अब रहा सवाल, नर्मा कपास की फसल कमजोर होने से, ज्यादा बारिश होने से और क्या हुआ कि लेट नर्मा कपास की फसल और गंगानगर जिले में तो सारी जगह में, पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह यह हाल हुआ कि चुगाई के टाइम में मजदूरों ने एक एक फोआ खेंच खेंचकर उसमें से निकाला और वह बिजाई जो दिसम्बर में होनी थी कणक की वह जनवरी लास्ट में हुई जो दिसम्बर चालू माह में होनी थी। इसलिए कनक लेट हो गई, उस पर ऊपर से क्या है कि एक महिने की वाराबंदी राजस्थान कैनाल इनमें होने से और एक पिलाई से काश्तकार के कणक पिलाई की है और उसमें जिस बीघा में बीस मन बीघा की ऊंज उतरनी थी, वहां आठ मन, 5 मन, 7 मन, 6 मन की कणक उतरी है। उसके बावजूद भाव क्या 152) रुपये क्विन्टल। एक महिने पहले जो यही कणक दो सौ से तीन सौ रुपये क्विन्टल बिक रही थी वह बनिये की दूकान में थी इसलिए बिक रही थी। काश्तकार के घर में नहीं थी। काश्तकार को सिवाय इसके कोई फायदा नहीं होता तो बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जिलों पर पाबन्दी लगा दी और अधिकारियों को खुली छूट हो गई, बनियों को खुली छूट दे दी पैसा कमाने की। आठ दस दिन से 18 मण्डी गंगानगर जिले की, उसमें हजारों क्विन्टल कणक आ रही है और एफ सी आई उसे खरीद नहीं रही है, सरकार सोती हुई है अभी तक। उनको किसी ने यह नहीं कहा कि एफ सी आई खरीदेगी कणक को। वह बनिये खरीद रहे हैं और मनमाने भाव से, सौ से लेकर 120 रुपये क्विन्टल तक खरीद रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र के काश्तकार यहां आये, उन्होंने बताया बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि काश्तकार की तरफ से सरकार को नर्म नीति से देखना चाहिये, नरम नियम बनाने चाहिए। काश्तकार के पास होता ही क्या है। एक फसल जम जाय, पिछले दिनों 17.3.84 को ओलावृष्टि हुई, काफी जगह में फसल तहस नहस कर दी गई ओलावृष्टि की वजह से, उस काश्तकार को सरकार क्या देगी सिवाय आश्वासन के। हम और सरकार कुछ नहीं दे रही। आज ही मैंने मुख्य मन्त्री महोदय को और ज्योनारी पंचायत और सेल्यावासी पंचायत को आज ही मैंने लेटर दिया है, मुख्य मंत्री जी से निवेदन भी किया है कि कुछ न कुछ इनको

(श्री पीरूराम)

राहत मिलनी चाहिये वहां ज्यादा करके नुकसान हुआ है, चने की फसल में, सरसों की फसल में और कणक की फसल में बहुत थोडा हुआ है। तो उसको सरकार की तरफ से कोई सहूलियत नहीं मिलती, तो कम से कम यह तो चाहिये कि उसकी फसल टाइम पर बिक जाय, टाइम पर अच्छी कीमत मिल जाय या उसको खुली छूट दे दी जाय कि तुम सारी फसल किसी जगह बेच सकते हो। तुम्हें अधिकार है बेचने का। एक बनिया है वह उद्योग लगाता है, कितनी बड़ी इण्डस्ट्री हो, ताला लगाकर घर पर चला जाता है आराम से सो जाता है और काश्तकार लाठी लिये हुए रात दिन उस खेत के चारों तरफ फिरता है, नींद नहीं आती उसे और उसके बाद बाजार में फसल लाता है तो बनिये को संभला देता है कि तुम यह फसल पड़ी है वह आराम से सोता है, यह नहीं देखता वह पशु चरता है वह बनिये के भरोसे उस चोर के भरोसे में, तो मैं कहना चाहता हूं कि काश्तकार को अपनी फसल का दाम पूरा मिले और यह जो पाबंदी मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं लगा रखी है जिले की यह हटाई जाय। एफ सी आई को हुक्म दिया जाय कि तुरत जितनी भी हो सके फसल काश्तकार की, जितनी एफ सी आई ले सके, वह ले और उसको बिक्री के लिए एफ सी आई को भेजा जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य मैं अवसर दे दूंगा आपको।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत) : इनको भी किसान के वोट लेने हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने पूरी खरीद कर ली क्या ?

श्री महावीरप्रसाद जैन : आप गालियां निकाल कर चले जायं, आखिर क्या है, सरकार आखिर बहुमत से चलती है, किसान के यहां पर पाबन्दी है और उस के बाद भी सरकार अगर निर्णय नहीं करे तो चुनौती है आपके लिए।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठ जायं, मैं अवसर दे दूंगा, माननीय सदस्य। पूरे भर गये हों तो एक्सपोर्ट वगैरह खुली करें।

श्री माधवसिंह दीवान : अध्यक्ष महोदय, पिछले चार साल से अकाल पड़ रहा है और इस अकाल के दौरान जो आपने निकासी....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य बैठ जायं, मैं अवसर दे दूंगा।

श्री माधवसिंह दीवान : यहां की गेहूं की और अनाज की रोक रखी थी, उस टाइम तो वाजिब भी था कि अपने यहां का किसान जो माल पैदा कर रहा था उसने कुर्बानी दी, उसने भाव डाऊन करके अपना पैदा किया हुआ माल कम कीमत पर भी उसने गरीब लोगों को उपलब्ध कराया।

(श्री माधवसिंह दीवान)

पर अब इस साल जब अकाल ही नहीं है और इस साल फसल भी अच्छी हुई है फिर भी क्या कारण है कि आपने निकासी पर रोक लगा दी है। आखरी आपको गेहूं की निकासी पर रोक लगाने का मकसद क्या है? आज जिस तरह से माननीय सदस्य कह रहे थे कि या तो आप गारन्टी करें कि अगली फसल जब तक आयेगी तब तक आप भाव यही रख पायेंगे, तब तो निकासी रोकने की बात समझ में आती है. पर जब किसान फसल बेच रहा है तब तो आप भाव रखना चाहते हैं कम और जब गरीब आदमी वापिस खरीदने जायेगा बनिये की दुकान पर, तब भाव को आप कन्ट्रोल कर नहीं पायेंगे। किसान को आप फायदा पहुंचा नहीं सकेंगे और फिर उसका फायदा मिलेगा किसी दूसरे को। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है और अनुरोध है, आज जब सदन इस बात पर एक मत है कि किसान जिसने पूरी मेहनत के साथ फसल पैदा की है और चार साल से गेहूं की निकासी को बन्द की हुई है। तो आप यह एनाउन्समेंट करेंगे कि अब निकासी खोल दी जाए और किसान को उसकी उपज का उपयुक्त मूल्य मिलेगा और किसान को राहत दिलायेंगे।

श्री परसराम मदेरणा: यह केन्द्रीय सरकार ने प्राइस लेवल को कन्ज्यूमर के हित के लिए नहीं किया; यह तो बफर स्टाक बनाने की पॉलिसी है। मैं जो बात कह रहा हूं वह इसलिए कह रहा हूं कि बफर स्टाक रखने की नीति भारत सरकार की है।

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह: बिना कपड़े के नंगा इन्सान डोल रहा था तब इन्डस्ट्रियलिस्ट पर कभी आपने रोक लगायी कि अगर वह इतना कपड़ा नहीं बनायेगा तो वह कम कीमत पर कपड़ा बेचेगा, यह किसान पर आपने रोक लगायी है।

श्री परसराम मदेरणा: Free how of trade, commerce and intercourse under Article 301 के बारे में चर्चा की है, उसके लिए यहां पर बैठकर बहुत बार कहा जा चुका है।

श्री तेजपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट ही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको अवसर दूंगा माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): मुझे बोलने दीजिये। अध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा गया कि सन् 81 में पहाड़ियाजी ने पाबन्दी लगायी थी पर यह कोई शास्वत नियम नहीं है कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। क्योंकि जब पहाड़ियाजी चले गये तो यह नियम भी तोड़ा जा सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमको किसानों के हितों के लिये प्राइसेज को देखना पड़ेगा उसमें लागत, श्रम और समय तीनों को ही जोड़ा जाना चाहिए हम केवल यह कहते हैं कि इतनी लगात

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लगी पर हमको लागत ही नहीं देखनी चाहिये पर उसके साथ साथ हमें श्रम और समय को भी जोड़ना चाहिये। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो उचित रहेगा। लेकिन आज किसान जो इतनी मेहनत करता है उसको अपनी खेती का उचित मूल्य नहीं मिलता है इसलिये अध्यक्ष महोदय, यहां यह आग्रह करना चाहूंगी कि किसानों की हालत देखकर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उनको बैंकों के द्वारा पैसा दिया जावे और बनिये से ब्याज पर रकम नहीं लेनी पड़े।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह तो दीर्घकालीन योजना है, आप तो तत्कालीन योजना बतावें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन योजना यह है कि कुल मिलाकर आज किसान की हालत खराब है उनकी हालत को ठीक करने के लिये आवश्यक है कि किसान को उसके माल का उचित मूल्य मिले लेकिन आज मण्डियों में किसान माल लेकर जाता है तो उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है। आज कृषि उपज मण्डियों में भी किसान को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है, इसलिये तत्काल इस पाबन्दी को हटाया जाय। मैं एक बात और निवेदन करना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय, कि जयपुर में अभी पिछले दिनों में शीतलहर आई थी, जिसके कारण किसानों की फसल नष्ट हो गई और फिर उसकी अगर अपनी पैदावार का तीस प्रतिशत ही पैसे मिलें तो वह भूखों मरेगा, अध्यक्ष महोदय। इसलिये मेरा निवेदन है कि उन्हें कुछ राहत दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजपाल यादव। संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री तेजपाल यादव (चौमूं) : अध्यक्ष महोदय, किसान आज खेती का धन्धा करता है वह मजबूरी में जिन्दा रहने का साधन है किसान जिस तकलीफ से खेती करता है, आप खुद जानते हैं कि किसान किस तरह से मेहनत करके अपनी पैदावार करता है। और अगर उसके लिये उसको उचित मूल्य नहीं मिलता है तो.... ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें नहीं करें।

श्री तेजपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, जो यहां पर विधान सभा में चुनकर आते हैं जनप्रतिनिधि वह सभी किसानों के द्वारा चुनकर आते हैं लेकिन यहां पर किसानों की कोई नहीं बोलता है यहां पर मंत्रि महोदय ने कहा कि जो बात किसानों के साथ है वही दूसरी गरीब जनता पर भी लागू होती है, गरीबों का भी ध्यान रखना पड़ता है, शहर में रहने वाले लोगों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। इस बात को सुनकर अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत ही दुख हुआ कि क्या यह सारी गरीबों की जिम्मेदारी किसानों की ही है। लेकिन उस गरीब के ऊपर जब दिक्कत आती है तो उसको कोई नहीं देखता है। इसलिये आज स्थिति यह है कि अगर किसानों के पास जिन्दा रहने के लिये अगर दूसरे साधन उपलब्ध हो जायें तो आज खेती कोई भी नहीं करना चाहेगा। आज किसान का जो लड़का,

(श्री तेजपाल यादव)

पांचवी कक्षा में पढ़ता है वह भी इस खेती के धन्धे को छोड़ना चाहता है और आज हर आदमी समझता है कि खेती सबसे बड़ा घाटे का धन्धा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप किस तरह से उसके साथ यह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। आज मण्डियों में किसानों के हित की बात नहीं होती है और वहां भी उसके माल की नीलामी होती है और कृषि उपज मण्डी में उसको परेशानी होती है। उसको कहीं भी कोई राहत नहीं मिलती है। राजस्थान सरकार ने पहले ही किसान के काम आने वाली चीजों पर सेल्स टैक्स लगा रखा है और उसके खेती में काम आने वाली दवाइयों पर भी सेल्स टैक्स लगाते हैं और इन्पुट के ऊपर भी सेल्स टैक्स लगाता है। आप गत वर्ष परसराम जी मदेरणा बड़े नाराज हुए थे जब बिजली और सिंचाई की दरें बढ़ायी गयी थीं तो हमने कहा था कि आप सन् 47 से लेकर 75 तक किसी साल के आंकड़े पकड़ लीजिये चाहें कारखानों की चीजों की कीमतों के आंकड़े देख लीजिये, चाहें और दूसरी चीजों के दाम देख लें। आज खेत के अन्दर पैदा हुई चीज के दाम गिरे हैं और अन्य चीजों के दाम बढ़े हैं। आप उस वक्त नाराज हुए थे और आपने पार्टी मीटिंग में कहा था कि आप यह क्या कह रहे हैं तो हमने कहा था....

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : मैं नाराज बिल्कुल नहीं हुआ था। माननीय सदस्य, आप मेरे क्षेत्र भोपालगढ़ में आठ साल रह कर आ गये, वहां पर आपने किसानों का क्या कल्याण करके आ गये।

श्री तेजपाल यादव : तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप सन् 60 के भाव मानकर तुलना करें; कर्मचारी की तनख्वाह क्या थी, खेती के काम आने वाली चीजों के क्या भाव थे और अन्य चीजों के क्या भाव थे और आज क्यों भाव कृषि उपज के भाव सिर्फ दस प्रतिशत तक ही बढ़े हैं, जबकि इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के भाव 300 प्रतिशत तक बढ़े हैं कर्मचारियों की तनख्वाहें भी तीन सौ प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। आज इतने भाव डाऊन होते हुए भी आज काश्तकार के साथ क्या है ? दूध के भाव का प्रश्न, यहां पर आया दूध के बारे में हमने बात की तो कहा कि हमारा दिल्ली से भाव बढ़ेगा वे जो भाव देंगे उसमें हमारे जो सफेद हाथियों का खर्चा है उसको काटकर के फिर किसानों को देंगे। आपने फरमाया कि हम चारा पैदा करके जानवरों को खिलायें। यहां पर भी हमारा शोषण होता है। वहां भी कोई राहत देने वाला नहीं है। कृषि उपज मंडियां आपने बनाई लेकिन वहां पर भी कोई धनी धोरी नहीं है। उसकी चीज नीलाम होती है बाजार में किसान जाता है तो वहां भी व्यापारी भाव तय करता है, किसान का जो माल लेकर जाता है। उसकी नीलामी होती है गांव के कहते हैं कि जिसका कोई धणी धोरी नहीं हो, उसका माल नीलाम होता है वहां पर आज मण्डियों में भी यह हालत है। नगरपालिकाएं शहरों में ट्यूबलाइटें वगैरह लगाकर लाइट की व्यवस्था करती है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य लम्बी चर्चा नहीं होगी।

श्री तेजपाल यादव : लेकिन यहां पर किसान के साथ क्या होता है। किसान क्या चाहता है ? किसान के साथ न्याय तो कीजिए। हम वोट लेकर किसानों से आते हैं और यहां पर बैठकर 20 प्रतिशत लोग जो शहरों में रहते हैं उनके लिये सोचते हैं आज किसान के गेहूं का भाव क्या है बाजरा कौड़ियों के भाव बिका है....

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य, लम्बी चर्चा नहीं।

श्री तेजपाल यादव : जो यह पाबन्दी सरकार ने लगायी है मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इसको खोलने की आज ही घोषणा करें।

(व्यवधान)

श्री महाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल पूछना चाहता हूं।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ (जैतारण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस अहम मसले पर हमें समय में बांध कर हमें इस पर अगर आपने पूर्ण विचार करने का समय नहीं दिलवाया तो कल जो हमारे वोटर्स हैं वह हमारे चुनाव क्षेत्रों में हमारी समय सीमा बांध देंगे और इस विधान सभा में आने में बड़ी कठिनाई होगी सभी सदस्यों को। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे गम्भीर मसले पर आप कृपा करके समय सीमा न बंधावें और मुझे आशा है कि हमारी सरकार इस पर पुर्नविचार करेगी और इस सदन की जो भावना है और माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है, सारे सदन के मैम्बरों ने जो बात कही है, करीब 2 सभी पूरे सदन का पार्टी से अलग हट कर यह ऐसा मसला है कि जिस पर सारा सदन एक है और सदन की यह भावना है और सब की किसानों के लिए भावना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों का सबसे ज्यादा फायदा करने वाली, किसानों का सबसे ज्यादा हित देखने वाली अगर कोई पार्टी है तो यह कांग्रेस पार्टी है। इसने आज तक किसानों के बड़े-बड़े मुद्दे हैं उनको निपटाया है, बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं उनको निपटाया है।

यह तो एक छोटी समस्या है जिसके-लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार इस पर विचार करके आज यह घोषणा करेगी कि यह जो पाबन्दी लगाई गई है इस-को तुरन्त हटाया जाए। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि क्या यह गारण्टी है कि यह भाव दो महिने के बाद भी वहीं के वहीं कायम रहेंगे। हमारा यह 38 साल का तजुर्बा है कि जब फसल आती है तो भाव गिर जाते हैं और दो महिने बाद कितनी ही पाबन्दी रखें, एक दाना भी गेहूं का बाहर नहीं जाने दें फिर भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि यह भाव किसी हालत में नहीं रहेंगे। यही सरकारी अधिकारी आई. ए. एस. अधिकारी, जिन्होंने बैठकर ऐसी पालिसी बनाई है, यह बैठे देखते रह जायेंगे, इनकी जेबें गर्म हो जायेंगी और किसान रोता रहेगा। किसान के घर से सारा अनाज निकल जावेगा उस समय गेहूं के दाम बढ़ेंगे। हर साल यही होता है। चाहे कितनी भी पाबन्दी लगा दें यह भाव बढ़े बिना नहीं रहेंगे। जब भाव बढ़ने वाले हैं और उसका

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

फायदा व्यापारियों को मिलने वाला है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह फायदा क्यों नहीं किसानों को दिया जाता है। आज किसान के पास बड़ी मुश्किल से यह गेहूं की फसल आई है, वह भी बहुत अच्छी फसल नहीं है। चार साल के बाद यह फसल हुई है और इस साल भी प्रकृति के प्रकोप से आठ आना गेहूं की फसल खत्म हो गई। गेहूं कम हुआ है, लागत का पैसा नहीं आ रहा है। गांव में फसल खत्म हो गई और हम अब किसान को फायदा नहीं देना चाहते। यह कैसे ताज्जुब की बात है कि इन सरकारी अधिकारियों ने जो पालिसी बनाई है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन अधिकारियों ने, आई. ए. एस. अधिकारियों ने यह पालिसी बनाई है उनको एक साल के लिए राजस्थान का जो सबसे बढ़िया किसान का खेत है, उसमें खेती करने के लिए भेजा जाये।

श्री अध्यक्ष : कृषि फार्म दे रखे हैं।

श्री शिवदानसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कृषि फार्म इनको सब ठेके पर देने पड़े हैं। मैं तो यह कहूंगा कि जिस किसान की राजस्थान में सबसे बढ़िया माली हालत है, उस किसान के खेत इन अधिकारियों को दिये जायें, एक साल तक उस खेती में काश्त करें और जो तनख्वाह इनको मिलती है उस किसान को दे दें, हम राजस्थान के किसान इस बात के लिए तैयार हैं, हम वह तनख्वाह लेने को तैयार हैं। और खेतों में जो आमदनी हो वह ले लें, तो उन्हें मालूम होगा कि किसान को कितना घाटा उठाना पड़ता है। आज इन अधिकारियों ने, हम शहरों में देखते हैं, इन व्यापारियों के, आई. ए. एस. अधिकारियों के और गजेटेड आफिसरों के मकान हैं गाड़ियां हैं, 10-15 साल नौकरी में हुए होंगे सबके पास आलीशान बंगले हैं, कारें हैं रेफ्रीजरेटर हैं, कूलर हैं टी. वी. है और बढ़िया से बढ़िया किसान गंगानगर जिले की बात छोड़ दें, दूसरे राजस्थान भर में कई हजार कृषक हैं, किसी भी जिले में जाकर देखें किसी किसान के पास अम्बेसडर गाड़ी नहीं मिलेगी, उसका किसी शहर में बंगला नहीं मिलेगा, उसके खेत में रहने के लिए ऐसा मकान नहीं मिलेगा। उसके बच्चे गांव में पढ़ते हैं किसी पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ सकते। इन सारे सरकारी अधिकारियों के बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे किसानों के बच्चे फटी हुई नेकर पहने हुए आज भी गांवों में पढ़ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वे पढ़ पाते हैं। उनके पास रेफ्रीजरेटर्स नहीं हैं, टी. वी. नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से आपने सारे आई. ए. एस. अधिकारियों को गाड़ियां दे रखी हैं, टी. वी. दे दीजिए, बंगले दीजिए, बल्कि यह गेहूं का सारा का सारा मुफ्त में ले लीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी लेकिन इस प्रकार का अन्याय हो रहा है वह न करें। क्योंकि किसान संगठित नहीं है वह संगठित आवाज नहीं उठा सकता लेकिन जो दूसरे हैं वे आवाज उठा सकते हैं। किसान की आवाज उनकी ही आवाज नहीं है, सबके दिल में दर्द है, बड़ी मुश्किल से एक साल में आधी फसल उसके हाथ लगी है वह भी सस्ते दामों में जा रही है। उसने अपनी औरत के जेवर बेचकर फसल की है, टैक्स नहीं चुका पा रहा है,

(श्री शिवदानसिंह राठौड़)

बिजली के बिल नहीं भर पा रहा है, और फिर हम सस्ते दामों से उसकी फसल ले लेंगे तो उसके साथ सबसे अन्याय होगा। मैं पुनः सरकार से निवेदन करना चाहता हूं अगर इस प्रश्न पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया तो किसानों का यह मानस बनता जा रहा है कि अपने खेत में उसको जितना गेहूं खाने के लिए चाहिए उतना ही वह गेहूं बोयेगा। बाकी की जगह वह रायड़ा जीरा दूसरी चीजें नीबू वगैरह जिस प्रकार जयपुर के बड़े लोगों के फार्म में अंगूर, पपीता, आमों के बाग बगीचे लगे हुए हैं। इसी प्रकार हमारे गांव का किसान जो भोला भाला है, जिसमें भारत की आत्मा है वह भी एक दिन रह करने लगेगा कि खुद के खाने के लिए जितना अनाज चाहिए उससे अधिक पैदा नहीं करेगा। इसलिए उनको हतोत्साहित नहीं करें। इसलिए मेरा निवेदन है हमारी सरकार से निवेदन है कि हमारी संस्था 37 साल से जिसने किसानों का भला किया है, वह कांग्रेस ही है, जो किसान की मां है। मुझे पूर्ण आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सरकार आज ही इस पाबन्दी को हटायेगी।

आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री महाराम चौधरी। आपको एक प्रश्न ही पूछना है।

श्री महाराम चौधरी : मैं पूछना यह चाहता हूं कि भरतपुर के अन्दर या दूसरे जिलों के अन्दर बाजरी खरीदने के अन्दर असफल रहे और असफल रहने का सबसे बड़ा कारण यह बताते हैं कि बाजरे के अन्दर....

श्री अध्यक्ष : कारणों में नहीं जायें, इस सम्बन्ध में कई बार वक्तव्य हो चुके हैं।

श्री महाराम चौधरी : यह बीमारी बाजरे में इनको बताई किसने ? जिन अधिकारियों ने आपको बाजरे के अन्दर चेपा या अरगट बताया है, उन अधिकारियों की जांच कराइए उसका परीक्षण कराइये। उन्होंने आपको गलत बात कही है यह बाजरी नहीं खरीदने की नीयत से कही है। या तो आपके पास बोरियां नहीं थीं या आपके पास पैसे नहीं थे, या आपकी नियत नहीं थी, इसलिए बाजरी किसानों की नहीं बिकी। अध्यक्ष महोदय, यह तो अच्छा था कि हमारे नागौर और जोधपुर के आसपास की बाजरी के ग्राहक गुजरात की तरफ के हो गए। बाजरी गुजरात में भेजी जा रही है...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य।

श्री महाराम चौधरी : उनका बाजरा नहीं बिका और अन्य जगह वह ...

श्री परसराम मदेरणा : आप अपनी बात कहें।

श्री महाराम चौधरी : मेरी मांग है कि जो निकासी पर पाबन्दी लगाई हुई है उसको तुरन्त हटाया जाये। इसके साथ साथ व्यापारियों पर जो गेहूं खरीदने की लिमिट

(श्री महाराम चौधरी)

लगा रखी है, उसको बढ़ाया जायेगा जब तक कम से कम हजार क्विण्टल गेहूं रखने की इजाजत नहीं होगी तब तक असली किसान को फायदा नहीं मिलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह लोग बाग कहते हैं, किसानों और व्यापारियों का बहुत बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है, किसान का काम नहीं चल सकेगा और जो असली व्यापारी हैं वह तो इस तरह से नहीं करते हैं। बहुत कम व्यापारी हैं....

श्री रामरघुनाथ चौधरी : गलत कह रहे हो।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री महाराम चौधरी : इस तरह किसान का काम नहीं चलेगा। हम सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि क्या सरकार किसानों को राहत देगी, निकासी पर से पाबन्दी हटायेगी।

श्री अध्यक्ष : मेघराज तावड़। संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय मैं सबसे पहले आपका आभारी हूं, सारा सदन आभारी है कि आप किसान परिवार से आते हैं और आपने किसानों की बात को समझा है। अध्यक्ष महोदय, आप को मालूम है कि किसान जो भी चीजें पैदा करता है, गेहूं ही नहीं, उसका मूल्य किसान को पूरा नहीं मिलता है चाहे वह उड़द हो, तिल हो, बाजरा हो, गेहूं हो, कपास हो कोई भी चीज हो, किसान पैदा करता है उसका पूरा मूल्य नहीं मिलता है। इस सम्बन्ध में आपको मालूम है कि हमारी लोकसभा के अध्यक्ष माननीय जाखड़ साहब के जहां जहां भी उनके स्टेटमेंट सुनने और पढ़ने को मिले हैं, वह किसानों के प्रति काफी चिन्तित है। वह किसानों की काफी हिमायत करते हैं। उनको मालूम है कि किसान आज जो भी पैदा करता है उसका मूल्य नहीं उसे मिल पा रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसान को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। आज जितने भी बड़े बड़े कारखाने वाले हैं वह जब चाहें इण्डस्ट्री बन्द कर सकते हैं, कपड़ा पैदा करना बन्द कर सकते हैं उन पर सरकार इस तरह पाबन्दी नहीं लगा सकती है। उनको पाबन्द नहीं कर सकती कपड़ा पैदा करने के लिए। लेकिन किसान जो पैदा करता है वह उसके लिए वह सस्ते मूल्य में बिकती है। मैं सदन से कहना चाहता हूं और माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि किसान को ही भाव तय करने का अधिकार होना चाहिए। जो मंडी में डंडी मारने वाले भाव तय करते हैं। किसान को मालूम है कि उसका कितना खर्चा लगा है एक क्विंटल में कितना खर्चा आता है। उसके खर्चे को मालूम करके एक बीघा में जो कीमत लगती है वह पूरी लगाने के बाद ही किसान भाव तय करे। यही नहीं, जैसे चने के मामले में आपने गलती को बाजार नहीं खरीदा, बाद में भाव बढ़ा दिया, उसमें किसान को लूट लिया, उसके बाद में सरकार कहेगी कि योजना बना रहे हैं, नीति तय कर रहे हैं।

(श्री मेघराज तावड़)

तो मैं तो चाहूंगा कि ज्यादा सदन का समय नहीं लेकर जो किसान हैं, जो यहां पर बैठे हैं, वे भी किसान ही हैं कुछ बिचोलिये भी बैठे हैं। तो, अध्यक्ष महोदय मैं तो चाहूंगा कि आज सरकार इस बात पर घोषणा करे कि जहां किसानों को सही मूल्य मिलता है उसकी कीमत पूरी मिलती है, उसकी पसीने की कमाई का पैसा उसको मिलता है वहां उसको ले जाने की छुट दी जानी चाहिए। यही कहते हुए मैं आपका आभारी हूं, अध्यक्ष महोदय, कि आपने किसानों की समस्या को समझकर इस संस्था को आगे बढ़ाई।

श्री अध्यक्ष : श्री छीतरलाल।

श्री छीतरलाल आर्य (अटरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आज किसानों के अनाज की निकासी के संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज भारत कृषि प्रधान देश कहा जाता है लेकिन अगर कोई अत्याचार और जुल्म, इस सरकार की तरफ से परेशानी होती है वह एक किसान के साथ ही होती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका कारण है कि सभी वर्गों में अपनी यूनियन है, एकता है लेकिन हमारे भारत देश के किसानों के अन्दर एक कमजोरी है या उसकी फूट की लुट आज सरकार इस प्रकार से, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह फायदा उठा रही है। लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब भारत का किसान और हमारे प्रान्त का किसान जागरूक हो गया है। वह अपने अधिकारों की मांग करने के लिए वह आन्दोलन करेगा और, माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज किसानों के दुख दर्द को एक किसान ही समझ सकता है या किसान का लड़का ही समझ सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसान हूं। जिस तरह से सर्दी और गर्मी की बिना परवाह किये किसान अपने खेतों में काम करता है, खून और पसीना बहाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब उसकी फसल बाजार में आती है तो उसके पहले तो जब व्यापारी के पास अनाज होता है तो उसका दुगना भाव होता है और जब किसान यह देखता है कि मेरी फसल तैयार हो रही है, अच्छे भाव से बिकेगी, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, वह उस उससे आधे दामों में रह जाती है और आधे दाम पर बिकती है जिससे उसको बहुत बड़ा दुख होता है और किसान टुकर टुकर देखता रहता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले साल सरकार ने मोटे अनाज को सपोर्ट प्राइस तय की थी 235 के भाव से लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान से सपोर्ट 235 के दाम पर चना या मोटा अनाज नहीं खरीदा गया। यह सबको विदित है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मण्डियों में 180 और 190 से ऊपर चना नहीं खरीदा गया और मैं आपको बताऊं, अध्यक्ष महोदय कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और सब लोगों ने मुख्य मंत्री जी के यहां पर धरना दिया कि मोटे अनाज को चने की 235 रु. के दाम पर खरीदा जाये लेकिन इसके बावजूद किसानों के साथ अन्याय हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों के अनाज की निकासी के ऊपर गवर्नमेंट ने पाबन्दी लगा रखी है इससे

(श्री छीतरलाल आर्य)

व्यापारियों को फायदा होता है, पूंजीपतियों को बढ़ावा मिलता है और इधर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो मेरी मांग है कि किसानों की इस साल जैसे शीतलहर से सारी फसलें नष्ट हो गयी और हमारे यहां किसानों की फसल नष्ट होने के मुआवजा की मांग की लेकिन आज तक कोई सरकार की तरफ से किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से प्राकृतिक विपदाओं से होने वाले नुकसान से किसानों के लिए फसली बीमा योजना लागू की जानी चाहिए और मेरी पुरजोर शब्दों में मांग है कि सपोर्ट प्राइज गेहूं का समर्थन मूल्य कम से कम 250 रु. के दाम सरकार तय करे जिससे किसानों को आर्थिक लाभ मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आज राजस्थान प्रान्त में अगर माली हालत देखी जाये तो सबसे ज्यादा माली हालत किसान खराब किसानों की मिलेगी जब की पंजाब हरियाणा और गुजरात के अन्दर किसानों को कई प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं....

श्री अध्यक्ष : वह अलग बात है, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री छीतरलाल आर्य : दूसरे प्रान्त भीगा हुआ गल्ला भी, भीगा हुआ अनाज भी सरकार सपोर्ट प्राइस पर खरीदती है और यहां पिछले साल, माननीय अध्यक्ष महोदय, बाजरे को यहां की सरकार ने, राजस्थान सरकार ने यह कह कर, यह बहाना बनाकर कि बाजरा खराब है और किसानों के पास जब कि 24 लाख टन बाजरा हमारे यहां हुआ लेकिन उसके अनुसार या उसके अनुपात में, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं के समान बाजरा खरीदा गया...

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री छीतरलाल आर्य : और आज, माननीय अध्यक्ष महोदय, दैनिक उपयोग की चीजों के भावों को देखते हुए उसके अनुपात में किसानों की फसल का दाम जहां आज 125 के भाव गेहूं बिक रहा है, यह बहुत ही कम है। तो मेरी पुरजोर शब्दों में मांग है कि प्राकृतिक विपदाओं से राहत दिलाने के लिए फसल बीमा योजना लागू की जानी चाहिए और 250 रु. समर्थन मूल्य दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए माननीय सदस्य। आपने कह दिया। अब पुनरावृत्ति हो रही है।

श्री महावीरप्रसाद : इनकी भी कई कठिनाइयां हैं। गोदाम भर गये होंगे। भर गए खतम हो गए। पूंजी अटक गयी। कोई खुल्ला बूल्जा हो तो....

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, न मैं कोई व्यापारी इस प्रकार का करता हूं खरीदने का लेकिन मेरा एक यह निवेदन है कि जब हम यह देखते हैं जब हम गांवों में देखते हैं और यह देखते हैं कि किसानों की किस प्रकार की हालत है और उनके बच्चों की किस प्रकार की हालत है इसलिए आज यह बोलने की आवश्यकता पड़ गयी। मैं यह

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

जानता हूं और मेरे बारे में आप भी यह सोच रहे होंगे कि पता नहीं वह क्या बोलेंगे, लेकिन वस्तु स्थिति है....

श्री अध्यक्ष : आपका हित, अहित किसानों के साथ जुड़ा हुआ है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसानों के साथ ही हमारा हित और अहित जुड़ा हुआ है और हम किसान की हालत जब देखते हैं, उसके खेत पर जब हम जाते हैं, उसके घर पर हम जाते हैं तो वह इतनी मेहनत करने वाला किसान आज उसके बच्चों की किस प्रकार से हालत है....

श्री अध्यक्ष : आप इस बात का अन्दाजा ही लगा सकते हैं जो रात दिन मेहनत करते है उसकी क्या हालत है और दुकानदारों की क्या हालत है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और जो मौजमस्ती करते हैं उनके बच्चों की क्या हालत है और वह किस प्रकार रहते हैं और किसान किस प्रकार से रहता है और उसके बाद भी जो और यहां पर इस विधान सभा में ज्यादातर लोग उस समाज से चुनकर आते हैं किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन उस पर भी आज सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने यह है कि हम उनका प्रतिनिधित्व करने के लिये यहां आते हैं। उनकी बात भी करते हैं। विधान सभा में बात करके और बाहर चले जाते हैं लेकिन इस प्रकार की कोई लाबी हमने खड़ी नहीं की कि जहां पर किसानों के ऊपर चोट पड़े और वह खड़ा होकर बात करे और सरकार को मजबूर करे कि यह ऐसा नहीं हो सकता आज सबसे ज्यादा आवश्यकता इस बात की है आज सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि जहां पर किसान के ऊपर चोट पड़ रही है, सारा सदन एक मत है उसके बाद हम सरकार को नहीं मना पा रहे हैं मुझे बड़ा अफसोस है कि इस प्रकार कानूनी मुद्दा यहां उठाकर यह कहा गया है कि बफर स्टाक करने के लिए इस प्रकार का कानून बनाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्टाक के लिए शायद....

श्री परसराम मदेरणा : बफर के ऊपर बैठ जाओगे ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : बम्पर स्टाक के लिए शायद सरकार यह समझती है कि यदि हमने यह पाबन्दी नहीं लगाई ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : श्री श्री राम जी को देखकर कह दिया बम्पर स्टाक नहीं करते बफर स्टाक........

श्री महावीर प्रसाद जैन : .... यदि हमने यह पाबन्दी नहो लगाई तो गेहूं निकल जायेगा। गेहूं सरकार को उपलब्ध नहीं होगा।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, यह बात नहीं कही है। आप मेरा गलत इन्टरप्रिटेशन नहीं करें। मैंने यह बात कही है कि यह कन्ज्यूमर्स के लिए प्राइस नीति रही। यह नहीं है पोलिसी गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया की। आउट इंडिया पालिसी है कि बफर स्टाक क्रियेट किया जाये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : स्टाक कौन करे ?

श्री परसराम मदेरणा : सेन्ट्रल गवर्नमेंन्ट भी करती है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यही तो मैं कह रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा : आप प्राईस की बात कह रहे थे उस सिलसिले में मैंने बात कही है और आप मेरे आलोचक बन करके मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए खड़े हो गए। आपको अगर कोई लाबी बनानी भी है तो उसमें भी मैं तो आपको शरीक नहीं करूंगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यही मैं कह रहा हूं कि बफर स्टाक आपका नहीं होगा, आपको शायद यह शंका है कि हमको 152) रुपये में गेहूं नहीं मिलेगा। आपने लेवी के नाम से तो इस प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं लगाई। यदि गेहूं बाहर निकलता है और आपको स्टाक करना पड़ता है तो आपको लेवी लगानी पड़ेगी। इसलिए यह पाबन्दी नहीं है। मैं कहता हूं, लेवी हो। इसको आप लेवी के रूप में वसूल करना चाहते हैं। सरकार की मंशा है, सरकार की नीयत खराब है। इसकी जो सपोर्ट प्राइस तय करते हैं उस प्रकार बाजरा सपोर्ट प्राइस से खरीदा नहीं, ज्वार इन्होंने खरीदी नहीं है। पिछली बार चना 180) रुपये में बिकता रहा और 235) रुपये के भाव हमने सपोर्ट प्राइस के तय किये, लेकिन हमने नहीं खरीदा। 235) रुपये में चना नहीं खरीदा। उसका परिणाम यह हुआ कि वह 400) रु. में वह चना बिका 180) रुपये में जो चना फसल के टाइम पर बिका वह बाद में जाकर 400) रुपये में बिका। इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए हम जिम्मेदार है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि आज हमको यदि बफर स्टाक करना है, यदि हमें इस प्रकार का स्टाक करना है तो हम कल्याणकारी राज्य की कल्पना के हिसाब से, हम इस प्रकार की व्यवस्था करें। यदि हमें ऊंचे दामों में गेहूं खरीदना पड़े तो मैं यह कहता हूं कि ऊंचे दामों में हम गेहूं खरीदें, लेकिन क्या हम इस बात को बरदाश्त करेंगे, क्या हम इस बात को सोचते हैं कि क्या राजस्थान विधान सभा में आये हुए माननीय सदस्य अपने आपको मजबूर मानकर आज इस प्रकार का आह्वान करते हैं कि किसान सड़कों पर आयेगा किसान आन्दोलन करेगा। जब सारा सदन एकमत है, जब किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हम यहां पर बैठे हुए हैं, तो किसान आन्दोलन करने क्यों आये ? और उसको आन्दोलन में जाने के लिये हम क्यों तैयारी कर रहे हैं मेरा यह निवेदन है कि आप किसान को सड़क पर क्यों लाना चाहते हैं ? इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी माली हालत को देखते हुए, आज उनके बच्चों की हालत को देखते हुए, आज हमको शर्म आनी चाहिये। आज हमारा शर्म से मस्तिष्क झुक जाता है जब हम यह देखते हैं कि आज किसान की हालत इस प्रकार की है। कितनी वह मेहनत करता है, मौज मस्ती करने वाले व्यक्ति आज इस प्रकार की बातें करते हैं।........

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य।

श्री महावीर प्रसाद जैन : सरकार में, प्रशासन में आज खाद्य आयुक्त किसान का लड़का है खाद्य मंत्री किसान का लड़का है लेकिन यह बड़े किसान हैं इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। बड़ा किसान और बड़े व्यापारी के ऊपर इसका कोई असर नहीं होने वाला है इसलिये मेरा यह निवेदन है आप इस पाबन्दी को तुरन्त आज ही हटायें और यदि कोई भी मजबूरी है तो वह आपके आगे नहीं आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री हरसहाय मीणा।

श्री हरसहाय मीणा : (किशनगंज) अध्यक्ष महोदय, देश की 70 करोड़ जनता का उदर भरने वाले काश्तकार की पैदावार के बारे में पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किये। और सब से अहम मुद्दा इस बात का है कि फसल का निकास किया जाना चाहिये और जो समर्थित मूल्य पर काश्तकार की जो जिन्स है, पैदावार है, उसको खरीदने के बारे में मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

जब काश्तकार का माल तैयार होता है और जब वह समर्थित मूल्य पर सरकार उसको खरीदती है या सरकार अपना स्टाक करने के लिये लेवी लगाती है, क्योंकि सरकार को भी यह देखना पड़ता है कि जहां काश्तकार को कीमत उचित दिलानी होती है उसके साथ-साथ उपभोक्ता पर भी उसका कोई विपरीत असर न पड़े। इस भाव को मद्देनजर रखते लेवी की व्यवस्था भी सरकार ने की हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार ने इन दोनों ही नीतियों से, दोनों ही रीतियों से काश्तकार को भंयकर नुकसान है। काश्तकार जब माल बेचता है और मार्केट में भाव कमजोर होता है तो सरकार समर्थित मूल्य पर खरीदने की कोशिश करती है। सेन्टर खोलती है और उन सैन्टरों पर उस माल को नापास कर दिया जाता है और नापास करने से उस माल को लेकर व्यापारी के पास जाता है और व्यापारी उस माल के पैसे आधे और पौन लगाता है। इसी प्रकार से जब वह लेवी सरकार के द्वारा लगाई जाती है चाहे गेहूं पर हो, चाहे चावल पर हो, व्यापारी अपना मुनाफा पहले आंक लेता है और पहले इस बात का ध्यान रखता है कि मुझे इसमें लेवी कितनी चुकानी है और किस हिसाब से लेवी देने के बाद मुझे किस भाव से बेचना पड़ेगा इसलिये काश्तकार के माल को वह बहुत ही घटिया रेट पर, बहुत ही कम रेट पर खरीदता है जिससे भी काश्तकार को भयंकर नुकसान होता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि काश्तकार की जो भी पैदावार है, उसके भावों को सही रखने के लिये रेट कन्ट्रोल बोर्ड और निकासी के लिये एक समिति का गठन इस तरह का होना चाहिये जो इस बात का समय समय पर जायजा लेती है, देश में प्रदेश में किस किस चीज का भाव ज्यादा है और हमें माल निकालने की बात करनी चाहिये या नहीं। व्यापारी सब तरह से सक्षम होता है और वह यह देख लेता है कि दूसरे प्रदेशों से यदि भाव अच्छा है तो सरकार के कुछ कर्मचारियों से मिलकर फसल को निकालने का या नहीं निकालने का फैसला करा लेता है। विधान सभा कभी 6 महीने में आहुत होती हैं जन प्रतिनिधि, काश्तकार प्रतिनिधि आदि उसमें अपने

(श्री हरसहाय मीणा)

विचार रखते हैं, तो फसल को निकालने का और फसल को रोकने का निर्णय भी ले लिया जाता है इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आज जब माननीय सदस्यों ने इस बात की पुरजोर मांग की कि गेहूं को बाहर निकालना चाहिये, यह निश्चित बात है गवर्नमेंट डिसीशन भी ले लेगी कि गेहूं को बाहर निकाला जाये। परन्तु इससे भावों में आगे जाकर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि माल को बाहर निकालें और बाहर माल जिस भाव में बिक रहा है और उस के बाद में प्रदेश में यदि माल की कमी रहेगी तो निश्चित रूप से व्यापारी उस माल को खरीद करके और बहुत अच्छे पैसों में बेचेगा। इसलिये एक कन्ट्रोल बोर्ड होना चाहिये जो यह तय करे कि किस वक्त किस माल को बाहर भेजना चाहिए, बाहर भेजने की निकासी होनी चाहिये और किस की निकासी नहीं होनी चाहिए। जनता पार्टी के टाइम पर माल को बाहर निकालने की खुली छुट थी और मुझे अच्छी तरह से याद है कि काश्तकारों की फसल की कीमत इतनी कम हो गई थी कि वह काश्तकार उसको बरदाश्त नहीं कर सकता था और जिसमें गन्ने की पैदावार, जो गुड था उसका तो इतना भाव कम हो गया था कि काश्तकार निकलवा नहीं सके थे, गन्ने के गुड को और उसको खड़े खेतों में फसल को आग लगानी पड़ी थी। इसलिए इस तरीके की एक व्यवस्था होनी चाहिये और उसमें जो समिति का गठन हो उसमें काश्तकार भी उस समिति में होना चाहिये ताकि वह निर्णय लेवें कि कब हमको सरकार से यह निवेदन करना है कि फसल बाहर निकालने की परमिशन दी जाये और कब उसको रोकने की परमिशन दी जाये। इस तरीके की एक व्यवस्था होनी चाहिये। मेरा सुझाव माननीय सदस्यों के सुझावों के साथ साथ है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा कि किसानों की इस महत्वपूर्ण समस्या पर विचार करने का आपने अवसर दिया। अवसर ही नहीं दिया, बल्कि अपनी उदारता का परिचय देकर किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, इस संबंध में सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया साथ ही अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस वाद विवाद में भाग लिया, उन्होंने एक मत होकर जो इस तरह के विचार व्यक्त किये हैं कि राजस्थान से गेहूं की निकासी पर लगायी हुई पाबन्दी हटाई जाये, मैं उन सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। यह भी मैं मानता हूं कि जो सदस्य इस पक्ष के या उस पक्ष के जो माननीय सदस्य नहीं बोले हैं उनकी भी भावनायें यही हैं कि इसके ऊपर निकासी का जो आदेश है उसको निरस्त किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, अब यह तो सरकार के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हो गया है। हम कई बार लोकतंत्र की चर्चा करते हैं। लोकतंत्र में बहुमत के आधार पर निर्णय लिये जाते हैं

(266)

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इस बात का भी हम प्रचार करते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जो इन बातों से भली भांति परिचित हुए होंगे कि इस सदन के लगभग सभी सदस्य, बहुमत नहीं, लेकिन सभी सदस्य, मुख्य मंत्री जी का तो मैं कह नहीं सकता, बाकी के सब सदस्य इस बात के पक्ष में हैं कि गेहूं की निकासी के ऊपर लगी हुई पाबन्दी हटाई जाये। अब वह बहुमत का कितना सम्मान करते हैं बहुमत का निर्देश किस प्रकार से वे लेते हैं, यह तो मुख्य मंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से इस देश में सब प्रकार की लाबीज क्रियेट हुई है लेकिन किसानों की लाबी क्रियेट नहीं हो पाई। सम्भवत: आपको याद होगा कि आज से लगभग 15-20 वर्ष पहले यहां पर केन्द्र के कृषि मंत्री श्री पाटिल आये थे। सारे विधायकों को गवर्नमेंट होस्टल में एक गोष्ठी के लिये बुलाया गया और और गोष्ठी का समारोह करते हुए श्री पाटिल ने भाषण दिया कि मैं पी. एल. 480 के लिये अमेरिका गया था। अमेरिका के प्रेसीडेंट से मिला, अमेरिका की सिनेट के मेम्बर्स से मिला तो जो फूड प्रोक्यूरमेन्ट कमेटी है उसके मेम्बर थे लेकिन पी एल 480 के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। बाद में मुझे एम्बैसी से पता लगा कि आपने ठीक जगह पर एप्रोच नहीं किया। यह प्रेसीडेंट अनाज की बिक्री नहीं कर सकता, यह सिनेट अनाज की बिक्री नहीं कर सकता या यहां की फूड मिनिस्ट्री अनाज की बिक्री नहीं कर सकती, यह जो एग्रीकल्चरिस्ट्स का आर्गेनाइजेशन है उससे यदि आप मिलेंगे तो हिन्दुस्तान को कितना गेहूं एक्सपोर्ट किया जाये वह जब हां भरेंगे तब जाकर यह सिनेट या प्रेसीडेंट उसके ऊपर मोहर लगायेंगे।

उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया कि अमेरिका में रहते हुए उनसे जाकर बातचीत करें लेकिन वातावरण इस प्रकार का बिगड़ गया था कि श्री पाटिल को हिन्दुस्तान वापिस आना पड़ा और 15 दिन बाद वहां जो एक आर्गेनाइजेशन है उसके हैड से समय लेकर पाटिल साहब अमेरिका गये और उस समय पी. एल. 480 का मामला तय हुआ। आज चाहे अमेरिका धनी देश है लेकिन वहां भी एग्रीकल्चरलिस्ट की इतनी जबरदस्त लोबी है कि कोई भी सरकार उस लोबी के अगेन्स्ट में चर्चा नहीं करती चाहे अन्य सरकार हो विदेश की, किसी न किसी रूप में किसानों का इन्टरेस्ट वाच करने के लिये पोलिटिकल लेवल पर, इकोनोमिक लेवल पर एक इस प्रकार के आर्गेनाइजेशन्स खड़े हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं और सरकार उसके प्रभाव से बच नहीं सकती है। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब 151) से 152) के भाव हुए उस समय समाचार पत्रों में एडीटोरियल्स लिखे गये उन एडीटोरियल्स में खास तौर से ऐसी अफवाह, जो पूंजीपति, जिनका संचालन करते हैं, उन अखबारों ने एडीटोरियल में यह लिखा कि हिन्दुस्तान की सरकार ने बहुत समझदारी का काम किया। ये एडीटोरियल केवल इस बात के लिये लिखे गये थे कि समाचार पत्रों के माध्यम से या बाकी इन्टेलिजेन्सियां ने सौ काल्ड इन्टेलिजेन्सियां में इस प्रकार का प्रचार किया जाय कि भारत सरकार यदि गेहूं के दाम बढ़ा देगी तो बाकी की चीजों के भावों पर कन्ट्रोल करना भारत सरकार के लिये सम्भव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, वह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

इन्टेलिजेन्स लोगों की लोबी वह आज किसानों के पक्ष में नहीं है। आज जितने भी बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनकी लोबी किसानों के पक्ष में नहीं है। तो जहां तक प्रचार सामग्री का प्रश्न आता है प्रचार हमेशा किसानों के विरोध में होता है जिस समय 152) के भाव तय हुए, उस समय समाचार पत्रों में लिखा हुआ है हरियाणा के काश्तकारों ने ज्यादा मांग की तो उन काश्तकारों को डब किया गया कि ये कुलक्स हैं, ये बड़े काश्तकार हैं। राजस्थान के किसानों ने मांग की तो उनको डब किया गया कि ये कुलक्स हैं, ये बड़े काश्तकार हैं, ये शोषण करने वाले हैं। एक वातावरण इस प्रकार का बनाया गया कि किसान यदि अपनी मांग के औचित्य के बारे में किसी भी प्रकार का कोई आन्दोलन करता है, मांग करता है, तो देश में इस प्रकार की कुछ व्यवस्था हो गई कि किसान को एन्टी किसान, एन्टी काम मेन, एन्टी कन्जुमर, इस प्रकार की स्थिति में ला करके खड़ा करते है। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से हिन्दुस्तान में आज तक इस लोबी का जवाब देने वाले नहीं हैं। आज चाहे समाचार पत्र हों, चाहे लोबी का जवाब देने वाले सो काल्ड इन्टेलिजेन्सिया हो वह इस प्रकार की स्थिति हिन्दुस्तान में नहीं बन पाई। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सारे देश के अन्न की व्यवस्था जो किसान करता है, सारे देश की इकोनोमी जिस पर निर्भर करती है उस उत्पादनकर्ता का आज इस प्रकार से सही दृष्टकोण से नहीं माना है। अध्यक्ष महोदय, जैसी हालत है। और अभी जैसा माननीय सदस्य हरसहाय जी बोल रहे थे कि जनता पार्टी के शासन में चीजों के भाव बहुत गिर गये, अनाज के भाव बहुत गिर गये। उनका शायद आशय वह था कि जिस समय वे सरकार में थे और जिस समय गेहूं की पाबन्दी लगी उस समय चाहे सरकार के सामने यह दृष्टिकोण रहा होगा कि गेहूं के भाव कम हो गये इसको बढ़ाने के लिये राजस्थान की सीमा को कम कर दें। मैं समझता हूं यह कभी नहीं हो सकता, अगर राजस्थान के बाहर गेहूं की निकासी नहीं होती तो निश्चित रूप से भाव गिरेंगे, भाव तो निकासी से बढ़ेंगे। मेरे सामने सिंचाई मंत्री जी भी बैठे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस समय जोन के बारे में डिसिजेन हुआ था, मैंने इधर से बैठकर इसका विरोध किया कि किसानों के अनाज की निकासी पर किसी प्रकार की पाबन्दी नहीं लगाई जाय। उस समय यह भी प्रश्न आया कि जोन बनाये जाते हैं तो हमें किन स्टेटस से टग किया जाय और किन स्टेट्स में टैग नहीं किया जाय। वहां वह प्रश्न भी खड़ा हुआ कि जहां धान ज्यादा कन्जम्पशन होता है उन स्टेट्स से राजस्थान को टैग किया और जिन स्टेट्स में गेहूं का कंजम्पशन नहीं है उनसे हमको टैग नहीं किया जाय। एक आर्गूमेंट थी कि जहां कन्जम्पशन ज्यादा है यदि उनसे टैग किया जायगा तो नेचुरली हमारा गेहूं जो दिल्ली जाता है या कलकत्ता बम्बई, जाता है जहां प्रोडक्शन नहीं होता है केवल कन्जम्पशन होता है तो निश्चित रूप से हमारे उत्पादन का मूल्य पूरा मिलेगा। और मुझे यह खुशी हुयी माननीय अध्यक्ष महोदय, वह प्रोसीडिंग तो माननीय मंत्री महोदय कि उस समय जिस समय जोन लगाया गया था जिस समय जोन इन्ट्रोडूयज किये गये थे माननीय मदेरणा साहब आपको याद दिलाना

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

चाहता हूं आपने इस कुर्सी पर बैठकर इन जोन्स का विरोध किया था। आज आप मंत्री मण्डल में हैं, उस समय शायद आप नहीं कर सकते थे, लेकिन आज आपके हाथ में है, आप कर सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जोन्स के लिये यह कहा था कि हाई कन्जम्पशन सेन्टर के साथ, जैसे बम्बई या नार्थ जोन के साथ नहीं लगाया जाय। बम्बई के साथ लगाओ तो कल भाव बढ़ जायेंगे। आज तो सिंगल स्टेट जोन है, उस समय 23 स्टेट के जोन की बात आई थी। मैंने यही कहा था कि इसको इस तरह से नहीं बना करके नार्थ के साथ में और बम्बई के साथ में लगावो तो हाई कन्जम्पशन सेन्टर हैं क्योंकि दिल्ली में तो हरियाणा नजदीक पड़ता है तो उनका तो माल वहां पर आ जायगा लेकिन राजस्थान अगर बम्बई और महाराष्ट्र के साथ लगता है, अगर बीच में अहमदाबाद वगैरह बड़े बड़े शहर हैं गांधी-नगर वगैरह, राजस्थान को इससे फायदा होगा, मैंने यह बात कही थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने यह बात कही होगी लेकिन यह भी सही है कि आप सिंगल स्टेट जोन के भी पक्ष में नहीं थे। यह बात भी सही है कि किसी प्रकार के जोन के आप पक्ष में नहीं थे। खैर कोई बात नहीं, उस समय आप कुछ कह गये और आज करने की स्थिति में हैं तो कुछ करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि आज दुनियां के अर्थ शास्त्रियों ने इस देश के अन्दर यह हवा बना रखी है कि यदि हम अनाज के भाव कन्ट्रोल करके नहीं रखेंगे तो हिन्दुस्तान की इकोनोमी में हिन्दुस्तान का कपड़ा महगा हो जायगा, तेल मंहगा हो जायगा, खाने पीने की चीजें मंहगी हो जायगी, कल कारखानों से उत्पन्न होने वाली चीजें मंहगी जायगी। प्राइस इन्डेक्स बढ़ जायगा, इनफ्लेशन की रेट बढ़ जायगी और इसलिये अर्थ शास्त्रियों के अनुसार आज अनाज के भाव कन्ट्रोल में रखें जाय। मैं अध्यक्ष महोदय, पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि हिन्दुस्तान के किसान के पक्ष में न इंटेलिजेंशिया है न हिन्दुस्तान के किसान के पक्ष में ऐसे अखबार हैं जो किसानों की वकालत कर सकें और न हिन्दुस्तान के किसान के पक्ष में अर्थ शास्त्री ही है जो अर्थ शास्त्री यह कह सकें कि किसान की यदि आय बढ़ेगी तो हिन्दुस्तान का अर्थ-तन्त्र ज्यादा अच्छा होगा। आज यह कहने की स्थिति में नहीं है और यदि किसी ने कुछ कह दिया, अध्यक्ष महोदय, चौधरी चरण सिंह ने एक पुस्तक लिखी। कोई इस बात को स्वीकार करे या न करे लेकिन चौधरी चरणसिंह दिल से किसान है, किसान के बारे में जितनी उनको जानकारी है, मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि दूसरों को उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन उस आदमी को, उस नेता को भी बहुत जबरदस्त जानकारी है। उन्होंने एक किताब लिखी, मुझे अफसोस हुआ उस किताब के ऊपर कई जगह पर टिप्पणियां की गई कि चौधरी चरण सिंह तो कुलक्स को रिप्रजेन्ट करते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कुलक्स कहां से आ गये और कहां से नहीं आये लेकिन यदि सरकार वास्तव में छोटे किसानों का भी भला करना चाहती है, छोटे किसानों का भला करना चाहता है तो सरकार के लिये सबसे पहले

(श्री मंगेसिंह शेखावत)

आवश्यक है कि सरकार छोटे किसानों को बचाने की बात करे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जनता पार्टी को भी याद कर लिया। बड़ी खुशी हुई मुझे जब उन्होंने उस समय कहा कि किसानों के साथ उस समय बड़ा अन्याय हुआ। मैं आज आपको जानकारी देना चाहता हूं, दो ही मिनिट का समय लूंगा। आप मुझे बता दीजिये कि राजस्थान में यदि सेल्स टैक्स लागू किया तो कांग्रेस पार्टी ने लागू किया या जनता पार्टी ने लागू किया। यदि ढाई हेक्टर जमीन, जो बारानी जमीन है उसका लगान माफ किया तो जनता पार्टी ने माफ किया या कांग्रेस पार्टी ने माफ किया। 1977 के पहले डण्डे मार कर लेवी वसूल की जाती थी। यह जनता पार्टी का शासन था जिसने लेवी तय कर दी और साथ में, अध्यक्ष महोदय, 33 हजार मुकदमें जो किसानों के ऊपर लगे हुए थे वे एक झटके में किसानों के मुकदमें वापिस ले लिये। यह जोन सिस्टम खतम किया। जनता पार्टी का शासन था कि राजस्थान का किसान बम्बई, मद्रास, बंगलोर जहां भी अनाज ले जाना चाहे, उस तरफ अनाज ले जा सकता था। अध्यक्ष महोदय, यह भी आपको मालूम होगा कि उस समय किसानों के ऊपर लगान ही माफ नहीं किया बल्कि उस समय रेवेन्यू कैम्पेन जिसकी नकल आज आपकी सरकार कर रही है, उस जनता पार्टी के शासन में चालू हुआ, जिसमें दो कम्पेन में 18 लाख मामलों

किसानों के चौखट के ऊपर निर्णय हुआ अध्यक्ष महोदय, यह भी आपको मालूम होगा कि वही जनता पार्टी का शासन था जिसमें सरकार ने पिछले चार आना से बढ़ा कर ढाई रुपया पंचायतों को प्रति व्यक्ति अनुदान दिया। मैं इसीलिये कह सकता हूं कि काम के बदले अनाज योजना से गांवों में विकास का काम हुआ। इसलिये यह आरोप लगाना कि जनता पार्टी के जमाने में किसानों का हित नहीं हुआ। यह आप भाषण देने के लिये कह सकते हैं लेकिन यह बात तथ्यों के विपरीत है। मैं यह कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय।

(10.00 रात्रि)

कि आज किसान के ऊपर यह पाबन्दी लगाना कि वह राजस्थान से बाहर नहीं ले जा सकता, यह कहां तक उचित है? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हरियाणा के मुख्य मंत्री को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पंजाब के मुख्य मंत्री को कि भारत सरकार ने वहां भी जोन सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करने की बात कही थी, लेकिन भजन लाल जी ने भारत सरकार को कह दिया है कि यदि मुझे मुख्य मंत्री रखना चाहते हो तो यह जोनल सिस्टम नहीं होगा, पंजाब के दरबारा सिंह ने कह दिया कि यह जोनल सिस्टम पंजाब का किसान स्वीकार नहीं करेगा। मैं मुख्य मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं कि आप हरियाणा के मुख्य मंत्री भजन लाल जी ने और पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री दरबारा सिंह से कमजोर हैं कि राजस्थान के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। राजस्थान के किसानों के सामने आज जो आर्थिक संकट खड़ा हुआ है उसके आर्थिक संकट का आप समाधान नहीं कर सकते। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे डण्डीमार, यह बिल्कुल सही बात है कि इस जोन का

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

यदि किसी को फायदा मिल रहा है तो किसान को नहीं मिल रहा और व्यापारी जो अनस्क्रुपलस है, जो किसी कानून की परवाह नहीं करते, जो स्मगलिंग को अपनी इकोनोमी का आधार बनाकर चलते हैं, तो उन लोगों के आधार पर चल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने सुबह माननीय खाद्य मन्त्री जी से कहा था, जांच करना चाहें तो पूरे हरियाणा के बोर्डर की जांच कर लें, कितने चालान कटे हैं, हरियाणा के चालान कटे हैं। अनाज जयपुर की मण्डी से उठाते है। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं ने उदयपुर की मण्डी से अनाज उठते हुए देखा, मुझे लोगों ने बताया कि परमिट तो इनके पास हरियाणा का है और गेहूं उदयपुर से ले जा रहे हैं। यह रतनपुर की सीमा पार करेंगे और गुजरात के अन्दर बाजार भाव बेचेंगे। मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उदयपुर में गेहूं 125 रुपये क्विंटल बिके, उदयपुर से डूंगरपुर में 130 रुपये बिके और डूंगरपुर से आगे रतनपुर की सीमा से 10 मील दूर के ऊपर गेहूं 200 रुपये क्विंटल बिके तो राजस्थान के किसान ने क्या अन्याय किया है कि उदयपुर डूंगरपुर का किसान तो 120) और 130 रुपये क्विंटल में अपना गेहूं बेचे और 20 मील की दूरी के ऊपर गुजरात का किसान 200-250 रुपये में अपना गेहूं बेचे। मैं समझता हूं राजस्थान के किसान ने इस प्रकार का कोई अन्याय नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि वहां हरियाणा और पंजाब में नर्मा खराब हो गया, नर्मा खराब होते ही वहां की सरकार ने घोषणा की, जिनकी कपास के खेत खराब हो गये हैं, उनको हम कम्पेन्सेशन देंगे। यहां की सरकार ने भूल से भी कभी घोषणा नहीं की कि ओले पड़ गये तो हम किसानों को राहत पहुंचायेंगे, हम किसानों को राहत पहुंचायेंगे। वह स्थिति आज तक पैदा नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य रघुबीर सिंह जी ने कहा था कि राजस्थान ने कितनी मांग की। पंजाब की सरकार इस किसान लाबी को बनाने के लिए केवल यही काम नहीं करती कि पंजाब की सरकार रुपये दे, लुधियाना की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कहा कि हर वर्ष, हर फसल के बारे में कास्ट आफ प्रोडक्शन कितना आता है, उस कास्ट आफ प्रोडक्शन का असेसमैन्ट किया करे। मैं मुख्य मंत्री जी और राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके पास भी उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, क्या आपने इस बात का अध्ययन कराया कि गेहूं की उपज के ऊपर प्रति एकड़ कितनी कास्ट आयी मक्का की कास्त कितनी आयेगी और बाजरे की कितनी आयेगी? अध्यक्ष महोदय, आज तक राजस्थान की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने स्वतः तो कुछ किया ही नहीं लेकिन सरकार ने भी इस प्रकार की कोई जांच नहीं करायी। आज ए. पी. सी. के अन्दर, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन के सामने आपकी और मेरी बात नहीं चलती लेकिन यूनिवर्सिटी की जांच रिपोर्ट को तो आधार बनाते हैं। लुधियाना की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ए. पी. सी के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके अन्दर 182 रुपये प्रति क्विंटल की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, आज हम दुर्भाग्य से किस आधार पर कहें? न राज्य सरकार जांच करवाती, न यूनिवर्सिटी जांच करती

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

और किसानों के पास तो इस प्रकार के उपकरण नहीं हैं जो सत्यता के आधार पर वह भारत सरकार को मना सकें कि इसकी चीज इस प्रकार से होगी।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक बफर स्टाक बनाने का सवाल पैदा होता है, मुझे याद है कि 21 नवम्बर सन् 1983 को केन्द्रीय कृषि मन्त्री ने लोकसभा में एक बात कही कि हम 2013 मिलियन टन गेहूं का, 3.70 मिलियन टन चावल का इस वर्ष आयात करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जहां तक बफर स्टाक बनाने का प्रश्न है मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन आज के दिन मैं यह कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान में आज जितना बफर स्टाक है, आज के पहले कभी नहीं था। आज बफर स्टाक है, उस बफर स्टाक के लिए भी सरकार यह कहे कि अमरीका से आयात करें और अमरीका से नहीं उस स्टेटमैन्ट में तो नहीं लिखा लेकिन स्टेटमैन्ट के बाद में जो कमैन्टस किये हैं दुनियां भर के अखबारों में, उन कमेण्ट्स में यह आया है कि अमरीका से जो गेहूं, आस्ट्रेलिया से और कनाडा से जो गेहूं खरीद रहे हैं, उसकी कीमत 217) रुपये क्विंटल हम देंगे। आज अमरीका और कनाडा से 217) में ले लिया। आस्ट्रेलिया से 217) रुपये में ले लिया तो हिन्दुस्तान के किसान ने क्या जुर्म किया है कि उसको हम मजबूर करें कि 152) रुपये के अन्दर गेहूं बेचेगा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय आज किसानों के बारे में जो दुनियां भर का भ्रम है। गांव में आप जाइये, जो माननीय सदस्य किसान हैं, मैं भी हूं, हम इस बात से नाराज नहीं हैं, आज जो किसान अच्छा दिखता है वह केवल इस कारण से दिखता है कि आज जिस प्रकार की सोसायटी और सोशल स्टेटस, मैं गांव में जाऊंगा तो धोती पहन कर काम चला लूंगा, गांव में जाऊंगा तो गांव के मोची की जूती पहनकर काम चला लूंगा। लेकिन अच्छा खर्चा शरीर पर नहीं होगा, अच्छा खर्चा परिवार पर नहीं ज्यादा होगा। आजकल किसान यदि ज्यादा से ज्यादा खर्च करता है तो अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, बाकी के जो खर्चे के उपकरण हैं वह शहर के एक क्लर्क के मुकाबले में एक बहुत बड़े किसान का भी आप मुकाबला करना चाहेंगे तो लगेगा आपको कि यह किसान बिल्कुल दरिद्र ही है। आज हम इस तरह का खर्चा नहीं करते लेकिन बचत ले जाते कहां हैं, किसान मार्टगेज का काम नहीं करता, किसान कोई दुकानदारी नहीं करता जो कुछ किसान बचत करेगा वह अपने खेत के अन्दर इन्वेस्ट करके, अध्यक्ष महोदय, जो इन्वेस्टमैन्ट करता है वह पूंजी जमीन में गाड़ता नहीं है उस किसान को अपने इन्वेस्टमैन्ट का रिटर्न नहीं मिले, यह उस के साथ सबसे अन्याय की चीज होगी। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा न कहकर इस सरकार से यही कहना चाहूंगा कि सरकार जल्दी से जल्दी इस बात की घोषणा करे।

अध्यक्ष महोदय, अब अन्तिम प्रश्न जिसके ऊपर दुनिया भर की चर्चा होती है कि यदि हमने किसानों के उत्पादन के भाव

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

ज्यादा बढ़ा दिये तो बाकी के प्राइसेज कन्ट्रोल नहीं होंगे। मुख्य मंत्री जी मैं कहना चाहूंगा कि गेहूं के भाव आप ने गत वर्ष 151) रुपये तय किये और इस वर्ष 152) रुपये कर दिये। 151 का भाव तय करने के बाद भी भारत सरकार के वित्त मंत्री ने पार्लियामेन्ट में जो बजट भाषण दिया है उसके हिसाब से इन्फलेशन की रेट 13.7 आती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब 151 के भाव तय कर दिये तो यह इन्फलेशन की रेट 13.7 क्यों आ गयी? इसमें किसका कन्ट्रीब्यूशन है? किसान को तो आपने तबाह कर दिया लेकिन इन्फलेशन की रेट इसलिए नहीं बढ़ी कि किसान को हम 151 रुपये दे रहे हैं, इन्फलेशन की रेट आपकी गलत आर्थिक नीतियों के कारण से बढ़ रही है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी चर्चा यह की जाती है, गांवों में प्रचार करते हैं जोर-शोर से कि यदि किसान से हम सस्ता अनाज नहीं खरीदेंगे तो हम उपभोक्ता को सस्ता अनाज नहीं देंगे। मैं पूछना चाहता हूं उपभोक्ता है कौन? हिन्दुस्तान के अन्दर 80 फीसदी किसान है। क्या उपभोक्ता नहीं है? क्या उस 80 फीसदी को आप बाहर निकालना चाहते हैं? जो 80 फीसदी किसान है वह भी उपभोक्ता है, और उपभोक्ता का इन्ट्रेस्ट यदि आपके सामने है तो किसान को आप क्यों भूल जाते हैं? लेकिन मैं पूछना चाहता हूं यदि प्राइसेज बढ़ गयीं तो जैसे अमरीका से, कनाडा से 217 रुपये क्विंटल में गेहूं लाकर आप 151) रुपये क्विंटल में या अपना खर्च मिलाकर 172 में बेचेंगे तो क्या राजस्थान और हिन्दुस्तान के किसान को सब्सिडी नहीं दी जा सकती। यहां भी सब्सिडी दी जा सकती है। पिछले 30 वर्ष से कश्मीर में कोई भी भाव हों वहां पर सब्सीडाइज्ड फूड मिलता है। पिछले 30 वर्षों से वहां का किसान बड़ा इफेक्टिव है। वहां थोड़ी बहुत राजनीतिक चाल दूसरी प्रकार की है। वहां सब प्रकार की हर चीज सब्सिडी से मिलती है। मैं पूछना चाहता हूं आप सब्सिडी तो नहीं दें लेकिन किसान को अपनी पैदावार का उचित मूल्य दे दें इसमें आपको किस प्रकार की आपत्ति है? अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी प्राब्लम और आती है और किसी की नहीं आती इसमें उन लोगों की प्राब्लम आती है जो या तो बैंक के कर्जदार हैं या मनी-लैंडर्स के कर्जदार हैं या जिनके खर्चे के लिए आवश्यक है कि वह 15 दिन भी अपनी खेती की पैदावार को रिटर्न नहीं कर सकते। उनको मजबूर होकर डिस्ट्रैस सेल करनी पड़ती है। राजस्थान में उनकी संख्या ज्यादा है लेकिन उनकी कोई चिन्ता नहीं करता। सरकार भी अगर सेन्टर खोलेगी तो जिस समय वह खाली हो जायेंगे। जिस समय अनाज व्यापारियों के गोदामों में चला जायेगा, उस समय सरकार सैन्टर खोलेगी, उस समय तौलने की प्रक्रिया चालू होगी। उस समय तक आधे से ज्यादा किसान लुट जायेगा। किसान के पास कुछ नहीं रहेगा। अध्यक्ष महोदय, दूसरा यह होगा कि किसान 120) रुपये में अनाज बेचेगा और यदि खाना हुआ तो वही किसान अपनी पैदावार को 160) रुपये में खरीदेगा। यह अन्याय तो मैं समझता हूं जबरदस्त है। इस अन्याय से बचाने के लिए मैं मुख्य मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप सदन की भावनाओं को देख लीजिये, सदन से किस प्रकार से गम्भीरता से इस प्रश्न को लेकर आपके सामने प्रस्तुत

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

किया है। मेरा विश्वास है कि घासीराम जी के बस की बात नहीं है ये घोषणा कर दें इनके बस की बात नहीं है।

मैं समझता हूं, असेन्शियल कमोडिटिज एक्ट के मातहत आपने दो प्रकार की पाबंदी लगा रखी है, उस पाबन्दी में मैं यह अपेक्षा करूं, मुख्य मंत्री जी तुरन्त यह घोषणा कर दें कि असेन्शियल कमोडिटिज एक्ट में अमेंडमेंट करके आज से राजस्थान की पाबन्दी खोल दूंगा, अब तो भजनलाल जी जैसे आदमी कर सकते हैं तो शिवचरणजी माथुर क्यों नहीं कर सकते, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज सदन को कम से कम इस बात का विश्वास है कि भारत सरकार को इस सदन को सारी भावनाओं से अवगत कराकर इस एक सप्ताह के अन्दर अन्दर राजस्थान के अन्दर जो पाबन्दी लगा रखी है वह पाबन्दी हटाई जायगी, यदि भजनलाल जी बनने का दम है, तो आज छाती ठोककर विधान सभा में घोषणा कर दो कि मैं भारत सरकार से बात करता रहूंगा, यहां से निकासी रोकने का काम बंद हो जायगा, और भजनलाल जी नहीं वह शिवचरण जी माथुर हैं तो न किसानों का भला होगा न और किसी का भला होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा के सारे सदस्यों ने राजनैतिक मतभेद भुला कर इस निकासी के ऊपर लगी हुई पाबन्दी को तोड़ने की मांग की है, लोकतन्त्र की रक्षा करने के लिये, लोकतांत्रिक भावनाओं को समझने और उनका आदर करने के लिये, मेरा विश्वास है, अध्यक्ष महोदय, कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय मेरी नहीं इस सदन की मांग को स्वीकार करेंगे।

श्री देवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक स्पष्टीकरण करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आसन किसी को स्पष्टीकरण नहीं देता है।

श्री देवेन्द्र सिंह : मेरे मन में शंका है।

श्री अध्यक्ष : आप मिल लीजिये मुझसे और मैं आपको बता दूंगा।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैंने ऐसा कोई अपशब्द कहा नहीं यहां पर.......मुझ कुछ शब्दों के लिए स्पष्टीकरण आ.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मैं दुबारा रिपीट नहीं करना चाहता।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं, यदि कोई अपशब्द कहे हों.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। वह शब्द मैं रिपीट नहीं कर सकता, आप मेरे से अन्दर मिल लें।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैंने ऐसे कोई अपशब्द कहे हों तो मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : गया रिकार्ड में।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : मैंने हमेशा शिष्ट भाषा का यहां पर प्रयोग किया है और हमेशा यह प्रयत्न किया है कि शिष्ट भाषा का उपयोग करूं मैंने अपनी पैतृक सम्पत्ति के कहा, मैंने यह भी कहा ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आज निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सहनशक्ति को यह चुनौती नही दें ...

श्री देवेन्द्र सिंह : मैंने यदि कोई अपशब्द कहे हों ....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं जानता हूं आपको।

श्री देवेन्द्र सिंह : यदि मैंने गलती की है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें।

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं, अगर मैंने कोई गलती की है ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, खेद प्रकट कर दिया तो बैठ जाइये, फिर बात क्या है ?

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं यदि मैंने कुछ कहा है तो।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिर आप उन शब्दों को रिपीट क्या कर रहे हो।

(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र सिंह : मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कर दीजिये। खतम हुआ किस्सा।

श्री देवेन्द्र सिंह : यदि ऐसे शब्द मैंने कोई प्रयोग किये हों।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय ने देख लिया। खेद प्रकट किया तो कर दीजिये बस।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सत्तारूढ़ दल को थोड़ी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए हम तो लिहाज में मरे जा रहे हैं, सब लोगों को नंगा करके रख देंगे।

श्री घासीराम यादव (राज्यमंत्री खाद्य एवं आपूर्ति) : अध्यक्ष महोदय, यहां जो चर्चा हुई उसमें कुम्हेर से आने वाले माननीय हरिसिंह ने बड़े जोश के साथ, भावना से यह बात कही कि जो बाजरे की खरीद हुई उसमें काफी गड़बड़ हुई और अधिकारियों ने जान-बूझकर बाजरा नहीं खरीदा इस अवसर पर मैं तो यही कहना चाहूंगा, बाजरे के बारे में पहले भी निवेदन कर चुका

(श्री घासीराम यादव)

हूं कि बाजरे की पहले कभी खरीद हुई नहीं थी, पहली दफा—

श्री अध्यक्ष : वह बात आपने कह दी, कोई नई बात हो तो बताओ, समझे हुए हैं, कई बार, कई दफा चर्चा हो गई।

श्री घासीराम यादव : नई बात कहूंगा एक बात कहूंगा कि माननीय सदस्य ने हमारे डिपार्टमेंट को, किसी को इस बात की शिकायत नहीं की, आज यह सदन में ही उठाया है, यहीं पर बराबर मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं, इसमें जिस तरह का स्पेसिफिकेशन या उस तरह का बाजरा आया नहीं, कोई कहते तो उस पर एक्शन भी लेते, इस स्टेज पर जाकर उसकी जांच करायें, क्या करें, क्वालिटी कैन्ट्रोल इन्सपेक्टर भी रहता है, वह नमूना भी लेता है, जो बाजरा खराब है या जो बाजरा आया जिसको रिजेक्ट किया.... बात तो सुनिये....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, आर्डर,।

श्री यदुनाथ सिंह : खराब बाजरा .... खराब क्यों बता रहे है, अध्यक्ष महोदय, अन्न को खराब बता रहे हो ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अव्यवस्था न फैलायें, आर्डर, आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद : लोगों से मिल कर रिजेक्ट किया है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आर्डर, प्लीज माननीय सदस्य, वाद विवाद का यह तरीका उचित नहीं है उनको अपनी बात कहने दीजिये।

श्री घासीराम यादव : मैं इतनी देर से शांति से सुन रहा था, बीच में कुछ बोला नहीं।

श्री यदुनाथ सिंह : उद्योगपति जो खराब उत्पादन करता है, उसको आप सपोर्ट देते हैं, सब्सिडी देते हैं कि बाहर जाकर बेचे और अन्न को आप खराब बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : आप बाजरा भरतपुर वाले, तो 15 दिन खाते हो सर्दियों में अलवर और भरतपुर वाले, बाजरा होता है रेगिस्तान में, इस राजस्थान में....

श्री यदुनाथ सिंह : पैदा तो करते हैं, माल मिल नहीं पाता।

श्री परसराम मदेरणा : मेरी बात सुनिये इस राजस्थान में बाजरे के भाव जब तय होते हैं तो बारानी और दूसरे इलाकों में जहां वायतु। मंडी या सीकर की मंडी में जब अनाज का भराव होता है तो राजस्थान के भाव में फ्लक्चुएशन–ऊपर और नीचे होते हैं –एक बात, दूसरी बात

(श्री परसराम मदेरणा)

बाजरे का जब एक्सपोर्ट ग्रोपन कर दिया, अभी ग्राप ही कह रहे थे कि महाराष्ट्र में भी बाजरा खाते हैं कुछ लोग, वहां पर इस साल बाजरा नहीं हुग्रा तो महाराष्ट्र ग्रौर गुजरात के व्यापारियों के बाजरा खरीदने से, जो ग्रापकी सपोर्ट ग्रौर प्रोक्योरमेंट प्राइस है वह फटाक से ऊपर ग्रा गई ।

श्री यदुनाथ सिंह : नहीं ग्रायी साहब।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रापको पता नहीं है। ग्रापके दल के माननीय सदस्य से पूछो भाव ऊपर ग्राये कि नहीं ग्राये। बाजरा वहां होता है।

(व्यवधान)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर ग्रार्डर। मंत्री महोदय, बैठ जायं। ग्रार्डर प्लीज। ग्रार्डर ग्रार्डर। जब मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हों कृपया उसमें बाधा न डालें। नहीं तो दिन भर का जो ग्रपन ने काता पींजा वह वापस कपास हो जायगा। कृपया। ग्रार्डर प्लीज।

श्री घासीराम यादव : ग्रध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में तो मैं एक ही बात कहना चाहता था जैसे पहले भी मैं निवेदन कर चुका, बाजरे के बारे में मैंने वहां पता किया है ......

श्री ग्रध्यक्ष : बाजरे का ग्राप बाद में लेना, पहले गेहूं का लेग्रो।

श्री घासीराम यादव : क्वालिटी इन्सपेक्टर भी रहते हैं।

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रार्डर। वह सब बात ग्राई हुई है, माननीय मंत्री महोदय, यह प्रश्न कई दफा ग्रा चुके हैं। ग्राप गेहूं पर पहले कहें, बाद में बाजरे पर।

श्री घासीराम यादव : ग्रच्छा।

दूसरी बात, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा इस मौके पर, करीब करीब सभी माननीय सदस्यों ने इस बात को इम्फेसाइज किया है कि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलता। राज्य सरकार भी यह महसूस करती है। दरग्रसल किसानों के बीच की भी कीमत बढ़ गई खाद की कीमत बढ़ गई उनके ट्रैक्टर की कीमत बढ़ गई उनके इनपुट्स की कीमत बढ़ने से उनको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। यह सही है। जो माननीय सदस्यों की फीलिंग है उसको मैं भी शेयर करता हूं ग्रौर हमारे सब लोग उसको शेयर करते हैं। इसके साथ ही यह बात बराबर कही गई है कि यह ग्राशंका है, बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि ग्रब एफ सी ग्राई जो खरीदेगी उसमें बाजरे को रबी में नहीं खरीदेगी यह एक शंका निर्मूल है। बाजरे का मैं बार-बार जिक्र नहीं करूंगा लेकिन पिछले साल 1,70,000 टन हमने गेहूं खरीदा है, सपोर्ट प्राइस पर। उससे पहले साल 1,30,000 टन खरीदा ग्रौर इस साल भी करीब 50 करोड़ रुपये एफ सी ग्राई वालों ने यहां के लिए रखा है। 26 लाख बोरियां इकट्ठी कर ली हैं, ग्रौर उनको वहां स्टोर करना है। यह सारा प्रबन्ध कर लिया है। साढ़े सात हजार टन कोटा डिवीजन में तीन चार दिन में इकट्ठा भी हो गया है। टन नहीं क्विंटल। गंगानगर में भी इन्स्ट्रक्शन्स भेज दिये गये हैं। इसलिये यह तो शंका करना निर्मूल है कि ग्रबकी

(श्री घासीराम यादव)

बार बाजरे की तरह गेहूं भी नहीं खरीदेंगे। बाजरे में तो कई और दिक्कतें भी थीं। इस समय दो तरह का गेहूं आ रहा है, 152 और 151 का। मतलब ग्रेड वन और ग्रेड टू। ऐसा ही पिछले साल हुआ था। पिछले साल 95 पर्सेन्ट ग्रेड वन का खरीदा गया था। मैं समझता हूं कि 50 करोड़ का गेहूं खरीदने के बाद अगर मान लीजिये और जरूरत पड़ेगी तो 50 करोड़ रुपये का और इन्तजाम किया जायगा। जहां जहां किसान लोग गेहूं देना चाहेंगे 152 की कीमत पर, वहां वह लिया जायगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री यदुनाथ सिंह : कहां कहां भाव कम हैं। भाव कहां कहां कम हैं जिले में।

श्री रामसिंह बिश्नोई : आप तो निकासी पर बोलें।

श्री घासीराम यादव : क्या ?

भैरोंसिंह शेखावत : निकासी पर बोलें।

(व्यवधान)

श्री घासीराम यादव : मैं क्या बात कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

श्री घासीराम यादव : निकासी के बारे में एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहली बात तो यह बहुत सही बात है, माननीय सदस्यों ने कहा निकासी बन्द करने से गेहूं का भाव सस्ता हो गया। अब इसके बैक ग्राउंड में हम जायं तो यह 15 मई, 1981 में हुआ है इसलिये बैक ग्राउंड को थोड़ा समझने की बात है। उस वक्त भी भारत सरकार यह चाहती थी कि यहां सपोर्ट प्राइस पर प्रोक्योरमेंट करके कुछ गेहूं बफर स्टॉक में इकट्ठा किया जाय। वह नहीं हो पाया। राव बीरेन्द्र सिंह उस वक्त एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। राजस्थान सरकार ने 15 मई को यह आदेश निकाला इसलिये कि यह गेहूं बाहर नहीं जाय तो कुछ गेहूं हम इकट्ठा कर लें। उसके पीछे भी भावना यह थी, सारे हिन्दुस्तान में गेहूं जहां जहां भारत सरकार भेजना चाहे, उचित दर पर बिकवाने के लिये, भेज सके। उस के लिये अनाज इकट्ठा करते थे माननीय सदस्य भी यह बात मानेंगे, पहले अकाल था। पिछले 3-4 सालों में हमारे राज्य को भी भारत सरकार ने काफी गेहूं दिया है। हर महीने अलाट करते थे खास कर जहां अकाल पड़ता था वहां गेहूं जाता था। पूर्वी जिलों में तो नहीं गया लेकिन हर साल जाता रहा है। यह इसलिए किया गया था ताकि हम इसको इकट्ठा कर पाये लेकिन कर भी नहीं पाये। शायद उस वक्त 3000 टन गेहूं इकट्ठा हुआ था। उसके बाद स्वतः होता रहा। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं, आज इतने जोश खरोश के साथ बोले हैं, तीन साल से कोई क्यों नहीं बोला, तीन साल हो गये....

(व्यवधान)

श्री यदुनाथ सिंह : 3 साल तक था ही नहीं गेहूं अकाल था।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर, माननीय सदस्य, बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

आर्डर आर्डर, उत्तर आने दीजिये । बैठ जायं, आर्डर, विवाद में न पड़ें । उत्तर आने दीजिये ।

श्री घासीराम यादव : मैं तो खुद मानता हूं, किसानों को इससे नुकसान हुआ है और इसके बारे में मुख्य मंत्रीजी कुछ अपने विचार बतायेंगे भी लेकिन मैं यह कहता हूं कि आप लोगों में इतना सब हो गया, तीन साल से गेहूं के भाव ज्यादा हैं गुजरात में, बराबर ज्यादा हैं, पिछले साल भी ज्यादा थे उससे पिछले साल भी ज्यादा थे । खैर, देर आयद दुरूस्त आयद, मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां कहां थे? तीन साल में भाव कहां कहां ज्यादा थे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जैसे आज गुजरात में ज्यादा हैं ।

श्री घासीराम यादव : पिछले साल भी ज्यादा थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां कहां थे ?

श्री घासीराम यादव : कहां कहां तो आप बताइये ?

(व्यवधान)

इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है....

श्री परसराम मदेरणा : हापुड़ की मण्डी में भाव ज्यादा थे ।

(व्यवधान)

किसानों को तसल्ली थी कि भाव बढ़ेंगे, किसानों को फायदा होगा....

(10.20 रात्रि)

(माननीय श्री हरिसिंह (कुम्हेर) सभापति, पठासीन)

यह सही बात है, राज्य सरकार भी यह मानकर चलती है और उसके बाद में क्या सरकारी कार्यवाही की जा सकती है इसके बारे में मुख्य मंत्री जी बतायेंगे ।

श्री शिवचरण माथुर (मुख्य मंत्री) : सभापति महोदय, इस सत्र की समाप्ति का आखिरी दिन है और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इस बार विधान सभा के सत्र में हमने सभी तरह की बातों पर, विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो भी चर्चा के विषय उठाने की बात की, सुझाव दिए उनका उत्तर भी समय पर दिया ।

(10.22 रात्रि)

(माननीय श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

और आज इस सत्र के अंतिम दिन में, एप्रोप्रियशन बिल पास होने के बाद में एक महत्वपूर्ण चर्चा यहां पर उठाई गई उस चर्चा को मैंने यहां पर तो नहीं लेकिन सुना है, यह समझना कि किसानों की

Page No. 279

(श्री शिवचरण माथुर)

चिन्ता केवल उधर बैठने वाले लोगों को ही है, सब को चिन्ता है और इसलिये मैं एक बात, पुराने इतिहास की बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने हमेशा इस बात को सोचा है कि किसान जो पैदा करता है बड़ी मेहनत से और जब तक उसके घर में नाज नहीं आ जाता तब तक अनिश्चितता का वातावरण उसके दिमाग में भरा रहता है। यहां तक कि खलिहान में नाज आ जाता है उसके बाद भी बारिश पड़ जाती है तो अनाज खराब हो जाता है। जब तक उसके घर में अनाज नहीं आ जाता तब तक अनसरटेन्टि, एक अनिश्चितता का वातावरण उसके दिमाग में बना रहता है। इसलिये वह सारे देश को एक बहुत महत्वपूर्ण इन्पुट हमारी जिन्दगी को देता है। यदि किसान सुखी नहीं रहता तो देश सुखी नहीं रहता। किसान की प्रोसपैरिटी पर डिपेंड करती है देश की प्रोसपेरिटी। इसलिये हमने शुरू से इस बात को सोचा कि जब किसान की पैदावार बाजार में आती है, उस समय आम तौर से बाजार गिरता है और जब किसान एक उपभोक्ता की तरह से उस चीज को खरीदने की स्थिति में होता है तब बाजार बढ़ता है। यह बाजार का एक मैकेनिज्म है और उसी मैकेनिज्म को मीट करने के लिये सबसे पहले कांग्रेस की सरकार ने यह नीति निश्चित की कि हम एक निश्चित प्राइस तय करके, जिसको हम सपोर्ट प्राइस के नाम से कहते हैं उस सपोर्ट प्राइस पर किसान जितना भी नाज बेचेगा, सरकार उस सपोर्ट प्राइस पर खरीदेगी। एक कमीशन मुकर्रर किया गया एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन, जो हर साल फसल के पहले, क्या फसल का भाव होगा, किस सपोर्ट प्राइस पर हम खरीदेंगे, वह निश्चित करता है और इस सपोर्ट प्राइस के आधार पर ही किसान अपनी फसल को बोने का निश्चय करता है। अब मैं आपसे कह सकता हूं कि कांग्रेस की सरकार की इस नीति का ही कारण है कि किसान की हैसियत आज थोड़ी बढ़ी है। मुझे मालूम है कि 1948-1949 के दिनों में एक रुपया मन में मक्की किसान बेचने जाता था। एक पूरी गाड़ी भर करके मण्डी में ले जाता था और लगान भरने जितनी हैसियत भी उस को प्राप्त नहीं होती थी। लेकिन आज क्या यह हकीकत नहीं कि मामूली सी पैदावार को बेच करके अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह सपोर्ट प्राइस की नीति जो कांग्रेस सरकार ने तय की उसी का परिणाम है। और उसी का परिणाम है कि किसान की हैसियत बढ़ी है। लेकिन इसके बाद भी यह सही बात है कि इस मैकेनिज्म का हमें बहुत और दृढ़ता से इसको लागू करना है और जैसा कि मैंने कहा कि जब वह एक विक्रेता के तौर पर बाजार में आये, उस समय उसको ठीक भाव मिलें और जब क्रय करने वाली स्थिति में आयें तो भी उसको फेयर प्राइस शोप से उसको अच्छा अनाज मिल जाय यह दोनों बातों में संतुलन रखने वाली बात की कांग्रेस सरकार की नीति है। इसीलिये जैसा कि मैंने सदन में पहले यह कहा कि वो सपोर्ट प्राइस तय करने की बात आती है, इस बार सौभाग्य की बात यह है कि दोनों फसलें अच्छी हुई। बाजरे की फसल भी अच्छी हुई, खरीफ की और रबी की फसल भी अच्छी हुई। बाई एण्ड लार्ज सरसों को थोड़ा छोड़ करके, बाई एण्ड

(श्री शिवचरण माथुर)

लार्ज सारी फसल अच्छी रही। यह बहुत दिनों बाद राजस्थान में ऐसी स्थिति आई है। जब खरीफ की फसल बाजार में आने वाली थी उसके पहले ही जब मैं बाड़मेर गया था और जोधपुर के इलाके में गया था तो मुझे मालूम है कि वहां पर अगाऊ सौदे हो रहे थे। 80) रुपया, 90) रुपया क्विंटल के भाव के अगाऊ सौदे हो रहे थे। हमको एक चिन्ता बनी कि अगर इस भाव में 160 और 165 का जो भाव था, किसान को मिल रहा था उसके पहले, कमी के वक्त में, उससे अगर एकदम प्राइसेज क्रैश होती है तो किसान को एक प्रकार से दूसरा अकाल पड़ने की स्थिति आ जाती है। पैदावार उसकी होती है उसका आधा मूल्य अगर उसको मिलता है तो उसकी स्थिति बहुत बिगड़ती है। मुझे कहते हुए खुशी है, अध्यक्ष महोदय, मैं रिपीट करना नहीं चाहता, हो सकता है खाद्य मंत्री महोदय ने वो बात आपको बताई होगी, लेकिन मैंने प्रधान मंत्री जी को जाकर बम्बई में जब हमारा अधिवेशन चल रहा था तो मैंने उनको निवेदन किया कि आप इसमें किसान को राहत देने के लिये बड़े पैमाने पर हमें मदद कीजिये। उस वक्त में एफ. सी. आई. तैयार नहीं था। एफ. सी. आई ने कहा कि हम चावल खरीदते हैं, हम गेहूं खरीदते हैं लेकिन बाजरा, या कोई कोर्स ग्रेन आज तक एफ. सी. आई. ने नहीं खरीदा। यह पहली बार प्रधान मंत्री जी ने वहीं वित्त मंत्रीजी को आदेश दिया कि किसान को जो अबकी बार की स्थिति है उससे उसको उबारने के लिये बाजरे की खरीद भी बड़े पैमाने पर की जाय और वहीं से राजस्थान में बाजरे की खरीद के लिये एफ. सी. आई. को आदेश दिये गये ...

(व्यवधान)

सुन लीजिये। और उसमें यह कहा गया कि जितना भी किसान बेचने के लिये आये उसको दें, इन्तजाम हमारे किये गये और उसका नतीजा यह हुआ कि एकदम बाजार के भाव ऊपर आ गये, शोषण रुक गया। हमारा मतलब कभी भी यह नहीं है कि बाजार का जो एक रेगूलर ट्रेण्ड है उसको न तो कभी सरकार सारे प्रोडक्ट को कभी खरीद सकती है। पूरा का पूरा जो मार्केट में अराइवल है उसको सरकार कभी भी खरीद नहीं सकती लेकिन सरकार का तो केवल काम यह है कि इस प्रकार की स्थिति में अगर मान लीजिये बाजार के भाव नीचे जा रहे हैं तो उस समय बीच में इन्टरवीन करे और बाजार के भाव जब तक ऊंचे आयें, किसान का शोषण बन्द हो अपने को विद ड्रा करने वाली बात करें। सरकार को मार्केट में एन्टर करने का परिणाम यह हुआ कि हमारे सेन्टर्स पर बाजरा नहीं आया। सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट हुआ था आपके जोधपुर, बाड़मेर और दूसरे इलाकों में, आप जानते हैं कितना आया था। साढ़े तीन सौ टन, इसका यह मतलब नहीं था कि हम खरीदने को तैयार नहीं थे।

श्री यदुनाथ सिंह : क्विंटल होगा।

श्री शिवचरण माथुर : क्विंटल होगा। हम तो खरीदने के लिये पूरा तैयार थे, पूरी तैयारी थी, एफ. सी. आई....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिह शेखावत : आप तो गेहूं का बताइये। यह तो हो गया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

श्री शिवचरण माथुर : पहले मैने बाजरे का जो था, उसके सन्दर्भ में बात कही। इस बार भी जब गेहूं की स्थिति आने वाली थी, पहले ही हमने तैयारी कर ली। 15-4-84 से एफ. सी. आई. के माध्यम से प्रोक्यूरमेंट का काम शुरू कर दिया गया। साढ़े आठ हजार क्विंटल की परचेज अब तक कोटा, बूंदी, बारां और देवली में इन 4-5 दिन में हुई है। जैसा कि आपको बतलाया गया कि प्रारम्भ में 50 करोड़ रुपये की राशि एफ. सी. आई ने इस काम के लिये नियत की है और आवश्यकता पड़ी तो और भी अधिक पैसे की व्यवस्था की जायेगी। इसका मतलब 3.60 लाख टन अनाज खरीदने की तैयारी आज एफ. सी. आई. की है। उसके भण्डारण की, स्टोरेज की व्यवस्था पूरी कर ली गई है और मैं समझता हूं कि इससे बाजार के भाव स्थित हो रहे हैं। अभी कोटा में जो मेरी जानकारी है 140-145 का भाव फार्मी गेहूं का कोटा में आज है, जब कि जयपुर में 160-165 रुपये का भाव आज है और इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट अगर कोई करना है तो सरकार की तरफ से कोई मनाही नहीं है। फार्मी गेहूं की कीमत जरूर ज्यादा है, फार्मी गेहूं की कीमत 200-250 रुपये राजस्थान में अलग-अलग जगह रन करती है। हमारी प्राइस आज 152) रुपये की है।

मैं आपसे कह सकता हूं कि इस सपोर्ट प्राइस पर, समर्थन मूल्य पर जितना भी अनाज हमारे सेन्टर्स के माध्यम से किसान बेचेगा, हम खरीदने के लिए तैयार हैं। आज भी करीब 178 सेन्टर्स 20 जिलों में खोल दिए गए हैं और आगे जहां पर भी सेन्टर खोलने की आवश्यकता होगी, सरकार सेन्टर खोलने में नहीं हिचकिचायेगी। सारे जिलों में अगर ऐसी स्थिति आयेगी हम सभी जिलों में सेन्टर खोल करके किसान का अनाज लेने की हमारी तैयारी है। उसके बावजूद भी मैं आपसे कहूंगा कि हर सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह नेशनल स्टाक्स में अपना कन्ट्रीब्यूशन करें और अगर हम कन्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो वक्त आने पर हमारे लिए जब अनाज की जरूरत होगी, अनाज कहां से आयेगा यह भी हमारा कर्तव्य है। मैं समझता हूं कि यह कर्तव्य भी हमने हमारे ध्यान में रखा हुआ है। फिर भी माननीय सदस्यों ने यहां पर जो चर्चा की मैं अपने आपको उस चर्चा में शामिल करता हूं, सरकार के सभी सदस्य यहां पर बैठने वाले है उस चर्चा में अपने आपको शामिल करते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार किसान पर से यह पाबन्दी की वह इस राज्य से बाहर अनाज नहीं ले जा सकता उस पाबन्दी को हम हटा देंगे ताकि कोई भी किसान अपने तौर पर कहीं पर भी भारत के किसी भी हिस्से में अनाज ले जाने की उसकी क्षमता होगी। मैं तो शिवचरण माथुर ही रहूंगा राजस्थान बनने की बात नहीं आती है। आपका यह कहना कि केवल किसान के लिए आप ही कर सकते हैं मैं वह नहीं कहना चाहता, शायद आपको मालूम है, आपके राज में

(श्री शिवचरण माथुर)

गन्ने का भाव आपने निश्चित किया था वह 5 रुपये क्विन्टल था।

श्री महावीर प्रसाद : आज भी सारा गन्ना ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। बैठ जायें माननीय सदस्य। गन्ने का प्रश्न नहीं, उदाहरण दिया है मुख्य मंत्री जी ने। आर्डर प्लीज। आर्डर आर्डर। आर्डर आर्डर व्यवधान न डालें

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, इस अच्छी घोषणा के साथ माननीय सदस्यों ने जो इस सदन में अबकी बार इन 47 दिन में एक अच्छा वातारण रखा, बहुत सुन्दर तरीके से हमारे सदन की कार्यवाही चली। मैं दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों को बहुत-बहुत धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की 80 प्रतिशत जनसंख्या में जो किसान हैं, इन किसानों की हिमायत में आपने सदन की कार्यवाही आज जिस प्रकार से संचालित की है हम आपको यदि धन्यवाद आपके प्रति आभार प्रकट नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं हम अपने कर्तव्य से च्युत होंगे। इसलिए मैं विरोधी पक्ष की ओर से और सत्ता पक्ष दोनों की ओर से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज राजस्थान के किसानों को बड़ी अच्छी राहत दिलायी।

राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ (राजस्थान शाखा) की कार्य समिति का चुनाव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सत्रावसान का समय आ गया उससे पूर्व मैं माननीय सदस्यों को एक सूचना देना चाहता हूं कि इस बैठक की कार्यवाही स्थगित होने के तुरन्त पश्चात् राष्ट्र मण्डल संसदीय संघ राजस्थान शाखा की एक साधारण बैठक होगी। यानी यह सभा उस बैठक में परिवर्तित हो जायेगी और उसमें एक साधारण सा विचारणीय विषय है - कार्य समिति का चुनाव।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप यही चाहते हैं, हम पॉवर दे देते हैं।

श्री अध्यक्ष : नहीं ऐसा है पहले वाले जो इससे पूर्व की कार्य सलाहकार समिति, कार्यकारिणी समिति में जो सदस्य थे, उन्हीं को मैं आपकी अनुमति से वापिस कर दूं।

(श्री अध्यक्ष)

धन्यवाद ज्ञापन

मैं पक्ष, विपक्ष और सरकार सबको जो उन्होंने इस लम्बे सत्र के अन्दर शासन को सहयोग दिया उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और उनको धन्यवाद अर्पित करता हूँ।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि 10.35 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

समया भाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

जिला बीकानेर में वन विभाग द्वारा गत 3 वर्षों में लगाये गये पेड़

798. **सुरजाराम टाक** (नोखा) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बीकानेर की तहसील नोखा व कोलायत क्षेत्र में वन विभाग द्वारा गत 3 सालों में कितने पेड़ लगाये गये ? उस पर कितनी राशि खर्च हुई ? वृक्षारोपण किये जाने के पश्चात कितने वृक्ष अभी तक जिन्दा एवं मौजूद हैं ?

(2) बीकानेर जिले में वृक्षारोपण हेतु कितनी राशि का प्रावधान गत वर्ष बजट में था और उसमें से कितना उपयोग में आया ? कृपया मदवार सूची सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में गत तीन वर्षों में (वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक) कुल 39.95 लाख पौधे लगाये गये जिस पर 139.64 लाख रुपये व्यय किये गये। लगाये गये पौधों में से 31.28 लाख पौधे जीवित हैं।

(2) बीकानेर जिले में वृक्षारोपण हेतु गत वर्ष 92.36 लाख रुपये की राशि आवंटित हुई उसमें से 91.48 लाख रुपये की राशि उपयोग में ली गई। मदवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

बीकानेर जिले में वर्ष 1982-83 में वृक्षारोपण पर आवंटित एवं व्यय की गई राशि

नाम मद	आवंटित राशि	वृक्षारोपण पर व्यय की गई राशि
स्टेज प्रथम फेज द्वितीय	34,82,585.00	53,81,443.10
स्टेज प्रथम फेज प्रथम	19,95,950.90	49,534.06
स्टेज द्वितीय	4,50,000.00	4,49,919.17
डी. पी. ए. पी.	15,53,700.00	14,86,464.73
डी. डी. पी.	11,00,920.00	11,13,013.71
टी. पी. पी.	6,53,600.00	6,68,425.55
	92,36,735.00	91,48,800.32

होम्योपैथिक बोर्ड का गठन

799. श्री शिवचरनसिंह राठौड़ (जैतारण) श्री वीरेन्द्र प्रतापसिंह (गुढ़ा) : क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) होमियोपैथिक बोर्ड के चुनाव कब हुए थे तथा सरकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति कितने हैं ?

(2) बोर्ड के गठन के बाद बोर्ड की कितनी बैठकें कहां-कहीं व कब-कब की गई तथा उसमें बोर्ड का कितना रुपया यात्रा भत्ता व अन्य खर्चों में व्यय किया गया ? कृपया विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) होमियोपैथिक बोर्ड के चुनाव दिनांक 19.10.82 को सम्पन्न हुये । राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 4 (चार) व्यक्ति हैं ।

(2) चाही गई सूचना के अनुसार सूची संलग्न है ।

राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा बोर्ड, जयपुर

बोर्ड की विभिन्न बैठकों का

विवरण

क्रमांक	बैठक का नाम	बैठक की तिथि	बैठक का स्थान	यात्रा भत्ता व अन्य व्यय की राशि	विशेष विवरण
1.	प्रथम सामान्य बैठक	23–5–83	जयपुर	—	
2.	द्वितीय सामान्य बैठक	27–5–83	जयपुर	—	
3.	तृतीय सामान्य बैठक	20–8–83	भरतपुर	1,720—00	
4.	चतुर्थ सामान्य बैठक	31–10–83	अलवर	1,120—00	
5.	पंचम सामान्य बैठक	26–11–84	अजमेर	900—00	
6.	आपातकालीन बैठक	31–12–83	जयपुर	—	
		योग		3760—00	
7.	छठी सामान्य बैठक	10–3–84	भरतपुर	105—00	
8.	आपातकालीन ,,	27–3–84	जयपुर	—	
		योग		3,865—00	

जयपुर, अजमेर आदि बड़े नगरों में डेयरी उत्पादन क्षमता बढ़ाना

800. **श्री भगवान दास शास्त्री (अजमेर पश्चिम)** : क्या डेयरी विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अजमेर, जयपुर आदि बड़े नगरों की डेयरी की उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा नए डेयरी प्लांट लगाने की योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो अजमेर, जयपुर आदि किन-किन बड़े नगरों में नये डेयरी प्लांट लगाये जावेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्लांट के अलावा अजमेर, जयपुर, अलवर आदि बड़े नगरों के लिए राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन, गुजरात के अमूल बटर (मक्खन) के समान मक्खन बनाने के भी संयंत्र लगाने की व्यवस्था कर चुकी है ? यदि हां, तो ये संयंत्र कब तक प्रारम्भ हो जावेंगे ? कृपया जानकारी सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर, जयपुर अलवर, भीलवाड़ा जोधपुर, बीकानेर एव उदयपुर में विभिन्न क्षमता के डेयरी संयंत्र पहले ही स्थापित किये जा चुके हैं. हनुमानगढ़ एवं कोटा में डेयरी संयंत्र निर्माणाधीन हैं।

अजमेर डेयरी की क्षमता 30 हजार से एक लाख व बीकानेर डेयरी की क्षमता एक लाख से डेढ़ लाख लीटर प्रतिदिन बढ़ाई गई है व जोधपुर डेयरी की क्षमता एक से डेढ़ लाख लीटर प्रतिदिन बढ़ाई जा रही है।

(2) अजमेर, जयपुर, अलवर, बीकानेर, जोधपुर व भीलवाड़ा डेयरी संयंत्रों पर मक्खन बनाने के संयंत्र भी लगाये गये हैं। जो क्रमशः वर्ष 82, 83, 81-82, 80-81 76-77, 75-76 व 83-84 में क्रियाशील हुए।

चौहटन क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नई सड़कों की स्वीकृति

801. **श्री भगवान दास डोसी (चौहटन)** : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बाड़मेर के चौहटन निर्वाचन क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1-6-1980 से अब तक कितनी नई सड़कों की स्वीकृति दी गई ?

(2) क्या उक्त निर्वाचन क्षेत्र में सरकार नई सड़कें बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, कौन-कौनसी ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर के चौहटन निर्वाचन क्षेत्र में 1.6.1980 से अब तक 55 सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए।

(2) जी हां। जिले में नई सड़कों के निर्माण हेतु एक मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया जा चुका है जिसे अन्तिम रूप

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

दिए जाने के पश्चात धन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के अनुसार सड़क निर्माण कार्य हाथ में लिए जायेंगे।

हनुमानगढ़ कृषि उपज मन्डी समिति की जीप

802. श्री पोरू राम (टीबी): क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या हनुमानगढ़ कृषि उपज मन्डी समिति की जीप खराब पड़ी है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

(2) क्या हनुमानगढ़ कृषि उपज मन्डी समिति को नई जीप क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां तो जीप कब तक प्राप्त हो जायेगी ?

उत्तर

(1) मण्डी समिति के पास जीप न होकर एक मेटाडोर है, जो दिनांक 8-12-83 से खराब पड़ी है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1983-84 में नयी गाड़ी क्रय करने पर प्रतिबन्ध लगा होने के कारण वाहन क्रय करने की स्वीकृति नहीं प्रदान की गई है।

राज्य में मिलावट के पकड़े गये केसेज

803. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्री मालाराम (खेतड़ी)

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

राज्य में 14 जून, 1980 से जनवरी, 1984 तक कितने लोगों को मिलावट के केस में पकड़ा गया तथा कितनों के चालान अदालत में प्रस्तुत किये गये और कितने मामलों की जाँच समाप्त करदी गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राज्य में 14 जून, 1980 से जनवरी, 1984 तक 1893 व्यापारियों के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मामले दर्ज किये गये। इसमें से 1724 व्यापारियों के विरुद्ध न्यायालयों में चालान प्रस्तुत किये गये हैं। शेष 169 मामलों को न्यायालय में प्रस्तुत करने सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है। कोई भी मामला न्यायालय में पेश करने से पूर्व समाप्त नहीं किया गया है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

सूची

क्रमांक	नाम जिला	मिलावटी पाये गये केस	चालान पेश किया गया	शेष
1.	अजमेर (ब्यावर)	158	126	32
2.	अलवर	15	4	11
3.	बांसवाड़ा	85	79	6
4.	बाड़मेर	21	17	4
5.	भरतपुर	81	80	1
6.	भीलवाड़ा	120	112	8
7.	बीकानेर	2	–	2
8.	बून्दी	81	79	2
9.	चितौड़गढ़ (प्रतापगढ़)	135	132	3
10.	चुरू (रतनगढ़)	26	26	–
11.	डूंगरपुर	7	6	1
12.	धौलपुर	25	25	–
13.	गंगानगर	101	92	9
14.	जयपुर	98	85	12
15.	जैसलमेर	16	16	–
16.	झालावाड़	47	42	5
17.	जालोर	26	20	6
18.	झुन्झुनूं	22	22	–
19.	जोधपुर	114	54	60
20.	कोटा	224	222	2
21.	नागौर	59	59	–
22.	पाली	103	101	2
23.	सवाईमाधोपुर (करौली)	64	64	–
24.	सीकर	39	39	–
25.	सिरोही	31	29	2
26.	टोंक	74	73	1
27.	उदयपुर	119	119	–
	योग:-	1893	1724	169

देहाती क्षेत्र के कम आय वाले परिवारों के लिए रोजगार में आरक्षण

804. **श्री जनार्दन सिंह गहलोत** (करौली) : क्या विशिष्ट योजना संगठन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या राज्य सरकार प्रदेश में देहाती क्षेत्र के दो सौ रुपये या इससे कम आय वाले परिवारों के लिए 80 प्रतिशत रोजगार (राजकीय विभाग एव राजकीय उद्योगों में) आरक्षित करने का विचार रखती है जिससे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए कम आय वर्ग के व्यक्तियों का आर्थिक उत्थान हो सके ?

उत्तर

जी, नही, ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गंगानगर में केनाल की माइनर एफ व एच में सिंचाई हेतु दिया गया पानी

805. **श्री मनफूलराम** (केसरीसिंहपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) जिला गंगानगर में गंग केनाल की माइनर एफ व एच द्वारा सन् 1982-83 में सिंचाई हेतु दिये गये पानी का विवरण कृपया सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि गंग केनाल की एफ माइनर एच माइनर से ज्यादा चलती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) गंग नहर की एफ नहर तथा एच नहर को वर्ष 1982-83 में क्रमश : 250 व 251 दिन चलाया गया। इनमें वर्तमान में क्रमश : 430 क्यूसैक्स व 291 क्यूसैक्स पानी चलाया जा रहा है।

(2) यह सही नहीं है।

कल्याण अस्पताल सीकर में मरीजों की उचित देखभाल नहीं होने की शिकायतें

806. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि श्री कल्याण अस्पताल, सीकर में मरीजों की उचित देखभाल एवं चिकित्सा सुविधा न होने तथा डाक्टर्स द्वारा प्राइवेट प्रेक्टिस करने सम्बन्धी शिकायतें राज्य सरकार को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या चिकित्सालय में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली दवाओं का अभाव बने रहने के बहाने बनाये जाने के कारण गरीब मरीजों को दवाइयां बाजार से खरीदनी पड़ती हैं ?

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(3) क्या राज्य सरकार ने इस बात को जाँच करवाई है कि स्थानीय डाक्टर्स मरीजों को अपनी प्राइवेट डिस्पेन्सरीज में इलाज कराने को मजबूर कर विभिन्न रोगों हेतु ई. सी. जी., खून, स्टूल, यूरीन आदि की जांच अपने घरों में स्थित डिस्पेन्सरीज में कर मरीजों से पैसे ऐंठते हैं?

(4) क्या सरकार गरीब मरीजों को इलाज सुलभ हो इस हेतु कोई ठोस कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या एवं कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(5) सन् 1980 से अब तक सीकर स्थित डाक्टर्स का कब-कब स्थानान्तरण हुआ एवं कब-कब निरस्त हुआ ? कृपया पूर्ण सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हाँ। वर्ष 1979 में एक शिकायत आल इन्डिया यूथ फेडरेशन, राजस्थान राज्य कमेटी के नाम से प्राप्त हुई। दो अन्य शिकायतें वर्ष 1983 में प्राप्त हुई जिनमें से एक समाचार पत्र राष्ट्रदूत के माध्यम से थी। यूथ फेडरेशन एवं समाचार पत्र के माध्यम से प्राप्त शिकायतें तथ्यहीन पाई गई, जबकि तीसरी शिकायत की जॉच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(2) जी नहीं। जीवन रक्षक एवं अस्पतालों हेतु अनुमोदित आवश्यक दवाइयां चिकित्सालय में उपलब्ध होती हैं। किन्तु इसके अतिरिक्त भी कई अन्य दवाइयों का आवश्यकता महसूस होने पर डाक्टर बाजार से उन्हें क्रय करने हेतु मरीजों को लिखते हैं।

(3) जी नहीं। कोई ठोस शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(4) गरीब मरीजों के सुलभ इलाज हेतु अस्पताल में यथासम्भव व्यवस्था की जाती है। बजट प्रावधानों के अनुरूप प्रति वर्ष गरीबों के सुलभ इलाज हेतु ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करने का बराबर प्रयास किया जाता है।

(5) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सीकर स्थित चिकित्सकों के स्थानान्तरण की सूची

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	कहां से	कहां को	स्थानान्तरण के आदेश क्रमांक व दिनांक	निरस्त आदेश सं./दि.
1	2	3	4	5	6
1.	डा. (मिसेज) रानीबाला खन्ना	एस. के अस्प. सीकर	एम. एस. यू. जयपुर	एफ-1 (38) एम पी एच/80/ग्रुप-2 दिनांक 5-6-1980	
2.	डा. वी. के. खन्ना	,,	कर्मचारी राज्य बीमा योजना।	क्रमांक 177 दि. 21-6 1980	338 दिनांक 12-6-1980 370 दिनांक 25-8-1980 द्वारा दिनांक 12-8-80 से निरस्त किया गया। स्थानान्तरण पुनः प्रभावशील रखा गया। क. 551 दि. 21-10-80 से सीकर से ई. एस. आई. का स्थानान्तरण पुनः निरस्त किया।

1	2	3	4	5	6
		एस. के. अस्प. सीकर,	भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई जयपुर	क्रमांक 422 दि. 22-9-81	क्रमांक 81 दि. 12-2-82 क्रमांक 88 दिनांक 17-2-82 निरस्त किये गये आदेश को विड्रा किया। क्रमांक 109 दि. 12-3-82
3.	डा. (श्रीमती) चन्द्रकला शर्मा	,,	ए. के. अस्प. ब्यावर	एफ-1 (27) एम पी एच/2/81 दिनांक 12-1983	,,
4.	डा. वी. एल. खण्डेलवाल (कनिष्ठ विशेषज्ञ)	,,	एस. एम. जे. अस्प. चूरू	एफ-1 (19) एम पी एच/2/82 दिनांक 4-5-83 एवं प8 (19) चिस्वा/82/2 (पदस्थापन आदेश)	— दि. 28-7-83 (पुनः)
5.	डा. विजय कुमार सोनी	एस. के. अस्प. सीकर	बांसवाड़ा	संस्था/सी. ए. एस./एटी/ संस्था/(2) 83/381 दिनांक 10-5-83	450 दिनांक 30-6-1983
6.	डा. एम. एम. एल. पारीक	,,	एस. एम. जे. अस्प. चूरू	एफ-1 (19)/चि. स्वा./2/83 दिनांक 23-9-83	

Page No. 294

2-95

पंचायत समिति पीपलखूंट की ग्राम पंचायतों में बिजली जाने के रास्तों पर वन विभाग बांसवाड़ा द्वारा रुकावट पैदा करना

808. श्री पूंजीलाल (घाटोल) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति पीपलखूंट की बोरी, केलामेला व कोपड़ा ग्राम पंचायत में बिजली जाने के रास्तों पर वन विभाग बांसवाड़ा ने रुकावट पैदा कर दी जबकि इससे वन विभाग के वृक्षों को कोई हानि नहीं होती ?

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्षों में विद्युत मण्डल तथा क्षेत्रीय विधायक द्वारा भी उक्त समस्या को सुलझाने की मांग बराबर की जा रही है ?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के ग्रामों को बिजली देने में इस समस्या का निराकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस लाइन के डालने में 80 वृक्षों को काटना पड़ेगा।

(2) जी हां।

(3) क्षेत्रीय विधायक द्वारा इस संबंध में एक बार दिनांक 24-10-83 को एक पत्र भेजा था। राज्य विद्युत मण्डल की ओर से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्रों में अभी तक भी नहीं भेजने है प्रस्ताव प्राप्त होने पर वन विभाग तत्परता से इन्हें केन्द्र सरकार को प्रेषित कर स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा में कार्यरत औषधालय

809. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या आयुर्वेद राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति नागौर, मूण्डवा जिला नागौर में किस-किस स्थान पर आयुर्वेदिक औषधालय किस-किस सन् से कार्यरत हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) विभिन्न औषधालयों के लिए वर्ष 1982-83, 1983-84 में दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया था और जनवरी, 1984 के अन्त तक किस किस औषधालय को कितनी राशि की दवाइयां वर्ष 1982-83, 1983-84 के लिए क्रय कर दी गई थी ? कृपया औषधालयवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तहसील के किस किस औषधालय में किस-किस श्रेणी के पद वर्तमान में रिक्त पड़े हैं ? ये रिक्तियां कब तक भर दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) जिला नागौर को पंचायत समिति नागौर एवं मूण्डवा में संचालित आयुर्वेद औषधालयों की सूची मय स्थापना वर्ष के (परिशिष्ट-1) सदन की मेज पर रख दी गई है।

2216

(आयुर्वेद राज्य मंत्री)

(2) पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा के आयुर्वेद औषधालयों के लिये वर्ष 1982-83 व 1983-84 का स्वीकृत औषध बजट तथा वर्ष 1982-83 व 1983-84 (जनवरी, 1984 तक) में विभागीय रसायनशालाओं द्वारा निर्मित औषधियों के वितरण की सूचना परिशिष्ट-1 में सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) तहसील नागौर में संचालित औषधालयों में रिक्त पदों की सूचना (परिशिष्ट-2) सदन की मेज पर रख दी गयी है। इन पदों को शीघ्र भर दिया जावेगा।

पंचायत समिति नागौर व मूण्डवा जिला नागौर में संचालित आयुर्वेद औषधालयों, की स्थापना वर्षवार, सूचना तथा वर्ष 1982–83 व 1983–84 में स्वीकृत औषध बजट प्रावधान व वितरित औषधियों का विवरण।

क्र. सं.	नाम स्थान	पंचायत समिति/नगर पालिका	स्थापना वर्ष	स्वीकृत औषध बजट प्रावधान 1982–83	स्वीकृत औषध बजट प्रावधान 1983–84	वितरित औषधियां 1982–83	वितरित औषधियां 1983–84 (जनवरी, 1984 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बलाया	मूण्डवा	1977	1900	2000	643–60	481–40
2.	खजवाना	,,	1956	3900	3500	1413–40	826–85
3.	रूण	,,	1956	2000	7300	1060·00	—
4.	संखवास	,,	1941	3400	4000	1136–00	1031–10
5.	फिडौद	,,	1973	1800	3500	628–70	973–70
6.	पांचला सिद्धा	,,	1956	2000	2000	—	447–80
7.	श्रीबालाजी	नागौर	1954	8200	7300	2166–55	1397–05
8.	भूण्डेल	,,	1965	1100	2000	414–00	—
9.	अलाय	,,	1959	2000	2000	1585–60	847–15
10.	करणू	,,	1976	2500	3300	797–75	826–85

1	2	2	3	4	5	6	7
11.	जोधियासी	नागौर	1956	1500	2000	329-80	725-85
12.	देऊ	,,	1978	2009	2900	847-00	—
13.	चावण्डिया	,,	1976	1500	2000	344-40	1200-20
14.	नागौर (शहर)	,,	1969	8300	78400	2070-20	—

1. इसके अतिरिक्त नागौर पंचायत समिति के ग्राम बासनी में यूनानी औषधालय तथा नागौर नगरपालिका क्षेत्र में एक एक औषधालय यूनानी व होमियोपैथिक चिकित्सा पद्धति के भी संचालित हैं ।

2. राजकीय आयुर्वेद औषधालय, रूण, भूण्डेल, देऊ, नागौर (शहर) एवं पांचला सिद्धा के यहां से मांग पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण इन्हें औषधियां नहीं दी जा सकी हैं । मांग पत्र प्राप्त होते ही भेज दी जावेगी ।

(299)

नागौर तहसील में संचालित विभागीय औषधालयों में वर्तमान में रिक्त पदों का विवरण (10-3-1984 की स्थिति)।

क्र. सं.	नाम स्थान	चिकित्सा पद्धति	रिक्त पद का विवरण
1.	नागौर (शहर)	आयुर्वेद	वैद्य का पद दिनांक 30-9-83 से
2.	श्री बालाजी	आयुर्वेद	कम्पाउण्डर-नर्स का एक पद, दिनांक 18-2-84 से
3.	नागौर (शहर)	होमियोपैथिक	कम्पाउण्डर-नर्स का एक पद; दिनांक 14-2-83 से।

1. राजकीय आयुर्वेद औषधालय, श्री बालाजी में कम्पाउण्डर-नर्स के दो पद स्वीकृत हैं, उनमें से एक पद भरा हुआ है।

2. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/वार्ड बॉय के रिक्त पदों की पूर्ती की जा चुकी है।

सीकर जिले में कार्यरत दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां

810. श्री सूरजपाल सिंह (श्रीनमान): क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर व झुन्झुनूं जिलों में कितनी दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां कब से कार्य कर रही हैं ?

(2) सीकर में आज तक डेयरी प्लांट की स्थापना क्यों नहीं की गई है ? नवीन डेयरी प्लांट कब तक चालू हो जायेगा ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में 23 ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति व 34 दुग्ध संकलन केन्द्र एवं झुन्झुनूं जिले में 15 समिति व 20 दुग्ध संकलन केन्द्र हैं। जिसका विवरण (कार्य करने की तारीख सहित) सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) सीकर में डेयरी प्लांट स्थापित करने की कोई योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

300

सीकर जिले की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की सूची

क.सं	नाम समिति		पंजीयन दिनांक	क्रियाशील/ अक्रियाशील	विशेष विवरण
1	2		3	4	5
1.	पवार दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति		10.1.80	क्रियाशील	
2.	कोटड़ी धायलान	,,	10.1.80	,, ,,	
3.	गुढ़ा	,,	,,	अक्रियाशील	
4.	पलसाना	,,	,,	क्रियाशील	
5.	सिमारला	,,	,,	,, ,,	
6.	रिड	,,	,,	अक्रियाशील	
7.	रामजीपुरा	,,	31.3.80	क्रियाशील	
8.	आचरियावास	,,	,,	,, ,,	
9.	नोवटी	,,	26.3.80	अक्रियाशील	
10.	अरनियां	,,	31.3.80	क्रियाशील	
11.	अनतपुरा	,,	,,	,, ,,	
12.	लिसाड़िया	,,	,,	,, ,,	
13.	गोमावाली	,,	30,6.80	,, ,,	
14.	त्रिलोकपुर	,,	,,	,, ,,	
15.	मुढरू	,,	,,	,, ,,	
16.	ढोलियों का वास	,,	14.1.81	,, ,,	
17.	डेरावाली	,,	,,	,, ,,	
18.	डेरावाली नया कुआ	,,	4.4.81	,, ,,	
19.	जसवन्तपुरा	,,	20.2.82	अक्रियाशील	
20.	कचंनपुरा	,,	,,	क्रियाशील	
21.	फतेहपुर	,,	31.1.75	अक्रियाशील	
22.	सांगलिया	,,	18.4.75	,, ,,	
23.	बगड़ी	,,	8.10.83	,, ,,	

302

सीकर जिले में कार्यरत दुग्ध संकलन केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	नाम दुग्ध संकलन केन्द्र	दिनांक प्रारम्भ	विशेष विवरण
1.	महरोली	4.8.79	
2.	श्यामपुरा	27.8.79	
3.	गट्टडामैल	16.10.80	
4.	लिरूमावाल	6.1.81	
5.	मरू	13.3.81	
6.	गोठा	12.2.81	
7.	तेजूड़ा की ढाणी	21.9.81	
8.	गोदावाली	17.3.82	
9.	सिहोदी	31.3.82	
10.	धुनका वास	1.5.82	
11.	गाड की ढाणी	29.5.82	
12.	विजयापुरा की ढाणी	30.6.82	
13.	दीपड़ों की ढाणी	7.7.82	
14.	बागड़ वाला	22.9.82	
15.	गोटा	15.10.82	
16.	डाक की ढाणी	10.10.82	
17.	रायपुरा	29.12.82	
18.	छुट गढ़ा	15.10.82	
19.	रणजीतपुर	10.1.83	
20.	बदरामपुरा	13.3.83	
21.	गुगासागर	19.11.82	
22.	बेरा की ढाणी	19.11.83	
23.	विलान्दपुर	19.11.83	
24.	अहीरों की ढाणी	4.12.83	
25.	सामोता की ढाणी	9.12.83	
26.	हमीरपुरा	24.12.83	

1	2	3	4
27.	सलेदीपुरा	23.12.83	
28.	पदमपुरा	29.12.83	
29.	दुन्देपुरा	28.12.83	
30.	श्योपुरा	31.12.83	
31.	आलमपुरा	31.12.83	
32.	मलिदपुर	31.12.83	
33.	डायीपुरा	15.2.84	
34.	रलावता	29.2.84	

झुन्झुनू जिले की दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की सूची

क्र.सं.	नाम समिति	पंजीयन दिनांक	क्रियाशील/ अक्रियाशील	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	सुल्ताना दुग्ध उत्पादक सह. समिति	2.2.77	अक्रियाशील	
2.	सुडाना ,,	13.12.77	,,	
3.	लुट्टू ,,	,,	,, ,,	
4.	हुलानिया ,,	,,	,, ,,	
5.	बख्तावर पुरा ,,	,,	,, ,,	
6.	माखर ,,	2.2.77	,, ,,	
7.	मोहन पुरा ,,	,,	,, ,,	
8.	केहरपुरा ,,	,,	,, ,,	
9.	पनाना ,,	,,	,, ,,	
10.	पदमपुरा ,,	,,	,, ,,	
11.	भूकाना ,,	9.3.77	,, ,,	
12.	चुडेला ,,	,,	,, ,,	
13.	ढाई ,,	,,	,, ,,	
14.	इन्डाली ,,	3.3.77	,, ,,	
15.	भड़ूनदा ,,	2.3.77	,, ,,	

(303)

झुन्झुनूं जिले में कार्यरत दुग्ध संकलन केन्द्रों की सूची

क्र.सं,	नाम दुग्ध संकलन केन्द्र	दिनांक प्रारम्भ	विशेष विवरण
1.	रोट	10.1.79	
2.		18.12.79	
3.	मनकावाली ढाणी	27.11.83	
4.	केरोट	23.1.81	
5.	भोपजी की ढाणी	13.1.83	
6.	पंचतणी डहर	13.1.83	
7.	नरोडा की ढाणी	5.12 82	
8.	गढाबलोयां	27.11.83	
9.	सिरोही	10.1.79	
10.	बहादुर सिंह की ढाणी	27.11.83	
11.	माल्डी	27.11.83	
12.	मुदोली	27.11.83	
13.	आभायाणी	27.11.83	
14.	मोरना (मोरया)	10.11.82	
15.	आनन्द कोठी	10.11.83	
16.	गारिण्डा	27.1.83	
17.	जिजाभी	10.11.82	
18.	जिगर	25.8.83	
19.	गुहागा	7.10.83	
20.	लाण्डुन्दा	30.11.83	

कृषि अभियन्ताओं को रोजगार

811. श्री रघुबीर सिंह कौशल (बारां) : क्या कृषि राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 10 मार्च, 1983 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कृषि अभियन्ताओं के रोजगार के सम्बन्ध में एक मीटिंग हुई थी ? यदि हां, तो क्या इस मीटिंग के निर्णयों को क्रियान्वित किया गया है ?

(2) क्या इस मीटिंग में फेमिन रिलीफ में 16 कृषि अभियन्ताओं को रोजगार देने का निर्णय लिया गया था ?

(3) क्या साबी परियोजना या राजस्थान केनाल के सी. ए. डी. प्रोजेक्ट में 18 कृषि अभियन्ताओं को नियुक्त किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां । मीटिंग में लिए गए निर्णयों की क्रियान्विति कृषि विभाग द्वारा की गयी है ।

(2) केवल 14 व्यक्तियों को रोजगार देने का निर्णय हुआ था ।

(3) इस विभाग से सम्बन्धित नहीं है ।

मकराना पत्थर से हस्त निर्मित वस्तुओं को निर्यात सूची में शामिल करना

812. डा. उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या राज्य सरकार मकराना पत्थर से हस्त निर्मित वस्तु उद्योग को निर्यात सूची में जोड़े जाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं । इस प्रकार की कोई सूची नहीं है ।

मातृ कुण्डिया के पास बनास नदी पर बनाए गए बांध से प्रभावित परिवार

813. श्री अमर चन्द (गंगरार) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चित्तोड़गढ़ व उदयपुर जिले के सामूहिक क्षेत्र में मातृ कुण्डियां के पास बनास नदी पर एक बांध बनाया गया है ? यदि हां, तो इससे कितने परिवार प्रभावित हुए हैं ?

(2) मातकुण्डियां बांध से किस क्षेत्र के लोगों को सिंचाई का लाभ मिलेगा ?

उत्तर

(1) हां, इस बांध के बंधने से 892 परिवार प्रभावित हुये हैं ।

(सिंचाई मंत्री)

(2) इस योजना से मेजा बांध के सिंचित क्षेत्र में भीलवाड़ा जिले की तहसील माण्डल, सुवाणा और बनेड़ा के लोगों को लाभ मिलेगा।

राजकीय चिकित्सकों द्वारा अरब अमीरात व अन्य देशों में जाने के लिये आवेदन

814. **श्री सी. एल. कंवरिया (दूदू)** : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार के अधीन कार्यरत डाक्टर्स में से पिछले दो वर्षों 1982-83 एवं 1983-84 में कितने डाक्टर्स ने अरब अमीरात व अन्य देशों में अस्थाई तौर पर जाने के लिये आवेदन-पत्र दिये और कितनों को स्वीकृति प्रदान की गई ?

(2) स्वीकृति दिये जाने के लिये क्या नीति व आधार है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1982-83 एवं 1983-84 में विदेशों में अस्थाई तौर पर जाने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर स्वीकृति प्रदान की गयी, की सूचना निम्नलिखित है:-

वर्ष	आवेदन पत्र	स्वीकृति दी गयी
1982-83	143	41
1983-84	137	39

(2) डाक्टरों के विदेश जाने सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत विभागाध्यक्षों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्रों को राज्य सरकार के जन शक्ति (आयोजना विभाग) द्वारा पंजीकृत किया जाकर, भारत सरकार की सहमति से—

चिकित्सकों को अस्थाई तौर पर जाने की स्वीकृति दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त वे चिकित्सक जो भ्रमण, धार्मिक, पारिवारिक, चिकित्सा एवं अन्य सम्बंधित कार्यों हेतु विदेश जाना चाहते हैं, उन्हें भी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है।

पिछले एक वर्ष में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पास किये गये मानचित्र

815. **श्री शिवराम शर्मा(बनीपार्क)** : क्या नगर आयोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पिछले एक वर्ष में जयपुर विकास प्राधिकरण ने कितने नक्शे पास किये हैं एवं उसमें कितने अनधिकृत रूप में बने मकानों के नक्शे पास कर नियमित किया है ? उपरोक्त कार्य से सरकारी कोष में कितने रुपयों की आमदनी हुई है ?

(2) जयपुर में कृषि भूमि पर पिछले एक वर्ष में कितने अनधिकृत मकान बने एवं जयपुर विकास प्राधिकरण ने कितने ऐसे अवैध निर्माण की तोड़-फोड़ की है ?

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध मकान निर्माण के रोक-थाम के लिये की गई कार्यवाही (याने तोड़-फोड़ की कार्य-

Page No. 305

305

(श्री शिवराम शर्मा)

वाही) में पिछले एक वर्ष में कितना सरकारी व्यय हुआ है ?

उत्तर

(1) पिछले एक वर्ष (14-2-83 से 16-2-84 तक) में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कुल 113 मानचित्र अनुमोदित किए गये हैं। इनमें से 107 अनाधिकृत बने मकानों के मानचित्रों को नियमित करने का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त कार्य से सरकारी कोष में होने वाली आमद का हिसाब अलग से नहीं रखा जा रहा है।

(2) कार्यालय रिकार्ड के अनुसार 1 जनवरी 1983, से दिसम्बर 1983, तक कृषि भूमि पर 1073 अवैध भवन निर्माण होने के मामले ज्ञात हुए जिनके विरुद्ध जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर उनमें से 103 को ध्वस्त किया गया।

(3) इसकी सूचना अलग से नहीं रखी जाती है।

राजस्थान में स्थाई व अस्थाई पौधशालाएं

816. श्री जगनसिंह (बयाना)

श्री दीपेन्द्रसिंह (श्री माधोपुर) : क्या वन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान में कितनी स्थायी और अस्थायी पौधशालाएं हैं ?

(2) इनकी लागत क्या है और इनके उत्पादन की कितनी क्षमता है ?

(3) इन पौधशालाओं से प्रतिवर्ष कितने पौधे लगा दिये गये ?

(4) क्या लगाये गये पौधों के जिन्दा रहने का भी मुल्यांकन किया गया ? यदि हां, तो क्या प्रगति रही ?

उत्तर

(1) गत वर्ष वन विभाग में 661 स्थाई पौधशालाऐं थीं। अस्थाई पौधशालाओं का निर्माण अल्प समय के लिए आवश्यकता को देखते हुए किया जाता है।

(2) सामान्यतौर पर पौधशालाओं की लागत उनमें तैयार किये जाने वाले पौधों की संख्या पर निर्भर करती है। पौधे तैयार करने पर प्रजाति के अनुसार 0.37 पैसे 2.00 रुपये प्रति पौधे तक लागत आती है। एक हैक्टेयर के क्षेत्रफल की पौधशाला की अधिकतम क्षमता लगभग 2 लाख पौधे तैयार करने की होती है।

(3) गत 3 वर्षों में विभाग द्वारा पौधशालाओं में तैयार पौधों में से निम्नानुसार पौधे लगाये गये (लाखों में)

वर्ष	विभागीय तौर पर लगाये गये पौधे	वितरित पौधे
1981-82	268-00	39.00
1982-83	253-83	119.44
1983-84	240.61	285.90

(वन राज्य मंत्री)

(4) जी हां, लगाये गये पौधों का मूल्यांकन प्रत्येक वर्ष माह अप्रेल/मई में कराया जाता है। गत अप्रेल/मई, 1983 में किये गये मूल्यांकन के आधार पर 1982 83 के जीवित पौधों की संख्या 73 प्रतिशत रही।

नर्सरी में पौधा लगाने में लागत

1. यूकेलिप्टस	37 पैसे प्रति पौधा
2. ग्राफटेड बेर	2.00 रुपये प्रति पौधा
3. सु-बबुल	37 पैसे प्रति पौधा
4. अकेशिया टोर्टिलिस बबूल खेजडी	46 पैसे प्रति पौधा
5. बांस	46 पैसे प्रति पौधा

अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद का रिक्त पद

817. श्री बहादुरसिंह (दानपुर)

श्री फतेसिंह (कुशलगढ़): क्या आयुर्वेद राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) आयुर्वेद विभाग में अतिरिक्त निदेशक का पद कब से खाली है और क्यों ?

(2) यह पद कब तक भरा जावेगा ?

उत्तर

(1) अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग का पद श्री एल. एन. शर्मा आर. ए. एस. के दिनांक 31.3.1984 को सेवानिवृत्त हो जाने से रिक्त हुआ है।

(2) इस पद पर शीघ्र ही अधिकारी का पदस्थापन कर दिया जायेगा।

गोगुन्दा से झाड़ोल सड़क निर्माण

818. श्री मेघराज तावड़ (गोगुन्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या गोगुन्दा तहसील जिला उदयपुर की गोगुन्दा से झाड़ोल वाया बगडून्दा सड़क को प्लान में लिया गया है ? यदि हां तो कब ? नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या क्षेत्रीय जन-प्रतिनिधि ने इस सम्बन्ध में आपको कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार आबादी और दो तहसील हैड क्वार्टर्स को जोड़ने वाली इस सड़क को प्लान में लेने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों?

Page No. 307

उत्तर

(1) उदयपुर जिले के सड़कों के मास्टर प्लान के प्रारूप में इस सड़क को सम्मिलित किया गया है।

(2) जी हां। इस सड़क को मास्टर प्लान के प्रारूप में सम्मिलित किया गया है।

(3) मास्टर प्लान के प्रारूप को अन्तिम रूप दिय जाने पश्चात धन की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर कार्य हाथ में लिया जा सकेगा।

बीकानेर औद्योगिक क्षेत्र में भूमि पर नाजायज कब्जे

819. **श्री देवीसिंह भाटी** (कोलायत): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर औद्योगिक क्षेत्र में किन-किन व्यक्तियों ने कहां-कहां कितनी भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है? कृपया नाम पता व क्षेत्रफल वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कब्जों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) बीकानेर में दो औद्योगिक क्षेत्र हैं बीछवाल औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर में वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है। पुराने औद्योगिक क्षेत्र में जिन व्यक्तियों का जितनी भूमि पर नाजायज कब्जा है उसके विवरण की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) समस्त अतिक्रमणों को हटाने हेतु प्रयास जारी हैं। यथा सम्भव शीघ्र ही अतिक्रमण हटा दिये जावेंगे।

औद्योगिक क्षेत्र बीकानेर में किए गए के विभिन्न अनाधिकृत कब्जों का विवरण (परिशिष्ट "ए")

क्र.स.	कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम	कब्जे का प्रकार	साइज	कब्जे की स्थिति	विवरण
1	2	3 / 4		5	6
1.	श्री चैनसिंह पुत्र श्री रावतसिंह राजपूत	चाय की दुकान	खोखा छप्पर 3.30 मी. × 4.00 मी.	मूंधड़ा मेटल वर्क्स के सामने	करीब 7-8 साल से लगी हुई है
2.	जयभवानी होटल श्री भंवरसिंह पुत्र श्री वीरसिंह	चाय की दुकान पक्की दिवारों का कब्जा	5.70 मी. × 6.25 मी.	कार्डिंग प्लांट के पास	,, ,,
3.	श्री बनूदप्रसाद पुत्र श्री मेघराजजी	चाय की दुकान	1.70 मी. × 1.70 मी.	राज प्लाटर्स के सामने	,, ,,
4.	श्री भूराराम पुत्र श्री बालूराम	,, ,,	1.60 मी. × 1.25 मी.	,, ,,	,, ,,
5.	श्री भवरलाल पुत्र श्री कानाराम	,, ,,	1.80 मी. × 1.20 मी.	मोडर्न वूल मिल के आगे	,, ,,
6.	श्री भीमसिंह पुत्र डालसिंह	,, ,,	,, ,,	जुगलकिशोर गम इण्ड. के आगे	,, ,,
7.	श्री रामधन पुत्र लाधूराम	,, ,,	1.70 मी. × 1.70 मी.	महावीर मायल मिल के आगे	,, ,,
8.	श्री नारायणसिंह पुत्र श्री मंगलसिंह	,, ,,	1.60 मी. × 1.60 मी.	खादी मंदिर के आगे	,, ,,

1	2	3	4	5	6
9.	श्री फतेहचंद पुत्र चम्पालाल	चाय की दुकान	छप्पर 2.60 मी × 1.60 मी.	नीलकमल इण्डस्ट्रीज के बहरा	करीब 7-8 साल से लगी हुई
10.	श्री दर्शनकुमार पुत्र सीताराम	,, ,,	खोखा 1.40 मी. × 1.10 मी.	श्यामलाल एण्ड आयल मिल के आगे	,, ,,
11.	श्री घूड़ाराम पुत्र रूघाराम	,, ,,	3.50 मी. × 4.80 मी.	विश्वकर्मा लघु उद्योग के आगे	,, ,,
12.	श्री नेम पुत्र पूनमचन्द	,, ,,	1.60 मी. × 1.60 मी.	नवभारत केमिकल्स के आगे	,, ,,
13.	श्री दलीचंद पुत्र कहमाराम चौधरी	,, ,,	5.20 मी. × 3.00 मी.	कमल कारपेट के आगे	,, ,,
14.	श्री गणेशीलाल पुत्र लक्ष्मीचन्द	बिजली उपकरण के मरम्मत की दुकान	1.80 मी. × 1.60 मी.	,, ,,	,, ,,
15.	श्री लक्ष्मणसिंह/शंकरसिंह	चाय की दुकान	4.00 मी. × 3.70 मी.	मौलानी डाइंग वर्क्स के आगे	,, ,,
16.	श्री बीरबल पलदार	,, ,,	2.10 मी. × 6.00 मी.	प्रेम सिरेमिक्स के साइड में	,, ,,
17.	श्री हेतराम पुत्र श्री शंकरलाल	,, ,,	1.70 मी. × 1.70 मी.	गणपति वूलन मिल के आगे	,, ,,
18.	श्री मेघराज भाटी पुत्र मंगतराम	,, ,,	4.10 मी. × 3.60 मी.	,, ,,	,, ,,
19.	श्री फूलसिंह राजपूत पुत्र माधोसिंह	,, ,,	6.40 मी. × 2.00 मी.	सूरज इण्ड. के आगे	,, ,,
20.	श्री ल्याकत अली पुत्र नूर मोहम्मद	,, ,,	5.00 मी. × 4.50 मी.	जे. के. वूलन मिल के आगे	,, ,,

1	2	3	4	5	6
21.	श्री यासीन खां पुत्र फतेह खां	चाय की दुकान	3.00 मी. × 1.90 मी.	डागा उद्योग के सामने	करीब 7–8 साल से लगी हुई
22.	श्री ओमप्रकाश पुत्र बालूराम	,, ,,	1.50 मी. × 1.50 मी.	हिमालय आप्टिकल के साइड में	,, ,,
23.	श्री लूणकरण सेठिया पुत्र बालचंद सेठिया	,, ,,	1.60 मी. × 1.60 मी.	भारत वूलन मिल के आगे	,, ,,
24.	मै. लक्ष्मी स्पिनिंग मिल्स	पट्टियां लगाकर गली पर कब्जा	667.95 वर्गमीटर	साथ में लगती हुई गली	करीब 4–5 माह से है।
25.	मै. पी. पी. इण्डस्ट्रीज	,, ,,	667.95 वर्गमीटर	,, ,,	,, ,,
26.	श्री सत्यनारायण दरगढ़	भूखण्ड के लिये रिक्त भूमि पर कब्जा	2132 वर्गमीटर	भूखण्ड संख्या 128 व 129 के बीच में	करीब दो माह से है।

कोटड़ा, कावरा, बाराखण्ड बडाखेड़ा की पेयजल योजना

820. श्री विष्णु प्रकाश बजारी (ब्यावर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे :-

(1) क्या कोटडा कावरा, बाराखण्ड बड़ाखेड़ा में नल योजना हेतु कोई योजना बनी है ? यदि हां, तो उस पर कार्य कब तक प्रारम्भ किया जावेगा ?

(2) निम्बाज योजना पर आज तक कितनी राशि व्यय हुई है, तथा इस योजना से ब्यावर नगर को व श्री सीमेंट फैक्ट्री को कितना पेयजल दिया जा रहा है ?

(3 वर्ष 1983 - 1984 में निम्बाज से सेन्दड़ा पाइप लाइन कितनी बार टूटी ?

(4) वर्ष 1 82 - 83 व 1983-84 में अजमेर जिले के लिये पेयजल हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया तथा वह राशि किन-किन योजनाओं पर खर्च हुई ? कृपया ब्यौरा सदन की मेज पर रखें !

उत्तर

(1) कोटड़ा की नई पम्प व टैंक योजना एवं ग्राम कावरा की पारम्परिक जल स्त्रोत योजना एवं बराखण्ड की हैण्डपम्प योजना की पुनंगठन जल योजनाएं बनाई जा रही हैं। इनके लिये तकनीकी स्वकृति जारी करवाकर बजट उपलब्धि के अनुसार कार्य प्रारम्भ करवाया जायेगा। ग्राम बडाखेड़ा अजमेरजिला जनगणना पुस्तिका में उपलब्ध नहीं है।

(2) निम्बाज योजना पर दिनांक 21-3-84 तक कुल 191.63 लाख रुपये की राशि व्यय हुई है वर्तमान में इस योजना के स्त्रोत निम्बाज से ब्यावर नगर को लगभग 4 लाख गैलन एवं श्री सीमेंट फैक्ट्री ब्यावर को लगभग एक लाख गैलन जल प्रतिदिन उपलब्ध कराया जाता है।

(3) वर्ष 1983-84 में टेस्टिंग के दौरान निम्बाज से सेन्दडा साइप लाइन लगभग 212 बार टूटी।

(4) ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है।

अप्रैल 82 से आज तक बजट आवंटन (जिलाखंड अजमेर)

क्र. सं.	मद		कार्य का मद	82-83 बजट	82-83 खर्चा	वर्ष 83-84 (अगस्त 2/84) बजट	वर्ष 83-84 (अगस्त 2/84) खर्चा
1.	पुर्नगठित जलप्रदाय योजना	ब्यावर	1. स्टेटशयर	—	—	—	20.55
			2, जीवन बीमा ऋण	94.60	88.63	5.97	5.97
		किशनगढ़	1. स्टेटशयर	—	—	5.00	(—)0.17
			2. जीवन बीमा	33.00	27.94	5.06	5.05
2.	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना व अन्य योजनाएं		पनेर नोसल भाग व अन्य योजनाएं	—13.33	2.77	—5.00	2.57
3.	ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं		ग्रामीण पाइप्ड योजनाएं	1.50	0.89	—	(5) 2.82
4.	अनुसूचित जाति/जनजाति पाइप्ड योजनाएं	रूरल	ए. सी. एण्ड एस. टी. योजनाए	0.30	0.28	0.40	—
		अरबन	,,	—	—	0.25	—
5.	आगमेन्टेशन(एपीए) पुरानी एवं नवीन योजनाए			—	—	7.10	7.76

1	2	2	3	4	5	6		7
6.	डिसिलटिंग एवं बोरिंग (ए.पी.ए.) योजनायें				—	—	1.00	0.99
7.	अन्य शहरी आगमेन्टेशन शहरी योजनाएं				7.33	53.45	6.00	6.04
8.	हैण्ड पम्प प्रोग्राम (ग्रामीण) ए. पी. ए. हैण्डपम्प				25.00	18.00	—	—
9.	आइडिया (जिला अजमेर)				46.73	42.27	10.25	0.17
10.	आइडिया असिस्ट (ए. पी. ए.)				—	—	5.00	4.98
11.	आगमेन्टेशन (डी. सी. बी.)(ए. पी. ए)				12.00	7.79	—	—
12.	प्रशासन शहरों की ओर				—	—	2.40	0.94
13.	रूरल वाटर सप्लाई स्कीम एक्सीलेरेशन आफ प्लान (नोन आइडिया ए पी. ए.)				—	—	5.00	5.23

योग :-लाख 233.79 लाख 94.815 58.33 लाख 57.26 लाख

315

परिशिष्ठ (ख) प्रश्न के भाग चार की सूची)

अप्रेल, 82 से फरवरी, 84 तक प्रत्येक कार्य पर हुए बजट खर्चे की सूची (जिला अजमेर)

क्र. सं.	मद	योजना का नाम	82-83 प्रांवटन	82-83 व्यय	83-84 प्रांवटन	83-84 व्यय
1.	पुन गठित जलप्रदाय योजन	1. ब्यावर स्टेट	—	—	—	20.55
		2. जीवन बीमा ऋण	94.60	88.63	5.97	5.97
		1. किशनगढ़ स्टेट	—	—	5,00	5.97
		2. जीवन बीमा ऋण	33.00	27.94	5.06	5.05
2.	क्षेत्रीयजल प्रदाय योजना	पेनेर नोसल भाग	13.33	2,77	—	(—)0.84
"	अन्य योजनाए	1. अन्य योजनाएं	—	—	5.00	3.41
						2.57
3.	ग्रामीण जलप्रदाय योजनाएं					
	पाइप्ड योजनाएं (एम. एन. पी.)	1. घटियाली	—	—	—	—
		2. लीडी	—	(—)0.88	—	0.09

1	2	3	4	5	6	7
		3. रामसर	—	—	—	—0.42
		4. बान्दनवाडा	—	0.007	—	—
		5. देवलीयाकला	—	—	—	—
		6. कडेल	—	0.009		
		7. नरवर	—	0.024		
		8. जालिया | चरण	—	—	—	—0.77
		9. गोविन्दगढ़	—	—0.91	—	—
		10. करवेडी	—	0.54	—	0.01
		11. जेठाना	1.50	0.71	—	0.005
		12. उकादेरादेवपुरा	—	0.03	—	—1.15
		13. सातर—चरण	—	0.01	—	0.10

1	2	3	4	5	7	8
		14. मेहरुकला	—	0.46	—	0.30
		15. बबाइबा				
		16. अराई				
				0.80		
			प्रोरेटा	0.09		
		17. सावर—चरण	—	—	—	—1.42
		18. पीसांगन	—	—	—	0.42
		19, जूनिया	—	—	—	0.04
						—2.82
4.	68 गांव प्र. म. एन. पी. (टी· 88) योजनाए		—	—	—	—
5.	हैण्ड पम्प प्रोग्राम (एम. एन. पी.) 146 मांग		—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
6.	अनुसूचित/जन जाति पाइप्ड योजनाए					
		1. घटियाली	—	—	—	—
		2. बाछावाड़ा	—	0.01	—	—
		3. सवास	—	—	—	—
		4. रतनगढ़	—	—	—	—
		5. राजगढ़	—	—	—	—
		6. अराई	—	—	—	—
		7. पीसांगन	—	0.12	—	—
		8. रामसर	0.30	0.01	—	—
		9. बघेरा	—	0.13	—	—
		10. बिसुन्दनी	—	0.01	—	—
				0.28		

318

1	2	3	4	5	6	7	8
	ए. पी ए.	38	गांव टी. एस. एस.	—	—	—	—
		80	गांव हैण्ड पम्प योजना	—	—	—	—
		15	....;; .... ,,	—	—	—	—
		146	....,, ... ,,	—	—	—	—
	आगमेन्टेशन (ए पी ए)						
			1. बघेरा	—	—	—	—
			2. श्रीनगर	—	—	—	—
			3. जवाजा	—	—	—	0.12
			4. सावर	—	—	—	1.78
			5. रामसर	—	—	—	—
	आगमेन्टेशन (ए. पी. ए.)						
			1. सवास	—	—	—	0.06
			2. घटियासी	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
		3, भिनाय	—	—	7.10	0.12
		4. रामसर	—	—	—	0.60
		5. बान्दनवाड़ा	—	—	—	—
		6. अराई	—	—	—	1.06
		7. तबीजी	—	—	—	0.08
		8. जवाजा	—	—	—	0.02
		9. सानगढ़	—	—	—	1.25
		10. जालिया I I	—	—	—	0.77
		11. बादेरादेवपुरा	—	—	—	1.20
					7.10)	7.06
				—	प्रोरेटा	0,70
						7.76
	डिसिटिंग एवं बोरिंग योजनाएं (ए पी ए)	देतलियाकला	—	—	—	—
		बाघसुर	—	—	—	—

320

1	2	3	4	5	6	7
		1. श्रीनगर	—	—	—	—
		बाघमुरी	—	—	—	0.11
		2. जवाजा	—	—	—	—
		3. सावर	—	—	—	0.11
		3. रामसर	—	—	—	—
		5. तबीजी	—	—	—	0.23
		देवलियाकला	—	—	—	0.11
		6. लोडी	—	—	—	0.22
		7. फतेहगढ़	—	—	—	0.11
					1.00	0.89
					प्रोरेटा +	0.10
						0.99
	अन्य शहरी आग्मेन्टेशन योजनाएं	1. ब्यावर	—	1.29	5.41	2.98
		2. किशनगढ़	—	4.07	0.59	2.46

Page No. 321

1	2	3	4	5	6	7
		3. केकड़ी	—	0.015	—	—
		4. विजयनगर	—	5.345	—	5.44
						प्रोरेटा 0.60
			7.33	5.345	6.00	6.00
हैण्ड पम्प प्रोग्राम (ग्रामीण) हैण्ड पम्प			25.00	18.90	—	—
आईडी. ए. (आईडिया) (जिला अजमेर)			46.73	42.27	10.25	02.17
,,	,,	असिट ए. पी. ए.	—	—	5.00	4.98

(323)

परिशिष्ट (ख)

क्र. सं. मद	कार्य का मद	82-83 आवंटन	82-83 व्यय	83-84 आवंटन	83-84 व्यय
1. प्रशासन शहरों की ओर					
	1. किशनगढ़	—	—	—	0.04
	2. विजयनगर	—	—	—	0.28
	3. ब्यावर	—	—	—	0.22
	4. केकड़ी	—	—	—	0.40
				2.40	0.94
	1. जेठाना	—	—	—	0.03
	2. नरवर	—	—	—	0.004
	3. कादेड़ादेवपुरा	—	—	—	0.004
	4. मेहरकला	—	—	—	0.17
	5. सावरप्रथम चरण	—	—	—	0.02
	6. मसूदा	—	—	—	0.02
	7. सवास	—	—	—	0.02
	8. हैण्ड पम्प प्रोग्राम	—	—	—	0.46
				5.00	4.71
				प्रोरेटा	0,51
					5.23

(324)

परिशिष्ठ "ख" प्रश्न के भाग 4 की सूची

अप्रैल, 82 से फरवरी, 84 तक प्रत्येक कार्य पर हुए खर्च की सूची (जिला खण्ड अजमेर)-

क्र. सं. मद	कार्य का मद	82-83 प्रावंटन	82-83 व्यय	83 84 प्रावंटन	83 84 व्यय
1. प्रागमेन्टेशन (डी. सी. बी.)					
	1. सरता	0.45		शून्य	
	2. जवाजा	0.98		"	
	3. प्रराई	0.41		"	
	4. राजगढ़	0.38		"	
	5. लोडी	0.95		"	
	6. बघेरा	0.41		"	
	7. देवलियाकला	0.53		"	
	8. टाटोती	0,85		"	
	9. रूपनगढ	0.89		"	
	10. रामसर	0.13		"	
	11. सावर	0.06		"	
	12. जेठाना	0.13		"	
	13. तबीजी	0.05		"	
	14, कुचील	0.22		"	
	15. राजियावास	0.27		"	
	16. अलीपुर	0.18		"	
	17. बिसुन्दनी	0.06		"	
	18. भिनाय	0.11		"	
	19. टाटगढ़	0.72		"	
		7.79			

Page No. 324

325

कुम्हेर में घटित डकैतियों की घटनाएं

821. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : -क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र कुम्हेर में गत 6 महीनों में डकैतियां पड़ी है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर और कब-कब ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र के ग्रामों में ग्रामवासियों ने तथा अन्य लोगों ने राजस्थान आर्मड कोन्सटेबलरी के गार्ड लगाये जाने की मांग की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? अब तक गार्ड क्यों नहीं लगाये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी हाँ। प्रथम घटना दिनांक 5/6-12-83 की रात नगला इन्द्र में तथा दूसरी 26-2-84 को करीब 11.30 बजे रात नगला सन्ता उर्फ नगला जीवन में।

(2) आर्म गार्ड लगाने की फिलहाल आवश्यकता नही है।

हिम्मतगढ़ तालब का निर्माण

822. श्री फते सिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

( ) क्या जिला बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र मे हिम्मतगढ़ तालाब के निर्माण की योजना तैयार है ? यदि हां, तो इस तालाब को बनाने में क्या कठिनाई है ?

(2) क्या राज्य सरकार ट्रायबल फंड से इस तालाब के निर्माण का कार्य करवायेगी ?

उत्तर

(2) जी हां, इस योजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है एवं तखमीना तैयार हो रहा है। प्रशासनिक स्वीकृति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। प्रशासनिक स्वीकृति एवं बजट प्राप्त होने पर कार्य को हाथ में लिया जाना सम्भव होगा।

(2) लघु सिंचाई के जिस मद से भी बजट मिलेगा उसी से कार्य करवाया जावेगा।

राजगढ़ (अलवर) में रेफरल अस्पताल बनाना

824, श्री समर्थलाल (राजगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही की सरकार द्वारा राजगढ़ (अलवर) में रेफरल हॉस्पीटल खोलने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो रेफरल हॉस्पीटल अब तक न बनाने का क्या कारण है ?

(2) क्या एक दानदाता ने भी उसी समय अस्पताल की बिल्डिंग इस शर्त पर बनाने की घोषणा की थी ?

Page No. 325

(326)

उत्तर

(1) जी हां। घोषणा यह की गई थी कि यदि दानदाता भवन निर्माण करा देंगे, तो राजगढ़ (अलवर) में रेफरल हॉस्पीटल बना दिया जावेगा। क्योंकि दानदाताओं ने भवन निर्माण नहीं कराया, अतः इसमें कोई प्रगति नहीं हुई।

(2) जी हां।

ठोस दान प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।

अलवर जिले के बावरिया बांध की मरम्मत

825. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बान्सूर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या सरकार को जानकारी है कि अलवर जिले के बावरिया बांध की ओवर फ्लो काफी अरसे से टूटी हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि बानसूर तहसील के इस बांध से पेटा काश्त काफी समय से होती आ रही थी जिसके टूट जाने से किसानों की चाही जमीन बिना सिंचाई के बेकार हो गई है और जमीन में खार निकल रहा है ?

(3) क्या सरकार अब इस बांध की मरम्मत का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, बांध के पेटे में पेटाकाश्त होती आ रही थी। बांध के टूटने से भूमि में पेटाकाश्त की सुविधा नहीं रही है। खार के कारण विस्तृत अन्वेषण के उपरान्त ही निश्चित किया जा सकता है।

(3) कार्य का सर्वेक्षण किया जा रहा है। जिसके आधार पर विस्तृत आंकलन तैयार कर इसकी उपयोगिता के निर्धारण के बाद पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकता है।

अलवर की बस्तियों में पेयजल हेतु पाइप लाइनें डालना

826. **श्री जीतमल जैन (अलवर)** : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) अलवर नगर परिषद् की सीमा में किन-किन बस्तियों में नल की लाइनें नहीं बिछी हुई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन बस्तियों में लाइनें बिछाने की कोई योजना है ?

(3) यदि हां, तो कब तक लाइनें बिछा दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(3) प्रश्न के भाग-1 में दर्शायी गई सूची की प्रथम छः बस्तियों के लिये नगर सुधार न्यास, अलवर द्वारा राशि जमा करा दी गई है। इन बस्तियों में इसी वित्तीय वर्ष में पाइप लाइन बिछा दी जायेगी। स्कीम नं. 8 एवं हाऊसिंग बोर्ड जोन द्वितीन (क्र सं. 19 एवं 23) के लिये राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। आवासन मण्डल द्वारा निर्धारित राशि जमा कराने के उपरोक्त पाइप लाइन बिछाने की कार्यवाही की जायेगी। क्रम सं. 20,21 24, 25 एवं 26 में दर्शित बस्तियां हरिजन बस्तियां है। इन बस्तियों में बजट उपलब्धि के अनुसार कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। शेष 14 बस्तियों के आगूमेन्टेशन प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं, जिनकी तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति मिलने के उपरांत बजट उपलब्धि के अनुसार कार्य करवाया जायेगा।

कृ. सं.	अलवर शहर की बस्तीयां/मोहल्ला जहां पर पाइप लाइन नहीं बिछी हुई है।
1.	तीज का पूर्व
2.	जाटव बस्ती
3.	गालिब सैयद
4.	खदाना मोहल्ला
5.	हरिजन बस्ती
6.	फैमली लाइन
7.	प्रताप पल्टन
8.	हजूरी गेट
9.	प्रताप वास
10.	लखनदा मोहल्ला
11.	धोबीघाट
12.	दाऊद पुर
13.	नारूका मोहल्ला
14.	हीराबास
15.	मरेठियां बास
16.	खोहरा
17.	जत्ती को बगीची
18.	आरा मशीन (मोतीडूंगरी]
19.	स्कीम नं. 8
20.	सेठ की बावड़ी
21.	मोनाता की डूंगरी
22.	सेक्टर नं. 2
23.	हाऊसिंग बोर्ड जोन दितीय
24.	लाल खान
25.	जोरन्डा मोहल्ला
26.	लाल डिग्गी
27.	करोली कुण्ड

(328)

बेनण एनीकट का निमाण

827. **श्री रामसिंह बिश्नोई (लूनी) :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) जोधपुर जिले के गांव बेनण जो मीठड़ी नदी के किनारे पर आया हुआ है वहां सिंचाई विभाग द्वारा अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत एनीकट (लघु बांध) कब बनाया गया था और वह कब क्षतिग्रस्त हुआ तथा उसे पुनः मरम्मत नहीं कराये जाने के क्या कारण रहे तथा अब कब तक इस एनीकट को बना दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि बेनण, चौड़ा बुचकला, गियां आदि गांव मीठड़ी नदी के किनारे पर आये हुए हैं जहां पर सैंकड़ों मीठे पानी के कुए हैं, बेनण एनीकट के बन जाने से क्या इन कुओं का जलस्तर ऊंचा होगा ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में बेनण गांव के पास मीठड़ी नदी के किनारे वर्ष 1973-74 में एक बांध का निर्माण कराया गया था। यह बांध वर्ष 1979 में अत्यधिक वर्षा एवं बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था। इस बांध को पुनः मरम्मत कराने के लिये राज्य सरकार ने अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 में स्वीकृति दी थी परन्तु आसपास के खेतों के मालिकों ने मिट्टी उठाने नहीं दी जिससे कार्य आरम्भ नहीं हो सका।

(2) यह सही है कि मीठड़ी नदी के किनारे पर बसे बेनन व आसपास के गांवों में काफी कुए हैं। इस बांध के बनने से इस क्षेत्र के कुओं के जलस्तर के ऊंचा होने की सम्भावना है।

आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में कार्यरत सांख्यिकी सहायकों के नाम में परिवर्तन

828. **श्री गोविन्द आमलिया (चौरासी) :** क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी मत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या राज्य सरकार आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में कार्यरत सांख्यिकी सहायकों के नाम में परिवर्तन कर सहायक सांख्यिकी अधिकारी करने का विचार रखती है ? यदि हां तो यह नाम परिवर्तन कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

जी हां, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक निर्णय लिया जा चुका है। नियमों में संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

गंगानगर जिले के थाना मुकलावा में वन प्राणियों के शिकार का दर्ज मामला

829. **श्री सुनिल कुमार बिश्नोई (सूरतगढ़)** क्या गृह राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) श्री गंगानगर जिले के थाना पुलिस मुकलावा में सन् 1983 में वन्य प्राणियों के शिकार की कितनी घटनायें हुई तथा पुलिस ने उनमें क्या कार्यवाही की ?

(श्री सुनील कुमार विश्नोई)

(2) वन्य प्राणियों के शिकार की घटनाओं में पुलिस थाना मुकलावा द्वारा मुकदमा वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत दर्ज न कर राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी सुरक्षा अधिनियम 1951 के अन्तर्गत दर्ज करने का क्या औचित्य था जबकि केन्द्रीय अधिनियम ज्यादा उपयुक्त था ?

उत्तर

(1) थाना मुकलावा में धारा 295 ए, ता. हि. एवं धारा 8 बी. राज. वन्य पशु एवं पक्षी सुरक्षा अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत दो घटनाओं के सम्बन्ध में अभियोग पंजीबद्ध होकर एक अभियोग में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। तथा दूसरे में अनुसंधान जारी है।

(2) वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत अपराध पुलिस द्वारा दस्तंदाजी अपराध न होने के कारण इस अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीबद्ध नहीं किया गया था।

अजमेर नगर परिषद् द्वारा लीज पर दी गई भूमि

831. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि नगर परिषदों द्वारा लीज पर दी गई जमीनों की लीज अवधि समाप्ति के बाद उन्हें पुनः नीलाम किया जाता है ?

(2) क्या नगर परिषद्, अजमेर क्षेत्राधिकार में पड़ाव स्थित दुर्गा मिल के भागीदारों हासाराम व किशनचन्द को नगर परिषद् द्वारा दी गई जमीन की लीज अवधि पूर्ण हो चुकी है ? यदि हां, तो कब ?

(3) अवधि समाप्ति के बाद इसमें कितनी बार वृद्धि की गई ? कृपया लीज डीड व बढ़ाई गई अवधि का पूरा ब्यौरा कारणों सहित सदन की मेज पर रखें ?

(4) क्या अब राज्य सरकार इस जमीन को पुनः नीलाम करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगर परिषद् द्वारा अभी तक किसी भी भूमि की लीज अवधि समाप्त होने के बाद नीलामी द्वारा विक्रय नहीं किया गया है।

(2) जी हां।

(3) अवधि समाप्त होने के बाद अभी तक इसमें कोई वृद्धि नहीं की गई है।

(4) यह प्रकरण अभी सुनवाई में है, निर्णय होने के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा।

परिशिष्ट–2

प्रश्न संख्या 1038 की तालिका

वर्ष 1981 में आई बाढ़ से हुई क्षति के लिये मदवार जो राशि केन्द्रीय सरकार से ज्ञापन के द्वारा मांगी गई उसका विवरण ।

क्र. सं.	प्रयोजन का नाम	राशि (लाखों में)
1.	(क) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिये	41.01
	(ख) पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिये	95.45
2.	मृतक पशुओं के लिये पशु पालकों को देने हेतु	334.00
3.	बाढ़ग्रस्त सड़कें पुलिया एवं भवनों की क्षति	3189.23
4.	क्षतिग्रस्त सिंचाई कार्य	1348.03
5.	पेयजल व्यवस्था एवं नालियों के सुधार हेतु	335.00
6.	विद्युत मण्डल के इन्सटोलेशन की बाढ़ से क्षति	216.36
7.	कृषि को क्षति	26143.00
8.	उद्योग को बाढ़ से क्षति	84.00
9.	स्थानीय निकाय को क्षति	1556.90
10.	अन्य सरकारी सम्पतियों को नुकसान	154.78
11.	जयपुर शहर के पुर्ननिर्माण हेतु	5935.00
	कुल	39432.76

लगभग 394·33 लाख

(331)

तालिका संख्या-2

वर्ष 1981 में आई बाढ़ से हुई क्षति के लिये मदवार जो राशि केन्द्रीय सरकार ने अधिकतम सीमा के रूप में स्वीकृत की एवं तुलना में जो राशि व्यय हुई उसका विवरण

क्र.सं.	प्रयोजन का नाम	केन्द्रीय सरकार से स्वीकृत राशि (लाख रु. में)	व्यय की गई राशि (लाख रु. में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
(1)	संकट कालीन बचाव, भोजन, पेयजल, औषधि व्यवस्था उन लोगों हेतु जिनके मकान नष्ट हुए।	80.00	52.81	
(2)	खाद्य सामग्री आदि का परिवहन व्यय	15.00	10.00	
(3)	सड़कों से मिट्टी, मलवा हटाने हेतु	70.00	66.99	
(4)	मुफ्त सहायता, खाने के बर्तन वस्त्र आदि पीड़ियों को देने हेतु	21.00	13.00	
(5)	बाढ़ से मृतकों के परिवारों को अनुदान	3.67	3.67	
(6)	बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिये मरम्मत हेतु	105.00	70.01	
(7)	नये स्थानों पर बस्तियां बसाने के लिये सार्वजनिक साधन एवं सुविधायें	40.00	20.81	
(8)	बिमारियों की रोकथाम एवं औषधियों की खरीद	50.00	40.66	
(9)	पशु चिकित्सा एवं औषधियाँ	10.00	5.60	
(10)	कृषि आदान हेतु अनुदान	57.61	57.61	यह राशि विशेष

1	2	3	4	5
(11)	कृषि भूमि के सुधार हेतु	47.62	47.62	योजना संगठन के माध्यम से ग्रामीण जिला विकास अभिकरणों को दी गयी थी जिससे वे कृषकों को उपलब्ध करादें एवं इन राशियों को निजी निक्षेपों को हस्तानान्तारित करके इन्हें खर्च होना मान लिया गया है।
(12)	मृत पशुओं के स्थान पर नये पशु खरीदने हेतु अनुदान	112.02	112.02	
(13)	कुओं की सफाई एवं मरम्मत हेतु	29.88	29.88	
(14)	पम्पींग सैटों की मरम्मत हेतु	3.20	3.20	
(15)	नष्ट हुए कृषि औजारों के बदले नये औजार खरीदने हेतु	7.00	7.00	
(16)	दस्तकारों को औजार खरीद एवं कच्चा माल खरीद करने हेतु	0.60	0.60	
(17)	कृषकों को अपना व्यवसाय बदलने हेतु सहायता	20.00	20.00	
(18)	नलों के किनारे पर पौधशालाएँ लगाने हेतु	5.00	4.84	
(19)	कच्ची बस्तियों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने हेतु	20·00	20.00	
(20)	सड़कों पूलों एवं भवनों की क्षति की मरम्मत हेतु	2110.00	2101.49	
(21)	नगर परिषद् जयपुर की सड़कों की मरम्मत हेतु	125.00	125.00	
(22)	मेडिकल कालेज भवन में हुई क्षति की मरम्मत हेतु	43.00	43.22	
(23)	अन्य विभागों की सम्पति को हुई क्षति हेतु	60.00	57.41	
(24)	सिचाई विभाग के कार्यों को हुई क्षति हेतु	750.00	745.98	
(25)	पंचायतों के तालाबों की क्षति हेतु	40.00	34.77	

1	2	3	4	5
(26)	पेयजल योजनाओं की मरम्मत हेतु	225.00	224.03	
(27)	स्थानीय निकायों की सम्पति को हुई क्षति की मरम्मत हेतु	170.00	170.00	
(28)	औद्योगिक क्षेत्रों में हुई क्षति की मरम्मत हेतु	10.00	10.00	
(2)	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को हुई क्षति हेतु	175.00	175.00	
(30)	कमजोर वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु	100.00	100.00	
	योग	4505.60	4373.22	

परिशिष्ट–3

प्रश्न संख्या 1039 की सूचना

पिछले 10 वर्षों में मूल्यांकन विभाग को आवंटित एवं प्रकाशित अध्ययनों का सारांश

वर्ष	वर्ष में आवंटित कुल अध्ययन संख्या	वर्ष में प्रकाशित अध्ययन संख्या	अप्रकाशित अध्ययनों की प्रगति	
1	2	3	4	
1974-75	9	–	1. प्रकाशन की तैयारी में	= 14
1975-76	9	5	2. लेखन में	= 8
1976-77	9	2	3. लेखन के पश्चात विभागीय	= 3
1977-78	7	1	टिप्पणी में।	
1978-79	15	6	4. संकलन व सारणियन में	= 4
1979-80	9	4	5. क्रमांकन व अनुसूचियों की तैयारी में।	= 6
1980-81	8	11	6. क्षेत्र कार्य प्रगति	= 2
				= 37
1981-82	5	5		
1982-83	8	3		
1983-84	7	12		
योग–	86	49		

335

मूल्यांकन संगठन राजस्थान जयपुर में स्वीकृत पदों का विवरण

क्र सं.	पद नाम	संख्या	वेतन शृंखला
1	2	3	4
1.	संयुक्त निदेशक	1	160 -2325
2.	उप-निदेशक	5	1500-2250
3.	सहायक निदेशक	8	1000 1860
4.	जिला मूल्यांकन अधिकारी/मूल्यांकन अधिकारी	13	860 1750
5.	अन्वेषण सहायक	11	640-1180
6.	अन्वेषक	44	610-1090
7.	कम्पाइलर	19	520-925
8.	कार्यालय अधिक्षक	1	740-1420
9.	कार्यालय सहायक	1	675-1122
10.	लेखाकार	1	660-1300
11.	कनिष्ठ लेखाकार	1	625-1120
12.	सहायक पुस्तकालयध्याक्ष	1	625-1120
13.	शीघ्र लिपिक ग्रेड-II	4	625-1120
14.	वरिष्ठि लिपिक स्टेनों	3	520-925(विशेष वेतन रु.25 / प्रति माह
15.	वरिष्ठ लिपिक	6	520-925
16.	कनिष्ठ लिपिक	22	490-840
17.	ड्राईवर	1	490-840
18.	मशीन मैन	1	380-610
19.	जमादार/दफतरी	3	360-460
20.	चतुर्थ क्षेणी कर्मचारी	27	350-430
21.	चौकीदार	2	350-430

कुल योग—175

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 1040 की सूची

क्र. सं.	विभागों के नाम व पता	संख्या		बिल नं. व दिनांक	राशि
1.	सुपरिन्टेन्डेन्ट, जनाना अस्पताल, जयपुर	100 पेकिट		2245/18-3-82	764.40
	,, ,,	300 ग्राम			
2.	,, ,, ,, ,,	150 पेकिट 400 ग्राम		52/1-4-82	1482.00
3.	,, ,, ,, ,,	150 पेकिट		53/28-4-82	1482.00
4.	सुपरिन्टेन्डेन्ट, एस. एम. एस. अस्पताल, जयपुर	2000	,,	54/6-5-82	19760.00
5.	डिप्टी सी. एम, एच. ओ. (रूरर), जयपुर	50	,,	55/13-5-82	494.00
6.	सुपरिन्टेन्डेन्ट जनाना अस्पताल, जयपुर	1000	,,	56/13-5-82	9880.00
7.	सी. एम. एच. ओ. जयपुर	100	,,	57/17-5-82	988.00
8.	,, ,,	500	,,	58/27-5-82	4940.00
9.	सुपरिन्टेन्डेन्ट टी. बी. अस्पताल, जयपुर	100	,,	5 /31-5-82	988.00
10.	,, ए. जी. अस्पताल, अजमेर	1000	,,	60/11-6-82	9880.00
11.	एम. ओ. ए. के. अस्पताल, ब्यावर	2000	,,	62/29-6-82	19760.00
12.	सी. एम. एच. ओ. जयपुर	500	,,	63/5-7-82	4940.00
13.	, धौलपुर	100	,,	64/5-7-82	988.00
14.	कार्यालय प्रधानाचार्य, जनवा, जयपुर	50	,,	65/5-7-82	494.00
15.	सुपरिन्टेन्डेन्ट, जनाना अस्पताल, जयपुर	1000	,,	66/19-7-82	9880.00
16.	जिला पशु पालन अधिकारी, अलवर	100	,,	71/9-8-82	988.00

337

1	2	3	4	5	6
17.	सुपरिन्टेन्डेन्ट मेंटल, अस्पताल, जयपुर	12	पैकिट	72/9-8-82	118.55
18.	,, ई. एस. आई. अस्पताल, जयपुर	1000	,,	73/9-8-82	9820.00
19.	,, टी. बी. एण्ड चेस्ट अस्पताल, जयपुर	200	,,	74/9-8-82	1976.00
20.	सी. एम. एच. ओ., जयपुर	100	,,	75/20-8-82	988.00
21.	इंचार्ज, एनीमल अस्पताल, जयपुर	100	,,	76/7-9-82	988.00
22.	मोबाइल सर्जिकल यूनिट, जयपुर	100	,,	78/15-9-82	988.00
23.	डिप्टी सी. एम एच. ओ. (एफ. डब्लू) जयपुर	50	,,	79/16-9-82	494.00
24.	प्रथम श्रेणी, पशु चिकित्सालय, अलवर	60	,,	80/22-9-82	592.80
25.	जिला पशु पालन अधिकारी. दौसा	110	,,	81/20-10-82	1086.80
26.	सुपरिण्टेण्डेन्ट, जनाना अस्पताल, जयपुर	100	,,	82/20-10-82	988.00
					105808.56

परिशिष्ट - 5

प्रश्न संख्या 1045 की सूची

टोंक जिले में वर्ष 1982 83 के अन्तर्गत दी गयी सहायता सुविधाओं का विवरण

क्र. सं.	उद्यमी का नाम व ग्राम पं स. निवाई	उद्योग का प्रकार	ऋण राशि स्वीकृत व वितरण राशि	व दिनांक	अनुदान राशि स्वी.दि.	प.म.निवाई वितरण दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
	पचायत समिति निवाई					
1.	नोन्दा/लक्ष्मण रेगर डागरथल	चर्म उद्योग	1000	4-3-83	1000	4-3 83
2.	रामचन्द्र/लक्ष्मण रेगर डागरथल	चर्म उद्योग	1000	4-3-83	1000	4-3-83
3.	हरिनारायण/लक्ष्मण डागरथल	चर्म उद्योग	1000	4-3-83	1000	4-3-83
4.	सुवालाल/लादू रेगर डागरथल	चर्म उद्योग	1000	4-3-83	1000	4-3-83
5.	नाथू/रामू रेगर राहोली	चर्म उद्योग	500	4-3-83	500	4-3-83
6.	रामनाथ/मोटा रेगर राहोली	" "	500	4-3-83	500	4-3-83
7.	रघुनाथ विजा रेगर राहोली	" "	500	4-3-83	500	4-3-83
8.	माण्या/विजा रेगर राहोली	" "	500	4-3-83	500	4-3-83
9.	हीरा/विजा रेगर राहोली	" "	500	4-3-83	300	4-3-83
10.	ओंकार मोटा रेगर राहोली	" "	500	4-3-83	500	4-3-83

पंचायत समिति देवली

1	2	3	4	5	6	7
	पंचायत समिति देवली					
11.	वीरमा/गंगाराम रेगर देवली	चर्म कार्य	500	21-3-83	500	21-3-83
12.	ग्यारसी/दाधाराम नारसिरदा	" "	500	21-3-83	500	21-3-83
13.	बापू/ गोराम रेगर नासिरदा	" "	500	21-3-83	500	21-3-83
14.	पाँची/बाधाराम रेगर देवली	" "	500	21-3-83	500	21-3-83
15.	जूहारा पेमा रेगर नासिरदा	" "	500	21-3-83	500	21-3-83
16.	अम्बालाल/अर्जुन नासिरदा	" "	500	21-3-83	500	21-3-83
17.	कल्याण/कान्हा देवली	" "	500	21-3-83	500	21-3-83
18.	जन्दा/रामनाथ देवली	" "	500	21-3-83	500	21-3-83
19.	जगन्नाथ/काना देवली	चर्म कार्य	500	21-3-83	500	21-3-83
20.	सूखा/माधो देवली	" "	500	21-3-83	500	21-3-83
21.	छोटू/गत्या	" "	500	21-3-83	500	21-3-83
22.	बल्ला/चतरा देवली	" "	500	21-3-83	500	21-3-83
23.	छोटी/जगदीशगूर्जन नेथवारिया	" "	500	22-3-83	500	21-3-83
24	सोयती/छीतन गुर्जर नेनवारिया	" "	500	23-3-83	500	21-3-83
25.	श्रोमप्रकाश/हैमा रेगर नासिरदा	" "	500	21-3-83	500	21-3-83
26.	प्रभूलाल/फूदीलाल धार	" "	500	21-3-83	500	21-3-83

1	2	3	4	5	6	7
			पंचायत समित, टोंक			
27.	रामनिवास/बजरंगलाल खाती ग्राम गलोद		1000	7-3-83 30-3-83	500	7-3-83 30-3-83
28-	कैलाश/बजरंग गलोद		1000	,, ,,	500	,, ,,
29	हाशम/कादर खाँ चन्दलाई		1000	,, ,,	500	,, ,,
30.	गोपाल/रामनिवास खाती रुस्तमगंज		1000	,, ,,	500	,, ,,
31.	गफूर/कालू लुहार बगड़ी		1000	,, ,,	500	,, ,,
32.	बाबूलाल/रामकरण मंडावर		1000	16-3-83 30-3-83	500	16-3-83 30-3-83
33.	रतनलाल/कल्याण बमोर		1000	,, ,,	500	,, ,,
34.	रामनारायण/रघुनाथ लुहार पाँचसरोटिया		800	,, ,,	400	,, ,,
			पंचायत समिति, टोड.रायसिंह			
35.	श्री गोरधन/रामदेव कूकड़	चर्म उद्योग	500	31-3-83	निल	
36-	ऊंकार/उदा बोटून्दा	,,	500	31-3-83	,,	
37.	देवीलाल/माँगीलाल बोटुन्दा	,,	500	31-3-83	,,	
38.	नन्दा/मांगीलाल बोटुन्दा	,,	500	31-3-83	,,	
39	नारायण/लाल बोटुन्दा	,,	500	31-3-83	,,	
40.	घीसी/भूरा कूकड	,,	500	31-3-83	,,	
41.	सायरा/जमीलशाह बावड़ी	रेडीमेड गारमेन्टस	500	31-3-83	निल	
42.	हेमलता/नारायण	,,	500	31-3-83	,,	
43.	केलाशी/हरिशंकर विजय बाछेड़ा	,,	500	31-3-83	,,	

(341)

1	2	3	4	5	6
44.	गीता/रामराय बाबाजी	रेडीमेड गारमेन्टस	500	31-3-83	निल
45.	कंचन देवी/रंगलाल निम्हेड़ा	,,	500	31-3-83	,,
45.	ललिता/रामलाल शर्मा	,,	500	31-3-83	,,
47.	सदाकँवर/रामलाल सेन	,,	500	31-3-83	,,
48.	बालू/भूरा कुम्हार बोकुन्दा	कुम्हारी	500	31-3-83	,,
49.	नन्दू/छोटू कुम्हार राधा वल्लभपुरा	कुम्हारी	500	31-3-83	,,
50.	प्रहलाद/देवी बोटुन्दा	सुथारी	500	31-3-83	,,

पंचायत समिति, मालपुरा

1	2	3	4	5	6
51.	नानगा/जोधालावा	चर्म उद्योग	500	30-3-83 31-3-83	500 31-3-83 31-3-83
52.	बातरा/छीतर चाँदसेन	,,	500	,, ,,	500 ,, ,,
53.	श्रीमती केसरबाई/भागीरथ चांदसेन	बीड़ी उद्योग	500	,, ,,	500 ,, ,,
54.	गोपी/हरला चांदसेन	चर्म उद्योग	500	,, ,,	500 ,, ,,
55.	राधेश्याम/भूरालाल	,,	625	,, ,,	625 ,, ,,
56.	घासी/गीला चांदसेन	,,	500	,, ,,	500 ,, ,,
57.	श्रवण/गुल्ला सांस	,,	500	,, ,,	500 ,, ,,
58.	किशन/नारायण चांदसेन	,,	500	,, ,,	500 ,, ,,
59.	धन्ना/नन्दा चन्द्रपुरा	,,	250	,, ,,	250 ,, ,,
60.	नन्दा/लालू घाटो	,,	250	,, ,,	250 ,, ,,
61.	नन्दा/मोती ढोबरू	,,	500	,, ,,	500 ,, ,,

1	2	3	4	5	7	8
		पंचायत समिति अलीगढ़				
62.	रामा/गेदया रेगर गलवाउनिया	चर्म उद्योग	1000	15-3-83	1000	15-3-83
63.	छोटू गेन्दया रेगर गलवाउनिया	,,	1000	15-3-83	1000	15-3-83
64.	श्रीमती प्रेम/स्व. रामदयाल गलबाउनिया	रेडीमेड	500	15-3-83	500	15-3-83
65.	कजोड़/रामदेवा वाजोलिया	कुम्हारी	1000	15-3-83	666	15-3-83
66.	मूल्या/कल्याण ,,	,,	1000	15-3-83	500	15-3-83
67.	जगदीश/रामनारायण कुम्हार	,,	1000	15-3-83	666	15-3-83
68.	प्रहलाद/रामकुमार रेगर गुलाई	,,	1000	15-3-83	1000	15-3-83
69.	बजरंगलाल/पन्नालाल कुन्डेल	चर्म उद्योग	1000	15-3-83	1000	15-3-83
70.	जुगलकिशोर/सुवालाल गोविन्द पुरा	रेडिमेड	500	15-3-83	333	15-3-83

टोंक जिले में वर्ष 1983-84 के अन्तर्गत दी गई सहायता का विवरण:–

पंचायत समिति, टोंक

71.	रामकरण/रामा सलोदिया	चर्म रंगाई	800	7-9-83 11-10-83	500	7-9-83/11-10-83
72.	गोपीलाल/गिरधारी लाल	,,	800	,,	500	,,
73.	नन्दा/प्रेमा सालोदिया	,,	800	,,	500	,,
74.	लाला/ओंकारा ,,	,,	800	,,	500	,,
75.	गोपाल/रामा ,,	,,	800	,,	500	,,
76.	हनुमानप्रसाद/राम करण मंडावर	सुथारी	8000	,,	1000	,,
77.	गोपीलाल/मांगी लाल मंडावर	सुथारी	2000	,,	1000	,,

1	2	3	4	5	7	8
			पंचायत समिति, निवाई			
78.	गीता/हजारी जामरोली	सिलाई	500	23-11-83	500	23-11-83
79.	सावत्री/रामावतार ,,	,,	500	,,	500	,,
80.	रामपाल/नाथूलाल ,, रेगर	,,	500	,,	500	,,
81.	मुन्नी देवी/दुर्गा ,, शंकर	,,	500	,,	333	,,
82.	मनभर/राधामोहर करेडा शर्मा	,,	500	,,	333	,,
83.	ललिता/हनुमान नाई ,,	,,	500	,,	333	,,
84.	देवली/लल्लुलाल शर्मा ,,	,,	500	,,	333	,,
85.	शान्ती/गोपाल कुमावत ,,	,,	500	,,	333	,,
86.	मुन्नी/बद्रीलाल ,,	,,	500	,,	333	,,
87.	कस्तुरी/रामदेवा ,,	,,	500	,,	333	,,
88.	नूरजहां/बाबू खां ,,	,,	500	,,	333	,,
89.	परभाती/सूरज्ञान ,, कुम्हावत	,,	500	,,	333	,,
90.	सीताराम/मदन ,, पुजारी	,,	500	,,	333	,,
91.	नसरुद्दीन/शवराती नटवाड़ा	साइकिल मरम्मत	2000	,,	9,0	,,
92.	रामफूल/रामचन्द्र मीणा जामरोली	,,	1500	,,	1350	,,
93.	बुन्दू/कल्लू नटवाड़ा	वेल्डिंग कार्य	2000	,,	1000	,,
			पंचायत समिति, मालपुरा			
94.	शिमलादेवी/चम्पालाल टोरडी टोरड़ा	सिलाई	667	28-9-83 29-9-83	335	28-9-83 29-9-83

1	2	3	4	5	6	7
95.	गीता/सत्यनारायण महाजन	सिलाई	750	28-9-83 29-9-83	250	28-9-83 29-9-83
95.	मनभरदेवी/बंसीदास कलमंडा	सिलाई	667	28-9-83 29-9-83	333	28-9-83 29-9-83
97.	बद्रीलाल/गणेश रेगर राजपुरा	सायकिल	500	,,	333	,,
98.	चन्द्रलाल/पन्नालाल रेगर जयसिंहपुरा	चर्म उद्योग	500	,,	500	,,
99.	नोरथमल/कजोडमल धोबी डिग्गी	सायकिल	1000	,,	100	,,
100.	कैलाशचन्द्र/हरिशंकर डिग्गी	सुथारी	1334	,,	666	,,
101.	जगदीश/राधाकिशन झाडली	सुथारी	1000	,,	500	,,
102.	रामेश्वर/सुवा खाती झाडलीं	,,	1000	,,	500	,,
103.	कैलाश/प्रहलाद ,, झाडली	सायकिल	1000	,,	500	,,
104.	मोडूराम/रामचन्द्र नायर अरनिया	,,	1000	,,	100	,,
105.	रामप्रसाद/रामकिशन काटोली	,,	1334	,,	666	,,

पंचायत समिति, अलीगढ़

1	2	3	4	5	6
106.	कन्हैयालाल/रामफूल मीना पराना	सुथारी	1000	2-12-83 2-2-83	निल
107.	दुर्गा/भूरा खाती अलीगढ़	,,	1000	2-12-83	,,
108.	कजोड़/फूदीलाल अलीगढ़	लाख उद्योग	1000	,,	,,
109.	सत्यनारायण/गुलाब	सुथारी	1000	,,	,,
110.	कस्तूरी चन्द/किशन	चर्म उद्योग	1000	,,	,,

1	2	3	4	5	6	6	7
			पंचायत समिति, देवली				
111.	रामनिवास/केसरा	धाड	चमंकारी	500	5-1-84	500	5-1-84
112.	देवा/ओगा रेगर	,,	,,	500	,,	500	,,
113.	मदन/श्रवण	,,	,,	500	,,	500	,,
114.	गापी/वन्दया	संगरामपुरा	,,	500	,,	500	,,
115.	मोहर/देवी रेगर	,,	,,	500	,,	500	,,
116.	हुकमा/देवी	बिजवाड	,,	500	,,	500	,,
117.	भंवरलाल/नारायण रेगर	धाड	,,	500	,,	500	,,
118.	मांगीलाल/किशन	पनवाड	,,	500	,,	500	,,
119,	हेमराज/कारी खाती	गुराई	,,	1400	,,	600	,,
120.	दामोदर/बद्रीलाल	,,	,,	1400	,,	600	,,
121.	जगदीश/बकशा खाती	,,	,,	1400	,,	600	,,
122.	गोपाल/नन्दराम	राजमहल	सिलाई	500	,,	500	,,
123,	महावीर/प्रभूदान	,,	,,	500	,,	500	,,
124.	मिश्रीनाथ/भैरूनाथ	,,	,,	500	,,	500	,,
125.	रामदेव/धन्ना वैरवा	निवारिया	कशीदाकारी	1300	,,	1300	,,
			पंचायत समिति टोडारायसिंह				
126.	मोती/नारायण लाल	बोटुन्दा	चर्म रंगाई	500	7-2-84	निल	निल
127.	भागचन्द/मदनलाल	अलियासी	सायकिल	1300	,,	,,	,,
128.	पीरू/देवीलाल	दतोक	कुमारी	500	,,	,,	,,
129.	रामा/बिहारी नाई	बरवास	सायकिल मरम्मत	1330	,,	,,	,,
130.	श्रीमती फुला/रतना रेगर	बोटुन्दा	चर्म रंगाई	500	,,	,,	,,
131.	सोहनी पत्नी देवीलाल	बोटुन्दा	चर्म जूता	500	,,	,,	,,
132.	फूला/रतना रेगर	,,	,,	500	,,	,,	,,
133.	प्रहलाद/बंशी	बरवास	बॉस टोकरी	500	,,	,,	,,
134	हीरा/छीतर	कुच्छडा बुर्ज	चर्म जूता	500	,,	,,	,,
135.	प्रहलाद/देवीलाल लुहार	उनियारी	लुहारी	1000	,,	,,	,,
136.	रूपा/नन्दा खाती	उनियारा	सुथारी	1000	,,	,,	,,
137.	विमला/लाडूसिंह	भांसू	रेडीमेड गारमेंट	667	,,	,,	,,

1	2	3	4	5	6	7
138.	गोराबाई/रामनिवास	रेडीमेड गारमेंट	500	7-2-84	निल	निल
139.	बसन्ती/गोपी शर्मा	,, ,, ,,	667	,,	,,	,,
140.	कमला/भूरा रेगर बोटुन्दा	,, ,,	500	,,	,,	,,

टौंक जिले में वर्ष 1982–83 एवं 83-84 में ग्रामीण विद्युत अनुमान

		विद्युत अनुदान राशि
	निल	निल
1. पंचायत समिति, निवाई		,,
2. पंचायत समिति, देवली		,,
3. पंचायत समिति, टोडारायसिंह		,,
4. पंचायत समिति, अलीगढ़		,,
5. पंचायत समिति, मालपुरा		,,
6. पंचायत समिति, टोंक		,,

परिशिष्ट – 6

प्रश्न संख्या 1046 की सूची-(क)

राजस्थान में उत्पादनरत सीमेन्ट प्लान्टस

क्र. सं.	नाम	स्वीकृत उत्पादन क्षमता (लाख टनों में प्रतिवर्ष)		तीन वर्षों में की गई उत्पादन क्षमता (लाख टनों में)
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स जयपुर उद्योग लि. सवाई माधोपुर	10.00	1980 81	— 5,01,558
			1981-82	— 4,91,750
			1982–83	— 5,72,224
2.	मैसर्स एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी लाखरी	3.22	1981	— 2,71,242
			1982	— 2,85,522
			1983	— 3,41,937
2.	मैसर्स बिरला सीमेंट वर्क्स चितौड़गढ़	4.00	1981-82	— 3,37,158
		3.30	1982–83	— 2,94,510
		(विस्तार)	1983–84	— 3,82,214
4.	मैसर्स जे. के. सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा	7.20	1981	— 5,90,007
		4.20	1982	— 5,58,393
		(विस्तार)	1983	— 9,14 537
5.	मैसर्स उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर	4.00	1981	— 2,64,408
		4.00	1982	— 2,83 844
		(विस्तार)	1983	— 3,52,554
6.	मैसर्स मंगलम सीमेंट वर्क्स, मोड़क (कोटा)	4.00	1981	- 1,55,585
			1982	— 2,28,721
			1983	— 3 00 144
7.	मैसर्स स्ट्रा प्रोडक्टस लि. (लक्ष्मी सीमेंट)	5.00	1982	— 55,751
			1983	— 2,88,954
			1984 (31.3.84 तक)	— 1,15,530

लघु क्षेत्र के अन्तर्गत स्थापित लघु सीमेंट इकाइयां

1.	मैसर्स साबू मिनरल्स, जोधपुर	6,000–7500 मैं. टन	—
2.	,, सुगम सीमेंट, कोटा	12,000 मैं. टन	—
3.	,, श्री राम सीमेंट प्रोडक्टस, सीकर	3,000 मैं. टन	—
4.	,, खारिया सीमेंट प्रा. लि.	6,000–6,900 मैं. टन	—

सूची (ख)

राज्य में प्रस्तावित सीमेंट प्लान्ट, उनके स्थान एवं उत्पादन क्षमता तथा उत्पादन की सम्भावित तिथि

क्र. सं.	नाम इकाई	स्थान	उत्पादन क्षमता लाखों में	उत्पादन की सम्भावना
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर	ब्यावर	12.00	वर्ष 1984 के अन्त में
2.	,, श्रीराम केमीकल्स लि.	लाडपुरा (कोटा)	2.00	दिसम्बर, 84 तक
3.	,, जे. के. सिन्थेटिक्स लि. कानपुर	पिण्डवाडा (सिरोही)	4.20	— —
4	,, कुशलचन्द सुराना (मै. किवरली सीमेंटस)	किवरली (सिरोही)	4.00	85 के मध्य
5.	,, जे. के. सिन्थेटिक्स लि. कानपुर	शम्भुपुरा (चित्तोड़गढ़)	7.20	— —
6.	,, जनरल इण्डस्ट्री सोसाइटी लि.	रेवधर (सिरोही)	1.00 सफेद सीमेंट	मार्च, 85 तक
7.	,, राजस्थान स्पीनिंग माण्डलगढ़ एण्ड विविंग मिल	(भीलवाड़ा)	10.42	— —
8.	,, जे. के. सिन्थेटिक्स लि. कानपुर	(गोटन) (नागौर)	0.50 सफेद सीमेंट	नवम्बर, 84 तक

1	2	3	4	5	
9.	मैसर्स राजस्थान राज्य औद्यो. विकास एवं विनि. निगम (मै. जे. के. सिन्थेटिक्स लि. के साथ)	गोटन (नागौर) सफेद सीमेंट	0.66	जून, 1985 तक	
10.	एम. एस. राजपुरोहित (मै. राजस्थान सीमेंट)	पिण्डवाड़ा (सिरोही)	0.66	—	—
11.	राज, राज्य औद्यो. विकास एवं विनि. निगम लि.	आबूरोड़ (सिरोही)	0.66	—	—
12.	,, ,,	बिलाड़ा	0.66	—	—
13.	,, ,,	बांसवाड़ा	0.66	जुलाई, 84 तक	
14.	रीको (स्वीदेशी सीमेंटस)	कोटपूतली	0.66	जून, 84 तक	
15.	रिको	अजमेर	0.66	—	—
16.	जैन लघु सीमेंट उद्योग लि.	नीम का थाना (सीकर)	0.66	मई, 84 तक	
17.	जन खारिया सीमेंट लि.	खारिया-मिथापुर तहसील बिलाड़ा, जोधपुर	0.33	—	—
18.	जन सत्येन्द्रपाल सिंह सरना	बेहरोड़ (अलवर)	0.33	—	—
19	सुश्री पूर्णिमा भुराना	गोटन (नागौर)	0.33	—	—

सूची (ग)

भारत सरकार को राज्य सरकार की सिफारिश सहित भिजवाये गये प्रार्थना पत्र, जो भारत सरकार उद्योग मंत्रालय के पास विचाराधीन हैं।

क्र. सं.	पार्टी का नाम	स्थान	उत्पादन क्षमता लाख टनों में
1	2	3	4
1.	मैसर्स हिन्दुस्तान पाइप उद्योग लि.	जैसलमेर	5.00
2.	,, सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया	बून्दी	25.00

1	2	3	4
3.	मैसर्स जय इन्जिनियरिंग वर्क्स	शम्भूपुरा (चित्तौड़गढ़)	6.00
4.	,, सीमेंट कारपोरेशन	,,	10.00
5.	,, स्ट्रा प्रोडक्टस लि,	बनास (सिरोही)	7.00 (विस्तार)
6.	,, एस. एम. अग्रवाल	उदयपुर	66.00
7.	,, बांसवाड़ा सिन्टेक्स	बांसवाड़ा	66.00
8.	,, इण्डियन रेयन कारपोरेशन लि.	गोटन (नागौर) (सफेद सीमेंट)	0.80
9.	श्री जे. पी. लोटिया लि.	,, ,,	0.80
10.	,, स्नोकेम इण्डिया लि.	,, ,,	0.50
11.	जुम्रा एग्रो केमीकल्स लि.	माण्डलगढ़ (भीलवाड़ा)	10.00

राज्य सरकार के पास विचाराधीन प्रार्थना पत्रों की सूची–घ

क्र.सं.	नाम पार्टी	स्थान	उत्पादन क्षमता (लाख टनों में)
1	2	3	4
1.	मैसर्स सुखातिर इन्वेस्टमेंट लि. (रिको के साथ)	पारसोली (चितौड़गढ़)	10.30
2.	मैसर्स न्यूरोहस सीमेन्ट (श्री ऐ.के. वन्ध्या)	खोदन (बांसवाड़ा)	0.50
3.	मैसर्स कोलह केसरी समेन्ट इण्डस्ट्रीज	उदयपुर	0.20
4.	मैसर्स भोग राजस्थान कारबाइड लि.	संतुर (बूंदी)	0.66
5.	मैसर्स सुजान सिंह	झालरापाटन	0.86
6.	मैसर्स चदंन मिनरल ग्राण्ड प्रा.लि.	महाराज की खेड़ी	0.33
7.	मैसर्स आर.जे. मिनरल इण्डस्ट्रीज प्रा.लि.	गोटन (नागौर)	0.33

357

1	2	3	4
8.	मैसर्स अजन्ता सीमेन्टस जयपुर	बेहरोड़ (अलवर)	0.16
9.	मैसर्स ओयेगा सीमेन्ट प्रा.लि	नीम का थाना (सीकर)	0.49
10.	मैसर्स केमटेक इण्डिया	परशरामपुरा (झुंझुनूं)	0.66
11.	साई सीमेन्टस (प्रा.) लि.	आबू रोड़ (सिरोही)	0.108
12.	इण्डस्ट्रियल केबल्स (इण्डिया) लि. (रिको के साथ संयुक्त क्षेत्र में)	गोटन (नागौर)	5.00
13.	श्री सतीश संचती	आबू रोड़ (सिरोही)	0.33
14.	सिरोही सीमेन्टस प्रा.लि.	भिण्डवाड़ा (सिरोही)	0.15
15.	मैसर्स सुन्दरम सीमेन्टस लि.	परबतसर (नागौर)	0.180
16.	श्री मंगल सेन बाबा	नीम का थाना (सीकर)	0.45

परिशिष्ट – 7

प्रश्न संख्या 1053

मेजा फीडर परियोजना पर वर्तमान में ठेके पर कराये जा रहे कार्यों का विवरण:–

क्र.सं.	कार्य का नाम	ठेकेदार का नाम	आवंटित कार्य की कुल राशि
1	2	3	4
1.	प्रोवाइडिंग सीमेन्ट कंकरीटिंग ब्लाक नं. 1 से 7 मात्रिकुण्डिया	श्री मदनगिरी गोस्वामी	558980.00
2.	————डू ——— ब्लाक नं. 8 से 12 मात्रिकुण्डिया	श्री शिवगिरी	442729.00
3.	————डू——— ब्लाक नं. 13 से 18 मात्रिकुण्डिया	श्री अहमद हुसैन	408211.00
4.	वाईडिंग ग्राफ एनीकट/काजवे जोन दी एप्रोच टू लेफ्ट फ्लैंग मात्रिकुण्डिया पिक-अप वियर टू दी विलेज मात्रिकुण्डिया	श्री डालचन्द सुवालाल	108912.00
5.	वाईडिंग ग्राफ वर्म फ्रोम चैन 1718 से 1730	श्री नाथूलाल लखार	325359.00
6.	पिचिंग वर्क ग्रोन गाइड बंध फ्रोम चैन 72 + 15 से 78 + 15	श्री शिव कन्स्ट्रक्शन कं. जासभा	60717.00
7.	———— डू ———— चैन 78 + 15 से 84.	श्री शिव कन्स्ट्रक्शन कं. जासभा	65614.00
8.	————डू———— चैन 137 से 141 एवं 148 से 152	श्री लक्ष्मीलाल शर्मा	65129.00
9.	कन्स्ट्रक्शन ग्राफ डब्लू. बी. एम रोड फोर न्यूली रिहेबीलीटेशन कुण्डिया विलेज कालोनी	श्री अहमद हुसैन	563210.00
10.	कन्स्ट्रक्शन ग्राफ टू न. वेल्स इन रिहेबीलीटेशन कुण्डियां विलेज कोलोनी	श्री लालूराम सनाढ्य	46446.00
11.	कन्स्ट्रक्शन ग्राफ विलेज डिस्पेन्सरी कुण्डियां विलेज कोलोनी	श्री सुभाष चौधरी	49754.00

Page No. 352

1	2	3	4
12.	कन्स्ट्रक्शन ग्राफ पटवार खाना कुण्डिया विलेज कोलोनी	श्री सुभाष चोधरी	30142.00
13.	कन्स्ट्रक्शन ग्राफ क्रोस रेगुलेटर एट चैन 1664 ग्राफ मेजा फीडर विथ एस्केप एण्ड एप्रोच चैनल	श्री लालूराम सनाढ्य	74092.00
14.	प्रोवाइडिंग एप्रोन्स फोर प्रोटेक्शन टू इन टेक एण्ड फीडर बैंक एट चैन 183 ग्राफ मेजा फीडर	श्री प्रहलादराम/मांगूदीन	20316.00
15.	कन्स्ट्रक्शन ग्राफ साइफन एट चैन 473 (यू) एण्ड चैन 465 ग्रोल्ड ग्राफ मेजा फीडर	श्री लालूराम सनाढ्य	14237.00
16.	कन्स्ट्रक्शन ग्राफ मेशनरी लाइनिंग चैन 129 से 132 ग्राफ मेजा फीडर	श्री प्रहलादराय/मांगूदीन	72160.00
17.	—————डू————— चैन 1730 से 1730 सो 15	श्री लालूराम सनाढ्य	42550.00
18.	—————डू————— चैन 132 से 134	श्री प्रहलादराय/मांगूदीन	50384.00
19.	—————डू————— चैन 396 से 400	श्री भंवरलाल ग्रोड	90852.00
20.	—————डू————— चैन 393 से 396	श्री भंवरलाल ग्रोड	43804.00
21.	—————डू————— चैन 516 से 518 + 15	श्री चुन्नीलाल विश्नोई	69265.00
22.	—————डू————— चैन 513 + 15 से 516	श्री चुन्नीलाल विश्नोई	69254.00
23.	प्रोवाइडिंग बेड कंकरीटिंग कोपिंग एण्ड पोइन्टिंग चैन 606 से 609	श्री शिवशंकर शर्मा	19404.00
24.	—————डू————— चैन 1591 से 1600	श्री शिवशंकर शर्मा	53673.25
25.	—————डू————— चैन 195 से 197	श्री प्रहलादराय/मांगूदीन	15038.00

1	2	3	4
26.	————डू———— चैन 210 से 215 (न्यू) एण्ड 205 + 15 से 210 (ग्रोल्ड)	श्री चुन्नीलाल विश्नोई	32201.00
27.	कन्स्ट्रक्शन ग्राफ भेरूजी देवस्थान होली प्लेटफार्म एट चैन 78 ग्राफ गाइड बंध	श्री लालूराम सनाढ्य	10059.75
28.	कन्स्ट्रक्शन ग्राफ सरफेस ड्रन डी/एस साइड ग्राफ गाइड बंध एट चैन 146	श्री लालूराम सनाढ्य	24911.10
29.	प्रोवाइडिंग एप्रोचेज फोर प्रोटेक्शन टू इन्टे एण्ड फिडर बैंक चैन 383	श्री शिवशंकर शर्मा	22335.00
30.	कन्स्ट्रक्शन ग्राफ फल्यूम मीटर एट चैन 1932 ग्राफ मेजा फीडर	श्री डालचन्द सुवालका	63304 32
31.	कन्स्ट्रक्शन ग्राफ मिडिल स्कूल फोर कुण्डिया विलेज	श्री बापू सेवा स. समिति	270602.00
		कुल योग	3783626.82
32.	डिज इन फेब्रिकेशन सप्लाई एण्ड एरेक्शन ग्राफ 52 नं. स्टील गेट्स एट मात्रिकुण्डिया पिक-अप वियर	श्री सेन्ट्रल कुण्डिया मशीनरी केन्यूफेक्चरिंग कं. लि. भरतपुर	14000000.00

परिशिष्ट-8

प्रश्न संख्या 1056 की सूची

जयपुर जिले के अधिनस्थ तहसीलों के वर्ष 1981 से 1983-84 तक लगाये गये हैण्ड पंपों की स्थिति-

क्र. संख्या	तहसील का नाम	लगाये गये हैंड पंप वर्ष वाईज 1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	कुल लगाये गये हैण्डपंप	चालू हैण्डपंपों की संख्या
1.	कोटपुतली	42	49	35	50	186	170
2.	बैराठ	3	62	25	32	122	118
3.	दौसा	26	81	76	47	230	221
4.	लालसोट	41	55	92	65	253	237
5.	बसवा	04	171	74	34	283	267
6.	जमवारामगढ़	—	33	128	41	202	191
7.	बस्सी	17	103	152	89	361	341
8.	चाकसू	13	113	130	11	267	255
9.	आमेर	61	83	106	73	323	217

1	2	3	4	5	6	7	8
10,	सांगानेर	53	95	64	62	274	262
11.	फागी	12	73	33	9	127	123
12,	जयपुर	84	21	63	25	193	185
13.	दूदू	—	79	27	50	156	148
14.	सिकराय	67	61	30	47	211	205
15.	फुलेरा	84	74	86	26	270	256
	योग:-	507	1163	1127	661	3453	3296

(358)

परिशिष्ट-ख

सिकराय तहसील के विभिन्न गांवों में वर्षवार लगाये गये हैण्ड पंपों की सूची:-

क. सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	वर्ष 1981-1982		1983-1984	विशेष	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	घुमाना	127	6	1	-	-	
2.	भोजपुरा	40	4	-	-	-	
3.	मर्यादा	7	5	-	-	-	
4.	चान्देरा	20	5	-	-	-	
5.	चन्दुसा	34	4	-	-	-	
6.	पंचोली	39	6	-	-	-	
7.	सीकरी	42	3	-	-	-	
8.	रायपुराब्रहमा	44	4	-	-	-	
9.	मिहालपुरा	53	6	-	-	-	
10.	पीलवांकला	56	4	-	-	-	
11.	गरडी	130	3	-	-	-	
12.	मंरेर	99	3	-	-	-	
13.	लिखली	8	3	-	-	-	
14.	सतवास	43	3	-	-	-	
15.	बसारा	49	2	-	-	-	
16.	गिरधरपुरा	50	3	-	-	-	
17.	पीलवाखुर्द	57	2	-	-	-	
18.	कुरडाकलों	70	2	-	-	-	
19.	नहरन	76	2	-	-	-	
20.	पूंडियाखेडा	97	2	-	-	-	
21.	जगरामपुरापट्टी	118	2	-	-	-	
22.	जयसिंहपुरा	126	2	-	-	-	
23.	होंगी	35	2	-	-	-	
24.	बालबैराडा	115	2	-	-	-	
25.	खेरला	38	2	-	-	-	
26.	गोलिया	47	2	-	-	-	
27.	शेखपुरा	72	2	-	-	-	
28.	बैराड़ाखुर्द	73	2	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
29.	भांदग्यावास	78	2	–	–	–
30.	कैन्नाई	88	2	–	–	–
31.	कैलाई	3	2	2	–	–
32.	खेरापहारपुरा	25	2	–	–	–
33.	पट्टीसेलसिंह	29	1	1	–	–
34.	मालपुर	28	4	–	–	–
35.	ठीकरिया	32	5	–	–	–
36.	खोरीरापला	36	2	–	–	–
37.	गूजरबैंराठा	58	3	–	–	–
38.	मालावास	59	2	–	1	–
39.	देवरी	60	–	1	–	–
40.	लाडपुरा भास्टा	61	1	–	–	–
41.	झापरावास	62	3	–	–	–
	कुल योग		117	5	1	–
42.	गिलन	86	1	–	1	–
43.	उदलवाड़ा	108	2	–	1	–
44.	फेरासपुरा	117	2	–	2	–
45.	भूजेत	123	–	–	2	–
46.	पाटन	124	–	1	2	–
47.	जिरोता	129	–	1	–	–
48.	कुंडेराडूंगर	95	6	–	–	–
49.	बाहरखोरा	136	–	1	–	–
50.	वोरारी	37	–	3	2	–
51.	ढोंगवा	93	–	3	3	–
52.	राजवास	77	–	2	1	–
53.	झारना	79	–	3	1	–
54.	कोलाखों	121	–	3	1	–
55.	जोपाड़ा	16	–	2	–	–
56.	कारोडी	18	–	4	3	–
57.	दूर्जापुरा	31	–	1	–	–
58.	सुल्तानपुरा	26	–	1	–	–

1	2	3	4	5	6	7
59.	सिकरायडूंगर	96	–	1	3	–
60.	नोमर	98	–	1	3	–
61.	गनीपुर	92	–	1	1	–
62.	गोउन	9	–	1	1	–
63.	भीराडी	71	–	1	–	–
64.	चैनपुरा	125	–	1	–	–
65.	जगशपुरा	131	–	–	2	–
66.	प्रस्तावदा	13	–	–	2	–
67.	जोधपुरा	15	–	–	1	–
68.	खीदरपुर	17	–	–	2	–
69.	खेरावास	67	–	–	2	–
70.	कोरडाखुर्द	69	–	–	2	–
71.	बानपुर	132	–	–	1	–
72.	नन्देरी	30	–	–	8	–
		कुल योग	128	36	47	–

परिशिष्ट-9

प्रश्न संख्या 1057 की सूची

:- प्रपत्र "अ" :-

मोडिया महादेव तालाव की डुब में अवाप्त होने वाली भूमि का विवरण काश्तकारान जिनके अवार्ड जारी हो चुके हैं :-

क्र. संख्या	नाम ग्राम	नाम कृषक	डूब में आई भूमि बिघा	डूब में आई भूमि बिस्वा	अवार्ड जारी होने की तिथि	अवार्ड की राशी
1.	सेमलिया	श्री किशना/गंगा	5	10	6-3-81	7150.00
2.	,,	,, रोडा/गंगा भील	6	–	–,,–	7800.00
3.	,,	,, वेणा/दल्ला भील	10	10	–,,–	18250.00
4.	,,	,, घीसा/कालू भील	16	–	–,,–	25850.00
5.	,,	,, नाना/कशना चमार	1	–	–,,–	1300.00
6.	,,	,, अमरा/कशना –,,–	8	12	–,,–	18980.00
7.	,,	,, देवरिया माताजी स्थान देह सेमलिया पुजारी-वोधा/दयाराम भील के वजाय उदा/जोधा भील	3	8	–,,–	4420.00
8.	आनकपुरा	,, अमरा/नोला भील के वजाय नारू/अमरा भील	19	13	–,,–	29065.00
9.	,,	,, सेवाला/लाल	3	18	–,,–	6890.00
10.	,,	,, दोला/नेथा	13	11	–,,–	21535.00
11.	,,	,, हीरा/मोडा भील के बजाय श्री गोमा, भेरु, कुका/हीरा भील भीलों की झोपड़ी	7	1	–,,–	12105.00
12.	,,	,, रामा/नेथा	2	19	–,,–	5585.00
13.	,,	,, रामदेव स्थान देह पुजारी रामचन्द्र/गिरधारी ब्राम्हण	1	6	–,,–	1625.00

1	2	3	4	5	6
14. मानक पुरा	श्री देवरीया माताजी स्थान देह कु. प्यरा/भुवाना भील	3	18	6-3-81	7485.00
15. ;;	;; हीरा, गुलाब/सुरजमल, मांगीलाल गोमा पाट	–	4	-,,-	260.00
16. पालेर	;; चूना/सुरजमल कुम्हार	–	16	-,,-	5390.00
17. ,,	,, लालू/किशना	–	10	-,,-	650.00
18. ;;	,, लेहरिया, हजारी, उदा बदरी/रूपा खाती	1	10	-,,-	950.00
19. ,,	,, उदा, देवा, हरिया/जोधा भेरा/जोधा 1/4 भील	1	–		1300.00
20. ;;	;; चूना/गुला भील	6	8	-,,-	10175.00
21. ;;	,, प्यारा गोकल, नारीया, गोमा/भुवाना भील	5	13	-,,-	11300.00
22. ,,	,, चारभुजाजी स्थान देह कु. मोहनदास, बालुदास जग्गादास, किशोरदास बैरागी	1	6	-,-	1690.00
	योग	18	18		200755.00

शादी तालाब :

क्र. संख्या	नाम ग्राम	नाम कृषक	डूब में आई भूमि बिघा	डूब में आई भूमि बिस्वा	अवार्ड जारी होने की तिथि	अवार्ड की राशी
1.	भाडाणा का छेड़ा	श्री नाथू, हजारी, भुरा, धूसा/हरलाल गुजर	2	6	6-3-81	2990.00

1	2	3	4	5	6
2. भाडाणा का खेड़ा	श्री गिरधारी, शंकर, घसा, पिता हरचन्द्र गुजर	3	9	6-3-81	4485.00
3. कंवरजी का खेड़ा	,, भंवरलाल/जीवा, कुका गुजर मेघा	–	13	–,,–	845.00
4. ,,	,, देवा हजारी हमीरा/कालु मु. गटटू बेवा कालु गुजर	–	1	–,,–	65.00
5. शादी	,, लक्ष्मण/रामा जाट	20	5	–,,–	26325.00
6. ,,	,, हजारी, ,,पिता गोकल 1/2 जयचन्द/नेगा चमार, भज्जा हजारी, नोला गोप्या, सुरजीया-महाराम/गोकल, जयचन्द, हीरा/बेगा गोरिया/कालु, बगतावर धन्ना/गोमा चमार	3	7	–,,–	4355.00
7. गोपाल पुरा	,, डालीया/ डोला चमार के बजाय जग्गा, रूप, वरदा पिता डालीया चमार	6	1	–,,–	7865.00
8. गोदी	,, सुरजा, उदा, परथा, राजिया/देवा चमार नि शादी मु. केली बेवा मगना चमार	6	9	–,,–	8385.00
9. ,,	,, गिरधारी/छोगा ब्राह्मण नि. भड़ार का खेड़ा उप-कृषक श्री नाथु ब्राह्मण	6	5	–,,–	8125.00
10. ,,	,, गोपी/नारायण चमार नि. कंवरजी का खेड़ा	5	6	–,,–	6890.00

1		2	3	3	5	6
11.	गोदो	श्री भज्जा/भेरु चमार नि. कंवरजी का खेड़ा	9	7	6-3-81	12155.00
12.	,,	,, ग्राम पंचायत पाल	13	17	—,,—	18005.00
13.	,,	,, धापु/देवा, मोहन ब्राह्मण	–	3	—,,—	195.00
14.	शादी	,, भया, हजारी, नोला, गोपीया, सुरजीया, महाराम/गोकल जयचन्द्र, हीरा/वेणा, गोरिया/कालु, वगतावर, धन्ना/गोमा वगेरा	–	0.01	—,,—	4000.00
15.	,,	,, प्रताक/नारायण चमार	1	01	—,,—	1575.00
16.	,,	,, जगा, मेघा, बरदा, काना/डालीया, शोराम/दोला चमार	–	14	—,,—	1050.00
17.	,,	,, मांगीया/हुगीया चमार	–	04	—,,—	300.00
18.	,,	,, गोरिया/कालु, जयचन्द, हीरा/वेणा, वगतावर, धन्ना/गोमा चमार	–	02	—,,—	150.00
19.	शादी	श्री राम, सुरजा उदा,/प्रताप, राजु, धन्ना, मंगला/देवा	1	05	6.3.81	1875.0–
	,,	,, भज्जा, हजारी, नोला, गोपीया सुरजीया, महाराम/गोकल	–	13	—,,—	325.00
	,,	,, जयचन्द, हीरा,/वेणा, गोरीया, पिता कालु बगतावर	2	13	—,,—	3975.00
20.	,,	,, गोकल/नन्दा, भज्जा, हजारी/गोकल चमार	–	15	—,,—	900.00
21.	,,	,, लक्ष्मण/राम जाट	–	12	—,,—	780.00
22.	,,	,, कालीया/केला चमार	–	5	—,,—	465.00

1	2	3	4	5	6
23. शादी	श्री गोपीया/कालु: जयचन्द हीरा/वेणा: वगतावर, धन्ना/गोमा चमार	-	13	6-3-81	1090.00
24. ,,	,, मांगीया/हरिया, कासिया /केला नारायण, मोहन /भागीरथ	-	5	—,,—	400.00
25. ,,	,, भज्जा, हजारी, नोला, गोपीया, सुरजीया, महाराम/गोकल, जयचन्द, हीरा/वेणा, गोपीया/ कालु, बखतावर धन्ना/ गोमा चमार	-	5	—,,—	500.00
26. ,,	,, गिरधारी/वेणा जाट	-	4	—,,—	260.00
27. ,,	,, कजोड़/उदा, धन्ना/. सोला जाट	-	5	—,,—	325.00
28. ,,	,, रामा सुरजीया,उदा, प्रताप, राजिया, धन्ना, मगना देवी, परथा केला चमार	-	7	—,,—	490.00
29. ,,	,, जगा. मेवा. वरद/.काना /डालीया सोराम/दोला छोगा, गोपी/लाजा, चमार वगैरा	-	2	—,,—	130.00
30. ,,	,, प्रताप/नारायण चमार	-	2	—,,—	200.00
31. ,,	,, भेरु/कालु 1/4. कजोड़ /उदा,.धन्ना/सोला, 1/4 गोपी/कालु. गिरधारी/ वेणा, गोपी, भुबाना/ चेना चमार	-	15	—,,—	975.00
,,	,, गोपी/कालुदादा, हीरा जाट	-	3	—,,—	195.00
,,	,, गिरधारी/वेणा जाट	-	6	—,,—	390.00

Page No. 364

(364)

1	2	3	4	5	6	7
32.	शादी	श्री भेरु/कालु 1/4. कजोड़ /उदा. धद्वा/सोला 1/4 गोपी/कालु. गिरधारी/ वेणा. गोपी भुवान/चेना चमार	–	1	6-3 81	65.00
33.	,,	,, कजोड़/उदा, धन्ना/सोला जाट	–	1	—,,—	65.00
34.	,,	,, भेरु/कुका जाट	–	2	—,,—	130.00
35.	,,	,, मु. चुनी. जोजे. रतना भील	–	6	—,,—	390.00
	,,	भज्जा. हजारी नोला. गोपीया. सुरजीया. महा-राम/गोकल	–	4	—,,—	260.00
36.	शादी	श्री गणेश/मोडा कुम्हार	–	8	6-3-81	520.00
37.	,,	,, उदा/मोडा ढोली	–	3	—,,—	195.00
38.	,,	,, भुवाना/गुमाना ढोली	–	2	—,,—	130.00
39.	,,	,, मगना, धन्ना/रुपा जाट	–	8	—,,—	660.00
40.	,,	,, हजारी, रामा, जीतु, नाना, कालु जाट	–	2	—,,—	200.00
41.	,,	,, गोपी, छोगा/किशना जाट	–	4	—,,—	400.00
42.	,,	,, जग्गा/नन्दा जाट	–	4	—,,—	400.00
43.	,,	,, रुपा, ऊंकार, गिरधारी/ जग्गा जाट	–	2	—,,—	130.00
44.	,,	,, मु. नोजी. वेवा बागा जाट	–	3	—,,—	300.00
45.	,,	,, हजारी, जीतु/धुकलजाट	–	5	—,,—	325.00
46.	,,	,, जग्गा,लहरु, भीमा/कालु नोल /गुलाब, अमरचन्द /मगना जाट	–	6	—,,—	390.00

1	2	3	4	5	6	7
47.	शादी	श्री माधु, जीतु, मोती, डालु/धन्ना, मु. नोजी बेवा बार्वा ऊंकार, गिरधारी, रुपा/मगना जाट	-	2	6-3-81	130.00
	,,	,, गोपी, बरदा, जीतु/भागीरथ, भुरा/किशना जाट	-	5	—,,—	325.00
48.	,,	,, उदा, छोगायी/ धुकल, डालु, खुराज़ पिता हजारी, रुपा, ऊंकार, गिरधारी/मगना जाट	-	7	—,,—	455.00
49.	,,	,, रुपा, जोधा/धीसा 1/2 भागीरथ, प्रताप, कालु, भुरा, किशना 1/2 जाट	-	1	—,,—	65.00
50.	,,	,, शंभुनाथ, खुराज/गिरधारी, मीयाचन्द,/धन्ना, केला/पिथा जाट	-	9	—,,—	585.00
51.	,,	,, छोगादास/नारायणदास बैरागी	-	2	—,,—	195.00
52.	,,	,, शंभुनाथ, खुराज/गिरधारी जाट	-	1	—,,—	325.00
53.	,,	,, मियाचन्द/गोकल 1/2, मियाचन्द/धन्ना 1/4, शंभु, खुराज/गिरधारी 1/4 जाट	-	4	—,,—	325.00
54.	,,	,, होगा/सोला, अमरा/धुकल जाट	-	9	—,,—	520.00
55.	,,	,, बरदा/तेजा जाट	-	8	—,,—	455.00
56.	,,	,, गेमा/सेवा जाट	-	11	—,,—	715.00

(3.66)

1	2	3	4	5	6	7
57.	शादी	श्री लालु/जग्गा, माधु, हजारी, जीतु/भवाना, भागीरथ/अमरा जाट	–	4	6-3-81	390 00
	,,	,, जग्गा/नन्दा, हजारी, रामा, जीतु नाना/कालु गोपी, छोगा/किशना, घासी/गोमा जाट	–	10	–,,–	650.00
58.	लाला का खेड़ा	लाला/मोडा जाट	–	8	–,,–	425.00
59.	लाख का खेड़ा	श्री गोपी/मोडा जाट	–	1	6-3-81	65.00
60.	,,	,, नारू/गोकल जाट	–	2	,,	130.00
61.	,,	,, हरलाल, छोगा, नाथु बरदा/अमरा, गणेश/हीरा गोपी/मोडा	–	3	,,	195.00
	,,	,, हरलाल छोगा, नाथु, बरदा/अमरा जाट	–	5	,,	325.00
62.	,,	,, उदा/भवाना जाट	–	3	,,	195.00
	,,	,, नारू/गोकल जाट	–	4	,,	260.00
63.	,,	,, हीरा, जगदीश/कुका जीतु भुरा/उदा, गोपी/भुवाना	–	5	,,	325.00
64.	,,	,, गोपी पिता भुवाना जाट	–	3	,,	300.00
65.	,,	,, लहरु तुलसीराम/माधुजाट	–	13	,,	845.00
66.	,,	,, माधु/हुकमा जाट	1	3	,,	1670.00
	,,	,, छोगा/धुकल जाट	1	5	,,	1625.00
67.	पालेर	,, माधु, उदा/कालु जाट	–	10	,,	650.00
		योग:-	81	00		137,445.00

लुहारिया बांध के डूब में आई भूमि का विवरण जिनका मुआवजा चुकाना शेष है एवं अवार्ड जारी हो चुके हैं :—

1	2	3	4	5	6	7
1.	लुहारिया	श्री जयराम/बरदा गाडरी नि. लुहारिया	7	9	6-3-81	10895.00
2.	,,	,, ऊंकारमल/भांरमल ब्राम्हण नि. खोरडिया खेड़ी	4	7	,,	8900.00
3.	,,	,, रामनाथ, श्यामसुन्दर/जगन्नाथ ब्राम्हण नि. भादसोडा	2	8	,,	3680.00
4.	,,	,, भुरा/परथा जाट/रूपा मेघवाल नि. लुहारिया	34	9	,,	50760.00
5.	,,	,, बाबरू/किशोर, श्रीमती केशी पत्नी किशोर नि. लुहारिया	16	17	,,	26950.00
		योग:—	65	11		101185.00

अरनिया तालाब की डूब में अवाप्त होने वाले कृषकों अवार्ड जारी तो हो गये हैं परन्तु अवार्ड में त्रुटियां होने के कारण भूमि अवाप्ति अधिकारी कपासन को सुधार हेतु वापिस लौटाये गये; —

1.	अरनिया	श्री छोगा/भेरा गाडरी	–	12	21-1-83	660.00
2.	काछिया	,, रूपा, हरलाल, डुंगा डालु/कालु भेरा, परसराम/डालचन्द	15	13	,,	20345.00
3.	अरनिया	,, रामलाल/मीठा, नगजी वगैरा पार्टी, हीरा/गिरधारी देवा, लालु, कुशाल/लक्ष्मण, रामकिशन, उदयराम, गणेश/पिथा, रूपा हरलाल, डुंगा, डालु पिता कालु, घीसा, नगजी/हुकमा काछी	44	17	,,	59,450.00

1	2	3	4	5	6	7
4.	अरनिया	श्री मोहनसिंह/गुलाबसिंह	13	4	21-1-83	19715.00
5.	,,	,, लालाप्रसाद/मोहनलाल	18	7	,,	20820.00
						1,20,990.00

तलैया सिचाई योजना में आने वाले काश्तकार जिनका मुआवजा मार्च 84 में भुगतान हुआ

1.		श्री रतना/भगवाना मीणा	2	5	मार्च, 84	891.00

नोट:–काश्तकार की भूमि बैंक में रहन होने से काश्तकार एवं बैंक में समझौता होने से मार्च, 84 में भुगतान किया गया

बोरिया सिचाई योजना में आने वाले काश्तकार जिनके अवार्ड जारी हो चुके हैं एवं भुगतान होना शेष है:–

1.	गढा	श्री वार्जिगा/दीपा मीणा	4	–	20-3-83	660.00
2.	,,	,, नाथिया/वीरा मीणा	17	–	,,	1782.00
3.	,,	,, भुजीया/कवरू मीणा	5	–	,,	1225.00
4.	,,	,, नाथू/मंगल्या मीणा	1	–	,,	165.00
5.	,,	,, केर्लीया वरदा मीणा	–	15	,,	74.25
6.	,,	,, जोखीया खाना मीणा	5	14	,,	752.40
7.	,,	,, नाथीया, जग्या, परथु, नगजी मंगला मीणा	4	3	,,	503.25
8.	,,	,, चोखला मोतीया मीणा	9	16	,,	1227.60
9.	,,	,, पुनीया दीपा मीणा	1	8	,,	184.80
10.	,,	,, देवजी/रूपा मीणा	–	4	,,	1614.40
11.	,,	,, लीलीया/काना मीणा	4	15	,,	627.00
12.	,,	,, वाजींगा गुमाना मीणा	5	10	,,	726.00
13.	,,	,, मार्जीया, जोरीया, नारीया शंभुड़ा देवजी मीणा	4	18	,,	536.25

1	2	3	4	5	6	7
14.	गढ़ा	श्री परथा/भानीया मीणा	2	6	2-3-83	427.70
15.	,,	,, बीरा, डेलीया/गोतीया	6	17		2629.60
16.	,,	,, जानिया/तुरजी/वागा मीणा	8	2	,,	1069.00
17.	,,	कस्तुरी/गुमाना मीणा	7	16	,,	772.20
18.	,,	,, गोतम/रामा मीणा	7	5	,,	717.75
19.		मुकभमकू बेवा केवला मीणा	16	18	,,	5462.15
20.	,,	मोखयी/हुवला मीणा	13	–	,,	1452.00
21.		नानका, कमजी/परथा मीणा	13	6		2851.65
22.		वाजिया/पून्या/दीपा मीणा		9		59.40
23.	,,	,, चोखल्या/गोतीया मीणा	3	10		462.00
24.	,,	,, धारीया/लखना मीणा	3	11	,,	370.70
25.	,,	,, वाजीया/केरिंगा मीणा	4	14	,,	589.60
26.		,, मालिया, गंजी/गोबरिया	9	14		1953.10
27.		,, कचरिया, बालीया/केरिंगा मालिया धारिया/वालिया	17	17		6467.75
28.	,,	,, पुलिया/पुनिया	12	18	,,	4348.15
29.	दतियार	मालिया, गंजी/गोबरिया		19	,,	625.40
30.		पुनिया/दीपा	3	5	,,	2358.00
		योग:–	205	10		

नोट:–भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा मुआवजा की दर कम होने से क्रम संख्या 1 से 23 तक के काश्तकारों ने पुन: चेक लेने से इन्कार कर दिया जिससे काटे गये चैकों को पुन: निरस्त किया गया। क्रम सं. 24 से 30 तक के काश्तकारों के अवार्ड में गलती होने से पुन: अवार्ड दुरस्ती हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी को सुधार हेतु लौटाये गये। इन उपरोक्त कारणों से भुगतान नहीं किया जा सका।

परिशिष्ट-10

प्रश्न संख्या 1058 की प्रति

GOVERNMENT OF RAJASTHAAN

DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS

(Department of Personnel-A-Gr. II)

No. F. 5 (3) DOP/A-II/77 Dated 6th Oct. 1979.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following amendment in the Various Service Rules as specified in the Schedule appended here to, namely: —

AMENDMENT

1. For the existing rule mentioned in Column 3 against each of the Service Rules mentioned in Column 2 of the Schedule appended hereto, the following shall be substituted namely: —

"Determination of vacancies: (1) (a) Subject to the provisions of these rules the Appointing Authority shall determine every year the number of existing vacancies and these anticipated during the following twelve months and the number of persons likely be appointed to the Service by each method. The next determination of vacancies shall be done just before the expiry of twelve months of the last determination of vacancies.

(b) In calculating the actuial number of vacancies to be filled in by each method on the basis of percentage prescribed in the Schedule the Appointing Authority shall adopt an appropriate continuous cyclic order to correspond with the proportion laid down in the Schedule by giving precedence to promotion quota.

(2) The Appointing Authority shall determine every year the numer of existing vacancies and those anticipated in next twelve months which are to be filled by promotion of persons already in the Service.

(3) The appointing authority shall also determine the corresponding vacancies of earlier year if any, year wise which were required to be filled in by promotion. If such vacancies were not determined and filled earlier in the year in which they were required to be filled in accordance with sub-rule (2)."

(This provision shall come in to force form the date of publication in the Rajasthan Rajpatra).

2. After the existing sub-rule (II) of rule mentioned in Column 4 against each of the Service Rules mentioned in Column 2 of the Schedule appended hereto, the following new sub-rule shall be added namely:—

"(II A) If in any subsequent year, after promulgation of these rules, vacancies relating to any earlier year are determined under sub-rule (3) of rule mentioned in Column 3 of the Schedule which are required to be filled by promotion, the Departmental Promotion Committee shall consider the case of all such persons who would have been eligible in the year to which the vacancies relate irrespective of the year in which the meeting of the Departmental Promotion Committee is held and such promotions shall be governed by the rules in force at the time, the meeting of the Departmental Promotion Committee is held The person who has been as promoted shall not be entitled to claim any arrears of pay or re-fixation of his pay or to count his service/experience for promotion to higher post for any period during which he has not actually performed the duties of the post to which he has been promoted."

SCHEDULE

S. No.	Name of the Service Rules	Number of rule	Number of rule
1	2	3	4
6.	The Rajasthan Service of Engineers (Electrical & Mechanical Branch Rules, 1954.	9	24 A
7.	The Rajasthan Service of Engineers (Irrigation Branch) Rules, 1954.	9	24 A

By Order and in the name of the Governor.

Sd/- (Arun Kumar)

Special Secretary to the Govt.

सूची (अ)

Eligibility list of Assistant Engineers (Civil) for the year 1970 under the Zone of consideration as per Sub-Rule 9 of Rule 24A of Rajasthan Service of Engineers (Irrigation Branch) Rules. 1954.

Sl. No.	Sty. No.	Name
1	2	3
1.	7	Sh. Srivallabh
2.	25	Sh Bahadur Singh
3,	33	Sh. Jagnnath Prasad
4.	43	Sh. N. P. Joglekar
5.	105	Sh. A. N. Saxena
6.	106	Sh. I. C. Arora
7.	108	Sh. P. L. Roongta
8.	109	Sh. H. C Acharya
9.	110	Sh. B. L. H. Jain
10.	111	Sh. O. P. Singhal (I)
11.	112	Sh. Chatur Bhuj Sharda
12.	113	Sh. Mahesh Kumar
13.	114	Sh. V. S. Mathur
14.	115	Sh. Harsaran Singh
15.	116	Sh. C. L Sahu
16.	118	Sh. M. P. Rankawat
17.	119	Sh. R. K. Gupta
18.	120	Sh. Jagdish Prasad Bhatia
19.	121	Sh. K. T. Sukhani
20.	122	Sh. V. P. S. Malhotra
21.	123	Sh. R. M. Jain
22.	124	Sh. H. C. Godwani
23.	125	Sh. S. S. Kalla
24.	126	Sh. Ramji Lal Gupta
25.	127	Sh K. C. Katariya
26.	128	Sh. A. C. Mehta
27.	29	Sh. D. S. Yadav
28.	130	Sh. M. S. Inda
29.	131	Sh. K. K. Sancheti
30.	132	Sh. O. P. Jat
31.	133	Sh. A. D. R. Anklesaria
32.	134	Sh. P. P. Suri
33.	135	Sh. Suraj Pal Singh
34.	136	Sh Pashupati Nath Rai
35.	137	Sh. T. C. Gupta
36.	139	Sh. M. S. Soni
37.	140	Sh. Jagdish Kishore Sharma
38.	141	Sh. Kundan Mal
39.	142	Sh. Santokh Singh Saroya
40.	143	Sh. M. K. Kala
41.	144	Sh. N. K. B. Tally
42.	146	Sh. B. R. Madhok
43.	147	Sh. H. K. Hingorani
44.	148	Sh. Ram Charan Lal

1	2	3
45.	149	Sh. K. L. Chandak
46.	150	Sh. Jagmohan Lal Gupta
47.	151	Sh. G. K. Chaturvedi
48.	152	Sh. P. R. Nagar
49.	156	Sh, Ram Sahai Sharma
50.	162	Sh. Madan Raj Jain
51.	163	Sh. K. C. Boonlia
52.	164	Sh. Madhur Bihari Mathur
53.	166	Sh. B. L. Deedwania
54.	167	Sh. V. P, Saxena
55.	168	Sh. Satya Prakash Sharma
56.	169	Sh. Repudaman Singh
57.	170	Sh. D. M. Swami
58.	171	Sh. D. C. Sood
59.	172	Sh. Narendra Sinah
60,	173	Sh Subhash Chandra Sharma
61.	174	Sh. Satya Pal
62.	175	Sh. Laxmi Chand Meghwal
63.	176	Sh Ramesh Chandra
64.	177	Sh. Govind Singh Metha
65.	195	Sh. J. C. Makkar
66.	196	Sh. R. P. Gupta I
67.	219	Sh. S. C. Saxena
68.	220	Sh. C. A. Robinson
69.	221	Sh. M. C. Agarwal
70.	222	Sh. R. S. Khandelwal
71.	223	Sh. Laxmi Lal Singat-waria
72.	225	Sh Het Ram Dudi
73.	226	Sh. G. L. Nahar
74.	228	Sh. Balour Singh
75.	229	Sh. Nen Singh Gehlot
76.	230	Sh. V. K. Bhardwaj
77.	231	Sh. Ravindra Nath Markan
78.	232	Sh Raghu Nath Singh Chouhan
79.	234	Sh. Shoan Lal Manju
80.	235	Sh Ravindra Nath Saxena
81.	236	Sh. V. K Jain
82.	238	Sh. Om Prakash Yadav
83.	239	Sh. Chiman Lal Rajawat
84.	241	Sh. Sushil Kumar Gupta
85.	242	Sh. P. C. Khuteta.
86.	243	Sh. Ghanshyam Mathur
87.	244	Sh. Bhupal Chand Jain
88.	245	Sh. William Parera
89.	246	Sh. A. K. Takroo
90.	247	Sh. Satbir Singh
91.	248	Sh. Shankar Sukhani
92.	249	Sh. Chandan Lal
93.	250	Sh. Rajendra pd. Gupta II

1	2	3	1	2	3
94.	251	Sh. Pratap Singh Kavadiya	100.	259	Sh. Darshan Singh
95.	254	Sh. Sital Pd. Rawat	101.	262	Sh. Ram Dayal Sharma
96.	255	Sh. Om Prakask Kanodia	102.	264	C. B. Lokwani.
97.	256	Sh. Banwari Lal Bishnoi	103.	265	Sh. Sadhu Ram Gupta
98.	257	Sh. Mohan Lal Wadhwa	104.	266	Sh. Hari Singh Choudhary
99.	258	Sh. Sikhar Chand Jain	105.	268	Sh. Deen Dayal Sharma

———

सूची (ब)

Eligibility list of Assistant Engineer (Civil) for the year 1971 under the Zone of consideration as per Sub-Rule 9 of Rule 24 A of Rajasthan Service of Engineers (Irrigation Branch) Rules 1954.

Sl. No.	Sty. No.	Name
1	2	3
1.	43	Sh. N. P. Joglekar
2.	44	Sh. Poona Ram
3.	91	Sh. S. P. Lalwani
4.	92	Sh. Nathu Singh Hada
5.	93	Sh. Gyan Prakash
6.	94	Sh. Ved Prakash
7.	95	Sh Prem Prakash Batra
8.	96	Sh. B B. Saxena
9.	97	Sh. J. C. Bhatia
10.	118	Sh. M. P. Rankawat
11.	128	Sh. A. C. Mehta
12.	129	Sh. D. S. Yadav
13.	130	Sh. M. S. Inda
14.	131	Sh. K. K. Sancheti
15.	132	Sh. O. P. Jat
16.	133	Sh. A. D. R. Anklesaria
17	134	Sh P. P. Suri
18.	135	Sh. Suraj Pal Singh
19.	136	Sh. Pashupati Nath Rai
20.	137	Sh. T. C. Gupta
21.	139	Sh. M. S. Soni
22.	140	Sh. Jagdish Kishore Sharma
23.	141	Sh Kundan Mal
24.	142	Sh Santokh Singh Saroya
25.	143	Sh. M. K. Kala
26.	144	Sh. N. K. B. Tally
27.	146	Sh B. R. Madhok
28.	147	Sh. H. K. Hingorani
29.	148	Sh. Ram Charan Lal
30.	149	Sh. K. L. Chandak
31.	150	Sh. Jagmohan Lal Gupta
32.	151	Sh G. K. Chaturvedi
33.	152	Sh. P. R. Nagar
34.	156	Sh. Ram Sahai Sharma
35.	162	Sh. Madan Raj Jain
36.	163	Sh. K. S. Boonlia
37.	164	Sh. Madhur Behari Mathur
38.	166	Sh. B. L. Deedwania
39.	167	Sh V. P. Saxena
40.	168	Sh. Satya Prakash Sharma
41.	169	Sh. Ripudaman Singh
42.	170	Sh. D. M. Swami

Page No. 377

1	2	3
43.	171	Sh. D. C. Sood
44.	172	Sh. Narendra Singh
45.	173	Sh. Subhash Chandra Sharma
46.	174	Sh. Satya Pal
47.	175	Sh. Laxman Chand Meghwal
48.	176	Sh. Ramesh Chandra
49.	177	Sh. Govind Singh Mehta
50.	195	Sh. J. C. Makkar
51.	196	Sh. R. P. Gupta I
52.	219	Sh. S. C. Saxena
53.	220	Sh. C. A. Robinson
54.	221	Sh. M. C. Agarwal
55.	222	Sh. R S Khandelwal
56.	223	Sh Laxmi Lal Singatwari
57.	225	Sh Het Ram Dudi
58.	226	Sh. G. L Nahar
59.	228	Sh. Balur Singh
60.	229	Sh. Nen Singh Gehlot
61.	230	Sh. V. K. Bharadwaj
62.	231	Sh. Ravindra Nath Markan
63.	232	Sh. Raghunath Singh Chouhan
64.	234	Sh Sohan Lal Manju
65.	235	Sh. Ravindra Nath Saxena
66.	236	Sh. V. K. Jain

1	2	3
67.	238	Sh. Om Prakash Yadav
68.	239	Sh. Chiman Lal Rajawat
68.	241	Sh. Sushil Kumar Gupta
70.	242	Sh. P. C. Khuteta
71.	243	Sh. Ghanshyam Mathur
72.	244	Sh. Bhoopal Chand Jain
73	245	Sh William Parera
74.	246	Sh. A. K. Tokroo
75.	247	Sh. Santbir Singh
76	248	Sh. Shankar Sukhani
77.	249	Sh. Chandan Lal
78.	250	Sh. Rajendra Pd. Gupta
79.	251	Sh. Pratap Singh Kavadiya.
80.	254	Sh Sital Pd. Rawat
81.	255	Sh Om Prakash Kanodiya
82.	256	Sh. Banwari Lal Bishnoi
83.	257	Sh. Mohan Lal Wadhwa
84.	258	Sh. Sikhar Chand Jain
85.	259	Sh Vimal Kumar Bairathi
86.	261	Sh. Darshan Singh
87.	262	Sh Ram Dayal Sharma
88.	264	Sh C. B. Lokwani
89.	265	Sh. Sadhu Ram Gupta
90.	266	Sh. Hari Singh Choudhari
91.	268	Sh. Deen Dayal Sharma

(378)

1	2	3
92.	269	Sh, Prem Narain Khullar
93.	270	Sh. Om Prakash Singhal
94.	271	Sh. Girish Chandra Sharma
95.	273	Sh. Bhagwati Pd. Agarwal
96.	274	Sh. Rishi Pd. Gupta
97.	275	Sh. Radhey Shyam Gupta
98.	276	Sh. Swaroop Chand Vijey
99.	277	Sh. Govind Singh Charan
100.	278	Sh. Sushil Kumar Bakliwal
101.	279	Sh. Karan Kishore Mathur
102.	280	Sh. Choga Lal Baya
103.	281	Sh. Raghu Nath Sachdeva
104.	282	Sh. Ram Swaroop Verma
105.	283	Sh. Jai Singh Nirwan

379

सूची (स)

Eligibility list of Assistant Engineer (Civil) for the year 1973 under the Zone of consideration as per Sub-Rule 9 of Rule 24 A of Rajasthan Service Engineering (Irrigation Branch) Rules, 1954.

Sl. No.	Sty. No.	Name
1	2	3
1.	102	Sh. M. L. Rathia
2.	103	Sh. D. R. Jhinjha
3.	118	Sh. M. R. Ronkawat
4.	134	Sh. P. P. Suri
5.	143	Sh. M. K. Kala
6.	144	Sh. N. K. B. Tally
7.	146	Sh. B. R. Madhok
8.	147	Sh. H. R. Hingorani
9.	148	Sh. Ram Charan Lal
10.	149	Sh. K. L. Chandak
11.	150	Sh. Jagmohan Lal Gupta
12.	151	Sh. G.G. Chaturvedi
13.	152	Sh. P. R. Nagar.
14.	154	Sh. Mahesh Chand.
15.	155	Sh. S. S. Purohit.
16.	156	Sh. Ram Sahai Sharma.
17.	157	Sh. Sukhbeer Singh.
18.	158	Sh. Ugra Ram.
19.	159	Sh. O. P. Saxena.
20.	160	Sh. V. Satya Narain.
21.	162	Sh. Madan Raj Jain.
22.	163	Sh. L.S. Boonlia.
23.	164	Sh. Madhur Behari Mathur.
24.	166	Sh. B. L, Deedwania
25.	167	Sh. V. P. Saxena.
26.	168	Sh. Satya Prakash Sharma.
27.	169	Sh. Ripudaman Singh.
28.	170	Sh. D. M. Swami.
29.	171	Sh. D. C. Sood.
30.	172	Sh. Narendra Singh.
31.	173	Sh. Subhash Chand Sharma.
32.	174	Sh. Satya Pal.
33.	175	Sh. Laxman Chand Meghwal.
34.	176	Sh. Ramesh Chandra.
35.	177	Sh. Govind Singh Mehta.
36.	195	Sh. J. C. Makkar.
37.	196	Sh. R. P. Gupta I
38.	219	Sh. S.C. Saxena.
39.	220	Sh. C. A. Robinson.
40.	221	Sh. M. C. Agarwal.
41.	222	Sh. R. S. Khandelwal

1	2	3
42.	223	Sh. Laxmi Lal Singatwaria
43.	225	Sh. Het Ram Dudi.
44.	226	Sh. G. L. Nahar.
45.	228	Sh. Balour Singh.
46.	229	Sh. Nen Singh Gehlot.
47.	230	Sh. V.K. Bharadwaj.
48.	231	Sh. Ravindra Nath Markan.
49.	232	Sh. Raghu Nath Singh Chouhan.
50.	234	Sh. Sohan Lal Manju.
51.	235	Sh. Ravindra Nath Saxena.
52.	236	Sh. V. K. Jain.
53.	238	Sh. Om Prakash Yadav
54.	239	Sh. Chiman Lal Rajawat.
55.	241	Sh. Sushil Kumar Gupta.
56.	242	Sh. P.C. Khuteta.
57.	243	Sh. Ghanshyam Mathur.
58.	244	Sh. Bhupal Chand Jain
59.	245	Sh. William Parira
60.	246	Sh. A. K. Takroo
61.	247	Sh. Santbeer Singh
62.	248	Sh. Shankar Sukhani
63.	249	Sh. Chandan Lal
64.	250	Sh. Rajendra Pd. Gupta II
65.	251	Sh. Pratap Singh Kavadia.
66.	254	Sh. Sital Pd. Rawat.
67.	255	Sh. Om Prakash Kanodia.
68.	256	Sh. Banwari Lal Bishnoi.
69.	257	Sh. Mohan Lal Wadhwa.
70.	258	Sh. Sikhar Chand Jain.

परिशिष्ट-11

प्रश्न संख्या 1066 का विवरण

नगर परिषद, उदयपुर में मशीन की जांच व भुगतान हेतु बनाई गई कमेटी में निम्न सदस्य थे :-

(1) प्रशासक, नगर परिषद, उदयपुर।
(2) आयुक्त, नगर परिषद, उदयपुर।
(3) विधि सलाहकार
(4) लेखाधिकारी
(5) अधिशासी अधिकारी

इस मीटिंग में यह तय रहा कि फर्म टी.ए.एफ. इंजिन के स्थान पर सी.ए. 2 इंजिन सप्लाई करेंगे तथा सी.ए. 2 इंजिन की कीमत 23, 265/- काट कर 98% प्रतिशत रकम का फर्म को चुकारा कर दिया जावे।

(382)

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 1037 के भाग एक की सूची :

वर्ष 1980-81

अप्रैल, 1980	शून्य
मई, 1980	,,
जून, 1980	,,
जुलाई, 1980	,,
अगस्त, 1980	सवाईमाधोपुर, हिण्डोन, गंगापुर।
सितम्बर, 1980	चौथ का बरवाड़ा, इसरदा, सवाईमाधोपुर, चकेरी, खण्डार, फलोदी, बहरावडाखुर्द, मलारना डूंगर, जस्टाना, मलारनाचोड़, बोली, वजीरपुर, रायपुर, पीलोदा, गंगापुर, सपोटरा, बुडगांव, नारोली, नादोती, बामनवास, लिवाली, अमावरा, गुढ़ाचन्द्रजी, भारोड़ा, श्री महावीरजी, महू इब्राहीमपुर, सुरोठ, पांवटा, खेड़ला, मंडावरा, महुआ, टोडाभीम, नांगल, मानोज मासलपुर, कल्याणजी, केला देवी।
अक्टूबर, 80	मलारना डूंगर
नवम्बर 80	हिण्डोन, खण्डार
दिसम्बर, 80	बोली, गंगापुर, सवाईमाधोपुर,
जनवरी, 1981	गुढ़ाचन्द्रजी, बोली, खण्डार, सपोटरा, बामनवास, मण्डावर
फरवरी, 1981	
मार्च, 1981	सपोटरा बोली, सवाईमाधोपुर, गंगापुर

वर्ष 1981-82

अप्रैल, 1981	सवाईमाधोपुर, बोली, शिवाड़, मासलपुर, गुढ़ाचन्द्रजी, गंगापुर
मई, 1981	महुआ, मण्डावर
जून, 1981	हाडोती, करोली, मेहन्दीपुर बालाजी, खण्डार, भगवतगढ़, बोली
जुलाई, 81	टोडाभीम, करोली
अगस्त, 1981	शून्य
सितम्बर, 81	टोडाभीम, मण्डावर, हिण्डोन, गंगापुर, गुढ़ाचन्द्रजी, हिण्डोन, खण्डार, सवाईमाधोपुर, सपोटरा

अक्टूबर, 1981 महुआ, महावीरजी, मण्डरायल, केलादेवी, बोली, बहरावन्डाखुर्द, मेहन्दीपुर, मण्डावर, हिण्डोन, गंगापुर, शिवाड़, चोथका, बरवाड़ा खिरनी, बामनवास, करोली, गुढाचन्द्रजी

नवम्बर, 1981 बालाहेडी, नारायणपुर, टटवाडा, नादोती, मासलपुर, हिण्डोन, मण्डरायल, बालघाट, महुआ, टोडाभीम, गंगापुर, सपोटरा, बामनवास, बोली, महावीरजी, सवाईमाधोपुर

दिसम्बर, 81 महन्दीपुरबालाजी, गुढाचन्द्रजी, सवाईमाधोपुर, खण्डार, शिवाड़, चोथ का बरवाडा, पावटा, गंगापुर, मण्डावर, बामनवास

जनवरी, 82 फलोदी, क्वारी, भगवतगढ़, बोली, मलारना, डूंगर, महुआ बालघाट, बामनवास, बहरामदाखुर्द, हिण्डोन, गंगापुर

फरवरी, 82 हाड़ोती, नादोती, महावीरजी, इसरदा, बोली, गंगापुर, बालघाट, पावटा, टोडाभीम, हिण्डोन, करोली, सपोटरा, गुढाचन्द्रजी

मार्च, 82 गंगापुर, मण्डरायल, महुआ, टोडाभीम, करोली, सपोटरा, मढिया, बामनवास, सवाईमाधोपुर, बहरामदाखुर्द, गुढाचन्द्रजी, बालेर, मलारना डूंगर, बवीपुर, बोली, सवाईमाधोपुर, हिण्डोन, श्री महावीरजी

वर्ष 82-83

अप्रेल, 82 निल

मई, 82 महुआ, महू, इब्राहीमपुर, महावीरजी, वजीरपुर, बोली, बामनवास, गंगापुर, सपोटरा, गुढाचन्द्रजी, चोथ का बरवाड़ा, सवाईमाधोपुर, मण्डावर मुढिया, हिण्डोन, करोली, मडरायल

जून, 82 बालेर, भगवतगढ़ खण्डार, मलारना डूंगर गंगापुर, सपोटरा, बामनवास, बोली, केनला, हिण्डोन, बालघाट, टोडाभीम गुढाचन्द्रजी, महुआ

जुलाई 82 चोथ का बरवाड़ा, बोली, बामनवास, महावीरजी, गंगापुर, मण्डावर, टोडाभीम, हिण्डोन, मासलपुर, खण्डार, सवाईमाधोपुर, गुढाचन्द्रजी, महुआ

अगस्त, 82 हिण्डोन, भगवतगढ, बोली, करोली, फलोदी, गंगापुर, मण्डावर, सवाईमाधोपुर

सितम्बर, 82 सपोटरा, महावीरजी, मण्डावर, टोडाभीम, गंगापुर, हिण्डोन, करोली, सवाईमाधोपुर, पावटा, मण्डरायल, महुआ, मंडिया, सपोटरा, भगवतगढ़, मलारना डूंगर इसरदा गुढाचन्द्रजी, नादोती, सवाईमाधोपुर, बोली, बामनवास

अक्टूबर, 82 गंगापुर, बामनवास, टोडाभीम, बालघाट, बरनाला, बोली, खिरनी, मलारना, स्टेशन, फलोदी खण्डार, करोली, मण्डावर, सांघा, महावीरजी, गुढाचन्द्रजी, गंगापुर, बामनवास, कोटड़ा, हाड़ोती ।

नवम्बर, 82 करोली, सपोटरा, टोडाभीम, महुआ, बालाहेडी, मेहन्दीपुर, बजीरपुर, बामनवास, सवाईमाधोपुर, बहरावडाखुर्द, शिवाड, चोथ का बरवाडा, खण्डीप, मासलपुर, हिण्डोन, पावटा, महुआ, महावीर जी, गुढाचन्द्रजी, चिरावंडा, गंगापुर, बोली, मित्रपुरा, करोली, मण्डरायल, भगवतगढ़, खण्डार, बालघाट ।

दिसम्बर, 82 निसूरा, सारसोप, भगवतगढ़, बरनाला, सुकार, करणपुर, कोटडी, हिण्डोन, नांगल, शेरपुर, मूडिया, सेराठ, बालेर, तहसीदा, साथा, कोहाँ, मलारना, चोड, पीपलवाडा, पीलोदा, तलवाड़, गंगापुर, सोप, गढखोडा, गुढाचन्द्रजी, गुढला, परीता, मासलपुर, करमोली, मंडरायल ।

जनवरी, 83 मानटाउन, बहरामवडा, कलां, सवाईमाधोपुर, चोथ का बरवाडा, मण्डावरा, छोटी उदई, मलारना स्टेशन, नारोली, डांग खेडला, टांडाभील, हिण्डोन, महावीरजी, नादोती, सपोटरा, करोली, भंवरा, गंगापुर, बालघाट, ढिंढोरा, बामनवास, बोली' फलोदी, चकेरी, केमला, खोटा, खण्डार ।

फरवरी, 83 निमोदा, शिवाड़, लहसीडा, महमदपुर, करोली, पावटा, मित्रपुरा, दोलतपुरा, हिसार, गुढाचन्द्रजी, हिण्डोन, समेडी, मण्डरायल, पदमपुर, गंगापुर, खण्डार, खेडावाड, रामगढ़, मलारानाडूंगर, बोरदा, गंगापुर, कुण्डेरा ।

मार्च, 83 भगवतगढ़, खेडली गूजर, मलारना स्टेशन, गुडाचन्द्रजी, नांगल लाट, सवाई माधोपुर, नारायणपुर, अटवाडा, केलादेवी, टोडाभीम, मण्डावर, सपोटरा, सिगोरकला, बहरामखुर्द, महावीरजी, कुस्तला, बोली, गंगापुर, बामनवास, बरनाला, नादोती, करोली, मासलपुर, नारोली, महुआ, बालाहेडी, बालघाट, हिण्डोन, मलारना चोड, चोथ का बरवाड़ा, मण्डरायल, पावटा , गेरई, भगवतगढ़, इसरदा, सपोटरा, करोली, बिचपुरी गुजरान, हिण्डोन, खेडला, रेडायल, गूजर, बोली, बामनवास ।

वर्ष 1983-84

अप्रेल, 83 खण्डार, श्री महावीरजी, गुढाचन्द्रजी, बामनवास, गंगापुर, शिवाड़, टोडाभीम, बोली, सपोटरा, मण्डावर, नादोती, सवाइमाधोपुर, बोली,

मई, 83	बामनवास, कुस्तला, बोली, महुरवा, मुढ़िया, सवाईमाधोपुर, गुड़ा-चन्द्रजी, टापुर, महुआ, बरनाला, करोली, मण्डारसोप, छोटो, उदई, हाडोती, मासलपुर मलारना चोड फलोदी, मित्रपुरा, गंगापुर, नारोली, डांग हिन्डोन पाचोलास, गईखेड़ा
जून, 83	चोथ का बरवाड़ा, मलाना डूगर, मलारना स्टेशन, बालेर, हाडोती, छोटी उदई, हिण्डोन, सवाईमाधोपुर, भूरी पहाड़ी, बालघाट, बोली, खिरनी, नादोती, भगवतगढ़, बालाहेड़ी, बामनवास, बाडकला, डिहायच, महइब्रहीमपुर, भाडोती, साण, इसरदा, मण्डरायला, मासपुर, इसरदा, सपोटरा, केलादेवी, गंगापुर, बेराडा, खण्डार, शिवाला, पाचोलात, गुढ़ाचन्द्रजी, मेरई
जुलाई, 83	महुआ, महसवा, बोली, सवाईमाधोपुर, बामनवास, खिरनी करोली, सपोटरा, गंगापुर, चोथ का बरवाडा, मलारना चाडे श्रीमहावीरजी, नादोती, शेरपुर, खिलचीपुर वजीरपुर, फलौदी मण्डावर, केलादेवी, टोडाभीम, पावटा, हिण्डोन, बहरावदा खुर्द, गुढ़ाचन्द्रजी, कुडगांव
अगस्त, 1983	पिपलाई बहरावदादि गंगापुर, मण्डावर, महू, इब्राहीमपुर मलारना स्टेशन, मेहन्दीपुर, सवाईमाधोपुर, बामनवास कुस्तला, केराली, सपोटरा, नारोली, हाडोती, नादोती, खेडला, खण्डार, रायपुर, बोली, महरायल, केलादेवी, टोडा भीम, महुआ, दुब्बी, गुढ़ाचन्द्र जी।
सितम्बर, 83	बोली, मडोली फलोदी, मेहन्दीपुर, भाडोती, महावरीजी, मानटाउन, कुडगांव, गगापुर, महमदपुर, भगवतगढ़, मलाराना चोड, महुआ, मसलपुर, सवाईमाधोपुर, बालाहेडो, पीपलाई, करोली, महुआ, वजीरपुर, हिण्डोन बरनाला, पदमापुरा कोट चकेरी, शहर, मण्डावरा पीपलदा सपोटरा श्योपुर, खिलचीपुरा टोडाभीम केमरी खण्डार मण्डावर, सरोठ ललवाडा, गुढ़ाचन्द्रजी, बहरामवडा खुर्द, बालघाट, चोथ का बरवाडा, हिण्डोन, मण्डरायल
अक्टूबर, 83	फतेहपुरा, सूरवाल करोली, सवाईमाधोपुर, खण्डार, महा गंगापुर, इसरदा मलाराना डूगर नादोती, हिण्डोन, पीपलाई, जटवाड़ा, नारोली, डोग, सवाईमाधोपुर, मासलपुर, पदमपुरा, करोली, सपोटरा, महावीरजी, गुढ़ाचन्द्रजी, बड़गांव, बालघाट, खिरनी, मण्डावर, कुस्तला, पाचोलास, सरोठे खेडला टोडाभीम।
नवम्बर, 83	कोडायाई, केलादेवी, मह इब्राहीमपुर, सवाईमाधोपुर, टोडाभीम, बामनवास, बोली, मण्डरायल खण्डार, गंगापुर कुडेरा, मण्डावर, नादोदी, दिढोरा मासलपुर, खेडावाड़ा, रामगढ़, बालघाट, बागडोली, हिण्डोन, फलोदी सपोटरा, कस्तकला, वजीरपुर बरनाला फतेहपुर, पदमपुरा, भूरीपहाड़ी, महुआ, पिपला गुढ़ाचन्द्रजी, कुडगांव, खेडला, भगवतगढ़

नवम्बर, 83	कोडायाई, केलादेवी, महू इब्राहीमपुर, सवाईमाधोपुर, बामनवास, बेली, मण्डारायल, खण्डार, गंगापुर, कुण्डेरा, मण्डावर, नादोती, हिंडोरा, मासलपूर, बडारामगढ़, नालघाट, वागडोली, पदमपुरा, भूरी पहाड़ी, महुआ, पिपलाई, करोली, गुढ़ाचन्द्रजी, गुडगांव, खेडला, भगवतगढ़
दिसम्बर, 83	वानटाउन, केलादेवी, हिंडूपरा, महावीरजी, सीमेंन्ट फैक्टरी, सवाई माधोपुर, नादोदी, सुरोठ बोली, गंगापुर, करोली, टोडाभीम, खण्डार, बामनवास, बालाहेडी, मासलपूर, हिण्डोन, भगवतगढ़, नारोली, बालघाट, फलोदी, मण्ड़ावर, चोथ का बरवाड़ा, मलारन, डूंगर, बरनाला, सपोटरा, कुस्तला, मेहन्दीपुर, पावटा, मण्डरायल, नारायणपूर, चटवाड़ा, निसूरा
जनवरी, 84	जबूदूब्बी, महूआ, मह ईब्रहीमपुर, भादरा लोबालो, खण्डार, महोली, शिवाड, मूडिया, मित्रपुरा, बामनवास, टोडाभीम बालाहेडी, मानटाउन, कुस्तला, खेडली, सिगरिया, छोटी उदई, शहर, बहरावाड उखुर्द, सवाईमाधोपुर, पदमपुरा पबोली करोली रोघई, चोथ का बरवाडा, गंगापुर, बालघाट, पिपलाई, बेनपुर, मलारना स्टेशन हिण्डोन, बालेर, मण्डावर, बनसुरा, कुड गांव, सपोटरा, भगवतगढ़, केमली, गुडाचण्द्रजी, खिजूरी, महस्वा, गंगापूर, हाडोती
फरवरी, 54	मासलपुर, शिवाड़, केलादेवी, बामडोलो, भांकरी, सूरोठ, महमदपुरा मण्ड़रायल, रामडी, महुआ, हिण्डोन, बरनाला, गडमोरा, बोली, सलेडी, सवाईमाधोपुर, नागंललाट, टोडाभीम, फलोदी, महू इब्राहीमपुर
मार्च, 84	दोलतपुरा, शहर, खण्डार, बामनवास, मलारना चोड, पदमपुरा, शिवाड, बालाहेडी, लांगा नादोती, रिवाली, गंगापुर, खिरनी, महमदपुर, मुण्डेरा, महू इब्राहीमपुर, फलोदी, थकट, बाटोदा, पावटा, सवाईमाधोपुर, टोडाभोम, बोली, महावीरजी, करोली, गगापुर, मण्डावर, बहरावडा कला, हिण्डोन, करसाई, मलारन, डूंगर ।

———

परिशिष्ट–13

प्रश्न संख्या 1078 की सूची

सूची मय पता जिन्हें वनरक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है

1. श्री हीरालाल पिता बक्सी राम धमोरा (अनुसूचित जन जाति) द्वारा किशन लाल चपरासी, राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़।
2. श्री शिवलाल पिता पन्नालाल (अनरिजर्व) पोस्ट महुवा, वाया बाली।
3. श्री श्यामलाल पिता छोगालाल (अनरिजर्व) नायक, पायलो का मोहल्ला, कपासन।
4. श्री बालकृष्ण पिता मन्नालाल शर्मा (अनरिजर्व) अन्नपूर्णा मन्दिर के पास क्षेत्र।
5. श्री मनोहरलाल पिता रंगलाल स्वर्णकार (अनरिजर्व), सुनारों के मन्दिर के पास, बड़ी सादड़ी।
6. श्री मनोहरलाल पिता रघुदास बैरागी (अनरिजर्व) मयादपुरा, पोस्ट बड़ी सादड़ी।
7. श्री रमेशचन्द पिता नारायण लाल हरिजन (अनुसूचित जाति) हरिजन मोहल्ला, बस्सी।
8. इस्माइल खां पिता मोहम्मद इब्राहीम कुरेशी (अनरिजर्व), नारो का निवाणा पोस्ट बरदाता, जिला चित्तौड़गढ़।
9. श्री बालचन्द्र पिता बाहजी (अनुसुचित जनजाति) मु. बण्डीखागी, पोस्ट कचोटिया।
10. श्री लक्ष्मण सिंह पिता जोरावर सिंह सांखला (अनरिजर्व), पोस्ट धमोत्तर, तहसील प्रतापगढ़।

———

परिशिष्ट–14

प्रश्न संख्या 1083 की सूची

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

पंचायत समिति–मारवाड़ जंक्शन

क्र. सं. 1	कार्य का नाम 2	स्वीकृति दिनांक 3	स्वीकृत राशि 4
1.	नया कूप निर्माण बिठूड़ा कला	18-2-81	10000
2.	नया कूप निर्माण जाडन	,,	8000
3.	नया कूप निर्माण बाली ग्राम	,,	10000
4.	पीचका गुडा दुर्गा	,,	9000
5.	पीचका मेलाप	,,	9000
6.	पीचका हमीरवास	,,	15370
7.	पीचका मेवड़ा	,,	6000
8.	स्कूल निर्माण जोडकिया	,,	7000
9.	स्कूल निर्माण बोरनडी	,,	4500
10.	स्कूल निर्माण भगवानपुरा	,,	5000
11.	स्कूल निर्माण बिठुड़ा खुर्द	,,	3000
12.	प्रा. वि. बाली ग्राम	16-[illegible]-81	21000
13.	,, ,, लोलावास	,,	34000
14.	भेड़ व ऊन प्रसार केन्द्र खारची	,,	17000
15.	पाचेटियां तालाब	,,	40000
16.	जैतपुरा पानी पीने का कुआ	,,	18000
17.	पंचायत भवन गुडा रामसिंह	28-4-81	12500
18.	पंचायत भवन देवली	,,	8000
19.	प्रा. शा. गुडा अजबा	,,	15000
20.	पंचायत भवन कराडी	,,	6500
21.	औषधालय भवन भिमालियां	,,	15000
22.	पंचायत भवन हिगोला खुर्द	,,	15000
23.	पंचायत भवन सेहवाज	,,	10000

Page No. 389

389

1	2	3	4
24.	शाला भवन शिवसागर	28-4-81	9000
25.	शाला भवन गुडा सूरसिंह	,,	15000
26.	पंचायत भवन गुडा सूरसिंह	,,	15000
27.	पंचायत भवन सरवाड	,,	15000
28.	,, ,, निमली माडा	,,	10000
29.	,, ,, बोरी मादा	,,	20000
30.	,, ,, चिसपटियां	,,	5000
21.	शाला भवन हेमलियांवास कलॉ	,,	12200
32.	बमाणशला 2 कमरे निर्माण	,,	8000
33.	प्रा. वि. राजोला खुर्द	,,	5000
34.	शाला भवन ढाणी चौधरी भान माऊवा	1-5-81	14000
35.	शाला भवन भासन	,,	8500
36.	,, ,, धनला	,,	20000
37.	,, ,, बॉता	,,	20000
38	,, ,, फुलाद	,,	8000
39.	,, ,, डिगोर	,,	5000
40.	रा. उ. प्रा. वि. निमली मॉडा	,,	25000
41.	शाला भवन बोरीमादा	1-5-81	20000
42.	प्रा.वि. जोजावर	,,	20000
43.	,, ,, बाडसा	,,	20000
44.	देवली पीचका होज निम.	,,	10000
45.	ठाकुरवास में अपूर्ण प्रा. शा. को पूर्ण कराना	23.5.81	5000
46.	अपूर्ण पाठशाला करमाल की मरम्मत	25.5.81	5000
47.	,, ,, बोगला की मरम्मत	,,	5000
48.	पंचायत भवन घामल की मरम्मत की चारदीवारी	23.5.81	8000
49.	प्रा. शा. नि. रिसानियां	,,	15000
60.	आचार्य भिक्षु मा. वि. कटालियां	,,	212000
			831570

1	2	3	4
1.	प्रा.शा. बोरीमादा	1982	2900
2.	पंचायत घर बोरीमादा	,,	5560
3.	,, सेहूवाज	,,	7300
4.	प्रा.शा. बमाएा	,,	
5.	,, धनला	,,	11040
6.	,, लोलावास	,,	22620
7.	,, बाडसा	,,	32830
8.	पंचायत घर सवराड	,,	7730
9.	प्रा.शा. रिसानिया	,,	20000
10.	,, बाली	,,	12560
11.	पंचायत घर निमली मांडा	,,	13130
12.	उ. प्रा.शा. निमली मांडा	,,	25490
13.	प्रा.शा. गुडा सुरसिंह	,,	10000
14.	,, शिवसागर	,,	7000
15.	पंचायत घर गुडा सुरसिंह	,,	7000
16.	पीचका बोरनाडी	,,	6000
17.	नया कुआ राजकियावास कला	,,	6000
18.	प्रा. शा. बडी में एक कमरा	,,	5000
19.	प्रा. शा. बासनी में एक कमरा	,,	5000
20.	प्रा. शा. नया गांव में एक कमरा	,,	7000
21.	,, आडकियां	,,	7000
22.	साड मांढा घर बासनी	,,	5000
23.	पंचायत घर हिगोंला खुर्द	,,	5000
	जनसहयोग वाले कार्य		
24.	पंचायत घर ईसाली	,,	11000
25.	स्टेशन के पास बाजार में नाली निर्माण मलसाबावड़ी	,,	13750

391

1	2	3	4
26.	प्रा. शा. बांसा अपूर्ण	1982	16500
27.	,, में एक नया कमरा नि. बोरनाडी	,,	11000
28.	सार्वजनिक कुआ गहरा मरम्मत गुडासूरसिंह	,,	2750
29.	प्रा. शा. का नया कमरा चोकडिया	,,	5500
30.	,, बोगला	,,	5500
31.	सब सेन्टर स्वास्थ्य निर्माण योजना	1982	5500
32.	कटालियां ग्राम में	,,	8250
33.	उ. प्रा. शा. का बरामदा निर्माण सिनला	,,	8250
34.	सांड पाडा घर निर्माण सिनला	,,	5500
35.	हौज निर्माण रानावास ग्राम	,,	13750
36.	प्रा. शा. निर्माण सुगालियां	,,	12650
37.	मा. शा. कटालियां	,,	90000
38.	प्रा. शा. रिसानियां	7.12.83	14200
39.	,, ,, गुडासुरसिंह	,,	10000
40.	,, ,, शिवसागर	,,	5300
41.	,, ,, बड़ी	,,	10000
42.	,, ,, बासनी	,,	15000
43.	,, ,, नया गांव	,,	13000
44.	,, ,, जोडकियां	,,	13000
45.	,, बनमाण	,,	10000
46.	पचांयत घर गुडा सूरसिंह	,,	8700
47.	,, ,, हिंगोलाखुर्द	,,	10000

अनु. जाति व जनजाति को प्रत्यक्ष लाभ वाले कार्यक्रम

48.	बाडिया पोचका का टाका	7.12.83	7000
		योग	557260

(392)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

पचांयत समिति रानी

क्र. सं. 1	कार्य का नाम 2	स्वीकृति दिनांक 3	स्वीकृत राशि 4
1.	कूप निर्माण चाचोडी	18.2.81	10000
2.	,, ,, सेदरियाँ	,,	10000
3.	,, बर्री	,,	10000
4.	पशु चिकित्सालय भवन नि. रानी स्टे.	,,	10000
5.	प्रा. शा. बर्री	,,	5500
6.	,, ,, सेपटावा	,,	4500
7.	रानी स्टे. स्कूल भवन नि.	11.6.81	100000
8.	सेकंड्री स्कूल भवन खोड के अधूरे कार्य को पूर्ण कराना	2.4.8	50000
9.	हौज पंप घर निर्माण व० दार	28.4.81	18000
10,	,, ,, , खूनी का गुडा	,,	18000
11.	,, ,, ,, भगवानपुरा	,,	15000
12.	पीचका एलानी	,,	10000
13.	पंचायत भवन गजनीपुरा	,	8000
14.	,, ,, सीवास	,,	14000
15.	,, ,, केरली	,,	18000
16.	,, ,, इन्दरवाडा	23.11.81	27000
17.	,, ,, सावलता	,,	17000
18.	चाचोडी स्कूल भवन	28 4.81	20000
19	माडॅल स्कूल 2 कमरे नि.	,,	18500
20.	नाली निर्माण खोड	,,	30000
21.	इटन्दरान स्कूल विस्तार	4.5.81	20000
22.	प्रतापगढ स्कूल निर्माण	,,	20000
23.	स्कूल कमरा नि. पुनाडियाँ	,,	20000
24.	प्रा. वि. कल्याणपुरा	,,	20000

1	2	3	4
25.	हरिजन बस्ती स्कूल रानी खुर्द	4-5-81	20000
26.	प्रा. स्कूल निर्माण सालरियों	,,	20000
27.	स्कूल ओडवाडियों	,,	20000
28.	,, गुडा माताजी	,,	20000
29.	,, भीमपुरा ढाणी	,,	35710
30.	स्कूल भवन दूदवड	1-5-81	35710
31.	किशनपुरा तालाब में पानी लाने की नहर	23.5.81	29000
32.	होज व पंप घर निर्माण जीवनकलॉं	,,	23000
33.	,, ,, की ढाणी	,,	23000
34.	अनु. जाति के चौक पर पंचायत भवन नि. पिलोवनी	,,	35000
35.	रा. मा. वि. सूवी में नया कुंआ नि.	25-5-81	15000
			769920
1.	होज निर्माण जीवन कला	1982	1500
2.	,, ,, जीवन कला ढाणी	,,	1500
3.	पंचायत भवन पीलावणी	,,	3500
4.	प्रा. शा. गुडा माताजी	,,	20700
5.	कूप निर्माण चीचोडी	,,	11800
6.	,, ,, मा. शा. बूसी	,,	6200
7.	प्रा. शा. सेवटावा	1982	12300
8.	प्रा. शा. सालरियों	,,	6600
9.	,, ,, कल्याणपुरा	,,	16700
10.	उ. प्रा. शा. इटन्दडा मेडितियान	,,	23000
11.	पंचायत भवन सिवास	,,	18700
12.	पंचायत समिति-आवास ग्रह रानी	,,	10600
13.	मा. वि. खोड	,,	10000
14.	साड पाडा घर बरकाना	,,	5000

1	2	3	4
15.	प्रा. शा. बूसी की ढाणी	1982	8000
16.	साण्ड पाडा घर देवली	,,	5000
17.	,, ,, सोमेसर	,,	5000
	जनसहयोग वाले कार्य		
18.	साडा पाडा घर बालराई	,,	6300
19.	पंचायत भवन मरम्मत सावलता	,,	6300
20.	,, ,, करली	,,	6300
21.	पंचायत भवन सोमेसर	,,	4950
22.	,, ,, मोडवालियाँ	,,	3150
23.	,, ,, मरमत घेनडी	,,	2250
24.	,, ,, चारदीवारी देवलीपाबूजी	,,	5850
25.	,, ,, (अपूर्ण) इन्दरवाडा	,,	7200
26.	मेला कार्यालय जवाश्वेर महादेव जवाली	,,	6750
27.	उ. प्रा. शा. निम्बाड़ा	,,	13500
28.	मा. शा. सिस्तार चाचोडी	,,	9000
29.	प्रा. शा. निर्माण बरी	,,	3150
30.	,, ,, पनाड़ियों	,,	5400
31.	,, ,, चारदिवारी गुडा मेहराम	,,	5850
32.	हौज निर्माण आकडवास	,,	5850
33.	साड पाडा घर निर्माण कीरवा	,,	6300
34.	प्रा. शा. बूसी की ढाणी भीमपुरा	7.12.83	16700
35.	माध्यमिक विद्यालय खोड	,,	30000
36.	पंचायत समिति आवासग्रहों को पूर्ण कराना	,,	14550
	अनु. जाति व जनजाति को प्रत्यक्ष लाभ योजना कार्य		
37.	भाबियों के कुए पर हौज निर्माण चाचोडी	7.12.83	5000
38.	पनाड़ियां ,, ,, ,,	,,	5000
			335450

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

पंचायत समिति देसूरी

क्र. सं.	नाम कार्य	स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	नया कुआ निर्माण नया गुडा	18-3-81	10000
2.	नया कुआ गिराली	,,	10000
3.	स्कूल मरम्मत साभरियाँ	,,	5500
4.	,, ,, गिराली	,,	10000
5.	,, ,, गुडा जैतावतान	,,	4500
6.	,, ,, छोडा	,,	10000
7.	अध्यापक आवास ग्रह छोडा	,,	2500
8.	प्रा. वि. डायलाना	,,	4400
9.	आयुर्वेदिक अस्पताल भवन नारलाई	,,	5000
10.	,, ,, आना	,,	10000
11.	,, ,, सिन्नरली	,,	10000
12.	भेड व ऊन प्रसार केन्द्र देसूरी	16-3-81	17000
13.	उ.प्रा.वि. गुडा पृथ्वीराज अधूरे कार्य पूर्ण करना	2-4-81	70000
14.	विरमपुरा पीचका	28-4-81	3000
15.	होज व स्वीचरूप कोलर	,,	20000
16.	,, ,, बांगोल	,,	22000
17.	,, ,, मोरखा	,,	13000
18.	,, ,, दांदाई	,,	16000
19.	,, ,, वीरमपुरा	,,	17000
20.	,, ,, कोरडी	,,	20000
21.	प्रा. वि. साभरिया चार दिवारी नि.	,,	7000
22.	पंचायत घर सुमेर	,,	10000
23.	,, ,, पनोता	,,	25000
24.	,, ,, कोटडी	,,	10000
25.	,, ,, बडोद	,,	5000
26.	प्रा. वि. नाडोल के पास नाला निर्माण	,,	15000
27.	होज स्वीच रम आना	,,	10000
28.	,, ,, मगरतालाब	1-5-81	20000
29.	,, ,, बाडका	,,	16000

1	2	3	4
30.	होज स्वीच सोनाना	1-5-81	15000
31.	,, ,, कूप सारंगवास	,,	13000
32.	शाला भवन देसूरी	,,	10000
33.	स्कूल कमरा निगुडा देवड़ा मेडितियाँ	,,	10000
34.	,, ,, लापो	,,	10000
35.	पुलियाँ निर्माण सारंगवास	,,	6000
36.	शोभावास अध्यापक आवास गृह	,,	6000
37.	पंचायत भवन मरम्मत फाटकघर विस्तार देसूरी	,,	9000
38.	खरंजा कार्य पूर्ण कराना देसूरी	25-5-81	75000
			551900
1.	भावियों की पीचका गिराली	1982	5500
2.	होज निर्माण कार्य बाडका	,,	5400
3.	,, दादाई	,,	7270
4.	,, बागोल	,,	5040
5.	,, कोलर	,,	12600
6.	,, मांरखा	,,	3190
7.	,, विरमपुरा	,,	6600
8.	भेड़ उन प्रसार केन्द्र देसूरी	,,	20000
9.	होज निर्माण कोडडो	,,	10470
10.	उ. प्रा. शा. गुड़ा पृथ्वीराज	,,	18000
11.	प्रा. शा. छोड़ा	,,	17000
12.	पंचायत घर सुमेर	,,	3000
13.	होज निर्माण मगरतालाब	,,	6000
14.	पंचायत भवन चारदिवारी सिदरली	,,	5000
15.	नाली निर्माण नाडोल	,,	5000
16.	होज निर्माण डायला ना कलां	,,	5000
17.	,, ,, नया कार्य सारंगवास	,,	4000
18.	कुआ व होज निर्माण राघुपीर जी की धूणी	,,	16000
	जन सहयोग वाले कार्य		
19.	प्रा. शा. गिराली	,,	7700
20.	खरंजा कार्य नाडोल	,,	22000

1	2	3	4
21.	चारदिवारी आयुर्वेदिक औषधालय सिंदरली	1982	7150
22.	प्रा. शा. मेवी खुर्द	,,	7150
23.	,, केसूली	,,	12100
24.	,, नयागुडा	,,	22000
25.	पंचायत भवन मादा	,,	19800
26.	खरंजा कार्य तहसील से उदासुथार देसूरी	,,	56350
27.	उ. मा. वि. देसूरी	,,	54400
28.	खरंजा कार्य देसूरी	,,	22000
29.	पंचायत घर सुमेर	7-12-83	3000
30.	हौज निर्माण मगरतालाब	,,	8700
31.	उ. प्रा. वि. गूडा पृथ्वीराज	,,	10400
32.	प्रा. शा. छोड़ा	,,	10000
			417820

परिशिष्ट–15

प्रश्न संख्या 425 की प्रति

राजस्थान सरकार

वन विभाग

ओर से, —

क्षेत्र निदेशक,
बाघ परियोजना,
राष्ट्रीय उद्यान रणथम्भोर,
सवाईमाधोपुर, (राजस्थान)

निमित्त:-

श्री खनिज अभियन्ता,
सवाईमाधोपुर (राजस्थान)

क्रमांक विविध/83/4833 दिनांक 1 सितम्बर, 1983

विषय:- खनन पट्टा 120 × 60 मीटर निकट रावण की डूंगरी के पास श्री अलीमुद्दीन पुत्र सफुद्दीन, निवासी सवाईमाधोपुर के पक्ष में है, को निरस्त करने बाबत ।

———

विषयान्तर्गत लेख है कि खनन पट्टा, 120 × 60 मी. निकट रावण की डूंगरी वास्ते श्री अलीमुद्दीन पुत्र सुफुद्दीन, निवासी मिर्जामोहल्ला, सवाई माधोपुर को इस कार्यालय के अधीनस्थ क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर द्वारा खनन से वास्तविक मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण एवं उक्त खनन क्षेत्र आरक्षित (Reserved) अन्य क्षेत्र में होने से वन सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत स्वीकृत नियम विरुद्ध है ।

399

अत: इस कार्यालय के पत्र संख्या विविध/ए.45 दिनांक 4-3-82 द्वारा जारी की गई खनन कार्य की स्वीकृति निरस्त की जाती है। कृपया आप अपने स्तर पर राज्य हित में उक्त खान की स्वीकृति को निरस्त करने का कष्ट करें।

ह.

क्षेत्र निदेशक,
बाघ परियोजना, राष्ट्रीय उद्यान,
रणथम्भोर, सवाईमाधोपुर।

क्रमांक विविध/83/4834-36 दिनांक 1 सितम्बर, 1983

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर।
2. श्री अलीमुद्दीन पुत्र श्री सुफुद्दीन मुसलमान, निवासी मिर्जा मोहल्ला, सवाईमाधोपुर।
3. मुख्य वन्य जीव प्रतिपाल।

ह.

क्षेत्र निदेशक।

400

राजस्थान सरकार

प्रेषक:

कार्यालय क्षेत्र निदेशक,

बाघ परियोजना, रा. उद्यान,

सवाई माधोपुर।

प्रेषिति: श्री अलीमुद्दीन,

मिर्जा मोहल्ला।

सवाईधाधोपुर।

क्रमांक/विविध/7045 दिनांक 6-8-82

विषय:-खान चेजा पत्थर निकट रावण की डूगरी के पास 120 × 60 मीटर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने बाबत।

विषयान्तर्गत आपके प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-7-82 के क्रम में लेख है कि क्षेत्रीय बाघ परियोजना की वस्तुस्थिति से रिपोर्ट के आधार पर उक्त क्षेत्र में खनन् कार्य करने की अनुमति दी जाती है। कृपया माइनिंग विभाग का स्वीकृति पत्र इस कार्यालय में पेश कर वृक्षों की रायल्टी प्रोजेक्ट क्षेत्रीय सवाईमाधोपुर के यहां जमा कराने के पश्चात् ही खनन् कार्य शुरू करें एवं उक्त क्षेत्र से अधिक बढ़ा कर कार्य नहीं करेंगे।

ह.

क्षेत्र निदेशक,

बाघ परियोजना, राष्ट्रीय उद्यान,

रणथम्भौर, सवाई माधोपुर।